नवम माला, खंड 14, अंक 6

सोमवार, 4 मार्च, 1991
13 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(नौवीं लोक सभा)



PARLIAMENT LIBRARY
No. 62
Date 30-8-91

(खंड 14 में अंक 1 से 11 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 4 मार्च, 1991 / 13 फाल्गुन, 1912 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (iii)	नीचे से पंक्ति 1	"श्रीयमुना प्रसाप शास्त्री" के स्थान पर "श्री यमुना प्रसाद शास्त्री" पढ़िये ।
"	नीचे से पंक्ति 3	"श्री कैलाश मेगवाल" के स्थान पर "श्री कैलाश मेघवाल" पढ़िये ।
"	नीचे से पंक्ति 6	"राष्पट्रति" के स्थान पर "राष्ट्रपति" पढ़िये ।
21	नीचे से पंक्ति 3	"(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?" पढ़िये ।
29	नीचे से पंक्ति 6	मंत्री जी के नाम के पश्चात् "(क)" अन्त: स्थापित करिये ।
35	नीचे से पंक्ति 4	"(क)" और "(ख)" के स्थान पर "(ख) और (ग)" पढ़िये ।
65	8	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
69	नीचे से पंक्ति 4	मंत्रीं जी के नाम के पश्चात् "(क)" अन्त: स्थापित करिये ।
138	13	मंत्री जी के नाम के पश्चात् "(क)" अन्त: स्थापित करिये ।
144	9	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा] ब्र.

विषय-सूची

नवम माला, खंड 14, सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 6 सोमवार, 4 मार्च, 1991/13 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 101 से 105	...	1-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	20-430
*तारांकित प्रश्न संख्या : 81 से 100 (28.2.1991)	...	20-38
106 से 112 और	...	38-53
114 से 120 (4.3.1991)		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 891 से 926, 928 से 1001 और	...	53-235
1003 से 1122 (28.2.1991)		
1123 से 1153, 1155 से 1222,	...	235-430
1224 से 1235 और 1237 से		
1357 (4.3.1991)		
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	430-43
श्री राजीव गांधी, संसद सदस्य के आवास तथा कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर निगरानी करने का समाचार	...	436-443

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)-1990-91 विवरण 446

अंतरिम बजट (सामान्य)-1991-92 ... 449-461

श्री यशवन्त सिन्हा ... 456-461

श्री लाल कृष्ण आडवाणी ... 449

श्री सोमनाथ चटर्जी ... 449-451

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... 451-452

प्रो. मधु दण्डवते ... 454-455

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ... 455

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी ... 455

वित्त विधेयक ... 461

पुरःस्थापित ... 461

नियम 377 के अधीन मामले ... 462-465

(एक) मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र, अन्नानगर, मद्रास के कर्मचारियों को बहाल किए जाने की मांग

श्री अन्बारासु इरा ... 462

(दो) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल किए जाने की मांग

श्री शान्ताराम पोटदुखे ... 462-463

(तीन) आंध्र प्रदेश सरकार के "सड़क बंध पत्र" जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति .. 463

(चार) मुरैना (मध्य प्रदेश) के चम्बल क्षेत्र के बीहड़ों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री छविराम अर्गल ... 464

(पांच) साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, सोहागपुर के कामगारों में व्याप्त असंतोष दूर किए जाने की मांग

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ... 464

(छः) रोहतक-पानीपत-जींद शाखा लाइन और पानीपत-सोनीपत मुख्य लाइन पर रेलवे फाटकों पर कर्मचारी रखे जाने की मांग

श्री कपिल देव शास्त्री ... 465

(सात) बिहार के बक्सर जिले में नलकूपों के उचित रख रखाव के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री तेज नारायण सिंह ... 465

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ... 465-546

श्री कपिल देव शास्त्री ... 465-473

श्री बृजभूषण तिवारी ... 473-479

श्री कैलाश मेघवाल ... 507-511

श्री संतोष मोहन देव ... 511-518

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री ... 518-525

श्री सोमनाथ चटर्जी ... 525-532

श्री के. आर. नारायणन ... 532-538

श्री भोगेन्द्र झा ... 538-546

पांडिचेरी विधान सभा भंग किए जाने के बारे में वक्तव्य

श्री सुबोध कान्त सहाय ... 546-550

लोक सभा

सोमवार, 4 मार्च, 1991/13 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

क्षेत्रीय चलचित्रों को प्रोत्साहन

[अनुवाद]

*101. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को क्षेत्रीय भाषाओं के चलचित्रों के उत्पादकों के सामने आ रही विकास संबंधी समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार का क्षेत्रीय चलचित्रों को दूरदर्शन पर दिखाने के और अधिक अवसर देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। केबल टेलीविजन/डिश एंटीना प्रणाली के आगमन और बड़े पैमाने पर वीडियो चोरी के कारण समूचे फिल्म जगत को संकट का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) यद्यपि सिनेमा राज्यों का विषय है, फिर भी आम जनता पर इस माध्यम के पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, केन्द्र सरकार इस क्षेत्र के विकास और इसकी समस्याओं का समय-समय पर अध्ययन करती रही है। विभिन्न समितियों/ग्रुपों आदि द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार की ओर से आवश्यक उपाय किए जाते हैं। हाल ही में, एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने समूचे फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया है और इसे सहायता/रियायतें देने की कई

सिफारिशें की हैं। समिति की बहुत सी सिफारिशों का संबंध राज्य सरकारों से है, क्योंकि उनके विषय पूर्णतया राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर कार्रवाई कर रही है। केबल टेलीविजन और डिश एंटीना के पक्ष का अध्ययन करने के लिए गठित अंतर्विभागीय समिति ने भी हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट पर अमल करने के लिए इसकी और आगे जांच की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय फीचर फिल्मों के प्रसारण के लिए पात्रता मानदंडों को गत वर्ष और उदार बनाया गया ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए अधिक संख्या में क्षेत्रीय फिल्में प्राप्त हो सकें। मानदंडों में राज्य पुरस्कार प्राप्त फिल्मों सहित और कई मानदंड जोड़े गए हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : वीडियो चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है। केबल टेलीविजन और डिश एंटीना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए गठित अंतर्विभागीय समिति ने क्या रिपोर्ट दी है? क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माताओं की सहायता करने के लिए सरकार कौन-सी विशिष्ट व व्यापक योजनाएं बना रही है? कन्नड़ फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए और निर्माताओं को विभिन्न सहायता और रियायतें देने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछे हैं, इस पर अभी करीब एक सप्ताह पहले एक रिपोर्ट आई है जिस पर सारे तथ्यों को नजर में रखते हुए देखा गया है कि किस तरह से ऐन्टीना और केबल टी०वी० के सवालों पर राय बनाई जाए। सरकार के पास उनकी रिपोर्ट्स हैं और अभी हमने उसका कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाए हैं, वे रिपोर्ट के तहत है। हम उसके ऊपर जल्दी ही अपनी पूरी राय बनाने वाले हैं जिससे कि रीजनल फिल्म्स को और फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्षेत्रीय फिल्मों के प्रसारण के लिए जो मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं मैं उनकी सराहना करता हूं। किन्तु मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार फिलहाल सप्ताह में एक बार दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय फिल्म और चित्रहार का प्रसारण बढ़ाकर सप्ताह में दो करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय फिल्में विशेषकर कन्नड़ फिल्में बहुत कम दिखाई जाती हैं। सिर्फ पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसके सुधार के लिए माननीय मंत्री की क्या योजना है।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, रीजनल फिल्म अभी एक नहीं बल्कि एक सप्ताह में दो दिखाई जाती हैं और बाकायदा निश्चित टाइम के तहत दिखाई जाती हैं और रविवार को भी

दिखाई जाती है । जहां तक और फिल्मों को दिखाने का सवाल है तो रीजनल फिल्म्स के जो काइटीरिया हैं, जो अच्छी फिल्म्स होती हैं उनको दिखाया जाता है । इस तरह की किसी भी अच्छी फिल्म का प्रपोजल अगर मंत्रालय में होगा तो उसे प्राथमिकता देकर दिखाया जाएगा ।

[अनुवाद]

श्रीमती बासव राजेश्वरी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि पिछले वर्ष दिखाई जाने वाली कन्नड़ फिल्मों की संख्या क्या थी । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी, कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय फिल्में अच्छी नहीं थीं और अमारा सिल्पी जाकानचारी, कृष्णा देवराया जैसी पुरस्कृत फिल्मों की तुलना में वे बहुत ही खराब थी । क्या माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और यह प्रयास करेंगे कि अब अच्छी फिल्में दिखाई जायें ? क्या सरकार कुछ निर्देश देने का विचार कर रही है ताकि प्रतिवर्ष क्षेत्रीय फिल्मों के प्रसारण को संतुलित किया जा सके ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, कन्नड़ फिल्में कितनी दिखायी गयी हैं, उसकी जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं लेकिन क्षेत्रीय फिल्मों को सलैक्ट करने का जो तरीका है, वह मैं समझता हूं कि बहुत ही कठिन परीक्षा के बाद उन्हें सलैक्ट किया जाता है । क्षेत्रीय फिल्मों के लोगों को यह ज्यादा ग्रिवैंस है कि जो फिल्में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्रीज द्वारा बनायी जाती हैं, उससे भी ज्यादा कड़ी परीक्षा से उन्हें यहां गुजरना पड़ता है, अतः खराब फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है । अभी मेरे पास जो सूचना आयी है, उसके अनुसार हमने पिछले वर्ष 52 कन्नड़ फिल्में क्षेत्रीय केन्द्र से दिखायी हैं ।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारण के लिए क्षेत्रीय फिल्मों के अर्हता मापदण्ड, राज्य पुरस्कार सहित अतिरिक्त मापदण्ड जोड़कर उदार बनाए गए थे । किन्तु मीडिया में फैले हुए भाई-भतीजावाद और भेदभाव को देखते हुए क्या नई सरकार यह प्रयास करेगी कि बेहतर फिल्मों का चयन करने में दूरदर्शन एक अच्छी भूमिका निभाए ? ऐसी कई फिल्में हैं जो जनता को दिखाने योग्य हैं । अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि यह एक राज्य का विषय है । क्योंकि इसका संबंध जन माध्यम और लोगों की शिक्षा से है, इसलिए क्या सरकार प्रमुख शिक्षित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करेगी, जिसमें भौगोलिक या राजनैतिक आधार पर वरीयता न दी जाए ताकि दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए ऐसी फिल्मों का चयन हो सके जो शिक्षाप्रद हों ?

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : महोदय, मेरे ख्याल से दूरदर्शन ने अपनी एक कमेटी बना रखी है जिसमें हरेक तरह के लोग हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेटस लोग ही नहीं हैं, बल्कि हमने ऐसा भी सोचा है कि मीडिया एक्सपर्टस का एक ग्रुप बनाया जाये जो यह देखे कि किस तरह की फिल्में, किस तरह के प्रोग्राम्स दिखायें जायें । मैं समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने भी हमें यह सजैस्ट किया था । उसके बाद माननीय सदस्य की ये ग्रिवैंस खत्म हो जायेंगी और इससे अच्छी फिल्मों के चयन की प्रक्रिया भी थोड़ी सुधर जायेगी ।

श्री राम कृष्ण यादव : अध्यक्ष जी, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, आजमगढ़ बलिया आदि जिलों में, जहां कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी रहने वाले हैं और सूचना और प्रसारण मंत्री जी भी रहने वाले हैं, और लगभग पूरे बिहार राज्य में, भोजपुरी भाषा काफी प्रचलित है। भोजपुरी भाषा वहां न केवल गावों की भाषा है बल्कि अवाम की भाषा भी है। आज तक भोजपुरी भाषा में जितनी फिल्में बनी हैं, वे उस क्षेत्र में काफी सफल रही है लेकिन आम शिकायत यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी भाषा का चलचित्रों के माध्यम से विकास नहीं किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भोजपुरी भाषा के माध्यम से जितने चलचित्र बनाये गये हैं, उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए, सरकार की ओर से क्या कोई छूट दी जायेगी ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा का विकास हो सके। उन चलचित्रों में वहां के गांवों की जिंदगी को सहज रूप से दिखाया जाये। इससे भोजपुरी भाषा के विकास प्रसार में मदद मिलेगी। अध्यक्ष जी, हमारे प्रधान मंत्री जी और स्वयं मंत्री उसी क्षेत्र से आते हैं।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, यह सही है और मैं मानता हूं कि भोजपुरी भाषा की फिल्मों का चयन करने में वह छूट नहीं दी जा रही है परन्तु माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब भोजपुरी फिल्मों को भी वह प्राथमिकता दी जायेगी और मंत्रालय में इस विषय पर विचार किया जा रहा है। (**व्यवधान**)

हां, विशेष छूट दी जायेगी।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय फिल्मों के प्रसारण संबंध में जो गाइडलाइन्स बनायी गयी हैं और जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने अलग-अलग एक्सपर्ट्स के ग्रुप के बारे में जानकारी दी, लेकिन उसमें दर्शक या दर्शकों के प्रतिनिधियों को लेने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार कोई ऐसी स्कीम इन्ट्रोड्यूस करेगी ताकि उसे यह पता चलता रहे कि कौन से कार्यक्रम दर्शकों को पसन्द आते हैं, कौन से प्रोग्राम खराब लगते हैं और इन रिव्यू कमेटीज में दर्शकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने के बारे क्या सरकार विचार करेगी।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, दूरदर्शन का जो भी प्रोग्राम होता है, उसका पहले वे सर्वे कराते हैं कि उसके पसन्द करने वाले कितने परसेंट दर्शक है और उसकी स्थिति क्या है तथा उसी के हिसाब से कार्यक्रमों को कैटेगराइज किया जाता है। मैं समझता हूं कि दशकों के प्रतिनिधियों को शायद उसमें रखा गया है या नहीं, लेकिन समाज के हरेक तबके के लोगो को लेकर उसकी सलैक्शन कमेटी बनती है और उसी के तहत कार्यक्रमों को सलैक्ट किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, पुरस्कार जीतने का मापदण्ड रखना काफी अच्छा है। किन्तु उन उत्कृष्ट क्लासिक फिल्मों का क्या होगा जो पुरस्कार प्रारम्भ होने से पूर्व बनाई गई थी जैसे—न्यू थियेटर फिल्म्स, कलकत्ता और प्रभात फिल्म्स, पूना ? इसलिए क्या मंत्री पुरस्कार जीतने की यह शर्त उन उत्कृष्ट क्लासिक फिल्मों पर लागू नहीं करेंगे जो पुरस्कार शुरू होने से पूर्व बनाई गई थीं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जिन फिल्मों

को अवार्ड समिति के तहत सिलैक्ट करने से पहले बनाया गया है, उनके लिए यह सिलैक्सेशन की जा सकती है।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय संसद सदस्य के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसी शिकायतें आई हैं कि जब मुम्बई की फिल्मों की बात होती है तो मुम्बई का निर्माता संघ बहुत मामूली स्क्रीनिंग तकनीक को पार करने में सफल हो जाता है किन्तु जब क्षेत्रीय फिल्मों की बात हो तो स्क्रीनिंग तकनीक बहुत कठोर हो जाती है। मैं यह भी समझता हूं कि हांलाकि अभी दूरदर्शन स्वायत्त नहीं हुआ, फिर भी जब मंत्री एक फिल्म, जिसे वह देख चुका है, और समझता है कि उसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए और वह अच्छी फिल्म है, किन्तु इन अत्यन्त कठिन शर्तों के कारण स्क्रीनिंग समिति ऐसा नहीं कर सकती ? क्षेत्रीय फिल्मों को कम से कम मुम्बई की फिल्मों के बराबर स्तर पर तो रखो। ऐसा क्यों है कि निर्माता संघ जिसके पास पर्याप्त पैसा और साधन है उसके लिए चयन के लिए शर्तें और अर्हताएं कम हैं, जबकि क्षेत्रीय फिल्में जो कम साधनों वाले लोगों द्वारा बनाई जाती हैं उनके लिए इतनी कड़ी परीक्षा है ?

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि विगत में कुछ विकार रहे हैं। हम इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। इसी दिशा में कदम उठाया गया है। मेरे विचार से इसमें कुछ समय लगेगा और इन दोषों मे सुधार किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि रीजनल फिल्मो को प्रोत्साहन देने के लिए, जिस तरह से बम्बई फिल्मों का एक प्रमुख केन्द्र होने के कारण वहां पर केन्द्रीय सेंसर बोर्ड का दफ्तर है उसी प्रकार से दक्षिण में, मद्रास फिल्मों का एक केन्द्र है, तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि केन्द्रीय सेंसर बोर्ड का एक दफ्तर मद्रास में भी कायम हो, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोगों को अपनी फिल्मों को केन्द्रीय सेंसर बोर्ड से पास कराने के लिए बम्बई न जाना पड़े ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, जैसे केन्द्रीय सेंसर बोर्ड होता है, उसी प्रकार से रीजनल भी होते हैं। ये रीजनल कमेटियां भी उसी तरह से फिल्मों को पास करती हैं जिस प्रकार से केन्द्रीय सेंसर बोर्ड पास करता है और उसके बाद अगर जरूरत होती है, तो सेंसर बोर्ड जो सेंट्रल का है, वहां यह फिल्में आती हैं। ये रीजनल कमेटियां मद्रास में भी हैं, और यहां तक कि दिल्ली में जिन फिल्मों का निर्माण किया जाता है, उनके लिए दिल्ली में भी हैं। बंगाल में भी हैं। इनके अलावा और भी विभिन्न स्थानों पर ये रीजनल कमेटियां हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती उमा गजपति राजू : महोदय, पहले एक प्रथा थी कि दूरदर्शन देर रात की फिल्मों में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्में दिखाया करता था। इन दिनों लगता है दूरदर्शन इस प्रथा को भूल गया है। मैं मंत्री जी से इसका कारण जानना चाहूंगी।

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : अध्यक्ष महोदय, इस प्रैक्टिस को बन्द नहीं किया गया है। अगर

माननीय सदस्या को इस बात की कोई जानकारी हो कि इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है, तो वे मुझे बतायें। यदि ऐसा होगा, तो उसकी जांच करायेंगे।

राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र, बलियापाल का स्थान-परिवर्तन

[अनुवाद]

*102 **प्रो मधु दण्डवते :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बलियापाल क्षेत्र के निवासी वहां स्थापित किए जाने के लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र को किसी अन्य स्थान पर स्थापित किये जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थानीय लोगों की प्रबल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के स्थल के बारे में पुनः विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय क्या लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय चान्दमारी क्षेत्र (रेंज) स्थापित करने के विरुद्ध उड़ीसा में बालासोर जिले के बलियापाल क्षेत्र में स्थानीय जनता द्वारा आन्दोलन हुआ है।

(ख) और (ग) इस संबंध में सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय यह एक प्रोत्साहन देने वाली बात है कि उत्तर के खण्ड (ख) और (ग) में माननीय मन्त्री ने कहा है :

"इस सम्बन्ध में सरकार को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।" इसका तात्पर्य यह है कि मैं यह समझूं कि अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया और मामला अभी भी विचाराधीन है। यह एक स्वागतयोग्य तथ्य है। इसलिए, इसे देखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राष्ट्रीय चांदमारी क्षेत्र परियोजना के लिए प्रस्तावित बलियापाल स्थल उड़ीसा का सर्वाधिक हराभरा क्षेत्र है, जिसमें काफी मात्रा में कृषि वस्तुएं काजू और नारियल तथा पान के पत्ते भी पैदा होते हैं। अधिकांश कृषक, मछुआरे और कई आदिवासी अपनी जीविका के लिए इन वस्तुओं पर निर्भर करते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : इन महीनों के दौरान आपका क्या विचार रहा। आपको यह भी बताना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सन्तोष मोहन जी, आपकी बारी आएगी।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं पूर्वापेक्षी प्रभाव के साथ उत्तर देने को तैयार हूं। वास्तव में,

मैं इस प्रश्न को उससे भी जोड़ रहा हूं।

महोदय, क्या यह एक वास्तविकता नहीं है कि लगभग एक लाख आदिवासी, किसान और मछुआरे प्रभावित होंगे और अगर ऐसा है तो क्या वे इस समस्या के मानवीय पक्ष पर ध्यान देंगे और कोई अन्य स्थान ढूंढने का प्रयास करेंगे ? इसे हटाने के लिए मैं एक नकारात्मक रुख नहीं अपना रहा। क्या वे कोई अन्य वैकल्पिक स्थान तलाश करेंगे ताकि लोगों को हटाए बिना हम आवश्यक तकनीकी विकास प्राप्त करने में सफल हों।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : यह सत्य है कि स्थानीय लोगों ने कुछ विरोध किया है। यह भी सत्य है कि इसमें एक मानवीय समस्या निहित है और यह मानवीय समस्या काफी गम्भीर है। सिर्फ इसी कारण भारत सरकार स्थान का विकल्प तलाश रही है। ग्यारह स्थानों का सुझाव था पर हर स्थान पर कुछ समस्याएं थीं और इसीलिए सरकार कोई अन्य स्थान ढूंढने में सफल नहीं हो पाई। इस प्रश्न पर ध्यान नहीं देने का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि बहुत पहले निर्णय ले लिया गया था। बहुत सा धन खर्च किया गया है और देश के विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः, सरकार सदन को स्पष्ट रूप से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है कि क्या हम स्थान को बदलने में समर्थ हो पायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : चूंकि प्रधान मंत्री जी के इस मामले पर विचार स्पष्ट हैं, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि देश के विभिन्न भागों में, जहां पर ऐसी मिसाइल रेंज परियोजनायें स्थापित की गई हैं—मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में, इन परियोजनाओं के लिए स्थल का चुनाव करते समय विशेष रूप से ऐसे स्थानों को चुना जाता है जहां कम लोग रहते हों, जहां रेगिस्तान हो, कोई द्वीप हो, दलदल हो तथा पहाड़ी इलाका हो जिससे कम से कम नुकसान हो और इसलिए यदि इस विशेष पहलू के बारे में उन्हें कोई अतिरिक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, तो क्या प्रधान मंत्री यह आश्वासन देंगे कि वे इस स्थिति की समीक्षा करेंगे और जैसा कि कोई प्रश्न करे कि पहले क्या हुआ था, क्योंकि पूर्व प्रधान मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि वह विभिन्न प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों से चर्चा करने के पश्चात हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे और इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय लेंगे, मुझे आशा है कि वही निर्णय रहेगा।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में बताया था कि ऐसा नहीं है कि इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन, समस्या यह है कि हम स्थिति की तुलना विश्व के अन्य देशों से नहीं कर सकते क्योंकि उन देशों में अन्य आधार थे। यह स्थान काफी सोच विचार के बाद और आवश्यक जांच पड़ताल के बाद चुना गया था। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा कि किसने सहमति दी है, पूर्व सरकार भी, जो जनता दल सरकार थी ने बलियापाल में स्थान को स्वीकृति दी थी, लेकिन, माननीय सदस्य ने अभी बताया है कि इससे एक लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे और रिपोर्ट के अनुसार केवल 41000 लोग प्रभावित होंगे, लेकिन यह सरकार भी काफी है। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या कोई वैकल्पिक स्थल सम्भव होगा। हम यह बताने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि पिछले दो या तीन वर्षों से सरकार इसका विस्तार से अध्ययन कर रही है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि ग्यारह स्थानों का प्रस्ताव रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं विस्तार में नहीं बता सकता कि यह स्थान उपयुक्त क्यों है यह न केवल उपग्रह छोड़ने के लिए उपयुक्त है बल्कि अन्य बातें भी हैं जिन पर विचार किया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं कोई कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाऊंगा । मैं केवल प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अन्तिम निर्णय लेने से पहले इस विषय पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, बस यही कहना है ।

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, बलियापाल में नेशनल टेस्ट रेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेंज है जिस पर कि अभी विचार हो रहा है । अब, मुझे दो बातों पर जोर देना है । प्रथमतः, मैं नहीं सोचता कि नेशनल टेस्ट रेंज के बारे में निर्णय लेने पर देरी हो सकती है । दूसरा, जब नेशनल टेस्ट रेंज के लिए बलियापाल को चुना गया था तो इसके चयन के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई गई थी । राज्य सरकार ने भी उस जांच प्रक्रिया पर अपनी सहमति दे दी थी । इस प्रकार के महत्वपूर्ण टेस्ट रेंज पर तब से विचार चल रहा है जब श्री वी० पी० सिंह रक्षा मन्त्री थे । मुझे याद है मैंने इस समस्या पर उनके साथ इस परियोजना को अन्तिम निर्णय लेने के बारे में चर्चा की थी इस सरकार पर देरी का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह विरासत में मिली जिम्मेदारी है, जो यह सरकार उठा रही है । इसलिए, मैं प्रधान मन्त्री जी से यह उत्तर देने का अनुरोध करूंगा कि नेशनल टेस्ट रेंज के विकासात्मक पहलू और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हुए, क्या वह इस पर शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय लेंगे । चाहे यह बलियापाल के लिए हो या अन्य किसी स्थान के लिए ?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि अन्तिम निर्णय हो चुका था और इसे पूर्व सरकार द्वारा लिया गया था । प्रश्न यह है कि इस परियोजना को किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिए कतिपय सुझाव हैं । अतः हमने अन्य स्थानों को ढूंढ़ने का प्रयास किया है, हम इसे ढूंढ़ने में समर्थ नहीं हो पाए हैं, जब तक हम इसे ढूंढ़ नहीं पाते, तब तक यह निर्णय अन्तिम है ।

श्री बालगोपाल मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं.....

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं प्रधान मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । **(व्यवधान)** यह एक राष्ट्रीय समस्या है । यह उनके पूर्व में दिए गए आश्वासन से विरोधाभास है । मैं उन्हें पहले बधाई दे चुका हूं अब, मैं इस बधाई को वापिस नहीं लेना चाहता । पहले आपने कहा था कि इस पर समीक्षा की जानी है कृपया इसे उस स्तर पर रखिये ।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, जब मैंने कहा था कि इसकी समीक्षा की जानी है लेकिन, मैंने उन्हें बताया था कि 11 अन्य स्थानों का सुझाव भी दिया गया था, वह स्थान उपयुक्त नहीं थे । यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और हम इस परियोजना में देरी नहीं कर सकते । हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में लोगों की कतिपय कठिनाइयां हैं हमें देखना है कि उनकी कठिनाइयों पर ध्यान दिया जाए लेकिन, यदि माननीय मंत्री कुछ उपयोगी सुझाव देते हैं, तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं । इस समय, मैं कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन नहीं कर सकता ।

प्रो० मधु दंडवते : यह एक उचित सुझाव है और चमत्कारी सुझाव नहीं है ।

श्री बालगोपाल मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 11 महीनों के दौरान क्या पूर्व प्रधान मन्त्री श्री वी० पी० सिंह या उड़ीसा के वर्तमान मुख्य मन्त्री श्री बीजू पटनायक ने भारत सरकार को कोई ठोस सुझाव दिया था और भारत सरकार ने इस टेस्ट रेंज को बन्द करने का निर्णय लिया था । बलियापाल के लोगों ने सोचा कि यह टेस्ट रेंज बन्द की जायेगी और वे नए सिरे से निर्माण कार्य करने जा रहे हैं । अतः, यह बात बलियापाल के लोगों को

स्पष्ट की जानी चाहिए कि क्या इस टेस्ट रेंज को बन्द करने का निर्णय लिया जा चुका है या उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने नई केन्द्रीय सरकार से इसे बन्द करने का अनुरोध किया है।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, यह वैयक्तिक रूप से पसन्द करने या पसन्द नहीं करने का मामला नहीं है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि कोई क्या चाहता है। यह राष्ट्रीय मामला है और इसका निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है न कि व्यक्तिगत रूप से। चाहे कोई भी प्रधान मन्त्री थे या कोई भी मुख्य मन्त्री थे; इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं यह नहीं कहूंगा कि इस मामले में व्यक्तिगत रूप से क्या रवैया रहा होगा यह निर्णय उन पर निर्भर है कि उनका रवैया क्या था और उन्होंने इसे क्यों बदला है। मेरी सरकार ने राष्ट्र के हित में निर्णय लिया है और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, तथ्य यह है कि सुरक्षित स्थान की जांच करते हुए विशेषज्ञों के प्रयासों के बावजूद देश में ऐसा कोई स्थान उपलब्ध नहीं है, जो बलियापाल का विकल्प बन सके। (मुझे रक्षा मन्त्रालय में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा था कि श्री वी० पी० सिंह ने रक्षा मन्त्री के रूप में क्या लिखा था। लेकिन, जब उस क्षेत्र के लोगों की तरफ से मांग की गई तो उन्होंने शायद मानवता के आधार पर इस पर फिर से विचार किया। जैसा कि प्रधान मन्त्री जी ने ठीक ही कहा था यह वैयक्तिक समस्या नहीं है। मैं श्री जसवन्त सिंह से सहमत हूं कि हमारी रक्षा तैयारी के लिए सरकार को अब कोई स्पष्ट निर्णय ले ही लेना चाहिए और उससे प्रभावित 41,000 लोगों के लिए आदर्श गांव या शहर के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हों। जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने भी कहा है, जिन लोगों की कृषि भूमि प्रभावित हुई है, उन्हें वैकल्पिक भूमि दी जानी चाहिए ताकि वे यह महसूस न करें कि उन्हें उनकी आय के स्रोत से वंचित किया गया है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि रचनात्मक रवैया अपनाया जाए, ताकि राष्ट्रीय हित को जोखिम में न डाला जाए और इसमें राजनीति न लाई जाए। क्योंकि प्रो० मधु दंडवते ने स्वयं कहा है, राष्ट्रीय हित की रक्षा की जानी चाहिए। सिद्धान्तों में वह असहमत नहीं होते। उड़ीसा 'नेशनल टेस्ट रेंज' के लिए एक उपयुक्त स्थान है। अतः मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि हम वैकल्पिक स्थान ढूंढ़ नहीं पाए हैं। इस क्षेत्र के लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने पुनर्वास के लिए 17 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 14 करोड़ रुपये पहले ही, उड़ीसा सरकार को पुनर्वास कार्यों के लिए दे दिए गए हैं। औद्योगिक स्वरूप की 14 अन्य परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है। अगर माननीय मंत्री चाहें, तो मैं इसे पढ़ सकता हूं, लेकिन इससे सभा का समय ही नष्ट होगा। इस क्षेत्र में लोगों के पुनर्वास के लिए और उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए 14 औद्योगिक एकक स्थापित किए जा रहे हैं।

कोटा में औद्योगिक इकाइयों का बन्द होना

*103. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा, राजस्थान में बहुत सी औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों को फिर से चालू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक और औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, कोटा, राजस्थान में दो गैर-लघु औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हैं। लघु क्षेत्र में बन्द पड़ी इकाइयों के लिए जिला विशेष-वार सूचना केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ख) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इन इकाइयों की जानकारी है। एक मामले में, बोर्ड ने दिल्ली उच्च न्यायालय को इसे बन्द करने की सिफारिश की है।

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : श्रीमन्, मेरी जानकारी के अनुसार, कोटा में करीब 70% उद्योग बन्द हैं। मुख्य कठिनाई यह है कि इसमें वित्त, उद्योग मंत्रालय, वित्तीय संस्थाएं, बैंक, राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालय सम्मिलित हैं। अनेक दफा उद्यमी इनका कार्य एक दूसरे से विपरीत पाते हैं। इस मामले में सरकार की नीति क्या है। पिछले उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31.12.1988 तक करीब 5,500 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। देश भर के करीब ढाई लाख रुग्ण एककों में बैंक की यह राशि लगी हुई है।

जहां तक कोटा का सम्बन्ध है, इसमें 70% एकक ऐसे है। ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं। इसीलिए मैं इनका विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

श्री कमल मोरारका : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि देश भर में लघु क्षेत्र में रुग्ण एककों की संख्या ढाई लाख है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में विभिन्न बैंकों को दिशा-निदेश जारी किए हैं कि इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती है। ब्याज में भी छूट दी जाती है। नई कार्य पूंजी के लिए लम्बी अवधि का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके लिए एक समग्र योजना है।

लघु क्षेत्र एक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र है। केन्द्रीय सरकार मात्र उत्प्रेरक एजेंट हैं और भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से राज्य सरकारों को प्रयास करने होते हैं।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, जो भी एकक अर्थक्षम पाए जाएंगे, उनके उत्थान के लिए हर सम्भव सहायता दी जायेगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसे 70% एकक बन्द हैं। लेकिन उनमें से जो जीवनक्षम नहीं हैं, वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मापदंड के अन्दर नहीं आते हैं, अतः उन्हें अर्थक्षम नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन अब जो एकक जीवनक्षम हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को इन एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए, सभी सहायता देने को तैयार हैं।

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : इस मामले में, अन्य प्राइवेट खरीददार भी हैं, जो रुग्ण एककों को खरीदने के इच्छुक हैं। ऐसे मामले में, मुख्य कठिनाई सभी विभागों और वित्तीय संस्थाओं से कार्य निकालने की है। यह एक मुख्य बाधा है। अतः नए उद्यमी पुराने एककों में धन नहीं लगा पाते।

राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को मात्र अनुमति ही देनी होती है और इन रुग्ण एककों में काफी संख्या में कर्मचारी कार्यरत होते हैं, जिन्हें वेतन नहीं मिलता। इनको अपने वेतन का कुछ भाग पहले ही नहीं मिला होता। मेरा प्रश्न यह है कि कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए नए उद्यमियों द्वारा इन एककों को खरीदने के बारे में क्या योजना है।

श्री कमल मोरारका : जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेश का सम्बन्ध है, नए उद्य-

मियों ने इस लाभ का स्वागत किया है। वास्तव में, जब भी नया उद्यमी आता है और वह धन लगाने के लिए तैयार है तो बैंक छूट देने के लिए तैयार रहता है, ताकि पुरानी देनदारियों को कम किया जा सके। अगर किसी मामले में देरी हुई है तो, माननीय सदस्य इसकी सूचना हमें दे सकता है। हम निश्चय ही भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक से इस मामले को उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष जी, ढाई-पौने तीन लाख सिक यूनिट स्मॉल स्केल सैक्टर में है। हमारा अनुभव है कि आपकी गाइडलाइन्स आने के बाद भी बैंकों का एटिचूड रीजिड है, कन्जरवेटिव है। मेरी कान्स्टीचूयेंसी के सात-आठ केसेज हैं, जिनको मैं एक साल से परसू कर रहा हूं। दर्जनों पत्र मैं चेयरमैन-बैंक और अन्य को लिख चुका हूं, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। मैं माननीय मन्त्री जी से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, जब से वह सिक-यूनिट को रिवाइव करने की नई स्कीम आई है और जो पौने तीन लाख सिक यूनिट्स हैं, उनसे कितने सिक यूनिट्स को बैंकों के द्वारा मदद दी गई है ?

[अनुवाद]

श्री कमल मोरारका : प्रश्न कोटा जिले से सम्बन्धित है।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कोटा से सम्बन्धित है।

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मुझे एक प्रश्न पूछने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ए० चार्ल्स : औद्योगिक रुग्णता, सारे देश के लिए निश्चय ही एक बड़ी समस्या है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेशों और वित्तीय संस्थाओं के अन्तर्गत अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, छोटे और लघु एकक इस सारी योजना का लाभ नहीं उठा पाते। मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं लेकिन इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 99% रुग्ण औद्योगिक एकक नहीं आते। मैं माननीय मंत्री महोदय को त्रिवेन्द्रम के उन एककों की सूची दे सकता हूं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तविक रूप से बहुत छोटे और लघु औद्योगिक एककों, जो रुग्ण उद्योगों के 99% उद्योग हैं, को पुनः चालू करने की दृष्टि से पुनरीक्षति निर्देश और योजनायें तैयार की जायेंगी।

रुग्ण उद्योगों में फंसे हुए 5,000 करोड़ रुपये में से 99% छोटे एककों में केवल 1,000 करोड़ रुपये ही अन्तर्ग्रस्त हैं; किन्तु इन्हीं 99% छोटे एकक में सबसे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं किन्तु वे इस प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन नहीं आते।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या छोटे और लघु एककों को, जो इस योजना में अभी शामिल नहीं किये गये हैं, पुनः चालू करने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि यह प्रक्रिया बहुत कठिन रही है। हमने पहले ही उद्योग मन्त्रालय और वित्त मंत्रालय से इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कह दिया है। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि छोटे और लघु उद्योगों को विशेष सुविधाएं दी जाएं और उन पर विशेष रूप से विचार किया जाए। मैं सम्मानीय सदन को आश्वासन देता हूं कि शीघ्र ही हम सम्पूर्ण प्रक्रिया को सरल बना देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि लघु उद्योगों को समय पर मदद मिले।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योगों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकारों के पास कोई योजना नहीं है। जानकारी है कि पिछले साल ग्यारह महीनों में नीतियां बनी थीं, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में हम सरकार से जानना चाहेंगे, यदि कोई छोटे उद्योगों से सम्बन्धित कोई मामला सरकार के पास भेजा जाएगा, तो सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री कमल मोरारका : अध्यक्ष महोदय, सरकार जरूर विचार करेगी। अगर कोई सुझाव हों, जिससे सिस्टम में सुधार हो सके और छोटे उद्यमियों को फायदा हो सके, तो सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : बैंक सरकार की बात नहीं मानते हैं।

श्री चन्द्र शेखर : सब ठीक किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ओस्कर फर्नान्डीज : हम देखते हैं कि राज्य वित्त निगम ही इन एककों को वित्तीय सहायता देते हैं किन्तु बैंक अपनी पूंजी से उनकी मदद नहीं करते और इसीलिए यह सारी योजना ठप्प हो जाती है। क्या आप हमें यह बतायेंगे कि जब राज्य वित्त निगम इन एककों की मदद करने के लिए आगे आता है तो क्या बैंक भी इतनी ही रकम से उनकी मदद करेंगे ?

श्री कमल मोरारका : जो समस्या माननीय सदस्य ने उठाई है यह कई मामलों में देखी गई है कि राज्य वित्त निगम और बैंकों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं होता। जहां कहीं भी वित्त निगम यह देखता है कि एकक शारीरिक रूप से सक्षम है तो हम यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंक भी सहयोग करें और वित्तीय सहायता दें।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उद्योगों के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है और बिहार में 80 परसेंट छोटे उद्योग बन्द हो चुके हैं। बिहार में जो बैंक हैं वह भी उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बिहार के छोटे उद्योग, जो बन्द पड़े हुए हैं, रुग्ण हैं, उनको खड़ा करने के लिए सरकार कौन सी योजना शुरू करने वाली है ?

श्री कमल मोरारका : अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा है कि जो छोटे उद्योग हैं उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है और राज्य सरकारें इस पर कारगर कदम उठा रही हैं, उसमें केन्द्रीय

सरकार भी पूरी मदद करेगी। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वह राज्य सरकार से निवेदन करें कि बिहार में जो छोटे उद्योग बन्द पड़े हुए हैं उसके लिए वे कदम उठायें और केन्द्रीय सरकार भी उसमें उनकी पूरी सहायता करेगी।

श्री युवराज : अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों के बन्द होने के कुछ प्रमुख कारण यह हैं जैसे— पर्याप्त कच्चे माल और पूंजी की कमी का होना, विशेष कर बड़े-बड़े यूनिटस से माल मिलने में देरी, मार्केटिंग की भी गम्भीर समस्या है और जो पुरानी टैक्नोलोजी है उसके चलते भी यह परेशानी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में छोटे उद्योगों को पूंजी नहीं मिल पाती है। इस पुरानी टैक्नोलोजी के आधार पर और जहां इतनी परेशानी और गड़बड़ी हो रही है, क्या सरकार समझती है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए वह कोई विचार करेगी और इसके लिए क्या विचार कर रही है ? इस बारे में हमें जानकारी दे।

श्री कमल मोरारका : अध्यक्ष जी, छोटे उद्योगों के बारे में जो समस्यायें माननीय सदस्यों ने रखी हैं सरकार इन पर बराबर ध्यान देती है। पूंजी की समस्या केवल छोटे उद्योगों की ही नहीं है बल्कि किसानों और बड़े उद्योगों की भी हैं। इसमें राज्य सरकार के जो इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड हैं उनका जेनरेशन लेवल काफी लो (कम) है। माननीय सदस्यों ने जो समस्याएं रखी हैं वे सही हैं और केन्द्रीय सरकार से इसके लिए जो बन पड़ेगा, वह जरूर करेगी।

[अनुवाद]

डा० वेंकटेश कावडे : महोदय, विशेष रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में औद्योगिक एककों, विशेषतया लघु औद्योगिक एककों की स्थिति बहुत ही दयनीय है क्योंकि उनके पास कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और उन्हें वित्तीय सहायता भी नहीं मिलती है। इसलिए, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार रुग्ण एककों की तत्काल मदद करने के लिए औद्योगिक नीति में कोई परिवर्तन किए जाने पर विचार कर रही है या वे इन रुग्ण एककों को बन्द कर दें। क्या सरकार कोई ऐसे परिवर्तन कर रही है जिससे इन एककों में लाभ होने लगे ?

श्री कमल मोरारका : सामान्य नीति निर्देशों में अब भी यही व्यवस्था है कि सक्षम एककों को सब प्रकार की सहायता दी जाती है ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वे एकक जो सक्षम नहीं पाए जाते उन्हें अन्त में बन्द कर दिया जाता है। अतः इस मूलभूत नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रश्न है उद्यमियों का आगे बढ़कर यह आश्वस्त करने और यह सिद्ध करने का कि क्या ऐसे एककों को पुनः चालू किया जा सकता है अथवा नहीं।

डा० बिप्लव दासगुप्त : महोदय, जिस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है वह बहुत ही गम्भीर है। एक ओर योजना आयोग इस पर बहस कर रहा है कि उन लोगों के लिए 30 मिलियन नए रोजगार कैसे पैदा किए जाएं और दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो पहले से ही रोजगार में हैं, किन्तु अब उनकी नौकरियों को खतरा है और बहुत से एककों को बन्द किया जा रहा है। मैं महसूस करता हूं कि सरकार की नीति में संकल्पना की कमी है। कोई भी एक विशेष नीति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करें।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैं अपना प्रश्न करूंगा। मैं एक विशेष उदाहरण दूंगा। बंगाल पाटरीज के सम्बन्ध में, हमारे मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री जी के पास गए थे। हम प्रधान मन्त्री के पास

गए थे। पिछले 5-6 वर्षों से काफी पत्राचार चलता रहा है। एकक को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केवल साधारण सी राशि निवेश करने की आवश्यकता है। किन्तु केन्द्रीय सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर, पिछले 8-9 वर्षों में, इसने बेकारी अनुदान के रूप में श्रम शक्ति को जीवित रखने के लिए उस रकम से कहीं अधिक धन दिया है। मेरे विचार मे इसमें पूर्ण रूप से संकल्पना की कमी है।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना दे रहे हैं। आपको सूचना प्राप्त करनी है।

डा० विप्लव दासगुप्त : मैं केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या इस सरकार ने इन रुग्ण और बन्द एककों के लिए कोई नीति बनाई है ? मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। कटिहार में 950 एककों को बन्द कर दिया गया है। जूट मिलों को खोलने के लिए कोई नीति नहीं है। कटिहार में अब एक जूट मिल खोली जा रही है क्योंकि यह कपड़ा मन्त्री के निर्वाचन क्षेत्र के समीप है। बन्द एककों और रुग्ण एककों के संबंध में हमारी नीति इस प्रकार की है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इन रुग्ण और बन्द एककों के संबंध में कोई उचित राष्ट्रीय नीति बनाने का इरादा रखती है ? ऐसा लगता है कि उनके पास कोई नीति नहीं है। वे केवल राजनैतिक हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा लगता है उनके पास कोई नीति नहीं है।

श्री कमल मोरारका : प्रश्न के मूल पहलू के बारे में मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जहां हम और अधिक रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पहले से पैदा किए गए रोजगार रुग्ण एककों के रूप में संकुचित होते प्रतीत हो रहे हैं। हमारी समस्या है कि आर्थिक सक्षमता के आधार पर ढाई लाख रुग्ण एककों में से केवल 13,000 एककों को अर्थसक्षम पाया गया है जिसका अर्थ है कि यदि हम चाहें कि इस मानदंड के अधीन और अधिक एकक बनें तो अर्थक्षमता के मानदंड को थोड़ा और लचीला करना होगा। इस विषय पर सरकार का ध्यान गया है और हम भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के सम्पर्क में हैं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि सभी वित्तीय संस्थाएं और बैंक हमेशा अपने धन और उस धन पर रकम की वापसी के प्रति जागरूक होते हैं। उद्योग मंत्रालय पूर्ण रूप से सदस्य से सहमत हैं कि संस्थाएं और बैंक अपने मानदंड को लचीला करे जिससे और अधिक एकक अर्थसक्षम हो सकें।

बंगाल पाटरीज के संबंध में मैं सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि टाटा इकॉनामिक कंसलटेंसी सर्विसिज एक रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त हैं। सरकार उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है और जब यह रिपोर्ट उपलब्ध हो जायेगी तो वह पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इस विषय को उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि देश के जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है, यहां पर वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज लेने के बाद बिजली और पानी न मिलने की वजह से लघु उद्योगों पर इन वित्तीय संस्थाओं का ब्याज चढ़ता रहता है। क्या ऐसे उद्योगों के लिए वित्तीय संस्थाओं को दिए जाने वाले ब्याज को माफ करने या उसके लिए अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमल मोरारका : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक यूनिट्स के लिए ब्याज माफ करने की कोई स्कीम सरकार नहीं मान सकती है और माननी चाहिए भी नहीं, लेकिन जो यूनिट सिक हो जाते हैं,

उनको ब्याज में रियायत दी जाती है, उनसे कहा जाता है कि यूनिट ठीक होने के बाद आप ब्याज चुका दें, लेकिन ब्याज माफ करने की कोई स्कीम सरकार के सामने नहीं है और इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सेशन में स्माल स्केल इंडस्ट्री की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए उसकी सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की गई थी। इस चीज की पार्लियामेंट में घोषणा की गई थी, लेकिन अभी भी कल तक दफ्तरों में आदेश नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण साल भर से फाइलें रुकी हुई हैं, काम नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसका स्पष्टीकरण दे और 25 लाख से 50 लाख तक की सीमा बढ़ाने के आदेश क्यों रुके हुए हैं, यह बताने का कष्ट करें।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा, उस कठिनाई की जानकारी हमको है, लेकिन हमारी भी कुछ अपनी कठिनाई है। वह कठिनाई यह है कि जब औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी, तब औद्योगिक नीति पूरी तरह से घोषित नहीं हुई थी और उसके ऊपर पहले हम विचार करना चाहते हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य जो बंगाल से आते है, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, केवल बैंकों की नीति का सवाल नहीं है, केवल कुछ यूनिटों को मदद देने का सवाल नहीं है, हमारी कोई इनवेस्टमेंट पालिसी पिछले दिनों नहीं रही है, इसकी वजह से जगह-जगह ऐसे यूनिट लग गए हैं, जो अब चलते नहीं है। इसलिए सरकार देख रही है कि इन्वेस्टमेंट पालिसी और इंडस्ट्रियल पालिसी और उसके साथ फाइनांशल सपोर्ट पालिसी, इस सबका कोआर्डिनेशन करके कोई नीति निर्धारित की जाएगी। जहां तक छोटे उद्योगों का सवाल है, इस सवाल पर कोई बात नहीं है, लेकिन केवल एक पहलू पर घोषणा कर दी, नोटीफिकेशन कर दिया और बाकी सवाल पहले जैसे अनदेखे छोड़ दिए, तो यह सही नहीं होगा।

[अनुवाद]

समस्या यह है कि निवेश नीति, औद्योगिक नीति के बारे में हमें समन्वित रूप से विचार करना पड़ेगा और यह भी विचार करना है कि किन एककों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाए। एक समस्या यह है। दूसरी समस्या यह है कि हमें लघु और छोटे एककों का विस्तार से अध्ययन करना होगा और बड़े एककों का भी जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और जो सक्षम नहीं हैं, उनका भी अध्ययन करना होगा। इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि कई वर्षों का काम निपटाना है। पांच दिनों में हम निर्णय नहीं ले सकते। अस्थायी निर्णय लिए जा सकते है किन्तु, वे हमें उसी परेशानी में डाल देंगे, जिनका आज हम सामना कर रहे हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उद्योगों में अर्थक्षमता की समस्या का उल्लेख किया गया है। क्या प्रधान मंत्री इस बात से अवगत हैं कि अर्थक्षमता की कुछ समस्याएं हमारी आयात नीति की वजह से और बड़े औद्योगिक एककों के लिए हमारी उदार नीति के कारण उत्पन्न होती है ? मैं कई मामले जानता हूं। क्या प्रधान मन्त्री जानते हैं कि आयात की ओर उदार दृष्टिकोण तथा बड़े औद्योगिक एककों की ओर उदारवादी दृष्टिकोण, जिसमें वित्तीय संस्थानों से निधि देना भी शामिल है, के कारण लघु क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है और वर्तमान एकक भी बन्द हो रहे हैं ? क्या वह इससे अवगत हैं और किस सीमा तक वे इन नीतियों में संशोधन कर रहे हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : हम इस समस्या से अवगत हैं और मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि कई जटिलताएं, उन विशेष नीतियों के कारण पैदा हुई हैं, जिनका उन्होंने जिक्र किया है। मैं नहीं कहता,

क्योंकि मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता, किन्तु, ये समस्याएं कई वर्षों से चली आ रही बिना सुविचारित नीतियों के कारण पैदा हुई हैं। इसी कारण हमें तुरन्त किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि ये सभी चीजें परस्पर संबद्ध हैं। अगर हमें एक सक्षम नीति पर वक्तव्य है, तो उसमें उस पूरी समस्या पर विचार करना चाहिए, जो भविष्य में मुश्किल पैदा करेगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के उद्योगों को परिवहन राजसहायता

*104. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में ागों को गत दो वर्षों से परिवहन राजसहायता नहीं दी गई है और इसके परिणामस्वरूप द्वीप में ोग रुग्ण होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों को भुगतान करने हेतु अण्डमान और निकोबार प्रशासन को ाशि उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) 1989-90 ौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीप-समूह के संघ क्षेत्र को परिवहन राजसहायता के रूप में .95 लाख रुपये की राशि दी गई थी। वर्ष 1990-91 के बजट में इस उद्देश्य के लिए कोई ावधान नहीं थे, इसलिए उस वर्ष परिवहन राजसहायता योजना के तहत धन नहीं दिया जा सका । फिर भी, धन उपलब्ध होते ही सुपात्र मामलों में प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी।

श्री मनोरंजन भक्त : माननीय मन्त्री के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले ग्यारह ानों में हमने देखा है कि उस सरकार में कोई भी गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया। उस समय ानीय प्रधान मंत्री संसद सदस्यों को पत्र लिखा करते थे कि विभिन्न विषयों पर उन्होंने क्या कार्य- ी की है। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने उद्घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में और अण्डमान ः निकोबार द्वीप-समूह में परिवहन राजसहायता जारी रहेगी। किन्तु इसकी कोई अधिसूचना जारी ं की गई; फाइल में इस संबंध में कोई आदेश नहीं था और सिर्फ पत्रों में ही बात होती रही।

श्री दण्डवते अभी यहां नहीं हैं, उन्होंने इस सदन में मुझे आश्वासन दिया था। मैं वर्तमान ा मंत्री से भी मिला था और मैंने उनसे अनुरोध किया था कि इस परिवहन राजसहायता का और ड़े क्षेत्र में पूंजी राजसहायता का क्या उद्देश्य है। अगर हम पिछड़े क्षेत्र में वास्तव में कुछ करना ाहते हैं, तो सरकार की नीतियों को पूरी तरह से क्रियान्वित करना चाहिए और अगर ये पूरी ं और समय पर क्रियान्वित नहीं की जाती हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस क्षेत्र में विकास नहीं ा।

मैं जानना चाहूंगा कि इस नीति को शुरू करने का क्या उद्देश्य है; क्या अपनी उद्घोषणा के ार सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए सूचना जारी की है; और इस योजना के तहत इस केन्द्र सत प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से कुल कितनी राशि की मांग की है।

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : मैं माननीय सदस्य का दुःख भली भांति समझ सकता हूं। परेशानी सिर्फ अण्डमान की ही नहीं है, यह सभी राज्यों का परिताप है। यह सत्य है कि भूतपूर्व न मन्त्री ने पूंजीगत सहायता और परिवहन राजसहायता की उद्घोषणा की। मैं अण्डमान के

बारे में नहीं जानता। जहां तक मुझे स्मरण है, राज्य सरकार 200 करोड़ रुपये के लगभग पूंजीगत सहायता और 30 करोड़ रुपये परिवहन राजसहायता के लिए ग्रहण कर चुकी हैं। किन्तु, दुर्भाग्य से प्रधान मन्त्री की उद्घोषणा के बावजूद बजट में एक भी पैसे का प्रावधान नहीं है। इसलिए भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। किन्तु, क्योंकि राज्य सरकारें पैसा खर्च कर चुकी हैं और वे इसकी मांग कर रहे हैं, मैंने माननीय वित मंत्री से इसकी व्यवस्था करने के लिए कहा है। आप जानते ही हैं, कि हम पहले ही घाटे के बजट का सामना कर रहे हैं। किन्तु, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि भारत सरकार पिछली सरकार द्वारा किए गए वायदे का इस तथ्य के बावजूद कि यह वायदा बिना किसी बजट प्रावधान के किया गया था, का सम्मान करेगी।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं माननीय प्रधान मंत्री को उनकी इस उद्घोषणा के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में तथा अन्य राज्यों में काफी अन्तर है क्योंकि अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह समुद्र के मध्य स्थित एक केन्द्र शासित प्रदेश है। अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में ऐसी कई समस्याएं हैं, जो अन्य राज्यों में नहीं हैं। राज्य सरकारों की अपनी बजट व्यवस्था है और अपने बजट से वे कुछ भुगतान कर सकती हैं। किन्तु, केन्द्र शासित प्रदेश के मामले में, यह पूरी तरह केन्द्रीय बजट और केन्द्रीय सहायता पर निर्भर रहता है। इसीलिए, मैं माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया यह आश्वासन दें कि जो भी शेष राशि है, वह इस पूरक बजट में रखी जाएगी और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह को दी जाएगी।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, चाहे एक केन्द्र शासित प्रदेश हो अथवा राज्य सरकार हो, चाहे जो भी बजट प्रावधान हो, भारत सरकार बजट प्रावधान के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। माननीय सदस्य को अपनी समस्या के साथ-साथ सरकार की समस्या के लिए भी चिन्तित होना चाहिए। अगर बजट में कोई प्रावधान नहीं है, तो हमें इसका प्रबन्ध करना होगा और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम सभी सम्भव उपाय करेंगे और सभी वायदों का सम्मान किया जाएगा। इसमें हमें कुछ समय लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं, इन्हें पूरा करने में कुछ समय लगेगा और अण्डमान को निश्चय ही अन्य राज्यों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन से संस्कृत में कार्यक्रमों का प्रसारण

[हिन्दी]

*105. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

श्री ईश्वर चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन ने संस्कृत में कार्यक्रमों का प्रसारण बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी ने अर्चना और वन्दना कार्यक्रमों के अन्तर्गत संस्कृत भजनों और उनके स्रोतों का प्रसारण भी बन्द कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) जनवरी, 1991 के महीने में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रतिदिन कुल प्रसारण समय के कितने-कितने प्रतिशत समय में संस्कृत में कार्यक्रम प्रसारित किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, नहीं।

(ख) वन्दना मुख्य रूप से हिन्दी कार्यक्रम है जबकि अर्चना में संस्कृत कार्यक्रम भी शामिल होते हैं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(घ) ऐसी सूचना संकलित रूप में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

श्री सत्यनारायण जटिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संस्कृत भाषा के सम्बन्ध में है। जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत हमारे देश की संस्कृति की अभिव्यक्ति है। इसमें श्रेष्ठ साहित्य और विज्ञान का प्रतिपादन तथा सम्पादन हुआ है। मैं उज्जैन से आता हूं जहां महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि है और यह प्रसिद्धि विश्व भर में प्रसिद्ध है। कालिदास जी के साहित्य के बारे में हम सब जानकारी रखते हैं। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि संस्कृत के जो कार्यक्रम हैं उनमें कोई कमी नहीं की गई है, इसको बन्द नहीं किया गया है। किन्तु स्थिति ऐसी है कि संस्कृत में जो पाठ और भाषा का ज्ञान लेने का कार्यक्रम था उसको प्रायः बन्द कर दिया गया है। मेरे प्रश्न के "ख" भाग में बताया गया है कि अर्चना मे संस्कृत के कार्यक्रम भी शामिल होते हैं, जबकि अर्चना और वन्दना ये दो कार्यक्रम हैं जो आकाशवाणी से प्रसारित होते थे उनमें वेदों के बारे में, श्लोकों का वाचन किया जाता था वह सारा का सारा बन्द हो गया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि यह जो मूल रूप से प्रसारण किया जाता था उसमें कमी न करते हुए उसको पूरा प्रसारित करना चाहिए और आकाशवाणी से जैसे संस्कृत समाचार प्रसारित किये जाते हैं वैसे ही दूरदर्शन से भी इनका प्रसारण करने का प्रावधान करेंगे।

श्री सुबोध कान्त सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा कहा है कि अर्चना के कार्यक्रम सिर्फ संस्कृत मे ही हुआ करते थे, यह सही नहीं है। संस्कृत में भी उसके अन्तर्गत कार्यक्रम हुआ करते थे और दूरदर्शन हरेक सप्ताह में 15 मिनट का कार्यक्रम संस्कृत में करता है। जहां तक आकाशवाणी का सवाल है इसमें दो बुलेटिन संस्कृत के प्रतिदिन आते हैं और सालाना जो एवरेज निकलता है वह 500 घंटों का आता है। इसलिए जो प्राथमिकता देने का सवाल है मैं समझता हूं कि दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों उसमें बाकायदा तत्पर हैं, लेकिन दूरदर्शन से संस्कृत के समाचार प्रसारित करने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी बताया गया है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब आया है कि सूचना संकलन संकलित रूप से केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है मैंने तो केवल स्पेसेफिक पूछा कि जनवरी, 1991 में कितना किया गया है? यह जानकारी तो राष्ट्रीय नेटवर्क प्रसारण के बारे में तो दी जा सकती है और इसलिए मैं यह पूछना चाहता था कि सारे के सारे प्रसारण को जितना स्थान मिलना चाहिये, इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि संस्कृत को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिये जिससे कि देश की संस्कृति के बारे में जो श्रेष्ठ साहित्य है, उसके बारे में लोगों को पता लग सके। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं जैसाकि अभी कहा गया है कि दूरदर्शन पर समाचारों का प्रसारण नहीं कर पा रहे हैं तो इस विषय पर तो सरकार को देखना होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में शीघ्र ही कोई ऐसी नीति बनानी चाहिये।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात सही है। जो राष्ट्र अपने अतीत के गौरव को संजो नहीं सकता, वह राष्ट्र नया भविष्य नहीं बना सकता है। हमारे अतीत से संस्कृत का गहरा संबंध है और उसमें हमारे सभ्यता और संस्कृति की अनुपम कृतियां भरी पड़ी हैं। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। हम देखेंगे और दूरदर्शन से बात करेंगे। अब उसमें समाचार दिये जायेंगे या नहीं लेकिन संस्कृत के जो हमारे नीति वाक्य हैं या जो हमारे नीतिकारों के वाक्य हैं और जो आज के दिन कल्याणकारी और शुभ हैं, उनको दूरदर्शन पर प्रसारित करने के लिए हर संभव कदम उठाये जायेंगे।

श्री ईश्वर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को पता है कि भारतवर्ष के दक्षिणी और मध्य भाग में संस्कृत में अनेक अर्चना, पूजा और श्लोक बोले जाते हैं? क्या सरकार उनकी अभिरूचि को और विकसित करने के लिए उनके साहित्य को और शिक्षित करने के लिए अपने कार्यक्रमों में प्रतिदिन और विशेषकर सप्ताह में बढ़ाने के लिए क्या प्रोग्राम हैं और इसके लिए सरकार ने, जैसाकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस संबंध में हम गहरी रुचि लेंगे तो क्या इस बात को कार्यक्रम में परिवर्तित करके इसको दृढ़तापूर्वक प्रसारण में दूरदर्शन में स्थान देंगे?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, हम इस संबंध में माननीय सदस्यों की राय जानना चाहेंगे। संस्कृत भाषा से और हमारी संस्कृति से जिन लोगों का पुराना संबंध है, उनके भी सुझाव लेंगे। उन सुझावों के आधार पर और दूरदर्शन में क्या संभव है, इन दोनों का समन्वय करके इस संबंध में हम नीति निर्णय करेंगे।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत भाषा देश की तमाम भाषाओं की, दो-एक भाषाओं को छोड़कर, जननी है और जिस दिन संस्कृत भाषा कम हो जायेगी या समाप्त हो जायेगी तो इस देश की संस्कृति भी समाप्त हो जायेगी। हमारा संस्कृत से गाढ़ा संबंध है। मेरी प्रार्थना रहेगी और मैं जानना चाहूंगा कि हम एक बहुत सक्षम माध्यम दूरदर्शन का और खासकर आकाशवाणी पर संस्कृत भाषा को आम लोगों में लोकप्रिय करने के लिए अच्छे-अच्छे कार्यक्रम ज्यादा बड़े पैमाने पर करने का हम जान-बूझकर प्रयास करेंगे और यदि जरूरत होगी तो इसके लिए कोई छोटी समिति संसद सदस्यों की बनायी जायेगी?

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूं। चाहे हम लोग चाहें या नहीं चाहें ''संस्कृत भाषा समाप्त नहीं होगी। आज तक नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा और हम लोग नहीं भी करें तो जर्मनी में लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और वे हम से ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं और मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से कहूंगा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर इस संबंध में जानकारी करें कि संस्कृत भाषा में जो शुभ और कल्याणकारी पहलू हैं, उसको सजग, सजीव और सचेत करने के लिए कुछ कर सकते हैं? और वह अवश्य ही किया जायेगा। मैं इससे सहमत हूं कि संस्कृत भाषा का हमारे अतीत से और हमारे भविष्य से हमारा गहरा संबंध है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बैठ जायें, मैंने श्री भोगेन्द्र झा को बुलाया है।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, अभी प्रधानमंत्री ने स्वागत योग्य बातें कही हैं कि दूरदर्शन पर भी इसकी समीक्षा करेंगे कि क्या संभव है संस्कृत में समाचार देने के लिए। आकाशवाणी से

जो संस्कृत में समाचार प्रसारण होता है, उसकी भाषा काफी सरल है और मेरा अपना अंदाजा है कि देश की अधिकांश भाषाओं, जिनका साहित्य में ज्ञान है, वह भी आसानी से समझ लेंगे और यदि संस्कृत नहीं जानते हैं तब भी। संस्कृत हमारी राष्ट्रीय चीजों की धरोहर है और संस्कृत में दुनिया की कुछ प्राचीनतम लिखित चीजें मौजूद हैं, उस भाषा में विश्व साहित्य की कुछ चीजें मौजूद हैं। मैं अपने कुछ ऐसे मित्रों के लिए यह कह रहा हूं जो नहीं जानते हैं कि मेरे जैसा आदमी उसी रास्ते से कम्यूनिस्ट हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र जी, आप सवाल कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मेरा सवाल यह है कि समाचार प्रसारण दूरदर्शन में भी संस्कृत में हो इस बात का प्रधान मंत्री ऐलान कर दें। कैसे करेंगे, इस को विचार लें। चूंकि दूरदर्शन की लोकप्रियता ज्यादा बढ़ी है इसलिए समाचार प्रसारण संस्कृत में भी होना चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, भोगेन्द्र झा जी का अनुभव बहुत लंबा अनुभव है क्योंकि संस्कृत के माध्यम से वह साम्यवाद तक पहुंचे हैं। उनका केवल हम विचार लेंगे, लेकिन मैं इस बात में उन से सहमत हूं कि संस्कृत में और हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें साम्यवाद की ओर, समता की ओर ले जाती हैं। साम्यवाद में जो विश्व मानव की कल्पना की गई थी, उसमें हमारे यहां लिखा गया है —

"अहं निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥"

इस प्रकार हमारी संस्कृत में बहुत सी प्रगतिशील और उदात्त भावनाएं हैं। उन भावनाओं को हमें समाज के सामने और दुनिया के सामने रखना चाहिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मोंगरा सिंचाई परियोजना

[अनुवाद]

*81. **श्री धर्मपाल सिंह गुप्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के राजनन्दगांव जिले में मोंगरा सिंचाई परियोजना का परित्याग कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना को पुनः तैयार करने हेतु राज्य सरकार को अपने सुझाव भेज दिए हैं।

अमरीका में भारतीय मुसलमानों का सम्मेलन

*82. **डा० ए०के० पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका स्थित भारतीय राजदूत दिनांक 23 और 24 नवम्बर, 1990 को मेरीलैन्ड में आयोजित अमरीका में रह रहे भारतीय मुसलमानों के सम्मेलन में शामिल हुए थे;

(ख) क्या इस सम्मेलन में पारित किए गए कुछ प्रस्तावों में भारतीय मुसलमानों के प्रति भेदभाव बरतने के बारे में भारत की निन्दा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : (क) अमरीका में भारतीय राजदूत 24 नवम्बर, 1990 को एक रात्रि भोज में शामिल हुए थे जो मेरीलैन्ड में अमरीका में भारतीय मुसलमानों के सम्मेलन के समापन के अवसर पर आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन दो दिन अर्थात 23 और 24 नवम्बर, 1990 को हुआ था।

(ख) जी हां,। इस सम्मेलन के समापन के अवसर पर एक संकल्प पारित किया गया था जिसमें "भारतीय मुसलमानों" के लिए आमतौर से और काश्मीर के मुसलमानों के लिए खासतौर से शिक्षा और रोजगार के अवसरों के संबंध में "भेदभावपूर्ण व्यवहार" की निन्दा की गई थी।

(ग) जब राजदूत महोदय ने इस संकल्प को सुना जो कि उनके अपने भाषण के बाद पढ़ा गया था तो बीच में टोकते हुए उन्होंने बलपूर्वक यह कहा कि मुसलमानों के लिए जरूरत इस बात की है कि वे मुख्यधारा के साथ मिलकर चलें और अपनी सफलताओं को देखें, न कि भेदभाव के आरोपों की चर्चा करते रहें। राजदूत महोदय ने इस बात की भी पुष्टि की कि भारत धर्मनिरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है और हमेशा रहेगा।

दिल्ली में भीड़-भाड़ वाले समय के दौरान गैर-सरकारी वाहनों को चलाने पर रोक

*83. **श्री पी०एम० सईद** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1991 के "हिन्दू" में "बैन ऑन प्राइवेट वेहिकल्स ड्यूरिंग रश आवर्स मूटड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का राजधानी में निरन्तर बढ़ती जा रही यातायात की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी हां। भीड़ के समय निजी वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली एक में तीव्रगामी जन परिवहन प्रणाली शुरू करने के लिए मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इकनौमिक सर्विसेज लि० (आर आई.टी.ई.एस.) को एक रिपोर्ट दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुई है। इस परियोजना पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए विभिन्न एजेंसियों में सभी प्रारंभिक कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन की अध्यक्षता में एक स्टीअरिंग समिति गठित की गयी है।

राजधानी की व्यस्त सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करने तथा यात्रा को द्रुतगामी और सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने एक कार्ययोजना तैयार की है जिसमें निम्नलिखित शामिल है :—

(I) नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत क्षेत्र यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू करना। इस प्रणाली में 62 यातायात जंक्शनों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

(II) दिल्ली में सिक्रोनाइजिंग माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित यातायात सिगनलों के लिए ट्रसिट—9 कम्प्यूटर शाफ्ट वेअर पैकेज लागू करना।

(III) यातायात प्रबंधन तकनीकों, अर्थात् इक तरफा यातायात, कॉन्ट्रा ट्रैफिक फ्लो, कुछेक चलने वाले किस्म के वाहनों के प्रचालन पर यातायात संबंधी प्रतिबंध तेज तथा धीमी गति से चलने वाले यातायात को अलग-अलग करना केन्द्रीय वर्जों में और कम दूरी इत्यादि को लागू करना।

(IV) सड़कों को चौड़ा करना तथा लेनें बनाना।

(V) सिल्प सड़कों तथा केन्द्रीय वार्जों का निर्माण।

(VI) यायायात चिन्हों, सड़क-चिन्हों स्ट्रीट लाइटिंग आदि में सुधार करना।

(VII) चांदनी चौक, कनाट प्लेस, करोल बाग इत्यादि के लिए यातायात विनियम (पार्किंग सहित) तथा प्रबंधन उपाय लागू करना।

खाड़ी युद्ध को रोकने के लिए भारत द्वारा की गई पहल

*84 **श्री मनोरंजन सुर :**

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध रोकने और उसके शुरू होने के बाद की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत द्वारा राजनयिक स्तर पर तथा संयुक्त राष्ट्र और गुट निरपेक्ष आन्दोलन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से क्या पहल की गई है; और

(ख) उसका क्या परिणाम रहा ?

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) 2 अगस्त, 1990 को जब इराक ने कुवैत पर हमला किया और खाड़ी संकट शुरू हुआ तबसे ही भारत बातचीत के जरिए इस संकट के

शांतिपूर्ण हल के लिए अपील करता रहा है। द्विपक्षीय आधार पर भारत ने इराक से अपील की कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्पों के अनुपालन में कुवैत से अपनी फौजें वापस बुला ले। बहुपक्षीय आधार पर भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन को सक्रिय किया। गुट-निरपेक्ष आंदोलन में भारत की पहलकदमी के परिणामतः भारत, अलजिरिया और यूगोस्लाविया के विदेश मंत्रियों की बेलग्राड में 11 सितम्बर, 1990 को बैठक हुई। भारत ने अपने प्रयासों के अतिरिक्त इस संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए अन्य देशों द्वारा रखे गए प्रस्तावों को अपना समर्थन दिया, उदाहरण के लिए 14 जनवरी, 1991 को फ्रांस द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव।

2. एक जनवरी, 1991 को सुरक्षा परिषद् का सदस्य बन जाने के बाद भारत ने खाड़ी संकट के संबंध में हो रहे विचार-विमर्श में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प संख्या 678 में कुवैत से इराकी फौजों की वापसी के लिए जो 15 जनवरी, 1991 की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी वह जैसे नजदीक आई तो प्रधानमन्त्री ने संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति, सोवियत संघ के राष्ट्रपति (जो इस समय गुट-निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष भी हैं) को एक व्यक्तिगत अपील जारी की जिसमें उनका ध्यान पश्चिमी एशिया क्षेत्र में युद्ध के कारण मानव जाति को होने वाली बेहिसाब दुःख तकलीफों और विनाश की ओर आकर्षित किया गया था तथा यह अनुरोध किया गया था कि इस संकट के हल के लिए राजनयिक माध्यमों को एक और अवसर दिया जाना चाहिए।

3. जिस दिन (17 जनवरी, 1991) युद्ध शुरू हुआ उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित बातों के आधार पर शांति की बहाली के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा :

(क) राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को इस आशय की अपील की कि वे तत्काल वापसी की घोषणा करें;

(ख) राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की उपर्युक्त आशय की घोषणा के बाद युद्ध बंद किया जाए; और

(ग) युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिए फिर से प्रयास शुरू किए जाएं; और

(घ) सुरक्षा परिषद् द्वारा संबंध में तौर-तरीके तैयार किए जाएं। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस वक्तव्य को सुरक्षा परिषद् दस्तावेजों के रूप में जारी किया गया।

4. जैसे-जैसे युद्ध बढ़ता गया भारत ने अपने प्रयासों को दुगना कर दिया और अपील की कि सैनिक कार्रवाई को रोक दिया जाए तथा साथ ही कुवैत से फौजों की पूर्ण वापसी के एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंग के रूप में इराक कुवैत से अपनी फौजें वापस बुलाना शुरू कर दे।

5. भारत के प्रयासों के परिणाम का गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के 16 देशों के विदेश मंत्रियों की बेलग्राद में 11 से 13 फरवरी, 1991 तक बैठक हुई और भारत ने बैठक में गुट-निरपेक्ष शांति योजना उपलब्ध कराई। यह फैसला किया गया कि विदेश मन्त्रियों का एक प्रतिनिधि शांति मंडल बगदाद, वाशिंगटन, ब्रुसेल और अन्य देशों की राजधानियों में भेजा जाएगा। तथापि, मौजूदा परिस्थितियों के कारण भारत, यूगोस्लाविया, ईरान और क्यूबा के विदेश मंत्रियों की टीम तेहरान से बगदाद के लिए रवाना नहीं हो सकी।

6. भारत में इस युद्ध से होने वाले विनाश विशेषकर असैनिक लोगों की जान माल की हानि पर चिंता व्यक्त करते हुए एक वक्तव्य जारी किया तथा युद्ध में शामिल पक्षों से अपील की कि वे सामूहिक विनाश वाले हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए संकल्प लें। भारत ने सुरक्षा परिषद् को सक्रिय बनाने के लिए बार-बार प्रयास किया ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि खाड़ी में सैनिक कार्रवाई संकल्प 660 के उद्देश्य के अनुरूप हो और सुरक्षा परिषद् इस मामले पर अपने चार्टर के अधीन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे। वास्तव में भारत में सुरक्षा परिषद् की भूमिका और उसके प्राधिकार के संबंध में एक संकल्प का प्रारूप तैयार किया था और इस प्रारूप पर सुरक्षा परिषद् के सभी सदस्यों से सलाह मशविरा किया था।

7. जमीनी युद्ध शुरू होने के स्पष्ट संकेतों को देखते हुए भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन के जरिए अपनी पहलकदमी को आगे बढ़ाते हुए गोरबाचोव योजना को जोरदार समर्थन दिया। कुछ स्थायी सदस्यों के विरोध के बावजूद भारत ने जोरदार ढंग से यह तर्क पेश किया कि सुरक्षा परिषद् अपने दायित्वों की अनदेखी नहीं कर सकती और इराक द्वारा स्वीकृत गोरबाचोव योजना और मित्र राष्ट्रों की आवश्यकताओं के बीच जो अन्तर है उसे कम किया जा सकता है तथा जमीनी युद्ध की भयानक त्रासदी को रोका जा सकता है। भारत ने यह प्रस्ताव किया कि दोनों खेमों में तालमेल बैठा कर मतभेदों को दूर करके इस योजना का एक नया पाठ तैयार किया जाना चाहिए जो युद्ध को समाप्त करने के लिए एक आधार बन सके।

8. वास्तव में, यह एक अत्यधिक खेद का विषय है कि भारत के प्रयासों का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है और युद्ध निरन्तर चल रहा है तथा भयानक रूप धारण कर रहा है। लेकिन भारत भी शांति की बहाली के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है।

अयोध्या में पर्यटन को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

*85. **श्री मित्रसेन यादव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयोध्या (फैजाबाद) में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार की प्रस्तावित योजनाएं क्या है;

(ख) इस समय चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का अयोध्या में पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कुछ और योजनायें शुरू करने लिए सर्वेक्षण कराने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों को प्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उनके गुण-दोष, धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में एक यात्री निवास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए एक परियोजना हाल ही में पर्यटन मंत्रालय को भिजवाई है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान अयोध्या में ओपन एयर थिएटर हेतु एक स्टेज (मंच) का निर्माण तथा मार्गस्थ सुख सुविधाओं के लिए 26.80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे जिसमें से 13.40 लाख रुपये रिलीज किए गए थे।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार अयोध्या में ओपन एयर थिएटर की स्कीमों और मार्गस्थ सुख सुविधाओं को अयोध्या की मिली-जुली स्कीम में शामिल किया जा चुका है जिसके लिए वे वास्तुशिल्प योजना तैयार करा रहे हैं। योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं का निष्पादन कार्य शुरू किया जाएगा।

(ङ) पर्यटक स्थानों पर सुविधाओं का विकास करने के लिए सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है और फिलहाल उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अमरीकी वायुसेना के विमानों में तेल भरा जाना

*86 श्री भोगेन्द्र झा :

श्री एम॰ एस॰ पाल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी वायुसेना के विमानों को खाड़ी जाते समय भारतीय हवाई मार्ग का प्रयोग करने की अनुमति दी है तथा उन्हें देश में मुम्बई और अन्य विमानपत्तनों पर तेल भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां तो, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अमरीका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो यह समझौता सर्वप्रथम किस तिथि को हुआ था तथा बाद में उसका नवीकरण किस-किस तिथि को हुआ;

(ङ) अब तक कितने विमानों में तेल भरा गया और कितना तेल भरा गया तथा उसका मूल्य कितना है;

(च) क्या यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि उन विमानों में कोई अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद नहीं ले जाया जा रहा था;

(छ) किसी भी युद्धरत देश का पक्ष न लेने की सरकार की सुस्थापित गुटनिरपेक्ष नीति से हटने के क्या कारण हैं; और

(ज) क्या इराक ने इस अनुमति पर विरोध प्रकट किया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) सितम्बर, 1990 में अमरीकी वायुसेना के 120 विमानों को भारतीय वायुक्षेत्र के ऊपर से गुजरने की इजाजत दी गई थी और जनवरी तथा फरवरी, 1991 में 136 विमानों को पारगमन तथा ईंधन भरने की सुविधाएं दी गई थीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मौजूदा संदर्भ में जनवरी और फरवरी, 1991 के दौरान अमरीकी वायुसेना के 136 परिवहन विमानों को पारगमन और ईंधन भरने की सुविधाएं दी गई थीं और लगभग 32 लाख लीटर तेल सप्लाई किया गया। इस ईंधन की लागत निश्चित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(च) इन परिवहन विमानों को तेल भरने की अनुमति अमरीकी सरकार के इस स्पष्ट आश्वासन पर दी गई थी कि इन विमानों में सिर्फ गैर-घातक सामग्री ही ले जाई जाएगी या फिर इनका इस्तेमाल मानवीय, चिकित्सा तथा आपातकालीन परिस्थितियों में कार्मिकों को ले जाने के लिए किया जाएगा।

(छ) भारत सरकार का यह निर्णय किसी भी तरह भारत की सुस्थापित गुट निरपेक्ष नीति के विपरीत नहीं है।

(ज) इराक से भारत सरकार को कोई औपचारिक विरोध प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने इराक के भारत स्थित राजदूत के बयान पर गौर किया है। सरकार ने इराकी प्राधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि इन उड़ानों का उद्देश्य युद्ध प्रयत्नों में मदद देना नहीं था और इसकी इजाजत सिर्फ इसलिए दी गई थी कि उनमें गैर घातक सामग्री ही ले जाई जा सकेगी या फिर इनका इस्तेमाल मानवीय और चिकित्सा के आधार पर और आपात परिस्थितियों में कार्मिकों को ले जाने के लिए किया जाएगा।

उर्वरक उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता मानदण्डों का उल्लंघन

[अनुवाद]

*87. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उर्वरक उत्पादकों द्वारा गुणवत्ता मानदण्डों के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उर्वरक एककों द्वारा, एकक-वार, अनुमानतः कितने घटिया उर्वरकों की बिक्री की गयी है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1990-91 के दौरान, विभिन्न विनिर्माणी एककों का निरीक्षण करते समय, केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान के दलों ने एस०एस० पी० के नौ विनिर्माणी एककों, जिंक सल्फेट के पांच एककों तथा एन०पी० के सम्मिश्रण के तीन एककों द्वारा गुणवत्ता मानदण्डों का उल्लंघन पाया है।

(ग) चूंकि गुणवत्ता निरीक्षण के लिए उर्वरकों के नमूने यादृच्छिक रूप से लिए जाते हैं, इसलिए नमूनों द्वारा अवमानक उर्वरकों की मात्रा को केवल अनुमानित तौर पर दिखाया जाता है।

तदनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 1990-91 के दौरान, केन्द्रीय दल द्वारा विनिर्माणी एककों से लिए गए नमूनों के आधार पर, लगभग 3777 मीटरी टन अवमानक उर्वरक है, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान के क्वालिटी निरीक्षण रिपोर्ट तथा भारत सरकार की अनुवर्ती कार्रवाई के आधार, पर हरियाणा सरकार ने 2 जिंक सल्फेट विनिर्माणी एककों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निरस्त कर दिए हैं और एक को चेतावनी दी है। इसने एक एस० एस० पी० एकक द्वारा स्टाक के पुर्नसंमाधन की अनुमति दी है। राजस्थान सरकार ने 3 एस०एस० पी० एककों तथा एक जिंक सल्फेट एकक के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज की हैं।

विवरण

1990-91 के दौरान केन्द्रीय दल द्वारा लिए गए अवमानक नमूनों के आधार पर दर्शाई गई उर्वरकों की मात्रा निम्न प्रकार है :

राज्य	विनिर्माणकर्त्ता यूनिटों के नाम	अवमानक नमूनों द्वारा दर्शाई गई मात्रा (मीटरी टन)
1	2	3
राजस्थान		
	1. भारत केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर अलवर, राजस्थान	614.0
	2. मधुबन केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर, उदयपुर	90.0
	3. उदयपुर फास्फेट एण्ड फर्टिलाइजर	524.0
	4. लिबर्टी पेस्टिसाईड्स एण्ड फर्टिलाइजर, उदयपुर	40.0
	5. वेस्ट इण्डिया केमिकल, उदयपुर	13.0
मध्य प्रदेश		
	6. बी०ई०सी० फर्टिलाइजर, बिलासपुर	1361.0
	7. यूनिआलकेम, रायसेन	138·0
	8. रामा फास्फेट, इंदौर	367.3
	9. हर्षवर्द्धन केमिकल मिनरलस, जबुआ	27 0
हरियाणा		
	10. मल्टी टेक इंटरनेशनल, धारूहेड़ा	50.0
	11. ग्लोब केमिकल इंड, शाहाबाद	0.9

1	2	3
	12. भारत केमिकल इंड०लि०, शाहाबाद	0.01
	13. सूरज जिंक फर्टिलाइजर, अम्बाला	30.0
	14. पूजा केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर, अम्बाला	5.0
बिहार		
	15. बिस्कोमान, तिलरथ	125.70
	16. एस०आर० फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल, मुजफ्फरपुर	389.45
	17. बिहार एग्रो इण्डस्ट्रीज पुर्णिया.	1.65
	कुल :	3777.01

खाड़ी देशों में फंसे भारतीय

*88. श्री सूर्य नारायण यादव :

श्री रामदास सिंह :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों से कितने भारतीयों को हवाई जहाजों से और कितनों को पानी के जहाजों द्वारा निकाला गया है;

(ख) इराक, कुवैत और सऊदी अरब में नर्सों और निर्माण कार्य श्रमिकों सहित अभी तक फंसे हुए भारतीय नागरिकों की संख्या का देशवार ब्योरा क्या है;

(ग) उन भारतीयों की संख्या कितनी है जिन्होंने जोर्डन, ईरान और सऊदी अरब में आश्रय लिया है;

(घ) उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) क्या इन फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा भारतीयों को निकाले जाने की कार्यवाही पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ज) क्या इस प्रयोजन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से कोई सहायता प्राप्त हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर) : (क) 17 जनवरी, 1991 को खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद से 1,440 भारतीयों को देश प्रत्यावर्तित किया गया है। इसके अलावा इस तारीख के बाद से अनुमानतः लगभग 3,000 लोग सऊदी अरब से भारत के लिए रवाना हुए।

(ख) और (ग) इराक में इस समय करीब 130 भारतीय फंसे हुए हैं और पांच-छह हजार के करीब कुवैत में। अन्य देशों में देश-प्रत्यावर्तन की प्रतीक्षा करने वाले भारतीयों की संख्या इस प्रकार है :

सऊदी अरब	10
जोर्डन	कोई नहीं
ईरान	58

(घ) खाड़ी क्षेत्र में स्थित हमारे राजदूतावास अपने-अपने प्रत्यायन के देशों की सरकारों का सहयोग लेकर भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए हर संभव सहायता कर रहे हैं।

(ङ) और (च) जी हां। खाड़ी क्षेत्र में हमारे राजदूतावास स्थानीय सरकारों तथा संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्पर्क बनाए हुए हैं जिनमें "इंटरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ माइग्रेशन" भी शामिल है।

(छ) भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों को वापिस लाने में अब तक करीब 3 अरब रुपये खर्च किए हैं।

(ज) इन्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन आफ माइग्रेशन से जोर्डन ने (5 उड़ानें) और ईरान से (1 उड़ान) भारतीय राष्ट्रिकों को स्वदेश लाने में सहायता की है।

अल्मोड़ा जिले में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

*89. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा-सूची में काफी लोगों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा-सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ० संजय सिंह) जी हां।

(ख) अल्मोड़ा जिले में केवल अल्मोड़ा एक्सचेंज की प्रतीक्षा-सूची में 199 आवेदकों के नाम दर्ज हैं। वर्ष 1991-92 के दौरान उपस्कर उपलब्ध होने पर 2048 लाइनों के आई०एस०टी० एक्सचेंज के चालू हो जाने पर इस प्रतीक्षा-सूची के समाप्त हो जाने की संभावना है।

डाक विभाग के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत

*90. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और दिल्ली में दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को 100/- रुपये की अंतरिम राहत दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक विभाग के कर्मचारी भी उसकी मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, दूरसंचार विभाग के ग्रुप "ग" और "घ" के केवल उन्हीं कर्मचारियों को जो महानगर टेलीफोन निगम लि० में प्रतिनियुक्ति पर समझे गए हैं व जिन्हें महानगर टेलीफोन निगम लि० में खपाने की शर्तों को अंतिम रूप दिया जाना है, उन्हें 1.9.90 से प्रति माह 100/- रुपये तदर्थ भुगतान करने की मंजूरी दी गई है। दूरसंचार विभाग के अन्य कर्मचारियों को, जिनमें दिल्ली/बंबई में तैनात वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो महानगर टेलीफोन निगम लि० के आधिकारिक-क्षेत्र में नहीं आते, उक्त तदर्थ राशि का भुगतान नहीं किया जाता।

(ख) और (ग) विभाग के एक सेवा संघ ने डाक विभाग के कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने की मांग की है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है।

उर्वरक उद्योग पर खाड़ी युद्ध का प्रभाव

[अनुवाद]

*91. श्री आर० गुण्डू राव :

श्री वसंत साठे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध के कारण उर्वरक उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण नेफथा, नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के कच्चे माल और तैयार उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उवर्रकों की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ते हुए अन्तर को समाप्त करने के लिए इनका आयात करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उर्वरक उद्योग को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) यद्यपि, खाड़ी युद्ध के कारण नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक उद्योग के उत्पादन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। तथापि, आयातित मध्यवर्तियों और कच्चे माल पर निर्भर फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है।

(ख) 25% खाड़ी अधिभार के कारण उर्वरक उत्पादन के लिए प्रयुक्त नेफथा और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ गए हैं। इसी प्रकार आयातित उर्वरकों के मूल्य भी वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शा रहे हैं। तथापि, देश में उर्वरकों के बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाये गए हैं।

(ग) अनुमानित मांग और स्वदेशी आपूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए पहले की तरह उर्वरकों का आयात किया जाएगा।

(घ) एम०एम०टी०सी०, जो उर्वरकों, मध्यवर्तियों और कच्चे माल के आयात के लिए सरणीबद्ध अभिकरण है, को सलाह दी गई है कि वे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक-स्त्रोतों से आपूर्तियां प्राप्त करने के प्रयास तेज करें।

उत्तर प्रदेश और बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना

[हिन्दी]

*92. श्री शिव शरण शर्मा :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991 को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के उन पर्यटन स्थलों के नाम क्या हैं जिनका इस वर्ष के दौरान विकास किया जाना है;

(ग) क्या बिहार स्थित भीम डैम का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटक स्थलों का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न प्रकार के आवासों, केटरिंग एककों और परिवहन सुविधाओं के रूप में आधार-संरचना का विकास करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजनार्थ, राज्य सरकारें वित्तीय सहायता हेतु परियोजनाएं/स्कीमें पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तावित करती हैं। 1990-91 के दौरान, उत्तर प्रदेश की 31 परियोजनाओं/स्कीमों और बिहार की 12 परियोजनाओं/स्कीमों की प्राथमिकता निर्धारित की गई थी ताकि संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्कीमों की सूचियां क्रमश: संलग्न विवरण-1 और 2 में दी गई हैं।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय को भीम बांध का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के बारे में बिहार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विवरण I

वर्ष 1990-91 के लिए प्राथमिकता निर्धारित परियोजनाओं/स्कीमों की सूची—उत्तर प्रदेश

क्रम सं०. स्कीम का नाम

1. खुर्जा में मोटल

क्रम सं०	स्कीम का नाम
2.	कलाडुंगी में मोटल
3.	देवस्थल में मोटल
4.	धौलादेवी में मोटल
5.	खेतीखान में मोटल
6.	मरोराखान में मोटल
7.	भानियावाला, देहरादून में मोटल
8.	मोटल भट्टा, देहरादून
9.	सकिनी धर, टिहरी गढ़वाल में मोटल
10.	अन्नखाल, टिहरी गढ़वाल में मोटल
11.	चिनिली सोर, उत्तरकाशी में मोटल
12.	दमता, उत्तरकाशी में मोटल
13.	खागा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
14.	कलिंजर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
15.	ललितपुर में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
16.	पिपरहवा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
17.	बेवाड (जनपद मैनपुर) में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं
18.	रामगढ़ में मार्गस्थ सुख-सुविधायें
19.	प्रेमपुर में मार्गस्थ सुख-सुविधायें
20.	जलौदा में मार्गस्थ सुख-सुविधायें
21.	मितरसेनपुर में समार्गस्थ सुख-सुविधायें
22.	बिजघाट में मार्गस्थ सुख-सुविधायें
23.	जसवंत नगर में मार्गस्थ सुख-सुविधायें
24.	गाजीपुर में मार्गस्थ सुख-सुविधायें
25.	औरिया में पर्यटक परिसर
26.	बिठूर में पर्यटक परिसर
27.	अलीगढ़ (भरथरी) में पर्यटक परिसर
28.	अयोध्या में यात्री निवास
29.	चित्रकूट में यात्री निवास
30.	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में वन गृह
31.	आगरा किले में ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन

विवरण 2

वर्ष 1990-91 के लिए प्राथमिकता निर्धारित परियोजनाओं/स्कीमों की सूची-बिहार

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1.	अभिषेक पुष्करणी का विकास
2.	बाल्मिकि नगर में पर्यटक परिसर
3.	हजारी बाग में पर्यटक परिसर
4.	वैशाली में पर्यटक परिसर
5.	कोयलवार में मार्गस्थ सुविधायें
6.	बरही में मार्गस्थ सुविधायें
7.	टापचांची में मार्गस्थ सुविधायें
8.	बोधगया में अल्पाहार-गृह
9.	नेतरहाट में अल्पाहार-गृह
10.	निम्नलिखित स्थानों पर सार्वजनिक सुविधायें :
	(क) वैशाली
	(ख) बोधगया
	(ग) नालंदा
	(घ) राजगीर
	(ङ) गया
11.	गया में यात्री निवास
12.	जल क्रीड़ा उपकरण

जैविक उर्वरकों का उत्पादन

[अनुवाद]

*93. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी स्थायी सलाहकार समिति ने रासायनिक उर्वरकों के आयात और उत्पादन पर भारी दबाव को देखते हुए बड़ी मात्रा में जैविक उर्वरकों के उत्पादन पर जोर दिया है;

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में जैविक उर्वरकों पर अनुसंधान और विकास संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ऐसी परियोजनायें हाथ में ली हैं जिनसे राइजोबियम, हरे-नीले शेवालों, एजोस्पिरिलम तथा एजोटोबैक्टर सहित जैव-उर्वरकों की सक्षम प्रजातियों का पता लगाने में सहायता मिली है। इन परियोजनाओं के लिएं धन व्यवस्था (1) अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन (सूक्ष्म जीवविज्ञान) तथा दलहन परियोजना, (2) जीव-वैज्ञानिक नाइट्रोजन के इस्तेमाल पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना, और (3) भारत-अमरीकी विज्ञान और प्रोद्योगिकी पहल कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है।

पेयजल की कमी

[हिन्दी]

*94. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां गर्मी के मौसम में पेयजल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर मध्य प्रदेश की सीमा पर बुन्देलखंड क्षेत्र के 16 पठारी क्षेत्रों में इस समस्या से निबटने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) देश के कुछेक सूखा प्रभावित क्षेत्रों को गर्मी के मौसम में आमतौर पर पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ता है।

(ख) और (ग) विशेषकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बुन्देलखंड क्षेत्र के 16 पठारी क्षेत्रों में इस समस्या से निबटने के लिए कोई विशेष योजना तैयार नही की गई है। तथापि, न केवल उपरोक्त क्षेत्रों में ही बल्कि पता लगाए गए शेष समस्याग्रस्त गांवों में भी पेयजल की सप्लाई की समस्या को राज्यों और केन्द्र सरकार के सामान्य योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत हल किया जाता है।

राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

*95. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में निष्पादित की जाने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : **(क) और (ख)** आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इराक स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*96. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री एडुआर्डो फैलीरो :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक तथा अन्यत्र स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार को ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं कि वहां फंसे भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : (क) और (ख) कुवैत और इराक से जोर्डन जाने वाले 1,40,000 से अधिक भारतीयों की यात्रा और उनकी देखभाल का काम कुवैत, इराक और जोर्डन स्थित हमारे राजदूतावासों ने किया था। इन लोगों को निकालने की व्यवस्था तथा निकासी का काम दो महीने से कम समय में पूरा कर लिया गया था। इस जबर्दस्त जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे कर्मचारियों ने रातदिन काम किया था।

इन्हें निकालकर लाने के काम में, जो पूर्व-नियोजित नहीं था, शुरू-शुरू में कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन हमारे राजदूतावासों ने जिस तरह इन भारतीय राष्ट्रिकों की देखभाल की और उनकी निकासी में जिस तरह सहायता की, उसकी स्वयं इन लौटने वालों ने और उस क्षेत्र में काम करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी बहुत प्रशंसा की है। कुछेक शिकायतें भी मिली थीं, जिनकी ओर सम्बद्ध मिशनों का ध्यान तुरन्त आकृष्ट किया गया था ताकि वे इन शिकायतों को दूर करने के लिए कार्रवाई कर सकें।

श्रीलंका की जातीय समस्या को हल करने के लिए पहल

*97. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में तमिलों की जातीय समस्या को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नवीन पहल की गई है;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने हाल ही में इस संबंध में श्रीलंका का दौरा किया था;

(ग) यदि हां, तो श्रीलंका के नेताओं के साथ उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या सरकार ने भारत-श्रीलंका संबंधों में सुधार करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : (क) श्रीलंका की जातीय समस्या वस्तुतः एक ऐसा मामला है जिसे अन्ततः श्रीलंका की सरकार और वहां के तमिलों को आपस में मिलकर ही सुलझाना होगा। सरकार ने एक बार फिर श्रीलंका की सरकार से यह कहा है कि बातचीत के द्वारा एक ऐसे राजनैतिक समाधान से ही इस समस्या का राजनैतिक हल संभव है जिसमें तमिलों की जायज मांगों को ध्यान में रखा गया हो।

(क) और (ख) भूतपूर्व विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा से एक ओर जहां हमें श्रीलंका की जातीय समस्या पर विचार-विमर्श करने का मौका मिला, वहीं हमने अपनी यह इच्छा भी जताई कि हम बहु आयामी द्विपक्षीय संबंध विकसित करना चाहते है, खासकर आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृ-

तिक क्षेत्रों में। हमने अपनी इस आस्था की पुन: पुष्टि की कि 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के बाद जो राजनैतिक रूपरेखा तैयार की गई थी उसमें इस जातीय समस्या के उचित और स्थाई समाधान का व्यवहारिक आधार निहित हैं। हमने ऐसे उपायों पर काम करने की जरूरत पर भी बल दिया था जिनसे संबद्ध पक्षों में परस्पर बातचीत शुरू हो सके। इस यात्रा के दौरान यह फैसला हुआ था कि एक भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे जिसमें दोनों देशों के अपने-अपने विदेश मंत्री अध्यक्ष होंगे। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा सिलोन पैट्रोलियम कारपोरेशन मन्नार की खाड़ी में तेल का पता लगाने के लिए एक संविदा को अन्तिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे।

(घ) और (ङ) सरकार की नीति हमेशा यही रही है कि श्रीलंका के साथ उसके मैत्रीपूर्ण और निकट द्विपक्षीय संबंध हों। तत्कालीन विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा से भारत-श्रीलंका संबंध और सुदृढ़ हुए।

खाड़ी युद्ध में मारे गये/घायल हुए भारतीय

*98. **बी०एन० रेड्डी :**

श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के खाड़ी युद्ध में अनेक भारतीय लोगों के मारे जाने/घायल होने के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके परिवार के आश्रितों को क्या सहायता दी गई है ?

प्रधानमंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने श्री श्याम लाल की मृत्यु होने और निम्नलिखित पांच अन्य भारतीयों के घायल होने की पुष्टि की :

1. श्री अजीत सिंह
2. श्री लखबीर सिंह
3. श्री जीत सिंह
4. श्री कल्याण बोस
5. श्री कासीम खान बशीर अहमद

सहायता देने की कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में कटौती

*99. **श्री वाई०एस० राजशेखर रेड्डी :**

श्री मदन लाल खुराना :

क्या अन्तर-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने खाड़ी युद्ध को ध्यान में रखते हुए डीजल बचाने के उद्देश्य से अपनी बस सेवा में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो सेवा से हटाई गई बसों की, डिपो-वार, संख्या क्या है तथा इसके परिणाम-स्वरूप कितने डीजल की बचत हुई है;

(ग) खाड़ी युद्ध प्रारम्भ होने के बाद से निगम की प्रत्येक बस द्वारा कितने चक्कर लगाए गए तथा कितने यात्री ले जाए गए तथा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यह संख्या कितनी कम या अधिक है; और

(घ) बस सेवा में की गई कटौती के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 17.1.91 से 20.2.91 तक की अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा प्रति दिन लगाए गए चक्करों की औसत संख्या 10.92 थी जबकि गत वर्ष की इस अवधि के दौरान इनकी संख्या 10.69 थी। इसी प्रकार चालू अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की एक बस द्वारा 1330 यात्री ढोये गए जबकि गत वर्ष 1269 यात्री ढोये गए थे।

(घ) उपर्युक्त पैरा (क) तथा (ग) के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूध का उत्पादन

*100. **श्री हरीश पाल :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दूध के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता अभी भी बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का देश में गरीब लोगों को कम मूल्य पर दूध की सप्लाई करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से कदम उठाए जाएंगे ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंती लाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) नौवें दशक में दूध के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	दुग्ध उत्पादन
1980-81	31.6 मिलियन मीटरी टन
1985-86	44.0 मिलियन मीटरी टन
1986-87	45.6 मिलियन मीटरी टन
1987-88	46.6 मिलियन मीटरी टन
1988-89 (अनन्तिम)	48.4 मिलियन मीटरी टन
1989-90 (अनन्तिम)	51.4 मिलियन मीटरी टन

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पोषण संबंधी सलाहकार समिति (1981) की सिफारिशों के अनुसार दूध की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रति दिन 220 ग्राम की है, जबकि 1989-90 में 172 ग्राम की उपलब्धता थी। दूध की कम उपलब्धता मुख्य रूप से इन कारणों से है : (क) जनसंख्या में वृद्धि; (ख) पशु आहार और चारे की कम उपलब्धता क्योंकि देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है; और (ग) दुधारू पशुओं की अधिकांश संख्या अज्ञात नस्ल की है, जिनकी दुग्ध उत्पादक क्षमता कम होती है।

(ङ) और (च) दिल्ली दुग्ध योजना (डी०एम०एस०) और मदर डेयरी, दिल्ली को छोड़ कर विभिन्न दुग्ध योजनाओं के क्रियान्वयन और परिचालन की जिम्मेदारी, उनकी राज्य सरकारों की होती है। राज्यों में कम मूल्य पर दूध की सप्लाई करने का भारत का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना ने, हाल ही में (1.1.1991 से) दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में स्थित कुछ चयनित डिपो के माध्यम से सस्ता दूध सप्लाई करना आरम्भ कर दिया है।

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए योजनाएं

[अनुवाद]

*106. **श्री उत्तम राठौड़ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक पांचवां भारतीय व्यक्ति विकलांग है;

(ख) क्या अपनी शारीरिक कमियों पर विजय पाने मे ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए देश में कोई स्थायी व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विकलांग व्यक्तियों के हित के लिए कौन से विशेष कल्याणकारी उपाय लागू किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और उत्थान की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है तथापि अपनी समन्वय और गति निर्धारक भूमिका में, केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों में राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दे रहा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा विकलांगता के संबंधित क्षेत्रों, में शीर्षस्थ संगठनों के रूप में निम्नलिखित 4 राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है :—

1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता
3. राष्ट्रीय अली यावर जंग श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

इन संस्थानो के अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यत: सेवा संस्थानों के रूप में निम्नलिखित दो संस्थानों की स्थापना की गई है :—

1. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
2. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, उड़ीसा

केन्द्रीय सरकार विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है :

विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता योजनाएं :

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों को सहायक-अनुदान दिया जाता है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को 90% तक वित्तीय सहायता दी जाती है जो विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रशिक्षण और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत (I) विकलांगता का आरम्भिक स्तर पर पता लगाने, उपचार करने, और रोकथाम (II) शिक्षा और/या प्रशिक्षण (III) पुनर्वास-शारीरिक, मनोवैज्ञानिक सामाजिक और आर्थिक-हेतु सेवाओं के विकास के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष औसतन 50,000 विकलांग व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जा रहा है।

सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांगों को सहायता की योजना :

इस योजना के अन्तर्गत 25/-रु० से 3600/-रु० मूल्य के बीच के सहायक यंत्र (1) 1200/-रु० मासिक से कम आय वाले विकलांगों को मुफ्त (2) 1201/-रु० से 2500/-रु० मासिक आय वाले को 50% मूल्य पर दिलाने के लिए संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। यह योजना समूचे देश में फैली स्वयंसेवी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत, दृष्टि विकलांगों, श्रवण विकलांगों और अस्थि विकलांगों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं। लगभग एक लाख विकलांग व्यक्तियों को प्रतिवर्ष लाभ दिया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्तियां :—

भारत सरकार की शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों जिनमें नेत्रहीन शामिल हैं, को कक्षा

नौवीं से आगे शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां देने की एक योजना है विकलांगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रम और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति के अतिरिक्त जो अध्ययन पाठ्यक्रम के आधार पर दिवा छात्रों और होस्टलों में रहने वालों के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं, नेत्रहीनों को रीडर (वाचक) भत्ता भी दिया जाता है। लगभग ७0,000 विकलांग व्यक्तियों को प्रतिवर्ष लाभ दिया जा रहा है।

बच्चों की समेकित शिक्षा :

इस योजना में सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्र सरकार से 100% सहायता देने की व्यवस्था है।

जिला पुनर्वास केन्द्र :

जिला पुनर्वास केन्द्रों की योजना एक प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग जनसंख्या को व्यावसायिक पुनर्वास सहित व्यापक और समन्वित सेवाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। अब तक 12 जिला पुनर्वास केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 11 पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

रोजगार :

(I) केन्द्रीय सरकार और उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" पदों के लिए नेत्रहीनों, श्रवण विकलांगों और अस्थि विकलांगों प्रत्येक के लिए 1% पदों का आरक्षण करके शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% रिक्तियां आरक्षित होती हैं। इसी प्रकार के आरक्षण राज्य सरकारों द्वारा भी किए गए हैं। विकलांग व्यक्तियों को जिनमें नेत्रहीन भी शामिल हैं, ऊपरी आयु सीमा में रियायत दी जाती है और सरकारी सेवाओं में प्रवेश हेतु चिकित्सा मानकों में भी ढील दी जाती है।

(II) अनन्य रूप से विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 23 विशेष रोजगार कार्यालय और 55 विशेष सैलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार का पता लगाने में सहायता करते हैं।

(III) विकलांगों की शेष क्षमता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(IV) निम्नलिखित के माध्यम से स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाता है :—

(क) बिक्री स्टाल, खोकों और छोटी दुकानों के आवंटन।

(ख) अन्तरीय ब्याज दर योजना के अन्तर्गत नाममात्र की ब्याज दर पर राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आवंटन।

(घ) पैट्रोल पम्प, मिट्टी के तेल के डिपो आदि के वितरण आरक्षण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार केन्द्रों द्वारा नेत्रहीनों सहित निम्नलिखित विकलांगों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

	रोजगार प्रदान किया गया
1987	5403
1988	5475
1989 (जनवरी से जून)	2045

विकलांगों के लिए विशेष भर्ती अभियान :

सरकार ने विशेष भर्ती अभियान आरम्भ किया है। पहले चरण में लगभग 500 श्रवण विकलांगों और दृष्टि विकलांगों को रोजगार पर लगाया गया है और दूसरे चरण अर्थात् चालू वर्ष 199। के दौरान, लगभग 500 और श्रवण विकलांगों तथा दृष्टि विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किए जा सकते हैं।

इस विशेष अभियान का उद्देश्य विकलांगों के लिए पीछे से चली आ रही बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरना है।

विकलांगों के कल्याण के लिए प्रस्तावित विधान :

इस सम्बन्ध में संसद में निम्नलिखित विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं :—

1. भारतीय पुनर्वास परिषद् विधेयक, 1990;

2. विकलांगों के कल्याण एवं अधिकारों के संरक्षण बोर्ड हेतु विधेयक, 1991

3. मानसिक मन्दन और मस्तिष्क घात पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास विधेयक, 1991

चमड़े के वस्त्रों के लिए अत्याधुनिक डिजाइन सुविधा

*107. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से चमड़े के वस्त्र एवं जूतों के लिए अत्याधुनिक डिजाइन सुविधा की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के प्रस्ताव की जांच कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान को उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य क्या सहायता देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने व्यावहारिक अनुसंधान, उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अपने कार्य-कलापों की व्यवस्था करने और इन्हें पुनः लागू करने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह चमड़ा उद्योग के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है।

इस समय, चमड़ा उद्योग के लिए एक मिश्रित (छत्र) कार्यक्रम प्रस्ताव यू०एन०डी०पी०/यूनिडो के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते समय केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा।

मणिपुर में विद्रोह

*108. **श्री शंकर सिंह वघेला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जनवरी, 1991 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि मणिपुर में सक्रिय पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जैसे कुछ विद्रोही संगठनों ने बर्मा और पाकिस्तान के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या मणिपुर के इन विद्रोही संगठनों का देश में इस प्रकार के अन्य ग्रुपों से संबंध है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) समाचार पत्र में दी गई सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। तथापि, ब्यौरे देना देश की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में श्वेत पत्र

*109. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन के संबंध में जारी किए जाने वाले श्वेत पत्र को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) इस मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है।

बाल श्रमिकों की समस्या

*110. **श्री वसुदेव आचार्य :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल में अपनी रिपोर्टों में बाल श्रमिकों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है;

(घ) यदि हां, तो भारत के संबंध में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बच्चों को रोजगार में लगाए जाने से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. वर्ष 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार देश में 14 वर्ष तक की आयु वाले बाल श्रमिकों की संख्या क्रमशः 107.5 लाख तथा 136.4 लाख थी। राज्य-वार आंकड़े परिशिष्ट में दिए गए हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण प्रोजेक्शन (43वां दौर-जुलाई, 1987—जून, 1988) के अनुसार समस्त देश में बाल श्रमिकों की अनुमानित संख्या 170 लाख थी।

2. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्टों में यह बताया है कि बाल श्रमिकों के होने का मुख्य कारण गरीबी है और बाल श्रम विकासशील देशों में अब भी कृषि, शहरी अनौपचारिक क्षेत्र तथा घरेलू सेवा में बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान है। रिपोर्ट में बाल श्रम को प्रभावी रूप से रोकने के लिए सरकार, प्रचार माध्यम, स्वयंसेवी समूहों, नियोजकों, श्रम संघों की भूमिका और जनता को शामिल करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में नए दृष्टिकोण भी शामिल हैं जिसमें शिक्षा तथा प्रशिक्षण और काम करने वाले बालकों के लिए नियमित आय सर्जन के अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल हैं। रिपोर्ट में सरकारों से अपील की गई है कि वे काम के स्थान पर बालकों की सुरक्षा के लिए विभिन्न कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन करके बाल श्रमिकों द्वारा उठाई जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए कानून के नियम बनाए और साथ ही इसके लिए समुदाय का सहयोग प्राप्त करने को बढ़ावा दें।

3. कारखानों, खानों तथा विभिन्न खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। बाल श्रम (उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की अनुसूची में ऐसे व्यवसाय तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है या काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

4. बालकों को नियोजन से दूर रखने के लिए अन्य कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(i) बाल श्रमिकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का गठन। इन परियोजनाओं के अंतर्गत बालकों के लिए स्कूल चलाए जाते हैं, सामाजिक चेतना के कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा बाल श्रमिकों से संबंधित उपबंधों का बेहतर कार्यान्वयन किया जाता है।

(ii) दो राज्यों में प्रायोगिक आधार पर राज्य सरकारों के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की योजना प्रारंभ की गई हैं।

(iii) बाल श्रमिकों के लाभ के लिए योजनाएं चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता देना। ये परियोजनाएं सामान्यतः अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल आदि के केन्द्रों की प्रकृति की है।

परिशिष्ट

1971 व 1981 की जनगणना के अनुसार (0-14 आयु वर्ग) के बाल श्रमिकों के राज्य-वार विवरण को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु वर्ग के कर्मकार 0-14	
		1971 की जनगणना	1981 की जनगणना
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,627,492	1,951,312
2.	असम	239.349*	**
3.	बिहार	1,059,359	1,101,764
3.	गुजरात	518,061	616,913
5.	हरियाणा	137,826	194,189
6.	हिमाचल प्रदेश	71,384	99,624
7.	जम्मू और कश्मीर	70,489	258,437
8.	कर्नाटक	808,719	1,131,530
9.	केरल	111,801	92,854
10.	मध्य प्रदेश	1,112,319	1,698,597
11.	महाराष्ट्र	988,357	1,557,756
12.	मणिपुर	16,380	20,217
13.	मेघालय	30,440	44,916
14.	नागालैण्ड	13,726	18,235
15.	उड़ीसा	492,477	702,293
16.	पंजाब	232,774	216,939
17.	राजस्थान	587,389	819,805
18.	सिक्किम	15,661	8,181
19.	तमिलनाडु	713,305	915,855
20.	त्रिपुरा	17,490	24,204
21.	उत्तर प्रदेश	1,326,726	1,434,675
22.	पश्चिम बंगाल	511,443	605,263

2	2	3	4
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	572	1,309
24.	अरुणाचल प्रदेश	17,925	17,950
25.	चण्डीगढ़	1,086	1,986
26.	दादर और नागर हवेली	3,102	3,615
27.	दिल्ली	17,120	25,717
28.	गोवा, दमन और दीव	7,391	9,378
29.	लक्षद्वीप	97	56
30.	मिजोरम	***	6,314
31.	पांडिचेरी	3,725	3,606
	कुल	10,753,985	13,640,872

* मिजो जिले के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि उस समय असम का भाग था।

** उस समय असम की अशांत परिस्थितियों के कारण वहां पर 1981 की जनगणना नहीं की जा सकी।

*** मिजोरम के बारे में 1971 की जनगणना के आंकड़े असम में शामिल हैं।

भारतीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाना

[हिन्दी]

*111. **श्री कपिल देव शास्त्री :**

श्री गुलाब चन्द कटारिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय भाषा संगठन यह मांग करते हुए कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाए संघ लोक सेवा आयोग के परिसर के बाहर कब से सत्याग्रह कर रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद ही आमरण अनशन समाप्त किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाए जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन से सम्बन्धित बताए गए व्यक्तियों का एक समूह 16 अगस्त, 1988 से संघ लोक सेवा आयोग परिसर से बाहर धरने पर बैठा हुआ है। उन्होंने धरना 26.5.89 से निलंबित कर दिया तथा 7.8.90 से पुन: शुरू कर दिया।

(ख) भूतपूर्व गृह मंत्री तथा कार्मिक राज्य मंत्री की अपील पर इन युवाओं ने मई, 1989 में अपना अनशन समाप्त कर दिया।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ आयोग की परीक्षाओं के लिए बहु-भाषी पद्धति को लागू करने तथा आयोग द्वारा ली जाने वाली कुछ परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न को समाप्त करने से सम्बन्धित प्रश्न की जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चन्द्र की अध्यक्षता में एक विशेष समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी विस्तृत रूप से जांच की जा रही है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

[अनुवाद]

*112. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के सम्बन्ध में राज्य सभा की याचिका समिति द्वारा 9 अगस्त, 1989 को प्रस्तुत उसके सतानवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत सिफारिशों और इन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) शेष सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) याचिका समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

पर्वतीय राज्यों में बंद पड़े औद्योगिक एकक

[हिन्दी]

*114. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश व अन्य पर्वतीय राज्यों में कितने औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक रुग्णता से संबंधित आंकड़े रखता है। किन्तु, यह बंद औद्योगिक एककों के बारे में विशिष्ट आंकड़े इकट्ठे नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, दिसम्बर, 1988 के अन्त में हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी राज्यों में गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में 4 रुग्ण व कमजोर एकक थे जो बंद थे/समाप्त किए जाने वाले थे/जिन्हें समाप्त करने के आदेश जारी किए गए थे/जिनमें तालाबन्दी/हड़तालें इत्यादि थीं।

जहां तक लघु एककों का संबंध है, दिसम्बर, 1988 के अन्त में कुल 18,703 रुग्ण एकक थे जिनमें से 746 को जीव्यक्षम और 17,854 को अजीव्यक्षम पाया गया था तथा 103 एककों की जीव्यता के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है। 295 जीव्यक्षम एककों को उपचारी कार्यक्रम के अधीन रखा गया है।

(ख) राज्य सरकारों को राजसहायता दी जाती है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना तथा परिवहन राजसहायता योजना के अधीन इन राज्यों को 1989-90 तक की गई प्रतिपूर्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केंद्रीय निवेश राजसहायता योजना तथा परिवहन राजसहायता योजना के अधीन 1989-90 तक पहाड़ी राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना	परिवहन राजसहायता योजना
1.	हिमाचल प्रदेश	57.34	19.12
2.	असम	26.25	13.39
3.	जम्मू एव कश्मीर	59.42	2.98
4.	मणिपुर	3.33	0.07
5.	मेघालय	3.04	1.03
6.	मिजोरम	14.51	—
7.	नागालैंड	16.10	2.23
8.	सिक्किम	6.19	1.73
9.	त्रिपुरा	1.60	0.61
10.	अरुणाचल प्रदेश	2.50	2.31
	योग :	190.28	43.47

तमिलनाडु में उल्फा शिविर

[अनुवाद]

*115. **श्री पी०सी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान तमिलनाडु या किसी अन्य राज्य में किसी उल्फा शिविर का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(ग) पकड़े गए हथियारों का ब्यौरा क्या है और क्या उल्फा उग्रवादियों के लिए हथियार बनाने वाले किसी कारखाने का भी पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सेना द्वारा असम के कई जिलों में शिविर का पता लगाया गया है। असम के अतिरिक्त, मेघालय में एक शिविर का पता चला तथा वहां से चार कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। नवम्बर, 1990 के अन्त तक, शिविरों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों सहित, असम में चलाए गए अभियान में, 2765 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

(ग) और (घ) सरकार को उल्फा के किसी अवैध शस्त्र कारखाने के होने की जानकारी नहीं है। उल्फा के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए शस्त्रों की संख्या निम्न प्रकार है :

एल०एम०जी०	—	02
स्टेनगन	—	03
कारबाईन	—	06
असाल्ट राईफल्स/राईफल्स	—	09
पिस्तौल/रिवाल्वर	—	90
सेवा में प्रयोग न आने वाले हथियार	—	847
एयरगन	—	03
देसी बन्दूकें	—	04
आई०ई०डी० (8 आई०ई०डी० के कवचों सहित)	—	138
माईन-ए०पी०	—	01
बम/हथगोले	—	109
डिटोनेटर	—	136
असार्टेड विस्फोटक (प्लास्टिक, जी०सी, छड़ें)	—	40
अन्य विस्फोटक	—	298.31 कि०ग्रा०
फ्यूज वायर	—	90

वर्ष 1991 की जनगणना

*116. **श्री कल्पनाथ राय :**

श्री अम्बारासु इरा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1991 की जनगणना का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जनगणना संबंधी आंकड़े इकट्ठे करने का सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) प्रारंभिक आंकड़े कब तक उपलब्ध हो जाएंगे तथा अंतिम आंकड़े कब प्रकाशित हो जाएंगे; और

(घ) पिछली जनगणना की तुलना में इस जनगणना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी, हां। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे देश में 1991 की जनगणना का कार्य 9 फरवरी, 1991 से शुरू हो गया है। जम्मू और कश्मीर में यह कार्यअगस्त-अक्तूबर, 1991 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में, जनगणना का कार्य 5 मार्च, 1991 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) 1991 की जनगणना के अनन्तिम आंकड़े मार्च, 1991 के अन्त तक उपलब्ध कराना प्रस्तावित हैं। अंतिम आंकड़े 1992 के पूर्वार्द्ध से प्रारम्भ होकर 1995 के दौरान चरणों में प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) पिछली जनगणना की तुलना में 1991 की जनगणना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(I) 1991 की जनगणना में, पेंशन पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों, मजदूरी की तलाश में नए आने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध शौचालय सुविधाएं और खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन जैसे कुछ प्रश्नों को पहली बार जोड़ा गया है।

(II) संबंधित प्रश्नों को विस्तारित करके स्त्रियों और बच्चों की काम में भागीदारी की ओर 1991 की जनगणना में विशेष जोर दिया जा रहा है।

(III) प्रवास और प्रजननता प्रश्न सभी क्षेत्रों में पूछे जा रहे हैं और प्रवास के बारे में दो और कारण "व्यवसाय" और सूखा, बाढ़ आदि जैसी "प्राकृतिक विपदाओं" के बारे में पूछताछ से संबंधित प्रश्न को सम्मिलित किया गया है।

(IV) 1991 की जनगणना में काम करने वालों के आधारिक आंकड़ों को 9 औद्योगिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जबकि पिछली जनगणना में 4 औद्योगिक श्रेणियां थीं। समस्त देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक सामुदायिक विकास ब्लाक के आधारित आंकड़ों को भी पहली बार प्रस्तुत किया जाएगा।

(V) मुद्रित खण्डों में जनगणना आंकड़ों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त टैपों और डिस्केट्स इत्यादि के द्वारा भी बड़े पैमाने पर जारी करने का प्रस्ताव है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का वार्षिक विज्ञापन बजट

[हिन्दी]

*117. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का कुल वार्षिक बजट कितना है;

(ख) बड़े समाचार-पत्रों की तुलना में छोटे और मझौले समाचार पत्रों को विज्ञापनों के रूप में इस बजट का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है; और

(ग) छोटे और मझौले समाचार-पत्रों को राहत देने के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान समाचार-पत्रों को 16,50,93,320 रुपए के विज्ञापन जारी किए गए।

(ख) छोटे और मझौले समाचार-पत्रों का हिस्सा 49.40 प्रतिशत था।

(ग) विभिन्न प्रकार के समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को सरकारी विज्ञापन प्रचार की अपेक्षाओं तथा धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जारी किये जाते हैं और इन विज्ञापनों का प्रयोजन समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं की वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है।

अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती तथा उनकी संख्या

*118. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच महीनों के दौरान किन-किन शहरों में नागरिक प्रशासन की सहायता करने के लिए सेना तैनात की गई तथा कितनी अवधि और किस प्रयोजन के लिए तैनात की गई; और

(ख) देश में आज अर्द्ध-सैनिक बलों की बल-वार संख्या कितनी-कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए, राज्य सरकार के अनुरोध करने पर, सेना को तैनात किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) देश में अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या निम्न प्रकार है :

सीमा सुरक्षा बल	247 बटालियनें
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	103 बटालियनें
भारत तिब्बत सीमा पुलिस	24 बटालियनें
असम राईफल	31 बटालियनें
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	76,000 अधिकारी तथा कार्मिक (लगभग) यह बटालियन के ढांचे पर गठित नहीं है।

रुग्ण लघु उद्योग

[अनुवाद]

*119. **श्री मोरेश्वर सावे** :

श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने-कितने लघु उद्योग रुग्ण हैं;

(ख) उनकी रूग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) रूग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या पुनर्वास योजना सही तरीके से कार्यान्वित की जा रही है।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) रूग्णता संबंधी आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं। रूग्ण लघु औद्योगिकों एककों के सम्बन्ध में नवीनतम आंकड़े दिसम्बर, 1988 तक उपलब्ध हैं। रूग्ण लघु उद्योगों की संख्या के बारे में राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आंतरिक और बाह्य कारण जो अधिकतर साथ-साथ होते हैं लघु क्षेत्र में रूग्णता के लिए जिम्मेदार हैं। लघु क्षेत्र में पता लगाए गए रूग्णता के कुछ प्रमुख कारण ये हैं :—पर्याप्त कच्चे माल और कार्यशील पूंजी की कमी, विशेषकर बड़े एककों से माल मिलने में देरी, विपणन संबंधी समस्याएं, प्रबन्ध संबंधी कमियां, प्रौद्योगिकी का पुरानी होना, बार-बार बिजली की कटौती और उतार-चढ़ाव, श्रम संबंधी समस्याएं।

(ग) रूग्ण एककों को पुनर्जीवत करने के लिए किए गए उपायों में रूग्ण लघु औद्योगिक एककों की परिभाषा, जीव्यता मानदण्डों, प्रारम्भिक रूग्णता और सम्भावित जीव्यक्षम रूग्ण एककों के मामले में पुनर्स्थापना पैकेज के कार्यान्वयन के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों से राहत और रियायतों के विशिष्ट संदर्भ में लघु क्षेत्रों में रूग्ण एककों की पुनर्स्थापना के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी करना शामिल है।

भारत सरकार की सलाह पर जीव्य-क्षम रूग्ण लघु एककों के पुनर्जीवन के लिए पुनर्स्थापना पैकेज तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य-स्तरीय अन्तर संस्थागत समितियां स्थापित की है।

(घ) दिसम्बर, 1988 के अन्त में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पता लगाए गए 240573 रूग्ण लघु एककों में से 13033 रूग्ण लघु एककों को सम्भावित जीव्य-क्षम समझा गया। इनमें से 7788 एककों को उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एककों की संख्या
1	2	3
1.	असम	11642
2.	मेघालय	622
3.	मिजोरम	151
4.	बिहार	15670
5.	अरुणाचल प्रदेश	20
6.	पश्चिमी बंगाल	22370
7.	नागालैंड	500

1	2	3
8.	मणिपुर	1258
9.	उड़ीसा	8858
10.	सिक्किम	70
11.	त्रिपुरा	790
12.	अण्डमान और निकोबार	—
13.	उत्तर प्रदेश	23806
14.	दिल्ली	3777
15.	पंजाब	3814
16.	हरियाणा	2580
17.	चंडीगढ़	277
18.	जम्मू तथा कश्मीर	2690
19.	हिमाचल प्रदेश	960
20.	राजस्थान	11063
21.	गुजरात	5601
22.	महाराष्ट्र	19582
23.	दमन तथा दीव	33
24.	गोआ	824
25.	दादर तथा नगर हवेली	4
26.	मध्य प्रदेश	14292
27.	आन्ध्र प्रदेश	25234
28.	कर्नाटक	10010
29.	लक्ष-द्वीप	—
30.	तमिलनाडु	33032
31.	केरल	20735
32.	पांडिचेरी	308
	कुल	240573

लिट्टे उग्रवादियों द्वारा नौकाओं का प्रयोग

*120. **श्रीमती वेन्नुपति विद्या :**

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए लिट्टे उग्रवादी, तट रक्षकों द्वारा प्रयुक्त नौकाओं की अपेक्षा अधिक तीव्र गति वाली नौकाओं का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को तट रक्षकों की पूर्वी कमान की ओर से अधिक तीव्र गति वाली नौकाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उनके अनुरोध पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) ऐसा कोई विशेष उदाहरण ध्यान में नहीं आया है जिसमें लिट्टे उग्रवादी तट रक्षक संगठन द्वारा इस्तेमाल की जा रही नौकाओं की अपेक्षा अधिक तेज गति वाली नौकाओं का प्रयोग कर रहे हैं। फिर भी, एक अवसर पर एक गश्ती तट रक्षक पोत ने पाल्क खाड़ी में तीव्रगति से संचालित राडार सम्पर्क पकड़ा लेकिन चुनौती दिए जाने पर उसने अपना मार्ग बदल दिया।

जैविक-कीटनाशक प्रौद्योगिकी का विकास

891. **श्री आनन्द सिंह :**

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विश्वविद्यालय में जैविक-कीटनाशकों के लिए कोई स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए अब तक किए गए जांच एवं अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके वाणिज्यिक-निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मामुरपुर, नरेला, (दिल्ली) में प्लाट

892 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मामुरपुर, नरेला (दिल्ली) की अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के निवासियों को ग्राम सभा ने रिहायशी प्लाट दिए थे और असामाजिक तत्वों ने सफलतापूर्वक उन्हें इस जमीन से वंचित कर दिया है और वे बाहर के लोगों को बुलाकर उस पर उन्हें कब्जा दिला रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे तत्वों के खिलाफ और संबंधित अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को फिर से जमीन दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) यह सच है कि मामुरपुर, नरेला के अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के निवासियों को ग्राम सभा द्वारा रिहायशी प्लाट दिए गए थे। लेकिन दिल्ली प्रशासन को अभी तक इन आबंटितियों को असामाजिक तत्वों द्वारा इनके प्लाटों से वंचित कर दिए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित गांव और परिवार

[हिन्दी]

893. **श्री सत्य नारायण जाटिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों और परिवारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात में प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किए गए प्रबंधों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले गांवों तथा परिवारों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है :

राज्य का नाम	गांवों की संख्या	परिवारों की संख्या
मध्य प्रदेश	153	15832
महाराष्ट्र	33	2464
गुजरात	19	4722
	245	23018

(ख) विस्थापितों द्वारा चयन की गई भूमि के अनुसार, कृषि भूमि अधिग्रहित तथा खरीदी जा रही है। पुनर्वास गांवों का विकास, पुनर्वास गांवों में स्कूल, पार्क, कुएं, हैण्डपम्प, सम्पर्क सड़कें, आंतरिक सड़कें, पेड़, प्लेटफार्म जैसी नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण, रोजगारों में विस्थापितों को खपाना, उत्पादक परिसम्पत्तियों के लिए अनुदान, वासभूमि के गिराने से निकाली गई सामग्रियों सहित उनके व्यक्तिगत सामानों के निशुल्क परिवहन आदि पुनर्वास पैकेज के हिस्से हैं।

रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण

[अनुवाद]

894. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** . क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावी व्यास जल न्यायाधिकरण ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो कब और की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंचाट को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) अधिकरण को भेजे गए पंजाब समझौते के पैरा 9.1 और 9.2 के अनुसार रावी व्यास जल से संबंधित मामलों के सत्यापन तथा अधिनिर्णय पर अधिकरण के निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :—

I. संदर्भ : संदर्भ की मद सं० 1

(पंजाब समझौते का पैरा 9.1)

अधिकरण के सत्यापन का परिणाम इस प्रकार है :—

पहली जुलाई, 1985 को तीन पक्षकार राज्यों के किसानों तथा अन्य उपयोज्य प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग किए गए जल की मात्रा निम्न प्रकार थी :—

पंजाब : 3.106 मिलियन एकड़ फुट (वर्ष 1981 के करार की धारा (ii) के तहत तथा उसके अध्यधीन राजस्थान द्वारा स्वीकार किए गए 0.352 मिलियन एकड़ फुट अनुमत्य उपयोग शामिल हैं किन्तु उसमें 1.98 मिलियन एकड़ फुट विभाजन-पूर्व उपयोग तथा शाह नेहार नहर क्षेत्रों में 0.32 मिलियन एकड फुट शामिल नहीं है)।

हरियाणा : 1.620 मिलियन एकड़ फुट

राजस्थान : 4.985 मिलियन एकड़ फुट (इन आंकड़ों में 1.11 मिलियन एकड़ फुट विभाजन-पूर्व उपयोग शामिल नहीं है)

II. संदर्भ की मद सं०-2

(पंजाब समझौते का पैराग्राफ 9.2)

शेष जल में पंजाब तथा हरियाणा के हिस्सों के संबंध में उनके दावों के अधिनिर्णय पर, अधिकरण ने निम्नवत निर्णय तथा आबंटन किया है :—

पंजाब : 5.00 मिलियन एकड़ फुट

हरियाणा : 3 83 मिलियन एकड़ फुट

अधिकरण ने निदेश दिया है कि किसी विशेष वर्ष में रावी-व्यास प्रणाली में जल की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव होने पर उक्त दोनों राज्यों के हिस्से उपर्युक्त आधार पर यथानुपात बढ़ाए अथवा घटाए जाएंगे।

टिप्पणी : वर्ष 1981 के करार के अन्तर्गत अधिशेष जल में राजस्थान का नियत किया गया 8.60 मिलियन एकड़ फुट का हिस्सा तथा दिल्ली जल प्रदाय का नियत किया गया 0.2 मिलियन एकड़ फुट का हिस्सा अप्रभावित बना रहेगा। लेकिन 0.2 मिलियन एकड़ फुट विद्यमान उपयोग से अधिक, अतिरिक्त जल की आपूर्ति करने की दिल्ली प्रशासन की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था क्योंकि इसे अधिकरण के विषय क्षेत्र के बाहर समझा गया था।

(ग) और (घ) अधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर, संबंधित राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार ने अधिकरण से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश की मांग की है।

इफको द्वारा आंध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

895. **श्रीमती टी० मनेम्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने "इफको" से राज्य में अमोनिया/यूरिया के एक बड़े संयंत्र की स्थापना के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ था कि इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) को आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी (के० जी०) बेसिन से प्राकृतिक गैस पर आधारित उच्च स्तरीय यूरिया संयंत्र स्थापित करने की सलाह दी जाए। राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि चूंकि इफको ने अपने आंवला उर्वरक संयंत्र को दुगुना करने का प्रस्ताव किया है। अतः उनके वित्तीय और प्रबंधकीय स्रोत पूर्णतः व्यस्त रहेंगे और वे के० जी० बेसिन में परियोजना का उत्तरदायित्व निभाने में समर्थ नहीं होंगे।

राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले होटलों की लाभप्रदता

896. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच सितारा होटलों में मनो-विनोद के संबंध में सरकार द्वारा घोषित हाल के उपायों का राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले होटलों पर पड़े प्रभाव का कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन होटलों की लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले देश में 25 होटल हैं जिनका वह परिचालन भी करता है, जिनमें 5-स्टार श्रेणी के 9 होटल हैं और इन 5-स्टार होटलों में से 6 को सरकार से भोज का नियमित व्यवसाय मिलता रहता है। भारत पर्यटन विकास निगम ने सरकार द्वारा घोषित किए गए आर्थिक उपायों का उन 6 पांच स्टार होटलों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का अनन्तिम रूप से कुछ मूल्यांकन किया है जिन्हें विगत समय में नियमित रूप से सरकारी काम मिलता रहा है।

(ख) सरकारी व्यवसाय से संभावित कमी को पूरा करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. निजी सम्पर्क द्वारा व्यावसायिक घरानों से अधिक व्यवसाय हासिल करना; और

2. मंदी के दौरान विभिन्न कम्पनियों की वार्षिक आम बैठक, विद्यार्थियों तथा किसानों सहित स्वदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेजों की पेशकश करना।

सांस्कृतिक और खेलकूद पर्यटन का विकास

897. **श्री श्रीकांत वत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक और खेलकूद पर्यटन को विकसित करने की कोई केन्द्रीय योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की गई;

(ग) क्या यह योजना कर्नाटक में शुरू की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने शुरू से ही सांस्कृतिक पर्यटन से संबंधित पर्यटक केन्द्रों का विकास करने की स्कीमें हाथ में ले रखी हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना से सांस्कृतिक पर्यटन से अन्य पर्यटन की तरफ जोर दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं योजनावधि के दौरान सांस्कृतिक और खेल पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित स्कीमों को वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

रुपए लाखों में

परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1. उलसूर झील के लिए नौकाओं की व्यवस्था	1,23	1.23

परितोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
2. नंजनगुड़ स्थित श्रीकंठेश्वर मन्दिर की प्रकाशपुंज व्यवस्था	3.09	1.50
3. शृंगेरी में रेस्तरां का निर्माण और शौचालय सुविधाएं	6.00	2.00
4. हालेबिड़ मे होयसाला सास्कृतिक केन्द्र का निर्माण	33.00	5.00
5. बदामी पट्टादकल, हम्पी और बीजापुर में शौचालय एवं पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था	7.50	5.00
6. गोलगुम्बज की प्रकाश पुंज व्यवस्था	8.10	4.00
7. श्री रंगापट्टनम स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के निकट रेस्तरां का निर्माण	6.00	3.00
8. निर्माण—		
(क) पर्यटक विश्राम-गृह	32.46	8.00
(ख) केन्टीन ब्लाक; और		
(ग) कर्नाटक के अन्तर्गत हासन जिले स्थित बेलूर में पर्यटन विभाग के लिए पर्यटक डोर्मीटरी (24 बैड)		

राजस्थान में कृषि भूमि का विकास

[हिन्दी]

898. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत तीन वर्षों में सिंचित और असिंचित कृषि भूमि के विकास में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने मरुभूमि में सरलतापूर्वक उगाई जा सकने वाली फसलों के संबंध में अनुसंधान कराने का कोई प्रबंध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान क्रमशः 4351000 है०, 3995000 है० और 4365000 है० कुल सिंचित क्षेत्र मे बुवाई की गई। पिछले तीन वर्षों के

दौरान राजस्थान में गैर-सिंचित भूमि में 117807 है० क्षेत्र केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विकसित किया गया है ।

(ख) और (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय ने समुचित भू-उपयोग प्रणाली विकसित की है जिसमें कृषि वानिकी, वन चरागाह, बारानी बागवानी आदि शामिल हैं । चरागाह-घास की दो अधिक उपज देने वाली नई किस्में मारवाड अनजान तथा मारवाड धमन शुष्क क्षेत्रों के लिए निर्मुक्त की गई हैं । जिन कृष्य इलाकों में समुचित नमी है उनके लिए बाजरा, अरण्डी, ग्वार आदि की उन्नत किस्में संस्तुत की गई हैं ।

सरदार सरोवर परियोजना

[अनुवाद]

899. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना पर हो रहे काम को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जापान ने परियोजना को दी जा रही वित्तीय सहायता बन्द कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी हां । जापान ने मुख्य रूप से कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सरदार सरोवर परियोजना की प्रतिकूल टिप्पणियों तथा आलोचना किए जाने के कारण नवम्बर, 1990 में देय ऋण की दूसरी किस्त रोक दी है ।

राजस्थान को नदी जल की आपूर्ति

[हिन्दी]

900. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान को यमुना, गंगा और नर्मदा नदियों से जल उपलब्ध कराने की योजना पूरा करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) राजस्थान के बाड़मेर और जालौर जिलों में 74000 हेक्टेयर क्षेत्र को 616 मिलियन घन मीटर (05 मि० ए० फु०) नर्मदा जल प्रदान करने की एक स्कीम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी हाल ही में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई है । राज्य सरकार ने अपनी आठवीं योजना में इस स्कीम के लिए प्रावधान किया है । गंगा जल के संबंध में अधिशेष बाढ़ जल का निर्धारण करने

के केन्द्रीय जल आयोग के अध्ययन के अनुसार, राजस्थान को भेजने के लिए रायवाला अथवा नरौरा के बाहर पर्याप्त जल किफायती रूप से उपलब्ध नहीं है।

यमुना नदी के मानसून प्रवाहों का कुछ भाग ओखला से राजस्थान को पहले ही उपलब्ध है। संबंधित राज्यों के बीच यमुना जल के बंटवारे संबंधी मामले पर जल संसाधनों मे अन्तर्राज्यीय मामलों संबंधी स्थायी समिति की सितम्बर, 1990 में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। समिति के निदेशानुसार, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने वचनबद्ध प्रयोगों के संबंध में संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ हाल में विचार-विमर्श किया।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० के एककों के लिए पुनर्स्थापना योजना

[अनुवाद]

901. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की तीन यूनिटों के लिए पुनर्स्थापना योजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के तीन एककों के पुनर्वास संबंधी प्रस्ताव पर सरकार के मूल्यांकन अभिकरणों के साथ अन्तिम परामर्श किया जा रहा है।

(ग) अंतिम निर्णय के संबंध में कोई नियत तारीख इंगित नहीं की जा सकती।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में लोगों को रियायतें

[हिन्दी]

902. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण लोगों को भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कुछ रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत में पर्यटन की स्वीकृत सूची में कितने होटल हैं और किन-किन होटलों में ये सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में और अधिक ऐसी सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-सरकारी होटलों को भी ग्रामीण लोगों को इसी प्रकार की सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध कराने के अनुदेश जारी किए जायेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां ! सरकार ने 25.1.1991

से एक स्कीम शुरू की है, जिसके अन्तर्गत सप्ताह में दो दिन यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक होटल के विनिर्दिष्ट रेस्तराओं में से एक ग्रामीण अतिथियों को भोजन पर 50 प्रतिशत की छूट की पेशकश की गयी है। यह छूट केवल उन ग्रामीण लोगों को मिलती है, जो भारत पर्यटन विकास निगम के संबंधित होटल/रेस्तरां के निकट 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तथा वे ग्राम प्रधान द्वारा जारी और उस क्षेत्र के सरपंच द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र/प्रमाण पत्र, बेहतर होगा यदि उस पर फोटो चिपका हो, प्रस्तुत करके अपनी पहचान साबित करते हैं। तथापि, संघ शासित प्रदेश दिल्ली में अवस्थित होटलों/रेस्तराओं के मामले में, 50 किलोमीटर दूरी की शर्त लागू नहीं होती और भारत के किसी भी भाग से कोई भी वास्तविक ग्रामीण अतिथि इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। परिवार के मामले में इस सुविधा का लाभ उठाने वाले आश्रितों की संख्या परिवार के मुखिया सहित छः से अधिक नहीं होगी।

(ख) इस समय केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की अनुमोदित सूची में 675 होटल हैं। भाग (क) में ग्रामीण व्यक्तियों के लिए उल्लिखित रियायतें देश में केवल भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों/रेस्तराओं में लागू की गयी हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) जी नहीं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के होटल रियायतों/सुविधाओं की अपनी स्कीम का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार ऐसे अनुदेश उन पर बाध्यकारी नहीं हो सकते।

नारियल की खेती

[अनुवाद]

903. **श्री पी०सी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे क्षेत्र का जिसमें नारियल की खेती होती है राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) नारियल का किन-किन देशों को निर्यात किया जाता है;

(ग) नारियल उत्पादकों को इसका लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नारियल का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) चूंकि सरकारी तौर पर अनुमान उपलब्ध नहीं हैं, अतः कोको की खेती के तहत राज्यवार क्षेत्र के अनुमान मोटे तौर पर नीचे दिए गए हैं।

केरल	14,000 हैक्टेयर
कर्नाटक	1,600 हैक्टेयर
तमिलनाडु	400 हैक्टेयर

(ख) कोको तथा इसके उत्पादों का निर्यात नीदरलैण्ड, यू०के०, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग तथा रोमानिया को किया जा रहा है।

(ग) कोको की खरीद और विपणन को सहकारी समितियों के जरिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है। केन्द्रीय सुपारी तथा कोको विपणन एवं परिसंस्करण सहकारी समिति (कैम्पको) ने केरल और कर्नाटक में 23 खरीद केन्द्रों की स्थापना की है।

(घ) और (ङ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोको का उत्पादन 7000 मीटरी टन प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 12000 मीटरी टन करने का प्रस्ताव है। वर्तमान कोको उद्यानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित विकास सम्बन्धी उपायों में ये उपाय शामिल हैं (1) सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना (2) वैज्ञानिक खाद डालने तथा पौध संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन प्लाट तैयार करना (3) गुणवत्ता रोपण-सामग्री की सप्लाई करने के लिए क्लोनल बीज उद्यान की स्थापना करना (4) और कोको विपणन को बढ़ावा देना।

सोवियत संघ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोसायटियों एवं एजेंसियों द्वारा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन

904. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन करने हेतु सोवियत संघ द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा इनके गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) छात्रों के चयन हेतु इन एजेंसियों द्वारा क्या मापदंड अपनाए जाते हैं; और

(ग) भारत और सोवियत संघ की सरकारों द्वारा इन छात्रों को कौन-सी सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन सोवियत राजदूतावास तथा भारत-सोवियत सांस्कृतिक सोसायटी, फ्रेंड्स आफ सोवियत यूनियन, भारत-सोवियत सांस्कृतिक और शैक्षिक फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत-सोवियत चिकित्सा शिक्षा देखभाल और अनुसंधान फाउंडेशन, नई दिल्ली तथा यूनिवर्सल कम्बाइन, नई दिल्ली जैसे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है।

(ख) सरकार छात्रों के चयन के काम से जुड़ी हुई नहीं है।

(ग) इन छात्रों को सुविधायें सोवियत संस्थाओं तथा मास्को स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा उसी तरह दी जाती हैं जैसे सोवियत संघ में अन्य भारतीय छात्रों को दी जाती हैं।

तटवर्ती राज्यों में प्राकृतिक विपदाओं को रोकने की सुविधायें

905. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटवर्ती राज्यों में चक्रवात जैसे प्राकृतिक विपदाओं को रोकने, उनका प्रभाव कम करने तथा नियंत्रित करने की क्या सुविधायें उपलब्ध हैं;

(ख) क्या नहीं उपलब्ध सुविधायें पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जन और धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं को रोकने, उनका प्रभाव कम करने तथा उनसे निपटने हेतु प्रबन्ध करने के लिए तटवर्ती राज्यों में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

1. चक्रवात आश्रय स्थलों का निर्माण किया गया है, जिनका प्रयोग आश्रयालयों के रूप में किया जाता है। कई बार, सरकारी और विद्यालयी भवनों का भी आश्रयालयों के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2. जिला/तालुका मुख्यालय आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए बेतार सैटों से सुसज्जित हैं।

3. प्राकृतिक आपदाओं संबंधी राज्य और जिला स्तर की समितियां गठित की गई हैं।

4. राज्य मुख्यालयों में उपलब्ध आपदा चेतावनी प्रणाली को इंसैट-डी के साथ जोड़कर आवश्यकता अनुकूल उनाया गया है।

5. राज्य/जिला मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष रात-दिन काम करते है।

6. राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना की सहायता ली जाती है।

7. राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों के पास उपलब्ध नौकाओ का इस्तेमाल बचाव कार्यों में किया जाता है।

8. संवेदनशील इलाकों के नजदीक ही दवाइयो के साथ-साथ खाद्यान्नों, आवश्यक जिंसों के पर्याप्त भंडार रखे जाते हैं।

9. प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार/जिला प्राधिकारियों द्वारा आपदा-पूर्व अभ्यास किए जाते हैं।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकारें चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय समय पर अतिरिक्त चक्रवात-आश्रय-स्थलों का निर्माण, नावों के बेड़े में वृद्धि, संचार सम्बन्धी नेटवर्क आदि जैसी सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाती हैं।

केरल में पेयजल की आपूर्ति

906. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों को पेयजल की आपूर्ति करने के लिए राज्य में कौन-कौन सी नदियां उपयुक्त पायी गई है;

(ख) पेयजल प्रयोजनार्थ प्रत्येक नदी में से वास्तव में कितना प्रतिशत पानी निकाला जाता है; और

(ग) केरल में पेयजल की आपूर्ति में और अधिक वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) केरल में 41 पश्चिम और 3 पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के जल का

उपयोग पेयजल की सप्लाई के लिए किया जाता है। तथापि, समतली भूमि के कारण गर्मियों में इनमें से अधिकांश नदियों में पर्याप्त बहाव नहीं होता है। सूखे की अवधि में पेय जल की सप्लाई के लिए संभावित जल की व्यवस्था करने के संबंध में विस्तृत अध्ययन और जांच के पश्चात् इन नदियों में सब-सर्फेस डैम, चैक डैम आदि द्वारा उपयुक्त जल भंडारण करने की आवश्यकता है।

(ख) इस समय सभी नदियो से बहने वाले कुल वार्षिक जल का केवल लगभग 0.6 प्रतिशत जल ही लिया जाता है।

(ग) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार राज्य के सभी गावों को कम से कम पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य सरकार 377 लघु मध्यम और बड़ी ग्रामीण सप्लाई योजनाओं और 12 नगरीय जल सप्लाई में वृद्धि करने की योजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता दे रही है। आठवीं योजना के दौरान, योजना अवधि के लिए किए गए परिव्यय में ही नई योजनाएं शुरू करने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा जल एकत्रीकरण ढ़ांचों की योजना के अन्तर्गत बढ़ाया जा रहा है। विश्व बैंक, दि रॉयल नीदरलैंड गर्वनमेंट तथा डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से पेयजल सप्लाई के लिए कई द्विपक्षी और बहुपक्षीय वित्त पोषित परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। अलग-अलग वर्षों के लिए कार्य योजना के आधार पर आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों को पूर्ण रूप से कवर करने के लिए निधियां उपलब्ध की जाती हैं।

केरल में त्वरित डाक सेवा

907. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में किन-किन स्थानों पर त्वरित डाक सेवा चालू की गई है;

(ख) क्या सरकार का पुनालुर, काट्टारक्कारा और अट्टूर स्थानों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों में त्वरित डाक सेवा शुरू करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में त्वरित डाक सेवा शुरू करने के क्या मानदंड निर्धारित हैं ?

पेट्रोलियम और संचार मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां, राष्ट्रीय नेटवर्क के अन्तर्गत केरल में स्पीड पोस्ट सेवा निम्नलिखित स्थानों में कार्य कर रही है :—

कोच्चि, त्रिवेंद्रम, अल्वै, क्विलोन, त्रिचूर, और कालीकट। इस राज्य में निम्नलिखित स्टेशनों के बीच प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा भी है।

(i) कोट्टायम से कोच्चि और त्रिवेंद्रम के बीच।

(ii) अल्लैपी से कालीकट और त्रिवेंद्रम के बीच।

(iii) पालघाट से कालीकट, त्रिचूर और त्रिवेंद्रम के बीच।

(iv) तिरुर से कालीकट, कोच्चि और त्रिवेंद्रम के बीच।

(v) कन्नानूर से कालीकट, कोच्चि और त्रिवेंद्रम के बीच ।

(vi) कोच्चि से कोट्टायम, तिरुर और कन्नानूर के बीच ।

(vii) त्रिचूर से पालघाट के बीच ।

(viii) कालीकट से कन्नानूर, तिरुर, पालघाट और अल्लैपी के बीच ।

(ix) त्रिवेंद्रम से कोट्टायम, अल्लैपी, पालघाट, तिरुर और कन्नानूर के बीच ।

(ख) फिलहाल, इस राज्य में अन्य स्थानों पर, जिनमें पुनालूर, कोटारकारा और अदूर भी शामिल हैं, स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) परियात की व्यवहार्यता उसमें वृद्धि की संभावना और इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि विवरण 24 से 48 घंटे के बीच हो पाना संभव है कि नहीं ।

बंटाई काश्तकार प्रणाली का रिकार्ड रखना

908. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में बंटाई काश्तकार व्यवस्था का रिकार्ड रखने की कोई समान प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का रिकार्ड रखने के परिणामस्वरूप बंटाई काश्तकारों को होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों से बंटाई काश्तकार व्यवस्था का रिकार्ड रखने की ऐसी प्रणाली को लागू करने को कहेगी ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) भूमि रिकार्डों में दर्ज प्रविष्टियों से बंटाई काश्तकारों की मनमाने ढंग से बेदखली उनसे अधिक लगान की वसूली तथा अन्य शोषणकारी प्रवृत्तियों से बचाव होता है । उनकी वस्तुओं का मोलभाव करने की स्थिति में सुधार होता है । वे सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने तथा अपनी भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने में भी समर्थ हो जाते हैं ।

(ग) केन्द्र सरकार ने भी सभी प्रकार के अनौपचारिक/मौखिक काश्तकारों तथा बंटाई काश्तकारों को रिकार्ड में लाने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी है । जुलाई, 1990 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने भी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्य-मंत्रियों को लिखे पत्र में इस पहलू पर जोर दिया था ।

"धारा" खाद्य तेल की अनुपलब्धता

909. **श्री सी०पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धारा खाद्य तेल बाजार में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या "धारा" का भाव भी हाल ही में बढ़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) धारा तेल बाजार में उपलब्ध है ।

(ख) जी, हां । धारा का खुदरा मूल्य 18 फरवरी से निम्नवत संशोधित किया गया था :—

क्रम सं०	मद	पुराना मूल्य	संशोधित मूल्य
		(रुपए)	(रुपए)
1.	धारा एक लीटर दो बार छाना गया मूंगफली का तेल	32/-	35/-
2.	धारा सरसों का शोधित तेल (एक लीटर)	26/-	28/-

तथापि, धारा का मूल्य अन्य ब्राण्डों की तुलना में अभी भी 10/-रुपये प्रति लीटर कम है ।

(ग) धारा का मूल्य संशोधित करके इसलिए बढ़ाया गया कि खुले तेल के मूल्य भी धारा तेल के पैकों के मूल्य की तुलना में अधिक थे । अत: खुले तेल के मूल्य और धारा तेल के मूल्य में उचित साम्य लाने के लिए और अपमिश्रण के लिए कम मूल्य के तेल का संभाव्य गलत उपयोग रोकने के लिए राष्ट्रीयता डेयरी विकास बोर्ड ने इन मूल्यों को संशोधित करके बढ़ा दिया ।

उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात

[हिन्दी]

910. **श्री हर्ष वर्धन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक उत्पादन के लिए कच्चे माल के आयात पर प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी; और

(ख) सरकार इस खर्च को कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित कच्चे माल और मध्यवर्तियों के लागत तथा भाड़ा मूल्य नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	सी एण्ड एफ मूल्य करोड़ रु० में
1987-88	756.56
1988-89	1489.86
1989-90	1284.57

(ख) देश, रॉक फास्फेट और सल्फर के संबंध में जो फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए मूल कच्चे माल हैं, स्वावलम्बी नहीं है। जहां कहीं व्यवहार्य होता है स्वदेशी रॉक फास्फेट और पाइराइटस का भी इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आयात के स्तर और पद्धति का पुनरीक्षण करने के लिए सरकार द्वारा सचिवों की एक संचालन समिति गठित की गयी है ताकि स्रोतों की समग्र सीमाओं के अन्तर्गत उर्वरकों की इष्टतम उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

[अनुवाद]

911. **श्री बलवंत मणवर** : क्या संचार मंत्री 27 दिसम्बर, 1990 के आतारांकित प्रश्न सं० 19 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सलाहकार समिति, दिल्ली का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन सदस्यों को समिति में नियुक्त किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका गठन कब तक किया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली की टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही अधिसूचित किया जाएगा।

हल्दिया में दूरसंचार व्यवस्था

912. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में हल्दिया में दूरसंचार व्यवस्था की कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) हल्दिया काम्पलेक्स को तीन टेलीफोन एक्सचेंजों की सेवाएं प्राप्त हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

(i) हल्दिया (इंस्ट्रीज)—500 लाइनों का मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज-II (स्ट्रोजर)

(ii) हल्दिया (टाउनशिप)—500 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (एनईएक्स)

(iii) दुर्गा चौक—300 लाइनों का मुख्य आटोमेटिक एक्सचेंज- II (स्ट्रोजर)

सभी एक्सचेंजों के बीच जंक्शनों की संख्या पर्याप्त है और वे लिंक नंबरिंग स्कीम के अन्तर्गत जोड़े गए हैं।

हल्दिया टाउनशिप में पल्स कोड माड्यूलेशन प्रणालियों सहित 500 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज (एनईएएक्स) 29.12.90 को चालू किया गया था जिसमें इन दोनों के बीच जंक्शन के लिए दो अन्य एक्सचेंज भी शामिल हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्य दो एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

दूसरे हुगली पुल का निर्माण

913. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में दूसरे हुगली पुल का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के निर्माण में होने वाले अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हो गई है;

(घ) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार बढ़ती हुई लागत को पूरा करने के लिए चालू वर्ष और 1991-92 में भी कितनी धनराशि आवंटित करने का है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी, हां। जनवरी 1989 में हावडा पाइलोन इरेक्शन क्रेन के अचानक ढह जाने और ऊपरी ढांचे (सुपर स्ट्रक्चर) के लिए घटकों के निर्माण और प्रतिष्ठान में विलम्ब इस पुल के निर्माण में होने वाले विलम्ब के अनेक कारणों में से है।

(ग) और (घ) जी, हां। जिस पुल की पहले अनुमानित लागत 250 करोड़ रु० थी अब उसकी लागत 340 करोड़ रु० से अधिक होने का अनुमान है।

(ङ) केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत चालू वर्ष के लिए 22 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है और यह पूरी राशि राज्य सरकार को पहले ही जारी की जा चुकी है। 1991-92 के लिए बजट अनुमान को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

उर्वरकों में आत्मनिर्भरता

914. **श्री यशवंत राव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उर्वरकों का कितनी मात्रा में उत्पादन और आयात किया गया;

(ख) वर्ष 1991-92 में उर्वरक की कितनी मांग तथा कितना उत्पादन और आयात होने का अनुमान है; और

(ग) कितने समय तक इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) वर्ष 1989-90, और 1990-91 के दौरान न्यूट्रीऐंट्स के रूप में उर्वरकों के उत्पादन और आयात नीचे दर्शाये गये हैं :

(मात्रा लाख टनों में)

वर्ष	उत्पादन			आयात		
	एन	पी	के	एन	पी	के
1989-90	67·47	17.86	—	5.23	13.11	12.80
1990-91	57.80	17.02	—	3.98	9.53	11.54

(जनवरी 91 तक)

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान उर्वरकों की अनुमानित मांग और उत्पादन नीचे दिए गए हैं, यह आयातित कच्चे माल और मध्यवर्तियों की पूर्ण उपलब्धि की धारणा पर आधारित है।

(मात्रा लाख टनों में)

	एन	पी	के
मांग	83.59	38.60	14.74
उत्पादन	73.50	26.50	—

1991-92 के लिए आयात योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) 1990-91 और 1989-90 में यूरिया का कोई आयात नहीं किया गया जो कि नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। नाइट्रोजन की आवश्यकता को अधिकांश रूप से स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में भी मांग और स्वदेशी उपलब्धि के बीच कोई खास अन्तर नहीं होगा। तथापि, फासफेटिक उर्वरकों के लिए हमें, कच्चे माल, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों के रूप में अत्यधिक आयात पर निर्भर करना पड़ता है। जहां तक पोटासिक उर्वरकों को संबंध है हम पूर्णतः आयातों पर निर्भर है क्योंकि यह स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं है।

केरल में झींगा मछली की खेती

915. **श्री ए० विजयराघवन** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार से राज्य में झींगा मछली की खेती को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : जी, हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने कुवैती सहायता प्राप्त केरल झींगा पालन परियोजना, जो हाल ही के खाड़ी संकट की वजह से अनिश्चितता की स्थिति में आ गई थी, कि विकल्पों के रूप में दो परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. झींगा पालन के विकास की समेकित परियोजना

इस प्रस्ताव में 2.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तीन छोटी बहु-प्रजातीय झींगा हैचरियों, पूर्वी तट में एक पेनीड झींगा हैचरी, ताजे जल का झींगा ब्रूड-स्टाक तथा कल्चर फार्म, दो वर्तमान झींगा फार्मों का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण फार्मों में परिवर्तित करना और खारे जल के क्षेत्रों का सूक्ष्म-स्तरीय सर्वेक्षण करना, शामिल है। भारत सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत यथासम्भव धन देने के लिए इस प्रस्ताव को शामिल करने पर सहमत हो गई है।

2. केरल झींगा पालन परियोजना

इस परियोजना प्रस्ताव में 13.78 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तकनीकी सहायता द्वारा एक बड़ी बहु-उद्देश्यीय झींगा हैचरी, आदर्श झींगा फार्मों, खारे जल के झींगा फार्मों, विस्तार सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना करके 1,500 हैक्टेयर क्षेत्र में झींगा पालन (ताजे जल और खारे जल दोनों में) का विकास करने की परिकल्पना की गई है।

इस परियोजना प्रस्ताव की जांच कर ली गई है और द्विपक्षीय एजेंसियों से धन प्राप्ति हेतु उनके विचार जानने के लिए इसे परियोजना मूल्यांकन एजेंसियों को भेजा गया है।

केरल में नए टेलीफोन कनेक्शन

916. **श्री रमेश चेन्नी थाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नये टेलीफोन कनेक्शन देने सम्बन्धी लम्बित प्रार्थनापत्रों के निपटाने के लिए कोई ठोस योजना है;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान केरल में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन लगाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसका डिवीजनवार ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) आठवीं योजना का मसौदा इस उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 5000 लाइनों से कम क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में मांग आते ही टेलीफोन प्रदान कर दिए जाएं और 5000 तथा इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को औसतन एक वर्ष कर दिया जाए। इस प्रयोजन से आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाने के लिए विस्तार योजनाएं तैयार की जाती हैं।

(ख) और (ग) कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान, केरल में लगभग 30,000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इनके ब्योरे निम्नानुसार है :—

अलेप्पी	1800
कालीकट	2200
केन्नानौर	1700
एरनाकुलम	6100
कोट्टायम	4400

पालघाट	1000
पथनमथिट्टा	2100
क्विलोन	1600
त्रिचूर	2000
त्रिवेन्द्रम	7100
	30000

खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा डाई-अमोनियम फास्फेट का आयात

[हिन्दी]

917. **श्री आर०एन० राकेश :**

डा० चिन्ता मोहन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खनिज और धातु व्यापार निगम ने डाई-अमोनियम फास्फेट का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कुल मात्रा और मूल्य क्या है;

(ग) क्या इस आयातित डाई-अमोनियम फास्फेट को सीधे उपभोक्ताओं को वितरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस वर्ष कितना डाई-अमोनियम फास्फेट सीधे उपभोक्ताओं में वितरित किया गया; और

(ङ) उपभोक्ताओं की कुल कितने डाई-अमोनियम फास्फेट की मांग है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) जी हां। एम.एम टी.सी.ने वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 1990-91 (31-01-1991 तक) के दौरान 713.43 करोड़ रु० के लागत और भाड़ा मूल्य के साथ 20.14 लाख टन डाई-अमोनियम फास्फेट का आयात किया है।

(ग) से (ङ) आयातित उर्वरकों को सरकार द्वारा किये गये सम्पूर्ण आवंटन के भीतर राज्यों में संचालन अभिकरणों द्वारा अपने विपणन तंत्र द्वारा वितरित किया जाता है। उर्वरकों का वितरण सहकारी एजेन्सियों तथा निजी विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। कम्प्लैक्स उर्वरकों के कुछ निर्माताओं को आयातित डी.ए.पी.संचालन एजेन्सियों द्वारा सीधे उपलब्ध कराया जाता है।

सरदार सरोवर परियोजना के लिए विश्व बैंक दल

918. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत में सरदार सरोवर परियोजना की व्यापक रूप से पुनरीक्षा करने हेतु एक स्वतंत्र दल भेज रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) विश्व बैंक से ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लाल सागर में अमरीकी नौसेना द्वारा भारतीय कंटेनर वैसल की तलाशी

[अनुवाद]

919. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 जनवरी, 1991 को अमरीकी नौसेना ने लाल सागर में भारतीय कंटेनर वैसल को 6 घंटे तक रोके रखा था और उसकी तलाशी ली गई; और

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक नौवहन के लिए समुद्र में अमरीकी नौसेना द्वारा समुद्री कानूनों को इस उल्लंघन के विरूद्ध सरकार ने कोई विरोध प्रकट किया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) यह कार्रवाई अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा कानून का उल्लंघन नहीं थी क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 661 और 665 के प्रादेश के तहत की गई थी जिसमें इराक पर समुद्री सीमा प्रतिबंध लगाया गया था। तथापि, जिस ढ़ग से जांच-पड़ताल की गई उस पर सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है।

परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के बारे में पाकिस्तान से समझौता

920. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई द्विपक्षीय समझौता किया गया है जिसके अन्तर्गत दोनों देशों में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या इसकी पाकिस्तान द्वारा अभिपुष्टि की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के नाभिकीय प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर आक्रमण के निषेद्ध से सम्बद्ध करार पर 31 दिसम्बर, 1988 को हस्ताक्षर किए थे।

(ख) दोनों पक्षों ने इसके अंतर्गत यह वचन दिया था कि वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, न ऐसी किसी कार्रवाई को प्रोत्साहित करेंगे और न उसमें शामिल होंगे जिसका उद्देश्य दूसरे देश के किसी नाभिकीय प्रतिष्ठान अथवा सुविधा का विनाश करना अथवा उसको क्षति पहुंचाना होगा। दोनों देशों को अपने-अपने नाभिकीय प्रतिष्ठानों और सूची का आदान-प्रदान अभी करना है।

(ग) भारत और पाकिस्तान दोनों ने इस करार का अनुसमर्थन कर दिया है। 27 जनवरी, 1991 को दोनों देशों ने इस करार के अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया और उसी तारीख से यह करार प्रभावी हो गया।

भारी हिमपात से हुआ नुकसान

[हिन्दी]

921. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सर्दी के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अभूतपूर्व बर्फ गिरी है और वर्षा हुई है और उससे इन क्षेत्रों में फसलों को नुकसान हुआ है;

(ख) यदि पां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इन क्षेत्रों में लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा देने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या राहत उपाय किए गए हैं और अब तक इन राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, भारत में इस मौसम की शीत लहर असामान्य नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राहत खर्च के लिये धन-व्यवस्था के बारे में वर्तमान नीति के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में एक आबंटित धनराशि के साथ एक आपदा-राहत कोष बनाया गया है, जिसके 75 प्रतिशत के बराबर अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा नान-प्लान अनुदान के रूप में दिया जाता है और 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों में से दिया जाता है और यह कोष शीत लहर, ओला-वृष्टि, हिमखण्ड गिरने आदि सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राहत कार्यों हेतु धन-व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक राज्य स्तरीय समिति राहत खर्च के लिए धन-व्यवस्था करने से संबंधित, सहायता के मानदण्डों सहित सभी मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिये शक्तिसम्पन्न है। केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों को वर्ष 1990-91 के लिये राज्यों के आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की सभी चार तिमाही किश्तें पहले ही निर्मुक्त कर चुकी है।

शाही आस्ट्रेलियाई वायु-सेना के विमान को भारत में खड़ा करना

[अनुवाद]

922. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या विदेश मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन की सप्लाई में कमी के कारण रायल आस्ट्रेलियन एअर फोर्स के एक विमान को भारत में हवाई अड्डे पर खड़ा कर दिया गया था और बदले में आस्ट्रेलियन ट्रेड यूनियन्स ने सिडनी में उतरने वाले एअर-इंडिया के जेट विमानों की देखरेख न करने की धमकी दी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) शाही आस्ट्रेलियायी वायुसेना का एक विमान 17 जनवरी, 1991 को बम्बई में उतरा था। यह साइप्रस जाते हुए यहां रुका था जहां उसे इस बात के लिए तैयार रहना था कि अगर जरूरत पड़ जाए तो वह खाड़ी से असैनिकों को ले जा सके। इस विमान को भारतीय वायु सीमा से होकर गुजरने की और दिल्ली में

तकनीकी रूप से उतरने की स्वीकृति इस शर्त पर दी गई थी कि विमान को उड़ान के लिए ईंधन नहीं दिया जा सकेगा। तथापि, मौसम खराब होने की वजह से इस विमान को दिल्ली की बजाय बम्बई भेज दिया गया था जहां उसने ईंधन के लिए भी अनुरोध किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसकी उड़ान का उद्देश्य मानवीय था उसे ईंधन भरने की सुविधा दे दी गई थी। इस आस्ट्रेलियाई विमान को बम्बई में देर हो गई क्योंकि उसे तब तक अफगानिस्तान की सरकार की ओर से इस बात की अनुमति नहीं मिली थी कि वह उसके वायु क्षेत्र से होकर गुजर सकता है।

आस्ट्रेलिया के मजदूर संघों ने आस्ट्रेलिया की शाही वायु सेना के इस विमान के बम्बई में विलम्बित हो जाने के कारणों के बारे में गलत सूचना दी तथा 18 जनवरी, 1991 को सिडनी जाने वाली एयर इंडिया की एक नियमित उड़ान को ईंधन भरने की सुविधा न देने की धमकी दी। लेकिन आस्ट्रेलिया की सरकार के हस्तक्षेप करने पर इस विमान को तेल दिया गया और वह अपने निर्धारित समय पर सिडनी से रवाना हो सका। हमें यह सूचना मिली है कि इन मजदूर संघों के प्राधिकरण को जब आस्ट्रेलिया की शाही वायु सेना के इस विमान के विलम्ब के कारण बताए गए तो उन्होंने खेद व्यक्त किया है।

(ख) भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया की सरकार से इसके बारे में सम्पर्क किया था जिसने एयर इंडिया के विमान को लेकर हुई इस घटना पर खेद व्यक्त किया है तथा आस्ट्रेलिया की शाही वायु सेना के इस विमान को दी गई सहायता के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की है।

न्हावा शेवा बन्दरगाह में आग लगना

[हिन्दी]

923. **श्री छेदी पासवान** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा शेवा बन्दरगाह में 5 जनवरी, 1991 को आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाया है या उठा रही है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां। 4.1.1991 को न्हावा शेवा में जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास के सल्फर शैड में आग लग गई थी।

(ख) और (ग) जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि यह आग रोलर पर बैल्ट के चलने से उत्पन्न घर्षणात्मक ऊष्मा के कारण ट्रिपर कार में सल्फर धूल के कणों के ज्वलन के कारण लगी थी। लास प्रिवेंशन एसोसिएशन द्वारा एक और जांच की जा रही है जिसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) "लास प्रिवेंशन एसोसिएशन" सुरक्षा पहलू की भी जांच करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा। इस पत्तन के पास सल्फर शेड में एक इनबिल्ट फायर अलार्म प्रणाली और अग्नि शमन के लिए स्वचालित वाटर स्प्रिंकलर प्रणाली है और जब कभी सल्फर उतारा जाता है, पत्तन की अग्नि शमन इकाई को बल्क हैंडलिंग बर्थ पर तैयार रखा जाता है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा फल और सब्जियों का विपणन

[अनुवाद]

924. **श्री भवानी शंकर होटा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का देश के 10 शहरों में फलों और सब्जियों का विपणन करने का विचार है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस संबंध में वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दिल्ली में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की फल और सब्जी परियोजना का कोई आंकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती लाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड देश के प्रमुख शहरों में फल तथा सब्जियों के विपणन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन तैयार कर रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) विश्व बैंक ने, राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-I के तहत उपलब्ध ऋण में से व्यवहार्यता अध्ययन में धन लगाने के लिए सहमति दे दी है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की दिल्ली में फल और सब्जी की परियोजना एक मार्गदर्शी परियोजना है। यह परियोजना, फल तथा सब्जी की खरीद, भण्डारण और विपणन तन्त्र के परिचालन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी। इसलिए, इस परियोजना का मूल्यांकन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

दियगो गार्शिया में अमरीकी अड्डे के संबंध में भारत की नीति

925. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दियगो गार्शिया में अमरीकी अड्डे के संबंध में केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान अमरीका द्वारा हाल के खाड़ी युद्ध के दौरान इस अड्डे की सुविधा का दुरुपयोग करने संबंधी समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की संयुक्त राष्ट्र की 1971 की घोषणा के प्रति अपने समर्थन के अनुरूप हम हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों का अब भी विरोध करते हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं कि दियगो गार्शिया अड्डे का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध के लिए किया जा रहा है। दियगो गार्शिया में अमरीकी सैनिक अड्डे के संबंध में सरकार की स्थिति सुविदित है।

नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाएं

926. **श्री उत्तम राठौड़ :**

श्री आनन्द सिंह :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य के कब तक शुरू होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो पर्यावरणविदों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल [परिवहन [मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने पहले ही पंचाट दे दिया है और तदनुसार सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सरदार सरोवर परियोजना पर पहले ही कार्य शुरू हो चुका है तथा लगभग 12% प्रगति प्राप्त हुई है। नर्मदा सागर परियोजना के मामले में, व्यपवर्तन प्रबन्ध, कालोनियों का निर्माण जैसे निर्माण-पूर्व कार्य प्रगति पर हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के जामनगर जिले के गांवों में डाक संबंधी सुविधाएं

928. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जामनगर जिले के कुछ गांवों में डाक संबंधी सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों के नाम क्या हैं;

(ग) इन गांवों को डाक संबंधी सुविधाएं कब तक दी जाएंगी।

(घ) वर्ष 1985 से 1990 की अवधि के दौरान किन-किन गांवों में ऐसी डाक सम्बन्धी सुविधाएं दी गई हैं और इस कार्य हेतु कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ङ) 1991-92 और 1992-93 की अवधि के दौरान गांवों में, विशेषकर जामनगर जिले में डाकघरों की व्यवस्था करने और डाक संबंधी सुविधाएं देने की कोई योजना बनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जयप्रकाश) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1985 से 1990 के दौरान कोई नया डाकघर नहीं खोला गया था।

(ङ) और (च) वार्षिक योजना 1990-91 के दौरान इस समय जामनगर जिले में अतिरिक्त डाकघर और डाक सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 1991-92 और 1992-93 की योजनाओं के बारे में अभी बताया नहीं जा सकता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर उप-मार्ग का निर्माण

[हिन्दी]

929. **श्री भाउसाहेब पुंडलिक फुंडकर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के अकोला जिले में रिधोरा गांव के पास उपमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर रिधोरा नदी पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस संबंध में निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी हां। इस कार्य पर लगभग 8 करोड़ रु० की लागत आने की सम्भावना है।

(ग) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए यह बताना अभी सम्भव नहीं है कि किस तारीख से निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा।

खाड़ी युद्ध की समीक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक

[अनुवाद]

930. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संकल्प 678 के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या कुवैत की मुक्ति से संबंधित संकल्प के अनुच्छेद 4 के अधीन यथा अपेक्षित इस संकल्प के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सरकार तत्काल सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) खाड़ी युद्ध के कारण हुए भारी विनाश से भारत सरकार को गहरी चिन्ता हुई है। सुरक्षा परिषद के संकल्प 678 का उद्देश्य कुवैत को मुक्त कराना है, इराक को दबाना नहीं। सैन्य-संचालन पूरी तरह सुरक्षा परिषद के संकल्प 678 के अनुरूप ही होनी चाहिए। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि सुरक्षा परिषद में इस मामले पर निरन्तर निगाह रखी जानी चाहिए।

चम्बल क्षेत्र में भू-क्षरण

[हिन्दी]

931. **श्री छविराम अर्गल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि भू-क्षरण के कारण बीहड़-दर्रों में परिवर्तित हो रही है;

(ख) क्या सरकार की बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत भू-क्षरण को रोकने के लिए कोई परियोजना है; और

(ग) क्या सरकार डाकू उन्मूलन योजना के अन्तर्गत चम्बल के दर्रों को भरने हेतु विशेष बजट प्रावधान करेगी ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) बीहड़ों के आस-पास की कृषि भूमि को बीहड़ों के फैलने से खतरा है ।

(ख) बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना सात राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में 1980-81 से भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायता से चल रही है ।

(ग) चम्बल नदी के किनारों के पास वाले बीहड़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के डाकू प्रवण क्षेत्रों के बीहड़ों के सुधार की योजना के अन्तर्गत आते हैं जो 1987-88 से वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर राज्य सरकारों के लिए शत प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ चल रही है । कम गहरे बीहड़ों में कृष्य भूमि तथा पठारी भूमि को समतल बनाना इस योजना का एक घटक है ।

कृषि के विकास के लिए भानु प्रताप सिंह समिति

[अनुवाद]

932. **श्री शंकर सिंह वघेला** :

श्री लाल कृष्ण आडवानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भानु प्रताप सिंह समिति द्वारा कृषि के विकास के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार की प्रत्येक सिफारिश के प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक प्रत्येक सिफारिश के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) उस समिति ने कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्यों को समता मूल्य के साथ जोड़ने, वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा पद्धति, अधिक उत्पादन, आय और रोजगार के लिए नई कार्यनीति, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय कृषि नीति के निरूपण आदि की सिफारिश की है ।

(ख) और (ग) उस समिति की सिफारिशों की छान-बीन की जा रही है ।

सड़क दुर्घटनाएं

933. श्री दिलीप सिंह भूरिया :

श्री कल्पनाथ राय :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री हरीश पाल :

श्री मदन लाल खुराना :

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री बी० देवराजन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं में गत वर्ष बड़ी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इतने अधिक व्यक्तियों के सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने के कारणों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार गत दो वर्षों के दौरान कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए; और

(घ) देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । सड़क दुर्घटनाओं के प्रकार के बारे में राज्य सरकारें और पुलिस प्राधिकारी सूचना एकत्र करते हैं । सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण ये हैं :—(1) ड्राइवर तथा अन्य सड़क प्रयोक्ताओं की गलती, (2) अंधाधुन्ध और लापरवाही के साथ ड्राइविंग, (3) खराब सड़कें, (4) अत्यधिक तेज गति (ओवर स्पीडिंग), (5) वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे मुख्य कदम ये हैं :—

(1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने के संबंध में कड़ी अपेक्षाओं का और अपराधों के लिए कड़े दण्ड का प्रावधान है ।

(2) परिवहन वाहनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु किसी ड्राइविंग स्कूल में औपचारिक प्रशिक्षण को एक पूर्वापेक्षा बनाया गया है ।

(3) हल्के वाणिज्यिक वाहनों सहित ट्रकों के लिए अधिकतम सुरक्षित लदान भार निर्धारित किए गए हैं ।

(4) हल्के मोटर वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमायें निर्धारित की गई हैं।

(5) देश भर में वाहनों की फिटनेस की जांच करने के लिए एक समान समयावधि निर्धारित की गई है।

(6) यह निर्दिष्ट किया गया है कि वाहनों में सड़क सुरक्षा उपकरण लगाए जायेंगे जैसे दो पहिया वाहनों के लिए ब्लिंकर प्रणाली सहित दिशा सूचक, वाहनों के लिए दोहरी ब्रेक प्रणाली, खतरनाक अथवा जोखिम वाले सामान ढो रहे कैरिजों पर विशेष लेबल लगाना।

(7) सड़क सुरक्षा सम्बन्धी उपाय तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है, राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषदें गठित करें।

(8) सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता पैदा करने की दृष्टि से देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह आयोजित किए जाते हैं।

(9) सड़कों की दशा में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि यातायात सुचारु रूप से चलता रहे।

विवरण

1988-89 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए तथा घायल व्यक्तियों की संख्या

	1988			1989		
	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	11912	4058	12836	13423	4458	14287
2. अरूणाचल प्रदेश	147	51	184	239	59	307
3. असम	1861	865	2621	1956	895	2459
4. बिहार (ए)	9890	2401	5065	2552 (पी)	2183 (पी)	4892 (ई)
5. गोवा	1816	154	621	1813	169	1644
6. गुजरात (बी)	19758	3004	20681	23823	3509	25673
7. हरियाणा (ए)	3898	1587	3991	4402 (पी)	1728 (पी)	4507 (ई)
8. हिमाचल प्रदेश (ए)	909	386	1427	1060	469	2008
9. जम्मू और कश्मीर	8494	563	3800	3615	491	3889
10. कर्नाटक	17134	3281	21461	20902	3655	23734
11. केरल	14327	1553	19346	16218 (पी)	2501 (पी)	21899 (ई)

1	2	3	4	5	6	7
12. मध्य प्रदेश (ए)	21445	2902	18175	20265	2709	18243
13. महाराष्ट्र (पी)	59094	5133	33472	59045	5785	36145
14. मणिपुर	426	88	603	430	129	583
15. मेघालय	202	70	347	646	98	679
16. मिजोरम	234	104	393	98	38	166
17. नागालैंड	69	17	54	263	92	192
18. उड़ीसा	5069	971	6463	5737	1171	1918
19. पंजाब	1482	908	1058	1622	819	994
20. राजस्थान (ए)	8394	2601	9317	9593	3023	10681
21. सिक्किम	120	49	225	105	38	197
22. तमिलनाडु	28581	5791	26285	32962	6299	26640
23. त्रिपुरा	393	103	596	449	136	599
24. उत्तर प्रदेश (ए)	15014	7420	11870	15205 (पी)	6684 (पी)	12021 (ई)
25. पश्चिम बंगाल	8780	2243	5893	8546 (पी)	2429 (पी)	5736 (ई)
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ए)	144	12	173	124	15	129
27. चंडीगढ़	253	91	194	277	76	214

1	2	3	4	5	6	7
28. दादरा और नगर हवेली	88	13	85	61	10	90
29. दमन और दीव	41	7	33	66	9	58
30. दिल्ली (ए)	6716	1474	6830	7192	1581	7378
31. लक्षद्वीप	3	शून्य	3	2	शून्य	5
32. पांडिचेरी	578	104	589	663	82	707
कुल	242252	48114	214791	260354	51290	233594

सेन्ट्रल इन्सटिच्यूट आफ फिशरीज, नॉटिकल इंजीनियरिंग एण्ड ट्रेनिंग (सिफनेट) मद्रास द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना

934. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इन्सटिच्यूट आफ फिशरीज, नॉटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग (सिफनेट), मद्रास द्वारा युवाओं को मछली पकड़ने वाले पोतों का संचालन करने के लिए कप्तानों, इंजीनियरों तथा रेडियो आपरेटरों जैसे तकनीकी कर्मीदल के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या "पोत के अन्दर प्रशिक्षण" इस प्रशिक्षण का एक भाग है जिसके लिए सिफनेट के पास पर्याप्त प्रशिक्षण पोत नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अवक्रय कम्पनियों को उनके अति आधुनिक पोतों पर प्रशिक्षण के लिए पच्चीस प्रतिशत भारतीय कर्मीदल को नियुक्त करने पर बल दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या अवक्रेता कम्पनियों द्वारा ऐसे कैडेटों/कर्मीदलों के साथ बुरा व्यवहार करने की शिकायतें आ रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सिफनेट, मद्रास से निकलने वाले ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) यह संस्थान संस्थागत प्रशिक्षण अवधि के दौरान जलयान में प्रशिक्षण देता है जिसके लिए इसके पास मत्स्यन जलयानों का अपना बेड़ा है। यह संस्थान संस्थागत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार के अन्य संस्थानों के जलयानों, किराए पर लिए गए मत्स्यन जलयानों आदि में जलयान पर प्रशिक्षण के जरिए अपेक्षित समुद्र समय हासिल करने में भी मदद करता है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) खाद्य परिसंस्करण उद्योग मन्त्रालय को कथित बुरे व्यवहार के बारे में एक शिकायत मिली है। जांच के बाद संबंधित जलयान का परमिट निलम्बित कर दिया गया था। खाद्य परिसंस्करण उद्योग मन्त्रालय ने विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराए पर लेने वाले सभी लोगों को यह हिदायतें भी दी हैं कि केन्द्रीय मात्स्यिकी समुद्री इन्जीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को विदेशी स्किपरों, इन्जीनियरों और रेडियो आपरेटरों के स्थानापन्न अध्येताओं के रूप में तैनात किया जाए।

खाड़ी देशों से वापस आए भारतीयों का पुनर्वास

935. **प्रो० गोपालराव मायकर** :

श्री कल्पनाथ राय :

प्रो० पी० जे० कुरियन :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की खाड़ी देशों से वापस आए भारतीयों के पुनर्वास की कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सम्पत्ति की हुई क्षति का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकार ने खाड़ी देशों से प्रत्यावर्तित भारतीयों के पुनर्वास की अभी कोई योजना शुरू नहीं की है।

(ग) मौजूदा परिस्थितियों में प्रत्यावर्तित भारतीयों द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्ति के मूल्य का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अधिक राशि के बिल बनाए जाने की शिकायतें

[हिन्दी]

936. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम द्वारा अधिक राशि के बिल बनाए जाने की क्षेत्र-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) कितनी शिकायतों को निपटाया गया, कितनी लम्बित पड़ी हैं और कितनी विचाराधीन हैं; और

(ग) शेष शिकायतों को कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जयप्रकाश) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) बिलों से संबंधित सभी लम्बित शिकायतों को लगभग 2 महीने में निपटाए जाने की सम्भावना है।

विवरण

क्षेत्र	पिछला शेष	अधिक बिल आने संबंधी प्राप्त शिकायतों की सं०			अधिक बिल संबंधी निपटाई गई शिकायतों की संख्या			31.1.91 को लम्बित शिकायतों की सं०
	1.4.88	1988-89	1989-90	1990-91 (जनवरी, 91 तक)	1988-89	1989-90	1990-91 (जनवरी, 91 तक)	
केन्द्रीय क्षेत्र	286	3407	2303	1561	3472	2258	1578	249
दक्षिण	462	3763	4909	3201	3650	4744	2675	1246
उत्तर	371	4350	3997	2851	4256	4063	2731	519
पश्चिम	375	6403	3880	3013	6155	3691	2449	1376
पूर्व	622	4807	3243	1918	4931	3398	1840	421
योग	2116	22730	18332	12544	22464	18154	11293	3811

उपर्युक्त अवधि में जारी किए गए बिलों की संख्या इस प्रकार है :—

24,12,083 (1988-89)	25,35,317 (1989-90)	17,57,483 (1990-01) (नवम्बर, 90 तक)

महाराष्ट्र के वन तथा आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

937. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तांतरण न किए जाने के कारण ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा वन तथा आदिवासी क्षेत्रों से होकर जाने वाली सड़कों के निर्माण में समस्यायें उत्पन्न हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई सड़कों का तेजी से निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जिसका अब जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया है, के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तांतरण न किए जाने के कारण सड़कों के निर्माण में उत्पन्न होने वाली किसी मुख्य समस्या को भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है। वन भूमि सुलभ न होने के कारण पेठसुरगना रोड पर पार नदी पर एक पुल के निर्माण कार्य के रुक जाने के मामले की एक सूचना अक्तूबर, 1989 में प्राप्त हुई थी। ऐसे मामलों में जहां निर्माण कार्यों में वन भूमि आती है, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती है। वाथर-भदेला-दियाकल-राजपुर रोड पर सड़क निर्माण के लिए केवल एक प्रस्ताव को अनुमति हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा गया है और इस मामले पर पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

नए डाकघर खोलना

[अनुवाद]

938. **श्री बी० देवराजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ और डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में डाकघरों के लिए कितने भवनों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना मसौदे के अनुसार 1990-95 की अवधि के दौरान 10,000 शाखा डाकघर और 1,000 उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) वर्ष 1990-91 में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निकट भविष्य में अर्थात् 1991-92 के दौरान 130 नए डाक भवनों का निर्माण कार्य शुरू करने तथा जिन डाक घर भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, उन्हें पूरा करने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1990-1991 के दौरान डाकघर खोलने के लिए सर्किल/राज्यवार लक्ष्य

सर्किल	खोले जाने वाले शाखा डाकघरों की संख्या
आन्ध्र	40
असम	40
बिहार	150
गुजरात	100
हिमाचल प्रदेश	25
हरियाणा	25
कर्नाटक	30
मध्य प्रदेश	100
महाराष्ट्र	150
उत्तर पूर्व	60
उड़ीसा	70
पंजाब	25
राजस्थान	75
तमिलनाडु	50
उत्तर प्रदेश	400
पश्चिम बंगाल	80
केरल	50
जम्मू तथा कश्मीर	25
दिल्ली	5

वल्लारपद्म (कोचीन) में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर नौकान्तरण टर्मिनल

939. **प्रो०के०वी० थामस** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डच सलाहकारों से वल्लारपद्म (कोचीन) में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर नौकान्तरण टर्मिनल की संभाव्यता संबंधी पूरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्नों का उत्पादन

940. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, कर्नाटक और असम में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) और (ख) कर्नाटक और असम राज्यों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन में क्रमश: 0.54 और 1.33 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर होने की सूचना दी है। लेकिन, चावल के तहत आने वाले क्षेत्र में कमी आने के कारण केवल केरल में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि नकारात्मक है।

(ग) केरल, कर्नाटक और असम में समेकित चावल विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम और कर्नाटक में दहलन, मक्का और कदन्न संबंधी विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम शुरू करके उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर इन राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

पलामू (बिहार) से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग

[हिन्दी]

941. **श्री जोरावर राम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पलामू जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) क्या इस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कोई प्रस्ताव; है और

(ग) यदि हां, तो इसकी लम्बाई कितनी होगी तथा इन सड़कों का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) बिहार में पलामू जिले से होकर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

942. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास आंध्र प्रदेश की अनेक बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान किन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(घ) उपरोक्त विचाराधीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख),(घ) (ङ) केन्द्र के पास तीन बृहद तथा चार मध्यम परियोजनाओं में से, जुराला नामक एक बृहद परियोजना, अन्यों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा पर्यावर्णीय तथा वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करने के अध्यधीन परामर्श समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गई है। तेलुगु गंगा तथा वम्सधारा चरण-II नामक दो परियोजनाओं का यद्यपि तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया है, फिर भी इसमें शामिल अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, वम्सधारा चरण-II के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यावर्णीय स्वीकृति भी प्राप्त की जानी है। मोदीकुन्तावागु, पालेमवागु, येरावागु, तथा भूपतिपालेम नामक शेष चार मध्यम परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना की जानी है तथा वन स्वीकृति भी प्राप्त की जानी है।

(ग) सिंगुर बृहद सिंचाई परियोजना तथा वद्धंराजस्वामी गुडी मध्यम सिंचाई परियोजना।

बिलासपुर जिले में स्वरघाट में टेलीफोन व्यवस्था

[हिन्दी]

943. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्वरघाट में टेलीफोन व्यवस्था मई, 1990 से खराब है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब तक कार्य चालन योग्य हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) स्वरघाट में 25 लाइन का एक टेलीफोन एक्सचेंज सामान्य रूप से काम कर रहा है। लेकिन स्वरघाट और बिलासपुर के बीच जंक्शन सर्किट मई, 90 से खराब है।

(ख) स्वरघाट और बिलासपुर के मध्य जो वी.एच.एफ.लिंक है, वह 1984 में मैसर्स आई. टी. आई. द्वारा प्रदान की गई जांच प्रणाली है। चूंकि इस प्रणाली का विनिर्माण करना बंद कर दिया गया है, अतः इसकी खराबियों को दूर करने के लिए पुरजे उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) मौजूदा वी एच.एफ. प्रणाली के स्थान पर एक नई वी.एच.एफ. प्रणाली लगाई जा रही है जिसके इस वर्ष उपलब्ध हो जाने की संभावना है और इस प्रणाली को मई, 1991 तक प्रचालन में लाने की आशा है।

भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक

[अनुवाद]

944. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1989 और 1990 के बीच कितने विदेशी पर्यटक भारत आए; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इसी अवधि में कितने विदेशी पर्यटक भारत आए थे ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर, भारत आए विदेशी पर्यटकों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या
1988	12,39,992
1989	13,37,232
1990	13,29,950

ये आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं।

बम्बई में "अम्बाब बेट माड़" पर लाइट हाउस का निर्माण

[हिन्दी]

945. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट "अम्बाब बेट माड़" पर लाइट हाउस के निर्माण की परियोजना राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 3,46,785 रु० की लागत की यह परियोजना लघु पत्तनों पर फिशिंग क्राफ्ट्स के लिए लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाओं हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विचार किए जाने के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय को फरवरी, 1988 में भेजी थी। भारत सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत इस प्रयोजन के लिए वित्तीय सहायता सुलभ करायी जा सके। तदनुसार भारत सरकार ने जनवरी, 1991 में राज्य सरकार को सूचित किया कि स्थानीय लाइट्स के स्थान को दृष्टिगत रखते हुए फिशिंग पत्तनों के उपयोग के लिए उन्हें स्थापित करने का उत्तरदायित्व संबंधित फिशरीज बंदरशाह प्राधिकारियों या फिशरीज विभाग या स्थानीय मैरीटाइम संगठनों का होगा।

बिहार में कुछ जिलों के टेलीफोन एक्सचेंजों में एम०एस०टी०डी०/एस०टी०डी० सुविधायें उपलब्ध कराना

946. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में जहानाबाद जिले के अखल, मखदूमपुर, नालन्दा जिले के हिल्सा, रूतूई, चन्डी और हरनौत, और पटना जिले के मसौदी, बख्तियारपुर टेलीफोन एक्सचेंजों में एम०एस०टी०डी० अथवा एस०टी०डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन टेलीफोन एक्सचेंजों में ये सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां, केवल मखदूमपुर को छोड़कर।

(ख) और (ग) 8वीं योजना अवधि के दौरान।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

947. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई और पहले ही स्वीकृत की गई योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने से रोजगार के कितने अवसर पैदा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) 1990-91 के दौरान नीचे दी गई जिन सात स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता की प्राथमिकता निर्धारित की गयी थी, उनमें से छः स्कीमों को हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया है :—

1. मनाली में लकड़ी की कुटीरें
2. केलांग में मार्गस्थ सुविधाएं
3. सर्चू में मार्गस्थ सुविधायें
4. जोस्पा में मार्गस्थ सुविधाएं
5. ट्रैकिंग के लिए 100 टेन्ट
6. नैना देवी में यात्री निवास
7. साहसिक खेल उपकरणों की खरीद

केलांग में मार्गस्थ सुविधाओं के लिए राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त में से, 34.90 लाख रुपए की लागत की निम्नलिखित चार परियोजनायें स्वीकृत की जा चुकी है :—

1. मनाली में लकड़ी की कुटीरें
2. जोस्पा में मार्गस्थ सुविधायें
3. रिवर रैफ्टिंग उपकरण (साहसिक खल उपकरण) की खरीद
4. ट्रैकिंग के लिए 100 टेन्ट

(ग) पर्यटन-परियोजनाओं को लागू करने से जो रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, उनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह उस स्थान के भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है।

बुलढाना में एस०डी०ओ० तार घर

948. **श्री सुखदेव नन्दाजी काले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में एस०डी०ओ० तार घर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस तार घर के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार [मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) बुलढाना में उप मण्डलीय अधिकारी स्तर का तार घर अगस्त, 1983 से पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

[अनुवाद]

949. **श्री एन० तोम्बी सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा कोई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने का प्रस्ताव है जिसका एक छोर इम्फाल-तमंगलोंग मार्ग पर और दूसरा छोर नागालैण्ड को छुए बिना असम में हो, ताकि इम्फाल दीमापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात दबाव को कम किया सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सैन्य विमानों को ईंधन देने की सुविधाएं

950. **श्री कमल नाथ :**

डा० चिन्ता मोहन :

श्री ए० विजयराघवन :

श्री कल्पनाथ सोनकर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान देश में कुल कितने विदेशी सैन्य विमानों को ईंधन भरने की सुविधा प्रदान की गई;

(ख) ये सुविधा किन-किन स्थानों पर दी गई;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न विमानपत्तनों पर इन विमानों को दिए गए ईंधन की कुल मात्रा मालूम की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के प्रावधानों के बारे में कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसके अंतर्गत ईंधन भरने की अनुमति मांगी जा सकती है; और

(च) क्या सरकार का ईंधन भराई की सुविधा को और विदेशी सैन्य विमानों द्वारा भारत के वायु क्षेत्र के प्रयोग को बंद करने का विचार है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सिक्किम के लिए टेलीफोन निदेशक का पद

951. **श्री नन्दू थापा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम के लिए टेलीफोन निदेशक का पद बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सिक्किम में टेलीफोन निदेशक का कार्यालय कब तक काम करना शुरू कर देगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां । सिक्किम के लिए दूरसंचार जिला प्रबन्धक के पद को मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) सिक्किम के दूरसंचार जिला प्रबंधक के कार्यालय में शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ।

दक्षिण भारत में विदेशी पर्यटकों की यात्रा

952. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी पर्यटकों ने 1989, 1990 के दौरान और 1991 में अब तक दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक के पर्यटन स्थलों की यात्रा की है;

(ख) क्या दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1989 और 1990 के दौरान दक्षिण भारत में आए विदेशी पर्यटकों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	विदेशी पर्यटकों की संख्या	
	1989	1990
आंध्र प्रदेश	28,479	30,028 (नवम्बर तक)
केरल	1,25,686	77,554 (मई तक)
तमिलनाडु	3,79,113	2,89,944 (नवम्बर तक)
कर्नाटक		92,421 (सितम्बर तक)

बाद की अवधि के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

कर्नाटक के वर्ष 1989 के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) पर्यटन का विकास करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । तथापि, केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर उन्हें पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ! कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के सभी राज्यों को विभिन्न स्कीमों के लिए इस प्रकार की सहायता दी गई है तथा इन राज्यों के पर्यटक आकर्षणों का विदेशी मार्किटों में व्यापक प्रचार किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

953. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में कुछ पर्यटन स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान करने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश में पर्यटक अभिरुचि के निम्नलिखित स्थानों की प्राथमिकता 1990-91 के दौरान राज्य सरकार से परामर्श करके निर्धारित की गई है। इनकी अनुमानित लागत/स्वीकृत लागत नीचे उनके सामने दी गई है।

1. **पर्यटक परिसर**

(क) पंचमढ़ी	अनुमानित लागत 20.00 लाख रुपए
(ख) बड़ा महादेव	स्वीकृत 13.86 लाख रुपए
(ग) चित्रकूट	स्वीकृत 09.60 लाख रुपए

2. **मार्गस्थ सुख-सुविधाएं**

(क) भोजपुर	स्वीकृत 11.54 लाख रुपए
(ख) दोधी	स्वीकृत 11.54 लाख रुपए

3. **उज्जैन में यात्री निवास**
अनुमानित लागत 45.00 लाख रुपए

4. **जल क्रीड़ा उपकरण और टैंट**
अनुमानित लागत 10.00 लाख रुपए

5. **पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक बंगला**
अनुमानित लागत 19.00 लाख रुपए

बिहार में टेलीफोन कनेक्शन और डाक सुविधाएं

[हिन्दी]

954. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिले-वार टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं;

(ख) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों/मुख्य शहरों में कितने-कितने टेलीफोन आबंटित किये गए और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को नये टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) बिहार में दिसम्बर, 1990 से आज तक दूरसंचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और इन पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बिहार में कितने डाक घरों में अब तक टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं और वहां टेलीफोन सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) बिहार में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या इस प्रकार हैं :—

जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1. औरंगाबाद	52	22. मुज्जफरपुर	467
2. भोजपुर	31	23. मधुबनी	70
3. बेगूसराय	108	24. मुंगेर	75
4. भागलपुर	857	25. नवादा	109
5. छपरा	75	26. नालंदा	294
6. देवघर	108	27. पलामू	575
7. धनबाद	993	28. पुर्णिया	221
8. दुम्का	60	29. पटना	5109
9. दरभंगा	65	30. रांची	2289
10. पूर्वी चंपारण	59	31. रोहतास	24
11. गोडा	24	32. सितामढी	93
12. गया	254	33. सहरसा	53
13. गुमला	19	34. समस्तीपुर	41
14. गिरीडीह	60	35. सिवान	108
15. गोपालगंज	14	36. सिंहभूम (पूर्वी)	1100
16. हजारीबाग	309	37. सिंहभूम (पश्चिम)	700
17. जहानाबाद	32	38. साहेबगंज	10
18. खगड़िया	0	39. बैशाली	200
19. कटिहार	53	40. पश्चिमी चंपारण	152
20. लोहरदगा	16	41. किशनगंज	9
21. मधेपुरा	20	42. अररिया	9

(ख) बिहार के विभिन्न जिलों/मुख्य शहरों में उपलब्ध कराए गए/उपलब्ध कराए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र० सं०	जिले का नाम मुख्य शहर	उपलब्ध कराए गए टेलीफोनों की संख्या			मार्च 91, तक उपलब्ध कराए जाने वाले
		1988	1989	1990	
1	2	3	4	5	6
1.	पटना जिला	2491	2042	1829	1000
	पटना सिटी	2196	1908	1719	950

1	2	3	4	5	6
2.	नालंदा जिला	176	225	342	273
	बिहार शरीफ सिटी	101	139	258	200
3.	भोजपुर जिला	30	45	50	—
	आरा सिटी	30	45	50	—
4.	औरंगाबाद जिला	20	30	70	—
	औरंगाबाद सिटी				
5.	भागलपुर जिला	251	200	51	250
	भागलपुर सिटी	151	160	11	180
6.	बेगूसराय जिला	50	89	275	150
	बेगूसराय सिटी	50	80	200	150
7.	छपरा जिला	42	87	26	30
	छपरा सिटी	12	43	20	5
8.	धनबाद जिला	515	718	710	425
	धनबाद सिटी	450	500	550	300
9.	दुमका जिला	5	52	66	10
	दुमका सिटी	5	—	—	—
10.	देवघर जिला	49	67	64	—
	देवघर सिटी	40	60	60	—
11.	दरभंगा जिला	40	50	54	—
	दमभंगा सिटी	40	50	54	—
12.	पूर्वी चंपारण जिला	30	32	29	—
	मोतीहारी सिटी	30	32	29	—
	गुमला जिला	50	41	50	20
	गुमला सिटी	50	41	50	20
14.	गया जिला	320	870	169	150
	गया सिटी	250	640	80	25
15.	गोपालगंज जिला	12	15	45	—
	गोपालगंज सिटी	12	15	45	—
16.	गिरीडीह जिला	178	100	150	75
	गिरिडीह सिटी	178	100	150	74

1	2	3	4	5	6
17.	गोडा जिला	1	3	2	—
	गोडा सिटी	1	3	2	—
18.	हजारीबाग जिला	200	183	217	152
	हजारीबाग सिटी	150	160	180	100
19.	जहानाबाद जिला	10	25	75	15
	जहानाबाद सिटी	10	25	75	15
20.	कटिहार जिला	5	7	9	—
	कटिहार सिटी	2	7	9	—
21.	खगरिया जिला	15	100	25	—
	खगरिया सिटी	15	100	25	—
22.	लोहरदगा जिला	50	50	50	25
	लोहरदगा सिटी	50	50	50	25
23.	मुज्जफरपुर जिला	250	350	272	160
	मुज्जफरपुर सिटी	150	257	192	70
24.	मुंगेर जिला	10	25	42	—
	मुंगेर सिटी	10	25	42	—
25.	मधेपुरा जिला	—	—	35	—
	मधेपुरा सिटी	—	—	35	—
26.	मधुबनी जिला	10	10	11	
	मधुबनी सिटी	10	10	8	—
27.	नवादा जिला	65	100	60	—
	नवादा सिटी	—	—	—	—
28.	पलामू जिला डालटेनगंज सिटी	30	50	80	12
29.	पुर्णीया जिला	—	—	120	—
	पुर्णीया सिटी	—	—	120	—
30.	रांची जिला	270	900	889	1200
	रांची सिटी	170	700	750	850

1	2	3	4	5	6
31.	रोहतास जिला	25	30	40	10
	सासाराम सिटी	25	30	40	10
32.	सिहभूम (पूर्व) जिला	728	500	400	552
	बेदरपुर सिटी	650	425	350	400
33.	सिहभूम (प०) जिला चाईबासा सिटी	100	153	106	53
34.	समस्तीपुर जिला	15	35	55	—
	समस्तीपुर सिटी	15	30	47	—
35.	सितामढी जिला	5	10	7	—
	सितामढी सिटी	5	10	7	—
36.	साहेबगंज जिला	2	3	5	—
	साहेबगंज सिटी	2	2	4	—
37.	सिवान जिला	12	25	23	—
	सिवान सिटी	12	25	2	—
38.	सहरसा जिला	5	8	15	—
	सहरसा सिटी	5	8	15	—
39.	बैशाली जिला	8	27	17	—
	हाजीपुर सिटी	8	27	17	—
40	प० चंपारण जिला	52	28	42	—
	बेतिया सिटी	52	28	42	—
41.	किशनगंज जिला	—	45	15	—
	किशनगंज सिटी	—	45	15	—
42.	अररिया जिला	—	—	—	—
	अररिया सिटी	—	—	—	—

(ग) बिहार में दिसम्बर 1991 के बाद से उपलब्ध कराई गई सुविधायें और जन संचार प्रणालियों में सुधार के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

— खोले गए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज — 8 अदद

— खोले गए नये टेलीफोन एक्सचेंज — 2 अदद

—	जोड़ी गई टेलीफोन एक्सचेंज स्विचिंग क्षमता	—	1205 लाइनें
—	जोड़े गए स्थानीय पी०सी०ओ०	—	21 अदद
—	जोड़े गए पे-फोन	—	2 अदद
—	जोड़ी गई एस०टी०डी० सुविधा	—	4 अदद
—	खोले गए तार घर	—	2 अदद
—	संस्थापित की गई टेलीप्रिंटर प्रणाली	—	3 अदद
—	पी०सी०एम० प्रणाली	—	3 अदद
—	संस्थापित की गई यू०एच०एफ० पारेषण प्रणाली	—	2 अदद
—	उन पर किया गया खर्च	—	5.96 करोड़ रुपए
—	आयोजित की गई टेलीफोन अदालतें	—	5 अदद
—	आयोजित किया गया व्रेश सम्मेलन	—	3 अदद
—	दिए गए दूरदर्शन साक्षात्कार	—	1 मुख्य महाप्रबंधक दूरसंचार पटना द्वारा
—	प्रेस अधिसूचनायें	—	15 अदद (प्रकाशन पर किया गया व्यय 60000 रु०)

(घ) बिहार में कुल 11281 डाक घरों में से 4780 में टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध करा दी गई हैं। 8वीं योजना के अन्त तक सभी डाकघरों में उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय

[अनुवाद]

955. **श्री मोरेश्वर सावे :**

श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन से वर्ष 1989-90 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(ख) विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) आगामी वर्ष के लिए कितनी आय का लक्ष्य रखा गया है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) वर्ष 1989-90 और अप्रैल से दिसम्बर 1990-91 के दौरान पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा आय के अनंतिम अनुमान क्रमशः 2456 करोड़ रुपए तथा 1862 करोड़ रुपए लगाए गए हैं।

(ख) भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं—बहु प्रवेश वीजा लागू करना, वीजा प्राप्ति हेतु प्रणाली को सरल बनाना, प्रतिबंधित क्षेत्र अनुज्ञापत्रों से संबंधित नियमों में ढील देना, होटलों व अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुद्राविनिमय सुविधाओं का की व्यवस्था करना, पर्यटन आधारिक—संरचना संबंधी सुविधाओं स्तर बढ़ाना तथा पर्यटन संवर्धनात्मक प्रयासों को सुदृढ़ करना ।

(ग) मध्य पूर्व एशिया में युद्ध छिड़ जाने से भारत सहित विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात पर गहरा कुप्रभाव पड़ा है । अतः युद्ध समाप्ति से पूर्व कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है ।

बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्वतीय स्थलों का विकास

[हिन्दी]

956. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पर्वतीय स्थलों का विकास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां । सरकार देश के विभिन्न पर्वतीय स्थलों पर स्कीइंग तथा स्केटिंग जैसे बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों का संवर्धन करने को प्रोत्साहन दे रही है ।

(ख) जम्मू और कश्मीर के अन्तर्गत गुलमर्ग में, हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत नारकण्डा तथा मनाली में और उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत औली में बर्फ पर खेले जाने खेलों का संवर्धन किया जा रहा है। इसके अलावा, सामान्य स्कीइंग के अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में हेली-स्कीइंग का संचालन भी किया जा रहा है जिसमें हेलिकाप्टर का इस्तेमाल भी होता है ।

"प्रोड्यूस मार्केटिंग" ऋण योजना

[अनुवाद]

957. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने "प्रोड्यूस मार्केटिंग" ऋण योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अधीन किन जिलों को शामिल किया गया है; और

(घ) इसे देश के दूसरे भागों में कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हां

(ख) उत्पादन (विपणन) ऋण योजना दिसम्बर, 1988 में उन प्रत्येक 14 राज्यों के एक जिले में मार्गदर्शी आधार पर शुरू की गई थी, जहां विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा था । इस योजना के तहत ऋण उन किसानों को दिया जाएगा जो धान, गेहूं, मूंगफली,

तोरिया/सरसों बंगाल ग्राम (चना) तथा अरहर/तुर का उत्पादन करने के लिए ऋण संस्थानों से फसल ऋण ले चुके हैं। ऋण की मात्रा किसान द्वारा लिए गए फसल ऋण की राशि से दुगुनी अथवा सरकार द्वारा घोषित अधिप्राप्ति समर्थन मूल्यों पर उत्पाद के मूल्य की 75 प्रतिशत राशि, जो कम हो, होगी, परन्तु शर्त यह है कि यह राशि अधिक से अधिक 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति होगी। उक्त ऋण पर ब्याज की दर वही होगी जो फसल ऋण पर लागू होती है तथा अदायगी की अवधि इसके वितरण की तारीख से छह माह होगी।

(ग) और (घ) यह योजना शुरू में 14 जिलों में शुरू की गई थी। इसे जनवरी, 1991 से 68 और जिलों में शुरू किया गया है। उन जिलों के नाम जहां यह योजना मूलरूप से शुरू की गई थी तथा अब शामिल किए गए अतिरिक्त जिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्पाद (विपणन) ऋण योजना द्वारा शामिल किए गए जिलों के नामों को दर्शाने वाला विवरण

शुरू में शामिल किए गए जिले

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	पश्चिमी गोदावरी
2.	असम	नवगांव
3.	बिहार	रोहतास
4.	गुजरात	बलसाद
5.	हरियाणा	हिसार
6.	कर्नाटक	दक्षिण कानाडा
7.	मध्य प्रदेश	रायपुर
8.	महाराष्ट्र	भंडारा
9.	उड़ीसा	सम्बलपुर
10.	पंजाब	अमृतसर
11.	राजस्थान	श्री गंगानगर
12.	तमिलनाडु	तंजावुर
13.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर
14.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान

अब शामिल किए अतिरिक्त जिले

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिले का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. पूर्वी गोदावरी 2. नालगोंडा 3. करीमनगर 4. नेलौर 5. खम्माम

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम
2.	असम	1. कच्छार
		2. दरंग
3.	बिहार	1. पूर्णिया
		2. मुजफ्फरपुर
		3. समस्तीपुर
		4. नालंदा
		5. बेगुसराय
	गोआ	1. गोआ (सम्पूर्ण राज्य)
	गुजरात	1. पंचमहल
		2. सूरत,
		3. सबरकान्था
6.	हरियाणा	1. कुरुक्षेत्र
		2. करनाल
		3. अम्बाला
		4. सिरसा
		5. कैथल
7.	हिमाचल प्रदेश,	1. कांगड़ा
		2. मंडी
8.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू
9.	केरल	1. इर्नाकुलम
		2. त्रिचूर
		3. पालघाट
		4. अल्लेप्पी
10.	कर्नाटक	1. शिमोगा
		2. उत्तर कन्नाडा
		3. धारवाड़
		4. बेलगांव
		5. गुलबर्ग

क्रम० संख्या	राज्य का नाम		जिले का नाम
11.	मध्य प्रदेश	1.	बालाघाट
		2.	छिंदवाड़ा
		3.	धार
		4.	दुर्ग
		5.	मन्दसौर
12.	महाराष्ट्र	1.	परभानी
		2.	यवतमाल जलगांव
		3.	पुणे
		4.	अकोला
13.	उड़ीसा	1.	गंजम
		2.	कोरापुट
		3.	बालांगीर
		4.	पुरी
		5.	बालासौर
14.	पांडिचेरी	1.	पांडिचेरी (पूरा राज्य)
15.	पंजाब	1.	भटिंडा
		2.	होशियारपुर
16.	राजस्थान	1.	सवाई माधोपुर
		2.	अलवर
		3.	चित्तौरगढ़
		4.	धौलपुर
17.	तमिलनाडु	1.	वेल्लोर अम्बेडकर
		2.	तिरुवन्नामालाई सम्बररयर
		3.	मदुराई
		4.	तिरुचिरापल्ली
		5.	डिनडिगल कवैद-ए-मिलथ
18.	उत्तर प्रदेश	1.	नैनीताल
		2.	बिजनौर
		3.	लखीमपुर खेरी
		4.	बुलन्द शहर
		5.	देवरिया

क्रम सं०	राज्य का नाम	जिले का नाम
19.	पश्चिम बंगाल	1. मिदनापुर (पूर्वी)
		2. मिदनापुर (पश्चिम)
		3. परगना (उत्तरी)
		4. नादिया

बड़ी नदियों को जोड़ना

[हिन्दी]

958. **डा० चिन्ता मोहन :**

श्री आर० एन० राकेश :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जनवरी, 1991 के "ट्रिब्यून" में "पी० एम० फॉर लिंकिंग ऑफ मेजर रिवर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश की कुछ नदियों को जोड़ने की कोई नई परियोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंगा-कावेरी सम्पर्क परियोजना लम्बे समय से विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) देश के जल संसाधनों के विकास के लिए, सरकार ने एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिसके हिमालयी नदी विकास और प्रायद्वीपीय नदी विकास नामक दो घटक हैं। जल संसाधन मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत सोसायटी, राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण द्वारा दोनों घटकों पर अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। प्रस्ताव की जांच की गई है और इसे आर्थिक तथा तकनीकी रूप से अव्यवहार्य पाया गया। विकल्प के रूप में, सरकार पहले से तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार जल संसाधनों के विकास के लिए अध्ययन कर रही है :

भारतीय नौवहन निगम के चालकों द्वारा खाड़ी से कच्चा तेल लाने से इंकार किया जाना

[अनुवाद]

959. **श्री वामन राव महाडीक :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम के कुछ अधिकारियों और चालकों ने कच्चा तेल लाने के लिए खाड़ी जाने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने खाड़ी से तेल लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) प्रारम्भ में भारतीय नौवहन निगम लि० के कुछ अधिकारियों और चालकों ने, मुख्यत: खाड़ी जल में बारूदी सुरंगों की उपस्थिति के संबंध में प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के कारण, फारस की खाड़ी में जाने से मना कर दिया था। तथापि, बाद में, समझाने बुझाने पर वे सरकार द्वारा क्लीयर किए गए लोडिंग प्वाइंटों पर जाने के लिए सहमत हो गए।

(ग) सरकार द्वारा क्लीयर किए गए लोडिंग प्वाइंटों से कच्चा तेल उठाने का कार्य भारतीय ध्वज जहाजों द्वारा किया जा रहा है जिनमें भारतीय नौवहन निगम के जहाज भी शामिल हैं। रास्तानूरा जैसे कुछेक अन्य पत्तनों से तेल उठाने के काम के लिए, जो सरकार द्वारा क्लीयर नहीं किए गए हैं विदेशी ध्वज जहाजों को चार्टर कर लिया गया है/किया जा रहा है। 17.1.1991 से 21.2.1991 तक ऐसे चार विदेशी ध्वज जहाज चार्टर किए गए थे।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

[हिन्दी]

960. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित मन्दसौर, जवारे, और मन्दसौर जिले में नीमच, मनसा, गरोध, मानपुरा में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार की कोई योजना है;

(ख) क्या इन एक्सचेंजों के पुराने उपकरणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी लगाए जाने हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्थानों पर टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में अभी भी काफी लोग हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन स्थानों पर मार्च, 1991 तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जयप्रकाश) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। मंदसौर और जिओरा के अलावा कहीं भी ज्यादा लोग टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं।

(घ) जी हां। मंदसौर और जिओरा टेलीफोन एक्सचेंजों को छोड़कर।

विवरण

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	वर्तमान एक्सचेंज का प्रकार	प्रस्तावित विस्तार/ बदलने का कार्यक्रम	लक्ष्य प्राप्त करने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	मन्दसौर	मैक्स-II	(i) 200 लाइनों से विस्तार (ii) 1.5 हजार सी-डॉट	(i) मार्च, 1991 (ii) 1994-95

1 2	3	4	5
2. जिओरा	मैक्स-II	100 लाइनों से विस्तार	मार्च, 1991
3. नीमच	सीबीएम	(i) 80 लाइनों से विस्तार (ii) 2.5 हजार सी-डॉट	मार्च, 1991 1992-93
4. मानसा	512 आईएलटी विस्तार/बदलने का आगे कोई कार्यक्रम नहीं है।		
5. गरोठ	मैक्स-III	सी-डॉट आरएएक्स	मार्च, 1991
6. भानपुरा	मैक्स-III	सी-डॉट आरएएक्स	मार्च, 1991

पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों पर किए गए अत्याचार

961. **श्री लरंग साय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1991 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "हिन्दूज बीइंग परसीक्यूटेड इन पाकिस्तान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान सरकार से इस विषय पर बात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) पाकिस्तान की सरकार का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों सहित अपने सभी नागरिकों के अधिकारों की हिफाजत करे।

सरकार यह मानती है कि शिमला समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

कान्धी क्षेत्र का विकास और कान्धी नहर परियोजना

[अनुवाद]

962. **श्री कृपाल सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और केन्द्रीय सरकार ने कान्धी क्षेत्र के विकास और कान्धी नहर परियोजना के लिए कोई सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कान्धी नहर परियोजना का जो कार्य पूरा हो गया है उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस नहर परियोजना का निर्माण गत डेढ़ वर्षों से रुका हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) पंजाब सिंचाई और जलनिकास परियोजना, जिसमें कान्धी क्षेत्र के कार्य भी शामिल हैं, के लिए विश्व बैंक से 165 मिलियन डालर की सहायता स्वीकृत की गई है।

(ग) निधियों के उपलब्ध होने पर होशियारपुर तक काण्डी नहर चरण-I पर कार्य आठवीं योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) 23 किलोमीटर तक काण्डी नहर पहले ही पूरी हो चुकी है। 10 किलोमीटर तक प्रत्यक्ष निकासद्वार के जरिये जल की आपूर्ति की जा रही है। इस भाग में कमान क्षेत्र विकास पूरा होने के बाद 10 किलोमीटर से 23 किलोमीटर तक की पहुंच में जल सप्लाई किया जाएगा। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है कि निधियों के उपलब्ध होने पर काण्डी नहर चरण-I पर कार्य आठवीं योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

गिरिडीह में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

963. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गिरिडीह और हजारीबाग जिलों में बेंगाबाद, गनवान, तिसरी, बिरनी, देवरी, मानद्री, चातरी, सियातांर, नवडिहा, चारगढ़, चोटकी खरगडिहा, बुद्धडी, पर्वतपुर, अहिल्यापुर, गुमो-तेत्प्या, बसीडीह, भराजी जैसे लोकहित के स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है; और

(ख) मरकाची, जयनगर, ईचक और गौडें ब्लाक मुख्यालयों के टेलीफोन एक्सचेंज ब्लाकों को कब तक दूरसंचार प्रणाली से जोड़ देंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री अय प्रकाश) : (क) बेंगाबाद, गनवान, तिसारी, बिरनी, देवरी, नवडिहा, अहिल्यापुर और गुमो-तलैया में पी० सी० ओ० सुविधा मौजूद हैं। इस समय मानद्री, चातरो, चारगढ़, चोटकी, खरगडिहा, बुधुडीहा, पर्वतपुर, बसीडीह और भराजी मे लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) नीति संबंधी मामले के रूप में, कम-से-कम 10 आवेदक होने पर एक एक्सचेंज खोला जा सकता है। मरकाची, जयनगर, ईचक और गौडे में एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अभी तक टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

कन्याकुमारी को एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाना

964. **श्री एन० डेनिस** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी को एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) कन्याकुमारी का एक आकर्षक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिए, पर्यटन मन्त्रालय ने कन्याकुमारी में समुद्र-तटीय कुटीरों और अल्पाहारगृह के निर्माण, स्नान-घाटों पर सुख-सुविधाओं की व्यवस्था, विवेकानन्द राक मैमोरियल की प्रकाशपुंज व्यवस्था तथा मोटर लांच की खरीद के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

ट्रिनिडाड में भारतीयों को जान-माल की हुई क्षति

965. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रिनिडाड में बसे भारतीयों को उक्त देश में व्याप्त संकट के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मूल के कितने लोग मारे गए और उनकी सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जुलाई, 1990 के संकट के दौरान भारतीय मूल के लोगों का बहुत नुकसान नहीं हुआ था। इस समुदाय के एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर मिली थी। सम्पत्ति को भी कुछ नुकसान पहुंचाया गया है।

बेलूर, कर्नाटक में पंचतारा होटल

966. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलूर, कर्नाटक में कोई पंचतारा होटल है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वहां एक पंचतारा होटल निर्मित करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं।

राजस्थान नहर परियोजना

967. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति का ब्योरा क्या है; और

(ख) परियोजना के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) राजस्थान नहर परियोजना (जिसका नाम अब इन्दिरा गांधी नहर परियोजना है) दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। 5.78 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के साथ परियोजना का चरण-I पूरा हो गया है तथा क्षमता लगभग पूरी उपयोग की जा चुकी है। चरण-II की मुख्य नहर पूरी हो गई है तथा वितरण प्रणाली पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। चरण-II की 8.10 लाख हेक्टेयर की अभिकल्पित क्षमता के मुकाबले, 1990 तक 1.50 लाख हेक्टेयर क्षमता सृजित की गई है। चरण-II क्षेत्र में स्थिति अधिक खराब है तथा सडक, पेयजल आपूर्ति, वनरोपण जैसी अवसंरचनाओं का विकास नहर के निर्माण के साथ किया जाना है ताकि अधिवासी आ-जा सकें, क्षमता का उपयोग शीघ्र किया जा सके तथा रेत उड़ने के कारण नहर प्रणालियों के अनुरक्षण की समस्याएं उत्पन्न न हों। राजस्थान सरकार अब परियोजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन से संबंधित विभागों के बीच संतोषजनक समन्वय सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने सूचित किया है कि निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन परियोजना को पूरा करने के कार्य की दसवीं योजना तक बढ़ जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में डी० टी० सी० की बसों की आवश्यकता

[हिन्दी]

968. **श्री तारीफ सिंह :**
श्री गंगा चरण लोधी :
प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० टी० सी० के बेड़े में 31 जनवरी, 1991 को कितनी बसें थीं;

(ख) क्या ये बसें यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) यदि नहीं, तो अतिरिक्त बसें प्राप्त करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक शामिल कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) जनता को पर्याप्त एवं कुशल बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु अन्य क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) 31 जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दिल्ली परिवहन निगम की बसें	—	4401
निजी प्रचालकों की बसें	—	583
	कुल	4984

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वित्तीय कठिनाइयों के कारण दिल्ली परिवहन निगम, अपने बेड़े में नई बसें शामिल नहीं कर सका है। दिल्ली परिवहन निगम, सरकार द्वारा दी गई निधियों से केवल रिप्लेसमेंट खाते में ही बसें खरीद सका है। वर्ष 1990-91 के दौरान रिप्लेसमेंट खाते में 506 बसें खरीदने के लिए दिल्ली परिवहन निगम को पहले ही संस्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 209 बसें बेड़े में शामिल कर दी गई हैं और शेष बसें 1991-92 के दौरान शामिल की जाएंगी। इसके अलावा, रिप्लेसमेंट खाते के तहत 394 बसों की खरीद का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) जनता को पर्याप्त और कुशल बस सेवाएं सुलभ कराने के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उठाए जा रहे कदमों में, सर्वेक्षण करने के बाद सेवाओं में वृद्धि, रूट योक्तिकीकरण, बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सहायक अभियंताओं की तैनाती, सुबह और शाम के समय डिपो प्रबंधकों द्वारा आउट शेडिंग स्थिति का पर्यवेक्षण, असंतुलन ठीक करने के लिए प्रभावी देख-रेख, फालतू पुर्जों की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ताकि यदि उनकी कोई कमी हो तो उसे दूर किया जा सके, शामिल हैं।

दूध के मूल्य में वृद्धि

969. **श्री शोपत सिंह मक्कासर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की प्रति लीटर दरों में कितनी-कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा किसानों से खरीदे गए दूध की दर में कितनी बार वृद्धि की गई है;

(ग) क्या चारे के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए डेरी किसानों द्वारा बेचे जा रहे दूध का मूल्य कम है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का किसानों से खरीदे जा रहे दूध के मूल्य में वृद्धि करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) फरवरी, 1989 से आज तक मदर डेयरी तथा दिल्ली दुग्ध योजना ने 14.12.1990 से टोन्ड दुग्ध के उपभोक्ता मूल्य में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की है।

(ख) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी अपनी जरूरतों के लिए ताजा दूध गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के राज्य सहकारी परिसंघों से प्राप्त करता है न कि सीधे किसानों से। दिल्ली दुग्ध योजना तथा/मदर डेयरी उपर्युक्त संगठनों से दूध की खरीद के लिए वार्षिक मूल्य करारों के बारे में समझौते करता है। दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी दोनों ने मिश्रित दूध तथा गाय के दूध के मूल्यों में 14.12.1990 से क्रमशः 63 पैसे प्रति कि०ग्रा० तथा 50 पैसे प्रति कि०ग्रा० की वृद्धि की है। खरीद मूल्यों में वृद्धि का हिसाब लगाते समय आदानों की लागत में वृद्धि जैसे कारकों को आमतौर पर ध्यान में रखा जाता है।

राजस्थान में बूंदी जिले के केशवराई पटन में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

970. **श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में बूंदी जिले के केशवराई पटन में एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या केशवराई पटन और कोटा के बीच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेन्सी प्रणाली लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जिला बूंदी के केशवराई पटन में 128 पोर्ट (रैक्स) इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज 28.12.1990 को पहले ही चालू किया जा चुका है।

(ख) जी हां।

(ग) 1989 से।

उड़ीसा के गंजम जिले में हिंजिली में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

971. **श्री ए० एन० सिंह देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में हिंजिली में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में सलुम्बर और उदयपुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

972. श्री नन्दलाल मीणा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सलुम्बर और उदयपुर जिले में कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) इनमें से डिजिटल कितने हैं और शेष मानव चालित एक्सचेंजों को डिजिटल में बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं और उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) उदयपुर जिले में टेलीफोन एक्सचेंज = 69

इनके स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

राजस्थान में सबिमबार नामक कोई जिला नहीं है। उदयपुर जिले में सलुम्बर तहसील है जहां 150 लाइनों का सी० बी० एन० एम० एक्सचेंज कार्य कर रहा है।

(ख) इस समय उदयपुर जिले में कोई डिजिटल एक्सचेंज नहीं है। वहां आठ मैनुअल एक्सचेंज हैं और इन सभी को आठवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

(ग) 31.1.91 की स्थिति के अनुसार, उदयपुर जिले के विभिन्न एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 9877 है तथा सलुम्बर में 15 है। आठवीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार, इस योजना के दौरान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाया जाना है।

विवरण

उदयपुर जिला

पैरा (ख)

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	तहसील	एक्सचेंज की किस्म
1	2	3	4
1.	उदयपुर	—	स्ट्रोजर एम०ए० एक्स०
2.	कांकरोली	राजसामांड	सी०बी०एम०
3.	केलवा	,,	एस०ए०एक्स०
4.	मोही	,,	,,
5.	बोल	,,	,,
6.	नाथद्वारा	नाथद्वारा	सी०बी०एम०

1	2	3	4
7.	गांवगुडा	,,	एस०ए०एक्स०
8.	सिसोदा	,,	,,
9.	मचिण्ड	,,	,,
10.	मोलेला	,,	,,
11.	सेमा	,,	,,
12.	सालोर	,,	,,
13.	थिमला	,,	,,
14.	खामनोन	,,	,,
15.	देलवाड़ा	,,	,,
16.	सेमल	,,	,,
17.	फरसेहनगर	मरली	सी०बी०एन०एम०
18.	करली	,,	एस०ए०एक्स
18.	दबोक	,,	,,
20.	घासा	,,	,,
21.	चंदेसर	,,	,,
22.	आमेह (चार भूजा रोड)	आमेट	सी०बी०एन०एम०
22.	सरदारगढ़	,,	एस०ए०एक्स०
24.	मलवा	,,	,,
25.	देवगढ़	देवगढ़	सी०बी०एन०एम०
26.	कुकंथल	,,	एस०ए०एक्स०
27.	भिडर	बल्लभनगर	सी०बी०एन०एम०
28.	बल्लभनगर	,,	एस०ए०एक्स०
29.	रूनडेरा	,,	,,
30.	खेरोडा	,,	,,
31.	वोमा	बल्लभनगर	एस०ए०एक्स०
32.	रेलमागरा	रेलमागरा	एस०ए०एक्स०
33.	दरिबा	,,	,,
34.	भीम	भीम	एस०ए०एक्स०
35.	दवैर	,,	,,
36.	ठीकरवास	,,	,,
37.	केलवाड़ा	केलवाड़ा	एस०ए०एक्स०
38.	पदसाली	,,	,,

1	2	3	4
39.	घाटा	,,	,,
40.	रोचेद	,,	,,
41.	चारभाजाजी	,,	,,
42.	लम्बोंडो	,,	,,
43.	धारियावाड़	धारियावाड़	एस०ए०एक्स०
44.	कुन	,,	,,
45.	परसोला	,,	,,
46.	कनोर	,,	,,
47.	बंबोरा	गिरवा	एस०ए०एक्स०
48.	जावर माइन्स	,,	,,
49.	नाई	,,	,,
50.	रामा	,,	,,
51.	गोगुंडा	गोगुंडा	एस०ए०एक्स०
52.	नोमदसमा	,,	,,
53.	सेमद	,,	,,
54.	भीमपुरा	,,	,,
55.	झदोल (पी)	झदोल	एस०ए०एक्स०
56.	फलसिया	,,	,,
57.	बास	,,	,,
58.	झदोल (एस)	सरोदा	एस०ए०एक्स०
59.	पालोदारा	,,	,,
60.	प्रसाद	,,	,,
61.	चेवानेंल	,,	,,
62.	खेड़वाड़ा	खेड़वाड़ा	सी०बी०एन०एम०
63.	नयागांव	,,	एम०ए०एक्स०
64.	रेखबदेव	,,	,,
65.	भोमाबोवरा	,,	,,
66.	सालंबर	सालंबर	सी०बी०एन०एम०
67.	कोटरा	कोटरा	एस०ए०एक्स०
68.	मोमदेवा	,,	,,
69.	उदयपुर	—	एम०ए०एक्स०—11

अमरीकी और सहयोगी सेनाओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र संकल्पों का उल्लंघन

973. **श्रीमती उमा गजपति राजू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीका के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने कुवैत से इराकी सेनाओं को बलपूर्वक खदेड़ने के संयुक्त राष्ट्र संकल्प द्वारा दिए गए अधिदेश का अतिक्रमण किया है; और

(ख) यदि हां, तो अमरीका तथा इसके सहयोगियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संकल्प के उल्लंघन का प्रतिवाद करने के लिए सरकार द्वारा क्या राजनीतिक पहल की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सरकार को इस बात पर बहुत चिन्ता है कि खाड़ी में युद्ध के कारण हो रहा विनाश अब सैनिक ठिकानों तक ही सीमित नहीं है । सरकार ने कहा है कि सुरक्षा परिषद के संकल्प 678 का उद्देश्य कुवैत को मुक्त कराना है, न कि इराक को दबाना अथवा उसकी प्रौद्योगिकीय और भौतिक आधारिक संरचनाओं को नेस्तनाबूद करना । सरकारी प्रवक्ता का 9.2.91 का वक्तव्य विवरण के रूप में संलग्न है ।

विवरण

टेलेक्स/फैक्स **फ्रॉम**

बहरीन जोन

प्रेषक : विदेश, नई दिल्ली

प्राप्तकर्ता : भारतीय राजदूतावास/भारत का हाई कमीशन/भारत का प्रधान कोंसलावास

संयुक्त सचिव (एक्स० पी०) की ओर से मिशन प्रमुख को नीचे दिया गया टेलेक्स खाड़ी में सैन्य गतिविधियों के संबंध में प्रवक्ता का वक्तव्य है (शनिवार, 9.2.91) ।

आरम्भ : भारत सरकार को इस बात पर बहुत चिंता है कि खाड़ी में युद्ध के कारण हो रहा विनाश अब सैन्य ठिकानों तक ही सीमित नहीं है । अनेक निर्दोष लोगों की जान गई है । नागरिक सम्पत्तियों जिनमें हजारों आवासीय मकान शामिल हैं, नष्ट हो गए हैं । बगदाद से अमान तक की सड़क पर नागरिक यातायात पर आक्रमण हुआ है जिसके कारण अनेक नागरिक हताहत हुए हैं । लाखों नागरिक खासतौर से कुवैत में, बमबारी से बचाव अथवा सुरक्षा न मिल पाने के कारण हिंसा की समेट में आ गए हैं । बिजली न होने और स्वच्छ पानी की उत्तरोत्तर कमी होने से उन्हें जिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे स्थिति और जटिल हो गई है । हम इस बात का अनुरोध करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य युद्ध के तरीकों का पूरी तरह से पालन किया जाए और सैन्य कार्यवाहियों से होने वाली तबाहियों और जोखिमों से नागरिकों को बचाने के लिए हर सम्भव सावधानी बरती जाए ।

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 678 कुवैत सरकार के सहयोग करने वाले सदस्य राज्यों को सुरक्षा परिषद के संकल्प 660 को समर्थन देने और उसे कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्राधिकृत करता है । उन राज्यों ने भी, जो इस संकल्प के अनुसरण में खाड़ी युद्ध में भाग ले रहे हैं, यह स्वीकार किया है कि उद्देश्य कुवैत को मुक्त कराना है, न कि इराक को दबाना अथवा उसकी प्रौद्योगिकीय और भौतिक आधारिक संरचना को नेस्तानाबूत करना अथवा उसके सामाजिक और आर्थिक जन जीवन को अपंग कर देना । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को हर समय यह सुनिश्चय करना चाहिए कि सैन्य गतिविधियां इस प्रकार चलाई जाएं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 678 के उद्देश्यों के बिल्कुल अनुरूप हों । इस प्रयोजनार्थ, वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए इसकी तत्काल बैठक बुलाई जानी चाहिए । और उसके बाद समय-समय पर इसकी बैठक होती रहनी चाहिए ताकि मामले की निरन्तर समीक्षा की जाती रहे ।"

आंवला में इफको संयंत्र का विस्तार

[हिन्दी]

974. श्री राजवीर सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंवला के इफको उर्वरक संयंत्र का विस्तार करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) : इफको ने 684.57 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर आंवला स्थित अपने गैस पर आधारित अमोनिया यूरिया संयंत्रों की क्षमता को दुगुना करने का प्रस्ताव दिया है। गैस की आपूर्ति के लिए सिद्धान्त रूप में स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

भारत-जापान द्विपक्षीय वार्ता

[अनुवाद]

975. कुमारी उमा भारती : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-जापान द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां। भारत और जापान के बीच विदेश कार्यालय स्तर की द्विपक्षीय विचार-विमर्श वार्ता 4-5 फरवरी, 1991 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत में मौजूदा अन्तरांष्ट्रीय स्थिति पर तथा क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मामलों पर विशेष रूप से तव्वजह दी गई थी।

दोनों दलों ने खाड़ी की उभरती हुई स्थिति पर अन्तरांष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक पर्यावरण सम्बन्धी ताजा घटनाओं पर भारत और जापान सहित एशिया के देशों पर इन परिवर्तनों के प्रभाव पर विचार विमर्श किया गया।

दोनों पक्षों ने भारत और जापान के बीच निरन्तर विकासमान मैत्रीपूर्ण संबंधों पर संतोष व्यक्त किया तथा विविध क्षेत्रों में इन संबंधों को और अधिक बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया।

गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये केन्द्रीय सहायता

976. श्री काशी राम राणा : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान केन्द्रीय सरकार को सरायों, मनोरंजन पार्कों, जन-सुविधाओं, यात्री निवासों इत्यादि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव पेश किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि मंजूर हुई है और अब तक कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (ख) जी, हां। 1988-89 के दौरान गुजरात सरकार ने यात्री निवासों, पर्यटक परिसरों, होटलों, पिकनिक स्थलों, आदि के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग ने निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत कर दिया है :—

(रुपए लाखों में)

स्कीम का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
पावागढ़ में डारमीट्री आवास	14.76	7.00
तीथल में कुटीरें	12.62	5.00

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में आई.टी.आई. एकक की स्थापना

[हिन्दी]

977. प्रो. शैलेन्द्रनाथ श्री वास्तव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के एकक की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की सुविधाएं

[अनुवाद]

978. श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन :

श्री तारीक सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या को, विशेषकर तमिलनाडु में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उपलब्ध कराई गई सफाई सुविधाओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को सफाई सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) : केन्द्र सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ग्रामीण जनसंख्या के लिये उपलब्ध सफाई सुविधाओं के बारे में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर सातवीं योजना के अंत तक ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 3 प्रतिशत भाग को सफाई सुविधायें उपलब्ध कराई गई थीं। तमिलनाडु राज्य में स्वच्छ शौचालयों की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रतिशत 16·15 था।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कवर की जाने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत योजना अवधि के लिये निर्धारित किये जाने वाले संसाधनों पर निर्भर करेगा, जिनको योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त 5 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को ऐसी सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी।

अहमदाबाद-राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाना

979. श्री जी. एम. ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात से अहमदाबाद-राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार लेनयुक्त यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल.भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) : गुजरात सरकार ने 98.20 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 8 ए और

8 बी पर अहमदाबाद-राजकोट सड़क की 272 कि. मी. लम्बाई को चार लेन का बनाने का प्रस्ताव किया है। तथापि, चूंकि योजना आयोग ने अभी तक आठवीं, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है इसलिए इस योजना विशेष को आठवीं योजना में शामिल किये जाने के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है।

केरल स्थित 'मिल्मा दुग्ध सहकारी समिति' को वित्तीय सहायता

980. **श्री के मुरलीधरण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित "मिल्मा दुग्ध सहकारी समिति" को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है।

(ख) वर्ष 199.-92 के दौरान कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है; और

(ग) सरकार द्वारा केरल में दुग्ध उद्योग क्षेत्र के विस्तार और उसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल बीरचन्द भाई शाह) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने पिछले 3 वर्षों के दौरान आपरेशन फ्लड-3 और उत्तरी केरल में स्विस सहायता प्राप्त परियोजना के तहत डेयरी विकास के लिए केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी है :

वर्ष	(रुपये लाख में)
1987-88	176 09
1988-89	320.34
1989-90	208·35
1990-91 (जनवरी, 1991 तक)	113·33

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान डेयरी विकास के लिए केरल सहकारी दुग्ध विपणन संघ को प्रगति के आधार पर 10.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) केरल में दुग्ध उद्योग क्षेत्र (डेयरी कार्य) का विकास आपरेशन-फ्लड 3 के अन्तर्गत मौजूदा डेयरी/दुग्ध अतिशीतन संयंत्रों तथा पशु आहार संयंत्रों के विस्तार, और नये डेरी संयंत्रो/दुग्ध अतिशीतन संयंत्रो की स्थापना तथा उत्तरी केरल मे स्विस सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है।

दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग में शामिल करना

[हिन्दी]

981. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या थल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 को 'राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग प्रणाली" में सम्मिलित कर लिया गया है,

(ख) क्या सरकार का विचार जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 को "राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग प्रणाली" में प्रथम वरीयता देने का है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय राजमार्ग-8 के केवल अहमदाबाद बदोदरा खंड को राष्ट्रीय एक्सप्रेस प्रणाली में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त देश मे विकसित किए जाने वाले संभावी एक्सप्रेसवे नेटवर्क का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया जा रहा है। राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे नेटवर्क मे और खंडों को शामिल किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर तथा आठवीं योजना के भीतर, जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

उन्नाव, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से भूमि का कटाव

982. अनवार अहमद : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला प्रभावित हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) : बाढ़ों के दौरान कुछ गांव प्रभावित हुए हैं।

(ख) से (घ) : बाढ़ सुरक्षा उपाय राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधियों में से किए जाते हैं। केन्द्रीय सहायता के लिए कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

बम्बई में विदेशी डाक सेवा

[अनुवाद]

983. श्री एस. कृष्ण कुमार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में असंतोषजनक विदेशी डाक सेवा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) खाड़ी युद्ध से उत्पन्न स्थिति के कारण डाक न मिल पाने और डाक विलंब से प्राप्त होने के कुछ मामलों को छोड़कर मुम्बई में विदेश डाक सेवा सामान्यतः संतोषजनक है।

(ख) विदेश डाक की वितरण और पारेषण सुविधाओं की लगातार समीक्षा की जाती है। विदेश डाक के संचालन में कोई बाधा न आए इसलिए इस सेवा की गुणवत्ता की मानीटरिंग भी की जाती है।

बाजारों का विनियमन

[हिन्दी]

984. श्री शिव शरण वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1991 के "जनसत्ता" में राजनीतिकों के कारण रुकी योजनाएं शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इन योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाए; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) समाचार दिल्ली में बाजारों के विनियमन के बारे में है। बाजारों के विकास और विनियमन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का हैं। केन्द्र सरकार की भूमिका बुनियादी कानून बनाने, डिजाइन तैयार करने, बाजारों का विकास करने से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों की मदद करने और उन्हें परामर्श देने तथा बाजारों में विकास के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता-अनुदान प्रदाने करने की है। भारत सरकार, दिल्ली प्रशासन सहित सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों पर सभी बाजारों को विनियमन के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता के बारे में दबाव डालती रही है। दिल्ली प्रशासन इस दिशा में प्रयास कर रहा है। हाल ही में, दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड ने दिल्ली में थोक कृषि बाजारों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने हेतु कृषि विपणन केन्द्र, जयपुर के साथ एक करार किया है।

भारतीय मुर्गी पालन विकास बोर्ड स्थापित करना

[अनुवाद]

985. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मुर्गी-पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काफी, चाय, रबड़ और रेशम बोर्डों की भांति एक भारतीय मुर्गी-पालन विकास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रण्डा निगम समिति ने इस सम्बन्ध में योजना आयोग को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्ती लाल बीरचन्द भाई शाह) : (क) आठवीं योजना अवधि के दौरान एक राष्ट्रीय कुक्कुट विकास बोर्ड का गठन करने के लिए प्रस्ताव योजना आयोग के समक्ष रखा गया है, और इसके अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है । इस प्रस्ताव का विवरण अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

काकीनाडा में फास्फोरिक एसिड संयंत्र स्थापित करना

986. श्रीमती टी. मनेम्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में उर्वरक और रसायन उद्योग को अपेक्षित तरल फास्फोरिक एसिड और अमोनिया का आयात करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,

(ख) क्या काकीनाडा में फास्फोरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने के लिए "इफको" से कोई अनुरोध किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा "इफको" की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल बीरचन्द भाई शाह) : (क) वर्ष 1990-91 में फास्फोरिक एसिड और अमोनिया का आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में समग्र कठिनाइयों के कारण अपर्याप्त था । इससे आयातित फास्फोरिक एसिड और अमोनिया पर निर्भर आंध्र प्रदेश में स्थित संयंत्र सहित सभी स्वदेशी फास्फेरिक संयंत्रों पर प्रभाव पड़ा है ।

(ख) और (ग) मैसर्स गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. ने इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. से काकोनाडा में फास्फोरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया था । इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि. ने अनुरोध को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया ।

गैर सरकारी निर्माताओं द्वारा दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन

987. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन और अधिक गैर सरकारी निर्माताओं को सौंपने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने गैर सरकारी निर्माताओं को लाइसेंस दिए गए हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की आठवीं योजना के दौरान उत्पादन में वृद्धि करेगा;

(घ) यदि हां, तो कितना; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) आई.टी.आई. के उत्पादन में वृद्धि दूरसंचार विभाग और दूरसंचार के अन्य प्रयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित आपूर्तियों के अनुसार होगी।

(ङ) स्विचिंग उपस्कर के क्षेत्र में, आई.टी.आई. को, उसके बंगलौर, पालघाट, रायबरेली, मनकापुर, बंगलौर के निकट कियोनिक शहर और श्रीनगर स्थित कारखानों में विभिन्न प्रकार के स्विचिंग उपस्करों की 16.8 लाख लाइनों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए आई.टी.आई. अपने उत्पादन में वृद्धि करेगी। पारेषण उपस्कर के क्षेत्र में आई.टी.आई. विभिन्न प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपस्करों के उत्पादन में वृद्धि करेगी। ये उपस्कर नैनी और बंगलौर में बनाये जा रहे हैं। आई.टी.आई इंदौर नैनो और श्रीनगर में टेलीफोन उपकरणों का उत्पादन कर रही है। विभिन्न प्रयोगकर्त्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इन उपकरणों का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा।

विवरण

निजी विनिर्माताओं की सूची जिन्हें दूरसंचार उपस्कर बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं।

क्रम सं.	पार्टी का नाम
1.	एडवांस रेडियो मास्ट प्रा. लि. हैदराबाद।
2.	बीपीएल सिस्टम एण्ड प्रोजेक्स लि. नई दिल्ली
3.	अरलेम ब्रूवरीज लि. गोवा
4.	अरविन्द मिल्स-पुराणु पुणे
5.	आटो कन्ट्रोल (पी) लि. नई दिल्ली

6. ब्लूस्टार लि. नई दिल्ली
7. कन्टीनन्टल डिवाइस इंडिया लि. नई दिल्ली
8. कास्मो कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. हैदराबाद
9. क्रामपटन ग्रीव्स लि. बम्बई
10. डेविके इन्फारमेशन टेक्नोलाजी लि. नई दिल्ली
11. डेल्टा हेमलिन (पी) लि. चण्डीगढ़
12. एस्कार्ट लि. (टेलीकम्यूनिकेशन डिवीजन) नई दिल्ली
13. ईस्सन टेलीकम (पी) लि. गांधी नगर
14. जेनसिटि टेलीकाम (पी) लि. नई दिल्ली
15. हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी लि. मैसूर
16. इन्डोकेम इलेक्ट्रानिक लि. मद्रास
17. इण्डियन इण्डस्ट्रीज लि. हैदराबाद
18. इनोवेशन कम्युनिकेशन प्रा. लि. हैदराबाद
19. कालिन्दी रेल निर्माण (इंजी) लिमिटेड, जयपुर
20. लारसन एण्ड टूबरो लि. बम्बई
21. एल एविनीर विजनेस सिस्टम—सिकन्दराबाद
22. मैंगनाबीजन इलेक्ट्रानिक (प्रा.) लि. बेंगलूर
23. मेकास्टर जे एण्ड के हांसमीशन प्रा. लि., नई दिल्ली
24. नेशनल टेलीकाम इंडिया लि. बम्बई
25. नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रानिक कं. लि. बम्बई
26. आर. एस. इलेक्ट्रानिक लि. बम्बई
27. राजस्थान टेलीमेटिक्स (प्रा.) लि. कोटा
28. श्याम एंटोना इलेक्ट्रानिक प्रा.लि. नई दिल्ली
29. सुपरफोन इंडिया प्रा. लि. बम्बई
30. टाटा टेलीकाम लि., गांधीनगर
31. यूनाइटेड टेलीकाम लि., बेंगलूर

32. यूनिटेल कम्युनिकेशन लि., भुवनेशवर
33. ऊषा एच पी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रा. लि. शिमला
34. भारती इंडिया टेलीट्रानि भारती टेलीकाम लि. नई दिल्ली
35. स्वेड इंडिया टेलीट्रानिक्स लि. बेंगलूर
36. सुनील कम्युनिकेशंस श्रीनगर
37. पुलसर इलेक्ट्रानिक्स लि.
38. हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लि. शिमला
39. वामसा इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. हैदराबाद
40. एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स लि., थाणे
41. मोदी टेलीमेटिक्स लि. बेंगलूर
42. एस.ई.टी. टेलीकम्युनिकेशन, बम्बई
43. रेमिग्टन रैण्ड आफ इंडिया लि., कलकत्ता
44. ऐडर इलैक्ट्रानिकस इन्डस्ट्रीज लि. अम्बाला
45. एच सी एल लि. (टेलीकाम डिवीजन) नई दिल्ली
46. ऊषा कम्प्यूटर एंड पैरीफैरियल्स लि. नई दिल्ली
47. हारट्रान नेटवर्क्स लि. चण्डीगढ़
48. डिजिटल टेलीकाम लि. चण्डीगढ़
49. पैरिनफिक टेलीकम्युनिकेशन इन्डस्ट्रीज लि. हैदराबाद
50. बी. कृष्णरेड्डी हैदराबाद
51. उषा इलेक्ट्रानिक्स गाजियाबाद
52. एस. एस. इलैक्ट्रानिक इण्डस्ट्रीज सिलीगुड़ी
53. नार्दन डिजिटल एक्सचेंज लिमिटेड, एस. एस नगर
54. प्रकाश चन्द्र साहू, श्री जगन्नाथ इलेक्ट्रा. कार्पो. लि.,
55. उषा जी.ई.सी. प्लेसी—नई दिल्ली
56. फिल्पिस कार्बन ब्लैक लि.—नई दिल्ली
57. बी.के. अग्रवाल (कैलाश टेलीकाम इण्डिया प्राइवेट लि.)

58. आप्रनीटेल इण्डस्ट्रीज लि.—हैदराबाद
59. सावमैंग इलेक्ट्रानिक—होसूर
60. एस. एस. इंटरप्राइजेज, इलाहाबाद
61. सप सान इलेक्ट्रानिकस लि. नई दिल्ली
62. टाटा केल्ट्रान लि. पालघाट
63. टेक्सटोन टेलीकाम प्रा. लि. दिल्ली
64. डब्ल्यू एस. इण्डस्ट्रीज मद्रास
65. हेण्डेन इलेक्ट्रानिक लि. केरल
66. इण्डिया टेलीकाम लि. नई दिल्ली
67. न्यू वीडिया लि. कसौली
68. गोवा टेलिमेटिक्स लि. गोवा
69. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इण्डियन मर्स लि. नई दिल्ली
70. राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. नई दिल्ली
71. भातरा पावर सिस्ट्म्स प्रा. लि. बम्बई
72. इगटेल (भाई जी टेलीकाम लि.) जयपुर
73. पी वी प्रभाकर राव, हैदराबाद
74. बी. एम जी टेलीकाम प्रा. लि. नई दिल्ली
75. रामसोन कम्यूनिकेशन्स लि. नई दिल्ली
76. नेस्टलर इलेक्ट्रो सिस्ट्मस, मेरठ
77. यू रामकृष्णन, हैदराबाद
78. आर्ती इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. मद्रास
79. पेसीजन इलेक्ट्रानिक (प्रा.) लि. नई दिल्ली
80. यूनीट्रान लि. फरीदाबाद
81. यू पी हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लि. लखनऊ
82. एलको कम्यूनिकेशन्स लि. बेंगलूर
83. अकोई कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि. मेरठ

84. इस्टर्न टेलीकाम एण्ड टेक्नालाजी लि. मुरादाबाद

85. प्रियाराज इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. बेंगलूर

86. हेमन्त इलेक्ट्रानिक्स इरोड (तमिलनाडु)

87. फेकवे वाई.एन. नई दिल्ली

88. की इलेक्ट्रो इंडस्ट्रीज बम्बई

89. वीरेन्द्र गुप्ता, कलकत्ता

90. ईस्ववायर डिस्ट्रीब्यूटिंग एण्ड सर्विस (प्रा.) लि, बम्बई

91. ईलाइट इन्फोट्रोनिक्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली

92. जीमग इंडिया लि. (पीएसईडीसी) रोपड़

93. ब्लेड्स आफ ग्रास कम्यूनिकेशन्स सिस्ट्मस प्रा. लि. बेंगलूर

94. डिजिकाम सिस्टमस लि. नोएडा, गाजियाबाद

95. एस एस बी इंडस्ट्रीज लि. मद्रास

96. महालिंगम डिजाइनर्स, मद्रास

97. कम्प्यूटर पेरीफेरल डीवाइसेस, बेंगलूर

98. रीयल टाइम सिस्ट्मस प्रा.लि., नई दिल्ली

नयी दिल्ली में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार

988. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नयी दिल्ली में दूरसंचार सेवाओं को सुधारने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सेवाओं में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

विवरण

दिल्ली की टेलीफोन सेवाओं में और सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपाय

क. बाह्य संयंत्र

1. बाह्य संयंत्र और उपभोक्ताओं के अहातों में लगी फिटिंग की पुन: मरम्मत करना तथा उन्हें पुनः व्यवस्थित करना।
2. वितरण प्वाइंटों पर ताला लगाना तथा कैबिनेट और पिल्लरों को सही करना।
3. भूमिगत केबिलों को डक्ट में बिछाना।
4. जंक्शन, प्राइमरी और सेकेण्डरी केबिलों का दावीकरण।
5. जेली भरी भूमिगत केबिलों का प्रयोग करना।
6. अच्छी किस्म के टर्मिनेशनों का प्रयोग करना।
7. इंस्युलेटेड ड्राप वायर और मानक उपकरणों का प्रयोग करना।
8. अक्सर खराब होने वाली भूमिगत केबिलों को बदलना।
9. अच्छे टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग करना।

ख. टेलीफोन एक्सचेंज तथा मीडिया :

1. नेटवर्क से पुराने और घिसेपिटे एक्सचेंजों को बन्द करना।
2. बड़ी संख्या में डिजिटल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों को लागू करना।
3. अंतर एक्सचेंज जंक्शनों के लिए पीसीएम प्रणालियों, आप्टिकल फाइबर प्रणालियों तथा डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों को प्रारम्भ करना।
4. एसटीडी/आईएसडी कालों का संचालन करने के लिए इलेक्ट्रानिक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज प्रारम्भ करना।
5. मैनुअल ट्रंक एक्सचेंजों के कार्यकरण को कारगर बनाना तथा अन्ततः इन्हें कम्प्यूटर नियन्त्रित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलना।

ग. सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।

भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा ग्रामीण लोगों को दी जाने वाली रियायतें

989. डा. ए. के. पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने अपने स्वामित्व वाले रेस्तराओं और होटलों में ग्रामीण लोगों के लिये भोजन पर 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कार्ययोजना का ब्योरा क्या है;

(ग) ग्रामीण लोगों के वर्गीकरण के लिए क्या मानदण्ड बनाए गए हैं;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर अपने फार्म हाउसों में रहने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं; और

(ङ) शहरी लोगों द्वारा इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह)। (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह स्कीम 25.1.1991 से लागू है और ऐसे ग्रामीण अतिथियों पर लागू होती है जो भारत पर्यटन विकास निगम के सम्बन्धित होटल/रेस्तरां के निकट 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। उन्हें ग्राम प्रधान द्वारा जारी और उस क्षेत्र के सरपंच द्वारा प्रमाणित पहचान-पत्र/प्रमाण-पत्र बेहतर होगा यदि उस पर फोटो चिपका हो, प्रस्तुत करके अपनी पहचान साबित करनी होती है। तथापि, संघ शासित प्रदेश दिल्ली में अवस्थित होटलों/रेस्तराओं के मामले में, 50 किलोमीटर दूरी की शर्त लागू नहीं होगी और भारत के किसी भी भाग से कोई भी वास्तविक ग्रामीण अतिथि इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। परिवार के मामले में इस सुविधा का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या परिवार के मुखिया सहित छः से अधिक नहीं होगी। इस स्कीम के अनुसार, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक होटल में एक विनिर्दिष्ट रेस्तरां में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के विनिर्दिष्ट भोजनों पर सप्ताह में दो दिन अर्थात बृहस्पतिवार और शुक्रवार को असली ग्रामीण अतिथि 50 प्रतिशत छूट पाने के हकदार हैं।

(घ) ग्रामीण अतिथि के "निवास के सामान्य स्थान" के आधार पर पहचान करने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा जारी और क्षेत्र के सरपंच द्वारा प्रमाणित पहचान पत्र/प्रमाण-पत्र निर्धारित किया गया है।

(ङ) इस स्कीम में उल्लिखित एक पूर्व शर्त यह है कि ग्रामीण अतिथि को निवास के सामान्य स्थान के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा जारी तथा उस क्षेत्र के सरपंच द्वारा प्रमाणित पहचान-पत्र/प्रमाण-पत्र के रूप में अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी। आशा है कि इस उपाय से शहरी व्यक्तियों द्वारा इस सुविधा के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा।

केरल में नये डाकघरों का खोला जाना

990. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केरल के कालीकट, कन्नानोर, वायनाड, अथवा कासरगोड जिलों में और नये डाकघर/उपडाकघर/शाखा डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या कन्नानोर और वायनाड जिलों से और अधिक डाकघर/डाक सुविधायें प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाई की हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे डाकघरों की सूची जिनके लिए कालीकट के पोस्ट मास्टर जनरल से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, विवरण के रूप में दी गई है।

(ग) कन्नानूर और वायनाड जिलों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए पोस्टमास्टर जनरल, उत्तरी क्षेत्र कालीकट, केरल से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(घ) ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्तावित डाकघर का नाम	जिला	डाक डिवीजन
1	2	3	4
1.	मल्ला	कासरगेड	कासरगेड
2.	मवाल	,,	,,
3.	कालाकाटा	,,	,,
4.	बलियापरंबा	,,	,,
5.	उडूमापडिनहारे	,,	,,
6.	पल्ला थडका	,,	,,
7.	मुट्टमकडावू	,,	,,
8.	शेरूर	,,	,,
9.	अमेरी	,,	,,

1	2	3	4
10.	छटुवापारा	कन्नानूर	कन्नानूर
11.	यूडाकोमे	,,	,,
12.	चलाकोडे	,,	,,
13.	नेकले	,,	,,
14.	ओरापाडी	,,	,,
15.	तीरथली	,,	,,
16.	इलायवारा	,,	,,
17.	नाडूबंद	,,	,,
18.	पेरिकारी	,,	तेलीचेरी
19.	मेलमुरिगोडी	,,	,,
20.	मालानूर	,,	,,
21.	करैय्याकामला	वायनाड	,,
22.	पडुसेरी	,,	,,
23.	पडुसेरी कडाबू	,,	,,
24.	छोटूपादा	,,	कालीकट
25.	करानी	,,	,,
26.	वूदानमकालोनी वायनाड	,,	,,
27.	मराकडाबू	,,	,,
28.	कट्टो	कोझीकोड	वाडागढ़
29.	मुलमवाद	,,	,,
30.	इम्मापरंबु	,,	,,
31.	पुठपारा	,,	,,
32.	इद्रानगर	,,	,,
33.	पलेरीटाउन	,,	,,

1		2	3
34.	मंगद	कोझीकोट	बाबागढ़
35.	थलेर पंडालबाजार	,,	,,
36.	कुम्बारा	,,	कालीकट
37.	पवनदूर	,,	,,
38.	नेलिकापरंबा	,,	,,
39.	मंदूर कालीकट	,,	,,
40.	थियापारा	,,	,,

केरल में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

991. **श्री मुल्लापल्लीरामचन्द्रन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कालीकट, कन्नानोर, वायनाड और मालापुरम जिलों में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार की योजनाएं क्या हैं;

(ख) इन जिलों में विस्तार आधुनिकीकरण के लिए निश्चित किये जाने वाले वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जिलों के ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 1991 के दौरान कन्नानोर जिले में 6 टेलीफोन एक्सचेंजों, कालीकट जिले में 3 एक्सचेंजों, मालापुरम जिले में 4 एक्सचेंजो और वायनाड जिले में 3 एक्सचेंजों का विस्तार करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) निम्नलिखित एक्सचेंजों के विस्तार/आधुनिकीकरण का कार्यक्रम बनाया गया है, बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हो :—

कन्नानोर जिला

1. अंजराकंडी 300-400 मैक्स-II
2. पय्यकगडो 300-500 मैक्स-II

3. इट्टीकुलम 45 मैक्स-III से 128 पी सी डाट

4. माचिल 45 मैक्स-III से 128 पी सी डाट

5. पलकोडे 45 मैक्स-III से 128 पी सी डाट

6. पेरिंगम 45 मैक्स-III से 128 पी सी डाट

कालीकट जिला

1. बलुसेरी 90 मैक्स-111 से 512 आई एल टी

2. मोक्कम 90 मैक्स-111 से 512 आई एल टी

3. मोकेरी 90 मैक्स-111 से 512 आई एल टी

मालापुरम जिला

1. कलपकमचेरी 90 मैक्स-111 से 512 आई एल टी

2. मंजेरी 700-1000 मैक्स 11

3. कोलाधुर 45 मैक्स 111 से 128 पी सी डाट

4. मल्लमेरी 90 मैक्स-111 300 मैक्स-11

वायनाड जिला

1. कोरोक 35 मैक्स 111 से 128 पी सी डाट

2. नूलपुजा 45 मैक्स 111 से 128 पी सी डाट

3. वदुवांचाल 45 मैक्स 111 से 128 पी सी डाट

(ग) व (घ) इन जिलों में 1991 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर नए एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है :—

1. चिन्नरोपरम्बा, ग्रामीण
(कन्नानौर जिला) 128 पी सी डाट

2. इरूममुडा (मालापुरम जिला) ग्रामीण
128 पी सी डाट

3. चेराल (वायनाड जिला), ग्रामीण
128 पी सी डाट

केरल में एरनाकुलम-वयपीन पुल का निर्माण

992. श्री मुल्लीपल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में एरनाकुलम-वयपीन पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडोया) : चूंकि राज्य सरकार परियोजना की लागत का 50% पूरा करने पर सहमत नहीं हुई है इसलिए इस प्रस्ताव पर कार्रवाई करना संभव नहीं हुआ है।

"मेवाड़ कम्पलेक्स प्लान" के लिए केन्द्रीय सहायता

[हिन्दी]

993. श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पग्राम, उदयपुर में आयोजित मेले में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का उदयपुर में मेवाड़ कम्पलेक्स प्लान को मंजूर करने तथा इसके लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जी, हां।

कुवैती बैंकों में भारतीयों की जमा राशि

[अनुवाद]

994. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका अनुमान लगाया है कि खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीयों की कुवैत के बैंकों में कुल कितनी राशि जमा पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धनराशि को प्राप्त करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) मौजूदा परिस्थितियों में इस बात का हिसाब लगाना मुमकिन नहीं है कि भारत वापस लौटने वाले इन लोगों के बैंक खातों में कितनी रकम जमा थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा परिस्थितियों में यह भी संभव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्राम पंचायतों के लिए डाक व टेलीफोन सुविधाएं

[हिन्दी]

995. **श्री गुलाब चन्द कटारिया :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय अभी भी डाक सुविधाओं से वंचित हैं और इन मुख्यालयों को कब तक यह सुविधाएं दिये जाने की संभावना है; और

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जयप्रकाश) : (क) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में 8989 डाकघर काम कर रहे हैं। 110 ग्राम पंचायत मुख्यालयों में डाकघर नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुमानित राजस्व जैसे अन्य तथ्यों को ध्यान में रखना होता है इसलिए इस संबंध में कोई वास्तविक समय सीमा नहीं बताई जा सकती। तथापि, प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में डाकघर न होने का मतलब यह नहीं है कि वह क्षेत्र डाक सुविधाओं से वंचित है। कुछ ग्राम पंचायतों में ऐसे गांवों में डाकघर खोले गए हैं जो उस पंचायत के मुख्यालय नहीं है। इस क्षेत्र में डाक वितरित की जाती है और वितरण एजेंट जब उस क्षेत्र में जाता है, तो वहां डाक टिकटें और लेखन सामग्री बेचता है तथा रजिस्टर्ड पत्र बुक करता है। तथापि मनीआर्डरों और बचत बैंक संबंधी कार्यों के लिए काउंटर सुविधाएं उपलब्ध कराना स्थानीय डाकघर की व्यवस्था पर निर्भर करता है।

(ख) योजना आयोग का अनुमोदन के लिए आठवीं योजना का जो मसौदा प्रस्तुत किया गया है उसमें आठवीं योजना के अन्त तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है।

अमरीकी युद्धपोतों को मुंबई और मद्रास के पत्तनों पर लंगर डालने की अनुमति देना

[अनुवाद]

996. **श्री पी. एम. सईद :**

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मुंबई और मद्रास के पत्तनों पर एक अमरीकी युद्धपोत को लंगर डालने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पोत को इन पत्तनों पर कितनी अवधि के लिए लंगर डालने की अनुमति दी गई थी;

(ग) भारतीय पत्तनों पर एक युद्धपोत को लंगर डालने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस नीति से गुट निरपेक्ष देशों के साथ हमारे संबंधों पर विपरीत असर पड़ेगा ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां। अमरीकी नौसैनिक जहाज यू एस एस फोर्ड को सिर्फ मुंबई में ही लंगर डालने की इजाजत दी गई थी।

(ख) 21 से 25 जनवरी, 1991

(ग) बहुत दिनों से सरकार की यह नीति रही है कि वह पारस्परिकता के आधार पर मित्र देशों के युद्धपोतों को भारतीय बन्दरगाहों पर आने की अनुमति दे।

(घ) जी नहीं।

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

997. श्री आनन्द सिंह :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जनवरी, 1991 के "हिन्दू" में "यू. एस. सीपटेनिंग स्टैंड आन पाक-बम्ब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा पाकिस्तान को संभावित कितनी सैन्य और आर्थिक सहायता दी जायेगी, इस बारे में सरकार के पास क्या सूचना है,

(ग) क्या सरकार ने भारतीय उपमहाद्वीप में शांति के संदर्भ में यह मामला अमरीकी अधिकारियों के समक्ष उठाया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके प्रति अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अमरीकी कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत अमरीकी सरकार के इस प्रस्ताव पर गौर किया है जिसमें यह सुझाव दिया है कि पाकिस्तान को दी जा रही सहायता लगभग 570 मिलियन अमरीकी डालर से घटाकर लगभग 208 मिलियन अमरीकी डालर कर दी जाए। अमरीकी कांग्रेस को इस प्रस्ताव पर अभी फैसला लेना है।

(ग) जी, नहीं। यह दो संप्रभुसम्पन्न देशों के बीच का द्विपक्षीय मामला है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-चीन सीमा विवाद का समाधान

998. श्री प्रकाश कोको ग्रहामट्टे :

श्री केलाश मेघवाल :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन सीमा संबंधी विवाद का गंभीरतापूर्वक समाधान करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद को समाधान करने हेतु एक सर्वांगीण योजना तैयार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : तत्कालीन विदेश मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल की हाल ही की चीन यात्रा के दौरान भारत और चीन दोनों ने मैत्रीपूर्ण परामर्श के जरिए सीमा सवाल के निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए काम करने की अपनी इच्छा की पुन: पुष्टि की।

(ख) और (ग) सरकार ने आशावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया दोनों पक्ष इस समय इस काम मे व्यस्त हैं कि सीमा के मसले को तय करने के आधार क्या हों और साथ ही वे इस कोशिश मे भी लगे हैं कि मतभेद कम कैसे किए जा सकते हैं ताकि इसका निष्पक्ष और उचित समाधान निकल सके।

केरल की सिंचाई क्षमता

999. श्री थंकाई के. एम. मेथ्यू : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सिंचाई क्षमता के उपयोग हेतु केरल की कितनी नदियां उपयुक्त हैं;

(ख) सिंचाई क्षमता की प्रतिशतता क्या है और केरल में अभी तक कितनी नदियों का दोहन और उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) सिंचाई क्षमता को बढ़ाने हेतु केरल में भूतल जल का अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोंडोलिया) : (क) से (ग) केरल में बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं तथा वे नदियां जिनसे ये परियोजनाएं

संबंधित हैं, के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। केरल की अन्ततः सिंचाई क्षमता 2122 हजार हेक्टेयर है जिसमें से 2097.52 हजार हेक्टेयर सातवीं योजना के अन्त तक वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए सृजित हो जाने की प्रत्याशा है। राज्य की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सी परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	नदी का नाम
1	2	3
	पूर्ण स्कीमें	
क.	वृहद	
1.	मालमपुझा	वाराथापुझा
2.	चुलाकुडी	चालाकुडी
3.	पोची	पोची
ख.	मध्यम	
1.	मंगलम	वाराथापुझा
2.	कल्लानी	वाराथापुझा
3.	वालायार	वाराथापुझा
4.	पोचन्डी	वाराथापुझा
5.	नेय्यर (आई एस)	नेय्यर
6.	चोराकुझी	वुल्लापुझा
7.	गायत्री (मीनकारा)	वुल्यापुझा
	निर्माणाधीन स्कीमें	
क.	वृहद	
1.	पेरियार घाटी	पेरियार
2.	पम्बा	पम्बा
3.	चित्तुपुझा	वाराचलपुझा
4.	कुटियाडी	कुटियाडी

1	2	3
	5. कनिहारपुझा	बाराथापुझा
	6. पुझासी	वेलुपतनम
	7. कालाडा	कालाडा
	8. मुवाथुपुझा	मुवाथुपुझा
	9. चिमोंनी	पेरियार
	10. काकादावू	कुप्पम
	11. इदमलयार	पेरियार
	12. चलियार	वेपोरपुझा
ख.	मध्यम	
	1. आटापडी	भवानी (कावेरी)
	2. कारापुझा	कबीनी (कावेरी)
	3. वामनपुरम	अतिगल
	4. मीनाचिल	मीनाचिल
	5. बाणसुर सागर	कबीनी (कावेरी)

केरल में एस टी. डी. की सुविधा

1000. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1990-91 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध होगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोल्लम टेलीकाम डिस्ट्रिक्ट से पठानापुरम एक्सचेंज को एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने वहां एस.टी.डी. सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान केरल में 13 केन्द्रों अर्थात् कोजीकोड़े, कुन्नामंगलम, वदक्कनचेरी (मालाबार), पीरावम, पम्पाकुडा, वाझाकुलम, कूथाट्टाकुलम, अम्बालापुझा, कांजीरा-पल्ली, पोनकुनम, वारापुझा, ईडाचेरी, मीनागड्डी को एस टी डी सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) (i) पाठानापुरम और पुनालूर के बीच पी सी एम प्रणाली चालू कर दी गई है।

(ii) पाठानापुरम के लिए एस टी डी सुविधा चालू कराने के लिए डिजीटल यू एच एफ की योजना बनाई गई है।

डीजल में कटौती से परिवहन क्षेत्र पर प्रभाव

1001. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध के चलते डीजल बचाने के लिए परिवहन क्षेत्र में कटौती लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडिया) : (क) और (ख) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को एच एस डी की आपूर्ति पर, गत वर्ष में उपयोग के संदर्भ में 10 प्रतिशत कटौती एक नवम्बर, 1990 से लागू की गई है। बेड़े में बढ़ोत्तरी के कारण उत्पन्न एस आर टी वी की आवश्यकताओं की पूरी तरह से आपूर्ति की जा रही है।

इस समय पूरे देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों को एच एस डी की आपूर्ति उसी स्तर पर की जा रही है जितनी गत वर्ष की इसी अवधि में की जा रही थी। मांग में हुई सामान्य बढ़ोतरी को पूरा नहीं किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन क्षेत्र के लिए एच एस डी की उपलब्धता में कुछ कमी हुई है। खाड़ी युद्ध के कारण परिवहन अथवा अन्य किसी क्षेत्र पर कोई नई कटौतियां नहीं लगाई गई हैं। ये उपाय, मध्य जनवरी, 1991 में प्रारम्भ हुए खाड़ी युद्ध के पूर्व लागू किए गए थे।

खाड़ी छोड़कर आने वाले लोगों से प्रत्यावर्तन लागत की वसूली

1003. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने के बाद सरकार द्वारा खाड़ी के देशों से भारतीयों को स्वदेश लाने पर आई लागत की वसूली के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां से निकाले गए व्यक्तियों से अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई गई है और उनमें से कितने व्यक्तियों से यह राशि वसूल की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक इक्का-दुक्का ऐसे मामलों में इस प्रकार के भुगतान स्वीकार किए गए

हैं । जहां वापस लाए गए लोगों ने सरकार द्वारा खर्च की गई राशि को स्वेच्छा से अदा करना चाहा है ।

कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को पानी देना

1004. **श्री. पी. एम. सईद :**

श्री एम. सेल्वाराजू :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में फसल बचाने के लिए कर्नाटक के जलाशयों से पानी की आपूर्ति का प्रबन्ध करने हेतु कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां ।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने कम से कम 20 टी एम सी जल निर्मुक्त करने के लिए कर्नाटक सरकार को राजी करने हेतु अपने प्रभाव का उपयोग करने के वास्ते केन्द्र से अनुरोध किया था ।

(ग) जल निर्मुक्त करने के लिए इस मामले को कर्नाटक सरकार के साथ उठाया गया था ।

फैजाबाद उपमार्ग का निर्माण

1005 **श्री मित्रसेन यादव** ; क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) फैजाबाद उपमार्ग के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) इसके लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और अब तक इस पर कितना खर्च हुआ है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) बाई पास के किनारे-किनारे भूकार्य तथा पुलियों का कार्य पूरा कर लिया गया है ।

(ख) अब तक कुल 157.81 लाख रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें से 31-3-1990 तक 138.91 लाख रु. खर्च किए जा चुके हैं ।

हरियाणा से होकर गुजरने वाले वाहनों पर चुंगी

1006. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा में आने वाले या होकर गुजरने वाले सभी गैर-हरियाणवी वाहनों पर 190 रुपये प्रतिदिन की दर से पुंगी वसूली जाती है जिससे हाल ही में उत्तरी-क्षेत्र के राज्यों में सड़क परिवहन ठप्प रहा, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल ससाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार इस बात से अवगत है कि हरियाणा सरकार ने, हरियाणा राज्य में प्रवेश करने वाले कुछेक मोटर वाहनों पर टाल लगाने के लिए हरियाणा मोटर परिवहन वाहन (टाल) अध्यादेश 1990 जारी किया है। यह टाल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत हरियाणा राज्य से बाहर अधिकार-क्षेत्र रखने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त किसी परमिट के तहत चलने वाले सभी स्टेज कैरिज अथवा माल वाहनों अथवा सार्वजनिक सेवा वाहनों अथवा कन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों द्वारा देय है। टाल की वर्तमान दर प्रतिदिन प्रति विनिर्दिष्ट वाहन, 100 रु. है। यहां यह उल्लेखनीय है कि टाल लगाना राज्य का विषय है।

सरकार को, यह टैक्स लगाए जाने के खिलाफ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।

माल्टा में "लोटस" जहाज का डूबना

1007. श्री हरि किशोर सिंह :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जनवरी, 1991 को एक भारतीय "लोटस" नामक जहाज, माल्टा के समीप डूब गया,

(ख) यदि हां, तो उसमें जानमाल की कितनी क्षति हुई और इसके शिकार व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया है,

(ग) सरकार ने यदि उसके डूबने की परिस्थितियों की कोई जांच करायी हो तो उस जांच का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) एक भारतीय पोत एम वी कांटीनेन्टल लोट्स 21 जनवरी, 1991 को माल्टा के समीप डूब गया।

(ख) जहाज पर सवार 42 व्यक्तियों में से, चार जीवित बचे, 26 शव प्राप्त हुए और 12 लापता समझे गए हैं। लगभग 51,000 टन लौह अयस्क के कार्गो के साथ पूरा जहाज लुप्त हो गया। अधिकारियों के परिवारों को शिपओनर और मेरीटाईम यूनियन आफ इंडिया के बीच हुए समझौते के अनुसार तथा अन्य नाविकों के परिवारों को नेशनल मेरीटाईम बोर्ड समझौते के अनुसार क्षतिपूर्ति उदेय है।

(ग) और (घ) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के लिए आदेश दे दिया गया है।

उर्वरक कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध जांच

[हिन्दी]

1008. श्री शिव शरण वर्मा : क्या कृषि मन्त्री 9 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं 635 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. और 'कृषको' के प्रबन्ध निदेशकों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गयी है,

(ख) यदि हां, तो इस जांच से किन-किन तथ्यों का पता लगा, और

(ग) इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री(श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली

1009. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली को सुचारु रूप से बनाए रखने हेतु कोई नई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान, हैदराबाद की सिफारिशों के आधार पर डाक विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के नए मानदंडों को अन्तिम रूप दे रहा है।

(ख) और (ग) बनाए जाने वाले नए मानदण्डों को अन्तिम रूप देने का कार्य अब अन्तिम चरण में है।

व्यापक फसल बीमा योजना

1010. श्रीमती वसुंधरा राजे :

श्री प्रताप राव जी. भोसले :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापक फसल बीमा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो यह योजना किस हद तक सफल रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का वर्तमान व्यापक फसल बीमा योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल भोरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) वृहत फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता देना और फसल के नष्ट होने की स्थिति में उनकी ऋण लेने की पात्रता बहाल करना है। ये उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त कर लिए गये हैं क्योंकि इस योजना को काफी सफलता मिली है जो इस बात से देखा जा सकता है कि 1985-90 के दौरान, 19 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 464.02 लाख हैक्टेयर क्षेत्र मे कुल मिलाकर 263.40 लाख किसान कवर किए गए थे जिनका 5744.69 करोड़ रुपए का बीमा किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

राजस्थान में पर्यटन वृत्तों (ट्रैवल सर्किट्स) पर्यटन का विकास

1011. श्रीमती चतुरा राजे : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान में पर्यटन वृत्तों (ट्रैवल सर्किट्स) की पहचान और विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या राज्य में कुछ पर्यटन वृत्तों की पहले ही पहचान कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य सरकार के साथ परामर्श करके राजस्थान में निम्नलिखित यात्रा परिपथों को संवर्धन के लिए अभिनिर्धारित किया गया है :

1. उदयपुर-चित्तौड़गढ़-माउंट आबू-रनकपुर-कुम्भलगढ़- जोधपुर जो बम्बई-औरंगाबाद-उदयपुर-जोधपुर-आगरा-दिल्ली के स्थापित पथियों की विस्तार यात्रा है।

2. सरिस्का-अलवर-देवगढ़ और भरतपुर जो दिल्ली-आगरा-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर बम्बई के स्थापित परिपथों को विस्तार यात्रा है।

(ग) 1990-91 के दौरान, राजस्थान को लगभग 160 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने हेतु परियोजना स्कीमों पर विचार किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में बताया गया है।

चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध

1012. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी :

श्री प्रतापराव जी. भोसले:

श्री कैलाश मेघवाल :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उनके चीन के हाल के दौरे के समय इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीन द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए थे;

(घ) भारत चीन व्यापार में संयुक्त सहयोग तथा विस्तार के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ङ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) चीन सरकार ने ये कहा कि वह भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने को बहुत महत्व देती है।

(घ) और (ङ) व्यापार, आर्थिक संबंध और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक मे भाग लेने के लिए फरवरी 1991 में वाणिज्य मंत्री की चीन यात्रा के दौरान 1991-1992 के लिए वार्षिक व्यापार प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापार, संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास में सहयोग तथा प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को विविधता और विस्तार प्रदान करने का फैसला किया गया।

उड़ीसा में समुद्र तटों का विकास

1013. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में समुद्र तटों के विकास की कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत किये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में खारे पानी में झींगा मत्स्य पालन का विकास

1014. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में खारे पानी में झींगा मत्स्य पालन के विकास में आने वाली कठिनाईयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा को कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा में खारे पानी में झींगा मछली पालन के विकास में आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) झींगा मछली पालन सम्बन्धी कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में और समय पर अच्छी क्वालिटी के झींगा मछली बीज का उपलब्ध न होना;

(2) अर्ध-गहन झींगा मछली पालन के लिए उपयुक्त देसी आहार का उपलब्ध न होना;

(3) वैयक्तिक किसानों और उद्यमियों आदि को खारे पानी वाले उपयुक्त क्षेत्रों के पट्टे का बन्दोबस्त करने में विलम्ब; और

(4) कुशिक्षित जन-शक्ति की अपर्याप्तता।

(ग) इन बाधाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम और इसके लिए दी गई सहायता निम्न प्रकार है :—

(1) बालासोर जिले में सारथा (चरण-1 और 2), पुरी जिले में मुदीरथ (चरण-1 और 2) और कटक जिले में मौजा जाम्बू में झींगा मछली फार्मों की स्थापना;

(2) बालासोर, कटक, गन्जम और पुरी जिलों में खारापानी मछली पालक विकास एजेंसियों की स्थापना ताकि खारापानी में मछली पालन करने वालों को तकनीकी, वित्तीय और विस्तार समर्थन प्रदान किया जा सके।

(3) गन्जम जिले में गोपालपुर में और पुरी जिले में चद्रभागा में झींगा मछली बीज हैचरियों की स्थापना;

(4) झींगा मछली पालन के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को अभिज्ञात करने के लिए क्षमता वाले खारापानी क्षेत्रों का व्यापक और सूक्ष्म स्तर का सर्वेक्षण।

(5) मात्स्यिकी निदेशालय में तकनीकी प्रभाग को सुदृढ़ करना ताकि तकनीकी जन-शक्ति का दर्जा बढ़ाया जा सके।

(6) झींगा मछली पालकों के लिए देश में प्रशिक्षण और अन्तर-राज्यीय अध्ययन दौरों का आयोजन और झींगा मछली पालन के क्षेत्र में मात्स्यिकी के अधिकारियों का विदेश में प्रशिक्षण आदि; और

(7) केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत खारापानी मछली पालन विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा सरकार को 1987-88 से 106.91 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

स्पेशल स्टेज कैरिऐज बस सेवा शुरू किया जाना

1015. **श्री वाई एस राजशेखर रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में चुने हुए मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम की तुलना में अधिक किराया लेकर "स्पेशल स्टेज कैरिऐज" बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) किन-किन स्थानों का इस बस सेवा से जोड़े जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मधुभाई कोटडीया) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम के किराए ढांचे से ऊंचे किराये ढांचे पर लक्जरी बसों के लिए स्टेज कैरिएज सर्विसेज शुरू करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है।

(ख) निजी प्रचालकों को लक्जरी बसों के लिए प्रथमतः शहर के 20 रूटों पर प्रायोगिक आधार पर 100 स्टेज कैरिएज परमिट प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत 8 कि. मी. तक के लिए 4 रु. और 8. कि. मी. तथा इसके अधिक के लिए 6 रु, किराया लिया जाएगा। कुछ समय के बाद इन सेवाओं के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया की समीक्षा की जाएगी और यदि इसे संतोषजनक पाया गया तो शहर के अन्य मार्गों पर ऐसी और बसें लगाई जा सकती हैं। इस योजना का मुख्य

उद्देश्य ईंधन की खपत कम करने, वायु प्रदूषण को कम करने तथा शहर की सड़कों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए व्यक्तिगत वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली में लक्जरी बसों के लिए प्रस्तावित मार्ग

1. जनकपुरी—निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

बरास्ता : मायापुरी, रिंग रोड, धौलाकुआं, रिंग रोड, एस एन डिपो, एस एन मार्किट, एस जे एयरपोर्ट, लोदी रोड, पी एस निजामुद्दीन और निजाममुद्दीन रेलवे स्टेशन।

2. जनकपुरी जिला केन्द्र—लाल किला

बरास्ता : सी ब्लाक, डी ब्लाक, मायापुरी, नरायणा विहार, इन्द्रपुरी, ईस्ट पटेल नगर, शंकर रोड, आर एम एस हस्पताल, कनाट सर्कस आई टी ओ, दिल्ली गेट और लाल किला।

3. विकास पुरी—दिल्ली गेट

बरास्ता : तिलक नगर, राजा गार्डन, मोती नगर, पटेल नगर, पूसा रोड, करोल बाग, लिंक रोड, पंचकुइयां रोड, कनाट प्लेस, मण्डी हाउस, आई टी ओ और दिल्ली गेट।

4. निजामुद्दीन रैलवे स्टेशन—शाहदरा

बरास्ता : मथुरा रोड, रिंग रोड, आई टी ओ, लक्ष्मी नगर, रोड नं. 57, जी टी रोड और शाहदरा।

5. दिलशाद गार्डन—नेहरू प्लेस

बरास्ता : विवेक विहार, कड़कड़ डुमा फ्लेट, प्रीति विहार, लक्ष्मी नगर, आई टी ओ, रिंग रोट, आश्रम, लाजपत नगर, मोदी मिल और नेहरू प्लेस।

6. मयूर विहार—आई एस बी टी

बरास्ता : मयूर विहार फेस-II, नौएडा क्रासिंग, निजामुद्दीन, पुल मथुरा रोड, आई पी डिपो, आई टी ओ, राजघाट, दिल्ली गेड, लाल किला और आई एस बी टी।

7. मयूर विहार फेस-II—केन्द्रीय टर्मिनल

बरास्ता : नौएडा क्रासिंग, प्रगति मैदान, हाई कोर्ट, बडौदा हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनाट प्लेस, संसद मार्ग, केन्द्रीय टर्मिनल।

8. नोएडा सैक्टर 22—नेहरू प्लेस

बरास्ता : सैक्टर-12, 19, 3, 15, पुस्ता, रिंग रोड आश्रम, लाजपत नगर, मोदी मिल और नेहरू प्लेस।

9. रोहिणी—आई एस बी टी

बरास्ता : वजीरपुर डिपो, रिंग रोड, आजादपुर, माल रोड, आई एस बी टी।

10. रोहिणी—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

बरास्ता : बजीरपुर डिपो, प्रेम बारी पुल, लारेंस रोड, कन्हैया नगर, खालसी नगर, सराय रोहिला, करोल बाग, पहाड़ गंज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।

11. वसंत कुंज—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

बरास्ता : महिपाल पुर रोड, नेलसन मंडेला मार्ग, पालम मार्ग, राओ तुला राम मार्ग, रिंग रोड, सरदार पटेल मार्ग, इन्दिरा गांधी मार्ग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, कनाट प्लेस, मिंटो पुल और गेट नं. 2।

12. ग्रीन पार्क –आई एस बी टी

बरास्ता : एस जे. हस्पताल, रिंग रोड, एम सी के आर हस्पताल, लाला लाजपत राय मार्ग, मथुरा रोड, आई टी ओ, दिल्ली गेट, लाल किला और आई एस बी टी।

13. ग्रेटर कैलाश-II—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

बरास्ता : सावित्री नगर, सादिक नगर, एम सी के आर हस्पताल, लाला लाजपत राय मार्ग, ओबराय, मथुरा रोड, भगवान दास रोड, कनाट सर्कस मिंटो पुल और गेट नं. 2।

14. वसंत कुंज सेक्टर ए—रेलवे स्टेशन

बरास्ता : वसंत कुंज, जे एन यू, सेक्टर XII मुनिरका, एस एम मन्दिर, आर के पुरम-I, III मोहम्मद पुर, नौरोजी नगर, एस जे हस्पताल, एन डी एस ई, पार्ट-I, कोटला, डिफेंस कालोनी, जे एल एन स्टेडियम, एस बी पार्क, इंडिया गेट, पटियाला हाउस, आई टी ओ, दिल्ली गेट, दरियागंज, लाल किला और रेलवे स्टेशन।

15. सरिता विहार—केन्द्रीय टर्मिनल

बरास्ता : मथुरा रोड, आश्रम, निजामुद्दीन, इंडिया गेट, कर्जन रोड, कनाट प्लेस, जन्तर मन्तर, एम डी पी ओ, केन्द्रीय टर्मिनल।

16. महरौली—शाहदरा/दिलशाद गार्डन

बरास्ता : अरविन्दो मार्ग, एस जे. हस्पताल, रिंग रोड, कोटला, के एन एन स्टेडियम चिडियाघर, आई टी ओ, शकरपुर, खुरैजो, झील, कृष्णा नगर, कांजी नगर, एक्स. शाहदरा, संसार फैक्टरी, दिलशाद गार्डन।

17. मंडी गांव—आई एस बी टी

बरास्ता : छतरपुर, कुतब, साकेत, खिरकी गांव, शेख सराय, एम सी के आर हरपताल, मथुरा रोड, प्रगति मैदान, रिंग रोड और आई एस बी टी।

18. पालम गांव—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

बरास्ता : डाबरी रोड जनकपुरी, सी-2बी, एच एन डिपो, एच एन घंटाघर, मायापुरी, कीर्ति नगर, पटेल रोड, शंकर रोड, आर एम एल हस्पताल, कनाट सर्कस और नई दिल्ली गेट-II।

19. नांगलोई—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

बरास्ता : रोहतक रोड, जवाहरा, सराय रोहिला, पहाड़ गंज, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।

20. आजादपुर—नई दिल्ली रेलवे स्टेशन

बरास्ता : आजादपुर, माल रोड, पुराना सचिवालय, रिंग रोड, राजघाट, दिल्ली गेट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।

बिहार के गिरिडीह और धनबाद जिलों में नए डाकघर खोलना

[हिन्दी]

1016. श्री रामदास सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गिरिडीह और धनबाद जिलों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या सरकार का वहां नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये डाकघर कब खोले जाएंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं, बिहार के गिरिडीह और धनबाद जिलों में डाकघरों की संख्या अपर्याप्त नहीं है।

(ख) जी हां, इन जिलों में 16 शाखा डाकघर और एक विभागीय उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) इन जिलों में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

गिरिडीह जिला

शाखा डाकघर : जघुकारपुर, जासोडीह, अहरडीह, धुनोडीह जागेश्वर, कोलरीसेरवा पंचरखी, डेवा टड, पालमो, बजतों, बदवाडा।

उप डाकघर : कल्याणी परियोजना

धनबाद जिला

शाखा डाकघर : मारांगो, मधूरिया, नवातर, नवातर, रामपुर और बेलकुपा।

इन डाकघरों को 31.3.91 से पहले खोल दिए जाने की संभावना है।

बिहार मे पर्यटन को प्रोत्साहन देना

1017. **श्री रामदास सिंह :**

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में वर्ष 1991-92 के दौरान होटल, यात्री निवास, मनोरंजन पार्क बनाने तथा मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन का विकास और संवर्धन करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(1) बिहार सरकार से 1991-92 के दौरान यात्री निवासों/मनोरंजन पार्कों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) बिहार में मार्गस्थ सुविधाओं के सम्बन्ध में 1991-92 के लिए योजनायें अभी तक नहीं बनाई गयी है।

(3) बिहार में पर्यटन विभाग द्वारा अब तक अनुमोदित होटल परियोजनाओं की संख्या निम्नानुसार है :—

स्थान	परियोजनाओं की संख्या	कक्षाओं की संख्या
बोकारो	2	96
धनबाद	1	48
पटना	1	42

बेरमो (बिहार) में डूरभाष केन्द्र

1018. **श्री रामदास सिंह :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बैरमो (बिहार) में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चालू होगा; और

(ग) क्या सरकार का इस केन्द्र को एस टी डी द्वारा दिल्ली से जोड़ने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) बैरमो नाम का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की मांग की गई हो लेकिन जिला गिरिडीह (बिहार) में बिरमोनामक स्थान पर 300 लाइनों की क्षमता वाला एक एमैनुअल एक्सचेंज पहले से ही सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(ग) जी हां। उपस्कर और संचारण माध्यम उपलब्ध होने पर वर्ष 1991-92 के दौरान बेरनो को एस टी डी सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

खाड़ी के देशों में रह रहे भारतीय

1019. श्री रामदास सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या खाड़ी के विभिन्न देशों में अब भी भारी संख्या में भारतीय रह रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश वार उनकी संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) इस समय खाड़ी के विभिन्न देशों में भारतीयों की अनुमानित संख्या नीचे लिखे अनुसार हैं :—

बहरीन	90,000
ईरान	10,000
इराक	130
कुवैत	5,000 से 6,000
ओमान	2,00,000
कतार	75,000
सऊदी अरब	6,12,000
संयुक्त अरब अमीरात	4,00,000
यमन	8,000

पानी की दरें

[अनुवाद]

1020. श्री बसंत साठे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या विभिन्न फसलों के लिए राज्य सरकारों द्वारा किसानों से वसूल की जाने वाली पानी की दरों में काफी भिन्नता है;

(ख) यदि हां, तो इसका, राज्यवार ब्योरा क्या है;

(ग) क्या अनेक राज्यों में पिछले पांच-दस वर्षों से जल-शुल्क में कोई संशोधन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का जल-शुल्क को युक्ति संगत बनाने और इस संबंध में राज्यों को दिशानिर्देश जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री बनुबाई कोटडीया) : (क) और (ख) एक राज्य से दूसरे राज्य में जल दरें भिन्न हैं तथा इस समय ऐसी दरों में कोई एकरूपता नहीं नहीं हैं. कुछ राज्यों द, एक प्रकार के मौसम में एक फसल से दूसरी फसल से दरें भिन्न हैं; जबकि अन्य राज्यों में एक प्रकार के मौसम में सभी फसलों के लिए वे समान हैं। उदाहरण के लिए बिहार में बारहमासी तथा गैर-बारहमासी नहरों के लिए दरें भिन्न-भिन्न हैं । केरल में कोई मौसम-वार दरें नियत नहीं की गयी हैं तथा सिंचाई उपकर वर्ष के दौरान सिंचित किए गए सकल क्षेत्रों के आधार पर वार्षिक रूप से एकत्र किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहर प्रणालियों को चार भिन्न-भिन्न अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है तथा चारों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गयी हैं। असम और त्रिपुरा में कोई जल दरें लागू नहीं की गयी हैं ।

(ग) वर्ष, जिसमें जल दरें अंतिम बार संशोधित की गयी थी, को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ) किसानों से उगाही जाने वाली जल दरें राज्य सरकारों द्वारा नियत की जाती हैं । केन्द्रीय सरकार द्वारा बनायी गयी राष्ट्रीय जल नीति में सतही तथा भूतल दोनों के लिए इन दरों को युक्तियुक्त बनाने की सिफारिश की गयी है तथा ये दरें ऐसी होनी चाहिए कि इनसे वार्षिक अनुरक्षण और संचालन प्रभारों को पूरा किया जा सके तथा सिंचाई प्रणालियों की नियत लागत का एक भाग भी प्राप्त हो सके ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष जिसमें अंतिम बार जल दरें संशोधित की गयी थी
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1986
2.	असम	कोई जल दरें नहीं उगाही गयी

1	2	3
3.	बिहार	1984
4.	गुजरात	1981
5.	हरियाणा	1975
6.	हिमाचल प्रदेश	1977 (लघु सिंचाई के लिए)
7.	जम्मू और कश्मीर	1976
8.	कर्नाटक	1985
9.	केरल	1974
10.	मणिपुर	1990
11.	मध्य प्रदेश	1984
12.	महाराष्ट्र	1975
13.	मेघालय	कोई जल दरें नहीं उगाही गयी
14.	मिजोरम	कोई जल दरें नहीं उगाही गयी
15.	पंजाब	1974
16.	राजस्थान	1982
17.	उड़ीसा	1981
18.	तमिलनाडु	1962 (चुनिन्दा परियोजनाओं के लिए जल उपकर को विशेष दरों सहित)
19.	त्रिपुरा	कोई जल दरें नहीं उगाही गयी
20.	उत्तर प्रदेश	1983
21.	पश्चिम बंगाल	1984
22.	गोवा, दमन और दीव	1988
23.	दिल्ली	1951 (लघु सिंचाई के लिए)
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	कोई जल दरें नहीं उगाही गयी
25.	सिक्किम	कोई जल दरें नहीं।

उर्वरक मूल्यों में वृद्धि का प्रस्ताव

1021. श्री बसन्त साठे :

श्रीबालासाहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक मूल्यों में वृद्धि करने तथा उन पर दी जाने वाली राज सहायता में कमी करने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा समय समय पर उर्वरक राजसहायता को नियन्त्रित करने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया है। राजसहायता को कम करने के लिए अथवा उर्वरक मूल्यों को बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है .

तिलहनों और दलहनों का उत्पादन

1022. श्री बसन्त साठे :

प्रो.यदुनाथ पांडेय :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम के दौरान तिलहनों और दालों के उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आपूर्ति में आई कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, नहीं। तिलहन और दलहन, दोनों की सम्भावना चालू रबी मौसम में काफी अच्छी है।

(ख) और (ग) मौसम के वर्तमान चरण पर उत्पादन का सही अनुमान बताना सम्भव नहीं है।

दूरसंचार उपकरण विनिर्माताओं की समस्याएं

1023. श्री बसन्त साठे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई टेलीफोन उपकरण विनिर्माता एकक सरकार द्वारा पर्याप्त खरीद न किए जाने के कारण बन्द होने की स्थिति में हैं;

(ख) क्या भारतीय दूरसंचार निर्माता एशोसिएशन ने हाल ही में अपनी समस्याओं के बारे में सरकार को एक ज्ञापन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दूरसंचार विभाग ने लाइसेंसशुदा टेलीफोन विनिर्माण करने वाली यूनिटों की जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में आदेश दिए हैं। 1990-91 के लिए विभाग ने 20 लाइसेंसशुदा विनिर्माताओं को प्रत्येक 37700 टेलीफोन उपकरण के लिए खरीद आदेश दिये हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरसंचार उपस्करण विनिर्माताओं के संघ द्वारा बताई गई समस्या पर विचार किया जा रहा है।

पांच सितारा होटलों में ग्रामीण मरुउद्यान की स्थापना

1024. डा सी. सिलवेश : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में "चौपाल" नामक कुछ ग्रामीण मरुउद्यान स्थापित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ग्रामीण वातावरण का अशोक होटल की भव्यता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे अथवा भारत पर्यटन विकास निगम के नियन्त्रण में चल रहे अन्य पांच सितारा होटलों में कुछ और ग्रामीण मरुउद्यान स्थापित करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) भारत पर्यटन वर्ष 1991 के एक भाग के रूप में भारत पर्यटन विकास निगम ने 25.1.1991 को नई दिल्ली में अशोक होटल के परिसर में "चौपाल" नाम से एक भारतीय रेस्तरां एक वर्ग विशेष के लिए खोला है। यह रेस्तरां एक भारतीय गांव की छवि प्रस्तुत करता है जहां छतें छान की बनी हुई है, सूखी घास के ढेर लगे हैं, एक ग्रामीण कुआं है और दस्तकार एवं शिल्पकार अपना काम कर रहे हैं। यह एक वर्ग विशेष के लिए भारतीय भोजन सप्ताह में 3 दिन परोसता है, अर्थात शुक्रवार को डिनर, शनिवार को लंच और डिनर और रविवार को लंच।

(ग) और (घ) इस रेस्तरां का उद्देश्य यह है कि पर्यटकों और विशेष रूप से नई दिल्ली

की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों को एक ग्रामीण परिवेश में स्थापित एक भारतीय गांव की झांकी देखने का अवसर दिया जा सके और इस तरह इससे अशोक होटल की छवि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

(ङ) और (घ) फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम की ऐसी कोई योजना नहीं है।

अहमदाबाद-जामनगर-ओखार राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1025. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या जल-भूतलपरिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार नवानगर वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, जामनगर गुजरात से अहमदाबाद-जामनगर-ओखार राजमार्ग को वहां स्थित उद्योगों और परिवहन की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा इसे चार लेन वाली सड़क बनाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गयी है और इसके लिए किन-किन योजनाओं को मंजूरी दी गयी है, और

(घ) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और मरम्मत आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह निम्न प्रकार है :—

वर्ष	विकास	रख-रखाव/मरम्मत (लाख रु. में)
1988-89	2344	944
1 89-90	3150	1108
1990-91 (दिसम्बर, 1990 तक)	1982	1023

डाक कर्मचारियों के शौचालय अजमेर से शौचघियों का न मिलना

[हिन्दी]

1026. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों के औषधालय में औषधियां नहीं मिलती, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, विशिष्ट दवाओं (जिन्हें सामान्यत डिस्पेंसरी के स्टाक में नहीं रखा जाता) की आपूर्ति में लगभग एक महीने तक व्यवधान रहा। अब इनकी आपूर्ति पुन: प्रारम्भ कर दी गई है। राजस्थान सर्किल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल को विशिष्ट दवाओं की सामान्य सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए समुचित अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना

1027. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अजमेर और पुष्कर के विकास हेतु क्या कदम उठाए गये हैं,

(ख) राजस्थान के उन स्थलों और स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें विश्व और देश के पर्यटन मानचित्र में शामिल किया गया है;

(ग) अजमेर और पुष्कर को पर्यटन मानचित्र में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अजमेर और पुष्कर आने वाले विदेशी और भारतीय पर्यटकों की अलग-अलग संख्या कितनी थी ?

पर्यटक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान, पुष्कर में दो परियोजनाएं अर्थात् पुष्कर में पर्यटक परिसर और इन्दिरा तथा करणी घाटों का सुधार स्वीकृत की गई थी। 1990-91 के दौरान पुष्कर में पर्यटक आवास की परियोजना स्वीकृत की गई थी। राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु अजमेर के लिए कोई पर्यटन परियोजना प्रस्तुत नहीं की गई।

(ख) और (ग) अजमेर और पुष्कर सहित विदेशी पर्यटक राजस्थान में बड़ी संख्या में स्थानों की यात्रा करते हैं जिनमें अजमेर और पुष्कर भी सम्मिलित हैं। विश्व अथवा देश के पर्यटन मानचित्र में स्थानों को सामान्यत: शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पुष्कर और अजमेर में पर्यटकों का आगमन निम्नानुसार है : —

वर्ष	अजमेर	पुष्कर
1987 (भा)	478887	378153
(वि)	6657	11187
1988 (भा)	488388	381655
(वि)	7553	11889
1989 (भा)	496893	395069
(वि)	8097	14104

भा = भारतीय
वि = विदेशी

चम्बल नदी पर पुल का निर्माण

1028. **श्री छविराम अर्गल :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश में चम्बल नदी पर पालीघाट और पिन्हाघाट पुलों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या इन पुलों का निर्माण काफी धीमी गति से चल रहा है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इन पुलों के यातायात के लिए कब तक खोले जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडिया) : (क) से (घ) इन दो पुलों से संबंधित ब्योरे नीचे दिये गये हैं :—

पालीघाट : राजस्थान सरकार द्वारा मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमा पर एक राज्य सड़क पर इस पुल का निर्माण भारत सरकार से प्राप्त ऋण सहायता के तहत किया जा रहा है सभी नींवें पूरी कर ली गई हैं और ऊपरी ढांचे का कार्य प्रगति पर है। सितम्बर, 1990 तक सकल वास्तविक प्रगति 65 प्रतिशत है। प्रारम्भ में, नींवों के निर्माण में समस्याएं आई थी जिन्हें चट्टान में ले जाया जाना था। ऊपरी ढांचे पर धीमी प्रगति ठेकेदार द्वारा पूरे संसाधन नहीं जुटाने के कारण हुई है। राजस्थान सरकार शीघ्र कार्य करवाने हेतु कार्रवाई कर रही है और अब इसे 1993 तक पूरा करने तथा यातायात के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

2. **पिन्हाघाट :** उ.प्र.-म.प्र. सीमा पर एक राज्य सड़क पर ही इस पुल का कार्य निष्पादन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष क्षेत्र स्कीम (डाकू ग्रस्त) के अन्तर्गत किया जाना है अभी तक यह कार्य शुरू नहीं किया गया है। जैसा कि उ.प्र. सरकार द्वारा सूचित किया गया है, इस पुल के लिए

स्थान का चुनाव कर लिया गया है और इसके लिये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग तैयार की जा रही है। चूंकि अभी कार्य शुरू भी नहीं हुआ है इसलिये यह बताना समय पूर्व होगा कि यह पुल संभवतः किस तारीख तक पूरा हो जायेगा और इसे यातायात के लिए कब खोला जायेगा।

खाड़ी के देशों से भारतीयों का निकाला जाना

[अनुवाद]

1029. श्री पी. सी. थामस :

श्री यादवेन्द्र दत्त :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध प्रारम्भ होने के बाद सरकार द्वारा खाड़ी के देशों से भारतीयों को निकालने के लिए भारत और खाड़ी के देशों के बीच कितनी उड़ानें भरी गई और इन उड़ानों द्वारा अब तक कितने भारतीयों को भारत लाया जा चुका है;

(ख) सरकार द्वारा उन्हें भारत लाने में कितनी धनराशि खर्च की गई और एयर इंडिया को किये गये प्रस्ताव का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारत लौटने के इच्छुक भारतीयों को लाने के लिए और अधिक उड़ानों की व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) खाड़ी युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीयों को निकालने के लिये सरकार ने कोई उड़ानें नहीं चलाई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। यदि आवश्यकता हुई और परिस्थितियां इसकी इजाजत दें तो।

(घ) हम इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय से, संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा खाड़ी देशों की सरकारों से संपर्क बनाए हुए हैं।

जंगली हाथियों की अधिकतम संख्या वाले पर्यटन स्थल

1030. श्री पी. सी. थामस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन पर्यटन स्थलों पर अधिकतम संख्या में जंगली हाथी देखने में आते हैं; और

(ख) इन स्थानों पर अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पैरियार राष्ट्रीय उद्यान (केरल) बांदीपुर और नागर होल राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक), मदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य (तमिलनाडु),

कजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम), और सिम्लीपाल (उड़ीसा) में प्राकृतिक परिवेश में बड़ी संख्या में जंगली हाथी हैं।

(ख) वन्य-जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों को विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सिंचाई कार्यों हेतु पानी की सप्लाई के लिए केन्द्रीय धनराशि

1031 श्री पी. सी. थामस : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को और अधिक धनराशि देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केरल के लिए भी इस प्रकार की धनराशि मंजूर किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल-परिवहन मंत्री (श्री अनुभाई कोटडीया) : (क) से (घ) : राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विकास के लिये विशेष क्षेत्र अथवा स्कीम से जुड़ी नहीं होती है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सहायता सहित अपने पास उपलब्ध कुल संसाधनों से सेक्टर-वार आबंटन करती है।

पेयजल आपूर्ति के लिये केन्द्रीय निधि

1032. श्री पी, सी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिये राज्यों को और अधिक धनराशि देने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या केरल के लिये इस तरह की कोई धनराशि मंजूर किए जाने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीभाई वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां :

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्वर्ण जयंती ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत मिनी मिशनों के लिये 1990-91 में किए गए 423 करोड़ रुपये के परिव्यय को बढ़ाकर 1991-92 में 508 करोड़ रुपये कर दिये जाने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को 1990-91 में किए गए 10.76 करोड़ रुपये के आबंटन के मुकाबले 1991-92 में लगभग 12 करोड़ रुपये का आबंटन किए जाने की संभावना है।

नर्मदा बांध की ऊंचाई

1033. प्रो. मधु दण्डवते । क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि-अर्थशास्त्रियों ने निर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बहुत अधिक खारेपन के कारण कच्छ के रण और बन्नी क्षेत्रों में ग्यारह लाख एकड़ भूमि पानी में डूब जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का नर्मदा बांध की ऊंचाई 139 मीटर से कम करके 122 मीटर करने का प्रस्ताव है ताकि सम्भावित 37,250 हैक्टेयर भूमि में से केवल आधी भूमि अर्थात 16,200 हैक्टेयर भूमि ही जलमग्न हो तथा कम से कम गांव विस्थापित हों ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटड़िया) : (क) कच्छ के रण और बन्नी क्षेत्रों को सरदार सरोवर परियोजना के कमान क्षेत्र से निकाल दिया गया है।

(ख) सरकार का सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कम करने का प्रस्ताव नहीं है।

गोआ में कृषि कालेज की स्थापना

1034. प्रो. वेलाराव मायकर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में कृषि विद्यालय की स्थापना के लिए कोई मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में 25.82 करोड़ रु. के खर्च से एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की बात कही गई है जिसमें प्रतिवर्ष 60 विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा।

उड़ानें रद्द होने के कारण गोवा में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव :

1035. प्रो. वेलाराव मायकर : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विमान सेवाएं रद्द किए जाने के कारण गोवा में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइंस ने दिनांक 21.2.1991 से गोआ तक से सेवाओं की संख्या बढ़ाई है।

भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश की मृत्यु के बारे में जांच रिपोर्ट

[हिन्दी]

1036. **श्री छेदी पासवान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश की लन्दन में हुई मृत्यु के कारणों के बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है।

जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

1037. **श्री छेदी पासवान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों के नौवें राष्ट्रीय सम्मेलन में जिन मुद्दों की वरीयता दी गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के जल संसाधन तथा सिंचाई मंत्रियों के नौवें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्राथमिकता के आधार पर विचार-विमर्श किए गए कुछ प्राथमिकता वाले मुद्दों का ब्यौरा है; राष्ट्रीय जल नीति; नदी बेसिन विकास की आयोजना, निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण में प्राथमिकता; सिंचाई क्षमता का पुनः निर्धारण; कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम; लघु सिंचाई, भूजल का विकास और नियमन; बाढ़ प्रबंध; बाढ प्लेन जोनिंग; आठवीं योजना में जल संसाधनो के विवरण के लिए अग्रिम कार्रवाई। सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु महत्वपूर्ण सिफारिशें भेज दी गयी हैं।

विवरण

जल संसाधन तथा सिंचाई मंत्रियों के नौवें राष्ट्रीय सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें

1. समेकित उपयोग के माध्यम से बेसिन/उप बेसिन के जल का इष्टतम उपयोग करने के लिए, राज्यों के परामर्श से विभिन्न बेसिनों में समुचित नदी बेसिन संगठन शीघ्र स्थापित किए जाने चाहिए।

2. सिंचाई कार्यों में तेजी लाने हेतु सिंचाई क्षेत्र के लिए योजना आबंटन बढ़ाया जाना चाहिए। जहां विस्तृत सिंचाई क्षमता अभी सृजित की जानी है, वहां राज्यों को अपने सिंचाई क्षेत्रों के लिए योजना आबंटन का कम से कम 20%-25 प्रतिशत प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

3. राष्ट्रीय महत्व की कई परियोजनाएं, जिनसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होने हैं, शुरू की गई हैं। वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य उन्हें तेजी से पूरी करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः इस बात को जोरदार सिफारिश की गई है कि केन्द्र को सिंचाई वित्त निगम जैसी उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से ऐसी परियोजनाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता शीघ्र प्रदान करनी चाहिए।

4. जल निकास संबंधी पहलुओं तथा सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग को समाविष्ट करते हुए सिंचाई कमान क्षेत्रों में विस्तृत जल सन्तुलन का अध्ययन तुरन्त शुरू किया जाना चाहिए और जल निकास कार्यों के लिए विशेष कार्यक्रमों को आठवीं योजना के दौरान शुरू किया जाना चाहिए।

5. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की उपयोगिता पर विचार करते हुए यह सिफारिश की जाती है कि आठवीं योजना के दौरान भी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में इसे जारी रखा जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से राज्य क्षेत्र को अन्तरण करने के लिए अभी उचित समय नहीं आया है।

6. ऐसे ब्लॉकों के लिए अतिरिक्त भूजल विकास स्कीमों को आसानी से शुरू करने के लिए तथा निर्बाध रूप से संस्थागत वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु "डार्क" और "ग्रे" ब्लॉकों में व्यापक रूप से भूजल के सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। डार्क क्षेत्रों में कार्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए अगले दो वर्षों के दौरान "डार्क" और "ग्रे" ब्लॉकों के सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण करने चाहिए।

7. राज्य योजना परिव्यय में लघु सिंचाई कार्य के लिए और अधिक धन आबंटित करने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि शीघ्र पूरी होने वाली तथा श्रम प्रधान लघु सिंचाई स्कीमों से शीघ्र लाभ प्राप्त किए जा सकें। ऐसी परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता को और सुदृढ़ करने के वास्ते प्राथमिकता के आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के लिए उन पर विचार किया जाना चाहिए।

8. स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जल बचत प्रणाली को जल की कमी वाले क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के विविध के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों के प्रभावी सहयोग के जरिए इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए राज्यों में वैज्ञानिक अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. सम्मेलन में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को जारी रखने की सिफारिश की गई है जिनका उद्देश्य संस्थागत ढांचा तैयार करना और भूजल और लघु सिंचाई विकास के लिए राज्यों की प्रौद्योगिकीय क्षमता के स्तर में सुधार लाना है। सम्मेलन में परिस्रवण टैंकों और नदी बंधों/नहर बंधों जैसे उपायों के जरिए विशेष वित्तीय सहायता के साथ भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण की नई स्कीमें शुरू करने की भी सिफारिश की गई है।

10. परम्परागत सिविल इंजीनियर को प्रभावी जल संसाधन और सिंचाई प्रबंधक के रूप में बदलने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देते हुए जल तथा भूमि प्रबंध संस्थान जैसे संगठनों के जरिए अनुशक्ति विकास और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बिहार की सिंचाई परियोजनाएं

1038. श्री छेदी पासवान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की उन बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये योजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के पूरे होने की तारीख	स्थिति
1	2	3	4	5
क.	**वृहद परियोजनाएं**			
1.	सिकतिया बराज	1/88	8/88	राज्य को पर्यावरणिक स्वीकृति का प्रबन्ध करना है तथा अपने वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।
2.	कोसी बराज की मरम्मत	2/86	6/87	राज्य सरकार को परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
3.	उत्तरी कोयल जलाशय	3/78 3/86	3/80 9/89	राज्य सरकार ने वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5
4.	पुनासी जलाशय	11/79 10/89	11/80	राज्य सरकार ने मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
5.	सुवर्णरेखा	2/73 7/89 (अद्यतन अनुमान)	6/82	राज्य सरकार को वित्तीय पहलुओं की अनुपालना की व्यवस्था करनी है।
6.	सोन नहर आधुनिकीकरण सोपान-1	8/83	9/84	राज्य सरकार ने निवेश स्वीकृत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान करनी हैं।
7.	कोनार सिंचाई	2/77 8/88	3/84	अंतर्राज्यीय पहलुओं के कारण आस्थगित।
8.	तिलैया बांध	10/74	3/83	—वही—
9.	अमानिया पम्प नहर	11/90	—	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को अनुपालना करनी है।
10.	बुरही जलाशय	10/90	—	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
11.	कदवन बहुप्रयोजनी	5/90	—	राज्य सरकार ने अंतिम रिपोर्ट तैयार करनी है।
12.	सुखसेनाघाट पम्प नहर	1/78 11/89	—	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को टिप्पणियो की अनुपालना करनी है।
ख.	मध्यम परियोजनाएं			
1.	सलैया जलाशय	0/82 8/88	12/83	राज्य सरकार ने वन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।

1	2	3	4	5
2.	रामरेखा जलाशय	7/81 8/88	12/83	—वही—
3.	धनसिंहतोली जलाशय	4/82 8/88	12/83	—वही—
4.	सतपोतका जलाशय	3/82 8/88	12/83	—वही—
5.	कत्री जलाशय	12/82 8/88	12/83	—वही—
6.	कुन्दलाट जलाशय	11/82	8/84 8/88	राज्य द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना करने पर परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत।
7.	केशो जलाशय	8/88	11/89	—वही—
8.	भैरवा जलाशय	8/88	1/89	राज्य द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना करने पर परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकृत।
9.	पंचखेरो जलाशय	5/83	10/88	—वही—
10.	सुखाली जलाशय	2/89	—	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल उपयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
11.	उमाशय जलाशय	3/90	—	—वही—
12.	खरजामहतू जलाशय	9/88	—	—वही—
13.	मोरखो जलाशय	9/88	—	—वही—
14.	कटारी कम्प नहर	12/90	—	हाल में प्राप्त हुई है।

बिहार में पर्यटन को बढ़ावा

1039. श्री छेदी पासवान : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तरहत, बोधगया में "स्वप्न लोक" के निर्माण का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं और यह कब तक बनकर तैयार होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: सरकार की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई स्कीमों के बारे में उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बिहार राज्य सरकार ने तरहत, बोधगया में "स्वप्न लोक" का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भिजवाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक और तार विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगार

[अनुवाद]

1040. श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगारों को पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थाई नहीं किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान उन्हें स्थायी करने का विचार है अथवा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को विभिन्न शर्तें पूरी करने पर स्थायी घोषित किया जाता है। चूंकि दैनिक मजदूरी पाने वाले कामगार नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं है, इसलिए उन्हें तब तक स्थायी घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उन्हें वर्ग "घ" के नियमित पदों पर नियुक्त नहीं कर लिया जाता।

(ग) और (घ) चूंकि सरकारी कर्मचारियों को स्थायी घोषित करना एक निरन्तर प्रक्रिया है, अत: प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल परियोजना के लिए महाराष्ट्र को धन

[हिन्दी]

1041. श्री हरिशंकर महाले : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के लिए महाराष्ट्र की पेयजल परियोजना के वार्षिक परिव्यय का ब्योरा क्या है ?

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कितना धन व्यय हुआ, और

(ग) परियोजना के पूरा होने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और इस योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयतीलाल वीर चन्द भाई शाह) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी. के अन्तर्गत परिव्यय, लातूर तथा सतारा जिलों के मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत की गई रिलीजों तथा राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम. एन. पी.) के अंतर्गत रखे गए परिव्यय और 1990-91 के दौरान खर्च की गई धनराशि के संबंध में ब्योरा निम्न लिखित तालिका में दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपये में)

	परिव्यय		व्यय
	1989-90	1990-91	1990-91
ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी.	30.63	30.63	21.42*
मिनी मिशन	1.10	2.20	0.95*
एम. एन. पी.	78.36	80.04	57.26*
कुल	109.99	112.87	79.63

(*जनवरी, 1991 तक)

(ग) 1 अप्रैल, 1990 को आंशिक रूप से कवर किए गए 4998 गांवों के अतिरिक्त "बिना स्रोत वाले" 98 गांव थे जिन्हें सातवीं योजना से आठवीं योजना में ले जाया गया। 1990-91 के दौरान, 98 समस्याग्रस्त गांवों तथा आंशिक रूप से कवर किए गए 1702 गांवों को कवर करने का लक्ष्य है जिसके मुकाबले जनवरी, 1991 तक वास्तविक उपलब्धि केवल 6 समस्याग्रस्त गांवों तथा 1250 आंशिक रूप से कवर किए गए श्रेणी के गांवों को कवर करने की थी। शेष आंशिक रूप से

कवर किए गए श्रेणी के गांवों को पूरी तरह से कवर करने का काम 1991-92 के बाद किया जाएगा। शेष गांवों की कवरेज के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम दोनों के अन्तर्गत कार्य योजना के अनुसार संबंधित वर्ष के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती है।

महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनायें

1042. श्री हरिशंकर महाले :

श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

प्रो. महादेव शिवनकर :

श्री आर. एम. भोये :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूरी दी गयी थी;

(घ) इन लम्बित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में देरी के क्या कारण हैं और इन्हें कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जलभूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडिया) : (क), (ख), (घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) शून्य

विवरण

स्वीकृति की स्थिति	परियोजना का प्रकार	
	मध्यम	बृहद
1	2	3
1. तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया तथा परामर्श समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयी। राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण एवं/अथवा वन स्वीकृति तथा राज्य वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी है।	12	18

1	2	3
2. पर्यावरण एवं वन दृष्टि से स्वीकृति के अभाव में परामर्श समिति द्वारा इस पर विचार-विमर्श आस्थगित किया गया।	1	—
3. परामर्श समिति को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गयी क्योंकि परियोजना पूरा होने के अग्रिम चरण में है।	1	—
4. राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों को अनुपालना करनी है।	—	4
5. हाल में, केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त की गयी परियोजनाएं।	1	2
	15	24

"फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि. कोचीन' की "कैप्रोलेक्टम" परियोजना की उत्पादन क्षमता

[अनुवाद]

1043 प्रो. के. पी. थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. कोचीन" की "कैप्रोलैक्टम" परियोजना की उत्पादन क्षमता क्या है, और

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती लाल बीरचन्द भाई शाह) : (क) उद्योगमण्डल में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. की अमोनिया सल्फेट-कैप्रोलेक्टम परियोजना की स्थापित उत्पादन क्षमता निम्न प्रकार है :

(i) कैप्रोलैक्टम 50,000 टन प्रतिवर्ष

(ii) अमोनियम सल्फेट 2,25,000 टन प्रतिवर्ष

(ख) इस परियोजना में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या 1032 है।

कोचीन में बरपुझा का निर्माण

1044. प्रो. के. वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरपुझा पुल के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है,

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब शुरू होगा, और

(ग) इस पुल की अनुमानित लागत क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

1045 श्री जोरावर राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में पलामू जिले में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) (क) और (ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सहकारी क्षेत्र में कृषि पर आधारित किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देता है । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बिहार सरकार से पलामऊ जिले में कृषि पर आधारित उद्योग की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1046. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी, 1990 से 31 जनवरी 1991 की अवधि के दौरान गैर-ओ. वाई. टी. और ओ. वाई. टी. श्रेणियों के अन्तर्गत एक्सचेंज-वार कितने नए टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए हैं;

(ख) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्रत्येक एक्सचेंज में नए टेलीफोन कनेक्शनों के

लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े है और 31 जनवरी, 1991 को एक्सचेंज-वार कौन-सी तारीख तक के प्रतीक्षारत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं; और

(ग) चालू वर्ष में कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायगा।

रोमानिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

1047. श्री मणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर एम भोये :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में रोमानिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ किस प्रकार की बातचीत हुई;

(ग) क्या उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां। रोमानिया के राष्ट्रपति 16 जनवरी, 1991 को अन्यत्र जाते हुए नई दिल्ली में रुके थे।

(ख) प्रधान मंत्री ने रोमानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को आपसी लाभ के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश की खान परियोजना

[हिन्दी]

1048. प्रो. प्रेम कुमार धूमाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ऊना जिले में स्वान नदी के मार्ग में एक रूपता लाने के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रभाव को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग): राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अपेक्षित सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है तथा उनके द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट वर्ष 1991-92 में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तें

1049. **प्रो. प्रेम कुमार धूमाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों ने अपनी सेवा शर्तों में सुधार तथा वेतन छुट्टी बोनस और उपदान आदि में वृद्धि की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाले कर्मचारी संघों ने यथानुपात मजदूरी देने की मांग की है। तथापि, सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को बोनस दिया जा रहा है जिसकी गणना उनकी वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर की जाती है। वे अधिकतम 3000/- रुपए तक अनुग्रह उपदान राशि पाने के भी पात्र हैं। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को भत्तों सहित छुट्टी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, वे अपने स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति मुहैया करा कर एक वर्ष में 180 दिन तक का अवकाश ले सकते हैं।

बिलासपुर मुख्य डाक घर का दर्जा बढ़ाना

[अनुवाद]

1050. **प्रो. प्रेम कुमार धूमाल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने के लिए मानदण्डों में छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) मुख्य डाकघर का दर्जा बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर खोलने तथा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए संशोधित मानदण्डों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर प्रधान डाकघर (एचपीओ) का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विभागीय मानदण्डों के अनुसार इसका दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं बनता।

"एग्रो फिशिंग हार्बर" तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

[हिन्दी]

1051. **प्रो. महादेव शिवनकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रायगढ़ जिले में "एग्रो फिशिंग हार्बर" तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण करने के लिए कोई परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार का 64.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से रायगढ़ जिले के अग्राव स्थान पर मछली उतारने के एक केन्द्र के विकास, जिसमें एक पहुंच मार्ग का विकास भी शामिल है, का प्रस्ताव भारत सरकार ने मार्च 1990 में स्वीकार कर लिया था।

मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

1052. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां। मालदीव के राष्ट्रपति 25 से 27 जनवरी, 1991 तक भारत की यात्रा पर आए थे। वे गणतंत्र दिवस को मुख्य अतिथि थे।

(ख) उनकी यात्रा के दौरान आपसी हित के द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। द्विपक्षीय सहयोग के मौजूदा और नई परियोजनाओं पर विचार किया गया और फैसला किया गया कि इस प्रकार के सहयोग को और बढ़ाया जाना चाहिए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

1053. **श्री के. डी. सुल्तानपुरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों की कमी दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) आठवीं पंजवर्षीय योजना के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (घ) देश में टेलीफोन सुविधाओं की कमी का पर्याप्त रूप से कम करने के उद्देश्य से 8वीं पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक मसौदा तैयार किया गया है । 5000 से कम क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंजों में मांग करने पर (8वां पंजवर्षीय योजना के अन्त तक) टेलीफोन प्रदान करने तथा 5000 लाइनों और उससे अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को एक वर्ष तक सीमित रखने का विचार किया गया है । इस उद्देश्य को लेकर हिमाचल प्रदेश में लगभग 50 नये टेलीफोन एक्सचेंज जोड़ने, जिन उपस्करों की उपयोगिता समाप्त हो गई है उन्हें बदलने तथा मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजनाएं बनाई गई है । प्रस्तावित नय एक्सचेंजों की एक अनन्तिम सूची तैयार की गई है जो संलग्न विवरण में दी गई है । तथापि, इन योजनाओं का अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है ।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन स्थानों के नाम जहां पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने (प्रत्येक में 25 लाइनें) का प्रस्ताव है ।

1.	दलेश	2.	थाची
3.	कामक	4.	मधवानी
5.	खरापाथर	6.	डागराहेन
7.	मंढोल	8.	दोगल
9.	पंजेहरा	10.	खाबियन
11.	करलोटी	12.	चमेटा
13.	नरकोट	14.	जलोथ
15.	हतावार	16.	ताल

17.	बासल	18.	घालोरा
19.	लागू	20.	रायपुर मदन
21.	गोनपुर	22.	बाग्लथोड़े
23.	करोर	24.	नाल्टी
25.	धाधवानी	26.	सलोटी
27.	कश्मीर	28.	हुरला
29.	धारंग	30.	धालटुकोट
31.	बयरी	32.	रोपा
33.	चांदेश	34.	ज्वालापुर
35.	पूह	36.	योग धांग
37.	निवार	38.	मूरंग
39.	काजा	40.	माभा
41.	टाबो	42.	त्रिलोकीनाथ
43.	हांला	44.	टिंडो
45.	सुवई	46.	सामरा
47.	लामु	48.	देवोल
49.	सांपला	50.	होडरकवार

ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण डाकघर खोलना

1054. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के नियमों में संशोधन करने का विचार है क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को कम संख्या में डाकघर होने के कारण असुविधाओं का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ।

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय उप मंत्री (श्री जयप्रकाश) : (क) यद्यपि, विभाग की नीति ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालयों में या ग्राम पंचायत के अन्तर्गत डाकघर स्थापित करने की है, लेकिन इन डाकघरों को खोलते समय जनसंख्या, दूरी और आय जैसे अन्य पहलुओं को ध्यान में रखना होता है।

(ख) डाकघर खोलने के जो प्रस्ताव निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और वित्त मंत्रालय द्वारा जिनकी मंजूरी दे दी गई है, उन मामलों में डाकघरों के 31.3.1991 से पूर्व खोले जाने की संभावना है।

(ग) जी हां।

(घ) विभाग का पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए जनसंख्या के मानदंड को उदार बनाकर मौजूदा 1500 की जनसंख्या को 500 करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एस.टी.डी. सुविधा

1055. श्री सुखदेव नन्दाजी काले : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में छिखली, देवलगांवराजा और मेहकार में एसटीडी सेवा आरम्भ करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, बुलढाना जिले में एसटीडी सेवा कब तक प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) योजनानुसार इन केन्द्रों पर एसटीडी सेवाएं अपेक्षित उपस्कर उपलब्ध होने पर 1992-93 के दौरान इन एक्सचेंजों को स्कचालित करने के बाद उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

हीराकुण्ड द्वीप की स्थापना

[अनुवाद]

1056. श्री भवानी शंकर होटा : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा सरकार की ओर से हीराकुण्ड बांध परियोजना पर "हीराकुण्ड द्वीप" को एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र के रूप में स्थापित करने और बूढ़ा राजू पर्वत श्रेणी के विकास के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वत: ही परियोजना के लिये वित्तीय सहायता देने का विचार कर रही है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिये राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कृषि हेतु किसानों को राजसहायता

1057. **श्री भवानी शंकर होटा :**

श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान किसानों को अनुमानत: कुल कितनी कृषि राजसहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों, उर्वरकों आदि हेतु राजसहायता बन्द करने अथवा उस में कटौती करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इन नीति परिवर्तनों का कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचंद भाई शाह) : (क) चालू वर्ष 1990-91 के दौरान, किसानों को 424 करोड़ रुपये अनुमानित राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) और (ग) भारत सरकार का अभी राजसहायता बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान राजसहायता को कम करने के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

घातक कीटनाशी दवाओं का इस्तेमाल

1058. **प्रो. मधु दण्डवते :**

श्री भवानी शंकर होटा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.डी.टी., बी.एच.सी., एल्डरिन आदि घातक कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल पर पश्चिमी देशों में रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इन दवाओं का इस्तेपाल न केवल जारी है बल्कि बढ़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या तृतीय विश्व के देशों में कीटनाशी दवाओं से मरने वालों के मामलों में एक तिहाई भारत के लोग हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) कुछ पश्चिमी देशों ने डी.डी.टी. बी. एच.सी, एल्ड्रीन आदि के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है।

(ख) भारत में, कृषि में डी.डी.टी. के प्रयोग को रोक किया गया है तथापि, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारों को यह अनुमति दी गई है कि वे सरकारी विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के अन्तर्गत डी.डी.टी. का प्रयोग पौध रक्षण के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये डी.डी.टी. के प्रयोग को 10,000 मीटरी टन प्रति वर्ष तक सीमित किया गया है। बी.एच.सी. का, सब्जियों, फलों और तिलहन फसलों पर तथा खाद्यान्न के परिरक्षण के लिये प्रयोग करने की अनुमति नहीं है और एल्ड्रीन को केवल दीपक के नियन्त्रण के लिए उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

(ग) इस बारे में कोई विश्वसनीय सूचना नहीं है।

(घ) इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि विषाक्तता के अधिकतर मामले इन तीन कीटनाशकों से ही होते हैं। तथापि, सरकार कीटनाशी दवाओं में होने वाली विषमता से चिंतित है। इसमें से अधिकतर मामले आत्महत्या के थे। सरकार ने विषाक्तता के मामलों के लिये आमतौर पर जिम्मेदार कुछ कीटनाशी दवाओं के प्रयोग पर या तो रोक लगा दी है या उनका प्रयोग सीमित कर दिया है। सरकार, राज्य और संघ शासित प्रदेश की सरकारों को भी लिख रही है कि वे ऐसे मामलों की रोकथाम करने और इनका उपचार करने में सतर्कता बरतें।

नर्मदा बांध परियोजना का लागत लाभ का विश्लेषण

1059. श्री भवानी शंकर होटा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवादास्पद नर्मदा बांध परियोजना का लागत-लाभ विश्लेषण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) नर्मदा सागर परियोजना तथा सरदार सरोवर परियोजना का लाभ-लागत अनुपात क्रमश: 1.85 और 2.03 है।

सूरजमुखी और करडी के उत्पादन में ह्रास

1060 श्री सी पी मुदाल सिरियप्पा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सोयाबीन, तिल और एरण्ड के उत्पादन की तुलना में सूरजमुखी और करडी का उत्पादन कम रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सूरजमुखी और करडी के उत्पादन में कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल छोटमभाई शाह) : (क) और (ख) जी नहीं। यद्यपि सूरजमुखी, कुसुम, सोयाबीन, तिल और एरण्डी बीज के उत्पादन में उतार-चढ़ाव हुआ है, तथापि 7 वीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह वृद्धि देश में तिलहनों का उत्पादन बढाने के राज्य सरकारों के प्रयासों के अनुपूरक के रूप में भारत सरकार द्वारा अभिवृद्धि कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम और तिलहन उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप सम्भव हुई है। 1989-90 अर्थात 7 वीं पंच-वर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के दौरान, विभिन्न तिलहन फसलों के उत्पादन में 1985-86 अर्थात् 7 वीं योजना के प्रथम वर्ष की तुलना मे वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिया गया है :

फसल	उत्पादन (लाख मीटरी टन में)		प्रतिशत वृद्धि
	1985-86	1989-99	
सूरजमुखी	2.81	5.93	211
कुसुम	3.48	4.91	141
सोयाबीन	10.24	17.15	167
तिल	5.01	7.15	143
एरण्ड बीज	3.08	5.08	165

इम्फाल में नए दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण

1061. श्री एन. तोम्बी सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल में नए दूरभाष केन्द्र भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है,

(ख) यदि हां, तो नया दूरभाष केन्द्र भवन कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) भवन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) 5000 लाइनों के नए ई-10 बी एक्सचेंज की स्थापना का कार्य हाथ में है । 31.12.91 तक इस नए एक्सचेंज द्वारा कार्य प्रारम्भ कर देने की संभावना है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में पर्यटन का विकास

1062. **श्री एन. तोम्बी सिंह** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इन राज्यों में होटल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या ठोस उपाय किए गए हैं और और उक्त प्रयोजन हेतु यदि कोई योजनायें बनाई गई हैं तो उनका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आधारित संरचना प्रदान करने वाली स्कीमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने 28 फरवरी, 1986 से मार्च, 1990 के बीच मणिपुर में राज्य-स्वामित्व वाले 45 कक्षों के होटल इम्फाल अशोक इम्फाल को भारत पर्यटन विकास निगम की मार्फत प्रबन्धकीय सेवाएं प्रदान की थी । केन्द्र सरकार 14 नवम्बर 1988 से नागालैण्ड में राज्य-स्वामित्व वाले 31 कक्षों के 3 सितारा होटल जप्फू अशोक, कोहिमा को भी प्रबन्धकीय सेवायें दे रही है ।

विवरण

राज्य का नाम : मणिपुर

7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत और रिलीज की गई वित्तीय सहायता

(रुपये लाखों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम 1987-88	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
1.	मोरंग में पर्यटक अतिथि गृह आई एन ए मेमोरियल काम्प्लेक्स	चालू परियोजना	05.00

1	2	3	4
2.	कैबुल लम्जा पार्क में दूरबीन	00.75	00.75
3.	कांगपोकी में मार्गस्थ सुविधाएं	03.48	01.50
4.	लिटन में मार्गस्थ सुविधाएं	03.48	01.50
5.	संटिंग में मार्गस्थ सुविधाएं	03.48	01.50
		कुल 11.19	10.25
	1988-89		
1.	मोरेह, तर्पेगलांग और नुग्बा में पर्यटक गृह का निर्माण	25.02	12.00
2.	जिरिबन में पर्यटक गृह का निर्माण	15.92	06.00
		कुल 40.94	18.00
	1089-90		
1.	माम्रो गेट पर अल्पाहार गृह	चालू	01.00
		कुल —	01.00

राज्य का नाम : मिजोरम

7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत और रिलीज की गई वित्तीय सहायता

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
	1987-88		
1.	बिग्दवाल में मार्गस्थ सुविधाएं	चालू परियोजना	03.00

1	2	3	4
2.	ऐजवाल में यात्री निवास	30.13	07.00
3.	चम्फई में पर्यटक गृह	18.30	08.00
	कुल	48.43	18.00
	1988-89		
1.	खिहटलांग में मार्गस्थ सुविधाओ का निर्माण	चालू परियोजन	02.00
2.	चम्फई में पर्यटक गृह का निर्माण	चालू परियोना	08.00
3.	तीन स्थानों-हवोफंग, वैरेण्टे और हथियाल में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	09.78	04.50
4.	इर्टलैंग पहाड़ी पर व्यू प्वाइंट बिल्डिग का निर्माण	01.30	01.00
5.	सैंट हिलीमेंट हिल चोटी पर व्यू प्वाइंट बिल्डिग	01.30	01.00
6.	तूइतलाक नदी पर मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	02.10	01 00
	कुल	15 48	17.50
	1989-90		
1.	ऐजवाल में यात्री निवास	चालू परियोजना	15.00
	कुल	—	15.00

राज्य का नाम : नागालैण्ड

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत और रिलीज की गई वित्तीय सहायता

(रुपये लाखों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1	2	3	4
	1987-88		
1.	कोहिमा में युद्ध कब्रिस्तान की प्रकाशपुंज व्यवस्था	03.73	03.36
2.	कोहिमा में यात्री निवास	37.73	10.00
3.	सेमेन्यू पर मार्गस्थ सुविधाएं	05.23	03.00
	कुल	46.69	16.36
	1988-89		
1.	पिफेला में मार्गस्थ सुविधाएं	चालू परियोजना	01.50
2.	वोखा/दोयांग नदी के किनारे मार्गस्थ सुविधाएं	—वही—	02.00
3.	सेमेन्यू में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	—वही—	01.00
4.	चजेबा और चांगकी में मार्गस्थ सुख-सुविधाओं का निर्माण	10.46	06.00
5.	कोहिमा में यात्री निवास	चालू परियोजना	10.00
	कुल	10.46	21.50
	1989-90		
1.	तिजित मोन रोड पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	06.18	03.00
2.	चिंगदांग, सैंडल सेमसांग वोकलाक में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	08.03	04.00

1	2	3	4
3.	कोहिमा, दीमापुर रोड पर मार्गस्थ सुख-सुवधायें	10.37	05.00
4.	लोथा ब्रिज पर मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	08.03	04.00
5.	कोहिमा में सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण	28.48	10.00
6.	चांगकी और चजोबा में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	चालू परियोजना	01.45
7.	कोहिमा में यात्री निवास	—वही—	10.00
8.	ट्रेकिंग उपकरण की व्यवस्था	06.85	06.17
		कुल 67.94	43.62

विशाखापत्तनम की जेल में बन्द थाई मछुआरों का प्रत्यावर्तन

1063. **श्री नम्दू थापा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाईलैंड के कितने मछुआरे अभी भी विशाखापत्तनम की जेल में बंद हैं,

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनके प्रत्यावर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर थाईलैंड सरकार से बातचीत की है, और

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री श्री (कमल मोरारका) : (क) भारतीय प्राधिकारियों ने अगस्त 1990 में थाईलैंड के 44 राष्ट्रिकों को पकड़ा था जबकि वे थाईलैंड की 2 नौकाओं में भारतीय समुद्र में अनधिकृत रूप से मछलियां पकड़ रहे थे। उन्हें भारतीय समुद्री क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत हिरासत में लिया गया था तथा विशाखापत्तनम के केन्द्रीय कारागार में रखा गया था।

(ख) से (ङ) : जी, हां। इन लोगों के बारे में नई दिल्ली स्थित थाई राजदूतावास को सूचना दे दी गई थी और उनसे यह अनुरोध किया गया था कि उनकी रिहाई के बाद उन्हें थाईलैंड प्रत्यावर्तित करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं। थाईलैंड का राजदूतावास इसका प्रबन्ध करने पर राजी हो गया और शीघ्र ही इन लोगों को थाईलैंड प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

खाड़ी युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत की योजना

1064. **श्री प्रकाश कोको शास्त्री भट्ट** : क्या विदेश यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने खाड़ी युद्ध को समाप्त करवाने हेतु कोई योजना बनाई है,

(ख) क्या भारतीय प्रस्ताव को अल्जीरिया, यमन और सऊदी अरब ने स्वीकार कर लिया था;

(ग) यदि हां, तो भारतीय योजना को कितने देशों ने स्वीकार किया था और इसे कितने देशों ने अस्वीकार कर दिया था, और

(घ) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) भारत ने खाड़ी युद्ध को समाप्त करवाने के लिए कोई योजना औपचारिक रूप से प्रस्तुत नहीं की है लेकिन इस लड़ाई के शुरू होने के तुरन्त बाद भारत ने अपनी ओर से इस युद्ध को समाप्त करवाने के लिए कुछ विचारों के आधार पर सुरक्षा परिषद् के सदस्यों से विचार-विमर्श करने की अपनी ओर से पहल की । इन विचारों में मुख्यबल इस बात पर दिया गया था कि एक तरफ इराकी लड़ाई बन्द हो और उसके साथ ही दूसरी तरफ इराकी फौजें कुवैत से वापस हों । हाल ही में बेलग्रेड में 16 गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन की एक शांति योजना का पाठ बैठक में प्रस्तुत किया लेकिन इस बैठक में किसी भी शांति योजना पर सर्वसम्मति संभव नहीं हो सकी । फिर भी इस बात पर सहमति हुई कि एक या एक से अधिक शांति मिशन बगदाद, वाशिंगटन और दूसरी राजधानियों में भेजे जाएं ।

यातायात सुरक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1065. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री वी. देवराजन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में नई दिल्ली में यातायात सुरक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन संगठनों/देशों ने भाग लिया,

(ग) सम्मेलन का उद्देश्य क्या था,

(घ) सम्मेलन में क्या सिफारिशें की गई, और

(ङ) उन पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) यातायात सुरक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन दि. 27 से 31 जनवरी 1991 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ।

(ख) संगठनों तथा देशों के नाम संलग्न विवरण /1 और /2 में दिए गए हैं ।

(ग) इस बैठक का उद्देश्य चोटों और घातक चोटों को अत्याधिक प्रभावी तरीके से कम करने के सर्वोत्तम और सर्वाधिक कुशल तरीकों, पैदल यात्रियों, दुपहिया सवारों और बस यात्रियों की समस्याओं को और अधिक समय और महत्व देने अनुसंधान निष्कर्षों को पेश करने और गिरने से बचाव के कारगर उपायों, गिरने के दौरान चोट की गम्भीरता को कम करने और घायल की आपातकालीन देखभाल में सुधार, निर्णय कर्ताओं पर प्रभाव डालने और सड़क प्रयोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करने के लिए यातायात सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यवसायियों को एकत्र करना था।

(घ) यह सूचना विवरण-3 के रूप में संलग्न है।

(ङ) सरकार सम्मेलन की सिफारिशों की जांच करेगी।

विवरण—1

नई दिल्ली में 27-31 जनवरी, 1991 तक यातायात सुरक्षा पर आयोजित

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले संगठनों के नाम

विश्व स्वास्थ्य संघ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और मद्रास, एयर इन्डिया; राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, लिमका बुक आफ रिकार्डस, दिल्ली प्रशासन, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय, इंडियन इंस्टिट्यूट आफ डिजायन, श्रीराम होंडा, पोर्टेबल जेनसेट्स, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा इंजनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि. दी आटमैटिक रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और वालन्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ इण्डिया।

विवरण—2

नई दिल्ली में 27-31 जनवरी, 1991 तक यातायात सुरक्षा पर आयोजित

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नाम

1. आस्ट्रेलिया	2. बांगलादेश
3. बेलजियम	4. ब्राजील
5. कनाडा	6. चीन
7. साइप्रस	8. डेनमार्क
9. इजिप्ट	10. फ्रांस
11. फिनलैंड	12. जर्मनी
13. हंगरी	14. इरान

15. आयरलैंड	16. भारत
17. जापान	18. जोर्डन
19. केन्या	20. नेपाल
21. पाकिस्तान	22. श्री लंका
23. स्वीडन	24. नीदरलैंड
25. यू. के.	26. यू. एस. ए.
27. यूगोसलविया	28. जांबिया
29. लीबिया	30. न्यूजीलैंड

विवरण—3

विशिष्ट सिफारिशें

सड़क और वाहन डिजाइन

मोटराइज्ड ट्रैफिक से अलग साइकिल लेनों तथा पैदल पथों का प्रावधान वी आर यू चोटों को कम करने का सबसे प्रभावी विधियों में से एक है।

यातायात स्थिर करने की तकनीकों द्वारा शहर के पर्यावरण में सुधार करना, पैदल पथ-यात्राकरण और कार-रहित क्षेत्र, जो यूरोप में प्रयोग में लाए गए हैं, कम वाहनों वाले देशों में काफी हद तक लागू होते हैं यदि सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी मद्देनजर रखा जाए।

यातायात नियंत्रण उपायों में विशेष आवश्यकताओं और वी आर यू की विशेषताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मोटर वाहनों में टर्न इण्डिकेटर, ब्रेक लाइटें और हैडलाईटें होनी चाहिए जो वी आर यू की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

पदयात्री

पदयात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए धीमी गति के महत्व को समझाने हेतु मोटर चालक को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

7-8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से यातायात के नियमों के पालन की आशा नहीं की जानी चाहिए और उनके साथ बालिग व्यक्ति होने चाहिए।

उत्कृष्ट कपड़ों और रीट्रोरिफलैक्टिव युक्तियों के प्रयोग को खास तौर पर बच्चों और बूढ़ों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

जब पैदल पथ की व्यवस्था न की गई हो तो पैदल यात्रियों को यातायात की ओर मुंह करके चलने का अनुदेश दिए जाने चाहिए।

दुपहिया वाहन

कपड़ो की उत्कृष्टता अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सभी बालकों को चाहिए कि वे उपयुक्त कपड़े पहने। कपड़ों तथा वाहनों पर प्रतिदीप्त और रीट्रोरिफलैक्टिट सतह को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सभी दुपहिया वाहनों पर आगे और पीछे की बत्तियां अनिवार्य हैं। दिन में भी लाईटों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, विशिष्टतया मोटरीकृत दुपहिया वाहनों पर।

साईकिल चालक द्वारा साइकिल के पर्याप्त नियन्त्रण के लिए साइकिल की सही साईज का होना महत्वपूर्ण है। साईकल निर्माताओं को फ्रेम और पहिए के साईज के बारे में और अधिक चुनाव उपलब्ध करवाना चाहिए।

शिक्षा तथा विनियम के माध्यम से सभी दुपहिया चालकों के लिए हैलमेट का प्रयोग सर्व-व्यापी बना दिया जाना चाहिए।

अल्कोहल

चालकों तथा सवारों में हाई ब्लड अल्कोहल का स्तर होना उन दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण है जिनमें वी आर यू अन्तर्ग्रस्त होते है। सभी दुर्घटनाओं के बाद अल्कोहल संबधी परीक्षण कानूनी तौर पर आवश्यक होना चाहिए।

शराब पीकर गाड़ी चलाने को कम करने हेतु कार्यक्रमों को अचानक सांस की जांच करने की तकनीकों सहित समुचित विधाई प्रक्रियाओं के साथ कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

औषधियों और अन्य नशीलो दवाओं के जिसमें अल्कोहल भी शामिल है, ड्राइविंग पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सभी सड़क प्रयोक्ताओं को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और डाक्टरों को निर्धारित दवाओं के प्रभावों के बारे में रोगियों को जानकारी देनी चाहिए।

निर्यात किए जाने वाले सामान की शीघ्र ढुलाई कराया जाना

1066 श्री प्रकाश कोको ब्रह्मदट्ट : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का एक संयुक्त परिवहन दस्तावेज लागू करने हेतु एक कानून बनाने का विचार है ताकि निर्यात सामान की शीघ्र ढुलाई करने की सुविधा उपलब्ध हो सके, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) एकल संविदा के आधार पर भारत के भीतर माल प्राप्त होने के स्थान से भारत के भीतर अथवा भारत से बाहर माल की डिलीवरी के स्थान तक माल के मल्टीमोडल परिवहन को अभि-शासित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

गुना और विदिशा जिलों में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

1067. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के गुना और विदिशा जिलों में चांचोडा, बोनागंव, कुम्भराज, आरोन, सटेरी, मिरोज में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां चालू वर्ष में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जायेंगे और,

(ख) इनमें से उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां एस.टी.डी. सेवायें भी उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) (i) चांचोडा, आरोन और मिरोज नाम के कोई स्थान नहीं है ।

(ii) गुना जिले के चचोडा और आरोने में पहले से ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं । बोनागव क्षेत्र में चचोडा टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा सेवा प्रदान की जाती है ।

(iii) कुम्भराज एक्सचेंज को चालू वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है ।

(iv) विदिशा जिले के सटेरी और सिरोम्ब (न कि मिरोज) टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) केवल चचोडा में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस टी डी सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है ।

मध्य प्रदेश के गुना और विदिशा जिलों में डाक और तारघरों की स्थापना

1068. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के गुना और विदिशा जिलों में राजगढ़ (ब्यावर) में उन तहसीलों और गांवों के नाम क्या हैं जहां 1990-91 के दौरान नए डाकघर और तारघर स्थापित किए गए हैं; और

(ख) इन जिलों में 1991-92 के दौरान कितने डाक और तारघर स्थापित करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जानकारी सलग्न विवरण में दी गई है ।

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या निम्नलिखित है :—

राजगढ़—2

विदिशा—2

गुना—2

तारघर : 1991-92 के दौरान गुना और राजगढ़ (बियौरा) जिले में कोई तारघर खोले जाने की सम्भावना नहीं है । फिर भी विदिशा जिले में फोनोकाम आधार पर तार सुविधा सहित लम्बी दूरी के टेलीफोन प्रदान किये जाने की योजना बनाई गई है ।

विवरण

मध्य प्रदेश के गुना, राजगढ़ और विदिशा जिले के उन स्थानों की सूची जहां वर्ष 1990-91 के दौरान डाकघर और तारघर/लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

जिले का नाम	ब्लाक का नाम	स्थान का नाम डाकघर
1	2	3
गुना	चंदेरी	खराटका
		तराई
		विक्रमपुर
		खडेरा
	अशोक नगर	कुकरैया
		चिलाखेड़ी
	मुंगोली	ज्ञानहेरी
		दमदमा
विदिशा	—	—
राजगढ़ (बियोरा)		तारघर
		खरखेड़ा
		खजीतलाई
		गुमानिया

1	2	3
		पिपलाडी
		सिंदुरिया
		सादाहेड़ी
		सेदरा
		लक्या
		गोपालपुर
		कल्याणपुरा
		अवागढ़
		चरयान
		गागाहेड़ी
		कुलीखेड़ा

मध्य प्रदेश में तार सुविधाएं

1069. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राजगढ़ (ब्यावर) जिले और गुना जिले के आरोन-कुंभराज, राघोगढ़ छंछोरा तहसीलों और विदिशा जिले के सेरोज-लटेरी तहसीलों में उन स्थानों के नाम क्या है जहां फोनोग्राम से तार सुविधा उपलब्ध है, और

(ख) शेष स्थानों पर ये सुविधा कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) नीति के अनुसार इनमें से कुछ स्थानों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के जरिए फोनोग्राम सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां फोनोग्राम (लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन) पर तार सुविधा उपलब्ध है ।

जिला रायगढ़ (ब्यावर)

1.	नेलनेरा	2.	महाऊ
3.	परसूलिया	4.	पीपलमेला
5.	पडोनिया	6.	अमलियाहाट

7.	बारखेड़ा	8.	बेरस
9.	भिलवाडी	10.	बिसोनिया
11.	मालवाड़ा	12.	लखनवास
13.	तूडी	14.	ममोतिया
15.	भगोड़ा	16.	मानपुरा
17.	मोजपुर	18.	ब्यावर कला
19.	गगोरनी	20.	घोघरपुर
21.	जैनपुरा	22.	खुरियागोकुल
23.	खोरपा	24.	कोडकिया
25.	पोपलिया कला	26.	रामगढ़
27.	सोडियाकुआं	28.	सोनखेड़ा
29.	पोलखेडा	30.	अमलार
31.	बेराबिस	32.	चौमा
33.	जमुनिया गणेश	34.	झालड़ा
35.	झाडमऊ	36.	कोटरा
37.	माना	38.	मंदावर
39.	नहली	40.	पदलियादान
41.	पीपलियारासोड़ा	42.	सोनकुच
43.	सुरकीपुरा	44.	बोमियाबाय
45.	कचनारिया	46.	कघाडी
47.	कालीपीठ	48.	करणवास
49.	करेडी	50.	सुस्तानी
51.	बलोडिया	52.	कुंपा
53।	लीमाचोहरन	54.	नेपुनियातुना

55.	सांदावतिया	56.	सेमली
57.	सुल्तालिया	58.	तीकोड़

II. गुना जिला की राघौगढ़ तहसील

1.	बारघाट	2.	धानवाड़ा
3.	डोंगरमोतीपुर	4.	खेरई
5.	खेरीयाडोंगी	6.	मोहाता
7.	रालखेड़ा	8.	नसीरपुर
9.	नेग	10.	पनवारीहाट
11.	रामनगर	12.	रामपुर
13.	साला	14.	शाहरोगढ़

III. गुना जिला की छंछोरा तहसील में

1.	गुलवोड़ा	2.	पीपलियामोती
3.	बदोंद	4.	बरखेड़ाखुर्द
5.	बरखादीमाफी	6.	बटावबाड़ा
7.	देवला	8.	पेंची

जिला गुना

1.	अरोन	2.	कुमराज

1. सिरसौंज तहसील (विदिशा जिला) में

1.	बांसखेड़ी	2.	भूरिया
3.	चतोली	4.	देहनाखेड़ा
5.	घाटवाड़	6.	झंडुआ
7.	हुसलसराय	8.	परसोना
9.	सियालपुरा	10.	नासीताल

लटेरी तहसील (विदिशा जिला)

1.	झोकरजोंगी	2.	मसाती

3.	मुरासिया	4.	मुरवास
5.	बसालीसाहू	6.	उनाशीकलां

कृषि उत्पादन

[अनुवाद]

1070. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष के दौरान अनाज, दालों, तिलहन और कपास के उत्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिशेष के निपटाने या उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) । (क) और (ख) जी हां । निम्न तालिका से चालू वर्ष अर्थात् 1990-91 के दौरान अनाजों, दालों, तिलहनों और कपास के उत्पादन के सम्बन्ध में वर्तमान अनुमान प्रकट होते है :

फसल	इकाई	सम्भावित उत्पादन
अनाज	मिलियन मीटरी टन	162.5 से 164.8
दलहन	मिलियन मीटरी टन	14.0 से 14.5
तिलहन	मिलियन मीटरी टन	16.5 से 17.0
कपास	प्रत्येक 170 कि. ग्रा. को मिलियन गांठें	लगभग 10.6

(ग) अनाजों के लगातार रिकार्ड उत्पादन और खरीद के उच्च स्तर से बफर स्टाक को पुनः पूरा करने में सुविधा हुई है । भारतीय खाद्य निगम के स्टाक का विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों अर्थात् जवाहर रोजगार योजना, पोषण कार्यक्रम आदि के लिए उपयोग किया जा रहा है । भारतीय खाद्य निगम को यह अनुमति भी दी गई है कि वह सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर खुले बाजार में आटे की मिलों, व्यापारियों, डबलरोटी विनिर्माताओं आदि को गेहूं बेच सकता है । इसके साथ-साथ, हाल के कुछ वर्षों में चावल और गेहूं के उत्पादन के काफी अच्छे स्तरों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात को अधिकतम सीमा को बढ़ाकर, गेहूं के लिए 10 लाख मीटरी टन और गैर-बासमती चावल के लिये 10 लाख मीटरी टन कर दी जाये ताकि विदेशी मुद्रा कमाकर भुगतान के संतुलन में सहायता मिल सके ।

कपास के शेष रह गये काफी बड़े स्टाक और चालू वर्ष के दौरान काफी अच्छे उत्पादन की सम्भावना को देखते हुए सरकार ने 12.37 लाख गांठों (जिसमें पिछले वर्ष का 0.87 लाख गांठों का कोटा शामिल है) का निर्यात कोटा निर्मुक्त कर दिया है।

विशेष रूप से दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए, केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि देश में इनके उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना।

(2) विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—दलहन

(3) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम।

दलहनों और तिलहनों के देशी उत्पादन को बढ़ाने के उपायों के अतिरिक्त, सरकार घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए दलहनों और खाद्य तेलों का विवेकपूर्ण ढंग से उचित आयात करती है।

दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए गैर-सरकारी उद्योग का अंशदान

1071. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार विभाग ने दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के लिए गैर-सरकारी उद्योग से अंशदान मांगा है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है और कितनी मात्रा में अंशदान मांगा है;

(ग) क्या "डाट" ने भी "सेल्यूलर प्रणाली" (चलते-फिरते रेडियो टेलीफोन) शुरू करने की कोई तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं।

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिए निजी उद्योगों से कोई योगदान नहीं मांगा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेल्यूलर प्रणाली (चलते-फिरने रेडियो टेलीफोन) की शुरूआत करने के लिए दूर-संचार विभाग द्वारा अभी तक किसी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और पंजाब में नदियों के किनारे सैरगाहों का विकास

1072. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली प्रशासन और पंजाब सरकार की ओर से दिल्ली और पंजाब में नदियों के किनारे सैरगाहों का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या इस उद्देश्यार्थ दिल्ली प्रशासन और पंजाब सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से किसी वित्तीय सहायता और तुविज्ञता की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी नहीं,

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजना और बांधों का निर्माण

1073. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण संबंध में नई नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में शुरू की जाने वाली अनेक बड़ी सिंचाई परियोजनाएं काफी समय से लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडिया) : (क) और (ख) बांधों तथा वृद्ध सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग तथा राज्य सरकारों के अभिकल्प और परियोजना संगठन द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

(ग) और (घ) 145 नई परियोजनाएं, जिसमें से 85 वृहद तथा 60 मध्यम हैं, तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर राज्य सरकारों से स्पष्टीकरणों के अभाव के कारण 12 महीने से अधिक समय से केन्द्रीय जल आयोग में जांच की प्रक्रिया में है।

उद्यान-कृषि का समन्वित विकास

1074. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राव वाडियर :

श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने उद्यान-कृषि के समन्वित विकास के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उद्यान-कृषि के विकास के लिए कर्नाटक को विश्व बैंक से कुल कितनी सहायता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल खेरचंद भाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में बागवानी के समेकित विकास के संबंध में एक संशोधित प्रस्ताव जून, 1987 में प्रस्तुत किया था। परियोजना की अवधि पांच वर्ष थी और प्रस्तावित परिव्यय 49.91 करोड़ रुपये था। परियोजना का मुख्य उद्देश्य बागवानी फसलों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाना, कुछ प्रणालियों को अपनाकर बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, विपणन और परिसंस्करण सुविधायें विकसित करना और बुनियादी ढांचे के विकास में रैदा होने वाली कमियों को दूर करना था।

यह परियोजना अगस्त 1987 में विश्व बैंक के समक्ष रखी गई थी जिसने 1989 के मध्य में यह टिप्पणी की कि बैंक एक बहु-राज्यीय उष्णकटिबंधीय बागवानी परियोजना का प्रस्ताव रख रहा है जिसमें कर्नाटक भी शामिल हो सकता है। नौ राज्यों, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, के उष्णकटिबन्धी क्षेत्रों के समेकित बागवानी विकास की एक परियोजना इस समय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

तेलुगु गंगा परियोजना

[हिन्दी]

1075. डा. किन्ता मोहन :

श्री बी. चोक्का राव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलुगु-गंगा परियोजना की मूल लागत क्या थी और परियोजना कब तक पूरी होनी थी;

(ख) समय और लागत में वृद्धि का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस विवादास्पद परियोजना को किसी न्यायाधिकरण को सौंपने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटाडिया) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय मामलों के हल न किए जाने के कारण परामर्शदात्री समिति ने अप्रैल, 1988 में आयोजित अपनी बैठक में परियोजना पर विचार-विमर्श आस्थगित कर दिया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तिरुपति में पर्यटन को बढ़ावा देना

1076. डा. चिन्ता मोहन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तिरुपति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई केन्द्रीय सहायता दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर धनराशि की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता देती है। यदि राज्य सरकार द्वारा कोई परियोजना प्रस्तुत की जाएगी तो उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम के उर्वरक संयंत्र

1077. श्री हुकेश्वर।

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में भारतीय उर्वरक निगम का उर्वरक संयंत्र बन्द पड़ा है,

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं,

(ग) इसके बन्द होने के कारण प्रति माह उत्पादन में कितनी हानि हो रही है और उसका कुल मूल्य कितना है, और

(घ) सरकार द्वारा उक्त संयंत्र को पुन: चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और इसमें कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल बोरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) संयंत्र में 10 जून, 1990 को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें अमोनिया संयंत्र के 'सी' स्ट्रीम के सी, ओ. कन्वर्शन सेक्शन के पाइप का भाग विछिन्न हो गया, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, दो घायल हुये और तब से गोरखपुर स्थित फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया का उर्वरक संयंत्र बन्द पड़ा है। इस सम्बन्ध में, कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि संयंत्र को पुन: आरम्भ करने से पूर्व नियमानुसार संयंत्र को तीसरे पक्षकार द्वारा जांच की जानी चाहिए। तदनुसार, प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. को उसके स्वास्थ्य का अध्ययन करने और मरम्मत के लागत अनुमानों को दर्शाने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने अनुमानों के साथ एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उसकी फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. द्वारा जांच की जा रही है और विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) 1989-90 के वार्षिक उत्पादन के आधार पर यह उत्पादन की औसत वार्षिक हानि 12,750 मी. टन यूरिया है जिसका मूल्य 677 लाख रु. है। सरकार फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के निदेशक मण्डल, जो मामले कि जांच कर रहा है, की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात कार्यवाही करेगी।

नर्मदा सागर परियोजना

1078. श्री सत्य नारायण जटिया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए क्या कदम गए हैं;

(ख) क्या सरकार का इस परियोजना के लिए विश्व बैंक अथवा अन्य विदेशी वित्त संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) वर्ष 1988 के मूल्य स्तर पर, परियोजना की अनुमानित लागत 1993.67 करोड़ रुपये है। परियोजना को विश्व बैंक से ऋण सहायता लेने के लिए सूची में रखा गया है। तथापि, बैंक के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है।

खाड़ी युद्ध को रोकने के लिए यमन की छह सूत्री योजना

[अनुवाद]

1079. श्री आरन्ब सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमन ने खाड़ी युद्ध को रोकने के लिए छह सूत्रीय योजना बनाई थी,

(ख) यदि हां, तो वक्त योजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार खाड़ी युद्ध को समाप्त करने तथा क्षेत्र में शांति बहाली के लिए दी गई सभी पहकदमियों का समर्थन करता है।

विवरण

खाड़ी युद्ध को रोकने के लिए यमन की 6 सूत्री योजना

यमन की 6 सूत्री शांति योजना का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है :

(i) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समस्त सैनिक कार्रवाई तत्काल रोकने का एक संकल्प,

(ii) सभी अरब इस्लामी मध्यस्थता प्रयासों को मौका दिया जाए जिससे कि उन कारणों को दूर किया जा सके जिन्हें लेकर इराक और कुवैत के बीच मतभेद पैदा हुए हैं,

(iii) इस क्षेत्र से सभी बहु राष्ट्रीय सेनाओं की वापसी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा एक संकल्प,

(iv) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से एक संकल्प पारित किया जाए जिसमें अरब, इजरायल संघर्ष से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र के सभी संकल्पों को तत्काल और अविलम्ब क्रियान्वित किया जाए,

(v) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक ऐसा संकल्प पारित करे जिससे उसका संकल्प संख्या 661 निरस्त हो जाए,

(vi) इस क्षेत्र में किसी भी देश के कब्जे वाले घातक हथियारों को हटाने के लिए एक व्यापक समझौता किया जाए और इस बात का सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाये जाएं कि इस क्षेत्र में सामान्यत: सभी प्रकार के संघर्षों को और खासतौर पर अरब इजरायल संघर्ष को दूर करके इस समझौते का पालन हो।

दुग्ध-चूर्ण का निर्यात

1080. श्रीमती सुमाचिणी अली : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का विचार आस्ट्रेलिया को दुग्ध-चूर्ण का निर्यात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीभाई वीरचंद भाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

खाड़ी युद्ध में चार दिन के युद्ध विराम हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का सुझाव

1081. श्री आनन्द सिंह :

प्रो. यशवन्त पांडेय :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कुवैत के मसले पर किसी समझौते की संभावनाओं को खोजने के लिए 19 जनवरी, 1991 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाड़ी युद्ध चार दिन तक रोकने के लिए सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर संयुक्त राष्ट्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) इस सुझाव पर अनौपचारिक बातचीत में विचार किया गया था किन्तु कोई निर्णय नहीं हुआ।

दिल्ली परिवहन निगम को टूटी-फूटी बसों की बिक्री

1082. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की कितनी बसों की बिक्री कबाड़ के रूप में की गई और गत तीन वर्षों के दौरान बेची गई बसों की तुलना में ये कितनी है,

(ख) बसों की बिक्री का कारण क्या है और इससे कितनी धनराशि प्राप्त की गई है,

(ग) इन बसों की बिक्री करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, और

(घ) इन बसों की बिक्री से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मधुभाई कोटडीया) : (क) पिछले 12 महीनों में स्क्रेप के तौर पर केवल 141 बसों का निपटान किया गया। गत तीन वर्षों के दौरान स्क्रेप के तौर पर बेची गई बसों की संख्या इस प्रकार है :—

1987-88	224 बसें
1988-89	319 बसें
1989-90	319 बसें

(ख) स्क्रैप के तौर पर बसों को, उनकी आयु पूरी होने के बाद ही बेचा जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री से वसूल की गई राशि इस प्रकार है:—

1987-88	36,48,477 रु.
1988-89	84,87,026 रु.
1989-90	88,52,648 रु.
1990-91	45,29,604 रु.
(आज तक)	

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम को एक स्क्रैप व्यापारी से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी उनके द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

स्क्रैप की गई बसों के निपटान के लिए दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

दिल्ली परिवहन निगम बसों को उनकी आयु पूरी हो जाने पर अथवा अन्यथा निपटान करता है। यांत्रिकी पक्ष द्वारा बसों को स्क्रैपिंग निर्धारित मानदण्डों/प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। यांत्रिकी पक्ष द्वारा इन्हें स्क्रैप के रूप में घोषित कर दिए जाने के बाद मामले को, बसों के निपटान के लिए अनुमोदन हेतु मंत्रालय को भेजा जाता है। मंत्रालय के अनुमोदन के बाद इन बसों को निपटान के लिये भंडार एवं खरीद विभाग को सौंप दिया जाता है। भण्डार एवं खरीद विभाग इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय आधार पर प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित करता है। स्क्रैप बसों की बिक्री के बारे में निगम द्वारा सम्भावित खरीदारों/डीलरों को भी सूचित किया जाता है। मुहरबन्द निविदाएं मुख्यालय स्थित निविदा कक्ष में प्राप्त की जाती हैं और उन्हें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा गठित अधिकारियों के एक दल द्वारा, निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जाता है।

उसके बाद ये निविदाएं निविदा कक्ष द्वारा भंडार एवं खरीद विभाग को भेज दी जाती है और उन पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तुलनात्मक विवरण तैयार किये जाते हैं और फिर मामले की भंडार लेखा द्वारा जांच की जाती है। उसके मामले को अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक द्वारा यथा अनुमोदित भंडार समन्वय समिति के समक्ष रखा जाता है जिसमें सी जी एम (टी/एस) सी ए ओ, उप मुख्य महा प्रबन्धक (यांत्रिकी) उप मुख्य प्रबन्धक (एस एंड पी) और पी ओ एस होते हैं।

बसों का निपटान बाजार के रुख, पिछली निविदाओं में प्राप्त दरों और विभिन्न बसों की दशा पर आधारित होता है । अन्तिम रूप से बसों का निपटान करने से पहले छह मुख्य एसेम्बलियां अर्थात् इंजिन, गियर बाक्स, सामाने का एक्सल, पिछला एक्सल, रैडिएटर और टायरों को बसों से निकाल लिया जाता है ।

सामान्यत. उपर्युक्त मानदण्डों को ध्यान में रखते हुये इन बसों को बिक्री के लिये आरक्षित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है । कुछ मामलों में बसों को निपटान के लिये रखा जाता है लेकिन उनसे अनुमानित आरक्षित मूल्य नहीं मिलता । समिति द्वारा इनकी समीक्षा की जाती है और आरक्षित मूल्य को इस प्रयोजन के लिये गठित वरिष्ठ अधिकारियों की उप समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये, अपेक्षाकृत कम स्तर पर नियत कर दिया जाता है ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले में अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक, के अनुमोदन के अनुसार सर्वोच्च निविदाकार को बसें बेच दी जाती हैं ।

बिहार में सिंचाई क्षमता

[हिन्दी]

1083. श्री तेज नारायण सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1989-90 के दौरान सिंचाई क्षमता में कुल कितनी वृद्धि की गयी है;

(ख) क्या सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु कुछ नई सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी तीन वर्षों में राज्य की सिंचाई क्षमता कितनी हो जायेगी ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में सृजित सिंचाई क्षमता 586 हजार हेक्टेयर होने की प्रत्याशा है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार का आठवीं योजना में 6 वृहद तथा 30 मध्यम नई सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है । इन स्कीमों का क्रियान्वय राज्य सरकार द्वारा आबंटित निधियों पर निर्भर करेगा । अगले तीन वर्षों के दौरान राज्य में सिंचाई विकास किये जाने संबंधी कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बिहार में सोन नहर परियोजना

1084. श्री तेज नारायण सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोन नहर परियोजना पर कुल कितनी धनराशि कम की गयी है और अब तक इस पर कितना कार्य हुआ है;

(ख) उक्त परियोजना के द्वारा कुल कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध होगा और इससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों के क्या नाम है; और

(ग) उक्त परियोजना का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल भूतल परिवहन मन्त्री श्री मनुभाई कोटडिया : (क) से (ग) जबकि सोन नहर बिहार की एक विद्यमान परियोजना है, राज्य सरकार का, पटना, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा भोजपुर जिलों को लाभ पहुंचाने के वास्ते इसके आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। परामर्शदात्री समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार, परियोजना के सोपान-1 में 30,000 कमान क्षेत्र को शामिल करते हुये चार प्रायोगिक (पाइलट) परियोजनाएं योजना आयोग को भेजा गयी थी। निवेश स्वीकृति प्राप्त करने तथा समय अनुसूची पर निर्णय लेने के लिए, राज्य सरकार को निधियों के आवंटन में इस परियोजना को प्राथमिकता देनी है।

बिहार में नया दूरसंचार डिवीजन

1085. श्री तेज नारायण सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नया दूरसंचार डिवीजन स्थापित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जयप्रकाश) : (क) जी, नहीं। बिहार के कार्यभार के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नई दूरसंचार डिविजन का कोई औचित्य नहीं बनता।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के बस्तर जिले में डाकघर और तार घर खोलना

1086. श्री तेज नारायण सिंह : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के बस्तर जिले में कितने गांवों में एक भी डाक और तार घर नहीं हैं; और

(ख) वर्ष 1990-91 में उक्त क्षेत्र में कितने डाकघर, उप डाकघर और तार घर खोले गये तथा वर्ष 1991-92 में कितने खोले जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) बिहार में कोई बस्तर जिला नहीं है, तथापि, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है :—

(i) उन ग्रामों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं — 2989

(ii) उन ग्रामों की संख्या जिनमें तारघर नहीं हैं — 3417

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान अभी तक कोई डाकघर या तार घर नहीं खोला गया है। 31-3-1991 तक 5 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। वर्ष 1991-92 में नए डाकघर खोलने के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। बस्तर जिले में 1991-92 में कोई तारघर खोले जाने की संभावना नहीं है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर दूसरी बाजार सड़क उपमार्ग का निर्णय

1087. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर दूसरी बाजार सड़क (गिरिडीह बिहार) के तीन किलोमीटर लम्बे उपमार्ग के निर्माण हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा पहले दिया जा चुका है,

(ख) क्या पूर्व रेलवे को अपरि पुल के निर्माण हेतु धनराशि आबंटित की जा चुकी है, और

(ग) यदि हां, तो उपमार्ग और उपरि पुल का निर्माण कब तक शुरू होगा ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) भूमि अधिग्रहण अधिकारी को मुआवजे के लिए धन जारी कर दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि मार्ग संरेखण योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए अभी यह नहीं बताया जा सकता कि पुल का निर्माण कब शुरू होगा।

राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

1088. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के प्रमुख शहरों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में अगली-बार कितने लोग पंजीकृत हैं,

(ख) ये आवेदन पत्र कितने समय से लम्बित हैं,

(ग) क्या उदयपुर शहर के लिए इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्वीकृत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां।

(घ) उदयपुर के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान एक ई 10वी इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आबटित कर दिया गया है जो उपस्कर प्राप्त होने के बाद चालू किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं.	शहर का नाम	31.1.1991 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची			
		ओपाईटी	विशेष	सामान्य	कुल
1.	जयपुर प्रतीक्षा सूची	2499	3864	37852	44215
	सबसे पुराना आवेदक।	1.4.87	29.11.84	22.12.81	
2.	जोधपुर प्रतीक्षा सूची	483	955	8776	10214
	सबसे पुराना आवेदक	26.11.88	16.11.86	8.4.83	
3.	कोटा प्रतीक्षा सूची	626	480	5224	6330
	सबसे पुराना आवेदक	14.3.89	7.1.88	21.12.83	
4.	अजमेर प्रतीक्षा सूची	343	345	3093	3771
	सबसे पुराना आवेदक	30.6.89	11.7.88	15.11.84	
5.	उदयपुर प्रतीक्षा सूची	717	1151	5671	7539
	सबसे पुराना आवेदक	13.10.84	4.9.84	15.2.82	

गरीबी उन्मूलन कार्य क्रम के अन्तर्गत स्वयं सेवी एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

1989. श्री जे. चोक्का राव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह मूल्यांकन किया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वयं सेवी एजेंसियों जिन्हें कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता दी गई थी, के कार्य का क्या परिणाम निकला है, और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

1050. श्री जे. चोक्का राव : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल लाभ पर चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो होटलों के प्रत्येक ग्रुप द्वारा कितना लाभ कमाया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का घाटे में चल रहे होटलों का प्रबन्ध संचालन गैर-सरकारी होटल मालिकों को सौंपने का विचार है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व के 25 होटलों में से वर्ष 1989-90 के दौरान 18 होटलों ने लाभ कमाया है तथा शेष 7 होटलों को हानि हुई है।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के 25 होटलों में से प्रत्येक को हुए लाभ/हानि का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके अनुसार वह अपना कोई होटल प्राइवेट होटल मालिकों को सौंपे।

विवरण

क्रम सं.	होटल का नाम	1989-90
1	2	3
1.	होटल आगरा अशोक, आगरा	4.44
2.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	113.91
3.	अशोक राडिसन होटल, बंगलोर	8.87
4.	अशोक होटल, नई दिल्ली	233.30

1	2	3
5.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	124.23
6.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	4.43
7.	होटल बोधगया अशोक बोधगया	(—) 9.77
8.	होटल हसन अशोक, हसन	10.62
9.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	4.61
10.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	(—) 0.08
11.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	53.85
12.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	(—) 20.88
13.	कनिष्क होटल, नई दिल्ली	135.35
14.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	2.74
15.	अशोक राडिसन बीच रिसोर्ट, कोवलम	22.29
16.	अशोक राडिसन ललित पैलेस होटल, मैसूर	34.48
17.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	22.87
18.	लोदी होटल, नई दिल्ली	34.79
19.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	6.79
20.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	(—) 25.38
21.	कुतब होटल, नई दिल्ली	30.41
22.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	(—) 27.67
23.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	(—) 101.95
24.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट, माम्मलापुरम	0.04
25.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	(—) 17.25
		कुल जोड़ 644.74

उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

1091. श्री आर. एन. राकेश : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत किया गया था;

(ग) इन लम्बित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क), (ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ख) शून्य।

विवरण

बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति की स्थिति

क्रम सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तारीख	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा होने की तारीख	स्वीकृति की स्थिति
1	2	3	4	5
क. बृहद परियोजनाएं				
1.	मोदाहा बांध	3/90	—	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को अनुपालना करनी है।
2.	मेवी बांध की ऊंचा करना	19/90	—	संशोधन रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।
3.	ज्ञानपुर पम्प नहर	4/89	—	राज्य को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
4.	उत्तर प्रदेश संयुक्त सिंचाई) अपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण- पहली बार स्लाइस)	3/84	10/56	टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन परामर्श दात्री समिति द्वारा स्वीकार की गयी। राज्य को केन्द्रीय जल आयोग की

1	2	3	4	5
				टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
5.	बेवार पोषक	9/88	1/90	राज्य सरकार को परामर्शदात्री समिति की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
6.	बाणसागर नहर	6/89	7/90	—वही—
7.	जमानिया पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना	4/83 8/89	—	राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
8.	राजघाट नहर	9/88	—	—वही—
9.	कन्हर सिंचाई	6/88	—	—वही—
10.	हिण्डन कृष्णी दोआब	8/86	—	राज्य को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।
11.	चित्तौड़ गढ़	2/75	—	चूंकि परियोजना निर्माण के अग्रिम चरण में थी, इसलिए 12/88 में योजना आयोग को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गयी थी।
12.	फरखाबाद शाखा का आधुनिकीकरण	4/83	—	चूंकि परियोजना निर्माण के अग्रिम चरण में थी, इसलिए 8/88 में योजना आयोग को संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत की गयी थी।
13.	सुहेली सिंचाई	2/79	—	—वही— 9/86 में
14.	माधोतन्डा सिंचाई	10/81	—	—वही— 9/86 में
15.	खातिमा सिंचाई	1/82	—	—वही— 9/86 में
16.	बेवार शाखा का आधुनिकीकरण	2/87	—	—वही— 8/88

1	2	3	4	5	
17.	भोगम्पिर शाखा का आधुनिकीकरण	2/87	—	—वही—	4/88
ख.	मध्यम परियोजनाएं				
1.	पथरई बांध	1/91	—	राज्य को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।	

कनाडा में मालवाही जहाज का डूब जाना

1092. **श्री आर एन राकेश** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा में न्यूफाउंड लैंड के दक्षिण-पूर्व में 3 फरवरी, 1991 को एक मालवाही जहाज के डूब जाने से 30 भारतीय मारे गये,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) : सिंगापुर में पंजीकृत एक जहाज, एम वी प्रोटैक्टर के 11.1.1991 को कनाडा में न्यूफाउंड-लैंड के पास लापता होने की सूचना मिली है। 12 तथा 13 तारीख को ढूंढने के बावजूद जहाज नहीं मिला। जहाज पर 33 व्यक्तियों का चालक दल सवार था जिनमें से 30 भारतीय थे। तलाशी और बचाव कार्य के दौरान कोई जीवित व्यक्ति अथवा शव नहीं मिला। उस समय जहाज चालक दल के प्रयोजनार्थ एक भारतीय कम्पनी, मै. वालेम शि9 मैनेजमेंट लि. बम्बई के प्रबंध के तहत था।

(ग) चूंकि जहाज सिंगापुर में पंजीकृत है, इसलिए कोई भी जांच सिंगापुर सरकार द्वारा की जाएगी। भारतीय चालक दल के दिवंगत सदस्यों के निकटतम संबंधी को क्षतिपूर्ति का भुगतान, नेशनल यूनियन आंफ सीफेयरर्स आंफ इंडिया, बम्बई और उक्त कम्पनी के बीच हुए सामूहिक सौदा करने संबंधी एक समझौते द्वारा शासित है।

दक्षिण अफ्रीका को संगीत एवं नृत्य दल का दौरा

1093. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत से एक संगीत एवं नृत्य दल ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी ओर से कोई आपत्तियां उठाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के परामर्श से कुछ भारतीय सांस्कृतिक मंडलियों को दक्षिण अफ्रीका जाने की अनुमति दी गई है।

(ख) नीचे लिखी सांस्कृतिक मंडलियों ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की है :—

(I) कल्याणजी आनन्दजी-सितम्बर, 1990

(II) आर. डी. एर्मन, नवम्बर के अंत से 10 दिसम्बर, 1990 तक

(III) अमिताभ बच्चन, 5-6 जनवरी, 1991

(IV) पंकज उधास, 12-27 जनवरी, 1991

(V) बप्पी लाहिड़ी, 15-28 फरवरी, 1991

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में फ्लाई ओवर

1094. श्री मदन लाल खुराना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 9 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माणाधीन फ्लाई ओवरों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है तथा जनता के लिए इन्हें खोल दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक यातायात के लिए खोला जायेगा, और

(ग) क्या दिल्ली नगर कला आयोग के पास पड़ी शेष लंबित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) : संवैधानिक तौर पर यह मंत्रालय केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए ही जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों/पुलों की जिम्मेदारी अनिवार्यतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र की होती है। जहां तक 9 अगस्त, 1990 के अतांकित प्र. सं. 694 के उत्तर में उल्लिखित फ्लाईओवरों की स्थिति का संबंध है, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम द्वारा

दी गई विस्तृत जानकारी के आधार पर इन फ्लाईओवरों के निर्माण की स्थिति और विलम्ब के कारण तथा दिल्ली शहरी कला आयोग (डी यू ए सी) की स्वीकृति संबंधी स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण-I और 2 में दी गई हैं

विवरण-I

निर्माणाधीन फ्लाईओवर/आर ओ बी/आर यू बी के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जैसाकि कार्यान्वयन एजेंसियों ने प्रस्तुत किया है।

	फ्लाईओवर/आर ओ बी/आर यू बी का नाम	स्थिति	विलम्ब के कारण
1.	शाहदरा में जी. टी. रोड पर सहारनपुर-शाहदरा रेलवे क्रासिंग पर आर ओ बी	प्रगति पर। 1991-92 में पूरा होने की संभावना	शून्य
2.	महरौली-बदरपुर रोड पर आर यू बी	प्रगति पर। 1991-92 में पूरा होने की संभावना	शून्य
3.	वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र को अशोक विहार से जोड़ने वाला आर यू बी	प्रगति पर। दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि वे इस समय इसके पूरा होने की संभावित तारीख बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि रेलवे ने अभी अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाकर कार्य शुरू नहीं किया है।	विलम्ब के कारण (1) तारों को शिफ्टिंग (11) झुग्गियां हटाने की आवश्यकता
4.	ओखला के समीप दिल्ली-मथुरा लाईन के क्रासिंग पर आउटर रिंग रोड पर आर ओ बी-22	प्रगति पर। जून, 1992 तक पूरा होने की संभावना।	विलम्ब के कारण (1) बड़ी संख्या में झुग्गियां हटाने की आवश्यकता (2) डीजल की कमी।

विवरण-2

दिल्ली में फ्लाईओवरों के लिए दिल्ली शहरी कला आयोग की स्वीकृति से संबंधित स्थिति को दर्शाने वाला विवरण, जैसा कि कार्यान्वयन एजेंसियों ने प्रस्तुत किया है।

	फ्लाईओवर/आर ओ बी/आर यू बी का नाम	स्थिति
1.	आऊटर रिंग रोड-जे बी टीटो मार्ग क्रासिंग	अनुमोदित
2.	आऊटर रिंग रोड-अरबिंद मार्ग क्रासिंग	अनुमोदित
3.	मंडी ब्रिज के निकट आर यू बी	अनुमोदित
4.	पंजाबी बाग क्रासिंग	अनुमोदित
5.	सफदरजंग क्रासिंग	डी यू ए सी ने दिल्ली प्रशासन से कुछ और ब्यौरे मांगे हैं।

दिल्ली में टेलीफोन और टेलेक्स एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलना

1095. श्री मदन लाल खुराना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में समस्त टेलीफोन और टेलेक्स एक्सचेंजों और टेलीग्राफ कार्यालयों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो उन टेलीफोन और टेलेक्स एक्सचेंजों तथा टेलीग्राफ आफिसों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक इलेक्ट्रोनिक नहीं बनाया गया है और उन्हें कब तक इलेक्ट्रानिक बनाए जाने की संभावना है,

(ग) क्या जनकपुरी एक्सचेंज में उन व्यक्तियों को टेलीफोन मिलने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी गई थी, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) :

(क) दिल्ली में सभी टेलेक्स एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है। तथापि, कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों को अभी भी इलेक्ट्रानिक बनाया जाना है। केन्द्रीय तार घर, नई

दिल्ली और दिल्ली में सभी विभागीय तार घरों को इलेक्ट्रानिक स्टोर तथा फारवर्ड संचारण प्रणाली से जोड़ा गया है।

(ख) 22 इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को अभी भी डिजिटल प्रणाली में बदला जाना है। इन एक्सचेंजो का निर्धारित कार्य काल अभी पूरा नहीं हुआ है और इनको 2010 ईसवी तक उत्तरोत्तर रूप से बदलने की संभावना है।

(ग) और (घ) भूमिगत केबिल पेयरों के उपलब्ध न होने के कारण जनकपुरी के कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर मंजूर किए गए टेलीफोनों को प्रदान करने में थोड़ी देर लगने की संभावना है।

बम्सधारा परियोजना चरण 11

1096. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या जल ससाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्सधारा परियोजना चरण-11 की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना में शामिल अंतर्राज्यीय मुद्दों को सुलझा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की मंजूरी को रोकने के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

जल ससाधन मंत्री तथा जल-भूतल-परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (घ) परियोजना में निहित अंतर्राज्यीय मामलों के हल न किए जाने के कारण परामर्शदात्री समिति ने अक्तूबर, 1988 में आयोजित अपनी बैठक में परियोजना पर विचार नहीं किया। राज्य सरकार को पर्यावरण और वन स्वीकृति प्राप्त करनी है तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना पहलुओं को भी निपटाना है।

मिर्च को खेती को प्रभावित करने वाली बीमारियां

1097. **श्री पलाई के. एम. मैथ्यू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विषकविल्ट, फिलोबीटल इत्यादि से होने वाली बीमारियों के कारण मिर्चलता को, विशेषकर केरल के इडुक्की जिले में हो रही तबाही की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इन बीमारियों के कारण और इलाज का पता लगाने के लिये अनुसंधान व अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि विभाग, केरल सरकार, कोको, सुपारी और मसाला विकास निदेशालय तथा राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशेषज्ञ समिति ने समस्या का गहराई से मौके पर अध्ययन किया और समेकित प्रबन्ध कार्यक्रम का सुझाव दिया, जिसमें रासायनिक नियंत्रण शामिल है। इडुक्की जिले में 500 हैक्टेयर क्षेत्र में काली मिर्च के बागों के सुधार का कार्य शुरू किया गया है जिसमें नष्ट हो गई बेलों के स्थान पर अधिक उपज देने वाली किस्मों की बेलें लगाना, पूरे बाग के लिए पौध रक्षण उपायों सहित वैज्ञानिक प्रबन्ध अपनाना शामिल हैं जिसमें सुधार की लागत पर 50 प्रतिशत राजसहायता की अनुमति है।

(ग) काली मिर्च के शीघ्र मुरझा जाने के रोग के कारण का पता पहले ही लगा लिया गया है और राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट और अखिल-भारत समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना, पन्नययुर, केरल में इस रोग की प्रतिरोध किस्में विकसित करने के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र द्वारा सुझाए गए उपायों, जिनमें पादप-स्वच्छता और पौध रक्षण उपाय शामिल हैं, को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। हाल ही में किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि इस रोग के लिए सिस्टेमेटिक फंगीसाइड राइडोमिल एम. जेड 72 प्रतिशत डब्ल्यू. पी. प्रभावकारी है और इसी लिए भारत सरकार ने इस रसायन के अस्थाई उपयोग की अनुमति दी है।

पेय जल की सप्लाई

1098. श्री पलाई के. एम. मैथ्यू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इस कार्य में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां सहयोग कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) पानी की कमी वाले क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों का है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और मिनी मिशन परियोजना क्षेत्रों की गतिविधियों के अन्तर्गत तथा अत्यधिक फ्लोराइड पर नियंत्रण रखने, पेयजल में खारापन और लोह तत्वों को दूर करने, गिनीकृमि को नष्ट करने, पेयजल में उपलब्ध अन्य रासायनिक तथा जीवाणुयुक्त संदूषण को हटाने और जल प्रबन्ध हेतु जल एकत्रीतरण ढ़ाचों की व्यवस्था करने आदि के लिए उप-मिशनों के अन्तर्गत तकनीकी मार्गनिर्देश तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर उनके प्रयासों में मदद दे रही है।

1.4.90 को उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश मेघालय, उड़ीसा, पंजाब जम्मू और कश्मीर, असम आदि जैसे कुछ राज्यों में कठिन समस्या वाले क्षेत्रों में केवल 8365 "बिना जल स्रोत वाले" समस्या-ग्रस्त गांव शेष थे। इनमें से 5170 समस्या वाले गांवों को आंशिक रूप से कवर किये गये 25357 समस्या वाले गांवों के साथ 1990-91 में कवर किये जाने का लक्ष्य है। शेष "बिना जल स्रोत वाले" समस्या वाले गांवों को 1191-92 में और उसके बाद कवर किया जायेगा।

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई पर विशेष बल एवं प्राथमिकता देते हुये "बिना जल स्रोत वाले" आंशिक रूप से कवर किये गये समस्या वाले गांवों/अन्य गांवों की कवरेज के लिये राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जल सप्लाईकार्यक्रम के तहत निधियां उपलब्ध कराई जा रही है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत मरूभूमिम विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के लिये बिना किसी मैचिंग राशि की शर्त के, विशेष निधियां दी जाती हैं।

आठवीं योजना के दौरान आंशिक रूप से कवर किये गये गाँवों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की बसावटों/छोटी-छोटी बस्तियों में पेयजल की सप्लाई बढ़ाने तथा उन गैर समस्या वाले क्षेत्रों, जो कि जल स्तर के घटने, जल में संदूषण आदि के कारण जल की समस्या वाले क्षेत्रों की श्रेणी में आ गये हैं, को जल सप्लाई के अंतर्गत कवर करने पर बल दिया जायेगा।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण जल सप्लाई परियोजनाओं की डैनिश डेवलपमैंट एजेंसी (डानिडा) ओवरसीज डेवलेपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ. डी. ए.) आफ यूनाईटेड किंगडम, रॉयल नीदरलैंड गवर्नमेंट, जर्मन असिस्टेंस (के. एफ. डब्ल्यू) यूरोपीयन इकनामिक कमीशन (ई. ई. सी.) यूनाइटेड नेशनस चिल्ड्रनस फंड (यूनिसेफ) स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलेपमैंट एजेंसी (एस. आई. डी. ए.), विश्व बैंक, नोर्ड तथा यूनाइटेड नेशनल डेवलेमेंट प्रोग्राम (यू. एन. डी. पी.) की सहायता से कुछ राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तमिल नाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश आदि में क्रियान्वित किया जा रहा है। तथापि, द्विपक्षीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त कुल सहायता राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय क्षेत्र के केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक परिव्यय के लगभग 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

पशुधन विकास कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

1099. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गन्जाम जिले में पशुधन विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए स्विटजरलैंड के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां। उड़ीसा के गंजाम जिले में स्विस सहायता से पशुपालन विकास की एक परियोजना के क्रियान्वयन के लिये स्विटजरलैण्ड सरकार से एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिये गये हैं।

(ख) परियोजना के पहले चरण के दौरान प्राप्त की जाने वाली स्विस सहायता 2.70 करोड़ रुपये होगी।

(ग) यह परियोजना 1.1.1991 से शुरू कर दी गई है।

जवाहर रोजगार योजना में धन का आबंटन

1100. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निधि का आबंटन बढ़ाये जाने के बारे में कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि ह, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल चोरचन्द भाई शाह) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989-90 में 1.4.89 से शुरू की गई थी। उस वर्ष हेतु कार्यक्रम के लिए 2100 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आबंटन किया गया था। 1990-91 के दौरान भी शुरू में उतना ही आबंटन किया गया था जितना कि वर्ष 1989-90 के दौरान किया गया अर्थात 2100 करोड़ रुपये तथापि, वर्ष के दौरान किए गए आर्थिक उपायों के परिणामस्वरूप, योजना के लिए चालू वर्ष के प्रावधान को संशोधित करके 2000.73 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

विशेष मानव अधिकार सम्मेलन पर हुआ व्यय

[हिन्दी]

1101. श्री शिव शरण वर्मा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पांच सितारा होटल में विश्व मानव अधिकार सम्मेलन बुलाने पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गये;

(ग) सरकार द्वारा इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) दिसम्बर, 1990 में नई दिल्ली में मानवाधिकार विश्व कांग्रेस गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बुलाई गई थी और इसके खर्च के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इस सम्मेलन में मानवाधिकारों तथा उससे संबद्ध बहुत से विषयों पर संकल्प पारित किये गए थे जिनमें शामिल थे : गैर-सरकारी संगठन और मानवाधिकार, शरणार्थियों और राष्ट्रिकताविहीन व्यक्तियों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, प्राकृतिक संसाधन विवाद और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार, जातीय, सामाजिक और धार्मिकविवाद, समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण, मानवाधिकार विषयक सूचना, अध्ययन और अनुसंधान तथा मानवाधिकारों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था।

(ग) और (घ) विश्व कांग्रेस में पारित संकल्पों को सरकार ने अपने ध्यान में रख लिया है।

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत तथा नेपाल के बीच समझौते

[अनुवाद]

1102. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रधान मन्त्री के हाल के नेपाल दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच बराह-क्षेत्र में कोसी नदी पर, शारदापानी में कमला नदी पर, नुनथर में बागमती नदी पर बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए और साथ ही साथ महानन्दा, पंचेश्वर और करनाली नदी घाटी परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई नया समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनायें कब तक निष्पादित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) करनाली और पंचेश्वर परियोजनाओं पर विद्यमान समितियों के कार्य में तेजी लाने का निर्णय लिया गया है।

संसद सदस्यों के कोटे से टेलीफोन कनेक्शन देना

1103. **श्री बसवन्त मणवर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य अपने कोटे से टेलीफोन कनेक्शन की सिफारिश करने के अधिकारी हैं,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की घोषणा के बाद इसके लिये कितनी सिफारिशें की गयी हैं और कितने मामलों में टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं, और

(ग) क्या सरकार को संसद सदस्यों से उनके कोटे से एक महीने के अन्दर टेलीफोन कनेक्शन न दिये जाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो निश्चित अवधि के अन्दर टेलीफोन कनेक्शन के लिये आदेश जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

केरल में कबानी जल ग्रहण-क्षेत्र की पारिस्थितिकी-पुनर्प्रतिष्ठा

1104. **श्री ए. विजयराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार की ओर से वायनाड जिले के कबानी जल ग्रहण-क्षेत्र की पारिस्थितिकी-पुनर्प्रतिष्ठा हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) केरल सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नदी घाटी परियोजना के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को चालू केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन कबानी स्रवण क्षेत्र को शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव भेजा है। मृदा संरक्षण को इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कबानी सहित नए स्रवण क्षेत्रों तक विस्तार किए जाने को अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

गोवा में डाक तथा दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

1105. **प्रो. गोपाल राव मायकर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोवा राज्य में दूरसंचार तथा डाक सेवाओं के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों को सरकार ने अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस योजना में प्रस्तुत ग्रामीण संचार सुविधाओं का स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जयप्रकाश) : (क) और (ख) दूरसंचार : जी नहीं। देश तथा गोवा राज्य के लिए आठवीं योजना के मसौदा प्रस्ताव तैयार कर लिये गए हैं। इसमें निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ गोवा में स्थानीय स्विचिंग क्षमता की 42000 लाइनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

— 5000 लाइनों से कम क्षमता वाले सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में 31.3.95 तक मांग आते ही टेलीफोन प्रदान करना।

— प्रत्येक ग्राम पंचायत में फोन सुविधा प्रदान करना।

— सभी पर्यटन केन्द्रों/तीर्थ स्थानों, उप मंडलीय मुख्यालयों तथा 500 या इससे अधिक की क्षमता वाले सभी एक्सचेंजों में राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा।

आठवीं योजना के दौरान डाक नेटवर्क का राज्यवार विस्तार कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) दूरसंचार : योजना अवधि में प्रस्तावित ग्रामीण दूरसंचार सुविधा की किस्म में टेलीफोन नेटवर्क (अधिकांश इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के माध्यम से) का विस्तार और तार सेवाओं का विस्तार शामिल है । प्रत्येक ग्राम पंचायत में फोन सुविधा प्रदान करना भी इसी मे शामिल है ।

डाक : आठवीं योजना के दौरान समूचे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 10000 डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ।

कर्नाटक में जल संभारों (वाटरशेड्स) की स्थापना

1106. **श्री एच. सी. श्रीकांतय्या** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में दस जलसंभरों की स्थापना के लिए जर्मन वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित जलसंभरों को किन स्थानों पर स्थापना की जायेगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और अब तक कितनी सहायता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा कोलार जिले में पांच उप-पनधाराओं वाले कोलारमा टैंक पनधारा और मैसूर जिले में पांच उप-पनधाराओं वाले नगरथल्ली-देवागथल्ली पनधारा नामक दो परियोजनाएं जर्मन वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावित की गई हैं ।

(ग) मूल्यांकन स्तर पर प्रस्तावित संशोधित लागत 4.91 करोड़ रुपये है ।

बीदर-श्रीरंगापटनम मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1107. **श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बीदर-श्रीरंगापटनम मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है,

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव कब भेजा गया था और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कितना लम्बा है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार कुछ राज्य-सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन भेजती रही है, उनका पिछला संदर्भ जुलाई, 1990 में प्राप्त हुआ था, जिनमें अन्यों के अलावा मैसूर से हुमनाबाद तक की वह सड़क भी शामिल है जिसकी कुल लम्बाई 678 कि. मी. है और जिनमें हुमनाबाद से बीदर तक के 46 कि. मी. लम्बे एक से खण्ड को छोड़कर यह सारी प्रस्तावित सड़क आ जाती है; और जो श्री रंग पटना-हिरियूर-बेलारी और गुलबर्गा को छूकर गुजरती है।

(ग) आठवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के संबंध में कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में कृषि के प्रयोजन से पानी की उपलब्धता

[हिन्दी]

1108. श्री तारीक सिंह : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कृषि के प्रयोजन के लिए कितना पानी उपलब्ध होता है;

(ख) क्या इसे किसानों को उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) दिल्ली में सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की मात्रा का अलग से निर्धारण नहीं किया गया है। तथापि, दिल्ली के कृषकों की सिंचाई मांगों को यमुना जल, बहिःस्राव तथा भूजल से पूरा किया जा रहा है।

राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देना

1109. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बूंदी और केशवराय पाटन जिलों की पर्यटन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में पर्यटन की सम्भावना का सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार केशवराय पाटन के मन्दिर में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं।

होशियार पुर में टेलीफोन कनेक्शन

[अनुवाद]

1110. श्री कमल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशियारपुर टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा सूची में है,

(ख) होशियारपुर में टेलीफोन कनेक्शन के लिए किस तिथि तक के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाई हो गयी हैं, और

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा-सूची के लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) :

(क) ओ वाई टी — 56

विशेष — 34

सामान्य — 1635

योग — 1725—31.1.91 की स्थिति के अनुसार

(ख) ओ वाई टी — 4.11.87

विशेष — 19.2.88

सामान्य — 5.1.89

(ग) 4500 लाइनों का एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज आवंटित किया गया है । उपस्कर और अन्य सामग्री उपलब्ध होने पर, 8 वी योजना अवधि के दौरान एक्सचेंज के चालू हो जाने पर मौजूदा प्रतीक्षा सूची को निपटा दिया जाएगा ।

पंजाब में एस. टी. डी. सुविधा

1111. श्री कमल चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) इस समय पंजाब के किन-किन शहरों को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ दिया गया है, और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजाब के किन-किन कस्बों को एस. टी. डी. सुविधा से जोड़ने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय मे उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 1.2.91 की स्थिति के अनुसार पंजाब के निम्नलिखित केन्द्रों को एस टी डी सुविधा प्रदान की गई है :

अबोहर, अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फजिल्का, फिरोजपुर, गोरया, होशियारपुर, जगराम जालन्धर, कपूरथला, खन्ना, लुधियाना, मोगा, राजपुरा, नाभा, पठानकोट, पटियाला, फगवाड़ा,

राजपुरा, रख्या, सहनेवल, संगरूर, नंगल, गुरदासपुर, रोपड़, पट्टी, फिल्लौर, भवानीगढ़, जोधन, भेनी साहिब, भुट्टन, हुम्रान, खरार, छहरता, मोहाली, व्यास ।

(ख) शेष वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब के निम्नलिखित केन्द्रों को एस टी डी सुविधा प्रदान कर दिए जाने की संभावना है :

जन्दियलागुरु, बचू, तापा, तरनतारन, जैंतू जिरा ।

पंजाब में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना का कार्यान्वयन

1112. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या लक्ष्य प्राप्त हुए;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रही है; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति की निगरानी सृजित किए गए श्रमदिनों के रूप में जाती है। पंजाब में वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत रोजगार सृजन के लक्ष्य तथा उपलब्धि नीचे दर्शायी गई है है :

वर्ष	कार्यक्रम	रोजगगार के निर्धारित लक्ष्य (लाख श्रम दिन में)	सृजित रोजगार
1988-89	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	21.85	22.88
1989-90	जवाहर रोजगार योजना	28.88	34.23
1990-91	जवाहर राजगार योजना	31.72	12.52 (जनवरी, 91 तक)

(ख) पंजाब में वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान क्रमशः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वास्तव में सृजित किया गया रोजगार लक्ष्यों से

अधिक है। 1990-91 के दौरान भी सेजनगर के 31.72 लाख श्रम दिनों के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) चूंकि इन सभी वर्षों में रोजगार सृजन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए इस संबंध में कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं

[हिन्दी]

1113. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) महाराष्ट्र के मारवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की कौन सी प्रणालियां उपलब्ध हैं;

(ख) जायकवाड़ी और पूर्णा सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितने एकड़ की है और इस सिंचाई क्षमता को किस सीमा तक उपयोग में लाया जा रहा ;

(ग) मराठवाड़ा क्षेत्र के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(घ) क्या मराठवाड़ा क्षेत्र से सम्बंधित कुछ सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) बन्धारस, नहरें और कुएं।

(ख) परियोजना का नाम	चरम क्षमता (हजार हेक्टे.)	सातवीं योजना के अन्त तक सृजित क्षमता (हजार हेक्टे.)
जायकवाड़ी चरण I	131.64	141.64
जायकवाड़ी चरण II	135.57	54 64
पूर्णा	57.99	57.99

(ग) वर्ष 1987-88 के अन्तिम आंकडों के अनुसार, कुल फसली क्षेत्र में कुल सिंचित क्षेत्र का अनुपात मराठवाड़ा क्षेत्र के औरंगाबाद जिले में अधिकतम है।

(घ) और (ङ) सात मध्यम परियोजनाओं में से, अपर मनार, साकोल, रायगोहन, मसा-लगा, सेनापुर और बेनीतुरा परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों की अनुपालना होने पर तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के बाद परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पायी गयीं। शेष

परियोजना नामशः बोरदेगांव पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है ।

डाक तथा दूरसंचार विभागों के कर्मचारी संघों द्वारा हड़ताल

1114. **प्रो. यदुनाथ पाण्डेय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक दूरसचार विभागों के अनेक कर्मचारी संघ अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल पर हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पीलूखेड़ी और शिमली के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 का विकास

1115. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम पीलूखेड़ी और ग्राम शिमली (भोजपुर) के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 के निर्माण और सुधार पर वर्ष 1990-92 के दौरान कितना खर्च हुआ, और

(ख) इस राजमार्ग पर इस संबंध में वर्ष 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पीलूखेड़ी और शिमली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-12 पर वर्ष 1990-91 के दौरान जनवरी, 91 तक 15.59 लाख रु. खर्च किए गए थे ।

(ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान व्यय हेतु 124.62 लाख रु. की राशि का प्रस्ताव रखा है । तथापि, संसद द्वारा इस वर्ष के लिए अनुदानों की मांग को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही सही राशि की जानकारी हो सकेगी ।

केरल में एम सी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना

[अनुवाद]

1116. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एम सी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था,

(ख) यदि हां, तो कब और क्या इस मार्ग का काम पूरा हो गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) एम सी रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है और रोड का राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों द्वारा विकास एवं रख-रखाव किया जा रहा है । तथापि छठी पंचवर्षीय योजना में, अन्तर्राज्यीय एवं आर्थिक महत्व की सड़कों के केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अधीन, इस रोड के सुधार के लिए राज्य सरकार को 75 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गई थी ।

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने के बारे में निति

1117. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध मंडल ने मृत कर्मचारी के एक आश्रित को रोजगार देने के संबंध में कोई नीति निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अशोक, होटल, नई दिल्ली के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देने से सम्बन्ति कोई मामले यदि लंबित हैं, तो उन मामलों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के भर्ती, प्रोन्नति और वरीयता नियमों के अन्तर्गत निगम में मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य को रोजगार देने की खासतौर पर निम्न लिखित व्यवस्था है :

"सेवा के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार की कठिनाई को कम करने को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधक वर्ग (मैनेजमेंट) के ही विवेक से निर्धारित उपयुक्त पद पर निगम उसकी पत्नी अथवा पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को रोजगार दे सकता है । रोजगार की श्रेणी में निम्नतम पदों के लिए शैक्षिक योग्यताओं आयु और अनुभव में ढील दी जा सकती है । अन्य पदों पर उपर्युक्त मृत कर्मचारी के आश्रित सदस्य के पास पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं होनी आवश्यक है परन्तु आयु तथा अनुभव की ढील दे दी जाएगी । मृत कर्मचारी के केवल एक ही आश्रित सदस्य को दया के आधार पर रोजगार दिया जाएगा ।"

(ग) फिलहाल, अशोक होटल के मृत कर्मचारियों की पत्नियों को रोजगार देने के दो मामले विचाराधीन हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :

मृतक कर्मचारी का नाम	मृत्यु की तारीख	रोजगार हेतु प्राप्त अनुरोध तथा मृत कर्मचारी से उनका संबंध	अनुरोध प्राप्ति की तारीख
1. श्री अमर सिंह	3.10.90	श्रीमती कलावती (पत्नी)	7.11.90
2. श्री बी मंजन	3.11.90	श्रीमती सरोजा (पत्नी)	18.11.90

धारा मूंगफली तेल का विपणन

1118. डा. सी. सिलवेरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल डेयरी डेवलेप्मेंट बोर्ड मूंगफली का तेल खरीद रहा है और "धारा" के ब्रांड नाम से उसका विपणन कर रहा है;

(ख) इस खरीद का उद्देश्य क्या है;

(ग) इस उत्पाद को दिल्ली के बाजार में लाने की सही तिथि क्या है;

(घ) दुकानदारों और होटलों तथा कैन्टीनों जैसे व्यापारिक उपभोक्ताओं को इस उत्पाद के वितरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ङ) क्या दिल्ली में पिछले छः महीनों से धारा मूंगफली का तेल सप्लाई नहीं किया गया है;

(च) क्या नेशनल डेयरी डेवलप्मेंट का विचार इस उत्पाद का प्रभावी रूप से विपणन करके अपना उद्देश्य प्राप्त करने हेतु कोई दल भेजने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) (क) जी हां।

(ख) धारा का विपणन करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का यह उद्देश्य है कि वह मंडी हस्तक्षेप परिचालनों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उसको दिए गये आदेश को पूरा कर सके, धारा का विपणन उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर अच्छा क्वालिटी का तेल उपलब्ध कराता है। इससे तिलहन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं में एक सीधा सम्पर्क स्थापित होता है जिससे तेल के व्यापार में सट्टेबाजी पर नियंत्रण होता है।

(ग) मूंगफली के परिष्कृत तेल का विपणन फरवरी, 1990 में शुरु किया गया था, तथापि धारा परिष्कृत वनस्पति तेल (आयातित तोरिया/देशी सरसों का तेल) अगस्त, 1988 में दिल्ली में शुरु किया गया था।

(घ) धारा के वितरण की संभाल गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ द्वारा की जाती है और यह कार्य उसके थोक और खुदरा विक्रेताओं के विस्तृत नेटवर्क के जरिए किया जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, दिल्ली में अपने फल और सब्जी के बूथों से भी उपभोक्ता को सीधे ही धारा वितरित करता है।

(ङ) पिछले छह महीनों से दिल्ली में धारा की सप्लाई नियमित रही है। पिछले छह महीनों में दिल्ली के डिपुओं द्वारा धारा की बिक्री का ब्यौरा नीचे दिया गया गया है :

क्रम सं.	माह	मात्रा
1.	जुलाई, 1990	1263 मीटरी टन
2.	अगस्त, 1990	971 मीटरी टन
3.	सितंबर, 1990	1366 मीटरी टन
4.	अक्तूबर 1990	2052 मीटरी टन
5.	नवम्बर, 1990	1768 मीटरी टन
6.	दिसम्बर, 1990	1881 मीटरी टन

(च) और (छ) धारा का विपणन पहले ही कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ, जो धारा के विपणन के लिए जिम्मेदार है, का दिल्ली में एक नियमित विपणन कार्यालय है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी धारा के वितरण का नियमित रूप के प्रबोधन करता है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में बिल बनाने सम्बन्धी व्यवस्था

1119. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकांश होटल मशीन द्वारा बिल तैयार कराने की बजाय हाथ द्वारा बिल तैयार करने की व्यवस्था पर निर्भर है;

(ख) क्या अनेक प्रभावित ग्राहकों के हाथ द्वारा बिल तैयार करने की व्यवस्था की कुशलता के प्रति शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) राजधानी में भारत पर्यटन विकास निगम के 8 होटलों में से निम्नलिखित 4 होटलों में बिल हाथ से तैयार किए जाते हैं :—

1. जनपथ
2. लोधी
3. रणजीत और
4. कुतब

(ख) और (ग) इन होटलों द्वारा हाथ से बिल तैयार करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय जल रक्षण कार्यक्रम

[हिन्दी]

1120. श्री कैलाश मेघवाल : : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय जल रक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं और इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का विचार है और इस पर कुल कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार का विचार निरन्तर रूप से बाढ़ ग्रस्त और सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए कोई विशेष और दीर्घावधिक कार्यक्रम तथा योजनाएं तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्ती लाल वीर चन्द भाई शाह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राजस्थान को 3.016 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्षासिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास की पुनः संरचित परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान को अस्थाई रूप से 135.94 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार 1973 से सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को 50 : 50 के अनुपात में लागत शेयर करके और सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय लागत के आधार पर 1977-78 से मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। राज्य सरकार ने घग्गर और लूनी बेसिन के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है और केन्द्रीय सरकार मार्ग-निर्देशन कर रही है।

नर्मदा परियोजना के विरोध में बाबा आम्टे का अभियान

[अनुवाद]

1121. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री आनन्द सिंह :

प्रो. यदुनाथ पाण्डेय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने जनवरी, 1991 के प्रथम सप्ताह के दौरान प्रधान मन्त्री से भेंट की थी और उन्हें नर्मदा परियोजना के विरोध में बाबा आम्टे और उनके समर्थकों द्वारा उस समय चलाए जा रहे अभियान से अवगत कराया था;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इस मामले को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोठडीया) : (क) और (ख) जी, हां। संसद सदस्यों ने सरदार सरोवर परियोजना, जो योजना आयोग द्वारा पहले ही अनुमोदित की जा चुकी है और विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत की जा चुकी है, के निर्माण के वास्ते जोरदार सिफारिश की है।

(ग) और (घ) सरकार ने परियोजना के निर्माण के लिए पूरा समर्थन किया है। तथापि, विस्थापितों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना में यदि कोई कमियां हैं, तो वे परियोजना से प्रभावित लोगों की संतुष्टि के अनुसार हल की जा सकती हैं। इस प्रयोजन हेतु, गुजरात सरकार पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यकलापों में विभिन्न गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग ले रही है।

भूकम्प के झटके

[हिन्दी]

1122. प्रो. यदुनाथ पाण्डेय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 फरवरी 1991 को भारत के कई शहरों में भूकम्प के झटके महसूस किए गए थे; यदि हां, तो जान माल के नुकसान का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भूकम्प से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए कोई कार्यवाही की है; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) भूकम्प के ऐसे झटकों के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए किए गए शोध का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) 1 फरवरी, 1991 को देश के उत्तरी भागों में भूकम्प के झटके महसूस किए गए थे, परन्तु किसी भी राज्य से जान माल को क्षति पहुँचने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) चूंकि जान और माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है अतः किसी प्रकार की राहत दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) विगत में आए भूकम्पों के अध्ययन के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने आई.एस. 1983-1984 के रूप में "क्राइटीरिया फार अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइन आफ स्ट्रक्चर्स" नामक प्रकाशन निकाला है।

उत्पादक श्रम बल सम्बन्धी आंकड़े

1·23. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, खेतिहर मजदूरों की वर्तमान संख्या जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं और जिनके बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वर्तमान जनगणना अभियान के माध्यम से इस महत्वपूर्ण जानकारी को एकत्र करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समय उपरोक्त सूचना के अभाव में प्रत्येक व्यावसायिक श्रेणी की विकास सम्बन्धी आवश्यकता का पता कैसे लगाया जा रहा है; और

(घ) ऐसे कितने महत्वपूर्ण व्यवसायों का पता लगाया जा रहा है, जिन्हें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल किया जाना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) रोजगार और बेरोजगारी से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पंचवार्षिक सर्वेक्षणों से, पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रति व्यक्ति कार्य दिवस के संवितरण, किए जा रहे कार्यों के प्रकार के द्वारा, आकलन प्राप्त होते हैं और कृषीय पौधरोपण उन कार्यों में से है जिसके लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार से 1991 की जनगणना से कृषीय पौधरोपण से सम्बन्धित आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं होंगे, यद्यपि कृषीय कामगारों से सम्बन्धित आंकड़े—एकत्रित और सारणीबद्ध किए जाएंगे।

(ग) और (घ) गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के अभिनिर्धारण के लिए घरेलू/उन्मूलन कार्यक्रम आईआरडीपी का कार्यान्वयन करते समय अभिनिर्धारित परिवारों को उनकी दक्षता तथा व्यावसायिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसयुक्त स्कीमें प्रदान की जाती हैं।

लघु और ग्रामीण उद्योगों को रियायतें

1124. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों के प्रतिनिधियों ने सरकार से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आदि मे छूट दिए जाने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) विभिन्न लघु उद्योग संघों से सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क आदि में राहत मांगने के सम्बन्ध में समय समय पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन अभ्यावेदनों पर उचित समय पर विचार करने हेतु इन्हें नोट कर लिया जाता है।

राजस्थान में औद्योगिक लाइसेंस जारी करना

1125. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1990-91 (आज तक) के दौरान औद्योगिक एककों की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने कितने औद्योगिक लाइसेंस, आशय पत्र जारी किये हैं और कितने पंजीकरण किये, और

(ख) प्रत्येक एकक में होने वाले पूंजी निवेश और इससे मिलने वाले रोजगारों के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1990 की अवधि के दौरान राजस्थान के लिए निम्नलिखित औद्योगिक लाइसेंसों, आशय-पत्रों तथा पंजीकरणों की मंजूरी दी गई। आवेदन पत्र भरते समय आवेदकों द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रस्तावित निवेश तथा रोजगार को भी नीचे सूचित किया गया है।

	सं.	अचल सम्पत्ति में प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़ में)	प्रस्तावित रोजगार (संख्या)
1	2	3	4
आशय पत्र	19	140.65	5549
औद्योगिक लाइसेंस	3	2.63	387
लाइसेंस मुक्त उद्योग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए पंजीकरण	97	360.66	14037

	1	2	3
छूट प्राप्त उद्योगों से सम्बन्धित योजना के लिए स्वीकृत पंजीकरण	36	373.44	6056
तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पंजीकृत मामले	8	15.87	1102

वाहनों की हेड लाइटों के ऊपरी गोलार्द्ध को काला करने का प्रस्ताव

1126. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विपरीत दिशा से आ रहे मोटर चालकों की आँखों पर सीधी तेज रोशनी के परावर्तन का प्रभाव कम करने हेतु मोटर चालकों को अपने वाहनों की हेड-लाइटों के ऊपरी गोलार्द्ध पर काला वार्निस करने के लिये आदेश देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली में रोशनी के सीधे परावर्तन के कारण कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) रोशनी के सीधे परावर्तन के कारण होने वाली घटनाओं के अलग रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं ।

समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अधीन नवयुवतियों को सुविधाएं

1127. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं तथा छ: वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य पेकेज और स्कूल पूर्व की सेवाएं दी जाती हैं, में नवयुवतियों को शामिल करने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आठवीं योजना के दौरान कुछ धनराशि आवंटित करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) इस विभाग ने किशोर बालिकाओं के लिए एक योजना तैयार की हैं जिसका उद्देश्य उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना तथा उन्हें पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अनुपूरक पोषाहार तथा कुछ कौशल प्रदान करके मातृत्व के लिए तैयार करना है। इस योजना को कुछ आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में प्रायोगिक आधार पर शुरू करने के लिए मंजूर कर दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस सम्बन्ध में किए गए निवेशनों के ब्यौरे की जानकारी नहीं है।

नशीले पदार्थों की लत की घटनाओं में वृद्धि

1428. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री पी. आर. कुमारमगलम :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रमुख शहरों तथा पूर्वोत्तर राज्यों में नशीले पदार्थों की लत में पड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो नशीले पदार्थों की बुरी लत को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) देश मे नशीले पदार्थों के सेवन के प्रभाव में वृद्धि के संबन्ध मे कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) नशीले पदार्थों के सेवन और व्यसन की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक बहु आयामी व्यापक कार्यनीति अपनाई है जिसमें (क) नशीले पदार्थ के दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी के प्रसार हेतु चेतना सृजन कार्यक्रम (ख) व्यसनियों को परामर्श सुपुर्दगी, उपचार, निष्व्यसन और उत्तरवर्ती देखभाल सेवाएं प्रदान करना और (ग) जनशक्ति संसाधन के निर्माण हेतु प्रशिक्षण शामिल है। मद्यनिषेध और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के निवारण हेतु, स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की हमारी योजना के अन्तर्गत, स्वयसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। अब तक देश में 108 परामर्श केन्द्र, 36 निष्व्यसन केन्द्र और 9 उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, नशीले पदार्थों के सेवन का समस्या से निपटने और इसे फैलने से रोकने हेतु चेतना पैदा करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में मुकदमे संबंधी मामले

[हिन्दी]

1129. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर एकक के प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच कितने मुकदमे चल रहे हैं;

(ख) लंबित मामलों पर प्रबंधकों द्वारा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और वकीलों को कानूनी सलाह तथा मामलों की पैरवी करने के लिये कितनी धनराशि दी जायेगी;

(ग) रक्षा मंत्रालय के शिकायत कक्ष को कारखाने के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें मिली हैं;

(घ) क्या शिकायत कक्ष ने कर्मचारियों और शिकायत कर्ताओं को अपना निर्णय सुना दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विलंब के लिए उत्तरदायी कारणों की जांच करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) इस समय 154 मामले न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हैं।

(ख) 1986-87 से 1990-91 (दिसम्बर 1991 तक) तक पिछले 5 वर्ष की अवधि में न्यायालय में अनिर्णीत पड़े सभी मामलों के सम्बन्ध में कानपुर प्रभाग द्वारा करीब 3,04,128/रु. व्यय किए गए। इस समय यह बताना सम्भव नहीं होगा कि कानूनी सलाह लेने और मुकदमा के लिए वकीलों को कितनी राशि अदा करनी होगी।

(ग) से (ङ) रक्षा मंत्रालय में लोक शिकायत एकक जनता एवं रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का निपटान करता है। सेवारत कर्मचारियों से यदि कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं तो वे आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं और ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शिकायत करने वालों को सूचित किए जाते हैं। पिछले 3 वर्ष के दौरान कानपुर प्रभाग से संबंधित 11 अभ्यावेदन/शिकायतें रक्षा मंत्रालय ने हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड को भेजी हैं और हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने उन सभी को उत्तर भेजा है।

उच्च श्रेणी के अधिकारियों के बच्चों और पति अथवा पत्नी को आरक्षण का लाभ दिये जाने पर प्रतिबन्ध

[अनुवाद]

1130. श्री जे. चोक्का राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आई. ए. एस., आई. एफ. एस. और अन्य श्रेणी के अधिकारियों, चिकित्सकों, इंजीनियरों और आकर्षक पदों पर बैठे अन्य लोगों के बच्चों और पति अथवा पत्नी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण सुविधाएं पाने से वंचित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग के अंशदान की बढ़ी हुई दर

1131. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मन्त्री एककों द्वारा भविष्य निधि का अंशदान के बारे में 23 मई, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10019 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग पर भविष्य निधि के अंशदान की बढ़ी हुई दर को लागू करने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो कब से; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) और (ख) कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदान की दर को मजदूरी के 8.33% से बढ़ाकर 10% करने के प्रश्न की सावधानी पूर्वक जांच की गई है लेकिन उस पर सहमत होना संभव नहीं हैं, क्योंकि उपलब्ध सूचना के अनुसार सामान्यत: यह उद्योग अंशदान की बढ़ी हुई दर के कारण अतिरिक्त वित्तीय दबाव को सहन करने की स्थिति में नहीं है।

आकाशवाणी केन्द्र, कन्नानोर

1132. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कन्नानोर, केरल के आकाशवाणी केन्द्र का काम कहां तक पूरा हो गया है;

(ख) कार्य काम की प्रगति संतोषजनक है!

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कन्नानोर में आकाशवाणी केन्द्र कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) कन्नानोर का आकाशवाणी केन्द्र तकनीकी रूप से तैयार है। जैसे ही केन्द्र के प्रबंध के लिए अपेक्षित स्टाफ तैनात हो जाएगा वैसे ही उसे चालू करने का कार्यक्रम है।

विभिन्न विभागों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर की सुविधायें

1133. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न सरकारी विभागों में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर विकास तथा प्रशिक्षण के रूप में कम्प्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करता है । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा सप्लाई किया गया कम्प्यूटर हार्डवेयर एक प्रयोक्तता वातावरण (डास) के अन्तर्गत बहुभाषायी कार्ड का प्रयोग करने से तथा बहु-प्रयोक्ता वातावरण (युनिक्स/जेनिक्स) के अन्तर्गत बहुभाषीय टर्मिनल का प्रयोग करने से भारतीय भाषाओं में कार्य करने में सक्षम हैं । इसके अतिरिक्त वर्ड-प्रोसेसिंग कार्यकलापों के लिए हिन्दी वर्ड-प्रोसेसिंग साफ्टवेयर भी प्रदान किया गया है । तदनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र 29 विभागों को 40 बहुभाषीय टर्मिनल, 29 विभागों को 47 बहुभाषीय कार्ड तथा 24 विभागों को 43 हिन्दी वर्ड-प्रोसेसिंग साफ्ट-वेयर पैकेज प्रदान कर चुका है । 52 विभाग ऐसे हैं जहां इनमें से कोई एक सुविधा उपलब्ध है । राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने अतिरिक्त 60 बहुभाषीय टर्मिनलों के लिए आदेश दे दिए हैं, जिनकी सुपर्दगी मार्च, 1991 से शुरू हो जाएगी ।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र व्यक्तिगत आधार पर कम्प्यूटर पर हिन्दी/भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षा प्रदान कर रहा है । यह केन्द्र अब कम्प्यूटर पर हिन्दी/भारतीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी विशेष पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है । इसने पाठ्यक्रम नवम्बर, 1990 से मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान हिन्दी में वर्डप्रोसेसिंग तथा डेटा एंट्री तथा हिन्दी में डेटाबेस डिजाइन संबंधी 8 पाठ्यक्रमों की घोषणा की है । ऐसे पांच पाठ्यक्रम पहले ही संचालित किए जा चुके हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के लगभग 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के सुलझाये गए सेवा संबंधी मामले

1134. श्री नन्द लाल मीणा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के गठन के बाद, सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को अन्तिम रूप देने में लगने वाला समय उच्च न्यायालय के माध्यम से सुलझाये जाने वाले मामलों की तुलना में कम हुआ है;

(ख) क्या यह जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है कि केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण संस्थान प्रणाली सरकार और इसके कर्मचारी दोनों के लिए मितव्ययी सिद्ध हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां। अधिकरण द्वारा मामलों के निपटान के लिए लिया गया औसत समय पहले विभिन्न अदालतों द्वारा लिए गए समय की तुलना मे कम है।

(ख) और (ग) हालांकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी यह समझा जाता है कि अधिकरण द्वारा मामलों का संस्थित/निपटान किया जाना अधिक मितव्ययी है। अधिकरण में आवेदन-पत्र दायर करते समय संबंधित पार्टी से 50/-रुपये का नाम मात्र का शुल्क लिया जाता है और उसके लिए प्रैक्टिस करने वाले वकील को नियुक्त करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वह स्वयं अधिकरणों के समक्ष मामले की पैरवी स्वयं कर सकता है। किसी एक आदेश से प्रभावित होने वाले बहुत से कर्मचारी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना एक ही आवेदन-पत्र मे शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, फाइल/दस्तावेज के निरीक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है तथा निर्णय की प्रति निःशुल्क भेजी जाती है।

लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण

1135. श्री यूसुफ बेग : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र के अनियमित और दोषपूर्ण प्रसारण के सम्बन्ध मे शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्र के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) लखनऊ स्थित उच्च शक्ति (10 कि. वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। तथापि, बिजली फेल हो जाने की वजह से प्रसारण में कई बार रूकावट आई है इस प्रकार की रूकावटों को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र मे एक डीजल जनरेटर सेट उपलब्ध कराया गया है। फिर भी, बिजली फेल होने की स्थिति में, प्रसारण डीजल जनरेटर से शुरू करने या बिजली आने पर मेन लाइन से प्रसारण शुरू होने मे कुछ पल के लिए आने वाले व्यवधान से बचा नहीं जा सकता।

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग

1136. श्री प्रकाश वी. पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभान महिला संगठनों ने यह मांग की है कि महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग के गठन का काम केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए कोई पैनल बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग बनाने के कार्य के लिए कोई पैनल बनाए जाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की शक्तियां, अधिनियम के खण्ड 3 (1) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार म निहित हैं। अत: सरकार के इस प्रयोजन के लिए पैनल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्त्तव्य निभाते हुए मारे गये आई. पी. एस. अधिकारी

1137. श्री धर्मन्ना सोन्डय्या सादुल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्त्तव्य निभाते हुए कितने आई. पी. एस. अधिकारी वर्ष-वार, और राज्य/संघ राज्य-वार मारे गये;

(ख) उनके निकट सम्बन्धियों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सहायता के कितने मामले सरकार के विचाराधीन लंबित पड़े हैं और इन मामलों को अंतिम रूप देने में विलंब के क्या कारण है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सप्लाई पैनल से कम्पनियों को हटाना

[हिन्दी]

1138. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणवत्ता नियंत्रण महानिदेशालय ने 24 जून, 1988 की अधिसूचना संख्या 335 की अवज्ञा करते हुए 160 कम्पनियों को सप्लाई पैनल से हटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सप्लाई पैनल में रहने वाली शेष कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों तथा इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या इह निर्णय पूरे निरीक्षण ग्रुप ने लिया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस प्रकार से हटाई गई कम्पनियों के हितों को रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) गुणता आश्वासन महा-निदेशालय के पास पंजीकृत सभी ऐसी कंपनियों का यह देखने के लिए मूल्यांकन किया गया था कि

क्या ये कंपनियां 24.6.1988 की सरकारी अधिसूचना सं. 355 में निर्धारित "अच्छी निर्माण प्रक्रिया" का अनुपालन कर रही हैं या नहीं। जिसके कारण दवाइयों और भेषजिकीय 160 कंपनियों का पंजीकरण का नवीकरण नहीं किया गया है।

(ख) निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि उपर्युक्त 160 कंपनियों में से 105 कंपनियां इस सम्बन्ध में निर्धारण प्रक्रिया का अनुपालन पूरी तरह से नहीं कर रही हैं। शेष 55 कंपनियों की क्षमता का पूरा पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि उन्होंने कई अनुस्मारक देने के बाद भी अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) हर एक कम्पनी के निरीक्षण के समय क्षेत्रीय दल के कुछ सदस्य विभिन्न कारणों से कुछ कम्पनियों के निरीक्षण के लिए नहीं जा सके। फिर भी, इन क्षेत्रीय दलों की रिपोर्ट पर एक शिखर निकाय विचार करता है और उक्त निकाय के सभी सदस्य निर्णय लेने में भाग लेते हैं।

(छ) जिन कम्पनियों की ओर से कमियां पाई गई थीं उन्हें उनकी कमियों के बारे में सूचित किया गया था ताकि वे उसे दूर कर सकें और पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकें। जिन 55 कंपनियों ने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं उन्हें आंकड़े प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया है।

केरल के पालघाट में रक्षा उपकरण कारखाना

[अनुवाद]

1139. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल के पालघाट में रक्षा उपकरण कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक विकास

[हिन्दी]

1140. **श्री भोवेन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी और पलामू जिलों को बिहार के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में से चयन करने के बाद उनके लिए तीव्र औद्योगिकीकरण योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है तथा इस संबंध में और क्या कार्यक्रम तैयार किये गये हैं;

(ग) क्या नगर भवन, मधुबनी में 13-14 फरवरी को और लहरिया सराय (दरभंगा) में 15-16 फरवरी को जिला स्तर के औद्योगिक विकास उद्यम शिविरों की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भावी योजनायें क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) किसी राज्य में किसी जिले विशेष के औद्योगीकरण का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। तथापि केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को लाइसेंसीकरण में प्राथमिकता, रियायती ब्याज इत्यादि जैसे कुछ प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों में मदद करती है। पलामू जिले में उद्योग लगाने वाले उद्यमी उपर्युक्त प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं। मधुबनी जिला केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़ा जिला नहीं है।

(ग) और (घ) यह समझा जाता है कि राज्य/जिला स्तरीय प्राधिकरणों द्वारा कैम्प स्थापित किये गये थे। इन कैम्पों के बारे में उद्योग मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है।

दिल्ली में पुलिस स्टेशनों में निर्दोष व्यक्तियों की पिटाई

1141. श्री रामेश्वर प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पुलिस स्टेशनों में निर्दोष व्यक्तियों की पिटाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में मार्च, 1989 से जनवरी, 1991 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है और किन-किन पुलिस स्टेशनों के विरुद्ध ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) पुलिस स्टेशनवार ऐसी कितनी शिकायतों की जांच की गई है तथा तथा कितनी शिकायतें लंम्बित पड़ी हैं; और

(घ) दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में उद्योग विहीन जिले

[अनुवाद]

1142. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन जिलों को उद्योग विहीन घोषित किया गया था; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इन जिलों में जारी किये गए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) उड़ीसा में उद्योग रहित जिलों के रूप में घोषित किए गए जिलों के नाम बालासोर, बोलनगीर और बुद्ध खोंडमल्स (फुलबनी) है।

(ख) वर्ष 1990 के दौरान उड़ीसा में उद्योग रहित जिलों को दो औद्योगिक लाइसें जारी किए गए थे, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	स्थापना-स्थल	विनिर्माण की मद
1.	पोमेक्स स्टील्स लि.	तुर्ला तितिलागढ़ बोलनगीर उड़ीसा	हाई स्पीड स्टील
2.	पोलर लेटेक्स लि.	बालासोर, उड़ीसा	रबर प्रोफिलेक्टिक्स (कनडोम्स)

दूरदर्शन ट्रांसमीटर पालघाट को माइक्रोवेव से जोड़ना

1143. श्री ए. विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में पालघाट स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटर को माइक्रोवेव से जोड़ने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, ट्रांसमीटर को माइक्रोवेव के साथ जोड़ना इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि पर निर्भर करेगा।

नशीली औषधियों का जब्त किया जाना

1144. श्री अजीत कुमार पांजा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 के दौरान सीमा सुरक्षा बल द्वारा कितनी धनराशि औषधियां (हैरोइन तथा सम्बद्ध उत्पाद) जब्त की गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : वर्ष 1990 के दौरान तथा 31 जनवरी, 1991 तक सुरक्षा बलों द्वारा जब्त की गई नशीली औषधियों की मात्रा निम्न प्रकार है :

1990

हैरोइन	380.023 कि. ग्राम
चरस	352.150 कि. ग्राम
हसीस	7,500 कि. ग्राम
हैम्प	385.900 कि. ग्राम
गांजा	46.200 कि. ग्राम
ब्राउन शूगर	1,623 कि. ग्राम
पम्पी हुस्क	2006.2 कि. ग्राम

1991 (31 जनवरी, 1991 तक)

चरस	139.267 कि. ग्राम
हैम्प	20.000 कि. ग्राम
गांजा	24.700 कि. ग्राम
पम्पी हुस्क	855.000 कि. ग्राम

तमिलनाडु में लिट्टे के संगठन

1145. श्री आर. जीवरत्नम : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लिट्टे के कितने संगठन पिछले दो वर्षों के दौरान तमिलनाडु आए हैं; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) तमिलनाडु सरकार से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जायेंगे ।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि तमिल उग्रवादियों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई सहन कर दी गई है। तटीय जिलों में अर्द्धसैनिक बलों को तैनात करके तट के साथ निगरानी रखी जा रही है। तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ 33 निगरानी चौकियां स्थापित की गई हैं जिनको सहायता के लिए चलती फिरती और पैदल गश्त लगाई जाती है। राज्य में श्रीलंका उग्रवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार नौ-सेना, तट रक्षक और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ गहन समन्वय स्थापित कर रही है।

मध्य प्रदेश की चीनी मिलों पर भविष्य निधि की बकाया राशि

[हिन्दी]

1146. डा लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 से 1990 के मध्य तक मध्य प्रदेश में विभिन्न चीनी मिलों पर भविष्य निधि की कितनी धनराशि बकाया थी;

(ख) इन मिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन चीनी मिलो से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार भविष्य निधि की कोई राशि बकाया नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

[अनुवाद]

1147. श्री ए. के. राय : क्या प्रधान मन्त्री 21 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2029 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारों में 15 वर्ष से अधिक समय से अस्थाई रूप में कार्य कर रहे इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के शेष श्रमिकों को नियमित करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) मामले की जांच की गई है। क्योंकि नैमित्तिक कामगारों की समादेश याचिकाएं पटना उच्च न्यायालय में अभी भी लम्बित पड़ी है इसलिए फिलहाल कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

हरियाणा में खाद्य मंत्री कार्यालय

1148. श्री बंसी लाल : क्या प्रधान मन्त्री 9 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चर्खी दादरी में शाखा भर्ती कार्यालय किस तारीख और किस महीने से खुला था;

(ख) गुड़गांव में शाखा भर्ती कार्यालय 1977 में किस तारीख और किस महीने से बन्द कर दिया गया था; और

(ग) हिसार में 977 से शाखा भर्ती कार्यालय किन तारीखों और महीनों में खुले और किन तारीखों और महीनों में बन्द हुए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में भर्ती

1149. श्री बी. राजरवि वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "भारत हेवी इलेक्ट्रकल्स लिमिटेड को बचाओ" (सेव "भेल") विषय पर आयोजित गोष्ठी में स्वीकृत उप प्रस्ताव की जानकारी है जिसमें केन्द्रीय सरकार से इस कम्पनी को पर्याप्त संख्या में क्रयादेश देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या द्विपक्षीय प्रबन्धों के अधीन अधिकांश क्रयादेश बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने प्राप्त कर लिये हैं;

(घ) क्या इस कम्पनी में भर्ती पर लगा प्रतिबन्ध हटाने और स्वचालित मशीनों तथा कम्प्यूटरों का प्रयोग बन्द करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, हां। बी एच. ई. एल. वर्कर्स यूनियन ने 9-7-90 को तिरुचि में एक गोष्ठी आयोजित की थी जिसमें बी. एच. ई. एल. को पर्याप्त क्रयादेश दिए जाने की संस्तुति की गई थी।

चालू वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन उपकरण के निर्माण के लिए बी एच. ई. एल. की क्षमता उपयोगता काफी संतोषजनक है।

कम्पनी के पास उपलब्ध निर्माणकारी सुविधाओं का पर्याप्त रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आठवीं योजना की परियोजनाओं के लिए बी. एच. ई. एल. की क्षमता उपयोग सरकार के पास सतत समीक्षाधीन रहती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) बी. एच. ई. एल. में भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और स्वचालित मशीनों और कम्प्यूटरों का प्रयोग बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह घरेलू बाजारों के

साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बी. एच. ई. एल. की प्रतिस्पर्द्धा बनाए रखने का आवश्यक आधार है।

लघु क्षेत्र की सीमा में वृद्धि करना

1150. **श्री एस. एन. बेकारिया :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि करने के संबन्ध में कोई प्रस्ताव/मांग/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गयी और इसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) लघु क्षेत्र के लिए निवेश सीमा बढ़ाने के लिए प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। लघु क्षेत्र तथा सहायक उद्योगों के लिए क्रमश: निवेश सीमा वर्तमान 35 लाख रु. और 45 लाख रु से 75 लाख रु. बढ़ाने का एक प्रस्ताव 31.5.1990 को लोक सभा के पटल पर रखे गये "लघु तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए नीति-परक उपाय और औद्योगिक स्वीकृतियों की कार्य विधि में परिवर्तन" नामक दस्तावेज में शामिल किया गया था। यह प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन है।

गुजरात में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

1151. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात के जामनगर और अन्य जिलों में कोई दूरदर्शन स्टेशन, दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र तथा आकाशवाणी स्टेशन वहां इसकी भारी मांग को देखते हुए इनको स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी स्थापना किन स्थानों पर किये जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन दूरदर्शन केन्द्रों, दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों और आकाशवाणी स्टेशनों की स्थापना गुजरात में किन स्थानों पर की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) **दूरदर्शन :**—जामनगर जिले के पर्याप्त भाग को, जामनगर के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा द्वारका के उच्च शक्ति (10 कि. वा.) ट्रांसमीटर से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होती है। गुजरात राज्य में, सातवीं योजना की चल रही स्कीमों के अंग के रूप में राजकोट में एक दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र तथा भुज में एक उच्च शक्ति (10 कि. वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अलावा वार्षिक योजना (1990-91) में मोरवी और जाम्बाट में एक-एक अल्प शक्ति (100 वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें शामिल है।

आकाशवाणी :— जामनगर के सम्पूर्ण जिले को राजकोट के 300 कि. वा. मि. वे. ट्रांसमीटर से कवरेज प्राप्त होती है। इसके अलावा, जिले के भागों को अहमदाबाद और भुज के क्रमशः 200 कि. वा. मि. वे. तथा 10 कि. वा. मि. वे. ट्रांसमीटरों से भी कवरेज प्राप्त होती है। अतः इस समय जामनगर में एक पृथक रेडियो केन्द्र या रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सातवीं योजना की चल रही स्कीमों के भाग के रूप में अहवा और सूरत में दो नये रेडियो केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

(घ) गोधरा में एक रेडियो केन्द्र की सेवा के लिये चालू कर दिया गया है पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में निम्नलिखित टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित किये गये हैं :—

1. सुरेन्द्र नगर
2. पिज
3. अहवा
4. गोधरा
5. बलसाड़
6. पारेबन्दर
7. जूनागढ़
8. जामनगर
9. अम्बाजी
10. धारड
11. काकरापाड़
12. मेहसाना
13. भाभर
14. दोहाद
15. धोराजी
16. सोवगढ़
17. छोटा उदेपुर
18. देदियापाड़ा
19. कोसाम्बा
20. केवाडिया कालोनी

दिल्ली में यातायात की स्थिति

1152. श्री राघवजी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के नगर क्षेत्र में दिन के समय यातायात की अव्यवस्थित स्थिति के क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र की यातायात की समस्याओं को हल करने/दूर करने के लिए कोई मास्टर योजना/आकस्मिकता योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) नगर क्षेत्र में असंतोषजनक यातायात के मुख्य कारण वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि जनसंख्या में वृद्धि, परिवहन सुविधाओं की कमी, परिवहन के विविध तरीकों और सड़कों की अपर्याप्त क्षमता है।

(ख) से (घ) दिल्ली यातायात पुलिस ने एक आकस्मिक योजना बनाई है जिसमें समकालीन यातायात, सड़क स्थान का अधिक से अधिक उपयोग और एन. डी. एम सी. क्षेत्र में कम्प्यूटर तकनीक की सहायता से चौराहों पर यातायात को विनियमित करना, और साइकिल चालकों पदयात्रियों के प्रयोग के लिए फुटपाथ को बढ़ाना, मार्गों और उप मार्गों का सुधार करना और शहर के सभी सड़कों का विकास करना शामिल है।

सीमेंट निगम में घोटाला

[हिन्दी]

1153. श्री छेदी पासवान :

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1991 के 'पंजाब केसरी में 'सीमेंट' निगम में करोड़ों के घोटाले की जांच करायी जायेगी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी जांच का ब्योरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस सम्बन्ध में कतिपय अभिकथन याचिकाएं प्राप्त हुई हैं। अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक को इन मुद्दों पर टिप्पणियां भेजने को कहा गया है ताकि मामले में और आगे कार्रवाई की जा सके।

सीमेंट का मूल्य

[अनुवाद]

1155. श्री आनन्द सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जनवरी, 1991 को एक बैठक में सीमेंट उत्पादकों से सीमेंट के मूल्यों में कटौती करने का अनुरोध किया गया था,

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में इस उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) सरकार द्वारा सीमेंट के मूल्यों में नियंत्रण और कटौती करने के लिए पुन: क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) 4 जनवरी 1991 को ऐसी कोई बैठक नहीं हुई।

(ग) सीमेंट का अधिक से अधिक उत्पादन करना तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार का निरंतर प्रयास है। सरकार सीमेंट उद्योग को कोयला, वैगनों तथा अन्य मूलभूत सहायता की उपलब्धता ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है तथा जहां कहीं आवश्यक हो, वहां उपचारी कार्यवाही की जा रही है।

सीमेंट की स्थापित क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी योजनाओं को उदारतापूर्वक मंजूरी दी जा रही है। राज्य सरकारों को व्यापारियों पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है ताकि वे खुदरा स्तर पर मुनाफाखोरी न करें। मांग को नियंत्रित करने तथा मूल्यों पर दबाव को कम करने के लिए केन्द्र सरकारी विभागों/केन्द्र सरकारी क्षेत्र उपक्रमों को सीमेंट की वार्षिक खरीद में 15% की कमी करने की सलाह दी गई है।

सिलचर इम्फाल राष्ट्रीय राजमार्ग

1156. श्री एन. तोम्बी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिलचर इम्फाल राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने तथा उक्त मार्ग पर प्रमुख पुलों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्य हेतु किये गये बजट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मार्ग चौड़ा करने और पुल निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के कारण राज्य के लोगों को परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार का निरीक्षण किया जा रहा है और इन कार्यों के निर्माण में प्राथमिकता क्रम क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सिल्चर इम्फाल राजमार्ग (264 किलोमीटर) बदरपुर—सिल्चर—इम्फाल (265 किलोमीटर) राष्ट्रीय राजमार्ग (सं. 53) का भाग है। सड़क का प्रारंभिक विकास सतह संबंधी विनिर्दिष्टियों (10 फुट चौड़ी) की श्रेणी-नो के अनुसार किया गया था। इस सड़क को सितम्बर, 1980 में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था। सड़क विकास कार्य को राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्दिष्टियों के अनुसार मई, 1982 में अस्थायी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई। किए गए स्थिर मूल्य आकलन के आधार पर 24.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सड़क को चौड़ा करने के कार्य को दिसम्बर, 1985 में सीमा सड़क विकास संगठन कार्यक्रम में बाद में पुन. सम्मिलित कर लिया गया। सड़क के लिए अनुमानित विनिर्दिष्टियां इस प्रकार हैं :—

(एक) सड़क की चौड़ाई — पहाड़ी क्षेत्र में 7.45 मीटर और मैदानी क्षेत्र/घुमावदार क्षेत्र में 7.45 मीटर से 12 मीटर तक।

(दो) पटरी की चौड़ाई — 3.75 मीटर।

239 किलोमीटर तक पहाड़ की कटाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। मणिपुर राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित इरांग बांध निमज्जन क्षेत्र को अन्तिम रूप न दिए जाने के कारण 5 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने का कार्य स्थगित कर दिया गया है। शेष 20 किलोमीटर सड़क भूमि अर्जन एवं अन्य समस्याओं के कारण अलग-अलग टुकड़ों में अधूरी पड़ी है।

224 किलोमीटर तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। शेष सड़क में से 5 किलोमीटर के एक मुख्य टुकड़े को चौड़ा करने का कार्य इरांग बांध निमज्जन क्षेत्र को अंतिम रूप न देने के कारण स्थगित कर दिया गया है। शेष 10 किलोमीटर बिना बनी सड़क अलग-अलग टुकड़ों में है।

इस मार्ग में 19 बड़े पुल हैं। ये सभी अस्थाई/अर्द्धस्थाई हैं लेकिन उन्हें यातायात के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। एक स्थाई पुल को वर्ष 990-91 में और दो अन्य को वर्ष 1991-92 में पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। अन्य पुलों के स्थाई निर्माण का कार्य चरणवार रूप में वर्ष 1992-93 से शुरू किया जाएगा।

इस मार्ग में 37 छोटे पुल हैं। इनमें से 12 पुलों को स्थाई बना दिया गया है और शेष अस्थायी/अर्द्धस्थायी हैं। उन्हें चरणवार रूप से स्थायी कर दिया जाएगा।

अनुमोदित 27.12 करोड़ रुपए की मूल लागत, जिसमें 10 प्रतिशत वृद्धि भी सम्मिलित है, में से 27.12 करोड़ रुपए की राशि दिसम्बर, 1990 तक खर्च की जा चुकी है। लागत मे वृद्धि और बड़े पुलों के निर्माण कार्य में परिवर्तन होने के कारण तथा भूमि अर्जन की बढ़ी हुई लागत के कारण, पूर्ण रूप से निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए बजट प्रावधान इस प्रकार हैं :—

वर्ष		राशि (करोड़ रुपए में)
1988-89	—	5.14
1989-90	—	5.70
1990-91	—	3.14

(ग) निर्माण कार्य अब तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ है। ईरांग बांध क्षेत्र में सड़क चौड़ा करने का कार्य पूरा न हो सकने के कारण कुछ कठिनाई हो सकती है लेकिन सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग-53 का यातायात के लिए उपयोग किया जा सकता है। तथापि, मानसून के दौरान भू-स्खलन होने के कारण किसी समय सड़क अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो सकती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे

[हिन्दी]

1157. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने छापे मारे; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) 1399;

(ख) उपर्युक्त तलाशियों के परिणामस्वरूप 404 मामले पंजीकृत किए गए तथा निम्नलिखित चल/अचल परिसम्पत्तियों का पता चला :

(i) चल परिसम्पत्तियां : 957.65 लाख रुपए

(ii) अचल परिसम्पत्तियां : 534 25 लाख रुपए

इनके अतिरिक्त, बडी संख्या में अभिशंसी दस्तावेज भी जब्त किए गए।

पुंछ और राजस्थान में प्रवासी पठान

[अनुवाद]

1158. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान पुंछ और राजस्थान क्षेत्र में पठान प्रवासियों का जमाव कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो वहां कितने प्रवासी हैं और उनके अधिकार में हथियारों और उपकरणों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार इस खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने पुंछ और राजस्थान क्षेत्रों में पठान प्रवासियों का जमाव किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

छोटे समाचार पत्रों के लिए नयी विज्ञापन नीति

[हिन्दी]

1159. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक और मासिक समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए एक उदार विज्ञापन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव के अन्तर्गत इन समाचार पत्रों को प्रत्येक महीने एक निश्चित संख्या में विज्ञापन देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन समाचार पत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सरकार की नीति, प्रचार की अपेक्षाओं और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, संतुलित और सम्यक ढंग से विज्ञापन देने का लक्ष्य रहता है। विज्ञापनों का प्रयोजन समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है।

सम्पत्ति कर के अन्तर्गत छूट की पुनरीक्षा

[अनुवाद]

1160. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नगरीकरण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सम्पत्ति कर के अन्तर्गत छूट की पुनरीक्षा करने एवं कम करने तथा कालोनियों में अप्राधिकृत निर्माण एवं अप्राधिकृत अधिवासों पर कर लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) । (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड के मुख्यालय को स्थानांतरित करना

[हिन्दी]

1161. श्री गोपाल पचेरवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड के मुख्यालय को जयपुर से सांभर झील के पास स्थानांतरित करने के आदेश जनवरी, 1991 में जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यालय नए स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड के सम्पर्क कार्यालय को जयपुर में रखने पर सहमति हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो वहां कितने कर्मचारी रखे जायेंगे और उन पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की जायेगी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड/सांभर साल्ट लिमिटेड के मुख्यालयों के जयपुर से सांभर स्थानान्तरण कर देने का आदेश जनवरी, 1990 में जारी किया गया । तदुपरान्त आदेश के कार्यान्वयन के विरुद्ध अभ्यावेदनों के आने पर मामला न्यायाधीन हो गया और माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है । इसी बीच मुख्यालय के स्थानान्तरण के मुद्दे पर सरकार द्वारा पुन-विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि मुख्यालय जयपुर में ही रहने दिया जाए।

भारतीय कुक्कुटपालन विकास बोर्ड का गठन

[अनुवाद]

1162. श्री हरीश पाल :

श्री बी. देवराजन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कहवा बोर्ड, चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड इत्यादि की तरह भारतीय कुक्कुटपालन विकास के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार में वृद्धि

1163. श्री सी. पी. मुदाल गिरियप्पा :
श्री वी. कृष्ण राव :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार में वृद्धि हो रही है और परम्परागत दस्तकारी और उद्योगों में रोजगार में भारी कमी आयी है,

(ख) क्या भारी पूंजी-निवेश के बावजूद संगठित उद्योग अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार किया गया है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान (एन. एस. एस. ओ) द्वारा संचालित 38वें तथा 43वें चक्र के सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित अनुमानों के अनुसार बेरोजगारी (सामान्य मुख्य स्थिति) 1983 में 8 मिलियन से 1987-88 में 12.4 मिलियन तक बढ़ गयी तथा आमतौर पर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या, जो अतिरिक्त कार्य के लिए उपलब्ध थी (जिसको अल्प-रोजगार के एक उपाय रूप में अपनाया जा सकता है) 1983 में 49 मिलियन से घटकर 1987-88 में 24 मिलियन तक हो गई।

पारम्परिक उद्योगों में शामिल अनुमानित रोजगार जिसमें पूर्णकालिक तथा अंश-कालिक दोनों शामिल हैं। 1984-85 में 164.95 लाख व्यक्तियों से 1989-90 में 2.8.03 लाख व्यक्तियों तक बढ़ गयी।

(ख) श्रम मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अनुसार संगठित उद्योग (खनन तथा उत्खनन विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आदि तथा निर्माण) में रोजगार मार्च, 1983 में 92.40 लाख से बढ़कर मार्च 1988 में 94.46 लाख तक हो गया।

(ग) आठवीं योजना दृष्टिकोण दस्तावेज में रोजगार पर मुख्य रूप से बल देने का प्रस्ताव है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर व्यय

1164. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा मंत्रालय और दिल्ली/दिल्ली छावनी स्थित इसके अन्तर्गत आने वाले कार्यालयों में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत करने के मामले में व्यर्थ व्यय को रोकने हेतु और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्टाफ-आफिसर्स के रूप में अधिकारियों को या तो

अधिकृत कर्मचारियों की संख्या से अधिक अथवा फिर बिना किसी अनुमति के सम्बद्ध करने की एक व्यापक जांच करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय और वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर तीनों सेना मुख्यालयों तथा रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभागों/संगठनों द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों की खपत को कड़ाई से नियंत्रित करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। 1987-88 को आधार वर्ष मानते हुए पैट्रोल की खपत में 15% डीजल की खपत में 10% तथा मिट्टी के तेल की खपत 25% कटौती लागू की गई है। खाड़ी संकट को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1987-88 को आधार वर्ष मानते हुए नवम्बर 1990 से इन मदों की खपत में 10% की और कटौती लागू की गई है। सेना मुख्यालय प्रत्येक स्तर पर पैट्रोलियम उत्पादों की खपत पर नियमित रूप से नजर रख रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस मद पर कोई अधिक/व्यर्थ व्यय न हो तथा अधिकतम सम्भव बचत हो सके। पैट्रोल तथा डीजल की खपत को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए/किए जा रहे हैं :—

(1) ईंधन की दृष्टि से अधिक दक्षता वाले वाहनों को उपयोग में लाना।

(2) एम टी वाहनों के उपयोग के लिए पूल बनाना।

(3) संक्रियात्मक ड्यूटी को छोड़कर रविवार तथा छुट्टी वाले दिनों को वाहनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाना।

(4) वाहनों का उचित रखरखाव करना।

(5) मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए चालकों को प्रभावी प्रशिक्षण देना।

2. सेना मुख्यालयों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार किसी भी स्टाफ अफसर को वरिष्ठ अफसरों के साथ उनके लिए अधिकृत स्टाफ के अलावा या बिना किसी स्वीकृति के तैनात नहीं किया गया है।

ललितपुर को उद्योग विहीन जिला घोषित करना

[हिन्दी]

1165. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को "उद्योग-विहीन जिला" घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का निर्माण

1166. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स का निर्माण करने-वाली कम्पनियों का ब्यौरा क्या है,

(ख) इन कम्पनियों द्वारा अपनाये गये अवरोधक व्यापारिक व्यवहार का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय में नये पंजीकरण के लिए कुछ आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत ऐसे 4 एकक हैं जो ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स और एनोड्स बनाने के कार्य में संलग्न हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

फर्म का नाम	अधिष्ठापित क्षमता मी. ट./प्र.-वर्ष
1. मैसर्स कार्बन कार्पोरेशन लि., नासिक	10,000
2. मैसर्स ग्रेफाइट इण्डिया बंगलौर	10,900
3. मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लि. दुर्गापुर	4,590
4. मैसर्स हिन्दुस्तान इलेक्ट्रीफाइट लि., राधसेन	14,900

उपर्युक्त चारों एककों में प्रत्येक एकक को केवल ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के लिए 15000 मी. टन प्रतिवर्ष की एम. ई. एस क्षमता का पृष्ठांकन प्राप्त हो चुका है :

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अधीन दो मामलों में जांच आरम्भ की गयी जिनमें अवरोधक व्यापारिक व्यहार करने का आरोप था। दोनों मामलों में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दे दिये गये हैं और जांच रुकी हुई है। एक अन्य मामले में आयोग ने जांच का आदेश दिया है, जिसमें ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की कीमतों में गड़बड़ी करने का आरोप है।

(ग) और (घ) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एनोड्स और विभिन्न कार्बन वस्तुएं बनाने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु केवल एक आवेदन मिला था जो जुलाई, 1990 में मैसर्स रायगढ़ इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि. ने भेजा था। किन्तु ये वस्तुएं बनाने हेतु सरकार द्वारा कोई नयी क्षमता मंजूर किये जाने या अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत किये जाने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, इसलिए उक्त आवेदन पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों का गैरसरकारीकरण

1167. **श्री हर्षवर्धन :**

डा. चिन्ता मोहन :

श्री आर. एन. राकेश :

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :

श्री नन्दलाल मीणा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सरकारी क्षेत्र के कुछ रुग्ण उपक्रमों को इक्विटी बिक्री के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को बेचने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन रुग्ण इकाइयों के नाम क्या हैं तथा इन इकाइयों में कुल कित पूंजी लगी हुई है; और

(ग) इन इकाइयों में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य शेयर पूंजी में निजी भागीदारी के सम्बन्ध में सरकार की कोई विशेष नीति नहीं है। बहरहाल, पृथक-पृथक मामलों की जांच सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है।

दहेज के विरोध में राष्ट्रीय गोष्ठी

[अनुवाद]

1168. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय विधि संस्थान के साथ मिलकर दहेज के दानव से लड़ने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य शिविर आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्यशिविर में क्या सुझाव दिये गये थे; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) कल्याण मन्त्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग ने भारतीय विधि

संस्थान के सहयोग से 12-13 जनवरी 1991 को एक कार्यशाला का आयोजन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, इनके बारे में सिफारिशें की गई थीं-दहेज की परिभाषा को बदलना, विवाह के खर्चों और प्रतिथियों की संख्या को सीमित करना, महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार, विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण, विवाहों के आर्थिक पहलू को विलग करना, उपहारों की सूची बनाने का अनिवार्य प्रावधान, आरोप-पत्र और शवपरीक्षण (पोस्ट मार्टम) रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा निर्धारित करना, दहेज मृत्यु के मामले में जब तक अन्तिम निर्णय न दे दिया गया हो तब तक अभियुक्त को पुनर्विवाह की अनुमति न देना, जांच के काम में महिला पुलिस अधिकारियों को शामिल करना, दहेज निषेध अधिकारियों का स्वयंसेवी संगठनों से संनिकट का संबंध रखना तथा दहेज सम्बन्धी मामले निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना करना। इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में पुलिस स्टेशनों से एफ.आई.आर. रजिस्टरों का गायब होना

1169. श्री वामनराव महाडीक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में पुलिस स्टेशनों से एफ.आई.आर. रजिस्टर गायब हो गए बताए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। हरीनगर पुलिस स्टेशन में एक एफ.आई.आर. रजिस्टर गायब पाया गया है, जिसमें 14 एफ.आई.आर. रिपोर्टें दर्ज की गयी थीं। हरी नगर पुलिस स्टेशन में भा.द.सं. की धारा 379 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और दो पुलिस कार्मिकों को निलंबित किया गया है।

सिलीगुड़ी में देवग्राम में सेना द्वारा भूमि का अधिग्रहण

1170. श्री नन्दू थापा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना ने सिलीगुड़ी में देवग्राम में 108 एकड़ भूमि पट्टे पर ली थी और पट्टे का करार 1987 में खत्म हो गया,

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी कमान द्वारा गठित समिति ने इस भूमि को पुनः पट्टे पर न लेने की सिफारिश की थी, और

(ग) यदि हां, तो सेना भूमि के मालिकों को यह संपत्ति क्यों नहीं सौंप रही है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) मार्च, 1948 से सेना के पास देवग्राम, सिलीगुड़ी में कुल 108.42 एकड़ भूमि है। इसमें से 48.76 एकड़ भूमि पश्चिम बंगाल

राज्य सरकार की है और शेष 59.66 एकड़ निजी भूमि है। यह भूमि 31.12.87 तक किराए पर रही है हालांकि राज्य सरकार ने इसके किराए का दावा नहीं किया है। निजी भूमि का स्वामित्व बदल गया है और इसके मौजूदा मालिक नया पट्टा करार किए जाने के लिए इच्छुक नहीं है।

(ख) और (ग) यद्यपि अफसरों के एक बोर्ड ने इस भूमि को वापस लौटाने की सिफारिश की थी लेकिन सिलीगुड़ी में रक्षा भूमि की कमी के कारण सेना मुख्यालय ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर कस्बे में कम शक्तिवाला एक नया प्रसारण केन्द्र स्थापित करना

[हिन्दी]

1171. श्री प्रेम कुमार धूमल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल-प्रदेश में हमीरपुर जिले के कोट गांव से कम शक्ति वाले प्रसारण केन्द्र को स्थानांतरित करने सुजानपुर के निकट तिहरा में लगाने अथवा वहां कम शक्ति वाला एक नया ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित किए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हमीरपुर में कार्यरत अति अल्प शक्ति (2X10वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर को अन्य स्थान पर ले जाने से इस ट्रांसमीटर से कवर हो रहे कुछ क्षेत्रों की कवरेज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। फिर भी, सरकार का यह सतत प्रयास है कि देश के कवर न हुए भागों में टी.वी. सेवा का यथाशीघ्र विस्तार किया जाए। लेकिन, यह काम केवल चरणबार ढंग से ही किया जा सकता है जो इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सीमेंट का मूल्य

1172. डा. चिन्ता मोहन :

श्री आर. एन. राकेश

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कीमतें गत दो वर्षों से लगातार बढ़ रही है,

(ख) 1988-99 की तुलना में 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई,

(ग) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने 50 कि.ग्राम. सीमेंट की बोरी का अधिकतम मूल्य 84.95 रुपये निर्धारित किया था,

(घ) क्या सीमेंट की कीमतों में वृद्धि के संबंध में ब्यूरो से सलाह मांगी गयी है,

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उत्तरी भारत में सीमेंट को काला बाजार में बेचने के आरोप में कितने व्यक्तियों को दंडित अथवा गिरफ्तार किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) यह देखा गया था कि अप्रैल 1989 अप्रैल 1990 के बीच सीमेंट की कीमतें बढ़ी थीं किन्तु मई 1990 में कुछ समय के लिए कुछ क्षेत्रों में कीमतें कम हो गयी थीं। इसके बाद कीमतों में कुछ वृद्धि परिलक्षित हुई है।

(ख) वर्ष-1988-89 के अन्त में सीमेंट की जो कीमतें थीं उसकी तुलना में चार महानगरों में 1989-90 के अन्त में तथा 1990-91 (25.2.91 तक) उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई यह संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) सरकार के अनुरोध पर, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो में केवल मई और सितम्बर 1990 में उचित विक्रय मूल्य का अनुमान लगाया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सीमेंट की कीमतों और इसके वितरण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। फिर भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे डीलरों पर कड़ी नजर रखें ताकि वे खुदरा स्तर पर मुनाफाखोरी न करें।

विवरण

वर्ष 1988-89 के अन्त की कीमतों के मुकाबले चार महानगरों में सीमेंट की कीमतों में 1989-90 के अन्त तक और 1990-91 में (25.2.91 तक) हुई प्रतिशत वृद्धि

क्रमांक	शहर का नाम	सीमेंट की कीमतों में प्रतिशत वृद्धि	
		1988-89 के अन्त की तुलना में 1989-90 के अन्त में	1988-89 के अन्त की तुलना में 1990-91 के अन्त में (25.2.91 तक)
1	2	3	4
1.	दिल्ली	15	34

1	2	3	4
2.	कलकत्ता	19	40
3.	मुम्बई	16	38
4.	मद्रास	29	54

तमिलनाडु में टी. वी. स्टेशनों की स्थापना

[अनुवाद]

1173. **श्री वी. देवराजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में टी. वी. स्टेशन स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्टेशन की क्षमता कितनी होगी;

(ग) क्या राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमों के रूप में तमिलनाडु में मद्रास में, वित्तीय चैनल दूरदर्शन सेवा के लिए आंतरिकम स्टूडियो सुविधाएं और रामेश्वरम में 300 मीटर ऊंचे टावर सहित उच्च शक्ति (10 कि.वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना की स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत नागापत्तिनम में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मदुरै में एक टी.वी. स्टूडियो स्थापित करने का भी विचार है।

राज्य में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार, इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पेट्रोल पम्पों के मालिकों द्वारा अनियमितताएं

1174. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ पेट्रोल पम्प मालिकों, को जिन्हें अनियमितताओं और अन्य कदाचारों में लिप्त पाया गया था, हाल ही में पुलिस ने पकड़ लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा कदाचार या अनियमितता किए जाने की कोई घटना हाल में उन्हें सूचित नहीं की गयी है ।

रोजगार गारंटी योजना

[हिन्दी]

1175. प्रो. महादेव शिवनकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई रोजगार गारंटी योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम जी लाल सुमन) : (क) और (ख) सभी संबंधितों के लिए रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने के संदर्भ में सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियां

1176. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में अनेक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों में शामिल आतंकवादी संगठनों के नाम क्या है; और

(ग) इन घटनाओं में शामिल आतंकवादियों को गिरफ्तार करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) इस वर्ष (25 फरवरी तक) के दौरान आतंकवादी गतिविधियों की पांच घटनाएं घटी ।

(ख) इन घटनाओं के लिए दोषी आतंकवादी समूहों का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा सकी ।

(ग) दोषियों गिरफ्तार को करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं । ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं;

(1) आतंकवादियों के बारे में आसूचना एकत्र करने के लिए प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवादी विरोधी कक्ष बनाये गये हैं।

(2) संवेदनशील/सामरिक स्थानों पर सशस्त्र पुलिस टुकड़ियां तैनात की जा रही हैं।

(3) गहन पैदल/चलती-फिरती (सशस्त्र) गश्त लगायी जा रही है।

(4) स्टाफ को आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं तथा उन्हें उचित ढंग से जानकारी दी जाती है।

(5) लोगों में सतर्कता जगाने के लिए उनमें साहित्य बांटा जा रहा है। पुलिस वाहनों, टी.वी./रेडियों तथा प्रैस के द्वारा घोषणायें की जाती है ताकि लोग संदिग्ध वस्तुओं को नहीं छुएं।

(6) भेदिये/निगरानी रखने वालों को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया जा रहा है।

(7) आतंकवादियों के छिपने के ठिकानों/सहानुभूति रखने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(8) संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चुने हुए स्थानों पर नियमित रूप से जांच की जा रही है।

(9) सार्वजनिक स्थानों पर आतंकवादियों के फोटो प्रदर्शित किये गये हैं।

(10) समाचार पत्रों, टी.वी, रेडियो के माध्यम से अत्यधिक प्रचार किया जाता है।

(11) आतंकवादियों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए राजधानी में विभिन्न सामरिक स्थानों पर 300 से अधिक पुलिस कक्ष नियन्त्रक वाहन तैयार किए गए हैं।

रोजगार दफ्तरों के नामों का पंजीकरण

[अनुवाद]

1177. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आर. एन. राकेश :

श्री आर. एम. भोये :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार दफ्तरों को भेजी जाने वाली रिक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) वर्तमान में प्रत्येक रोजगार दफ्तर में कुल कितने बेरोजगारों के नाम दर्ज हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले बेरोजगारों को जल्दी नौकरी दिलाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) 1990 के दौरान रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ख) 31.12.1990 की स्थिति के अनुसार, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों, यह आवश्यक नहीं कि वे बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। रोजगार कार्यालयवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज के अनुसार, इस योजना में रोजगार पर मुख्य बल दिए जाने का प्रस्ताव है। इसमें इस दशक के दौरान रोजगार में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत वृद्धि की उपलब्धि परिकल्पित की गई है और नौकरी चाहने वालों को चालू रजिस्टर पर भी नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

विवरण

अधिसूचित रिक्तियों की संख्या और रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या-1990

(हजारों में)

क्रम्य/संघ शासित प्रदेश		1990 के दौरान अधिसूचित रिक्तियां	31.12.1990 की स्थिति के अनुसार चालू रजिस्टर पर संख्या
1		2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	37.3	3005.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.4	5.0
3.	असम	7.9	1039.9
4.	बिहार	22.1	3393.7
5.	गोआ	4.2	92.3
6.	गुजरात	30.2	952.7

	1	2	3
7.	हरियाणा	26.1	596.1
8.	हिमाचल प्रदेश	6.0	441.9
9.	जम्मू और कश्मीर	1.8	112.2
10.	कर्नाटक	15.3	1314.4
11.	केरल	28.7	3426.7
12.	मध्य प्रदेश	34.4	2067.2
13.	महाराष्ट्र	64.1	3041.9
14.	मणीपुर	5.5	195.4
15.	मेघालय	0.7	22.9
16.	मिजोरम	4.9	36.2
17.	नागालैंड	1.0	19.9
18.	उड़ीसा	18.8	863.1
19.	पंजाब	20.3	656.0
20.	राजस्थान	14.8	904.3
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	49.6	3209.1
23.	त्रिपुरा	1.1	158.9
24.	उत्तर प्रदेश	38.9	3099.5
25.	पश्चिम बंगाल	17.5	4831.1
संघ शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.6	26.2
2.	चंडीगढ़	2.6	156.7
3.	दादर और नगर हवेली	@	2.2

1		2	3
4.	दिल्ली	33.8	843.3
5.	दमन और दीव**		
6.	लक्षद्वीप	—	5.6
7.	पांडिचेरी	1.5	121.8
	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय	3.8	—
	योग	490 9	34631.8

टिप्पणी : 1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े जोड़ के साथ मेल न जाएं।

4. @ आंकड़े 50 से कम हैं।

5. — शून्य।

बिहार में उद्योग विहीन जिले

1178. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जहानाबाद जिले में कोई उद्योग नहीं है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का इसे उद्योग विहीन जिला घोषित करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) "जिला जहानाबाद "उद्योग रहित जिलों" के वर्ग में नहीं आता है। इस समय सरकार के पास जहानाबाद जिले सहित किसी और जिले को "उद्योग रहित जिला" घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा प्रात:कालीन प्रसारणों में कन्नड में समाचार प्रसारित करना

1179. श्री एच. सी. श्रीकान्तय्या : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन प्रात:कालीन प्रसारणों में कन्नड़ भाषा में समाचार प्रसारित कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बंगलौर दूरदर्शन द्वारा प्रात:कालीन प्रसारणों में कन्नड़ भाषा में समाचार प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

चाय बगानों में रोजगार

1180. श्री नानी भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1980 के वर्ष से चाय बगानों में रोजगार, उनकी संख्या तथा क्षेत्रफल दोनों में हुई वृद्धि की तुलना में, तेजी से घटा है; और

(ख) यदि हां, तो 1980 और 1990 में रोजगार और चाय की उपज वाले क्षेत्र संबंधी आंकड़ों का अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) और (ख) बागान श्रम अधिनियम, 1951 का प्रवर्तन राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रिक्त पदों का भरना

1181. श्री आर. एम. भोये :

श्री आर. एन. राकेश :

श्री मणिक राव होडल्या गावीत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध मे निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य कृषि (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) जहां तक केन्द्रीय सरकारी विभागों (अर्द्ध सरकारी संस्थानों तथा सांविधिक संगठनों सहित) का संबंध है, इस

प्रस्ताव के अनुदेश पहले ही विद्यमान हैं कि संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को छोड़कर इन संगठनों में होने वाली रिक्तियों को चाहे वे किसी भी स्वरूप और अवधि की हो, अधिसूचित किया जाए और इन्हें रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरा जाए, सिवाए विशिष्ट मामलों के जहां इनके लिये पृथक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अधिकतम 1250/-रु. प्रतिमाह वेतन (जहां वेतनमान 1982 से संशोधित नहीं हुए हैं, वहां 800/-रु. प्रति माह) के वेतनमान वाले पदों पर होने वाली रिक्तियों को केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे जाने के लिए भी इसी प्रकार के अनुदेश लागू हैं।

दिल्ली में भाटी खानों को बन्द करना

[हिन्दी]

1182. श्री शिव शरण वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 फरवरी, 1991 के "नवभारत टाइम्स" में "भाटी खानों को खोलने की अनुमति मांगी गई" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में भाटी खानों में सुरक्षा प्रबन्धों की जांच की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) भाटी खानों के बन्द होने के कारण कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(घ) इन खानों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामश्रीलाल सुमन) (क) और (ख) : जी हां।

(ग) खान सुरक्षा के उप महानिदेशक द्वारा जून, 1990 में किए गये निरीक्षणों के दौरान यह पता लगा कि लगभग 1050 व्यक्ति (जिनमें से 350 व्यक्ति भाटी फेज-II खान में नियोजित थे जिसमें 30.5.90 को हुई घातक दुर्घटना के बाद बन्द कर दिया गया था) भाटी खान में नियोजित थे। भाटी खान से खनिज का दोहन रोकने के आदेश होने के कारण कर्मकारों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने की दृष्टि से दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लि. द्वारा अतिरिक्त दबाव हटाने के लिए कर्मकारों से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लि. के अनेक प्रयासों के बावजूद इसकी ओर ध्यान देने वाले श्रमगारों की संख्या नगण्य थी।

(घ) और (ङ) जिन कर्मकारों ने दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लि. के काम के लिए मांग का उत्तर दिया था उन कर्मकारों की पुनर्वास संबंधी स्थिति दिल्ली प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जा रही है।

टेलीफोन के दुरुपयोग की जांच

1183. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या प्रधान मंत्री 12 अप्रैल, 1990 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4759 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भोपाल (मध्य प्रदेश) के टेलीफोन का जिन व्यक्ति/व्यक्तियों ने दुरुपयोग किया था, उनका पता लगाने के संबंध में इस बीच जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जांच से पता नहीं चल सका कि किसने एस. टी. डी. फोन किया और किसको फोन किया गया। इसलिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमेंट का मूल्य

1184. श्री शोपत सिंह मक्कासर क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खुले बाजार में सीमेंट की कीमतें अक्तूबर, 1989 में क्या थीं और इस समय क्या हैं, और

(ख) देश में सीमेंट का उत्पादन अक्तूबर, 1989 के अन्त में और 1989 से जनवरी, 1991 तक के दौरान अलग-अलग क्या था ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) चार महानगरों में 30.10.1989 तथा 25.2.1991 को खुले बाजार में सीमेंट की प्रति बोरी खुदरा मूल्य संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) अक्तूबर, 1989 के दौरान सीमेंट का उत्पादन तथा जनवरी 1989 से जनवरी, 1991 तक सीमेंट का मासिक उत्पादन संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण—1

चार महानगरों में 31.10.89 तथा 25.2.1991 को सीमेंट का प्रति बोरी खुदरा मूल्य

क्र. सं	नगर का नाम	मूल्य	
		31.10.89 को	25.2.1991 को
1.	दिल्ली	77-80	96-98
2.	कलकत्ता	79-85	95-105
3.	बम्बई	82-86	95-105
4.	मद्रास	69-74	92-97

विवरण—2

अक्तूबर, 1989 में लघु सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन सहित सीमेंट का वास्तविक उत्पादन तथा जनवरी, 1989 से जनवरी 1991 तक माहवार उत्पादन

वर्ष तथा मास	सीमेंट उत्पादन (लाख मी. टन में)
1	2
अक्तूबर, 1989	37.97
1989	
जनवरी	40.24
फरवरी	36.64
मार्च	41.69
अप्रैल	38.29
मई	29.43
जून	34.76
जुलाई	33.90

1	2
अगस्त	33.69
सितम्बर	34.64
अक्तूबर	37.67
नवम्बर	35.76
दिसम्बर	40.79
1990	
जनवरी	41.88
फरवरी	40.32
मार्च	46.34
अप्रैल	41.27
मई	39.47
जून	38.94
जुलाई	40.07
अगस्त	36.42
सितम्बर	35.98
अक्तूबर	37.61
नवम्बर	38.50 (अ)
दिसम्बर	42.70
1991	
जनवरी	44.91 (अ)

अ—अन्तिम

उप-प्रधान मंत्री द्वारा भारतीय वायु सेना के विमान का उपयोग

[अनुवाद]

1185. श्रीमती उमा गजपति राजू । क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उप-प्रधान मंत्री ने 28, जनवरी, 1991 को राजस्थान के सैंसलमेर में रेगीस्तानी पर्यटन महोत्सव और नागपुर में एक पशु मेले में शामिल होने के लिए वायुसेना के एक विमान की सेवाएं ली थी;

(ख) यदि हां, तो रक्षा मंत्रालय में किन परिस्थितियों के अन्तर्गत अनुमति दी; और

(ग) उस पर कितना व्यय हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) उप प्रधान मंत्री को सरकारी काम से दिल्ली से जोधपुर-नागौर जाने व वहां से वापस आने के लिए 28.1.1991 को यात्रा करने के लिए भारतीय वायुसेना का एक विमान उपलब्ध कराया गया था। जैसलमेर जाने के लिए कोई विमान मुहैया नहीं किया गया था।

(ख) विमान द्वारा यात्रा करने सम्बन्धी मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रधान मंत्री द्वारा इसके लिए स्वीकृति दी गई थी।

(ग) नियमों के अनुसार इस विमान यात्रा पर करीब 2,88,383.00 रुपये का व्यय हुआ।

पंजाब के अवर अभियन्ताओं की शिकायतें

1186. श्री पी एम सईद : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पंजाब के बहुत से अवर अभियन्ताओं की शिकायतों की जांच करने के लिए किसी उच्च अधिकार प्राप्त समिति को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के मुख्य निदेश पद क्या हैं और समिति को अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करनी है; और

(ग) अवर अभियन्ताओं की मुख्य शिकायतें क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) कनिष्ठ अभियन्ताओं की मुख्य शिकायतों का सम्बन्ध पांच वर्ष तथा बारह वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् क्रमश: उप-मण्डलीय अभियन्ता तथा कार्यकारी अभियन्ता के वेतन-मानों में पदोन्नति सहित 2000-3500 रुपये का मूल प्रवेश वेतनमान (1800-3200 रुपये के मौजूदा वेतनमान के स्थान पर) देने सम्बन्धी उनकी मांग को अस्वीकार किए जाने से है।

पैकेज उद्योग को रियायतें

1187. श्री सी. श्री निवासन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की लघु उद्योग क्षेत्र में पैकेज उद्योग को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र में पैकेजिंग उद्योग, लघु उद्योग क्षेत्र के अन्य उद्योग समूहों को मिलने वाली रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा, चुनिंदा वस्तुओं हेतु सामान्य छूट योजना के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क में रियायत, प्रशिक्षण सुविधा केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण हेतु मदों का आरक्षण इत्यादि जैसी कई राज्य तथा केन्द्र स्तरीय रियायतों का लाभ उठा सकता है।

महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में प्रसारण क्षमता में वृद्धि करना

[हिन्दी]

1188. श्री सुखदेव नन्वाजी काले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का महाराष्ट्र में बुलढाना जिले के दूरदर्शन केन्द्र की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का उपरोक्त जिले में एक दूसरे उप-केन्द्र की स्थापना करने का भी विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह उप-केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (घ) इस समय बुलढाना के मौजूदा दूरदर्शन ट्रांसमीटर की क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में जिले के खामगांव में एक अन्य अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। औरंगाबाद में लगाये जा रहे उच्च शक्ति (10 कि.वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के आगामी कुछ महीनों में चालू हो जाने पर बुलढाना जिले के भागों को भी दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की आशा है।

रोजगार कार्यालय में नाम चालू रहने की अवधि का पता लगाने के लिए प्रक्रिया

[अनुवाद]

1189. डा. ए. के. पटेल :

श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कोई प्रक्रिया उपलब्ध है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम रोजगार कार्यालय में कितने समय तक चालू रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की सूचना का संकलन न किये जाने से रोजगार कार्यालयों में कदाचारों को बढ़ावा मिल सकता है;

(घ) क्या कुछ मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन मामलों का स्वरूप क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं या प्रस्तावित हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में सूचना कि किसी व्यक्ति का नाम चालू रजिस्टर पर कितनी अवधि से है, रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों से सुनिश्चित की जा सकती है।

(ग) से (ङ) रोजगार कार्यालय सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कार्य करते हैं जिन्हें पंजीकरण तथा अभिलेखों के अनुरक्षण के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने की सलाह दी गई है। रोजगार कार्यालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित राज्यों को भेजी जाती हैं।

ताड़ के रस से गुड़ बनाना

1190. श्री एन. हेनिस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ताड़ के रस से गुड़ बनाना" के व्यवसाय को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या "पालमीरा टैपिंग" एवं इससे सम्बद्ध अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का गुड़ के निर्माण के लिए बर्तन तथा ईंधन की लकड़ी खरीदने के लिए कोई राज सहायता और ऋण देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. टैपिंग कार्य में होने वाली कठिनाईयों को कम से कम करने के लिए हवाई रस्सी मार्ग तथा पेड़ों की निश्चित ऊंचाई तक गांठों सहित बांस के डंडों का प्रयोग आरम्भ किया गया है।

2. टैपर के परिवार को समूहों में पुनः स्थापित करने हेतु उपनिवेश एक आरम्भ किए गए जो कि प्रत्येक टैपर परिवार को चार प्रतिशत ब्याज की दर से 11,000/-. रु. तक ऋण प्रदान करते हैं।

3. ताड़ उत्पाद विनिर्माण-कारी उत्पादन केन्द्रों पर प्रशिक्षण सुविधाएं देना तथा उन सुधरे हुए औजारों तथा उपकरणों का प्रयोग करना जिनके लिए निर्धारित भत्ता तथा यात्रा-भत्ता दिया जाता है।

4. सहायता और तकनीकी सहायता के ढांचों के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियां बसाने के लिए टैपर कारीगरों को प्रोत्साहन देना एवं कारीगरों के उत्पादों के विपणन को हाथ में लेना ताकि बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण को कम किया जा सके।

5. अन्य सरकारी विभागों, जिसके लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, की सहायता से ताड़ के पेड़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाना।

6. नीरा टैपरों को उचित तथा रियायती किराये पर सरकारी जमीन पर पेड़ों का आबंटन करने के लिए राज्य सरकार के साथ प्रयास किए जा रहे हैं।

7. उद्योग के विभिन्न पहलुओं और उद्योग के समक्ष आने वाली समस्याओं विशेषकर गुणवत्ता का मानकीकरण करने और लम्बे समय तक खास उत्पादों के संरक्षण के लिए अनुसंधान और फील्ड अन्वेषण करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। शेल्फ के जीवन को बढ़ाने और खास ताड़ उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में सफलता मिला है।

(ख) और (ग) टैपरों के लिए एक कल्याण योजना और भिन्न भिन्न राज्यों में नीरा का रस निकालने के व्यवसाय में संलग्न सभी टैपर कारीगरों के लिए एक कार्मिक दुर्घटना राहत सामूहिक बीमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 23.5.1984 से टैपर दुर्घटना लाभ योजना शुरू की है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ईंधन की लकड़ी खरीदने के लिए 1300/- रु. और सामान्य श्रेणी के बर्तन खरीदने के लिए 1200/- रु. का ऋण दिया गया है। के.वाई.आई.सी. द्वारा कमजोर वर्गों के लिए ईंधन की लकड़ी खरीदने के लिए 1300/- रु. ऋण बर्तन खरीदने के लिए 780/- रु. अनुदान और 420/- रु. ऋण दिया गया है।

पंजाब की औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति

1191. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1990 से जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान पंजाब राज्य के लिए स्वीकृत की गयी औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी स्वीकृत परियोजना पर पुनर्विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन पंजाब में एकक लगाने के लिए फरवरी, 1990 से जनवरी 1991 की अवधि के दौरान 34 आशय-पत्र और 13 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे।

जारी किये गये सभी आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम और पता, स्थापना-स्थल, विनिर्माण की वस्तु(एं) जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूजलेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियाँ नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) और (ग) फरवरी, 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान मंजूर किये गये आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों में से किसी की भी समीक्षा नहीं की जायेगी।

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन टावरों की स्थापना

[हिन्दी]

1192. श्री महेश्वर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में जोगिन्दर नगर, सुन्दर नगर, धर्मपुर, किलोधर, माता चतुर्भुजी (बसईधर), गढ़वाली माता मन्दिर, अज्जू, तीरा, अन्ध, सरकाघाट और किन्नौर में दूरदर्शन टॉवर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार का यह प्रयास है कि देश में कवर न होने वाले भागों में यथाशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार किया जाए, परन्तु यह कार्य इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले साधनों पर निर्भर करते हुए केवल चरणबद्ध ढंग से ही शुरू किया जा सकता है।

बरेली में दूरदर्शन केन्द्र

1193. श्री राजबीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली जिले में दूरदर्शन केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के कब से काम शुरु करने की सम्भावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या टावर के निर्माण में कोई त्रुटि रह गई है;

(ङ) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय):(क)से(च)बरेली में प्रस्तावित उच्च शक्ति (10 कि.वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर और कार्यक्रम निर्माण सुविधा (पी.जी.एफ) केन्द्र की इमारत के निर्माण का काम पूरा होने वाला है। परियोजना के लिए अपेक्षित मुख्य उपस्कर प्राप्त हो चुके हैं और उनकी स्थापना का कार्य हाथ में ले लिया गया है . 150 मीटर ऊंचे स्टील टावर की स्थापना का ठेका दिया गया है। नींव स्थल के पास रेत की सतह आ जाने के कारण टावर की नींव के डिजाइन में परिवर्तन करना जरुरी हो गया था। मौजूदा संकेतों के अनुसार बरेली टी. वी. परियोजना के 1991-92 के दौरान सेवा के लिए चालू हो जाने की आशा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति

[अनुवाद]

1194. श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति वितरित करने के लिये कितनी धनराशि प्रदान की गई,

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि का प्रत्येक राज्य ने पूरा-पूरा उपयोग किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उक्त धनराशि के उपयोग की जांच करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन):(क)से(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों से संबन्धित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की केन्द्र प्रायोजित योजना एक प्रतिपूर्ति योजना है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उनकी प्रतिबद्ध दयता से अधिक किए गए व्यय को भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निमुक्त की गई राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) यह योजना सम्बन्धित राज्य सरकारों और राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाई जा रही है और संवितरण पद्धति एक राज्य से दूसरे राज्य से भिन्न है। अत: यह महसूस किया गया है कि भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से इस सम्बन्ध में कोई तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1985-90 के दौरान (सातवीं योजना) निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाखों में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनुसूचित जाति	530.73	604.66	1836.66
		अनु. जनजाति	—	247.98	284.029
		कुल	530.73	852.64	2120.689
2.	असम	अनुसूचित जाति	—	45.39	85.55
		अनु. जनजाति	—	113.92	303.946
		कुल	—	159.31	389.496
3.	बिहार	अनुसूचित जाति	200.00	386.73	819.1072
		अनु. जनजाति	328.28	257.53	901.63792
		कुल	528.28	644.26	1720.74512

4.	गुजरात	अनुसूचित जाति	—	—	16.30
		अनु. जनजाति	3.69	124.54	391.18
		कुल	3.69	124.54	408.48
5.	गोआ*	अनुसूचित जाति	0.12	0.17	0.17
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	0.12	0.17	0.17
6.	हरियाणा	अनुसूचित जाति	10.26	24.60	40.00
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	10.26	24.60	40.00
7.	हिमाचल प्रदेश	अनुसूचित जाति	—	11.63	10.75
		अनु. जनजाति	—	3.26	16.85
		कुल	—	14.89	27.60
8.	जम्मू और कश्मीर	अनुसूचित जाति	7.16	5.49	2.37
		अनु. जनजाति	—	—	5.00
		कुल	7.16	5.49	7.37

1	2	3	4	5	6
9.	कर्नाटक	अनुसूचित जाति	53.59	110.00	460.28
		अनु. जनजाति	15. 9	24.26	107.728
		कुल	68.78	134.26	568.008
10.	केरल	अनुसूचित जाति	—	170.93	414.821
		अनु. जनजाति	—	—	44.88
		कुल	170.93	170.83	459.701
11.	मध्य प्रदेश	अनुसूचित जाति	15.85	37.83	361.80
		अनु. जनजाति	140.00	138.68	351.15
		कुल	155.85	176.51	712.95
12.	महाराष्ट्र	अनुसूचित जाति	295.42	412.79	1858.04
		अनु. जनजाति	155.89	95.49	349.46873
		कुल	451.31	508.46	2207.60873
13.	मणीपुर	अनुसूचित जाति	0.66	0.41	2.64
		अनु. जनजाति	11.19	17.99	60.22
		कुल	11.85	18.40	62.86

14.	मेघालय	अनुसूचित जाति	—	—	—
		अनु. जनजाति	25.09	52.92	104.40691
		कुल	25.09	52.92	104.40691
15.	मिजोरम	अनुसूचित जाति	—	—	—
		अनु. जनजाति	—	—	78.24
		कुल	—	—	78.24
16.	नागालैंड	अनुसूचित जाति	—	—	—
		अनु. जनजाति	38.83	41.93	100.48
		कुल	38.83	41.93	100.48
17.	उड़ीसा	अनुसूचित जाति	35.97	32.07	141.55
		अनु. जनजाति	15.12	30.29	133.394
		कुल	51.09	62.36	274.944
18.	पंजाब	अनुसूचित जाति	44.32	43.09	240.00
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	44.32	43.09	240.00

1	2	3	4	5	6
19.	राजस्थान	अनुसूचित जाति	—	20.00	52.33
		अनु. जनजाति	7.00	20.32	112.034
		कुल	7.00	40.32	164.364
20.	सिक्किम	अनुसूचित जाति	—	—	—
		अनु. जनजाति	—	0.17	3.70
		कुल	—	0.17	3.70
21.	तमिलनाडु	अनुसूचित जाति	199 43	143.61	408.23
		अनु. जनजाति	29.79	1.97	1.56
		कुल	229.22	145.58	409.79
22.	त्रिपुरा	अनुसूचित जाति	—	—	8.86
		अनु. जनजाति	—	0.20	11.98544
		कुल	—	0.20	20.84544

23.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जाति	351.12	647.88	1063.00
		अनु. जनजाति	150.00	32.12	44.00
		कुल	501.12	680.00	1107.00
24.	पश्चिम बंगाल	अनुसूचित जाति	197.22	292.27	484.18
		अनु. जनजाति	29.93	20.43	144.11
		कुल	227.15	312.70	628.22
25.	दादर और नगर हवेली	अनुसूचित जाति	—	0.87	4.00
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	—	0.87	4.00
26.	दिल्ली	अनुसूचित जाति	16.20	32.57	12.49
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	16.20	32.57	12.49
27.	*दमन और दीव	अनुसूचित जाति	—	0.70	0.8916
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	—	0.70	0.8916

1	2	3	4	5	6
28.	पांडिचेरी	अनुसूचित जाति	0.95	0.50	1.20
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	0.95	0.50	1.20
29.	गोहाटी पाइलट परियोजना	अनुसूचित जाति	2.00	2.00	3.00
		अनु. जनजाति	—	—	—
		कुल	2.00	2.00	3.00
		अनुसूचित जाति	1961.00	3026.37	8329.2198
		अनु. जनजाति	950.00	1224.00	3550.00
		कुल	2911.00	4250.37	11879.2198

दमन और दीव के संघ क्षेत्र बन जाने के परिणाम स्वरूप, गोवा (राज्य) को और दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र) को 1988-89 से आगे अलग-अलग केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई है।

कृषकों और ग्रामीण जनसंख्या के लाभ की योजनायें

1195. डा. वेंकटेश कावडे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं को कृषकों और ग्रामीण जनसंख्या को प्रेरित करने और लाभ पहुँचाने के लिए साधे लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान ऐसी कितनी योजनायें बनायी गयीं थी; और

(ग) इन योजनाओं के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गयी थी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपने विज्ञान और समाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेकों योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य सीधे तौर पर ग्रामीण जनता को, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ग्रामीण कारीगरों, महिलाओं एवं भूमिहीन किसानों सहित सामाजिक-आर्थिक रूप से असुविधाग्रस्त लोगों को प्रेरित एवं लाभान्वित करना है। ये योजनायें :—

1. ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग,

2. कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी,

3. महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तथा

4. सेवानिवृत वैज्ञानिकों की वैज्ञानिक दक्षता का उपयोग।

समाज के कमजोर वर्गों का जीवन-स्तर सुधारने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने के मुख्य उद्देश्य से इन योजनाओं के अधीन परियोजनाओं के अधीन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 85 परियोजनाओं को योजनाबद्ध किया गया।

(ग) इन योजनाओं के लिए 3.24 करोड़ रुपये की धनराशि आबटित थी।

राज्यों के लिए प्रेस संबंधी विशेष कानून

1196. श्री के. एस. चावड़ा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद् की एक उप-समिति ने पंजाब, कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों के लिए कोई विशेष प्रेस कानून बनाने अथवा समाचारों पर सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां। यह सलाह पंजाब और उत्तर प्रदेश के बारे में है।

(ख) मौसम खराब होने के कारण उप-समिति कश्मीर का दौरा नहीं कर सकी और उसने पंजाब के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। विशेष प्रेस कानून या समाचारों पर सेंसरशिप के प्रश्न के संदर्भ में पंजाब और उत्तर प्रदेश के संबंध मे उप समिति की सिफारिश तथा भारतीय प्रेस परिषद् के निर्णय इस प्रकार है :—

1. पंजाब :

सेंशरशिप कभी नहीं लगाया जाना चाहिए चाहे वह सीमित समय के लिए भी क्यों न हो, या जैसा कि कभी-कभी सुझाव दिया गया है, समाचारपत्रों द्वारा प्रकाशन स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि आतंकवादी "प्रचार की प्राणवायु" से फलते-फूलते हैं, तथापि विनियमकारी उपचारों से संचार माध्यमों में जो शून्यता आ जाती है वह रोक से भी बढ़कर है। अतः, पंजाब में विशेष प्रेस कानून की न तो आवश्यकता है और न ही यह वांछनीय है। जहां आवश्यक हो, दोषी समाचारपत्रों या प्रेस कर्मियों पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है या मामलों को प्रेस परिषद् के पास विचारार्थ भेजा जा सकता है।

2. उत्तर प्रदेश

सरकार को सबक लेना चाहिए और अपनी प्रक्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए तथा अशांति की स्थिति में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संहिताएं निर्धारित करनी चाहिए और प्रबन्ध करने चाहिए। स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक समाज मे प्रकाशनपूर्व या प्रकाशनोत्तर सेंसरशिप घृणित और पूर्णतः प्रति उत्पादक है : खुलेपन की नीति सर्वोत्तम नीति है। सरकार कानून की सीमा के भीतर दोषी समाचारपत्रों या सम्पादकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।

(ग) भारतीय प्रेस परिषद के निर्णय सलाह के रूप में होते हैं और सरकार द्वारा इन्हें नोट कर लिया गया है।

कपड़े की बिक्री के बारे में गुमराह करने वाले विज्ञापन

[हिन्दी]

1197. श्री गंगाचरण लोधी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े वस्त्र निर्माता 30 से 50 प्रतिशत तक रियायत के आकर्षक विज्ञापन देकर दिल्ली और अन्य बड़े नगरों में "सेल" का आयोजन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन कपड़ों के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या इस प्रकार की "सेल्स" सरकार की अनुमति से लगाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन आयोजकों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार से इस प्रकार की अनुमति ली है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत "सेल्स" से संबंधित विज्ञापन जारी करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की अनुमति अपेक्षित नहीं है, तथापि यदि किसी व्यक्ति विनिर्माता आदि द्वारा आयोजित 'सेल' को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36क के अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित उपबन्ध लागू होते हैं तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अधिनियम की धारा 36घ के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करता है।

बधिर महिलाओं के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन

[अनुवाद]

1198. श्री प्रतापराव बी. भोसले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1990 के दौरान नई दिल्ली में बधिर महिलाओं के बारे में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई कदम उठाया है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, हां। एक गैर-सरकारी संगठन, राष्ट्रीय बधिर महिला प्रतिष्ठान द्वारा बधिर महिलाओं पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(ख) आयोजकों से यथा प्राप्त ब्यौरे एक विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) जैसा कि सिफारिशों से प्रतीत होगा, ये सामान्य स्वरूप की हैं और श्रवण विकलांग महिलाओं के कल्याण तथा पुनर्वास को बढ़ावा देती हैं।

विवरण

बधिर महिलाओं का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कार्यानुसूची के अनुसार 22-24 अक्तूबर, 1990 को विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इसमें नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश से आए लगभग 80 प्रतिभागी उपस्थित थे। तीन दिवसीय इस सम्मेलन में, मद्रास में 1985 में हुए दूसरे सम्मेलन की सिफारिशों की उपलब्धियों और की गई

कार्रवाई की समीक्षा की गई। देश की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, परिचर्चाएं संक्षिप्त रहीं और मुख्यत: सम्मेलन की कार्यसूची पर केन्द्रित रहीं। सम्मेलन की मुख्य सिफारिशों का विवरण नीचे दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय बधिर महिला प्रतिष्ठान को एक प्रशासनिक ढांचे और अपना कार्य संचालन स्वयं करने हेतु सुदृढ़ बनाने की मांग की गई और डा. एफ. डी. डब्ल्यु. को इस राष्ट्रीय संस्थान को उनके अपने ही स्वरूप तथा पहचान सहित एक स्वतन्त्र निकाय बनाने के तौर तरीके खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

— "गैर-कामकाजी बधिर माताओं की दशा और बधिर बच्चों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा हेतु रूकावटें दूर करने की वचनबद्धता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया। सरकारी विभागों के सहयोग से एक नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने का सुझाव दिया गया।

— बधिर महिलाओं में स्वयं चुनौतियों का सामना करने और आदर्श भूमिकाएं निभाने हेतु नेतृत्व योग्यता का निर्माण।

— बधिर और श्रवण महिलाओं के बीच बेहतर सम्पर्क सुनिश्चित करना। देश में बधिर महिलाओं के सुधार हेतु संयुक्त संघर्ष के लिए बधिरों और श्रवणों को निकट लाने हेतु संकल्प।

— खेलों और प्रतियोगिता योग्यता को बढ़ावा और समुचित जन चेतना निर्माण। बधिर महिलाओं के खेलों की देखभाल हेतु एक संगठन के सृजन का फैसला किया गया।

— बधिर महिलाओं की शिक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

— बधिर अभिभावकों में कम से कम एक श्रवण सदस्य को बधिर महिला को प्रशिक्षण देने हेतु अध्यापक बनने हेतु प्रोत्साहन।

— बधिर महिलाओं के लाभ हेतु विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि प्रदान करने के लिए भारत सरकार, कल्याण मन्त्रालय और महिला विभाग, शिक्षा और मानव संसाधन विकास विभाग से संपर्क करना।

— राज्य यूनिटों और बधिर महिला संगठनों के बीच अच्छे संबंध कायम करना।

— उचित माध्यमों और समाचार संचार माध्यम के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव/मैत्री स्थापित करना।

— राष्ट्रीय स्तर पर बधिर महिलाओं के लिए एक सामान्य मानक चिह्न की स्थापना।

— बधिर रोगियों के लाभ के लिए दुभाषिकता की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहन।

— सरकारी विभागों, अस्पतालों को बधिरों के साथ बातचीत हेतु बधिरों के टेलीफोन यंत्र (टी. डी. डी.) की सुविधा के लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहन-सरकार और बधिर समाज के बीच सामान्य सम्पर्क ।

— संसाधनों पर दबाव को ध्यान में रखते हुए, सम्मेलन के एन. एफ. डी. डब्ल्यु./डी. एफ. डी. डब्ल्यु. द्वारा शुरू की जाने वाली किसी नई परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया गया परन्तु पहले से चल रहे प्रयासों को मजबूत करने की जरुरत पर बल दिया गया जिसकी सिफारिश 1983 में मद्रास में सम्पन्न दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी ।

आंगनवाड़ी केन्द्र

1199. प्रो. के. वी. थामस : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) आंगनवाड़ी शिक्षकों और सहायकों को वर्तमान में कितना-कितना वेतन दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार उनका वेतन बढ़ाने का विचार रखती है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) 31.12.1990 की स्थिति अनुसार देश में चालू आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को निम्नलिखित दरों से मानदेय दिया जा रहा है :—

I. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	रु. प्रति माह
(क) मैट्रिक पास	275
(ख) मैट्रिक पास जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो	300
(ग) मैट्रिक पास जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो ।	325
(घ) नान-मैट्रिक जिनमें कम पढ़े लिखे/अशिक्षित शामिल हैं ।	225

(ङ) नान-मैट्रिक जिन्हें आंगन-वाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो।	250
(च) नान-मैट्रिक जिन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो।	275
II. सहायिकाएं	110

(ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, स्थानीय समुदाय से चुने हुए अवैतनिक, स्वयंसेवी और अंशकालिक (4½ घंटे प्रतिदिन) कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें मानदेय दिया जाता है जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। फिलहाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में संशोधन करने संबंधी मामले पर सरकार अधिकाधिक ध्यान दे रही है।

विवरण

31.12.1990 की स्थिति के अनुसार खोली गई आंगनवाड़ियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	31.12.1990 की स्थिति के अनुसार खोली गई आंगनवाड़ियों की संख्या		
		केन्द्रीय क्षेत्र	राज्य क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12732	850	13582
2.	अरुणाचल प्रदेश	1082	—	1082
3.	असम	5953	—	5923
4.	बिहार	15098	—	15098
5.	गोवा	983	—	983
6.	गुजरात	13212	1154	14366
7.	हरियाणा	3970	3842	7812
8.	हिमाचल प्रदेश	2853	—	2853
9.	जम्मू और कश्मीर	2143	1218	3361

1 2	3	4	5
10. कर्नाटक	14088	3234	17321
11. केरल	6988	2739	9727
12. मध्य प्रदेश	19151	—	19151
13. महाराष्ट्र	21513	—	21513
14. मणिपुर	1535	—	1535
15. मेघालय	1158	—	1158
16. मिजोरम	1615	109	1724
17. नागालैंड	1184	—	1184
18. उड़ीसा	7836	—	7836
19. पंजाब	5693	—	5693
20. राजस्थान	10581	1546	12127
21. सिक्किम	381	—	381
22. तमिलनाडु	6681	—	6681
23. त्रिपुरा	1294	—	1294
24. उत्तर प्रदेश	20555	666	21221
25. पश्चिमी बंगाल	16440	1560	18000
केन्द्र शासित प्रदेश			
1. अण्डमान निकोबार	245	—	245
2. चण्डीगढ़	200	—	200
3. दादर और नगर हवेली	125	—	125
4. दमन और द्वीप	79	—	79
5. दिल्ली	2812	200	3012
6. लक्षद्वीप	60	—	60
7. पांडिचेरी	677	—	677
कुल	1,98,887	17,118	2,16,005

गुजरात में औद्योगिक एककों का बन्द होना

1200. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय कितने छोटे, मध्यम तथा बड़े औद्योगिक एकक बन्द पड़े हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में इन एककों को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक रुग्ण औद्योगिक एकको के सम्बन्ध में आंकड़े रखता है। परन्तु वह बंद एककों के संबध में विशिष्ट आंकड़े एकत्र नहीं करता। बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर 1988 के अन्त की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में 53 गैर लघु उद्योग रुग्ण और कमजोर एकक थे जो बन्द हो गये थे/समाप्त किए जा रहे थे/जिनके लिए समाप्त करने के आदेश जारी किए गए जिनमें तालाबन्दी/हड़ताल इत्यादि थी। इन 53 गैर-लघु उद्योग एककों में से जांच के बाद 7 को जीव्यक्षम पाया गया, 41 अजीव्यक्षम पाये गये और 5 एककों के बारे में निर्णय नहीं किया गया। 3 जीव्यक्षम एककों को उपचार कार्यक्रम के अधीन लाया जा रहा है।

जहां तक लघु एककों का सम्बन्ध है दिसम्बर 1988 के अन्त तक कुल 5,601 रुग्ण एकक थे, जिनमें से 315 का जीव्यक्षम पाया गया, 5,146 को गैर-जीव्यक्षम पाया गया और 140 एककों के सम्बन्ध में अभी निर्णय नहीं किया गया है। 188 जीव्यक्षम एकका को उपचार कार्यक्रम के अधीन रखा गया है।

बिहार में प्राय: सूखाग्रस्त होने वाले क्षेत्रों का रिमोट सेन्सिंग सर्वेक्षण

[हिन्दी]

1201. **प्रो. शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक्ष विभाग ने जिला स्तर पर सूखे का सामना करने के लिये एक व्यापक सर्वेक्षण आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो प्राय: सूखे का शिकार होने वाले बिहार राज्य के जिन जिलों की पहचान करके इस परियोजना में शामिल किये गये हैं उन के नाम क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) सूखे का सामना करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण हेतु बिहार राज्य के पलामू और मुंगेर जिलों का चयन किया गया है।

(ग) अन्तरिक्ष विभाग (डी. ओ. एस.) और बिहार सरकार के बिहार राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा चलाई जा रही संयुक्त परियोजना में सामाजार्थिक आंकड़ों के संग्रहण की परिकल्पना की गई है, तथा अन्तरिक्ष विभाग मृदा, भूमि उपयोग, भूमि जल आदि के सम्बन्ध में थिमेटिक मानचित्रों को तैयार करने के लिए उपग्रह आंकड़े, प्रदान कराता है। राज्य सरकार द्वारा इन थिमेटिक मानचित्रों को सूखे का मुकाबला करने के लिए विशिष्ट योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अन्तरिक्ष विभाग ने इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण की कुल अनुमानित लागत के 44 लाख रुपये में से 28 लाख रुपये की राशि प्रदान की हैं।

आदिवासियों के कल्याण हेतु योजनाएं

[अनुवाद]

1202. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासियों के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस प्रकार प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही कल्याण योजनाओं के ब्यौरे

1 आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

आदिवासी उपयोजना की संकल्पना आदिवासी क्षेत्र के समेकित विकास और आदिवासियों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी। इस दृष्टिकोण में अब 20 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता, आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासियों के प्रभावी विकास के लिए राज्य के प्रयासों को मजबूत करती है। 20 राज्य संघ राज्य क्षेत्र अर्थात आन्ध्र प्रदेश असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और द्वीप अपनी आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

2. अनुसंधान और प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी अनुसंधान संस्थानों तथा आदिवासी विषयों पर कार्य कर विद्वानों को अनुसंधान छात्रवृत्ति देने के लिए राज्य सरकारों को समान आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 13 राज्य अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात,

केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम, बंगाल वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

3. अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका होस्टल

इस योजना में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण/विस्तार के लिए प्रति स्थान की निर्धारित दर पर राज्यों को 50% वित्तीय सहायता तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का शैक्षिक संस्थाओं में विशेषकर स्कूल स्तर पर पर्याप्त नामांकन सुनिश्चित हो सके। इस योजना के अन्तर्गत 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोर, नागालैंड, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दमन तथा द्वीव, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को वित्तीय सहयता दी जाती है।

4. अनुसूचित जनजातियों के लिए बाल होस्टल

इस योजना में अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण/विस्तार के लिए प्रति स्थान की निर्धारित दर पर राज्यों को 50% वित्तीय सहायता तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है ताकि अनुसूचित जनजाति के लड़कों का शैक्षिक संस्थाओं में विशेषकर स्कूल स्तर पर पर्याप्त नामांकन सुनिश्चित हो सके। इस योजना के अन्तर्गत 26 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और द्वीप, दादर और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप को वित्तीय सहायता दी जाती है।

5. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल

शैक्षिक सुविधाओं का अभ्युदय के लिए अनुकूल वातावरण के सवर्धन हेतु इस योजना में राज्यों को 50% तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है इस योजना के अन्तर्गत 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीप को वित्तीय सहायता दी जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों में तिलहनों, वृक्ष और वन मूल तेलों का विकास

इस योजना के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में तिलहनों, वृक्ष और वन मूल तेल के संग्रहण में सुधार के लिए राज्यों को 25% अनुदान तथा 75% ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 3 राज्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों (उत्तराखण्ड) को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाना

1203. श्री एम. एस. पाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों (उत्तराखण्ड) को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) योजना आयोग के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सीमा सुरक्षा

[हिन्दी]

1204. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से एक व्यापक सीमा सुरक्षा योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) राजस्थान सीमा पर निगरानी रखने के लिए कितनी बटालियनें नियुक्त की जायेंगी तथा राजस्थान को इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) राजस्थान सेक्टर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) यह सूचना देना जनहित में नहीं होगा।

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना के लिए मापदण्ड

[अनुवाद]

1205. श्री पी. बल्लाल पेरूमल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना के लिये क्या मापदंड निर्धारित किए हैं; और

(ख) तमिलनाडु के चिदम्बरम में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) टी. वी. ट्रांसमीटरों का स्थान निर्धारित करते समय दूरदर्शन द्वारा अपनाए गए मानदण्डों में विभिन्न तत्व शामिल होते हैं जैसे किसी अन्य कौजूदा केन्द्र से टी. वी. सिग्नलों द्वारा कवर न किए जा रहे क्षेत्रों में कवरेज की व्यवस्था, पहाड़ी पिछड़े, जनजातीय, दूरस्थ, संवेदनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेवा की परिणामी कवरेज व्यवस्था का विस्तार, कार्यक्रम निर्माण और लिंकेज सुविधा की उपलब्धता और अन्य आधारभूत सुविधाएं आदि। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों की आवश्यकताओं और जहां राष्ट्रीय परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं, उन स्थानों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार, इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। चिदम्बरम में टी. वी. ट्रांसमीटर की स्थापना इस प्रयोजन के लिए आठवीं योजना के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वालों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

1206 श्री सुदाम देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि को गोवा मुक्ति सेनानियों के मामले में अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके कारण क्या है;

(ग) क्या गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वालों के कुछ आवेदन पत्रों पर अन्तिम फैसला होना अभी बाकी है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन्हें लम्बित रखने के क्या कारण है और इन पर निर्णय कब तक किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सम्मान पेंशन योजना के अधीन 14.11.1988 से पेंशन में प्रतिमाह 500 रु. से 750 रु. की गई वृद्धि गोवा मुक्ति स्वतन्त्रता सेनानियों सहित सभी के लिए लागू हैं।

(ग) और (घ) आँकड़े राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार रखे जा रहे हैं और न कि संघर्ष/आन्दोलनवार।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन

1207. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन का है; और

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) और (ख) जी हां। न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के अन्तर को विद्यमान पांच वर्ष से दो वर्ष तक करने का प्रस्ताव है, जब तक कि समुचित सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में परिवर्ती मंहगाई भत्ते का प्रावधान है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध है और नियमित अंतरालों पर समायोज्य है।

रक्षा उत्पादक एककों द्वारा एक ही एजेंसी के माध्यम से खरीद

1208. श्री त्रिविक्रम सेमा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा उत्पादक एकक एक ही एजेंसी के माध्यम से खरीदी जाने वाली मदों की "अत्यावश्यक के आधार" पर सीधी खरीद करके तत्सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) क्या उन्हीं उत्पादक एककों में जब-जब ऐसा मद विशेष खरीदा गया तब-तब वास्तव में उसकी अत्यावश्यकता थी;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक उत्पादक एकक में एक ही एजेंसी के माध्यम से खरीद की जाने वाली मदों के सीधी खरीद के कितने मामले हुए हैं और इस प्रकार की खरीद पर कितना खर्च किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इलेक्ट्रानिक उपकरणों का निर्माण करने वाले एकक

1209. श्री के. आर. नारायणन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इलेक्ट्रानिक उपकरणों के निर्माण करने वाले एकक औद्योगिक रुग्णता के शिकार हो रहे हैं तथा इनमें से अनेक बन्द किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए तथा इलेक्ट्रानिक सामान के उत्पादन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी

संघटक पुर्जा उद्योग संघ (एल्सिना) ने अभिवेदन प्रस्तुत किया है कि उद्योग की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग की विकास दर पिछले वर्ष की तुलना में कम थी वह मुख्यत: उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी उद्योग का विकास दर में गिरावट आने तथा खासकर दूरदर्शन उद्योग में मंदी आने के कारण था।

इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जों को बढ़ावा देने तथा उनके निर्यात के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार संबद्ध उद्योग संगठनों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाए हुए हैं तथा ऐसे संगठनों से प्राप्त सुझावों की तत्परता से जांच करने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी संघटक पुर्जा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

1. इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।
2. विदेशी सहयोग के लिए उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है।
3. एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 22 "क" के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग को अनुमति लेने से छूट दी गई है।
4. इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के लिए आवश्यक अधिकांश उपादान सीमा शुल्क की रियायती दर पर उपलब्ध हैं।
5. औजार, डाइयां तथा सांचे रियायती सीमा शुल्क पर उपलब्ध हैं।
6. अधिकांश पूंजीगत वस्तुओं के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की जाती है।
7. परियोजना से सम्बन्धित आयातों/उसमें पर्याप्त विस्तार के लिए जो पूंजीगत सामान मंगाया जाता है उस पर सीमा शुल्क की रियायती दर लागू होती है। आधुनिकीकरण/संतुलन रखने के लिए अपेक्षित कई पूंजीगत वस्तुओं पर भी रियायती दर पर सीमा-शुल्क प्रभारित किया जाता है।
8. इलेक्ट्रानिकी संघटक पुर्जों के निर्यात पर जहाज पर्यन्त नि:शुल्क निर्यात मूल्य के 12 प्रतिशत की दर से नकद प्रतिपूर्ति सहायता (सी सी एस) उपलब्ध है।
9. इलेक्ट्रानिकी संघटक पुर्जों का निर्यात करने पर आयात प्रतिपूर्ति की दर जहाज पर्यन्त नि:शुल्क निर्यात मूल्य के 20 प्रतिशत की दर से उपलब्ध है।

परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्यात

1210. श्री हरि किशोर सिंह :

श्री वामनराव महाडीक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी को विश्व बाजार में बेचने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु किन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु पता लगाए गये/पता लगाने हेतु प्रस्तावित विश्व बाजारों से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालयमें राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : जी हां : परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद निर्यात करने का प्रस्ताव है।

(ख) निर्यात के लिए कई उपस्करों, उपकरणों और आइसोटोप उत्पादों का चयन किया गया है। ये अधिकतर अनुसंधान रिएक्टरों, रेडियोआइसोटोपों, विकिरण प्रौद्योगिकी, वैकिरणिकी सुरक्षा, बचाव कार्यों से संबंधित इलेक्ट्रानिकी, यंत्रीकरण रोबोट विज्ञान, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, पदार्थ विज्ञान, न्यूक्लियर चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों से संबंधित हैं।

(ग) इनकी उपलब्धता के बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण को जानकारी दे दी गई है। एक ऐसी पुस्तिका भी जिसमें विशेष पदों की सूची दी गई है, अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सदस्य देशों में वितरित कर दी गई है। जांच कार्य किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में भारी उद्योग लगाया जाना

[हिन्दी]

1211. श्री पुंडलिक हरि दानवे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के जालना जिले में अभी तक कितने उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) क्या सरकार का इस जिले में ऐसे उद्योग लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन महाराष्ट्र के जालना जिले में उद्योग लगाने के लिए वर्ष 1987 से 1990 के दौरान निम्नलिखित दो आशय पत्र और एक औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किया गया है।

आशय पत्र

मै. समारथ सहकारी शक्कर कारखाना लि. (पर्याप्त विस्तार)	चीनी 1250 टी. सी. डी. (प्रति दिन मी. टन पेराई) (विस्तार के बाद)
श्री वागेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना लि. (नया उपक्रम)	चीनी 2500 टी. सी. डी.

औद्योगिक लाइसेंस

मै. जालना सहकारी शक्कर कारखाना लि. (नया उपक्रम)	चीनी 1250 टी. सी. डी.

(ङ.) जालना जिला केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़ा जिला है ।

रमन शोध संस्थान, बंगलौर, के वैज्ञानिकों में कथित असन्तोष

[अनुवाद]

1212. कुमारी उमा भारती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1991 के दि 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'साइन्टिस्ट्स वेट रमन इंस्टीट्यूट अनहैप्पी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार संस्थान के क्रिया-कलापों की जांच कराने का है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां ।

(ख) रमन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर एक स्वायत्तशासी निकाय है । अधिशासी परिषद, जिसमें इसके सदस्य के रूप में एक सरकारी प्रतिनिधि भी है, इस संस्थान के कामकाज के लिए सक्षम प्राधिकारी है ।

(ग) उपरोक्त (ख) के परिप्रेक्ष्य में, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ।

असम के चाय उद्योगों से जुड़े श्रमिकों के विकास के लिए सुविधाएं

1213. श्री सी. सिलवेरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम के चाय उद्योग से जुड़े श्रमिकों के विकास के लिए सुविधाएं दिए जाने हेतु असम के गणमान्य लोगों की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या राज्य सरकार को इस उद्योग से भारी रायल्टी मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलोलाल सुमन) : (क) से (घ) बागान श्रम अधिनियम 1951 का प्रवर्तक राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। असम सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि

1214. श्री सरजू प्रसाद सरोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विशेषकर आर.के.पुरम. क्षेत्र में सामाजिक तत्वों और नशाखोरों द्वारा की जाने वाली चोरी और मोटर वाहनों के कलपुर्जों को चुराने के दौरान ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा जनवरी और फरवरी, 1991 के दौरान ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना है;

(ग) गत तीन वर्षों और जनवरी-फरवरी 1991 के दौरान में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) असामाजिक तत्वों की इस तरह की गतिविधियों और रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखे दी जाएगी।

सातवीं योजना में स्थापित किए गए उद्योग

1215. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में राज्य-वार औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं और इससे प्रत्येक राज्य में कितने लोगों को रोजगार मिला;

(ग) क्या वर्ष 1991-92 के लिए इस सम्बन्ध में कोई योजना बनायी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) निम्नलिखित विवरण संलग्न हैं :—

1. सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों को दी गयी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 मे दिया गया है।

(2) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अधीन दी गयी धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 मे दिया गया है।

(3) 1985 से 1990 के दौरान पिछड़े जिलों को दिये गये आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसो का राज्यवार ब्यौरा सलग्न विवरण-3 मे दिया गया है।

(4) 31.3.1985 से 31.3. 989 के दौरान संगठित उत्पादनकारी क्षेत्र में रोजगार का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-4 में दिया गया है।

(ग) और (घ) 1991-92 के लिए राज्यों के वास्ते औद्योगिक योजनाएं और कार्यक्रम बनाते समय विभिन्न राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर बल दिया गया है। पिछड़े जिलों के औद्योगीकरण हेतु सरकार ने देश भर में विकास केन्द्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है।

विवरण—1

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा राज्यवार वितरित सहायता का विवरण
(रुपए करोड़ में)

राज्य/संघ शासित	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	5 वर्ष का योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	202.47	195.14	261.18	303.56	299.67	1262.05
अरुणाचल प्रदेश	1.92	1.50	1.20	0.53	1.16	6.31
असम	48.16	48.90	39.60	47.71	64.04	248.41
बिहार	31.87	43.82	39.14	43.03	59.42	217.28
गोआ	25.40	27.22	39.51	48.54	83.25	224.07
गुजरात	191.52	257.47	329.20	404.18	382.10	564.47
हरियाणा	32.90	44.40	29.58	64.07	93 90	264.85
हिमाचल प्रदेश	64.50	58.70	56.55	84.60	99.67	364.02
जम्मू एवं कश्मीर	33.06	46.08	67.96	64.55	62.44	274.09

कर्नाटक	104.13	141.55	160.12	237.85	230.49	874.14
केरल	44.52	57.72	74.09	79.43	84.55	340.31
मध्य प्रदेश	216.86	172.86	180.81	289.51	260.79	1120.83
महाराष्ट्र	169.29	161.49	212.24	304.45	349.12	1196.59
मणिपुर	2.16	4.71	6.13	4.25	9.57	26.82
मेघालय	9.74	8.78	7.00	14.46	12.62	52.60
मिजोरम	4.02	3.55	5.66	6.42	4.66	24.31
नागालैंड	3.91	3.50	4.71	5.71	4.46	22.29
उड़ीसा	88.49	65.00	57.49	104.19	103.73	418.90
पंजाब	41.66	58.76	119.39	114.16	186.39	520.36
राजस्थान	106.47	106.23	160.64	178.79	188.53	740.66
सिक्किम	2.96	5.50	5.96	2.65	3.34	20.41
तमिलनाडु	121.44	114.34	140.80	191.36	257.76	825.70
त्रिपुरा	1.27	1.51	3.39	3.66	3.63	13.46

1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	279.95	377.03	465.30	483.95	404.96	2011.19
पश्चिमी बंगाल	57.91	110.44	104.69	215.18	158.32	646.54
संघ शासित क्षेत्र	20.70	38.57	45.63	63.90	48.20	217.00
योग	1907.28	2154.77	2617.97	3360.92	3456.72	13497.66

स्रोत :—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

विवरण—2

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-86 से 1989-90) के दौरान केन्द्रीय निवेश- राज्य सहायता योजना के अधीन राज्य वार की गई निर्मुक्ति का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राशि (रुपए करोड में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	46.54
2.	असम	22.06
3.	बिहार	12.20
4.	गुजरात	32.91
5.	हरियाणा	7.00
6.	हिमाचल प्रदेश	40.35
7.	जम्मू और कश्मीर	49.18
8.	कर्नाटक	21.15
9.	केरल	11.76
10.	मध्य प्रदेश	53.40
11.	महाराष्ट्र	17.88
12.	मणीपुर	2.30
13.	मेघालय	2.14
14.	नागालैंड	13.91
15.	उड़ीसा	12.93
16.	पंजाब	10.07
17.	राजस्थान	40.63
18.	सिक्किम	5.36
19.	तमिलनाडु	36.65
20.	त्रिपुरा	1.15

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	191.19
22.	प. बंगाल	12.07
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.68
24.	दादरा और नगर हवेली	9.43
25.	अरूणाचल प्रदेश	1.54
26.	गोवा	24.22
27.	मिजोरम	13.25
28.	पाण्डचेरी	15.06
	योग	617.01 करोड़ रुपए

विवरण—3

वर्ष 1985 से 1990 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के राज्य वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985		1986		1987		1988		1989		1990	
		आ. पत्र	औ.ला.	आ. पत्र	औ.ला.	आ. पत्र	औ.ला.	आ. पत्र	औ.ला.	आ. पत्र	औ.ला.	आ. पत्र	औ.ला.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10,	11.	12.	13.	14
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	आंध्र प्रदेश	88	37	72	22	55	22	47	17	43	14	31	14
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	6	1	1	1	1	1	—	1	1	—	—
4.	असम	12	12	20	5	12	3	12	—	5	3	4	2
5.	बिहार	7	3	3	3	6	—	8	2	5	—	1	1
6.	दादरा और नगर हवेली	5	2	8	1	3	2	2	2	4	—	2	1
7.	दमन और द्वीव	—	—	—	—	1	1	3	—	3	2	—	—

8. गोवा	15	4	23	2	6	7	11	4	12	3	7	2
9. गुजरात	84	34	52	46	25	26	36	15	68	16	34	15
10. हरियाणा	33	13	25	11	13	5	10	4	14	5	7	4
11. हिमाचल प्रदेश	29	12	18	9	22	3	25	2	17	4	13	6
12. जम्मू और कश्मीर	18	6	5	4	10	4	12	1	9	5	8	1
13. कर्नाटक	39	23	30	18	37	14	12	8	17	10	12	4
14. केरल	18	15	10	8	9	3	21	1	6	3	1	3
15. मध्य प्रदेश	79	29	48	25	44	12	52	15	39	19	39	16
16. महाराष्ट्र	78	43	67	28	62	20	89	25	80	21	58	24
17. मणीपुर	1	—	1	—	—	—	3	1	5	—	—	1
18. मेघालय	1	—	1	2	1	—	—	—	2	1	—	—
19. मिजोरम	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
20. नागालैंड	—	—	4	—	1	1	—	—	—	—	2	—
21. उड़ीसा	23	6	8	3	8	4	7	1	13	—	5	3
22. पांडिचेरी	13	12	12	2	12	1	7	4	6	4	3	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	पंजाब	14	15	23	6	8	2	9	4	13	3	14	1
24.	राजस्थान	25	25	32	12	42	7	31	4	23	10	17	4
25.	सिक्किम	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
26.	तमिलनाडु	47	68	48	23	68	14	46	15	49	16	33	25
27.	त्रिपुरा	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
28.	उत्तर प्रदेश	105	44	79	34	59	23	86	20	105	25	74	30
29.	पश्चिम बंगाल	31	15	25	9	26	9	15	6	18	7	12	8
30.	दर्शाया न गया राज्य/एक से अधिक राज्य	6	1	6	3	5	7	4	1	1	3	4	—
	योग	774	427	621	278	536	192	551	153	553	175	381	167

विवरण—4

*31.3.1985 और 31.3.1989 को संगठित निर्माण कार्य क्षेत्र में राज्य-वार रोजगार का ब्यौरा

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र		31 मार्च 85 रोजगार (हजार में)	31 मार्च 89 (अनंतिम) रोजगार (हजार में)
1		2	3
उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	184.7	189.5
2.	पंजाब	173.9	202.2
3.	हिमाचल प्रदेश	13.9	10.5
4.	चण्डीगढ़	10.4	10.5
5.	दिल्ली	133.4	134.0
6.	राजस्थान	158.3	182.2
7.	जम्मू तथा कश्मीर	11.5	12.1
केन्द्रीय क्षेत्र			
8.	मध्य प्रदेश	332.7	330.2
9.	उत्तर प्रदेश	512.2	521.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
10.	असम	35.6	43.7
11.	मेघालय	2.4	2.1
12.	मणिपुर	0.4	0.4
13.	मिजोरम	0.1	0.0
14.	नागालैंड	1.6	2.0
15.	त्रिपुरा	4.1	3.6

1		2	3
पूर्वी क्षेत्र			
16.	बिहार	298.1	295.9
17.	उड़ीसा	108.1	121.4
18.	पश्चिमी बंगाल	807.3	793.2
पश्चिमी क्षेत्र			
19.	गुजरात	585.7	610.0
20.	महाराष्ट्र	1194.0	1154.3
21.	गोआ	12.3	11.7
दक्षिणी क्षेत्र			
22.	आंध्र प्रदेश	338.7	358.9
23.	कर्नाटक	369.5	375.2
24.	केरल	313.7	290.4
25.	पांडिचेरी	10.2	15.8
26.	तमिलनाडु	570.0	553.4
बाहरी क्षेत्रीय परिषद			
27.	अन्डमान और निकोबार	—	3.1
		6183.0	6237.0

नोट : रोजगार बाजार सूचना केन्द्र कार्यक्रम पर आधारित

स्रोत : रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय ।

लघु उद्योग इकाईयों का पंजीकरण

1216. श्री जी. एस. वासवराज । क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग इकाइयों के पंजीकरण तथा पूंजी निवेश को संयोजित करने के बारे में विचार करने वाले सक्षम अधिकारी से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लघु उद्योग इकाइयों को संयोजित करने के लिए हलफनामा देने की जरूरत पड़ती है जिसे निदेशक, एस. आई. एस. आई., नई दिल्ली के कार्यालय में फाइल करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में हलफनामे मांगे गये हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) निवेश को इकट्ठा (क्लब) करने सहित लघु उद्योग एककों के पंजीकरण संबंधी सभी मामलों में जिला उद्योग केन्द्र ही निर्णय करते हैं जो कि पंजीकरण प्राधिकरण हैं।

(ख) और (ग) यद्यपि ऐसे कोई सामान्य अनुदेश नहीं है फिर भी लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली ने अब तक सहायता चाहने वाले लगभग 50 एककों के मामलों में निवेश एकत्रीकरण के बारे में एफीडेविट मांगे थे, इसमें से 45 मामलों में सकारात्मक सिफारिशें की गयी हैं।

प्रतिरक्षा एककों में सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित सामानों की सप्लाई

1217. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुणवत्ता विनिश्चय नियन्त्रणालय (भंडार) को सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों द्वारा खरीद के लिए पेशकश किये गये सामानों की अस्वीकृति दर बढ़ गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी क्षेत्र में निर्मित उसी प्रकार के सामानों की स्वीकृति इस निरीक्षण अभिकरण द्वारा तुरन्त दे दी जाती है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर गुणवत्ता विनिश्चय नियन्त्रणालय (भंडार) को गत एक वर्ष के दौरान खरीद के लिए पेशकश किये गये सामानों और उसकी अस्वीकृति की दर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित सामानों को प्रतिरक्षा एककों द्वारा अधिक से अधिक खरीदे जाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या प्रयास किए जाने का प्रस्ताव है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) अस्वीकृति की दर का कोई ऐसा निश्चित नमूना शेष नहीं है जो यह निर्दिष्ट कर सके कि सरकारी क्षेत्र उद्योगों द्वारा खरीद के लिए पेशकश किए गए सामानों की अस्वीकृति की दर वृद्धि पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) रक्षा सेनाओं द्वारा अपेक्षित सभी मदों के लिए, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों, जो आपूर्ति करने में सक्षम हैं, को निविदा-पूछताछ जारी की जाती है। यदि ये इकाइयां गुणता और सुपुर्दगी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं तो उनके मामले में निजी क्षेत्र के बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों की अपेक्षा 10 प्रतिशत तक मूल्य तरजीह देने के लिए विचार किया जाता है। सरकारी क्षेत्र को इकाइयों को मूल्य तरजीह देने की नीति पहले से ही प्रचलन में है।

विवरण

अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 तक प्रस्तुत की गई सामग्रियों की किस्म का स्थानावार ब्यौरा और अस्वीकृति का प्रतिशत का विवरण

स्थान	सामग्री की किस्म	मूल्य के अनुसार अस्वीकृति का प्रतिशत
बम्बई	मूल वस्त्र (बेसिक फैब्रिक्स) सिले सिलाए कपड़े, तेल एवं स्नेहक के बैरल औषधियां एवं भेषिजिक (फार्मास्यूटिकल्स)	4.96
कलकत्ता	सिले सिलाए कपड़े, जूते, तेल एवं स्नेहक के बैरल तथा चिकित्सा सामान	2.03
मद्रास	मूल वस्त्र (बेसिक फैब्रिक्स), सिले सिलाए कपड़े, तौलिए, चादरें, तेल एवं स्नेहक तथा चिकित्सा सामान	13.04
दिल्ली	मूल वस्त्र (बेसिक फैब्रिक्स) कम्बल, पट्टियां, औषधियां एवं भेषिजिक (फार्मस्यूटिकल)	21.85
कानपुर	मूल वस्त्र (बेसिक फैब्रिक्स), कम्बल, सूती धागा, तौलिए, ब्रुश और डीजल तेल	41.00

आयुध कारखानों में काम कर रहे भूतपूर्व सैनिक

1218. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्ष के दौरान आयुध कारखानों में काम कर रहे भूतपूर्व सैनिकों के कार्य-क्षेत्र और प्रोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए व्यापक योजना तैयार करने के प्रश्न पर बहुत से अभ्यावेद प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये भूतपूर्व सैनिक 10 से 15 वर्षों तक एक ही पद पर बने रहते हैं जबकि समान पदों पर कार्यरत उनके सहयोगी उस अवधि के दौरान तीन उच्च वेतनमान पा चुके हैं;

(ग) यदि हां, तो तथ्य क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों को तत्काल अथवा पहले से ही दूर करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जहां तक आयुध निर्माणियों का प्रश्न है ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) भूतपूर्व सैनिकों समेत कर्मचारियों को अगले उच्च पदों पर पदोन्नति में लगने वाला समय संबंधित कर्मचारी की ज्येष्ठता के साथ-साथ एक निश्चित समय पर उपलब्ध पदों/रिक्तियों संख्या पर सहसंबंधित होता है जो अलग-अलग समय पर अलग-अलग होता है । जब कभी उच्च ग्रेड में कोई खाली पद भरा जाना होता है तो उसके लिए भूतपूर्व सैनिकों समेत सभी पात्र कर्मचारियों के संबंध में सुसंगत नियमों और विहित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाता है ।

(ङ) कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों को सुधारने के लिए संवर्ग पुनरीक्षा शुरू की गई है जिससे पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों को भी लाभ होगा ।

पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं द्वारा पुरस्कारों की वापसी

1219. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ व्यक्तियों ने अपने पुरस्कार लौटा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अपने पुरस्कार लौटाने वाले ऐसे व्यक्तियों के तथा पुरस्कारों के नाम क्या हैं और इन्हें वापस लौटाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दो पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों, नामतः, श्री मुरलीधर देवीदास उर्फ बाबा आमटे तथा श्री इन्द्रमोहन, ने अपने पदक और सनद लौटाये हैं । बाबाआमटे ने 1971 और 1986 में उनको दिए गए पद्मश्री और पदम विभूषण पदकों को दो सनदों तथा लघु-चित्रों सहित गुजरात सरकार के कठोरतापूर्ण किए गये व्यवहार तथा पिछले कुछ दिनों के दौरान नर्मदा घाटी के आदिवासियों के प्रति अपनाये गये व्यवहार के विरोध में लौटा दिए हैं तथा श्री इन्द्र मोहन ने 1990 में उनको दिए गए लघुचित्र और सनद सहित पद्मविभूषण, "किसी विशिष्ट सरकार के बजाय एक प्रतिष्ठान की व्यक्ति विरोधी नीतियों के विरोध में सरकार को लौटाये हैं ।

दिल्ली में बम विस्फोट

1220. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1990 के दौरान और 1991 में अब तक कितने विस्फोट हुए हैं;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में जान-माल का कितना नुकसान हुआ;

(ग) प्रत्येक मामले में जांच का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अपराधियों को पकड़ा गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ङ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1990 तथा जनवरी, 1991 के दौरान दिल्ली में बम विस्फोट की 15 घटनाएं हुई। घटनाओं का माहवार ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष और महीना	बम विस्फोटों की संख्या
जनवरी, 1990	1
मार्च, 1990	1
अप्रैल, 1990	5
जून, 1990	1
अगस्त, 1990	1
अक्तूबर, 1990	1
जनवरी, 1991	5

ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(1) 7.1.1990 को संसद भवन के द्वार नं. 3 के निकट एक विस्फोट हुआ। इस मामले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ।

(2) 19.3.1990 को सब्जी मंडी में एक विस्फोट हुआ। एक व्यक्ति मारा गया। लगभग 2000 रु. के मूल्य की सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

(3) 10.4.1990 को तिलक नगर पुलिस स्टेशन थाने में एक बस विस्फोट हुआ। लगभग 2000 रु. के मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(4) 10.4.1990 को पश्चिमी जिले के पुलिस उप-आयुक्त के कार्यालय में एक बम विस्फोट हुआ। लगभग 10,000/रु. मूल्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(5) 13.4.1990 को प्रेम बाड़ी पुल पर एक बम विस्फाट हुआ। सात व्यक्ति मारे गए। लगभग 52,000/रु. मूल्य सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(6) 28.4.1990 को खानपुर बस टर्मिनल पर एक बम विस्फोट हुआ। तीन व्यक्ति मारे गए। लगभग 500/रु. के मूल्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(7) 30.4.1990 को उत्तम नगर से अन्तर्राज्यीय बस अड्डा जाती हुई एक बस में बम विस्फोट हुआ। तो व्यक्तियों की जानें गई। लगभग 10,500/रु. के मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(8) 1.6.1990 को मोती नगर के बाजार में एक बम विस्फोट हुआ। लगभग 10,000/रु. मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(9) 15.8.1990 को थाना केशवपुरम में एक बम विस्फोट हुआ। इसमें पांच व्यक्ति मारे गए।

(10) 6.10.1990 को थाना त्रिलोक पुरी के अन्तर्गत मयूर विहार में एक तिपहिए स्कूटर में बम विस्फोट हुआ। स्कूटर के दो चाबी और उसका चालक मारा गया। तिपहिया स्कूटर और एक साईकिल को नुकसान पहुंचा।

(11) 17.1.1991 को कनाट प्लेस थाने के अन्तर्गत जनपथ में एक बम विस्फोट हुआ। लगभग 8 लाख रु. मूल्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(12) 22.1.1991 को तीस हजारी जिला न्यायालय के निकट एक बम विस्फोट हुआ। एक व्यक्ति मारा गया। तीन दुपहिए स्कूटरों को क्षति पहुंची।

(13) 22.1.1991 को थाना इन्द्रप्रस्थ इस्टेट के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय के निकट एक बम विस्फोट हुआ। 9 स्कूटरों को नुकसान पहुंचा तथा लगभग 50,000/रु. मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(14) 25.1.1991 को थाना दरियागंज के अन्तर्गत जयप्रकाश नारायण अस्पताल के निकट एक बम विस्फोट हुआ।

(15) 27.1.1991 को थाना कोतवाली के अन्तर्गत कुतबी सिनेमा में एक बम विस्फोट हुआ। एक व्यक्ति मारा गया तथा लगभग 40,000 रु. की मूल्य की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

(ग) से (ङ) इन सभी मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा मामले दर्ज कर लिए गए हैं। 8 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से 4 व्यक्ति दो-दो मामलों में लिप्त हैं।

महात्मा गांधी पार्क में रक्षा-भूमि पर अवैध निर्माण

1221. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महात्मा गांधी पार्क में रक्षा-भूमि पर गत नौ महीनों के दौरान अवैध निर्माण के मामले में अति विशिष्ट व्यक्तियों से विस्तृत शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को यह रिपोर्ट भी मिली है कि इस भवन का दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व भाग में और विस्तार किया गया है और इस प्रकार पार्क के सार्वजनिक कुएं तथा अवैध विस्तार किया जा रहा है;

(ग) क्या छावनी बोर्ड ने पार्क को पानी देने के लिए लगाया गया अपना जल पम्प कुएं से हटा दिया है जिससे वहां रहने वाले उसका उपयोग कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किराये की शर्तों, किराये की अवधि तारीखों सहित, बोर्ड की लागत और निवेश, मूल क्षेत्र जिसमें भवन बना हुआ था और वर्तमान ढांचे के कुल क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, फिर भी यह मामला 4.9.1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 3036 द्वारा उठाया गया था।

(ग) और (घ) डी सी ट्रांसमीशन लाइन पर काम कर रहे पम्प सेट को 1975 से पहले ही हटा दिया गया था जबकि रेस्टोरेंट कई साल बाद में बना।

(ङ) किराए की शर्तें, किराए की अवधि तथा तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं। बोर्ड ने जीर्ण-शीर्ण माली क्वार्टरों को दुकानों में बदलने के लिए सन 1975 में 20,000 रुपए खर्च किए। इस भवन का कुर्सी क्षेत्र 94 वर्ग मीटर था। वर्तमान मकान का कुल कुर्सी क्षेत्र भूमि तल पर 176 वर्ग मीटर और प्रथम तल पर 185 वर्ग मीटर है।

विवरण

किराए की शर्तों का विवरण

1. यह लाइसेंस 1.11.1987 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए वैध रहेगा।
2. यह लाइसेंस, लाइसेंसधारी और/या उसके उत्तराधिकारी द्वारा केवल उक्त दुकान के इस्तेमाल और कब्जे के लिए होगा लेकिन इसके लिए छावनी बोर्ड की स्वीकृति लेनी होगी।

3. उक्त दुकान के इस्तेमाल तथा कब्जे के लिए लाइसेंस फीस 1250 रुपये प्रति माह होगी।

4. लाइसेंसधारी ने कब्जा करार को पूरा करने के लिये इस अनुबंध पत्र के अनुसार काम करने के बाबत सुरक्षा राशि के रूप में 600/-रुपये अदा कर दिये है इस अनुबंधपत्र के अनुसार कार्य न करने की स्थिति में उक्त सुरक्षा जमा राशि बोर्ड द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

5. लाइसेंसधारी मासिक प्रभार प्रत्येक माह की 10 तारीख तक नियमित रूप से अग्रिम रूप में भुगतान करेगा। ऐसा न करने पर उसे मासिक प्रभार के अतिरिक्त एक रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा।

6. किसी दो माह के लिए मासिक प्रभारों का भुगतान न करने की स्थिति में लाइसेंस दाता द्वारा लाइसेंस रद्द किया जा सकता है तथा तथा लाइसेंसधारी को लाइसेंस-दाता को दुकान का खाली कब्जा देना होगा। छावनी बोर्ड द्वारा दुकान को खाली कराने में यदि कोई खर्चा किया जाता है तो लाइसेंसधारी उस व्यय का भी भुगतान करेगा।

7. बिजली/पानी के कनेक्शन लाइसेंसधारी द्वार अपने खर्चे तथा अपनी सुरक्षा जमा पर लिये जा सकते हैं।

8. लाइसेंसधारी उक्त दुकान को न तो आगे किराए पर देगा और न ही इसका कब्जा किसी और व्यक्ति को अंतरिम करेगा। लाइसेंसधारी भवन में कोई बढ़ोतरी/ परिवर्तन/या पुनर्विनियोजन नहीं करेगा।

9. लाइसेंस धारी उक्त दुकान में ऐसा कोई व्याय नहीं करेगा जिसके कारण उत्पात या अपराध हो या जो जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। वह ज्वलनशील पदार्थों या भारी धुंआ छोड़ने वाले या लाइसेंसदाता द्वारा प्रतिबन्धित माल का व्यापार नहीं करेगा।

10. लाइसेंसधारी परिसर तथा साथ लगी भूमि को हमेशा साफ-सुथरा रखेगा तथा वह सफाई की शर्तों के अनुसार होगी जो कि छावनी बोर्ड के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा आवधिक निमीक्षण की शर्तों के तहत होगा।

11. लाइसेंसधारी दुकान की मरम्मत अपने खर्च पर करेगा। वार्षिक मरम्मत तथा सफेदी वह अपने खर्च पर करेगा तथा ऐसा न करने की स्थिति में यह कार्य छावनी बोर्ड द्वारा लाइसेंसधारी की लागत/खर्च पर किया जाएगा।

12. इस लाइसेंस से लाइसेंसधारी को दुकान के मालिकाना या किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। इस लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर लाइसेंधारी उक्त दुकान को खाली कब्जा लाइसेंसदाता को वैसी ही स्थिति में लौटाएगा जैसे उसने लाइसेंसदाता से ली थी। उसमें सामान्य छोटी मोटी टूट-फूट अनुमेय हो सकती है। दुकान को यदि कोई नुकसान हुआ हो तो लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को दुकान/भवन लौटाने से

पूर्व उसे ठीक करवा कर देगा। दुकान/भवन का प्लान तथा सामान की सूची लाइसेंसधारी को सौंपी जाएगी तथा उसे दुकान में शीशे में अंकित कर लगवाया जाएगा। इस पर लाइसेंसधारी तथा लाइसेंसदाता दोनों के हस्ताक्षर होंगे। हानि/क्षति को पूरा न करने की स्थिति में सुरक्षा जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

13. इस लाइसेंस को किसी भी पक्ष द्वारा 3 माह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है।

14. लाइसेंसधारी द्वारा इस अनुबंधपत्र की किसी की शर्त में कमी होने की स्थिति में लाइसेंस रद्द समझा जाएगा जब तक कि लाइसेंसधारी किसी शर्त की कमी के लिए लिखित रूप में माफी नहीं मांग लेता तथा लाइसेंसधारी को उक्त दुकान में घुसने का अधिकार होगा।

15. इस अनुबंधपत्र के समाप्त होने की अवधि अर्थात् 31 अक्तूबर, 1992 को, यह लाइसेंस रद्द समझा जाएगा तथा लाइसेंसधारी उक्त दुकान का खाली कब्जा तत्काल लाइसेंसदाता को देने के लिए बाध्य होगी।

16. इस अनुबंध पत्र द्वारा लाइसेंसधारी को उक्त दुकान पर कोई किराएदारी अधिकार नहीं होगा।

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए कोष

1222. श्री श्रीकान्त वत्स नरसिंहराव वाडियर: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए आठवीं योजना में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित करने की सम्भावना है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु योजनाओं को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सम्पूर्ण सुविधायुक्त नगर

1224. श्री श्रीकान्त वत्स नरसिंहराव वाडियर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन नगरों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक सम्पूर्ण सुविधायुक्त नगर बनाया गया है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और नगरों को सम्पूर्ण सुविधायुक्त नगरों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इन नगरों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस दिशा में अब तक क्या कार्य किया गया है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने पुणे, बंगलौर तथा भुवनेश्वर में एक-एक अर्थात् कुल मिलाकर तीन साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, 12 और साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। जिन स्थानों पर विचार किया जा रहा है; वे इस प्रकार हैं। त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, अहमदाबाद, नाएडा, चण्डीगढ़, भोपाल, पटना, कलकत्ता, मद्रास, जयपुर, गुड़गांव तथा गुवाहाटी।

(घ) राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि मूलसंरचनात्मक सुविधाओं तथा संचार संबंधी आवश्यकताओं के रूप में परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जा सकें।

असंगठित मजदूर वर्ग के लिए विधान

1225. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री 28 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या-2278 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित मजदूर वर्ग के लिए केन्द्रीय विधान का अधिनियमन करने के सुझावों पर विचार किया गया है;

(ख) अब तक जो सुझाव प्राप्त हुए हैं और जिन पर विचार किया जा चुका है उनकी संख्या क्या है; और

(ग) विधान पर विचार पूरा करने और उसका प्रारूप तैयार करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) असंगठित श्रमिकों के लिए केन्द्रीय अधिनियत लाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं। असंगठित श्रमिक एक सामान्य शब्द है जिसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगे विभिन्न वर्ग शामिल है। कुछ केन्द्रीय अधिनियम जैसे ठेका श्रम अधिनियम, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम), मजदूरी संदाय अधिनियम आदि पहले ही उपलब्ध हैं और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को भी शामिल करते हैं। सरकार भी कृषि कर्मकारों और निर्माण-कर्मकारों के क्षेत्रों में एक केन्द्रीय विधान लाने पर विचार कर रही है।

कालीकट आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार

1126. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कालीकट आकाशवाणी केन्द्र का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विस्तार कार्य की अनुमानित लागत कितनी होगी;

(ग) क्या कालीकट के टी. वी. ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) जी, हां। आकाशवाणी, कालीकट के वर्तमान 10 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर 100 कि. वा. करने की एक योजना अनुमोदित की गई है जिस पर 256.30 लाख रुपए की पूंजीगत लागत आएगी।

(ग) और (घ) जी, हां। कालीकट के वर्तमान (100 वाट) अल्प शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर के स्थान पर अब वहां एक उच्च शक्ति (10 कि. वा.) ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है।

केरल में 'फ्रीक्वेन्सी माड्यूलेशन रेडियो स्टेशन' की स्थापना

1227. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का केरल में कहीं 'फ्रीक्वेन्सी माड्यूलेशन रेडियो स्टेशन' स्थापित करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित करे जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जी, हां। आकाशवाणी की अनुमोदित सातवीं योजना में, केरल राज्य में कोचीन, कन्नानूर और इदुकी में फ्रीक्वेंसी मोडयूलेशन ट्रांसमीटरों के साथ एक-एक अर्थात तीन नये रेडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम शामिल है।

कोचीन का एफ. एम. रेडियो केन्द्र पहले ही दिनांक 1.10.89 से सेवा के लिए चालू कर दिया गया। कन्नानूर का रेडियो केन्द्र, तकनीकी रूप से तैयार है और जैसे ही केन्द्र पर कार्य के लिए आवश्यक स्टाफ वास्तविक रूप से तैनात हो जाएगा वैसे ही इसे सेवा के लिए चालू कर दिया जाएगा। इदुकी के एफ. एम. रेडियो केन्द्र को वर्ष 1991-92 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

दिल्ली में महिलाओं के प्रति अपराध

1228. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान राजधानी में महिलाओं और लड़कियों के प्रति कितने अपराधों की रिपोर्ट है और इससे पहले के दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में (श्रेणी-वार) ये कितने कम या अधिक है; और

(ख) महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हुए अपराधों को सूचित की गई संख्या निम्न प्रकार है :

अपराध शीर्षक	1988	1989	1990
महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार	130	159	176
बलात्कार	127	161	179
छेड़छाड़	2941	2414	2061
दहेज के कारण हुई मौतें	103	109	116
भा. द. स. 406 (दहेज से संबंधित)	390	268	231
498-क (पति ससुराल वालों द्वारा अत्याचार)	349	336	341
दहेज निषेध अधिनियम	10	10	4

(ख) जनसंख्या में वृद्धि होना तथा सामाजिक-आर्थिक जीवन में तेजी से बदलाव होना इसके मुख्य कारण हैं।

ककरापार परमाणु बिजली घर

1229. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ककरापार परमाणु बिजली घर की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) पहली यूनिट में कब तक कार्य आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई है तथा परियोजना की अनुमानित लागत, यूनिट-वार कितनी है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका)। (क) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के 235 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो यूनिटों में से पहला यूनिट निर्माणावस्था के अन्तिम चरण में है और उसे चालू करने संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। दूसरे यूनिट के निर्माण संबंधी कार्य चल रहे हैं और इस यूनिट में उपस्कर, सघटक तथा सहायक पाइपें लगाने के काम में अच्छी प्रगति हो रही है।

(ख) पहले यूनिट के सन् 1991 में क्रांतिकता प्राप्त कर लेने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार दो यूनिटों वाली इस परियोजना पर कुल 787.05 करोड़ रुपए का संचयी व्यय हुआ है। वर्तमान में दो यूनिटों वाली इस परियोजना की प्रत्याशित लागत अनुमान लगभग 950 करोड़ रुपए है।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण में मामले दर्ज करना

1230. श्री नन्द लाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी बड़ी संख्या में सरकार के विरुद्ध अपने दावों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के पास जा रहे हैं,

(ख) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा कराये गए नमूना विश्लेषण से पता चला था कि पचास प्रतिशत से अधिक मामलों में निर्णय सरकार के विरुद्ध गए थे, और

(ग) केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों को निपटाया और उनमें से कितने निर्णय सरकार के विरुद्ध हुए ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में कोई नमूना विश्लेषण नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 1988 में 13777 मामले, 1989 में 13986 मामले तथा 1990 के दौरान 15089 मामले निपटाए थे। पार्टियों द्वारा विविध राहतों की मांग किए जाने को ध्यान में रखते हुए, मामलों का यह वर्गीकरण करना कठिन है कि कौन से सरकार के पक्ष में या उसके विरुद्ध गए हैं।

राष्ट्रीय डिजाइन परिषद

1231. प्रो मधु दण्डवते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डिजाइन समिति को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की देख-भाल के लिए एक नीति निर्धारक समिति के रूप में गठन किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डिजाइन परिषद की स्थापना करने की आवश्यकता तथा संभाव्यता की जांच करने के लिए एक कार्य-दल स्थापित किया गया। सरकार द्वारा कार्य-दल की सिफारिशों की जांच की गई तथा ऐसा अनुभव किया गया कि परिषद के संगठन, वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उद्योग भागेदारी को शामिल करने के तरीके की दृष्टि से प्रस्तावों में सुधार करने की आवश्यकता है। अतः कार्यदल द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मामले की पुनः जांच करने पर यह निर्णय किया गया कि जब तक एक पृथक संस्थान की जीव्यता स्थापित नहीं हो जाती तब तक डिजाइन जागरूकता उत्पन्न करके उद्योग के साथ संबंध स्थापित करके तथा विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करके विद्यमान डिजाइन संस्थानों तथा डिजाइनों की क्षमताओं तथा संसाधनों का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

टैनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की बाजार देयतायें

1232. श्री युसुफ बेग : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की बाजार देयताओं में और वृद्धि हुई है;

(ख) क्या कुछ ऐसी देयताओं का पता लगा है जो खाली प्रतीत होती है;

(ग) क्या सप्लाईकर्ता सामग्री की सप्लाई करने से मना करते रहे हैं तथा उत्पादन में कमी आ गई है, जो आज तक कभी नहीं आई; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) कार्य-संचालन पूंजी की कमी के कारण टैन्कों की बाजार देयताएं अस्थायी रूप से बढ़ गई है।

(ख) सभी देयताएं यथार्थ और पूर्ण सत्यापन योग्य हैं।

(ग) उच्च बाजार देयताओं के कारण आपूर्तिकर्त्ता और आगे उधार देने के लिए अनिच्छुक हैं। हड़ताल, सामाजिक अशांति, रक्षा मंत्रालय से कमादेश में कमी और कार्य-संचालन पून्जी की कमी के कारण वर्ष के दौरान उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चालू वर्ष में अप्रैल 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान हुए उत्पादन का विवरण अधो-लिखित है :—

आंकड़े : लाख में

उत्पाद	एकक	अप्रैल 1990 से जनवरी, 1991 परिणाम संख्या	मूल्य रुपये
फूटवियर			
—ब्रिटिश	जोड़े	1.60	191.64
—सैम्पिक	जोड़े	0.85	129.01
	योग	2.45	320 65
बार्क चर्म	कि.ग्रा.	1.88	94.18
क्रोम चर्म	वर्ग मीटर	1.08	235.21
अन्य		—	107.01
	योग	—	757.05
कमी : आंतरिक खपत			288.73
कुल उत्पादन			468.32

स्थिति में सुधार हेतु टैफको ने निम्न उपाय किए हैं :—

रक्षा मंत्रालय द्वारा मूल्य निर्धारण फार्मूला में परिवर्तन के पश्चात टैफको ने सिविल विक्रय में सुधार करने के लिए वैकल्पिक नीति अपनाई है। टैफको ने जंगल बूट और पी टी शूज के विनिर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया है। स्कोर्ट्स जूतों का भी उत्पादन प्रारम्भ हो गया है तथा एक डी. आई. पी. मशीन पहले ही प्राप्त कर ली गई हैं जो बम्बई बन्दरगाह पर पहुँच गई है।

आयुध निर्माणी और तोपखाना निर्माणी, कानपुर द्वारा कच्चे माल की खरीद

1233. श्री युसुफ बेग : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या आयुध निर्माणी, कानपुर और तोपखाना निर्माणी कानपुर अपने उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया के लिए इलक्ट्रोड्स और लिक्स को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रही है।

(ख) क्या ये निर्माणियां बड़े पैमाने पर यह कच्चा-माल गैर सरकारी व्यापारियों से खरीदती है, जबकि कुछ सरकार क्षेत्र के उपक्रमों/कम्पनियों के इस कच्चे माल की सप्लाई के प्रस्ताव लगातार अस्वीकृत किये जाते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण क्या हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान उपरोक्त दो निर्माणियों द्वारा गैर-सरकारी और सरकारों क्षेत्रों से उपरोक्त मदों के किए गए क्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रस्तावों को वरीयता देने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, नहीं। आयुध निर्माणी कानपुर तथा फील्डगन निर्माणी, कानपुर इनगाट मोल्डों का इस्तेमाल सामान के निर्माण में आवश्यक सहायक सामान के साथ निर्माण प्रक्रिया के रूप में कर रही थी न कि कच्चे माल के रूप में। जिन निर्माण कार्यों में 'इनगाट मोल्डो' का इस्तेमाल होता था उनका निर्माण आयुध निर्माणी, कानपुर में अप्रैल, 1989 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) फील्डगन निर्माणी, कानपुर द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान की गई खरीद का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आयुध निर्माणी, कानपुर के सांयुक्तीय अनुभाग द्वारा निर्माण कार्यों में 'इनगाट मोल्डों' का इस्तेमाल बन्द करने के कारण उक्त निर्माणी ने पिछले दो वर्ष के दौरान 'इनगाट मोल्डों' की कोई खरीद नहीं की है।

(ङ) इनगाट मोल्ड निजी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खरीदे गये हैं जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को न्यूनतम स्वीकार्य प्रस्ताव से 10 प्रतिशत अधिक मूल्य तरजीह दी गई है।

विवरण				
इनगाट मोल्ड का आकार	कम्पनी का नाम	सप्लाई आर्डर संख्या तथा तारीख	निजी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	आर्डर की गई मात्रा
1	2	3	4	5
15 1/2"	मैसर्स बर्रेथवेट एण्ड कं. लि. हुगली।	(1) 1-88-0563- आर-एस-एम एस दिनांक 19.2.88	सरकारी क्षेत्र उपक्रम	45 अदद
	मैसर्स सिम्पलेक्स कैस्टिंग्स लि. भिलाई।	(2) 1-88-1166-आर-एस-एम एस दिनांक 8.11.88	निजी उपक्रम	60 ,,
	मैसर्स पाइनियर आयरन एण्ड स्टील कारपोरेशन प्राइवेट लि.	(3) 1-88-1267-आर-एस-एम एस दिनांक 3.3.89	वही	45 ,,
23 "	वही	(1) 1-88-108-आर-एम-एस एस दिनांक 31.8.88	वही	36 ,,

1	2	3	4	5
	वही	(2) 1-90-1213-आर-एस-एम एस दिनांक 30.7.90	वही	8 ,,
31 "	मैसर्स सिम्पलेक्स कास्टिंग लि. भिलाई।	(1) 1-89-1073-आर-एस-एम एस दिनांक 16.6.89	वही	6 ,,

राजस्थान में राजसमंद में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

1234. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान में उदयपुर और भीम के बीच स्थित राजसमंद में एक दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की स्थापना का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायेगी ;

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

राजस्थान में उद्योगों की स्थापना

1235. श्री गुलाबचन्द कटारिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के आदिवासी बहुल जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक तहसील में ऐसे उद्योग स्थापित कर दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) आदिवासी बहुल जिलों से संबंधित औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में आंकड़े उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं, तथापि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वर्ष 1988 से 1990 के दौरान राजस्थान के केन्द्रीय रूप से घोषित पिछड़े जिलों (उद्योग रहित जिलों सहित) में उद्योग लगाने के लिए 71 आशय पत्र और 18 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे।

किसी औद्योगिक परियोजना के फलने-फूलने में प्राय: 4 से 5 वर्ष का समय लगता है। तथापि, यह प्रारम्भिक अवधि हर उद्योग में अलग-अलग होती है। अत: उपर्युक्त आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

स्तनपान के बारे में संहिता बनाया जाना

[अनुवाद]

1237. श्रीमती सुभाषिनी अली : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू सत्र के दौरान विभिन्न गैर संगठनों के स्वास्थ्य निकायों और कार्यकर्ताओं द्वारा सुझाए गए संशोधनों को शामिल करते हुए अपेक्षित कारण और संहिता बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) पोषाहार के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों, समाज कार्यकर्ताओं और समाज वैज्ञानिकों के विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद स्तनपान संरक्षण और संवर्धन हेतु शिशु दुग्धाहारों, पोषण बोतलों और शिशु आहारों के उत्पादन आपूर्ति और वितरण के विनियमन का व्यवस्था करने के लिए एक विधेयक अर्थात "शिशु दुग्ध खाद्य पोषण बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, प्रदाय और वितरण) विधेयक, 1991" पहले ही 10 जनवरी, 1991 को लोक सभा में पेश किया गया है । संसद के बजट सत्र, 1991 के दौरान इस विधेयक का विचार के लिए और पारित कराने के लिए लोक सभा में और फिर राज्य सभा में पेश किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) बच्चों के स्वास्थ्य और उन्हें समुचित पोषाहार प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य परिषद ने मई 1991 में "मां" के दूध के विकल्पों का बिक्री पर एक अन्तर्राष्ट्रीय संहिता स्वीकार की थी । भारत सरकार ने इस संहिता को मान्यता देते हुए दिसम्बर, 1983 में "स्तनपान के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारतीय राष्ट्रीय संहिता" स्वीकार की ।

(ग) इस विधेयक द्वारा संहिता के सिद्धान्तों और उद्देश्यों को मूर्त रूप देने का प्रस्ताव है । तदनुसार इसमें शिशु दुग्धाहारों और पोषण बोतलों के विज्ञापनों को प्रतिबन्धित किया गया है, तथा इसमें यह सुनिश्चित करने के उपाय भी विहित किए गए है कि शिशु दुग्धाहारों के विपणन में ऐसा कोई आभास न दिया जाए कि ये आहार "मां" के दूध के बराबर हैं अथवा उससे बेहतर हैं । शिशु दुग्धाहारों, पोषण बोतलों और शिशु आहारों के गुणवत्ता नियंत्रण लेबल लगाने सम्बन्धी उपबन्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के समग्र नियंत्रण में राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सम्बन्धित विभागों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है । विधेयक के उपबन्धों के उल्लंघन के मामले में तीन वर्ष तक के कारावास अथवा पांच हजार रुपये तक का जुर्माना किए जाने अथवा दोनों ही दण्ड दिए जा सकेंगे । परन्तु इस विधेयक में, ऐसे पोषाहारों पर लेबल लगाने अथवा उनकी गुणवत्ता नियंत्रण सम्बन्धी कुछ "उपबन्धों के उल्लंघन के मामले में कम से कम छः मास की सजा दिए जाने का प्रावधान है जो 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ में जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1238. श्री सत्य नारायण जाटिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चार प्रमुख महानगरों में दिसम्बर, 1989 जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान का प्रत्येक महीने का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या रहा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) चार प्रमुख महानगरों में दिसम्बर, 1989 से जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक

कर्मकारों के लिए 1982=100 के आधार पर महीने वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण दिए गए हैं।

विवरण

चार प्रमुख नगरों में दिसम्बर, 1989 से जनवरी, 1991 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक कर्मकारों के लिए 1982 = 100 के आधार पर महीने वार उ. म. स. दर्शाने वाला विवरण

	दिल्ली	बंम्बई	कलकत्ता	मद्रास
दिसम्बर, 1989	182	181	179	175
जनवरी, 1990	182	102	178	174
फरवरी, 1991	183	184	178	176
मार्च, 1990	185	185	102	177
अप्रैल, 1990	189	188	188	177
मई, 1999	191	193	191	179
जून, 1990	194	196	192	182
जुलाई, 1090	199	198	198	185
अगस्त, 1990	210	198	200	185
सितम्बर, 1990	201	199	201	185
अक्तूबर, 1990	205	204	214	187
नवम्बर, 1990,	203	205	214	193
दिसम्बर, 1990	203	207	212	195
जनवरी, 1991	208	209	212	200

सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1990 के प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले पता चल जाना

[हिन्दी]

1239. श्री देवी पाण्डवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सिविल सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 1990 के प्रश्न पत्रों का परीक्षा से पहले ही पता चल गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच की है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख)कथित लीक बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनकी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विस्तृत रूप से होने के जांच किए जाने पर उन्हें गलत पाया गया।

(ख) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र और दिल्ली में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल

1240. श्री हरि शंकर महाले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और दिल्ली में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए केन्द्र द्वारा आयोजित स्कूलों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक स्कूल में कितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या इन बच्चों के हित में कोई नई परियोजना आरम्भ की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

अम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मारुति कार का उत्पादन और निर्यात

[अनुवाद]

1241. श्री कान्त बस नरसिंह राव कल्लिवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारुति कारों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मार्डलों का वार्षिक उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) इस समय कौन-कौन से देश इन कारों का आयात कर रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) वाहनों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है । 1,00,000 वाहनों की स्थापित क्षमता की तुलना में 1989 में 1,17,521 (73,410 मारुति स्टैण्डर्ड कार, 35,058 ओमनी और 9,053 जिप्सी) वाहनों का वास्तविक उत्पादन किया । वर्ष 1990-91 के लिए 1,21,000 वाहनों का उत्पादन लक्ष्य है ।

(ग) मारुति से जो राष्ट्र वाहनों का आयात कर रहे हैं वे हैं—आस्ट्रेलिया, बंग्लादेश, भूटान, कमरून, कांगो, चाड, साइप्रस, कुक आइलैंडस, फ्रांस, गेबान, गिनी, कोनाक्रे, हंगरी, इटली, मालदीप, माल्टा, मेरीना, लाइलैंडस, मेडागास्कर, मारीशस, नेपाल, नाइजर, पपुआ न्यू गिनी आइलैंडस, पुर्तगाल, सोलोमन, आइलैंडस, श्रीलंका, तंजानिया, युगान्डा, वेनुआटु, युगोस्लाविया, जाम्बिया ।

(घ) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

वर्ष	विदेशी मुद्रा आय (मिलियम अमेरिकी डालर)
1987-88	6.67
1988-89	9.59
1989-90	24.32
1990-91 (प्रत्याशित)	40.50

मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के निर्माण कार्य में घटिया दर्जे की सामग्री का प्रयोग

1242. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक और अन्य राज्यों में सेना के कार्यरत अधिकारियों के लिए क्वार्टर और अन्य आवासों के निर्माण में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस ने घटिया दर्जे की सामग्री का प्रयोग किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इनमें से कुछ इमारतें बुरी दशा में हैं;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) इस अवधि के दौरान मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में इन कार्यों पर कुल कितना धन लगाया ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हाई पावर टी. वी. ट्रांसमीटर

1243. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के लोग कलकत्ता दूरदर्शन के बंगाली कार्यक्रम नहीं देख पाते;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि खड़गपुर में जो ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है वह कम-शक्ति वाला है;

(ग) क्या इस कम-शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) यद्यपि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के भागों में दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से निर्मित क्षेत्रीय भाषा के कार्यक्रम प्राप्त होते हैं, तथापि खड़कपुर और मिदनापुर जिले में कार्यरत अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर, इन कार्यक्रमों की रिले नहीं कर पाते क्योंकि ये ट्रांसमीटर दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से नहीं जुड़े हैं।

(ग) और (घ) खड़गपुर में कार्यरत अल्प शक्ति ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी

[हिन्दी]

1244. श्री कपिल देव शास्त्री :
श्री हरि शंकर महाले :
श्री गोपाल पचेरवाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है और इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं,

(ख) शहरी तथा ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के और अधिकारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है, और उनमें से, राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्रवार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, और

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने-कितने अधिकारी, दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता में पदासीन हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) 1-1-91 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या 5,020 थी। उनमें से अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या 572 तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या 585 थी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अधिकारियों की ग्रामीण तथा शहरी पृष्ठभूमि से संबंधित सूचना राज्य सरकारों के माध्यम से एकत्रित की जा रही है है जिनसे लोक सभा के दिनांक 13-8.90 के प्रश्न सं. 940 के आश्वासन की पूर्ति में यह आंकड़े देने के लिए अनुरोध किया गया है। सूचना के लिए अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) चार महानगरों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है :

1.	दिल्ली	694
2.	मुंबई	166
3.	कलकत्ता	185
तथा 4.	मद्रास	189

विवरण

राज्य	कुल	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	भारतीय प्रशासनिक सेवा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	324	43	14

1	2	3	4
असम-मेघालय	203	6	33
बिहार	391	38	25
गुजरात	245	25	9
हरियाणा	2 2	35	2
हिमाचल प्रदेश	132	11	12
जम्मू और कश्मीर	98	8	4
कर्नाटक	260	37	9
केरल	168	24	6
मध्य प्रदेश	388	42	19
महाराष्ट्र	349	42	12
मणिपुर-त्रिपुरा	136	5	30
नागालैण्ड	51	—	21
उड़ीसा	207	20	6
पंजाब	193	30	1
राजस्थान	262	25	14
सिक्किम	42	3	14
तमिलनाडु	311	48	10
उत्तर प्रदेश	539	74	11
संघ राज्य क्षेत्र	302	24	18
पश्चिमी बंगाल	306	32	15
कुल	5020	572	285

दिल्ली नगर निगम/दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को बिना पारी के सरकारी आवास का आबंटन

1245. श्री हरि शंकर महाले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम/दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को बिना पारी के सरकारी आवास आवंटित किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है; और

(ग) जनवरी, 1990 से आज तक बिना पारी के कितने क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रशासन सरकारी आवास आवंटन (सामान्य-पूल) नियम, 1977 और समय-समय पर जारी आदेश जिसके तहत कर्मचारियों को आवास आवंटित किए जाते हैं, के टाईप-I और टाईप-II/क्वार्टर के अन्तर्गत मकान 5 प्रतिशत चिकित्सा आधार अथवा शारीरिक और विकलांग कर्मचारियों को तदर्थ आधार पर आवंटित किए जा सकते हैं। बाहर से दिल्ली में आने वाले अधिकारियों को भी पारी से पहले आवास आवंटित किए जाते हैं, प्रशासन के अन्य कर्मचारियों के पात्र मामलों में भी इस प्रकार के आवंटन किए जाते हैं।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि आयुक्त तथा निगम के प्राधिकृत अधिकारी को, चिकित्सा आधार पर पारी से पहले आवास आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। अन्य पात्र मामलों और अनुकम्पा आधार पर भी पारी से पहले आवास आवंटित किये जाते हैं।

(ग) इस अवधि के दौरान, दिल्ली प्रशासन द्वारा तदर्थ/पारी से पूर्व आधार पर 56 क्वार्टर और दिल्ली नगर निगम (सामान्य विंग) द्वारा पारी से पूर्व आधार पर 121 आवास आवंटित किए गए।

महाराष्ट्र में विभिन्न शहरों में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

1246. श्री हरी शंकर महाले : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन नगरों में से प्रत्येक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए अधिकारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) निम्नलिखित शहरों में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्या उनके सामने दी गई है।

मुंबई	166
पुणे	23
नासिक	9
नागपुर	14

(ख) वर्ष 1987, 1988 तथा 1989 में इन शहरों से चुने गए अधिकारियों की संख्या उम्मीदवारों के स्थायी पते तथा उनके जन्म स्थान के आधार पर नीचे दी गयी है।

	आवंटन वर्ष	मुंबई	पुणे	नासिक	नागपुर
(क) स्थायी पते	1987	1	शून्य	शून्य	1
द्वारा	1988	शून्य	1	1	2
	1989	2	1	शून्य	1
(ख) जन्म स्थान	1987	2	शून्य	शून्य	शून्य
स्थायी पते के	1988	शून्य	1	शून्य	1
सामने दर्शाए गए उम्मीदवारों को छोड़कर)	1989	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

1247. **श्री के. डी सुल्तानपुरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस जारी किए गए और ऐसे कितने लाइसेंस पिछले चौदह महीनों में जारी किए गए; और

(ख) उन लाइसेंसों का ब्योरा क्या है जिनके आधार पर उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं और शेष कितने लाइसेंसों के आधार पर उद्योगों की स्थापना की जानी है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन हिमाचल प्रदेश में "नए औद्योगिक उपक्रमों" की स्थापना के लिए सातवीं पचवर्षीय योजना अर्थात् अप्रैल, 1985 से मार्च, 1990 की अवधि के दौरान 20 औद्योगिक लाइसेंस और 90 आशय पत्र मंजूर किये गये थे और 14 महीनों में अर्थात नवम्बर, 1989 से दिसम्बर, 1990 तक की अवधि में 6 औद्योगिक लाइसेंस और 10 आशय पत्र मंजूर किए गए थे।

(ख) औद्योगिक लाइसेंसों की कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की निगरानी संबंधित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। इसलिए, वस्तुतः स्थापित उद्योगों की संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय से नहीं रखी जाती है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण

1248. **श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का कार्यकरण संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए उठाए गए प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या आयोग द्वारा धनराशि का दुरुपयोग किये जाने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार को धनराशि का दुरुपयोग करने के बारे में जैसे ही शिकायतें मिलती हैं तो तथ्यों का पता लगाने के लिए इन शिकायतों की जांच की जाती है और सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। इसके अलावा, आयोग को सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि के बारे में उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होता है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ

1246. श्री अमृतलाल वल्लभदास तारवाला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग के लगभग 5 प्रतिशत कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभों से वंचित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (खा.ग्रा.आ.) को नियमित स्थापनों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ मिलते हैं। किन्तु व्यापारिक स्थापनाओं के कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ नहीं मिलते चूंकि के.बी.आई.सी. एम्प्लाईज (पेंशन) रेग्यूलेशन, 1964 उन पर लागू नहीं होती। इसके कारण निम्नलिखित हैं।—

1. उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तें नियमित स्थापनाओं से भिन्न हैं।

2. व्यापारिक स्थापनाओं के खर्चे व्यापारिक लाभ से चलते हैं और सरकार उन्हें कोई बजट सहायता प्रदान नहीं करती है।

जिन कर्मचारियों को पेंशन संम्बन्धी कोई लाभ नहीं मिल रहा, इस समय उनकी संख्या 1002 है।

आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारियों के वेतनमान

1250. श्री अमृतलाल बल्लभदास तारवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को इस प्रकार के निर्देश जारी करने का है कि वे विभिन्न ट्रेडों में आई.टी.आई. प्रमाण-पत्र धारियों के लाभ के लिए न्यूनतम वेतन और वेतनमानों के चार्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो लोगों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या कारगर उपाय करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अधिनियम की अनुसूचों में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करने के लिए समुचित सरकार अर्थात केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करता है। न्यूनतम मजदूरी (के.) नियमावली, 1990 में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दरों के समुचित प्रकार के लिए पहले से ही प्रावधान है।

पुन: रोजगार में लगे रक्षा सेवाओं के अधिकारियों का वेतन

[अनुवाद]

1251. श्री मोरेश्वर साठे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुन: रोजगार में लगे रक्षा सेवाओं के अधिकारियों केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिये जाने वाले वेतनमानों के काफी विपरीत पुराने वेतनमानों पर आधारित तदर्थ वेतन का भुगतान किया जा रहा है,

(ख) क्या तदर्थ निर्धारित वेतन जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों वेतन से भी कम है;

(ग) क्या इनकी पेंशन में से कटौती संशोधित वेतनमानों के आधार पर की जा रही है, जिससे इन अधिकारियों को कठिनाई होती है; और

(घ) सरकार का पुन: रोजगार में लगे रक्षा सेवाओं के अधिकारियों के वेतन के सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सत्पित विजय सिंह) : (क) रक्षा सेवाओं में पुनर्नियोजित अधिकारियों को वेतन निर्धारण के पूर्व-संशोधित फार्मूला के आधार पर तब तक अदायगी की जाती रही जब तक कि वेतन संशोधन के आदेशों का अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ।

(ख) पुनर्नियोजित अधिकारियों की कुल परिलब्धियां, जिसमें पेंशन भी शामिल है, जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों के वेतन से कम नहीं है।

(ग) इन मामलों में वेतन से पेंशन की राशि कम करना स्वीकृत मानकों के अनुसार निर्धारित की गई है ताकि वेतन और पेंशन की राशि मिलाकर अफसर द्वारा आहुत अन्तिम वेतन की राशि से अधिक न हो।

(घ) पुनर्नियोजित अफसरों के वेतन के संबंध में संशोधित आदेश सरकार द्वारा 31.1.1997 को जारी किए गए। ये आदेश 1.1.1996 में लागू हैं।

सीमेंट का उत्पादन

1252. श्री मोरेश्वर सावे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उत्पादक कतिपय समस्याओं के कारण सीमेंट का उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सीमेंट उत्पादकों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सीमेंट उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों, विशेष तौर पर सीमेंट ग्रेड कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, कोयले तथा सीमेंट को ढोने के लिए पावर तथा रेलवे वैगनों की उपलब्धता, के बारे में सीमेंट उद्योग से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उद्योग को मूल-भूत सुविधाओं, विशेषकर कोयले और वैगनों की उपलब्धता के संबंध में, नियमित रूप से वाचोटरिंग की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों अभिकरणों के साथ सम्पर्क किया जाता है। ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए नियमित रूप से साप्ताहिक समन्वय बैठकें की जाती हैं।

(2) उद्योग और अलग-अलग एककों के साथ परामर्श करके उद्योग और अलग-अलग एककों के लिए सीमेंट के वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और

विकास आयुक्त, सीमेंट उद्योग के कार्यालय द्वारा वास्तविक कार्य-निष्पादन की कड़ी निगरानी की जाती है।

(3) सीमेंट की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने की योजनाओं को उदार दृष्टि से स्वीकृति की जा रही है।

(4) उत्पादकता बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के उन्नयन ऊर्जा संरक्षण उपकरणों की अधिष्ठापित आधुनिकीकरण और पुनस्थापना के लिए योजनायें शुरु करने के लिए उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जहां कहीं आवश्यक होता है प्रौद्योगिकी और पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है।

सन्त ज्ञानेश्वर पर दूरदर्शन धारावाहिक

1253. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संत ज्ञानेश्वर पर दूरदर्शन धारावाहिक के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई ने महान सन्त ज्ञानेश्वर द्वारा रचित 'ज्ञानेश्वरी' की सातवीं शताब्दी पर पर्याप्त ध्यान दिया है, और कई कार्यक्रम प्रसारित करने की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों में "ज्ञानेश्वरी" शताब्दी वर्ष के दौरान प्रसारण के लिए केन्द्र द्वारा अनुमोदित 70 मिनट का प्रायोजित कार्यक्रम तथा सन्त ज्ञानेश्वर की रचनाओं पर आधारित "कैवल्याचा पुतला" शीर्षक के अन्तर्गत दस भागों में 30-30 मिनट के संगीत कार्यक्रमों की शृंखला का प्रसारण भी शामिल है।

नए टी.वी.-ट्रांसमिशन केन्द्रों की स्थापना

1254. श्री गोपी नाथ मजूमदार।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल।

डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने-कितने कम शक्ति वाले और उच्च शक्ति वाले टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किये जायेंगे और किन-किन स्थानों पर; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1990 से सेवा के लिए चालू किए गए दूरदर्शन ट्रांसमीटरों और सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमों के रूप में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटरों के स्थल राज्यवार संलग्न-I में दिये गये हैं।

दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत 26 अल्प शक्ति और एक अति अल्प शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। इन ट्रांसमीटरों के स्थल राज्यवार संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं,

योजना आयोग द्वारा दूरदर्शन के आठवीं योजना आवंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए आठवीं योजना के एक अंग के रूप में स्थापित किए जाने वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का स्थल बताना सम्भव नहीं है।

विवरण-1

उ.श.ट्रा—उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

अ.श.ट्रा.—अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

अ.अ.श.ट्रा.—अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर

1. 1.4.90 से 3.3.91 के दौरान चालू ट्रांसमीटर

राज्य	ट्रांसमीटर
आंध्र प्रदेश	उ.श.ट्रां. (1 कि.वा.), अनन्तपुर
बिहार	उ.श.ट्रां. (10 कि.व.), कटिहार
जम्मू और कश्मीर	अ.अ.श.ट्रां., पदमा
	अ.अ.श.ट्रां. नयमा
	अ.अ.श.ट्रा., देसकिट
मध्यप्रदेश	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), ग्वालियर
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रां. (1 कि वा.), औरंगाबाद
राजस्थान	उ.श.ट्रा. सलम्बर
उत्तरप्रदेश	अ.श.ट्रा. हरिद्वार

2. सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमों के रूप में कार्यान्वयनाधीन ट्रांसमीटर

राज्य	ट्रांसमीटर	
आंध्रप्रदेश	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), अनन्तपुर	(शक्ति 1 कि.वा. से बढ़ाकर 10 कि. वा. की गई)
	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), तिरूपति	
बिहार	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), डाल्टनगंज	
गुजरात	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), भुज	
हिमाचल प्रदेश	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), शिमला	
	ट्रांसपाजर राजगढ़	
हरियाणा	हिसार (10 कि.वा.)	
जम्मू एवं कश्मीर	उ.श.ट्रां. (1 कि.वा.), लेह	
	अ.अ.श.ट्रां., किल्होट्रान	
	अ.अ.श.ट्रां., ड्रास	
	अ.अ.श.ट्रां., संकू	
	अ.अ.श.ट्रां., तिमसोग्रन	
	ट्रांसपोजर, नागरोटा	
	ट्रांसपोजर, सुरंकोट	
केरल	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), कालीकट	
कर्नाटक	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), धारवाड़	
	उ.श.ट्रां., (10 कि.वा.), शिमोगा	
मध्यप्रदेश	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), जबलपुर	
	उ.श.ट्रां. (1 कि.वा.), जगदलपुर	
महाराष्ट्र	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), अम्बाजोगई	
	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), औरंगाबाद	(शक्ति 1 कि.वा. से बढ़ाकर 10 कि.वा. की गई)
मणिपुर	उ.श.ट्रां. (1 कि.वा.), चुराचांदपुर	

मिजोरम	उ.श.ट्रां. (1 कि.वा.), सैलेई
नागालैंड	उ.श.ट्रां. (1 कि.वा.), मोकोकचुंग
	अ.अ.श.ट्रां., फेंक
उड़ीसा	अ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), भवानीपटना
पंजाब	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), फाजिल्का
राजस्थान	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), बाडमेर
	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), जैसलमेर
	उ.श.ट्रां. (10 कि.वा.), बूंदी
	उ.श.ट्रां., (1 कि.वा.), अनूपगढ़
सिक्किम	उ.श.ट्रां., (1 कि.वा.), गंगटोक
तमिलनाडु	उ.श.ट्रां. (.0 कि.वा.), रामेश्वरम
उत्तरप्रदेश	उ.श.ट्रां., (10 कि.वा.), बरेली
	अ.अ.श.ट्रां., मुनस्यारी
	ट्रांसपोजर, मसूरी
	ट्रांसपोजर, चुर्क
पश्चिम बंगाल	ट्रांसपोजर, टाइगर हिल

विवरण-2

दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत स्थापित किए जाने वाले अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों का स्थल

राज्य	स्थल
आंध्रप्रदेश	भीमावरम
	हिन्दुपुर
	जगितल
	कुप्पम

1	2
असम	गोलाघाट
	बोगाई गांव
	नार्थ लखीमपुर
बिहार	मुजफ्फरपुर
	हजारीबाग
	लोहारडगा
	गोड्डा
	औरंगाबाद
गुजरात	मोरबी
	खम्बात
कर्नाटक	मण्डया
	गंगावती
मध्यप्रदेश	कुंकडेश्वर*
महाराष्ट्र	खामगांव
	हिंगनघाट
	अकोट
उड़ीसा	पुरी
राजस्थान	सुजानगढ़
	गंगापुर
	श्रीडूंगरगढ़
तमिलनाडु	नागपत्तिनम
उत्तरप्रदेश	चौखुटिया
पश्चिमबंगाल	झारग्राम

*कुकडेश्वर में एक अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में कम शक्ति ट्रांसमिशन केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना

1255. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में कुछ कम शक्ति के ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में कौन-कौन से, कम शक्ति के ट्रांसमीटर केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या परलखमुंडी में स्थापित कम शक्ति के ट्रांसमीटर केन्द्र का भी दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां। इस संबंध में, उड़ीसा सरकार से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीम के रूप में, फिलहाल, भवानीपटना के अल्प शक्ति (100वा.) टी. वी. ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ा कर (10 कि. वा.) करने की योजना का कार्य अन्तिम चरणों में है। राज्य में टी. वी. ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का कार्य आठवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा में टी. वी. स्टूडियो

1256. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में अब तक कितने टी. वी. स्टूडियो स्थापित किये गये हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के संबलपुर और बरहमपुर में टी. वी. स्टूडियो स्थापित करने के प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) फिलहाल, उड़ीसा में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण की सुविधा कटक में उपलब्ध है। सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीम के रूप में, राज्य में भुवनेश्वर में एक पूर्ण विकसित स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम पर काम चल रहा है।

(ख) और (ग) इस समय, संबलपुर या बरहामपुर में दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण सुविधा स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

आठवीं योजना में रेडियो स्टेशनों की स्थापना

1257. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने रेडियो स्टेशनों की स्थापना की जानी है;

(ख) क्या उड़ीसा में कोई नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में ये नये रेडियो स्टेशन किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीम के भाग के रूप में राउरकेला, बोलनगीर, बरहामपुर तथा भवानी पटना में नये रेडियो स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं।

मणिपुर-नागालैंड सीमा-विवाद

1258. प्रो. एन. तोम्बी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर और नागालैंड राज्यों ने उनके बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के बारे में हस्तक्षेप और सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो कब और इस विवाद का स्वरूप क्या है; और

(ग) इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय : (क) से (ग) दोनों राज्यों के बीच की सीमा मान्यता प्राप्त है। तथापि अंतर्राज्यीय सीमा के दोनों ओर रह रहे लोगों के बीच कई बार भूमि विवाद हुए हैं जिसमें बलपूर्वक भूमि पर कब्जा करना शामिल है। ऐसे मामलों को दोनों राज्य सरकारों के अधिकारियों की संयुक्त मध्यस्थता द्वारा हल किया जाता है।

पुराने राज प्रासाद परिसरों को असैनिक अधिकारियों को सौंपना

1259. प्रो. एन. तोम्बी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जो पुराने राज प्रासाद परिसर असम राइफल्स के कब्जे में हैं उन्हें असैनिक अधिकारियों को सौंपने में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार लोगों को समय-समय पर यह आश्वासन देती रही है कि यह अन्तरण बिना किसी देरी के कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो असम राइफल्स मुख्यालय को उक्त भवन से कब तक अन्य स्थान पर ले जाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) दिए गए आश्वासन के अनुसार भारत सरकार ने कांगला फोर्ट क्षेत्र को राज्य सरकार को स्थानान्तरित करने का अनुमोदन किया है। सेना के नियंत्रण में विघटनकारी विरोधी अभियान चलाने के लिए कांगला फोर्ट पर असम राइफल्स का कब्जा है। हाल ही में मणिपुर सरकार ने असम राइफल्स को वैकल्पिक भूमि आवंटित की है। मणिपुर सरकार द्वारा भारी साधनों के लिए सम्पर्क सड़कों, बिजली तथा जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के बाद, कांगला फोर्ट से असम राइफल्स को स्थानान्तरित करने के लिए नए स्थान का विकास किया जाएगा। इसके बाद लगभग 18 महीनों के निर्धारित समय सीमा के भीतर अस्थायी आवास के निर्माण के लिए अल्पकालिक प्रयास किए जायेंगे।

मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए उद्योगों की वरीयता सूची

1260. श्री एन. तोम्बी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए उपयुक्त उद्योगों की वरीयता सूची सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन हेतु की थी जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी क्रियान्वित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या इन क्षेत्रों में कृषि आधारित और इलेक्ट्रानिक उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) इन राज्यों के लिए केन्द्र सरकार ने उद्योगों की प्राथमिकता सूची नहीं बनाई है। फिर भी, इन राज्यों ने अपनी औद्योगिक विकास योजनाओं के बारे में योजना आयोग से चर्चा की है जिसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति और आठवीं योजना में शामिल की जाने वाली स्कीमें सम्मिलित हैं।

नयी विकास केन्द्र योजना के अधीन मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में से प्रत्येक को एक-एक विकास केन्द्र आवंटित किया गया है मणिपुर और त्रिपुरा में विकास केन्द्र के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है विकास केन्द्र योजना का कार्यान्वयन सातवीं योजना की अवधि में शुरू किया जाएगा।

सरकार ने परिवहन राजसहायता योजना की वैधता अवधि भी बढ़ा दी है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक लागू रहेगी।

भारत-बर्मा सीमा को सील करना

1261. श्री एम. तीम्बी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से मणिपुर मिजोरम, नागालैंड क्षेत्र में भारत-बर्मा सीमा पर दोनों ओर से लोगों के स्वतंत्र रूप से आने जाने तथा सामान लाने ले जाने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से इस स्वतंत्र रूप से आवागमन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार भारत-बर्मा सीमा को सील करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) विदेश मंत्रालय द्वारा 1968 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पहाड़ी जनजातियों का प्रत्येक सदस्य, जो या तो भारत का अथवा बर्मा का नागरिक हो और भारत बर्मा सीमा के किसी भी तरफ 40 किलो मीटर क्षेत्र के अन्दर रहने वाला सामान्य निवासी हो, यदि उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ परमिट हो तो वह भारत से आ सकता है। भारत में आने के लिए भी गृह मंत्रालय द्वारा 1968 में ऐसे ही अनुदेश जारी किए गए थे। सीमा को सील करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कश्मीर में प्रोत्साहन पैकेज

1262. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 जनवरी, 1991 के इकानामिक टाइम्स में 'इंसेंटिव पैकेज इन कश्मीर फेल्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) जम्मू और कश्मीर सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पंजाब के लिए आर्थिक पैकेज

1263. श्री माधवराव सिंधिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा लोगों में विशेष रूप से पंजाब राज्य के युवाओं में पुनः विश्वास स्थापित करने और वहां पर लोकतांत्रिक सरकार की पुर्नस्थापना हेतु आधार तैयार करने के लिए तैयार किए गए आर्थिक पैकेज

के क्रियान्वयन में इतनी प्रगति हुई है और इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वास्तविक उपलब्धि क्या है और प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित कुल परिव्यय की तुलना में अब तक उस पर कितना खर्च किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : 5 अक्तूबर, 1990 को संसद में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पंजाब के लिए आर्थिक उपायों की घोषणा की थी। राज्य सरकार के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा सर्वाधिक रूप से की जा रही है। विस्तृत सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे. सी. एम.) प्रणाली का पुनरीक्षण

[हिन्दी]

1264. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं के निदान के लिये संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे. सी. एम.) की व्यवस्था कब से लागू है,

(ख) क्या इस व्यवस्था के पुनरीक्षण के लिए कोई कार्य दल गठित किया गया,

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन व संशोधन की मांग समय-समय पर की जाती रही है,

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त सलाहकार तंत्र (जे. सी. एम.) के पुनर्गठन तथा इसके अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा समयबद्ध चुनाव कराने के लिए कोई विधेयक लाने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं, और

(ङ) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक लाये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे. सी. एम.) तथा अनिवार्य विवाचन की व्यवस्था 1966 से कार्य कर रही है।

(ख) राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के अनुरोध पर संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे. सी. एम.) योजना की कार्य प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए सरकारी पक्ष तथा कर्मचारी पक्ष के सदस्यों वाली एक समिति गठित की गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए (ग) का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चूंकि यह योजना स्वैच्छिक स्वरूप की है, जिससे विभिन्न कर्मचारी यूनियनें/एसोसिएशनें तथा सरकार के प्रतिनिधि आपस में परस्पर सहमत होते हैं अतः संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जे. सी. एम.) योजना के पुनर्गठन के लिए कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के आकाशवाणी केन्द्रों की क्षमता बढ़ाना

[अनुवाद]

1265. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार के राज्य में आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी केन्द्र अल्मोड़ा की प्रसारण क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस केन्द्र द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को राज्य के अन्य केन्द्रों पर भी प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) चूंकि अल्मोड़ा शहर, एक पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए शहर में कार्यरत रेडियो ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाने से इसके कवरेज क्षेत्र में कोई पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी। अतः फिलहाल इसकी शक्ति को बढ़ाने से इसके कवरेज क्षेत्र में कोई पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी। अतः फिलहाल इसकी शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अल्मोड़ा के रेडियो स्टेशन को मौलिक रूप से अल्मोड़ा तथा इसके आस-पास के लोगों की सांस्कृतिक और संप्रेषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन योजना

[हिन्दी]

1266. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने लिये 25 प्रतिशत निवेश योजना पुनः शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्रोत्साहनों की कमी के कारण पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश प्रोत्साहन योजना, 1971 1.10.1988 से समाप्त कर दी गई है। तथापि, केन्द्र सरकार चुने हुए

पहाड़ी/अगम्य क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक परिवहन राजसहायता योजना चला रही है। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को भी विकास केन्द्र योजना के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा जिसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

विकासोन्मुख दीर्घकालिक नीति

[अनुवाद]

1267. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इण्डिया ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़वा देने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ समान समय वाली दीर्घकालीन विकासोन्मुख नीति बनाने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) विकासोन्मुख दीर्घकालीन नयी नीति की घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) एसोसिएटिड चम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने अपने पूर्व-बजट ज्ञापन (1991-92) में सरकार से आठवीं पंचवर्षीय योजना के साथ एक समान समय वाली नीति तैयार करने का अनुरोध किया है। एसोसिएशन द्वारा सुझाए गए सुझाव मुख्यतः निगमित क्षेत्र से संबंधित हैं।

(ख) और और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। दीर्घकालीन विकासोन्मुख नीति को योजना में समाविष्ट किया जा रहा है।

जम्मू व कश्मीर विधान सभा भवन पर राकेट से आक्रमण

1268. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 4 फरवरी, 1991 को जम्मू व कश्मीर विधान सभा भवन से एक रोकेट जा टकराया जिससे इस भवन की छत क्षतिग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और भवन को पहुंची क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार घाटी में उग्रवादियों/तोड़ फोड़ करने वालों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि उग्रवादियों ने ने पुराना सचिवालय हाल, श्रीनगर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कैम्प पर एक राकेट फैंका जो छत के ऊपर जाकर टकराया और उससे भवन की टीन की छत को मामूली रूप से क्षति पहुँची। इस

मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अनेक प्रशासनिक उपाय किए गए हैं, जिसमें नियंत्रण रेखा पर निगरानी तेज करना, संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना, आसूचना ढांचे को तेज करना, अर्धसैनिक बलों तथा राज्य पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना शामिल है।

खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए कानून

[हिन्दी]

1269. **श्री छेदी पासवान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिये कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) विलत में काफी समय से कृषि कर्मकारों के लिये एक केन्द्रीय विधान बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। हाल ही में कृषि कर्मकारों के कल्याण के लिये एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने के मामले पर भारतीय श्रम सम्मेलन, राज्य श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन इत्यादि सहित विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया गया था। इन सम्मेलनों/संगोष्ठियों इत्यादि में दिए गये सुझावों/सिफारिशों के आधार पर सरकार जल्दी ही संसद में एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है। तथापि इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना है।

देश में अनाथालय

1270. **श्री छेदी पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान देश में अनाथालयों की स्थिति में सुधार लाने के लिये कितनी धनराशि रखी गई है;

(ख) क्या इस धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) 1990-91 के दौरान देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण की योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित, अनाथ आदि बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को राज्य सरकारों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार लागत को राज्य सरकार के साथ बांट लेती है।

(ख) जी, हां, राज्य सरकारों द्वारा आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। भारत सरकार के अधिकारी भी संस्थाओं का दौरा करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग

1271. श्री छेदी पासवान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का विचार देश में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिये सफाई कर्मचारियों हेतु कोई राष्ट्रीय आयोग गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक गठित किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमैन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती पर प्रतिबन्ध

[अनुवाद]

1272. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी। क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती पर कोई प्रतिबन्ध लागू है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नई भर्ती कब तक चालू होने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमले मोरारका) : (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को व्यय कम करने तथा नए पदों के सृजन/रिक्तियों को करने के सम्बन्ध में किफायत बरतने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

आयुध कम्पनियों की उत्पादन क्षमता

1273. श्री युसुफ बेग।

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कम्पनियों की उत्पादन क्षमता पिछले एक साल या उसके आस-पास से धीरे-धीरे कम की जा रही रही है और इसका उपयोग नहीं हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है,

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के कार्य क्षेत्र और उनकी पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और विशेष रूप से सुपरवाइजर (टेक्नीकल) से लेकर फोरमैन तक के पदों की श्रेणी में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है,

(घ) क्या अधिकांश फैक्टरियों का प्रबंधन गैर-सरकारी व्यापार के संसाधनों से अपना कार्य पूरा करवा रहे हैं, और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्यों का ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। सेनाओं द्वारा स्थापित मदों का उपयोग कम करने के परिणामस्वरूप कुछ फैक्टरियों में काम कुछ घट गया है। यह प्रयत्न किये जा रहे हैं कि वैकल्पिक काम प्राप्त करके कर्मचारियों की अतिरिक्त क्षमता का यथासंभव उपयोग किया जाए।

(ग) जी, नहीं। सुपरवाइजर (तकनीकी) से लेकर फोरमैन तक के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) और (ङ) फैक्टरियों में उपलब्ध क्षमताओं का उपयोग करने के बाद सिविल क्षेत्र में उपलब्ध राष्ट्रीय औद्योगिक आधारभूत संरचना और क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से कुछ मदें/कार्य सिविल क्षेत्र के जरिए प्राप्त/निष्पादित की जा रही है।

अग्नि प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण पर रोक

1274. श्री अम्बारासु इरा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के बीच गत दो वर्षों के दौरान भारत द्वारा अग्नि प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अग्नि प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण, तैनाती और परीक्षण बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अग्नि परियोजना रि-एन्ट्री तकनालाजियों का विकास करने के लिए एक तकनालाजी प्रदर्शनात्मक परियोजना है और एक हथियार प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रक्षेपास्त्र के रूप में लड़ाकू वाहन का निर्माण करने और उसका नियोजन करने पर जोर नहीं दिया गया है।

राजस्थान में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1275. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित कुछ प्रस्ताव भेजे थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत और उसकी क्षमता कितनी है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) केवल सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 1033.15 करोड़ रुपए तथा क्षमता 2—250 मे. वा. है, की साध्यता रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई है, जिसकी अभी प्रतीक्षा है। योजना आयोग द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर निवेश का निर्णय किए जाने पर विचार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिए जाने के बाद ही किया जा सकता है। इस परियोजना के लिए आठवीं योजना परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

30 मेगावाट की सौर ताप विद्युत परियोजना गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रस्तुत की गई थी। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रस्तुत की गई थी। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा गठित कार्यदल ने प्रस्ताव का परीक्षण किया और उसमें कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग ने राज्य सरकार से प्रस्ताव में कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार संशोधन करने के लिए कहा है। योजना आयोग द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर केन्द्रीय योजना धनराशि का प्रावधान करने के लिए विचार रखे गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत द्वारा परीक्षित और प्रस्तुत किए जाने के बाद ही किया जा सकता है।

मेघालय और असम की जेलों में विदेशी नागरिक

1276. श्री मन्नू थापा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक बिना किसी विचारण के मेघालय और असम की जेलों में बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

सिक्किम में मेंशिथांग में सेना द्वारा भूमि पर कब्जा करना

1277. श्री नन्दु थापा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सिक्किम में मेंशिथाग में सेना ने बिना अधिग्रहण और मांग के रक्षा तैयारी के बहाने वन तथा गैर-सरकारी भूमि पर कब्जा लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेना ने वन और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लिए बिना इस भूमि को अपने अधिकार में लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सेना ने अपनी वास्तविक संक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मई, 1989 में उत्तरी सिक्किम में 141.51 एकड़ वन भूमि और 57.59 एकड़ निजी भूमि अपने कब्जे में ली।

(ख) यह भूमि राज्य सरकार की सहमति ले ली गई थी। राज्य सरकार ने रक्षा प्रयोजनों के लिए वन भूमि सेना को अंतरित करने की पर्यावरण और वन मंत्रालय से सिफारिश की थी।

(ग) भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए उसे कब्जे में लिया गया है।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त व्यक्ति

[हिन्दी]

1278. डा. चिन्ता मोहन :

श्री आर. एन. रकेश :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 1990 के दौरान राज्य-वार कितने युवकों ने रोजगार प्राप्त किया और इनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के थे ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : 1990 के दौरान देश के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गयी नियुक्तियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई रोजगार चाहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियों तथा समस्त श्रेणियों की नियुक्तियों सम्बन्धी अद्यतन उपलब्ध राज्यवार सूचना भी विवरण में दी गई है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की संख्या

नि यु क्ति यां

जनवरी— जून, 1990

राज्य संघ शासित प्रदेश	1990 सभी उम्मीदवार	सभी उम्मीदवार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	18.3	10.3	1.2	0.5
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
3. असम	4.8	2.2	0.1	0.3
4. बिहार	16.1	11.5	1.0	2.8
5. गोवा	0.8	0.6	@	—
6. गुजरात	16.2	9.3	1.1	2.9
7. हरियाणा	7.1	3.6	0.7	—
8. हिमाचल प्रदेश	6.1	3.6	0.5	0.1
9. जम्मू और कश्मीर	0.5	0.2	@	—
10. कर्नाटक	8.2	5.5	1.1	0.3
11. केरल	15.4	8.1	0.7	0.1
12. मध्य प्रदेश	21.3	14.4	2.3	3.5
13. महाराष्ट्र	27.9	11.7	2.6	1.4
14. मणिपुर	0.3	0.1	@	@
15. मेघालय	0.6	0.3	@	0.2
16. मिजोरम	1.0	0.3	—	0.3
17. नागालैंड	0.4	0.2	—	0.1

1	2	3	4	5
18. उड़ीसा	12.3	6.5	0.9	1.2
19. पंजाब	4.8	1.9	0.6	—
20. राजस्थान	7.6	4.3	0.5	0,4
21. सिक्किम ×				
22. तमिलनाडु	40.2	24.2	4.3	0.1
32. त्रिपुरा	0 8	0.4	—	—
24. उत्तर प्रदेश	19.0	11.1	2.8	0.1
25. पश्चिम बंगाल	9.1	4.2	0.6	0.2
संघ शासित प्रदेश				
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.7	0.3	—	@
2. चंडीगढ़	1.3	0.7	0.2	@
3. दादर और नगर हवेली	—	—	—	—
4. दिल्ली	2.34	13.2	0.6	0.2
5. दमन और द्वीव × ×				
6. लक्षद्वीप	0.2	0.1		
7. पांडिचेरी	0.3	0.2	@	@
योग :	264.5	149.0	21.9	13.8

टिप्पणी : 1. × कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. × × आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

3. हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े जोड़ के साथ मेल न खाएं।

4. @ आंकड़े 50 से कम हैं।

5. — शून्य।

खादी और ग्रामोद्योग कर्मचारियों की मांग

1279. डा. चिन्तामोहन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी ग्रामोद्योग के श्रमिकों के प्रतिनिधियों की ओर से श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी रख जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर

1280. डा. चिन्ता मोहन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जनवरी, 1991 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में 'डो. एस. टी. क्रिएटस 5,000 जोब्स इन रूरल इण्डिया' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वर्ष 1990-91 के दौरान रोजगार के 10,000 नए अवसर पैदा करने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार प्रस्तावित कार्यक्रम को देश के अन्य भागों से भी शुरू करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करना' नामक एक स्कीम राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृति विकास बोर्ड के तत्वावधान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अप्रैल, 1990 में शुरू की गई थी। वर्ष 1990-91 के लिए रोजगार के 10,000 नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने की योजना को दो कार्यसमितियों के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है अर्थात (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यक्तियों द्वारा नए औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के माध्यम से नौकरियों का सजन और (ख) विभिन्न व्यवसायों में कौशल विकास प्रशिक्षण देकर नौकरियों का सजन। इस स्कीम के अंतर्गत अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कुछ मामलों में देश के विभिन्न भागों में कुछेक कार्यक्रम चल रहे हैं। इस वर्ष के दौरान इस स्कीम के माध्यम से अब तक 907। रोजगार सृजित किए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में बिक्री कर संबंधी छापे

[अनुवाद]

1281. श्री नन्द लाल मीणा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) गत 12 महीनों में बिक्री कर विभाग द्वारा दिल्ली में कितने छापे मारे गये और उनका निष्कर्ष क्या रहा; और

(ख) दिल्ली में बिक्री कर की अपवंचना को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये;

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पिछले 12 महीनों (फरवरी, 1990 से जनवरी 19,0 से जनवरी तक) के दौरान बिक्री कर विभाग दिल्ली में 2447 छापे मारे। 182 मामलों में अभिशंसी दस्तावेज जब्त किए गए/सौंप दिए गए।

(ख) बिक्री कर विभाग, दिल्ली की प्रवर्तन विभाग ने आकस्मिक जांच की गई/छापे मारे गए;

(I) उन डीलरों पर जो प्राय: अपने व्यवसाय के स्थान में परिवर्तन करते रहते हैं;

(II) नये रजिस्टर्ड डीलरों पर जो पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उन गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं जिससे राजस्व का नुकसान होता है।

(III) ऐसे डीलरों पर जिनकी शिकायतें मिली हैं, और

(IV) ऐसे डीलरों पर जिसने प्रतिकूल सामग्री एकत्रित की है।

आई. ए. एस. अधिकारियों का विभिन्न अपराधों में हाथ

1282. श्री नन्दलाल मीणा :

श्री गंगाचरण लोधी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने आई ए एस अधिकारियों को दहेज लेने/तंग करने के कारण पति/पत्नी की मृत्यु, बलात्कार करने, शादियां करने, कोष का दुरुपयोग करने, आर्थिक अपराधों और शक्ति दुरुपयोग के लिए दोषी पाया गया है,

(ख) इनमें से प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) उनके विरुद्ध लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली दूरदर्शन द्वारा शनिवार को हिन्दी फिल्मों का प्रसारण

1283. श्री एच सी कान्तय्या : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिन्दी फिल्मों का प्रसारण रविवार के स्थान पर शनिवार को करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परिवर्तन से विज्ञापनों से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो पहले कितना राजस्व प्राप्त होता था और शनिवार को फिल्म प्रसारण के बाद कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है; और

(घ) क्या हिन्दी फिल्मों को पुन: रविवार को ही प्रसारित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) । (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हिन्दी फीचर फिल्मों के साथ प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की बुकिंग की प्रवृत्ति इस परिवर्तन से पूर्व जैसी ही है।

(घ) जी, नहीं।

बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की योजना

1284. श्री प्रकाश कोको बहुगुणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर 1/3 क्षेत्र को हराभरा करने और लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु कोई योजना तैयार की है जैसाकि दिनांक 6 फरवरी के फाइनेन्सियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है,

(ख) क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) एक-तिहाई भू-भाग को वनों के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता के विषय में 1988 में भारत सरकार की राष्ट्रीय वन नीति के संकल्प में कहा गया है। एक-तिहाई भू भाग को हरित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने की नई नीतियों के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

(ख) जी नहीं। इसका अनुसरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से परामर्श करने के बाद औपचारिक निर्णयों के अनुसार करना होगा।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

देश में हो रहे बम-विस्फोट

1285. श्री प्रकाश कोको ब्रह्ममटट : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को विभिन्नों राज्यों में, जनवरी 1991 के दौरान पुनः बम-विस्फोटों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां तो उन राज्यों के नाम क्या है जहां पर इस अवधि में बम-विस्फोट हुए, और विस्फोटों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

(ग) संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत 'लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अतः कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों की है। फिर भी केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखती है और स्थिति की निरन्तर समीक्षा और प्रवेक्षण करती रहती है जब कभी आवश्यक होता है तो राज्य सरकार को उपयुक्त सहायता दी जाती है। अतः इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है।

नए पर्वतीय क्षेत्रों पर विशेषज्ञ-दल

1286. श्री जे. चोक्का राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु नए पर्वतीय क्षेत्रों के सीमांकन के लिए मई, 1986 में गठित विशेषज्ञ-दल की रिपोर्ट की जांच पड़ताल पूरी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ-दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ-दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका)। (क) से (ग) रिपोर्ट विचाराधीन है।

भारतीय प्रशासनिक सेवाभारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की केन्द्र में प्रतिनियुक्ति

1287. श्री बे. चोक्का राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारी प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से केन्द्र में सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : वर्ष 1990 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल 195 अधिकारी तथा भारतीय पुलिस सेवा के 69 अधिकारी विभिन्न राज्यों से केन्द्र में प्रति नियुक्ति पर आए। इन अधिकारियों के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1990 के दौरान केन्द्र में सेवा के लिए राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर आए भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के राज्य-वार वितरण को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकरियों की संख्या	भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	10	1
असम-मेघालय	12	2
बिहार	17	7
गुजरात	6	5
हरियाणा	77	2
हिमाचल प्रदेश	5	4
जम्मू व कश्मीर	4	2
कर्नाटक	11	2
केरल	7	3
मध्य प्रदेश	9	7

1	2	3
महाराष्ट्र	23	3
मणिपुर-त्रिपुरा	9	4
नागालैण्ड	1	—
उड़ीसा	11	6
पंजाब	4	3
राजस्थान	5	4
सिक्किम	1	—
तमिलनाडु	13	4
उत्तर प्रदेश	17	4
संघ राज्य क्षेत्र	10	3
पश्चिम बंगाल	13	3
कुल	195	69

ईश्वरी प्रसाद समिति

हिन्दी]

1288. **श्री शिवशरण वर्मा :**

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री खेमचन्द भाई सोमाभाई चावड़ा :

श्री सुखेन्द्र सिंह ।

श्री कैलाश मेघवाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईश्वरी प्रसाद समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों की प्रमुख विशेषतायें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन की जांच कर ली है;

(घ) सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या समिति ने पत्रकारों के लिए जोखिम की भरपाई करने की सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा चिकित्सा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत तथा समयोपरि भत्ते से सम्बन्धित मामलों के बारे में हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने सिफारिशों को संशोधित करने के लिए उच्च अधिकारियों की एक अन्तर मंत्री वर्गीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। जब कभी भी संभव होगा इन्हें लिए गए निर्णयों के साथ-साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

(ङ) और (च) समिति ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में वैकल्पिक रूप से कुछ संशोधन करने के लिए सुझाव दिए हैं।

भारतीय सूचना सेवा में प्रवेश

1189. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सूचना सेवा में किस तारीख से प्रवेश आरम्भ किया था और अब तक कितने अधिकारियों को प्रवेश दिया गया है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस तरह की प्रविष्टि के क्या कारण हैं तथा विभिन्न श्रेणियों में कितने अधिकारियों को शामिल किया गया है;

(ग) इन अधिकारियों को किस तारीख से वरिष्ठता दी गई है और विभिन्न मामलों में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(घ) इस सेवा में पहले से नियुक्त किए गए अधिकारियों पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या प्रवेश पाने वाले अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करते समय कोई मान्य ठोस प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) पदों और पदधारितों को शामिल करने/अलग करने का प्रावधान 7 जनवरी, 1967 के संशोधन द्वारा, केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, 1959 में समाविष्ट किया गया था। इसे 3

जुलाई, 1971 को पहली बार लागू किया गया। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अब तक 221 अधिकारियों को इस सेवा में सम्मिलित किया गया है।

(ख) भारतीय सूचना सेवा में अब तक की गई प्रविष्टियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। समान दायित्व वाले अलग-अलग पड़े पदों को एकीकृत करने और ऐसे पदों के पदधारियों हेतु अच्छा व्यावसायिक भविष्य प्रदान करने की सरकार की नीति के अन्तर्गत प्रविष्टियां की गई।

(ग) केन्द्रीय सूचना सेवा नियमों में जिन अधिकारियों को प्रवेश दिया जाता है उनकी वरिष्ठता कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जाती है। ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) सभी प्रविष्ट अधिकारी अपने पदों सहित भारतीय सूचना सेवा के समतुल्य ग्रेडों में सम्मिलित हुए हैं।

(ङ.) जी हां।

(च) सामान्य तौर पर अपनाए गए मानदण्डों का उल्लेख प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में किया गया है।

विवरण-I

वर्ष	पदनाम	जिस ग्रेड में सम्मिलित किया गया	पदधारियों की संख्या
1	2	3	4
3.7.1971	उप निदेशक, जनसम्पर्क, रक्षा मंत्रालय	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनमान/वरिष्ठ वेतनमान)	2
	जनसंपर्क अधिकारी, रक्षा मंत्रालय	ग्रेड-I (इस समय भारतीय सूचना सेवा, समूह "क" का वरिष्ठ ग्रेड)	7
	संपादक, सैनिक समाचार, रक्षा मंत्रालय	ग्रेड-I (इस समय भारतीय सूचना सेवा, समूह "क" का वरिष्ठ ग्रेड)	1
	उप-संपादक, जनसंपर्क, निदेशालय (रक्षा)	ग्रेड-4 (इस समय भारती सूचना सेवा, समूह "क" का वरिष्ठ ग्रेड)	19
	मानिटर्स (भारतीय भाषाएं), आकाशवाणी।	—तथैव—	20
1978	उप-संपादक सम्पूर्ण गांधी वांडमय, प्रकाशन विभाग	—तथैव—	23
	उप-संपादक, आकाशवाणी, श्रीनगर	—तथैव—	6

	सहायक संपादक, संपूर्ण गांधी वांड्मय प्रकाशन विभाग	ग्रेड-III (इस समय भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का वरिष्ठ ग्रेड)	15
	संपादक, संपूर्ण गांधी वांड्मय, प्रकाशन विभाग	ग्रेड-I (इस समय भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का वरिष्ठ ग्रेड)	6
1981	संपादक, भारतीय पुलिस पत्रिका गृह मंत्रालय	ग्रेड-III (इस समय भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का वरिष्ठ ग्रेड)	कोई पदधारी नहीं है
	माध्यम प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	—तथैव—
	मुख्य संपादक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	—तथैव—	—तथैव—
	अभियान अधिकारी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	ग्रेड-I (एक पद)	—तथैव—
	निदेषक (बो. एल.) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एक पद)	—तथैव—
1986	प्रदर्शनी सहायक, वि. दृ. प्र. निदेशालय	भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का कनिष्ठ ग्रेड	33
	क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का वरिष्ठ ग्रेड	34

1	2	3	4
	सहायक निदेशक (प्रचार) नागरिक आपूर्ति विभाग	भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का कनिष्ठ ग्रेड	1
	प्रचार अधिकारी, पुलिस अनुसंधान ब्यूरो	भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" में वरिष्ठ ग्रेड	1
	प्रदर्शनी निरीक्षक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	भारतीय सूचना सेवा, समूह "क" का वरिष्ठ ग्रेड	5
	सूचना अधिकारी, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, गृह मंत्रालय	भारतीय सूचना सेवा, समूह "क" का वरिष्ठ ग्रेड	1
	जनसंपर्क अधिकारी; केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल	—तथैव—	1
1989	मानिटर्स, केन्द्रीय मानिटरिंग सेवा, आकाशवाणी।	भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ख' का कनिष्ठ ग्रेड	24
	सहायक संपादक (समाचार रिपोर्टिंग), आकाशवाणी	भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का कनिष्ठ ग्रेड	111
	सहायक संपादक (समाचार) आकाशवाणी	भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का वरिष्ठ ग्रेड	8

संपादक (समाचार), आकाशवाणी	भारतीय सूचना सेवा, समूह "ख" का वरिष्ठ ग्रेड	3
	कुल	221

विवरण-2

इस प्रकार के अधिकारियों को दी गई वरिष्ठता की तारीख तथा विभिन्न मामलों के लिए अपनाया गया मानदण्ड	
	"प्रविष्ट किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता, समतुल्य ग्रेड में उनकी नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अनुसार नियत की जाती है :—
	(1) केन्द्रीय सूचना सेवा में प्रविष्टि से पहले उनको पूर्व ग्रेड में परस्पर वरिष्ठता बरकरार रखी जाती है;
	(2) वे व्यक्ति, जिनका चयन पहले हुआ है, वे अपने से बाद में चुने गए व्यक्तियों से वरिष्ठ माने जाएंगे।"

कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालय

[अनुवाद]

1290 श्री एम वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कितने औषधालय हैं और इनमें से कितने बिना उपयुक्त औषधियों के ही चल रहे हैं;

(ख) क्या औद्योगिक श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों से, जो चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों में न्यूनतम सेवा न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालयों/अस्पतालों की सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) कर्नाटक सरकार के अनुसार, जो राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-भाल के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है, राज्य के सभी 115 औषधालय जिनमें दो आयुर्वेदिक औषधालय भी शामिल हैं समुचित दवाइयों के साथ काम कर रहे हैं।

(ख) इस बारे में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सेवाओं में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से समय समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिक्त पदों को भरें और दवाइयों की नियमित पूर्ति को सुनिश्चित करें।

"डिस्क एन्टिना" स्थापित करने की बंधता

1291. श्रीमती उमा गजपति राजू : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केवल समाचार नेटवर्क और अन्य देशों से प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रमों को देखने हेतु "उपग्रह डिस्क एन्टिना" स्थापित करने की कानूनी बैधता की जांच करने हेतु किसी समिति की नियुक्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ख) देश में केवल टी. वी. नेटवर्क तथा डिश एंटिना प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और सरकार के विचारार्थ उपयुक्त सिफारिश करने के लिए

सरकार द्वारा एक अन्तर-विभागीय समिति गठित की गयी थी। संकल्प की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। जिसके तहत समिति का गठन किया गया है। समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग I, खंड 1 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 1501/10/89-टी.वी.।

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

——

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून, 1989

संकल्प

देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क तथा डिश एंटिना प्रणाली की स्थापना करने से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और इस संदर्भ में उपयुक्त सिफारिशें करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा तत्काल निम्नलिखित अधिकारियों की एक अन्तर-विभागीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है :—

(1) संयुक्त सचिव (प्रसारण) —अध्यक्ष
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(2) संयुक्त सचिव (फिल्म), —सदस्य
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(3) संयुक्त सचिव, —सदस्य
संस्कृति विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(4) संयुक्त सचिव —सदस्य
इलैक्ट्रानिकी विभाग

(5) संयुक्त सचिव —सदस्य
विदेश मंत्रालय

(6) अंतरिक्ष विभाग का एक प्रतिनिधि —सदस्य

(7) वायरलैस सलाहकार (डब्ल्यू. पी. सी. विंग) —सदस्य
संचार मंत्रालय

(8) उप महानिदेशक (सी.एस. 2) —सदस्य
दूर संचार विभाग

(9) मुख्य अभियन्ता, —सदस्य/संयोजक
दूरदर्शन महानिदेशालय

2. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(एक) इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क और डिश एंटिना प्रणाली का और अधिक विनियमित विकास करने की कोई आवश्यकता है अथवा नहीं और यदि हां, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान कानूनों में क्या कोई त्रुटि हैं और स्थिति को कैसे सुदृढ़ और अधिक कारगर बनाया जा सकता है;

(दो) इस बात की वांछनीयता पर या अन्यथा विचार करना कि क्या विदेशी उपग्रहों तथा पहुंच वाली केबल नेटवर्किंग सहित या उसके रहित, डिश एंटिना प्रणालियां स्थापित की जानी चाहिए;

(तीन) सरकारी/अर्ध सरकारी/स्वायत्त निकायों को उनमें कार्यरत विदेशी विशेषज्ञों के नाम के लिए, विदेशी उपग्रहो से टी. वी. सिगनल प्राप्त करने हेतु डिश एंटिना प्रणालियां स्थापित करने की अनुमति देना; और

(चार) किसी अन्य प्रासंगिक या सम्बन्धित मामले में अध्ययन करना और सिफारिशें करना।

यह समिति फिल्म उद्योग, केबल टी.वी नेटवर्क मालिकों आदि जैसे विभिन्न सम्बद्ध समूहों के मुद्दों पर भी विचार करेगी।

यदि आवश्यक हो तो समिति सदस्यों को सहयोजित कर सकती है।

3. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और इसकी आवश्यकतानुसार बैठकें बुलाई जाएंगी।

4. समिति शीघ्रातिशीघ्र परन्तु अपनी प्रथम बैठक की तारीख से छः माह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

5. समिति स्वयं अपनी कार्य प्रणाली तैयार करेगी।

ह/-

(र. च. सिनहा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजा दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह/-
(र.च. सिनहा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन : 384785

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "तड़क धम धम" वीडियो धारावाहिक की स्वीकृति

1392. श्री पी. एम. सईद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गत तीन महीनों में जिन वीडियो धारावाहिकों को सेंसर प्रमाण पत्र देने से इंकार किया गया गया है, उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या "तड़क धम धम" शीर्षक वाले एक वीडियो धारावाहिक को भी स्वीकृति नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या फिल्म के निर्माता द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध सेंसर अपील न्यायाधिकरण में अपील दायर की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ङ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के दिल्ली स्थित प्रादेशिक कार्यालय द्वारा "तड़क धम-धम" नामक एक वीडियो धारावाहिक को प्रमाणपत्र देने से इन्कार किया गया था क्योंकि जिन सदस्यों ने इस फिल्म को देखा उन्होंने यह पाया कि चलचित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जारी कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्तों का इस धारावाहिक ने उल्लंघन किया है।

आवेदक द्वारा दायर अपील के आधार पर फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण ने एक के मुकाबले दो मतों से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को निर्देश दिया कि इसे अनिबंधित (यू)

प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाए। तदनुसार इस वीडियो फिल्म को बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र दे दिया गया है।

प्रसार भारती में नियुक्तियां

[हिन्दी]

1293. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 31 मार्च, 1991 तक प्रसार भारती निगम की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रसार भारती निगम के चेयरमैन तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कब किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (ग) प्रसार भारती की स्थापना से सम्बद्ध तारीख को औपचारिक रूप से अधिसूचित करने से पहले, सभी पक्षों से परामर्श करना जरूरी समझा गया है, ताकि विशेष रूप से वर्तमान घटनाओं के सन्दर्भ में, यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी स्थापना राष्ट्रीय हित में है। अत: निगम की स्थापना, अथवा इसके अध्यक्ष और बोर्ड के अन्य सदस्यों की नियुक्ति की निश्चित समय-सीमा बताना कठिन है।

समाचारपत्रों के विकास की क्षमता

[अनुवाद]

1294. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समाचारपत्रों के विकास की क्षमता निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन और इसके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है;

(ग) देश में समाचारपत्रों के वयस्क पाठकों के बारे में निकाले गए निष्कर्षों का ब्योरा क्या है; और

(घ) केरल में समाचारपत्र और समाचार पत्रिकाओं के वयस्क पाठक कितने प्रतिशत हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : देश में समाचार पत्रों के विकास के बारे में सरकार ने हाल ही में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(क) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

औद्योगिक विकास केन्द्रों का विकास

1295. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कन्नानोर और अलेप्पी जिलों में औद्योगिक विकास केन्द्रों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने/शुरू करने हेतु आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने इन विकास केन्द्रों की स्थापना में सहायता करने में कोई कार्यवाही शुरू कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने विकास केन्द्रों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य/केन्द्र शासित सरकारों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत् मूल्यांकन और अनुमोदन किया जायेगा उसके बाद राशि आवंटित की जायेगी। चालू वित्त वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिए बजट आवंटन कर दिया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन 8वीं योजना के दौरान करने का प्रस्ताव है। केरल सरकार ने विकास केन्द्रों के लिए परियोजना रिपोर्टें अभी प्रस्तुत नहीं की हैं।

बिहार में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना

[हिन्दी]

1296. श्री तेज नारायण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने इलेक्ट्रानिकी उद्योग हैं और उनमें विनिर्मित होने वाली मदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1990-91 में बिहार में कुछ और इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) बिहार राज्य में 18 इकाइयां इलेक्ट्रानिक वस्तुओं अर्थात माइका कैपेसिटरों, सिरेमिक डिस्क कैपेसिटरों, उपभोक्ता वस्तुओं, यंत्रीकरण तथा औद्योगिक इलेक्ट्रानिकी और सचार उपस्करों का विनिर्माण कर रही है।

(ख) जी, नहीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र के सभी अनुमति प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में पूरे देश में इलेक्ट्रानिकी उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। सम्बन्धित राज्य सरकार सुविधाएं प्रदान करती है तथा राज्य में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए अनुकूल

वातावरण तैयार करती है। इलेक्ट्रानिकी किसी आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा अनुमोदनों जैसे मामलों की प्रगति पर निगरानी रखता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग

1297. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग को एक स्थाई निकाय बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है;

(ग) इस आयोग से ग्रामीण श्रमिकों को कितनी सहायता किए जाने की आशा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री और कोयला मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राजो लाल सुमन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उद्यमों संबंधी स्थाई सम्मेलन (स्कोप) द्वारा सुझाये गये मूलभूत सुधार

[अनुवाद]

1298 **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :**

श्री आनन्द सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों संबंधी स्थाई सम्मेलन ("स्कोप") ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण में सुधार करने हेतु एकमुश्त मूलभूत सुधारों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी उद्यमों के स्वायी सम्मेलन द्वारा किए गए सुझाव इस प्रकार हैं :

(i) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य तकनीकी परीक्षक आदि के अधिकार क्षेत्र से हटाना।

(ii) सरकारी उद्यमों के शीर्ष कार्यपालकों को तत्काल आमेलन (अबसॉर्वशन) के आधार पर नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में तत्काल आमेलन के नियमों का सख्त अनुपालन करना।

(iii) सरकारी उद्यम विभाग को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित विविध मुद्दों पर प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दिए गए सरकारी निदेशों एवं अनुदेशों के कार्यान्वयन का परिवीक्षण करना चाहिए।

(iv) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में नियुक्ति के लिए एक मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन करना।

(v) सरकारी उद्यम चयन मण्डल (पी.इ.एस.बी.) को सरकारी उद्यम विभाग से सम्बद्ध करना।

(vi) कार्यकारी निदेशकों का चयन सम्बद्ध मुख्य कार्यपालक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा करना।

(vii) निदेशों एवं मार्गनिर्देशों की संख्या को नियन्त्रित करना, सभी अनुदेश सरकारी उद्यम विभाग द्वारा जारी किए जाएं।

(viii) प्रबन्धन मंडल को आन्तरिक स्रोत से जुटाए गए संसाधनों के निवेश के संबंध में निर्णय करने का अधिकार किया जाना चाहिए।

(ix) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शेयर आम जनता के साथ-साथ कर्मचारियों को दिए जाने चाहिए ताकि सरकारी नियन्त्रण को पचास प्रतिशत से कम किया जा सके।

(x) गोल्डेन हैण्ड-शेक योजना को लागू करना, समझौता ज्ञापन पद्धति को सुदृढ़ करना तथा धारक कम्पनियों का गठन करना आदि।

(ग) इन सुझावों पर सरकार विचार कर रही है।

शास्त्री भवन पर "डिस्क एन्टिना" की स्थापना

1299. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल समाचार नेटवर्क द्वारा खाड़ी युद्ध के समाचार देखने हेतु केवल शास्त्री भवन नई दिल्ली पर एक "डिस्क एन्टिना" की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या विशिष्ट कारण हैं और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है और इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने 5 डिस-ऐंटेना प्रणालियों की सप्लाई के लिए आर्डर दिए हैं जिनमें से एक को अनुवीक्षण प्रयोजन के लिए शास्त्री भवन, नई दिल्ली पर लगाया गया है। इस पर 1,69,936 रुपए की लागत आई है।

दिल्ली में अपराध

1300. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गत छह महीनों के दौरान दुलहनों के जलाये जाने, दहेज संबंधी मौतों, युवा लड़कियों और सद्यःजात बच्चों के अपहरण/भगाकर ले जाने, डकैतियों, चैन/बैग झपटने, हत्याएं/छुरेबाजी की अपराध-वार और पुलिस थानावार कितनी घटनायें हुई और गत तीन वर्षों में इसी अवधि के दौरान हुई घटनाओं से उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन महीनों में दर्ज करायी गई प्राथमिक रिपोर्टों की पुलिस थानेवार संख्या क्या है और गत तीन वर्षों में इसी अवधि के दौरान दर्ज हुई रिपोर्टों से उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) उपर्युक्त मामलों में से कितने मामले सुलझाये गये और शेष बचे मामलों के नहीं सुलझ पाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चार्टर्ड एकाउन्टेंट परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री

13 1. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री 17 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5027 और 24 अप्रैल, 1990 के प्रश्न संख्या 6152 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार्टर्ड एकाउण्टेंटों के लिए अध्ययन सामग्री को हिन्दी में तैयार करने और प्रकाशित करने तथा इंटरमीडिएट तथा फाइनल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हिन्दी मे तैयार करने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ख) यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) भारतीय शासप्राप्त लेखापाल संस्थान ने अध्ययन सामग्री का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाये हैं और अध्ययन सामग्री के कुछ भाग का अनुवाद हो चुका है। भारतीय शासप्राप्त लेखापाल संस्थान ने हाल ही में प्राइवेट प्रकाशक के साथ करार किया और मई, 1990 में आयोजित इन्टरमीडिएट परीक्षा के लिए सुझाए गए उत्तर के भाग को अनुदित कराया और हिन्दी मे प्रकाशित कराया और विद्यार्थियों को बिक्री के लिए बंटित किया। इस समय संस्थान इन्टरमीडिएट परीक्षा के (i) लागत लेखाकारिता, (ii) लेखा परीक्षा, (iii) मर्केन्टाइल विधि, कम्पनी विधि तथा औद्योगिक विधि, और (iv) संगठन तथा प्रबन्ध एवं अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्रों कोहिन्दी में उपलब्ध कराता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तिहाड़ जेल में दंगे की रिपोर्ट

1302. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 5 अक्तूबर, 1990 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में हुए दंगे की घटना की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) तिहाड़ जेल की विद्यमान स्थिति और प्रशासन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीन महीने की अवधि के लिए 9 अक्तूबर, 1990 को, समिति का गठन किया गया था। समिति के लिए स्थान तथा स्टाफ उपलब्ध कराने में कुछ समय लगा। समिति ने 20 नवम्बर 1990 से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दिया था। समिति को बहुत सारे साक्ष्यों तथा रिपोर्टों की जांच करनी थीं। अतः समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 1991 तक बढ़ा दिया गया।

(घ) वर्तमान हालत में सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना, बेहतर बाह्य-रोगी सुविधाएं, पेय जल तथा मनोरंजन की बेहतर सुविधाएं तथा जेल के स्टाफ को अधिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

दिल्ली में पुलिस हिरासत में मौतें

1303. श्री कमल चौधरी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पुलिस हिरासत में वर्ष 1990 और 1991 के दौरान (आज तक) पुलिस-स्टेशनवार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) प्रत्येक मामले में मृत्यु का क्या कारण था; और

(ग) इस सम्बन्ध में दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) पुलिस हिरासत में तीन व्यक्ति मारे गए जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार है—

थाने का नाम	वर्ष 1990	वर्ष 1991 (20.2.91 तक)
माडल टाउन	1	—
शाहदरा	—	1
रामाकृष्णा पुरम	—	1

(ख) और (ग) सभी मामलों में मरणोपरान्त जांच-पड़ताल की कार्रवाही शुरू कर दी गई है। दो पुलिस अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है तथा तीन का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

पत्रकारों और प्रेस कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

1304. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पत्रकारों और सभी समाचार पत्रों के कर्मचारियों के लिए किसी पेंशन योजना का प्रस्ताव किया है और इस सम्बन्ध में एक समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना तथा समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और पेंशन योजना कब तक प्रारम्भ हो जाएगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन) : (क) और (ख) सरकार ने समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना बनाने के उद्देश्य से पहले एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। दल ने दो वैकल्पिक पेंशन योजनाओं की सिफारिश की थी पहली योजना प्रतिमाह 5% अंशदान के भुगतान की शर्त पर 200/- रु. से लेकर 400 रु. तक मासिक पेंशन का भुगतान व्यवस्था करती है। दूसरी योजना प्रतिमाह 8.83% अंशदान के भुगतान की शर्त पर 200/- रु. से लेकर 825/- रु. तक मासिक पेंशन का भुगतान करने की व्यवस्था करती है। इन दोनों योजनाओं पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने 20 अगस्त, 1990 को आयोजित की गई अपनी बैठक में विचार किया था और उन्होंने प्रस्तावित पेंशन योजना के ब्यौरों के आकलन के लिए एक उप समिति का गठन किया। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे 7 मार्च, 1991 को होने वाली बैठक में बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है। बोर्ड द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात सरकार पेंशन योजना की व्यवस्था करने के लिए एक समुचित वैधानिक प्रस्ताव बनाने पर विचार करेगी।

कोचीन में खोनी मिट्टी की फैक्टरी

1305. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोचीन में चीनी मिट्टी की एक फैक्टरी स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो इस फैक्टरी मे कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) क्या उक्त फैक्टरी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(घ) इस फैक्टरी में कार्य करने वाले कर्मचारियों का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी विकास परियोजनाएं

1306. श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की कुछ विकास परियोजनाएं योजना आयोग की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं।

राजस्थान और गुजरात के दूरस्थ क्षेत्रों में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का साफ न दिखाई देना

[हिन्दी]

1307. श्री कैलाश मेघवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली हैं कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम गुजरात और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और बनासकाण्ठा आदि दूरस्थ क्षेत्रों में साफ-साफ नहीं देखे जा सकते हैं, आदि;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार माउंट आबू पर एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाने का विचार कर रही है जिससे वे साफ-साफ कार्यक्रम देख सकें; और

(ग) इसके कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) इन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा के विस्तार के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर तथा गुजरात के भुज में कार्यान्वयनाधीन 300 मी. ऊंचे टावर सहित उच्च शक्ति (10 कि.वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के सेवा के लिये चालू हो जाने पर राजस्थान और गुजरात के दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा पर्याप्त रूप से सुदृढ़ हो जाने की आशा है। तथापि, फिलहाल माउण्ट आबू में उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आठवीं योजनावधि के दौरान टी. वी. नेटवर्क का विस्तार

[अनुवाद]

1308. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान दूरदर्शन सेवा का लाभ केवल आधी जनसंख्या को मिल पाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास आठवीं पंचवर्षीय योजना में टी. वी. नेटवर्क का विस्तार करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजनावधि में राजस्थान के लिए क्या प्रावधान है; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) फिलहाल, राजस्थान की 52 प्रतिशत जनता को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। सातवीं योजना की आगे लाई गई स्कीमों के रूप में राज्य में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर यह प्रतिशत बढ़ कर लगभग 67% हो जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में राजस्थान में तीन अल्प शक्ति (100 वा.) दूरदर्शन ट्रांसमीटर (सुजानगढ़, गंगापुर और श्रीडूंगरगढ़ प्रत्येक में एक-एक) लगाने की योजना है। आठवीं योजना के दौरान, दूरदर्शन नेटवर्क में और विस्तार, योजना आयोग द्वारा किए जाने वाले योजना आवंटन पर निर्भर करेगा।

राजस्थान में झालावाड़ में कम शक्ति के ट्रांसमीटरों का दर्जा बढ़ाया जाना

1309. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राजस्थान की झालावाड़ में स्थापित कम शक्ति ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या वर्ष 1991-92 है दौरान झालावाड़ दूरदर्शन केन्द्र का भी बर्जा बढ़ाने और विस्तार किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दूरदर्शन केन्द्र वाणिज्यक चेनल आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्राकय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) फिलहाल, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान में झालावाड़ के लिए आकाशवाणी सेवा

1310. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में झालावाड़ जिले के कुछ भागों में आकाशवाणी की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो झालावाड के उस भाग तक आकाशवाणी की सुविधाएं पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) वहां पर अपेक्षित आकाशवाणी सेवा कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) समूचे झालावाड़ जिले को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित 100 कि. वा. मी. वे. ट्रांसमीटर से रेडियो सेवा प्राप्त होती है। तथापि, यह सही है कि जिले का कुछ हिस्सा राज्य में स्थित किसी भी मौजूदा आकाशवाणी केन्द्र से कवर नहीं होता।

(ख) और (ग) सातवीं योजना में आगे लाई गई स्कीम के भाग के रूप में, झालावाड़ में 2X3 कि. वा. एफ. एफ ट्रांसमीटर बहुद्देशीय स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों के साथ एक नया रेडियो केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। तकनीकी दृष्टि से यह केन्द्र तैयार हो चुका है और आवश्यक स्टाफ के तैनात होते ही इसे चालू कर दिए जाने का कार्यक्रम है।

फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीज्यूट की प्रशासी परिषद का गठन

1311. श्री ए. विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पालघाट, केरल की प्रशासी परिषद का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रशासी निकाय के शीघ्र पुनर्गठन हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) जी, हां। फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट की प्रशासी परिषद का पुनर्गठन प्रस्तावित है। विभिन्न विभागों/अभिकरणों से सम्पर्क किया जा रहा है।

फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीच्यूट को इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड से अलग करना

1312. श्री ए. विजयराघवन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पालघाट को इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड से अलग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) फल्यूड कंट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ. सी. आर. आई.) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन एक रजिष्ट्रीकृत सोसाइटी तथा एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र है। इसके कामकाज की संचालन सरकार द्वारा गठित एक प्रशासी परिषद करती है।

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन प्रसारकों (ट्रांसमीटरों की स्थापना

[अनुवाद]

1313. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर वर्ष 1991-92 के दौरान नये दूरदर्शन प्रसारकों (ट्रांसमीटरों) की स्थापना करने का विचार है;

(ख) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां के जनप्रतिनिधियों और जनता ने इस सुविधा के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) सातवीं योजना से आगे लाई गई स्कीमों के रूप में मध्य प्रदेश के जगदलपुर और जबलपुर में मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों के बदले में लगाए जा रहे उच्चशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को क्रमश: 1991-92 और 1992-93 के दौरान चालू किए जाने की आशा है। इसके अलावा, दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना में कुक्षेश्वर में एक अति अल्पशक्ति (2X10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना औपचारिक रूप से अनुमोदित हो जाने के बाद इसके कार्यान्वयन के लिए लगने वाला समय करीब एक वर्ष है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश में कुछ स्थान जहां दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं वे हैं गरोठ, जावरा, खुरई, इचकेला, उज्जैन, जशपुर नगर, भानपुरा और कुक्षेश्वर।

जैसा कि ऊपर बताया गया है दूरदर्शन की वर्ष 1990-91 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत कुरुक्षेत्र में एक अति अल्पशक्ति (2X10 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

सरकार का यह सतत प्रयास है कि देश के कवर न हुए भागों में यथाशीघ्र दूरदर्शन सेवा का विस्तार किया जाए किन्तु ऐसा केवल चरणों में ही किया जा सकता है जो इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अग्निरोधी मकान

[अनुवाद]

1314. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने परिवारों को अग्निरोधी मकान दिए गए;

(ख) इस योजना के अधीन अभी कितने परिवारों को शामिल किया जाना बाकी है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी परिवारों को मकान देने के लिए कोई सघन कार्यक्रम चलाने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम जी लाल सुमन) : (क) से (ग) सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धनबाद के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले

1315. **श्री ए. के. राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विभिन्न गैर-कानूनी श्रम अनियमितताओं के धनबाद के विभिन्न न्यायालयों में प्रबंधन के विरुद्ध कितने मुकदमें दायर किये और वर्ष-वार गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रवार कितने मुकदमें लम्बित है;

(ख) न्यायालय में लम्बित सबसे पुराना मुकदमा कौन सा है;

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विनिर्णित मामलों में किसी को दंडित किया गया और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.9.1990 तक धनबाद क्षेत्र के विभिन्न श्रम न्यायालयों में विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन 5875 मामले लम्बित हैं। वर्ष में तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.),

धनबाद के कार्यालय द्वारा दायर किए गए सबसे पुराने मामले के बारे में ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

(ग) मामलों के शीघ्रता से निपटान का सुनिश्चय करने के लिए विभिन्न न्यायालयों हेतु वकील नियुक्त किए गए हैं।

(घ) 1987 से सितम्बर, 1990 के दौरान 2149 मामलों में दण्ड दिया गया है। इन मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण-3 से दिए गए हैं।

विवरण-I

1987 से 1990 के दौरान धनबाद क्षेत्र में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत अभियोजन मामलों के ब्यौरों को वर्षवार और सैक्टरवार दिखाने वाला विवरण

समाप्त होने वाला वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	वर्ष के अन्त तक लम्बित मामलों की संख्या
1987	2413	3813	6226
1988	2607	4834	7441
1989	2518	5038	7556
1990 (30.9.90 तक)	2572	3303	5875*

* धनबाद क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.) के कार्यालय के विभाजन के परिणाम स्वरूप कुछ अभियोजन मामलों धनबाद से पटना क्षेत्र को अंतरित कर दिये गये हैं।

विवरण—2

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (के.), धनबाद द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत न्यायालय में दायर किए गए लम्बित सबसे पुराने मामले को दिखाने वाला विवरण।

क्रमांक	अधिनियम जिसके अधीन अभियोजन दायर किया गया	दायर करने की तारीख
1	2	3
1.	बोनस संदाय अधिनियम	25.8.72

1	2	3
2.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	20.1.73
3.	मजदूरी संदाय अधिनियम	20.9.74
4.	औद्योगिक विवाद अधिनियम	4.8.86
5.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम	10.3.75
6.	समान पारिश्रमिक अधिनियम	2.1.86

विवरण—3

30 सितम्बर, 1990 के अनुसार विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन अभियोजन मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण जिनमें दण्ड दिया गया है ।

वर्ष	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल
1987	21	399	420
1988	88	378	466
1989	152	489	641
1990 (30.9.90 के अनुसार)	122	500	622
कुल	383	1766	2149

बिहार में भूतपूर्व सैनिकों को बसों के लिए ऋण और सड़क परमिट देना

1316. श्री ए. के. राय : क्या प्रधान मन्त्री 24 अप्रैल, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 309 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन भूतपूर्व सैनिकों के क्या नाम हैं जिन्हें बसों के लिए ऋण और सड़क परमिट दिए गए हैं; और

(ख) महानिदेशक पुनर्वास द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को सड़क परमिट लेने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जिन भूतपूर्व सैनिकों ने बसें खरीदने के लिए बिहार राज्य वित्त निगम से ऋण लिया है उनको मार्ग अनुज्ञानपत्र (रूट परमिट) जारी करवाने सम्बन्धी मामला पुनर्वास महानिदेशालय ने बिहार सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया है। राज्य सरकार प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि नया मोटर वाहन अधिनियम बनाने से मार्ग अनुज्ञापत्र (रूट परमिट) मंजूर करने की प्रणाली उदार बना दी गई है।

लुगदी और कागज मिलों द्वारा बनों की कच्ची सामग्री का उपयोग

1317. श्री वी. राजरवि वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु कागज निर्माता एकक कच्ची सामग्री की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि लघु कागज निर्माता एककों को कच्ची सामग्री की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कन्या कुमारी में रबड़ पर आधारित उद्योग स्थापित करना

1318 श्री वी. राजरवि वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्याकुमारी जिले के लोगों की वहां पर रबड़ उद्योग की स्थापना करने के लिए काफी समय से की जा रही लम्बित मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और कितने आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ग) लम्बित आवेदन पत्रों को कब तक स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) वर्ष 1987-1990 के दौरान तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रबड़ पर आधारित उद्योग लगाने के लिए चार आशय-पत्र मंजूर किए गए हैं। उक्त जिले में ऐसा उद्योग लगाने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

नारियल रेशे के उत्पादन

[हिन्दी]

1319. श्री राजबीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए नारियल रेशे के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछले वर्ष इसके उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नारियल रेशे के उत्पादन के ब्यौरे इस प्रकार हैं ।

	1987-88	1988-89	1989-90
		(मी. टनों में)	
सफेद रेशे	1,30,900	1,17,000	1,25,000
भूरे रेशे	53,900	70,100	75,800

(ख) और (ग) भूरे रेशे के उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि 1987-88 के उत्पादन की तुलना में पिछले दो वर्षों के दौरान सफेद रेशे के उत्पादन में गिरावट आई है। इस गिरावट का मुख्य कारण बनाने के लिए नारियल छटा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना है ।

पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योग

1320. श्री राजबीर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे बेरोजगारी की समस्या किस हद तक हल होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) कुटीर उद्योग संबंधी मामलों पर पूर्णत: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है । भारत सरकार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के जरिए राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करती है, जो राज्यों में कुटीर उद्योग के विकास के लिए संबंधित खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता ब्याज की रियायती दर, कच्चा माल, प्रशिक्षण आदि देता है ।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग का योजनागत आवंटन 205.00 करोड़ रु. हैं जिसमें से 102.30 करोड़ रु. खादी के लिए और 102.70 करोड़ रु. ग्रामोद्योग के लिए आरक्षित हैं। इस समय, इस प्रकार की सहायता के लिए के. वी. आई. सी. द्वारा मान्य ग्रामोद्योगों की संख्या 96 है।

(ग) के. वी. आई. सी. का लक्ष्य यह है कि वर्ष 1990-91 तक 50.83 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए।

सम्पूर्ण भारत बन्द

[अनुवाद]

1321. के. एस. चावड़ा :

श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

श्री आर एस. भोये :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 6 फरवरी, 1991 को बन्द के दौरान हुए जान व माल के नुकसान का राज्य/संघ वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) बंद के दौरान मारे गये व्यक्तियों के निकट संबंधियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाएगा।

लघु औद्योगिक एककों को कागज की सप्लाई

[हिन्दी]

1322. श्री गंगा चरण लोधी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 1989-90 के दौरान कागज का कोटा सप्लाई करने के लिए लघु औद्योगिक एककों से लगभग 16 करोड़ रुपए लिया था, किन्तु न तो इसने उन्हें कागज की सप्लाई की है और न ही राशि पर कोई ब्याज ही दिया है;

(ख) क्या रियायती दरों पर कागज का आवंटन एवं सप्लाई स्थगित के कारण हजारों लघु औद्योगिक एकक रुग्ण होते जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) 1989-90 के

दौरान हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को लघु औद्योगिक इकाइयों'(अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं) से मात्र 3.20 करोड़ रुपये की पेशगी प्राप्त हुई। इन पेशगियों से हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लगभग 45% आपूर्ति करने में सक्षम हुआ है। एच. पी. सी. को अनुदेश दिया गया है कि वह या तो आपूर्ति करे या संविदा की शर्तों के अनुसार पेशगी की शेष राशि को वापस करे। यद्यपि, भारत सरकार की उपदान योजना 31-3-1990 को समाप्त हो गई है, तथापि, एच. पी. सी. 1990-91 के दौरान इसी सहमति से रियायती दरों पर शैक्षिक क्षेत्र को कागजों की आपूर्ति करता रहा। नए विभाजन और आपूर्ति की दरों से सम्बन्धित विषय विभाग के विचाराधीन हैं।

पारधी समुदाय के पुरुषों को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करना

[अनुवाद]

1323. **प्रो. महादेव शिवनकर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पारधी समुदाय के पुरुषों को पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और पारधी समुदाय की महिलाओं को अनुसूचित जनजातियों की सूची में वर्गीकृत किया गया है;

(ख) क्या इस भेदभाव के कारण पारधी समुदाय के पुरुष अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध लाभों से वंचित हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पारधी समुदाय के पुरुषों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं/किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, नहीं। प्रधान समुदाय (पुरुष तथा महिलाएं दोनों ही) आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वायुसेना की अठावनवीं वर्षगांठ

1324. **श्री प्रतापराव बी भोसले**। क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय वायुसेना की 58 वीं वर्ष गांठ मनायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो इस दिवस के उपलक्ष्य में हुए उत्सवों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय वायुसेना को विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ सेना बनाने के लिए कुछ कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) (एक) दिल्ली में समारोहों की शुरुआत अमर जवान ज्योति स्मारक पर तीनों सेनाध्यक्षों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण करने से हुई। वायुसेनाध्यक्ष ने वायुसेना स्टेशन पालम में आयोजित औपचारिक एवं अलंकरण समारोह परेड की सलामी ली और इस अवसर पर 51 अफसरों तथा वायुसैनिकों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए गए।

(दो) सभी वायुसेना कर्मिकों को शपथ दिलाई गई जिसमें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और राष्ट्रपति एवं सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने की प्रतिज्ञा को दोहराया गया।

(तीन) अफसरों और वायुसैनिकों ने बड़ा खाना में भाग लिया।

(चार) ऊपर (दो) और (तीन) में उल्लिखित समारोह देशभर में फैले सभी वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित किए गए।

(ग) भारतीय वायुसेना को सर्वोत्तम सेनाओं में से एक बनाने का प्रयास एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और यह संभावित खतरों और संसाधनों की उपलब्धता से जुड़ी है।

(घ) इस संबंध में ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

कम्प्यूट संचार प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

1325. **श्री प्रतापराव जी. भोसले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या नवम्बर, 1990 के दौरान नई दिल्ली में कम्प्यूटर संचार प्रणाली संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमें किन-किन देशों ने भाग लिया;

(घ) सम्मेलन में किन मामलों पर विचार-विमर्श हुआ है; और

(ङ) इसमें दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) जी हां। कम्प्यूटर संचार पर दसवां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आई सी सी-90) नई दिल्ली में दिनांक 4 नवम्बर से 9 नवम्बर, 1990 तक आयोजित किया गया और इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा दूरसंचार विभाग ने संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की उन्नत तथा विकासशील देशों के विभिन्न पृष्ठ भूमि के प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जिनमें शिक्षाविद्, उद्योग, अनुसंधान तथा विकास संस्थान, सरकारी प्रतिभागी तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के आयोजक शामिल थे, और उन्होंने अपने-अपने अनुभवों तथा अवधारणाओं का आदान-प्रदान किया। तथापि, जिन देशों के प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया उनकी सूची संलग्न विवरण—I में दी गई है।

(घ) सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनकी सूची संलग्न विवरण—2 में दी गई है।

(ङ) सम्मेलन के भाग के रूप में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं रखी गई। किन्तु, यह सम्मेलन ही भारतीय प्रतिभागियों के लिए इस क्षेत्र में भारत में हो रहे कार्य की प्रस्तुति (लेखों तथा तकनीकी दौरों के माध्यम से) और विश्व के अन्य देशों में विकास का अद्यतन तकनीकी जानकारी तथा अनुभव को अपनाने, दोनों ही दृष्टि से बहुमूल्य था।

विवरण-1

उन देशों की सूची जिनके प्रतिनिधियों ने कम्प्यूटर संचार पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन, 1990 में भाग लिया

1. अफगानिस्तान	2. एन्टागुआ
3. आस्ट्रेलिया	4. आस्ट्रिया
5. बहमास	6. बंग्लादेश
7. बारबडोस	8. बेल्जियम
9. बुरुन्डी	10. कनाडा
11. फ्रांस	12. जर्मनी
13. घाना	14. ग्रीस
15. ग्रेनेडा	16. भारत
17. ईरान	18. इटली
19. जापान	20. जमैका
21. कीनिया	22. कोरिया
23. लेसोथो	24. मालवी
25. मलेशिया	26. माल्टा
27. मारीशस	28. मंगोलिया
29. नेपाल	30. नीदरलैंड
31. नाईजीरिया	32. नार्वे
33, पाकिस्तान	34. पुर्तगाल
35. फिलीपीन	36. चीन

37. सऊदी अरब

38. सेनेगल	39. सिंगापुर
40. स्पेन	41. श्रीलंका
42. स्वीडन	43. सेयचेल्स
44. स्विटजरलैण्ड	45. तन्जानिया
46. थाईलैण्ड	47. टाड. गो
48. त्रिनिदाद एवं टाबेगो	49. ट्यूनिसिया
50. युगाण्डा	51. ग्रेट ब्रिटेन
52. संयुक्त राज्य अमेरिका	53. सोवियत संघ
54. वियतनाम	55. युगोस्लाविया
56. जाम्बिया	57. जिम्बाबवे

विवरण-2

कम्प्यूटर संचार पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 90 में शामिल किए गए विषय तथा विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत कागजातों की आंशिक सूची

— बड़े पैमाने पर अनप्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी (सम्मेलन का मूल विषय)

— टेलीमैटिक्स, प्रशिक्षण एवं विकास

— बड़े पैमाने पर आकस्मिक विनाश का सूचना प्रबन्ध : भोपाल का सबक

— खुली मानक प्रणालियों में सरकार की पहल

— विनियामक मुद्दे एवं प्रवृत्तियां

— व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्क, सार्वजनिक नेटवर्क, नेटवर्क आयोजना एवं प्रबन्ध

— व्याप क्षेत्रीय नेटवर्क, वैल्यू एडेड, नेटवर्क एवं वर्तमान प्रवृत्तियां

— बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए नवीन प्रौद्योगिकियां : बहु-प्रचार-माध्यम्

— बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए नवीन प्रौद्योगिकियां : आई एस डी एन

— बी—आई एस डी एन एवं उच्च गति के नेटवर्क : उभरते हुए क्षेत्र, शीघ्र कार्यान्वयन

— नेटवर्क प्रोटोकालों में विकास-कार्य

— ओ एस आई मानकों का विकास एवं वास्तविक उपयोग की प्रवृत्तियां

— नेटवर्क में संदेश-प्रेषण अनुप्रयोग एवं सुरक्षा

— वितरित अनुप्रयोगों के लिए नेटवर्किंग प्रौद्योगिकी

— प्रोटोकालों की औपचारिक पद्धतियां, विशिष्टियां एवं सत्यापन

— स्विचन के लिए युक्तियां एवं परिपथ

"स्काई टू ओशन" अभियान

1326. श्री प्रतापराव बी भोसले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय और अमरीकी, साहसी व्यक्तियों ने "स्काई टू ओशन" नामक कोई संयुक्त अभियान चलाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का अभियान प्रारम्भ करने के कारण क्या हैं;

(ग) ऐसे अभियानों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश को ऐसे अभियानों से किस रूप में लाभ होगा ?

प्रधान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) से (घ) अक्तूबर-नवम्बर, 1990 के दौरान नई दिल्ली में स्थित एक निजी यात्रा अभिकरण (ट्रेवल एजेंसी) ने गोमुख से कलकत्ता तक एक भारतीय अमरीकी "सोर्स टू सी" (स्रोत से समुद्र तक) अभियान चलाया था ताकि भारतीयों में साहसिक भावना जाग्रत की जा सके और देश साहसिक पर्यटन के नए रास्ते भी खुल सकें। इस अभियान में भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग ने भाग नहीं लिया इसे प्रायोजित नहीं किया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋण की प्रति अदायगी

1327. श्री बी. चोक्का राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा सरकार तथा वित्तीय संस्थानों, दोनों को अलग-अलग मूलधन तथा ब्याज के रूप में अदा न की गई कुल बकाया-राशि कितनी है;

(ख) संबंधित एजेंसियों को मूलधन की बकाया-राशि तथा इस पर ब्याज की अदायगी में चूककर्ता सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन चूककर्ता उपक्रमों को राजसहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मापदंड अपनाए जा रहे है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पास बकाया ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	केन्द्रीय सरकार	वित्तीय संस्थाएं
1. 31.3.1990 तक बकाया ऋण	24585.31	5192.92
2. वर्ष 1989-90 के दौरान पुनर्भुगतान किए जाने वाले ऋण की धनराशि	2544.836	323.93
3. 31.3.1990 तक संचित एवं देय ब्याज	4226.11	324.83

(ख) और (ग) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक उद्यम-विशेष के अनुसार, यथाव्यवहार्य, वार्षिक सहायता के प्रावधान सहित, समुचित उपाय कर रहे हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को ऋण की मंजूरी

1328. **श्री जे. चोक्का राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को कुल कितनी ऋण-राशि मंजूर की गई; और

(ख) यदि देय मूल-धन तथा ब्याज माफ किया गया है, तो कितना ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. के अनुसार केन्द्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उसे दी गयी ऋण-राशि के ब्यौरे इस प्रकार है :—

(रु. लाख में)

	1988-89	1989-90	1990-91
भारत सरकार			
स्वीकृत ऋण	10.00	10.00	5.00
आई. डी. बी. आई./एस. आई. डी. बी. आई.			
स्वीकृत ऋण	1300.00	1600.00	2200.00

(ख) भारत सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों ने कोई मूल धन तथा ब्याज राशि माफ नहीं की है।

पुरस्कार प्राप्त नाटकों का दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रसारण

1329 श्री धर्मन्ना मोन्डयूया साहुल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का दूरदर्शन के क्षेत्रीय केन्द्रों से ऐसे नाटक प्रसारित करने का विचार है, जो अपने राज्य की नाटक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) कार्यक्रमों संबंधी अपेक्षाओं, नाटकों के विषयों की उपयुक्तता और उनके निरूपण को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन केन्द्र राज्य स्तर पर पुरस्कृत नाटकों को पहले से ही प्रसारित कर रहे हैं।

सातवीं योजना के दौरान स्थापित टी. वी. केन्द्र और टी. वी. प्रसारण केन्द्र

1330. श्री कादम्बुर एम. आर. जनार्दनन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान देश में अधिक टी. वी. केन्द्रों और टी. वी. ट्रांसमिशन केन्द्रों की स्थापना के लिए बनाई गई योजनाओं और उनके कार्यान्वयन का ब्योरा क्या है; और

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक देश की कितनी जनसंख्या को टी. वी. देखने की सुविधा प्राप्त हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) मौजूदा कार्यक्रम निर्माण और ट्रांसमीटर सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उनकी शक्ति बढ़ाने तथा कई सहायक स्कीमों के अलावा, दूरदर्शन की सातवीं योजना में 32 कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों विभिन्न शक्तियों के 382 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों और 25 ट्रांसपोजरों की स्थापना करके छठी योजना के अन्त में 56.1 प्रतिशत जनसंख्या की कवरेज को बढ़ाकर सातवीं योजना के अंत तक 84 प्रतिशत करने की परिकल्पना है।

सातवीं योजना अवधि (दिनांक 31.3.90 तक) के दौरान 5 कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों (अंतरिम व्यवस्था के स्थान पर) के अलावा दो नये कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, 357 टी. वी. ट्रांसमीटर और 18 ट्रांसपोजर; दिल्ली में एक केन्द्रीय निर्माण केन्द्र सेवा के लिए चालू किये गए और कई अनुषंगी स्कीमों के अतिरिक्त 12 ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाई गई। तत्पश्चात वर्ष 1990-91 के दौरान अब तक 2 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र और 2 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को चालू किया गया। बाकी परियोजनाये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) देश की लगभग 78.1 प्रतिशत जनसंख्या को इस समय दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है।

खाड़ी संकट का भारत पर प्रभाव

1331. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने खाड़ी देशों में रोजगार विहिन हुए भारतीय नागरिकों की स्थिति के अध्ययन हेतु हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने कुवैत से भारत में आए निर्वासितों के पुनर्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी नहीं, तथापि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/एशियन रिजनल टीम फार एम्प्लायमेंट प्रमोशन (ए.आर.टी.ई.पी.) द्वारा प्रायोजित दो सदस्य वाले अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1990 में खाड़ी संकट के वृहत आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए केरल का दौरा किया। दल ने केरल के प्रवासी श्रमिकों, जो खाड़ी संकट के कारण बेरोजगार हो गए थे, की परिस्थितियों का भी अध्ययन किया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली छावनी क्षेत्र में नागरिक सुविधायें

1332. श्री मदन लाल खुराना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी क्षेत्र में रहने वाली असैनिक जनसंख्या सामान्य रूप से सफाई, पर्याप्त मात्रा में पेय जल की आपूर्ति, जलमल सुविधाओं जैसी मूल नागरिक सुविधाओं से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो लोगों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए कदम न उठाये जाने के क्या कारण है;

(ग) शीघ्रातिशीघ्र इन सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या छावनी बोर्डों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(च) बोर्ड के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के अधिकाधिक उपयोग के लिए क्या नियंत्रण लगाया गया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी नहीं, छावनी बोर्ड दिल्ली अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत छावनी क्षेत्र के निवासियों को सभी मूल जन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त बोर्ड ने करीब 415.08 लाख रु. की लागत से 44 परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं में पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि करना, सफाई कार्य और सड़कों को चौड़ा करना आदि शामिल है।

(घ) और (ङ) कमान स्तर पर निदेशक रक्षा सम्पदा छावनी बोर्ड का निरीक्षण करता है और निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

(च) छावनी अधिनियम 1924 में की गई व्यवस्था के अनुसार छावनी बोर्ड के संसाधनों के उपयोग पर कमान स्तर पर जनरल अफसर कमान इन चीफ द्वारा नियंत्रण रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र

[हिन्दी]

1333. श्री एम. एस. पाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों के लिये अनुदान के रूप में आवंटित धनराशि का ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) कुमाऊं तथा गढ़वाल में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिये आवंटित राशि तथा स्थानों के नामों के ब्योरे, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विवरण में उल्लिखित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, जिनमें भूमि प्राप्त करना भी शामिल है।

विवरण

अनुबंध

I. बड़े औद्योगिक क्षेत्र :

मंडल	स्थान	विकास की अनुमानित लागत
1	2	3
1. कुमाऊं	1. भीमलाल, नैनीताल	2,37,654.00 रु.

1	2	3
	2. काशीपुर, नैनीताल	10,60,966.00 रु.
	3. रुद्रपुर, नैनीताल	6,17,538.00 रु.
	4 पातालदेवी, अल्मोड़ा	2,89,183.00 रु.
	5. विर्न, पिथौरागढ़	46,44,000.00 रु.
2. गढ़वाल	1. देहरादून	लागू नहीं
	2. विकासनगर, देहरादून	लागू नहीं
	3. कोटद्वार, पौड़ी	1,83,14.000 रु.
	4. श्रीकोट, पौड़ी	85,25,438.00 रु.

II. बहुत छोटे औद्योगिक क्षेत्र :

जिले का नाम	ब्लाक का नाम	विकास के लिए आवंटित राशि
क. गढ़वाल		
1. पौड़ी गढ़वाल	1. लान स्यूं	बहुत छोटे औद्योगिक क्षेत्र के लिए 23.20 लाख रु. आवंटित किए गए हैं, जो केवल बहुत छोटे 22 औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त हैं।
	2. पौड़ी	
	3. डुगड्डा	
	4. थाकेश्वर	
	5. खिरसु	
	6. द्वारिखाल	
	7. कल्जिखल	
	8. पाओ	
	9. पोखरी	
	10. जहरिखल	
2. टीहरी गढवाल	11. नरेन्द्र नगर	
	12. देव प्रयाग	
	13. चम्बा	

	14. घोलघर	पृष्ठ "1" के अनुसार
	15. जखोली	
	16. कीर्ति नगर	
	17. बेलगाना	
	18. जखानीधर	
	19. प्रताप नगर	
3. देहरादून	20. चकराता	
	21. देवबाला	
	22. कल्सि	
	23. साहसपुर	
	24. देवबाला (श्यामपुर)	
4. चमौली	25. दसौली	
	26. कर्ण प्रयाग	
	27. अगस्तमुनि	
	28. गैरसांद	
	29. थराली	
	30. नारायणबागढ़	
	31. जोशीमठ	
	32. बागपुर पी ओ. खारी	
	33. ऊखी मठ	
	34. घाट	
	35. देवाल	
5. उत्तर काशी	36. भटवारी	
	37. हुंडा	
	38. परोला	
	39. मोरिला	
	40. बारकोट	
	41. नोगांव	

6. कुमाऊं

1. नैनीताल	42 कोठा रुद्रपुर	पृष्ठ 1 के अनुसार
	43. सितारगंज	
	44. हल्द्वानी	
	45. धारी	
	46. बेतलघाट	
	47. खटीमा	
	48. बाजपुर	
	49. जसपुर	
	50. रामपुर	
	51. ओखला काडा	
	52. कोटाबाग	
	53. राम नगर	
2. अल्मोड़ा	54. तारीखेत	
	55. चौखटिया	
	56. द्वारहाट	
	57. बागेश्वर	
	58. चौरलादेवेज	
	59. भिखियासैंद	
	60. कामकोट	
	61. लामगढ़	
	62. हावलबाग	
	63. तल्लुला	
	64. मैसियाछना	
3. पिथोरागढ़	65. चम्पावत	
	66. लाहाघाट	
	67. गुनशियारी	

68. दीदीघाट पृष्ठ 1 के अनुसार

69. गांगोली

70. कनालीछिना

71. पट्टी

72. मूसाकोट

73. धारचूला

74. बेरिनाग

75. खारकोट

नौसेना के विद्रोहियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना

[अनुवाद]

1334. **श्री सुबाम देशमुख** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के उन नाविकों और कार्मिकों को जिन्होंने वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और अन्य लाभ प्रदान करने के लिये स्वतंत्रता सेनानी नहीं माना गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा और पेंशन देने के प्रश्न पर पुनर्विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) से (घ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और अन्य लाभ देने के उद्देश्य के लिए 1946 के रायल इंडियन नौ-सेना विद्रोह को पहले ही स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में मान्यता दी गई है। नौ-सेना के उन नाविकों और कार्मिकों को पेंशन मंजूर की गई है जिन्होंने औपचारिक रूप से आवेदन किया है और जिसके नाम रक्षा मन्त्रालय द्वारा 1946 के आर. आई. एन. विद्रोहियों की दी गई सूची में थे ।

दिल्ली पुलिस के कांस्टेबलों के विरुद्ध शिकायतें

1335. **श्री भवन लाल बुराना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान थाना-वार आपराधिक आरोपों के आधार पर दिल्ली पुलिस कार्मिक में कितने कांस्टेबल निलंबित किए गए;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उनके मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 1990 के दौरान कांस्टेबलों के खिलाफ दिल्ली की जनता से कितनी शिकायतें मिलीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल के पर रख दी जायेगी।

भारतीय प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करने वाले देश

1336. प्रो. के. वी. थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से राष्ट्र अपने सैन्य कर्मियों को भारतीय रक्षा संस्थानों में प्रशिक्षित करवा रहे हैं;

(ख) भारत में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विदेशी कैडिटों की संख्या कितनी है;

(ग) कौन-कौन से देश अपने सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए अपने यहाँ भारतीय सैन्य कर्मियों की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं; और

(घ) ऐसे भारतीय सैन्य कर्मियों और सलाहकारों की संख्या कितनी है जो विदेशों में विदेशी सैन्य कैडेटों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) भारतीय रक्षा सेवाएं संस्थानों में अनुदेशात्मक पाठ्यक्रम में अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया और विकसित राष्ट्रों सहित 38 मित्र देशों के कार्मिकों ने भाग लिया।

(ख) मौजूदा समय में भारत में 59 विदेशी कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) अपने देश के रक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए इस समय छह मित्र देश भारतीय रक्षा कार्मिकों की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रों के नाम बताना उचित नहीं समझा गया है।

(घ) मौजूदा समय में 829 भारतीय सैन्य कार्मिक परामर्शदाता विदेशों में हैं।

प्रधान मन्त्री और मन्त्रियों पर व्यय

1337. श्री के. मुरलीधरन :

श्री राघवजी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री और वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों के यात्रा भत्ता व्यय का अद्यतन ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मंत्रिमंडलीय मामलों के वेतन और लेखा कार्यालय के खाते के अनुसार संघीय मन्त्री परिषद के यात्रा खर्चों के अधीन, दिनांक 10.11.1990 से 26.2.1991 के दौरान, 56,68,000/-रु.

(लगभग) खर्च हुए। इसमें उपरोक्त अवधि के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री (मंत्रियों) तथा संघीय मंत्रियों के बिलों/दावों की भुगतान की राशि शामिल है।

मलयालम धारावाहिकों का प्रसारण

1338. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कार्यक्रम पर प्रसारण की अनुमति प्राप्त करने हेतु कितने मलयालम धारावाहिक भेजे गये हैं;

(ख) क्या धारावाहिकों के निर्माण हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण समय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं के धारावाहिक प्रसारित नहीं किए जाते।

(ख) और (ग) दूरदर्शन अपने लिए तैयार करवाए गए सभी टी. वी. धारावाहिकों के निर्माण की लागत स्वयं वहन करता रहा है। तथापि, भिन्न-भिन्न धारावाहिकों की लागत भिन्न भिन्न होती है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा नियुक्ति अभिकर्ता

[हिन्दी]

1339. **श्री पुंडलिक हरीदानवे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र में अब तक नियुक्त अभिकर्ताओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक अभिकरण द्वारा बेचे गये वाहनों की संख्या क्या है;

(ग) क्या मारुति वाहनों की बिक्री के लिए जालना जिले में किसी अभिकरण की स्वीकृति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र में अब तक नियुक्त अधिकर्त्ताओं तथा गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक आभिकरण द्वारा बेचे गये वाहनों की संख्या संलग्न विवरण में जिला-वार दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) महाराष्ट्र का जालना जिला औरंगाबाद के डीलरों के बिक्री-क्षेत्र में आता है। 2 डीलरों और 8 जिलों वाले इस क्षेत्र की कुल बिक्री, लगभग 300-400 इकाइयां प्रति वर्ष है। इस प्रकार, अकेले जालना जिले की क्षमता बहुत ही सीमित रहेगी और जिले में एक नई डीलरशिप देना व्यवसायिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा।

विवरण

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में नियुक्त डीलरों का ब्यौरा

नगर	जिला		नियुक्त डीलर का नाम
बम्बई	बम्बई	—	एम्पाक मोटर्स प्रा. लिमिटेड
		—	रेशम मोटर्स लिमिटेड
		—	वितेसो ट्रेनिंग लि.
		—	साई सर्विस स्टेशन प्रा. लि.
औरंगाबाद	औरगाबाद	—	रामा आटोमोबाइल्स
		—	आटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स लि.
नागपुर	नागपुर	—	आटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स लि.
नासिक	नासिक	—	सेवा आटोमोटिव प्रा. लि,
न्यू बम्बई	थाणे	—	आटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स लि.
पुणे	पुणे	—	साई सर्विस स्टेशन प्रा. लिमिटेड

(ख) गत वित्तीय वर्ष (1989-90) के दौरान प्रत्येक डीलर को भेजे गए वाहनों की कुल संख्या।

एन्पाक मोटर्स प्रा. लिमिटेड, बम्बई	— 1,539
[illegible]	[illegible]
[illegible]	— 2,793
साई सर्विस स्टेशन प्रा. लि., बम्बई	— 2,806
रामा आटोमोबाइल्स, औरंगाबाद	— 310
आटोमोटिक मैन्युफैक्चरर्स लि., नागर तथा औरंगाबाद	— 494
सेवा आटोमोटिव प्रा. लि., नासिक	— 658
साई सर्विस स्टेशन प्रा. लि., पुणे	— 1,864

दिल्ली में वर्ष 1991 की जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक और पर्यवेक्षक

[अनुवाद]

1340. डा. सी. सिलवेरा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 की जनगणना के लिए दिल्ली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने अलग-अलग प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया है; और

(ख) प्रत्येक प्रगणक पर्यवेक्षक को किस दर से मानदेय दिया जावेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : (क) इस समय 1991 की जनगणना के लिए दिल्ली के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त किए गए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	प्रगणकों की संख्या	पर्यवेक्षकों की संख्या
दिल्ली संघ	13,247	2,638
	1,014	193

(ख) 1991 की जनगणना के लिए प्रत्येक प्रगणक और पर्यवेक्षक को 225 रु. की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक प्रगणक को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान स्नातकोत्तर डिग्री धारकों तक तकनीकी कार्मिकों के सर्वेक्षण से संबंधित कार्य, जो कि

1991 की जनगणना से जुड़ा हुआ है, के लिए मानदेय के रूप में 15 रु. की राशि दी जानी प्रस्तावित है।

वैज्ञानिकों और रक्षा बलों के बीच समन्वय

1341. डा. सी. सिलवेरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कुछ समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि रक्षा वैज्ञानिक अपने आपस में अथवा देश के रक्षा बलों के लिए उन्नत उपकरण विकसित कर रहे सैनिकों के साथ समन्वय स्थापित नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और रक्षा वैज्ञानिकों के बारे में ऐसी टिप्पणियां करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार कुछ कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 24 जनवरी, 1991 के एक समाचार पत्र ने यह रिपोर्ट दी है कि नई दिल्ली में रक्षा प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए थलसेनाध्यक्ष ने उच्च तकनीकी रक्षा मदों के विकास में रक्षा वैज्ञानिकों के परस्पर सहयोग न करने अथवा सैनिकों के साथ सहयोग न करने के सम्बन्ध में उनकी आलोचना की है। वास्तव में इसमें तथ्यों का गलत उल्लेख किया गया। असल में थलसेनाध्यक्ष ने रक्षा वैज्ञानिकों और सेनाओं के बीच पहले से ही मौजूदा परस्पर सह संबंध को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परियोजना प्रबंधन संरचना के एक अंश के रूप में सभी मुख्य विकास परियोजनाओं में विभिन्न विकास स्थापनाओं और प्रयोक्ता सेवाओं के बीच भी सह-प्रबंध लिए अन्तः निर्मित मेकेनिज्म तंत्र है।

सेवा संबंधी मामलों में वृद्धि

1342. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण में सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं।

(ख) केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ के समक्ष जुलाई, 1990 और जनवरी, 1991 तक कितने मामले रखे गए,

(ग) मुख्य पीठ द्वारा कितने मामलों को अन्तिम रूप से सुलझाया गया निपटाया गया, और

(घ) केन्द्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ के पास कितने मामले लम्बित हैं और इन मामलों विशेष रूप से उच्च न्यायालय से अंतरित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका): (क) सेवा संबंधी मामलों की संख्या में वृद्धि अन्य बातों के साथ-साथ इस कारण भी दिखाई पड़ती है क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना केवल केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामलों के निपटान के लिए की गई है तथा इसमें शीघ्र तथा सस्ते न्याय की भी व्यवस्था है।

(ख) जुलाई, 1990 तथा जनवरी, 1991 के मध्य केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायापीठ में दायर मामलों (विविध याचिकाओं को छोड़कर) की संख्या 2191 है।

(ग) 1-11-85 से 31-1-91 के मध्य प्रधान न्यायापीठ द्वारा अग्रिम रूप से तय किए गए/निपटाए गए मामलों (विविध याचिकाओं को छोड़कर) की संख्या 7280 है।

(घ) 31-1-91 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की प्रधान न्यायापीठ में लम्बित मामलों की संख्या 7940 है। प्रधान न्यायापीठ में लम्बित मामलों की संख्या में कमी लाने की दृष्टि से सरकार ने पहले ही दिल्ली न्यायापीठ में दो और न्यायापीठ जोड़ दी है। उपाध्यक्ष/सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मामलों को जिनमें विभिन्न अदालतों से स्थानांतरित मामले भी शामिल है, शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के सभी प्रयास किये जाते हैं। तथापि, मामलों पर दायर किए जाने की तारीख के आधार पर कार्रवाई की जाती है तथा सेवा के महत्वपूर्ण पहलू से संबंधित मामलों पर शीघ्र सुनवाई की जाती है।

केरल में खाड़ी से वापस आये बेरोजगार लोग

1343. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) केरल में खाड़ी से वापस आये कितने लोग बेरोजगार हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन लोगों की रोजगार समस्या को निपटाने के लिए कोई विशेष प्रकोष्ठ खोला है; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें रोजगार देने के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजीलाल सुमन): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (एशियन रीजनल टीम फार) एम्पलायमेंट प्रमोशन (ए. आर. टी. ई. पी.) द्वारा प्रायोजित दो सदस्य वाले अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1990 में खाड़ी संकट के वृहत आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए केरल का दौरा किया। दल ने केरल के प्रवासी श्रमिकों, जो खाड़ी संकट के कारण बेरोजगार हो गए थे, कि परिस्थितियों का भी अध्ययन किया था। अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

बेरोजगारी दूर करना

1344. प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) सातवीं योजना के दौरान कितने प्रतिशत बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ और इस योजना के अन्त में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी;

(ख) उक्त योजनावधि के दौरान वर्षवार बेरोजगारी वृद्धि दर कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के अंत तक बेरोजगारी दूर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कार्य योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रोजगार सृजन का प्राक्कलन तथा बेरोजगार व्यक्तियों का वर्षवार अनुमान नहीं लगाया गया है। सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार, सातवीं योजना अवधि के आरम्भ में बेरोजगारों (सामान्य मुख्य स्थिति) की सं. 92 लाख थी। अप्रैल, 1990 के शुरू में बेरोजगारी (सामान्य मुख्य स्थिति का बैक लाग, 1987-88 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए 43वें दौर के सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर एक करोड़ 31 लाख आंका गया है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना दृष्टिकोण दस्तावेज में सन् 2000 ई. तक लगभग पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1990 के वर्षों में रोजगार में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि परिकल्पित है। कार्यक्रम के ब्यौरे तथा कार्यनीति को तैयार किया जा रहा है तथा इसे आठवीं योजना दस्तावेज में सम्मिलित किया जाएगा।

अम्बेडकर गांवों के लिए वित्तीय सहायता

1345. श्री के. मुरलीधरन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को अम्बेडकर गांवों के विस्तार के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजन के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो वित्तीय सहायता की मंजूरी में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने की योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

समयोपरि भत्ते के भुगतान पर प्रतिबन्ध

1346. डा. सी. सिलवेरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किये जा रहे मितव्ययी उपायों को ध्यान में रखते हुए समयोपरि भत्ते के भुगतान पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरप्रदेश के आदिवासी शिल्पियों का पर्वतीय शिल्पकार सभा से ज्ञापन

[हिन्दी]

1347. श्री रामलाल राही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती जिलों के आदिवासी शिल्पियों की पर्वतीय शिल्पकार सभा से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिनमें शिल्पियों की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समन्वित बाल विकास सेवाओं की पुनरीक्षा के बारे में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

[अनुवाद]

1348. श्री मन्जय लाल :

श्री एम. एस. पाल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या समन्वित बाल विकास सेवाओं की पुनरीक्षा के बारे में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 1989 को समाप्त वार्षिक रिपोर्ट (1990 की सं. 14) में नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी पर कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) एक केन्द्रीय प्रायोजित है योजना है राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ताकि आवश्यकतानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

यह विभाग समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करता रहा है ताकि जहां आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई हो जाए। हाल ही में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) आई सी डी एस कार्यक्रम के प्रबोधन को केन्द्र और राज्य स्तर तथा जिला और परियोजना स्तर पर भी सुदृढ़ किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, सुपरवाइजरों से सर्किल स्तर पर तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) और ने परियोजना स्तर पर सूचना मंगवाने के लिए नए रिपोर्टिंग प्रोफार्मा तैयार किए गए हैं। इन प्रोफार्मों का उद्देश्य विभिन्न घटकों जैसे-अनुपूरक पोषाहार स्कूल-पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, रोग प्रतिरोधन, स्वास्थ्य संदर्भ सेवाएं, स्वास्थ्य और पोषाहार शिक्षा आदि का भली प्रकार प्रबोधन करना है। विभिन्न आयु वर्ग के बालक तथा बालिकाओं के बारे में सूचना, पोषाहार, निगरानी, भर्ती अभिलेखण और नियोजन के बारे में स्टाफ सम्बन्धी सूचना भी मंगवाई जा रही है तथा उनका प्रबोधन करके समय से सुधारात्मक उपाय किए जाएं।

(ii) आई सी डी एस कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार करने के लिए तथा महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले सभी मन्त्रालयों तथा विभागों में कारगर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों में से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी सम्बन्धितों के परामर्श से एक स्टेट्स पेपर तैयार किया गया है। इस तरह का संकेन्द्रण न केवल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के लिए ही किया जाता है बल्कि अन्य सम्बद्ध मन्त्रालयों/विभागों जैसे ग्रामीण विकास, शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शहरी विकास, कल्याण, सूचना एवं प्रसारण इत्यादि की योजनाओं के लिए भी किया जाता है। जिस स्टेट्स पेपर के माध्यम से ऐसा संकेन्द्रण किया जा सकेगा, उसमें अपनाई गई कार्यनीति दोहरी है।

(क) महिलाओं के लिए एक आयुक्ति विकास कार्यक्रम ताकि उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति

का बोध कराया जा सके और इस प्रकार सेवाओं के संवेन्द्रण के लिए वे आवश्यक मांग कर सकें।

(ख) महिला और बाल विकास से संबंधित सेवाओं की आयोजना प्रबोधन और समन्वय के उत्तरदायित्व उत्तरोत्तर, निर्वाचित पंचायतों के माध्यम से समुदाय पर डालना।

भारत सरकार के संबंधित विभागों मंत्रालयों ने राज्य सरकारों केन्द्र शासित प्रदेशों को आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी कर दिए है।

राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर भी इन संबंधित विभागों के साथ यह मामला उठाएं ताकि महिलाओं और बच्चों के लिए सेवाओं में मुख्य गुणात्मक सुधार किए जा सकें।

(iii) खाद्य पदार्थों, मसालों, ईंधन इत्यादि की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, आंगनवाड़ियों मे महिलाओं और बच्चों को दिए जाने वाले पूरक पोषाहार की इकाई लागत में 21.2.1991 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है :—

(क) 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे	95 पैसे प्रति बच्चा प्रति दिन
(ख) 0-6 वर्ष के वायु वर्ग के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे	135 पैसे प्रति बच्चा प्रति दिन
(ग) गर्भवती और शिशुवती माताएं	115 पैसे लाभप्राप्तकर्ता प्रतिदिन

(iv) आई सी डी एस के स्कूलपूर्व घटक को सुदृढ़ बनाने के लिये इस विभाग ने ब्लाक स्तर पर सभी आई सी डी एस परियोजनाओं में संसाधन केन्द्रों की स्थापना करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

(v) आई सी डी एस कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं और मौजूदा प्रशिक्षण ढांचे का और अधिक कारगर ढंग से प्रयोग करने के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजना

1049. श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री के. मुरलीधरन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के लिये वर्ष 1991-92 की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र ने वर्ष 1991-92 के लिए कितनी राशि के आबंटन की मांग की थी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के वार्षिक योजना 1991-92 परिव्ययों का निर्धारण किया जा चुका है। कुल वार्षिक योजना परिव्यय के क्षेत्रकीय/उपक्षेत्रकीय ब्योरों के सम्बन्ध में विवरण तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) वार्षिक योजना 1991-92 के लिए प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा अपेक्षित आबंटन संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है।

विवरण

वार्षिक योजना 1991-92—परिव्यय

(राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा अपेक्षित आबंटन)

(करोड़ रुपये)

राज्य/ केन्द्र शासित क्षेत्र	वार्षिक योजना (1991-92)
	प्रस्तावित परिव्यय
1	2
आंध्र प्रदेश	2353.11
अरूणाचल प्रदेश	421.38
असम	1078.11
बिहार	2251.60
गोवा	199.75
गुजरात	1700.00
हरियाणा	771.73
हिमाचल प्रदेश	462.80

1	2
जम्मू व कश्मीर	720.00
कर्नाटक	1497.07
केरल	775.00
मध्य प्रदेश	2274.91
महाराष्ट्र	3099.04
मणिपुर	314.83
मेघालय	247.61
मिजोरम	177.75
नागालैंड	214.88
उड़ीसा	1550.00
पंजाब	1280.12
राजस्थान	1317.00
सिक्किम	137.60
तमिलनाडु	1600.00
त्रिपुरा	335.85
उत्तर प्रदेश	4105.90
पश्चिमी बंगाल	1485.83
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	181.59
चण्डीगढ़	91.61
दादरा व नगर हवेली	25.34
दमन व द्वीव	22.33
दिल्ली	1350.91
लक्षद्वीप	34.00
पांडिचेरी	264.29

आई. ए. एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के उत्तरदायित्वों और कार्य पद्धति का पुनरीक्षण

1350. **श्री शिवशरण वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के उत्तरदायित्वों और कार्य पद्धति का पुनरीक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारियों के संघ ने अपनी कार्य पद्धति के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा के अधिकारियों के उत्तरदायित्वों और कार्य पद्धति का पुनरीक्षण करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशासनिक सुधार आयोग तथा सरकारियां आयोग जैसे आयोगों ने भी अपनी रिपोर्टों में ऐसे पुनरीक्षणों को शामिल किया है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षा की पद्धति की पुनरीक्षा करने के लिये समय-समय पर गठित समितियों ने इन सेवाओं के उत्तरदायित्वों और कार्य पद्धति की भी पुनरीक्षा की है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण, जो विभिन्न संवर्ग पदों के उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते है, के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के प्रत्येक संवर्ग की त्रैवार्षिक पुनरीक्षा करती है। इसके बाद जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई है।

(ग) इस मामले में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय द्वारा कोई विशिष्ट अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

छोटे व मझोले समाचार पत्रों के महासंघ के अध्यक्ष का अखबारी कागज मूल्य निर्धारण समिति से त्याग पत्र

1351. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों के महासंघ के अध्यक्ष ने अखबारी कागज की मूल्य-निर्धारण समिति से त्याग-पत्र दे दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय लघु और मझौले समाचारपत्रों के महासंघ के अध्यक्ष श्री हरभजन सिंह द्वारा अखबारी कागज मूल्य निर्धारण समिति से दिये गये त्याग-पत्र की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) लघु और मझौले समाचारपत्रों के हितों को समिति में प्रतिनिधित्व भारतीय भाषायी समाचारपत्र संघ के माध्यम से दिया जाता है जिसके समिति में दो सदस्य हैं।

विवरण

अखिल भारतीय लघु एवं मझौले समाचारपत्रों का महासंघ

26 एफ, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली-110001
24.1.1991

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
पश्चिमी ब्लाक-8, विंग 2,
आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066.

महोदय,

अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति से कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें।

समिति छोड़ने के कारण यह है कि हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। हमें अखबारी कागज के मूल्य निर्धारण के लिए पार्टी के रूप में रबड़ की मुहर की भांति इस्तेमाल किया जा रहा है।

समिति में हमारी कोई उपयोगिता नहीं है क्योंकि हमारे मुद्दों पर विचार नहीं किया जाता है। पूरी कार्रवाई एकतरफा होती है।

सधन्यवाद।

भवदीय,
ह./-
(हरभजन सिंह)
अध्यक्ष

बालिकाओं के लिए विकास कार्यक्रम

1352. श्री प्रकाश कोको बह्मभट्ट : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस बालिका वर्ष ("दक्षेस" बालिका वर्ष 1990) अवसर पर प्रकाशित एक दस्तावेज में यह बताया गया है कि भारत में 120 लाख बालिकाओं में से 25 प्रतिशत से अधिक बालिकाएं मुख्य रूप से लिंग सम्बन्धी भेदभाव बढ़ते आने के कारण 15 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने "दक्षेस" बालिका वर्ष में बालिकाओं किशोरियों के विकास के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलीलाल सुमन) : (क) जी, हां। यह सूचना दक्षेस बालिका वर्ष (एस वाई जी एस-1990) के दौरान तैयार किए गए "भारत में बालिका" नामक दस्तावेज में दी गई है। उल्लिखित विवरण भारत की जनगणना प्रकाशन में 1986 के लिए प्रक्षेपित जनसंख्या सारणियों और नमूना पंजीकरण प्रणाली 1986 (आर जी आई) में दिए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है।

(ख) और (ग) दक्षेस बालिका वर्ष 1990 मनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई थी जिसमें समाज, योजनाकारों और नीति निर्माताओं को बालिका के वर्तमान दर्जे के प्रति सचेत करने के अलावा जागृति विकास के लिए समर्थन कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया था। समर्थन कार्यक्रमों में "खुशहाल बालिका भविष्य देश का" के नारे वाला एक विशेष लोगों बनाना, प्रधान मन्त्री द्वारा विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाना, दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए वृत्त चित्र, वीडियो स्पॉट्स तैयार करना, रेडियो कार्यक्रमों इत्यादि का प्रसारण तथा नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन करना शामिल थे।

एक समर्थन अभिमुख कार्यवाही कार्यक्रम "बालिका शिविर" शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं की समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने और बालिकाओं को उनके अधिकारों, विशेषाधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करने के लिए 250 पिछड़े हुए जिलों में शिविरों का आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों को धनराशि दी गई। कार्यवाही कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। इनमें "बालिका और परिवार" पर एक कार्यवाही अभिमुख अनुसंधान परियोजना शामिल है जिसे देश के 22 विश्वविद्यालयों को सौंपा गया था। यह एक व्यापक स्तर का अध्ययन है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षात्मक ज्ञान, सामाजिकीकरण, स्वास्थ्य, पोषाहार, बाल श्रम इत्यादि के क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाना है। अन्य कार्यवाही कार्यक्रमों में स्कूलों में और उनके समीप 2'0 शिशु गृह खोलना तथा अनैतिक पण्यन दमन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित संरक्षण गृहों को सुदृढ़ करने की योजना शामिल है।

(घ) 1990-91 के दौरान इन कार्यकलापों के लिए 1.75 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष का सृजन

1353. श्री माधवराव सिंधिया :

श्रीराजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री आनन्द सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी युद्ध के कारण वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोष के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई है तथा इस निधि का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) से (ग) इस वर्ष के गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम अपने भाषण में राष्ट्रीय विकास के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता को बताया। उन्होंने कहा कि बजट द्वारा अतिरिक्त संसाधन पैदा करने के लिए, नागरिकों से स्वैच्छिक अंशदान लिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को एक पुनर्गठन फंड बनाना चाहिए और स्वयंसेवी अभिदान प्राप्त करने चाहिए।

पूंजी निवेश, उत्पादन और सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए इंजीनियरिंग उद्योग महासंघ के सुझाव

[हिन्दी]

1354. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग महासंघ ने खाड़ी युद्ध के सन्दर्भ में पूंजी निवेश, उत्पादन की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा सरकार और उद्योगों द्वारा व्यय में कटौती करने के लिए नौ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन सुझावों को कार्यान्वित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) इंजीनियरिंग उद्योग महासंघ ने 3 फरवरी, 1991 को जारी एक प्रेस स्टेटमेंट में खाड़ी युद्ध से उत्पन्न

कार्य योजना का प्रस्ताव किया है। इस कार्य योजना में निम्नलिखित नौ सुझाव दिये गये हैं :—

(1) सरकार द्वारा अल्पकाल के लिए कम नियन्त्रण द्वारा सख्त में कटौती अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट सहायता में कमी करके, राजस्व सहायता तथा राज सहायताओं में कटौती करके सरकारी व्यय में कटौती करके कम से कम 15% व्यय की कटौती।

(2) ऐसे नियन्त्रणों और कार्य विधियों को निलंबित तथा आस्थगित करने के लिए सरकार द्वारा तुरन्त कदम उठाया जाना जो उत्पादन में तेजी से वृद्धि और शीघ्र निवेश के मार्ग में बाधक हों।

(3) सभी बुनियादी क्षेत्रों को जैसे बिजली, रेलवे, पत्तन, दूर-संचार इत्यादि को अनिवार्य सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए और इनको किसी भी प्रकार की औद्योगिक कार्यवाही से मुक्त रखा जाना चाहिए जैसे कि घेराव कार्य व हड़ताल।

(4) ऊर्जा, पर्यावरण, जल इत्यादि के संरक्षण के लिए एक राष्ट्र व्यापी आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए।

(5) आर्थिक क्षेत्र में युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए, जो खाड़ी क्षेत्र में भारत को रोजगार आदि के अवसर मुहैया करने से संबंधित हैं, देश को अपनी नीति तथा प्रयासों के आयोजन के लिए, तुरन्त कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

(6) सभी लंबित राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर संधि के लिए सरकार को एक अपील जारी करनी चाहिए ताकि राष्ट्र आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सके।

(7) सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता की दिशा में कार्य करके सरकार को अनुकरणीय उदाहरण पेश करने चाहिए।

(8) सम्पूर्ण विश्व में राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में हो रहे ओर परिवर्तनों की सराहना की जानी चाहिए और ऐसी नीतियों पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए जिनसे भारत विश्व समुदाय से अलग हो सकता है।

(9) प्रधान मन्त्री के कार्यालय में राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में गठित सरकार तथा उद्योग की संयुक्त समिति को फोरम में परिवर्तित किया जाना चाहिए ताकि वह घरेलू आर्थिक मोर्चे और बाह्य खाड़ी स्थिति पर भारत की नीतियां तैयार कर सके।

केरल के औद्योगिक विकास के लिए धन

[अनुवाद]

1355. श्री के मुरलीधरण : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) केरल सरकार ने तत्कालीन केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अंधीन केन्द्र सरकार से धन की प्रतिपूर्ति कराने के लिए दावे प्रस्तुत किये हैं। केरल सहित किसी भी राज्य सरकार को कोई निधि जारी नहीं की जा सकी थी, क्योंकि 1990-91 के दौरान इस प्रयोजन के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, निधियां उपलब्ध होते ही पात्र दावों की प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

एयरबस ए-320 सौदे के सम्बन्ध में फ्रांस को अनुरोध-पत्र

1356. डा. ए.के. पटेल :

श्री एल.के. आडवाणी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से एयरबस ए-320 के सौदे से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बरामद किये जाने तथा फ्रांस के साक्षियों की जांच किये जाने के सम्बन्ध में फ्रांस को एक अनुरोध पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) अभी तक ऐसा कोई पत्र फ्रांस को नहीं भेजा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जापान की सहायता से राजस्थान के शहरों का विकास

1757. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जापान की सहायता से कुछ चुनिंदा राज्यों में कुछ शहरों का "आदर्श शहर" के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त चुनिंदा राज्यों में किन-किन शहरों को चुना गया है;

(ग) क्या जापान की सहायता से एक "आदर्श शहर" के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान में किसी शहर को चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) नवम्बर, 1990 में नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान अध्ययन समिति की पिछली बैठक में एक ऐसे औद्योगिक माडल शहर की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था जो जापानी प्रौद्योगिकी के साथ भारत की औद्योगिक क्षमता को संयुक्त कर सके। भारत जापान अध्ययन समिति की एक उप-समिति की स्थापना की गई है ताकि वह साध्यता अन्वेषण तैयारी की निगरानी कर सके। समिति की न तो अभी तक कोई बैठक हुई और न ही उसने प्रस्तावित औद्योगिक माडल शहर की स्थापना के लिये किन्हीं क्षेत्रों का अभि-निर्धारण किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

12.00 मध्याह्न

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलअधिनियम 1968 के अधीन अधिसूचना

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब के फरीदकोट निर्वाचन क्षेत्र से तत्कालीन संसद सदस्य सरदार जगदेव सिंह खुदियान की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई उसकी तथा मृत्यु के कारणों की जांच करने के मामले में जांच आयोग का प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2177/91]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (चौथा संशोधन) नियम, 1990 जो 5 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पांचवां संशोधन) नियम, 1990 जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा का.नि. 11 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 7178/91]

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1990, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं तथा नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड सिकन्दराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[हिन्दी]

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) योजना, 1990, जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 30 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1279/91]

(2) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1987 और 1988 के लिए उक्त अधिनियम, की धारा 15क के उपबन्धों के कार्यकरण के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2180/91]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2181/91]

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार दि मेंटली हैंडीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल. टी. 2182/91]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली तथा गृह कल्याण केन्द्र नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मन्त्री (श्री कमल मोरारका) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1990 जो 22 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (कॉडर में सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1990 जो 22 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (कॉडर में सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1990 जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 603 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1990 जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1990 जो 29

सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 606 में प्रकाशित हुये थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1990 जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 645 में प्रकाशित हुये थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1990 जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 646 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1990 जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 647 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1990 जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 648 में प्रकाशित हुये थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1990 जो 1 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716 में प्रकाशित हुये थे।

(ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1990 जो 1 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 715 में प्रकाशित हुये थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1990 जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 726 में प्रकाशित हुये थे।

(तेरह) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 1990 जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 727 में प्रकाशित हुये थे।

(चौदह) भारतीय वन सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 1990 जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728 में प्रकाशित हुये थे।

(पन्द्रह) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1990 जो 8 दिसम्बर,

1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 729 में प्रकाशित हुये थे ।

(सोलह) भारतीय वन सेवा (काडर में सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1990 जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2183/91]

(2) भूतपूर्व सेक्रेट्री आफ स्टेट सेवा अधिकारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1972 की धारा 10क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का नि. 12 जो 12 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि प्रत्ये भूतपूर्व सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवा अधिकारी, जो (पौंडस) स्ट्रलिंग में पेंशन ले रहे हैं, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन पेंशन पर राहत दी जाये, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 2184/91]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा .

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 2185/91]

(4) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखेगये । देखिए संख्या एल. टी. 2186/91]

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दलई चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2187/91]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार एन्टरप्रियोरशिप एण्ड स्माल बिजनैस डिवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार एन्टर प्रिन्योरशिप एण्ड स्माल बिजनैस डिवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2188/91]

(4) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत महानियंत्र पेटेन्ट्स, डिजाइन्स तथा ट्रेड मार्क्स के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2189/91]

(5) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत महानियंत्रक, पेटेन्ट्स डिजाइन्स तथा ट्रेड मार्क्स के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2190/91]

(6) (एक) प्रोसेस एण्ड प्रोडेक्ट डिवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रोसेस एण्ड प्रोडेक्ट डिवलपमेंट सेंटर, आगरा के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2191/91]

12.01 म. प.

राजीव गांधी, संसद सदस्य के आवास तथा कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर निगरानी करने का समाचार

[अनुवाद]

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : महोदय यह एक बहुत गम्भीर मामला है

(व्यवधान)

12.02 म. प.

इस समय श्री सी. के. कुप्पुस्वामी आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह तरीका नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री के. सी. कुप्पुस्वामी : महोदय, आप मुझे अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रंगा, कृपया क्या आप उन्हें अपनी सीट पर जाने के लिये कहेंगे ? मैंने उन्हें कहा है कि मैं उनकी बात सुनूंगा।

12.03 म. प.

(व्यवधान)

(इस समय श्री के. सी. कुप्पुस्वामी अपने स्थान पर वापिस चले गये।)

श्री इरा अन्बाराशु (मद्रास मध्य) : महोदय, मुझे एक विश्वसनीय तथा स्पष्ट सूचना प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अवसर दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस समय प्रधान मन्त्री बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन आप की अनुमति से प्रारम्भ में ही कर दूं। एक माननीय सदस्य की लड़की का अपहरण हुआ है। सरकार उस बारे में पूरी सतर्कता से काम कर रही है। मैं माननीय सदस्यों से एक ही निवेदन करूंगा कि उस पर अगर इस स्थिति में बहस न हो तो ज्यादा अच्छा होगा। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बहुत से मामले उलझ सकते हैं, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अगर मेरा यह निवेदन सदन स्वीकार कर ले तो बहुत अच्छा होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इरा अन्नारासु : महोदय, हमारे पास विश्वसनीय तथा निश्चित सूचना है कि सरकार श्री राजीव गांधी के निवास स्थान 10, जनपथ तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कार्यालय 24, अकबर रोड़ पर भी निगरानी रख रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं अपने नेता की जासूसी करने के पीछे क्या उद्देश्य है उसे जानना चाहता हूं। क्या ऐसा कांग्रेस में फूट डालने के लिए किया जा रहा है ? मैं प्रधान मन्त्री से इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं··· (व्यवधान) चूंकि श्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान उनके भी टेलीफोन टेप किये गये थे। इसलिये मैं प्रधान मन्त्री से निगरानी रखे जाने संबंधी मामले में स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं ·· (व्यवधान)।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बहुत ही गंभीर बात है और मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार किसी की भी निगरानी नहीं करती है। सरकार के प्रयास से ही यह तथ्य सामने आया है। दो दिन पूर्व श्री राजीव गांधी के निवास के सामने दो व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़ा गया। उनसे पूछ-ताछ की गई और उन्होंने बताया कि वे हरियाणा पुलिस के खुफिया लोग हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया प्रधान मन्त्री को धैर्यपूर्वक सुनेंगे ?

श्री चन्द्रशेखर : ज्यों ही सरकार को यह सूचना मिली हमने जांच शुरू कर दी। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि ऐसे कार्यों में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध हर संभव कार्रवाई की जाएगी। यह पूर्णत: अस्वीकार्य है, अनैतिक है और भारत सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है, और मैं इसे पूरी तरह अमान्य ठहराता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने श्री राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की निगरानी का जो मामला उठाया है, और उसका प्रधान मन्त्री ने जो अभी-अभी उत्तर दिया है, वह स्थिति को और भी अस्पष्ट बना देता है, क्योंकि अब यह बात खुल गई है कि हरियाणा सरकार के खुफिया लोग श्रीगांधी के निवास पर थे, ऐसी यह बात है, जिसे पूरी तरह रोक दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं पहले भी एक दिन कह चुका हूँ कि निगरानी रखने, चोरी-छिपे फोन सुनने और राजनीतिक नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखने संबंधी केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के दस्तावेजों को इतना अत्यंत गोपनीय नहीं समझा जाना चाहिये, कि उनसे सरकारी तौर पर सभा को भी अगत ही न कराया जा सके। अब वह रिपोर्ट दूसरे सदन के सभा पटल पर गैर-सरकारी तौर पर रखी गई है। मुझे विश्वास है कि इस सरकार को इस तरह के कार्यकलापों से कुछ भी लेना-देना नहीं है, अत: मैं प्रधान मन्त्री और इस नई सरकार से इस पर प्रकाश डालने की पुन: अपील करता हूं, आपने जिन प्रथाओं को गलत और अनैतिक कहा है, उन्हें रोकने के लिये यदि केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर, राजनैतिक नेताओं और दलों की निगरानी तथा इस सदन में सविधाय और कार्यकारी, जो भी उपाय किए जा सकते हैं, उन पर मैं सभा में चर्चा की जाए तो उचित होगा। इस प्रकरण को यहीं बन्द नहीं माना जाना चाहिए अन्यथा यह क्रम चलता रहेगा।

श्री चन्द्रशेखर : मैंने अभी पिछले दिनों ही कहा था कि यह मामला न तो समाप्त हो गया है और न ही यह बन्द अध्याय है। सरकार पहले से ही इस मामले के हर पहलु की जांच कर रही है। मैं यह भी सभा को बताना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में पूरी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मैं विपक्ष के नेताओं से मिलकर उनकी सलाह लूंगा और जो भी उपचारात्मक उपाय आवश्यक होंगे, उन्हें संविधायी अथवा प्रशासनिक उपायों के द्वारा लागू किया जाएगा। मैं पहले ही सभा को आश्वासन दे चुका हूं और मैं इसे पुनः दुहराता हूं।

मेरे माननीय मित्र श्री आडवाणी ने कहा कि मैंने चोरी छिपे टेलीफोन सुनने संबंधी कभी कोई आदेश नहीं दिया है। मैं इसे किसी भी लोकतांत्रिक समय देश के लिये घृणास्पद बात मानता हूँ कि ऐसा कृत्य किसी राजनैतिक विरोधी के लिये किया जाए। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यह सरकार इस मामले की जांच कर रही है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साठे जी, बंसी लाल जी, मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री जी के जवाब के बाद भी, इस पर आपका कोई और सबमिशन करना रहता है।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : अध्यक्ष जी, जैसा अभी प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि हरियाणा की इन्टलिजैंस के वे लोग थे, क्या इसके आधार पर कोई इंक्वायरी सरकार कराएगी

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भजन लाल जी, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल : वहां की गवर्नमैंट की राय से ही यह सब हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये। मैं जानना चाहता हूँ साठे जी, प्रधान मन्त्री जी के जवाब के बाद क्या आपको कोई और राय देना बाकी रहता है।

श्री बसंत साठे (वर्धा) : नहीं, हमें दूसरी बात कहनी है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, हरियाणा में वही दल शासन में हैं, जो यहां सरकार चला रहा है। इसका साफ मतलब यह है···(व्यवधान)···

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, हम नहीं जानते कि उसको हरियाणा की गवर्नमैंट ने ऐसा आदेश दिया था या वह स्वयं कर रहा था या किसी अधिकारी ने कर दिया था परन्तु सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद हम आपको बतायेंगे लेकिन इस तरह कहना कि इस सरकार ने किया है या कुछ और, वह ठीक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : विल यू प्लीज टेक योर सीट। मैंने कहा आप बैठ जाइये। श्री वसंत साठे आप बहुत संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

साठे जी, प्रधान मंत्री के जवाब के बाद कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि गुंजाइश है, तो आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकार खुशी हुई कि सरकार इस समस्या की गंभीरता के प्रति जागरूक है। शायद हमें चोरी-छिपे टेलीफोन सुने जाने के संबंध में रिपोर्ट पर अथवा किसी अन्य मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न पर चर्चा करने का समय मिल जाएगा। मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद, जब तक इस मामले को सुलटा न लिया जाए, हमारा पूरी लोकतांत्रिक एवं संसदीय प्रणाली ही चरमरा जाएगी। इसलिए अभी उचित अवसर है। आज हरियाणा इससे संबंधित है, कल कोई दूसरा राज्य इससे संबंधित हो सकता है। यदि कोई राज्य सरकार अपने अधिकारियों को कहीं तैनात करती है। या किसी दूसरी तरह से उनका उपयोग करती है, तो मुझे भय है कि इससे स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जाएगी। अभी पिछले दिनों लक्ष्मण द्वारा बनाया गया एक सुन्दर कार्टून प्रकाशित हुआ था, जिसमें उच्च-धिकारियों द्वारा एक छोटे पुलिस अधिकारी को कानून और व्यवस्था भंग करने के लिए दंडित करते दर्शाया गया था। मैं केवल यह आशा करता हूं कि उन दो छोटे पुलिस अधिकारियों को बलिका बकरा नहीं बना जाएगा, जिन्होंने यह स्वीकार किया है कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था, क्योंकि मेरा यह विचार है कि कोई भी छोटे स्तर का अधिकारी स्वयं किसी एक राज्य से आकर एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक महत्वपूर्ण राजनैतिक दल के नेता की निगरानी करने की जोखिम नहीं उठायेगा। आज यह एक पार्टी की बात है कल हो सकता है कि स्वयं प्रधानमंत्री के घर पर राज्य सरकार निगरानी करने लगे। इसलिए महोदय, इस मामले को इतने हल्के-पुल्के से नहीं लिया जाना चाहिए और सभा को हरियाणा सरकार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। महोदय, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री इस घटना के बारे में पर्याप्त स्पष्टीकरण देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बंसी लाल (भिवानी) : स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना यह है कि हरियाणा की सी. आई. डी. का यहां हरियाणा भवन में बहुत बड़ा दफ्तर है। वायरलैस सैट वगैरह भी लगा रखे हैं। ये लोग गुड़गांव में रहते हैं और वहां से यहां आते-जाते हैं और सारे एम. पीज. की सरविलेंस करते हैं जिन-जिन की इन्हें करनी हो। साठे जी ने कहा कि इस प्रकार से तो प्रधानमंत्री जी का भी नंबर आ जायेगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी तो हरियाणा की सी. आई. डी. की सरविलेंस के अंडर में भी हैं। हरियाणा की सी. आई. डी. की अथारिटी ने आज भी प्रधानमंत्री जी की सरविलेंस कर रही हैं। हरियाणा का डी. आई. जी. (सी. आई. डी.) ज्यादातर दिल्ली

में रहता है और हरियाणा भवन से वही डी. आई. जी. (सी. आई. डी.) ग्रेन ब्रिगेड वालों को ए के-47 राइफल्स बांटता है। इसलिए यह मामला बहुत गम्भीर है। इसको गम्भीरता से लिया जाये। (व्यवधान) मेरा प्रधान मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी इन्क्वायरी करनी चाहिए कि इतनी पुलिस की हरियाणा सरकार को दिल्ली में रखने की क्या जरुरत है। और क्या वायरलैस सैट लगाने का लाइसेंस होम मिनिस्ट्री ने इनको दिया है जो ये हरियाणा भवन में लगाये हुये हैं और क्या पुलिस की गाड़ियों को दिल्ली में चलने के लिए वायरलैस सैट लगाने की अनुमति दी है, यदि दी है, तो क्यों दी है ? यह प्रधान मंत्री जी का महकमा है। इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करुंगा कि सारी जांच-पड़ताल करें और इसको सीरियली से तथा अपने को भी संभालें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, इस सभा में मैंने 9 अगस्त 1988 को चोरीछिपे टेलीफोन सुनने के मामले में तारांकित प्रश्न संख्या 198 पूछा था। तब श्री राजीव गांधी प्रधानमन्त्री थे। मेरे पास 9 अगस्त 1988 के लोक सभा के वाद-विवाद की मुद्रित रिपोर्ट है। उस समय प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से इन शब्दों में यह घोषणा की थी कि किसी भी राजनीतिज्ञ के टेलीफोन को केन्द्र सरकार चोरी-छिपे सुनने का कार्य नहीं किया गया है। महोदय, आपको केन्द्रीय ब्यूरो की रिपोर्ट का प्रमाणित प्रति दी गई है ·· (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रीविलेज मोशन दिया है।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है :

> "यह पाया गया है कि निम्नलिखित राजनैतिक व्यक्तियों के टेलीफोन को उनके समक्ष दर्शाई गई अवधि के दौरान बीच में सुना गया···"

कई राजनीतिज्ञों के नाम उसमें हैं और वे सभी जाने माने लोग हैं। दिनांक 9 अगस्त 1988 के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 198 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री राजीव गांधी ने कहा था कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी राजनैतिक व्यक्ति के टेलीफोन को चोरी-छिपे नहीं सुना गया। परन्तु अब इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया था और इसकी अवमानना की थी। इसलिए यह सभा के विशेषाधिकार का हनन है। मैंने राजीव गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के मामले पर नियम 223 के अन्तर्गत और 222 के अन्तर्गत नोटिस दिया है और मैं विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाने के लिए अध्यक्ष महोदय की अनुमति चाहता हूं। मुझे अनुमति दी जानी चाहिए। मैंने सभी दस्तावेज दे दिए है।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : माननीय सदस्य ने किसी रिपोर्ट से उद्धृत किया है, इसकी अनुमति आपने दी है। मेरा अनुरोध है कि उस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाए ··

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। मैंने आपके समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह अधिप्रमाणित प्रति है यह मूल रिपोर्ट की सत्यापित प्रति है। इसके बारे में हम आपके विनिर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि कोई माननीय सदस्य किसी रिपोर्ट से उद्धृत करते हैं तो उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात है कि यह रिपोर्ट उनके द्वारा अधिप्रमाणित होनी चाहिए··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह जानना चाहता हूं। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस मामले को सभा में उठाया गया है। रिपोर्ट को सभा की संपत्ति बनाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : प्रधानमंत्री महोदय ने आज सभा में एक आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन किया है। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका मुद्दा क्या है ?

श्री समरेन्द्र कुन्डु : पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए। महोदया, कृपया मेरी बात सुनिए। दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गयी है। यदि निगरानी की गयी है और प्रधान मन्त्री महोदय की बात सच है तो यह भूतपूर्व प्रधानमन्त्री के विरुद्ध है। मैं दूसरों की कही हुई बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि एक निश्चित समयावधि में इस मामले की रिपोर्ट और इस पर की गयी कार्यवाही से सभा को अवगत कराया जाना चाहिए। समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। इस मामले को स्थिति सी. बी. आई. की रिपोर्ट जैसी नहीं होनी चाहिए। यह मामला विशेषाधिकार समिति को भी सौंपा जाना चाहिए। (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी और जांच समिति की रिपोर्ट कब तक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं चोरी छिपे टेलीफोन सुनने संबंधी रिपोर्ट के बारे में उल्लेख नहीं करूंगा क्योंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है जिसका मैं भी सदस्य हूं। हम इसकी जांच कर रहे हैं। परन्तु दूसरा मामला भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। श्री अन्बारासु ने यह मामला उठाया है। प्रधान मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि राज्य सरकार के कुछ गुप्तचर अधिकारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जो दरअसल में असली प्रधानमंत्री, है, के निवास स्थान पर तैनात पाए गए थे। इससे दो बातें पैदा होती हैं। राजनैतिकों की निगरानी वैसे ही जारी है जैसे कि पहले की जाती थी।

एक माननीय सदस्य : ऐसा क्यों है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि यह निगरानी क्यों हो रही है। (व्यवधान) उन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया है कि निगरानी अब भी की जा रही है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं किसी बात का खंडन नहीं करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत अच्छी बात है। यह उनके लिए बिल्कुल उचित है क्योंकि यह ऐसी बात है जिसका आप खंडन नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि उस बात का पता लगाने में कितना समय लगेगा कि ये दो व्यक्ति किसके आदेश से और किसके कहने पर निगरानी कर रहे हैं ? हरियाणा दूर नहीं है। श्री बंसीलाल ने जो कुछ कहा है उससे मामला और भी जटिल हो जाता है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सी. डी. आई. के अनेक अधिकारी दिल्ली में तैनात हैं और वे दिल्ली में रहने वाले लोगों के आदेश पर कार्य कर रहे है। वह भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं और मेरा विश्वास है कि वह भी ऐसा ही करते थे। (व्यवधान)

श्री बंसी लाल : महोदय, मैंने यह कार्य कभी नहीं किया हो सकता है पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी ऐसा करती हो। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब ये सब बातें सामने आ रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें स्वीकार किया जा रहा है तो मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री हमें यह बतायें कि इन अधिकारियों को यहां तैनात करने का आदेश किस स्तर पर दिया गया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा इसका केन्द्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों की निगरानी की जा रही है। चोरी छिपे टेलीफोन सुनने के अलावा और भी घटनाएं घट रही हैं हमें प्रतीत होता है कि बड़ी कुचिकर घटना घट रही है। ऐसा लगता है कि आज हरियाणा सरकार इस सरकार को भी अस्थिर बनाना चाहती है।

श्री चन्द्र शेखर : परन्तु आपको तो इसे अस्थिर नहीं बनना चाहिए।

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : आप भी शिष्टाचार वश भेंट करने के लिए जाते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं शिष्टाचारवश भेंट करने जाता हूं न कि ताक-झांक करने।

इसलिए यह ऐसा मामला है जिसका उपहास नहीं उड़ाया जाना चाहिए अथवा मजाक में नहीं लेना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि सरकार पर हमेशा दबाव डाला जाता है लेकिन फिर भी उन्हें वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए। दबाव में मत आइए। आपको हमें तथा इस देश को बताना है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य उत्तेजित हो गए हैं। अम्भवत: वे यह सोच रहे हैं कि इसके बाद वे क्या करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय को हमें बताना चाहिए कि इन दो अधिकारियों को निगरानी का आदेश किसने दिया था। यह बड़ा गम्भीर मामला है।

डा. तम्बि दुरै (करूर) : मसोदय, अनेक नेताओं ने इस गम्भीर मामले अर्थात राजनीतिक नेताओं की निगरानी को उठाया है और हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने भी इसे स्वीकार किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उन्होंने जानकारी भी दी है। (व्यवधान)

डा. तम्बि दुरै : हमने सभा में अनेक बार इस मामले को उठाया है कि राजनैतिक नेताओं की निगरानी क्यों की जा रही है। मेरे राज्य में भी श्रीमती जयललिता के निवास पर निगरानी रखी गयी। इस मामले को हमने सभा में उठाया था। उस समय उनके पत्रों को पढ़ा गया और पुलिस ने ले लिया।

यह बड़ा गम्भीर मामला है जिसके बारे में समूची सभा चिंतित है। इसलिए हमने इस मामले को पहले भी उठाया था।

श्री बंसी लाल ने यह और बताया है कि केवल भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के निवास को ही नहीं बल्कि वर्तमान प्रधानमन्त्री के निवास की भी निगरानी की जाती है। यह गम्भीर मामला है। हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए और इसके बारे में चर्चा भी करनी चाहिए।

प्रो. मधु दण्डवते ने भी एक दूसरा मामला उठाया है। उन्होंने भी श्री चौधरी के पत्रों के आधार पर कुछ उद्धृत किया है वह चाहते हैं कि उन्हें अभी सभा पटल पर रखा जाय। उन्होंने बताया है कि इसके लिए आपने अपनी अनुमति नहीं दी है। परन्तु इसके बावजूद उन्होंने इन्हीं पत्रों से उद्धृत किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

प्रो. मधु दण्डवते : यह अधिप्रमाणित दस्तावेज है।

डा. तम्बि दुरै : आपने इन्हें अधिप्रमाणित नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चोरी छिपे टेलीफोन सुनने के बारे में प्रो. दण्डवते ने जो कुछ उद्धृत किया है क्या उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा उन्होंने नाम भी उद्धृत किए हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इन पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या आपने यह कहा है कि उन्हें इन पत्रों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि मैं इस मामले पर विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, प्रोफेसर दंडवते ने जो राजीव गांधी जी के खिलाफ जो प्रिवलेज मोशन का प्रस्ताव दिया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, आपने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति किस प्रकार दे दी ? आपने इसकी अनुमति किस प्रकार दे दी ? क्या आप प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें मैंने अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अच्छा ठीक है, जिसमें भी दी हो। अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है, इतना गम्भीर है कि इस सदन में आप अध्यक्ष हैं···(व्यवधान)···देखिए, चिल्लाइये मत।···(व्यवधान)···इस सदन के माननीय सदस्यों की रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है···

अध्यक्ष महोदय : तो आप इसको क्यों उठा रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : ठीक है, मैं प्रिवलेज मोशन पर नहीं बोल रहा हूं, टेलीफोन टैप पर बोल रहा हूं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : उस पर नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, उन्होंने नोटिस दिया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, यह क्या हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर नहीं बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं। अध्यक्ष जी, यह कांग्रेस पार्टी सारे पापों की जननी है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि अब्तुले साहब यहां बैठे हुए हैं, कुमारमंगलम् बैठे हुए हैं, के. सी. पन्त जी यहां नहीं हैं, इन सारे नेताओं का टैप टेलीफून किया गया और जो सी. बी.आई. रिपोर्ट में दिया है, इस तरह का हुकम राजीव गांधी द्वारा पार्लियामेंट में उस समय प्रधान मंत्री की हैसियत से किया गया था और उन्होंने इस बात से इंकार किया था। श्री रामकृष्ण हेगड़े ने इस सम्बन्ध में एक एग्जाम्पल पेश किया था, मुख्य मंत्री की हैसियत से और राम कृष्ण हेगड़े ने इस्तीफा दिया था तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजीव गांधी लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हैं ? राजीव गांधी को राजनीति में आने···

अध्यक्ष महोदय : राम विलास पासवान जी, समाप्त कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : उनको कोइ नैतिक अधिकार नहीं है, जिस राजीव गांधी ने अपने शासन काल में टेलीफोन टैप करवाने काम किया है···

अध्यक्ष महोदय : हो गया ।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दण्डवते : यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्री तम्बि दुरै ने यह चुनौती दी थी कि वह इस आरोप से इंकार करते हैं । लोक सभा के 9 अगस्त 1988 के रिकार्ड में यह दिया हुआ है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने यह कहा था कि कोई भी राजनेता···

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय, हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरा प्रधान मंत्री जी से आग्रह है कि प्रधान मन्त्री जी कृपया आज एश्योरेंस हाउस में देंगे, इस सदन को आश्वासन देंगे कि आज के बाद से किसी पोलिटीशियन का टेलीफोन टैप नहीं किया जायेगा और पूर्ववर्ती प्रधान मन्त्री ने जो टैप किया है तो उसके लिए राजीव गांधी देश के सामने क्षमायाचना करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, अब आप यह समझ ही गये होंगे कि सदन इस मामले पर पूर्ण चर्चा चाहता है और यह सी. बी. आई. की रिपोर्ट को आधार बनाकर ही हो सकती है और हम रिपोर्ट को अनदेखा नहीं कर सकते हैं मैं इसमें से उद्धृत करता हूं । इसमें कहा गया है :

> "···जांच के दौरान बहुत ही कठिनाई से एकत्र किए गए दस्तावेजों से यह पता चलता है कि निम्नलिखित राजनीतिक लोगों के टेलीफोनों को उनके नाम के सामने दी गई अवधि के दौरान टैप किया गया था ।"

मैसर्स आरिफ मोहम्मद खां (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी नहीं । मैं प्रधान मन्त्री से यह जानना चाहता हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, अब प्रधान मन्त्री बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैं मांग करता हूं कि आप अपना निर्णय अभी दें ।·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं···

((व्यवधान)

अध्यक्षमहोदय : कुछ और भी बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। कृपया बैठ जाइये, जी हां, प्रधान मन्त्री।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने से इन्कार क्यों कर दिया ? और अन्य माननीय सदस्य ने यह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी है। (व्यवधान)

[हिन्दी] :

अध्यक्ष महोदय : बाद में सवाल कर लिये जायेंगे।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : विशेषाधिकार के प्रश्न पर मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे केवल अपने माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देना है कि इस मामले का शनिवार को ही पता चला है। कल रविवार था। आज सोमवार है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि इसे जल्दी ही निपटाया जायेगा।

डा. विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण)। कब ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनेश्वर मिश्र।

12.29 म. प.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल),* 1990-91

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं वर्ष 1990-91 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। (संख्या एल. टी.2192/91)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय। दिनेश सिंह जी, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते द्वारा किस रिपोर्ट से उद्धृत किया गया है मैंने उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उन्होंने उद्धृत किया था। नियम 369 के साथ पठित अध्यक्ष महोदय के निर्देश 118 के अन्तर्गत जब किसी सदस्य ने रिपोर्ट में से उद्धृत किया हो और उसकी सत्यता को साबित करने को वह तैयार हो तो उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। उसके बिना कोई अन्नपूर्ण चर्चा किस प्रकार हो सकती है ? वह बोजाना इसमें से उद्धृत करते रहेंगे और हम उस दस्तावेज को देख भी नही पायेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि दस्तावेज में क्या दिया हुआ है। अतः जब आपने उन्हें इसमें से उद्धृत करने की अनुमति दी है तो उसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। यही निर्देश 118 है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो दिनेश सिंह जी से कहा है, चौधरी जी ने जो नोटिस दिया है, ऑथेंटिकेट करने के लिए, वह हमारे विचाराधीन है और उस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश सिंह : मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिसमें से श्री दण्डवते ने उद्धृत किया था ना कि श्री सैफुद्दीन चौधरी ने।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : मैं चाहूँगा कि आप इस मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार करें। और आपने यह ठीक ही कहा है कि आप इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। मैं कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं। किन्तु, अध्यक्ष महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की प्रथा सदन में प्रचलन रहनी चाहिए या नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : किस प्रकार की प्रथा (व्यवधान) रिपोर्ट में देश की अनेकों राजनैतिक हस्तियों के नाम दिये हुए हैं जिनके टेलीफोन टेप किये गये थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : वह हमारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जब कहा कि विचाराधीन है, तो हम को क्वैश्चन कर रहे हैं।

श्री चन्द्र शेखर : नहीं, हम क्वैश्चन नहीं कर रहे हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात आपको अपना निर्णय देना चाहिए।(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रधान मन्त्री ने यहां टिप्पणी की है कि सी. बी. आई. की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने की प्रथा नहीं है। मैंने पूर्वदृष्टान्त को दिया है। श्री अनंतसायनम

आयंगर ने निर्णय दिया था। इसके आधार पर श्री एच. वी. कामथ ने सभा पटल पर रिपोर्ट रखी थी। अतः प्रधान मंत्री की टिप्पणी से आप बाध्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बिप्लव दास गुप्त, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बिप्लवदास गुप्त, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता श्री आडवाणी।

प्रो. मधु दण्डवते : इससे पहले कि श्री आडवाणी अपने विचार रखें मैं जानना चाहता हूं कि मैंने श्री राजीव गांधी के विरुद्ध जो प्रस्ताव किया था उसका क्या हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह सब मैं देखूंगा। उनकी टिप्पणी और आपकी टिप्पणी सब को विचार में रखकर रूलिंग दूंगा।

[अनुवाद]

मैं इस पर गौर करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस बारे में मुश्किल क्या है ? प्रधान मन्त्री द्वारा रिपोर्ट को सभा पटल पर क्यों रखा गया है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसका उत्तर दे दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इसे सभा पटल पर रखने से इंकार क्यों कर दिया ?

(व्यवधान)

डा. बिप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : यहां कोई महत्वपूर्ण संसद सदस्यों के नाम दिये हुए हैं। हमें आपका निर्णय कब सुनने को मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी अपना निर्णय नहीं दे रहा हूं।

———

12.34 म.प.

अन्तरिम बजट (सामान्य) 1991-92)

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री जी बोलेंगे। जी हां, श्री आडवाणी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्तर्गत सामान्य तौर पर वार्षिक बजट संसद के समक्ष 28 फरवरी को ही निरपवाद रूप से सायं 5.00 बजे प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष यह बजट 4 मार्च को रखा जा रहा है तथा वह भी "अन्तरिम बजट" के नाम से अत: इसे बजट कहना ही मिथ्या है। यह बजट नहीं है बल्कि यह लेखानुदान है। मैं उन सभी तर्कों को दोहराना नहीं चाहता तो हमने यहां पर प्रस्तुत किए हैं कि हम सरकार द्वारा अपनाई गई इस प्रकार की पद्धति के विरुद्ध क्यों हैं। मैं केवल यही कहूंगा कि हमारे विचार से सरकार के इस निर्णय से देश को अर्थ-व्यवस्था काफी बुरी तरह प्रभावित हुई है। भुगतान संतुलन की स्थिति जो खराब थी और बदतर हो गई है तथा तीन महीने पश्चात जब भी जिस किसी भी वित्त मन्त्री अथवा सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा, कोई भी नहीं जानता कि कौन सी सरकार उस समय होगी। चूंकि कम से कर मैंने कांग्रेस दल के वरिष्ठ सदस्यों को यह कहते हुए सुना है कि ऐसी किसी अल्पमत सरकार द्वारा पूर्ण बजट प्रस्तुत नही किया जाना चाहिए तथा किसी··· (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : हमने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्री प्रणव मुखर्जी ने जो कहा है वह कार्यवाही—वृत्तान्त में सम्मिलित है। खैर, मैं उन सभी बातों का यहां पर उल्लेख करना नहीं चाहता। चूंकि हम इस पद्धति के खिलाफ थे, इसीलिए हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था किन्तु इसके पीछे हमारा अभिप्राय राष्ट्रपति की अवमानना करने का नहीं था। हमने रल मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्तरिम बजट का भी बहिष्कार किया था। अपने इस कदम को हर प्रकार से उचित ठहराते हुए हम पुन: अपना विरोध प्रकट करने के लिए उस समय सभा की बैठक का बहिष्कार करेंगे जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मन्त्री स्वयं भी इस निर्णय से काफी अप्रसन्न हैं। इसलिए जब बजट प्रस्तुत किया जाएगा उस समय मुझे मजबूरन सभा से बहिर्गमन करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, इकोनोमिक सर्वे भी इन्होंने पेश नहीं किया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कांग्रेस (आई), जिसके समर्थन के बिना यह सरकार एक दिन भी नहीं चल सकती, द्वारा यह कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस (आई) ने सरकार को बताया था कि यदि बजट प्रस्तुत किया गया तो उस समय सत्तारूढ़ जनता दल (समाजवादी) द्वारा वर्तमान राजनैतिक अस्थिरता का सामना करने के लिए सभा में क्या कठिनाईयां पेश आएंगी।

इसका कहना यह है कि बारह सप्ताह वाले इस बजट सत्र में 24 बार मतदान कराने की आवश्यकता होगी तथा सत्तारूढ़ अल्पमत वाली इस सरकार के कारण वास्तव में वित्त विधेयक के अस्वीकृत होने के ही काफी आसार हैं। इस समय उन्हीं सज्जन द्वारा यह कहा जा रहा है जो कांग्रेस (आई) के हैं कि उन्होंने बजट तैयार करने के सम्बन्ध में वित्त मन्त्री जी से बात की है। श्री प्रणव मुखर्जी ने ऐसा कहा है (व्यवधान)

मैं जानना चाहूंगा कि यह सरकार अपना बहुमत कैसे बना पाएगी ? जब तक अल्पमत सरकार रहती है तब लेखानुदान कितने माह के लिए हो सकता है, अथवा तीन माह के लिए ? अतः किस समय तथा कैसे बजट पेश किया जायेगा ? यही कारण है कि इस सरकार पर बजट प्रस्तुत नहीं करने के लिए दबाव डाले गए हैं। इससे पूर्व यह कहा गया था कि तमिलनाडु में चुनाव होने से कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वास्तविक स्थिति यही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्योंकि इस स्थिति में तमिलनाडु से निर्वाचित सदस्य उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। श्री प्रणव मुखर्जी का कहना है कि वह कारण नहीं है। कारण यह है कि इस सरकार के लिए इस बजट सत्र को जारी रखना और 24 बार मतदान होने की स्थिति में संसद का सामना करना शायद सम्भव न हो। जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, क्या देश का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कांग्रेस (आई) बजट प्रस्तुत कराना चाहती है अथवा नहीं ? क्या यह इस बात पर निर्भर होगा कि तमिलनाडु में चुनाव कराए जाएंगे अथवा नहीं ? संविधान किस प्रावधान अथवा नियमों के अन्तर्गत यह अन्तरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। अन्तरिम बजट का कोई प्रावधान नहीं है। बजट सम्बन्धी प्रस्ताव के पश्चात यह आवश्यक है कि लेखानुदान पेश किया जाए। जब तक इस पर चर्चा होती है तब तक बजट प्रस्तावों के केवल एक भाग को ही खर्च करने के लिए लेखानुदान के आधार पर स्वीकृति दी जा सकती है। सम्पूर्ण लेखानुदान प्रणाली का ही यह उपहास है। संविधान सभा में हुई बहस के दौरान डा. अम्बेडकर ने जो कुछ कहा था यदि हम उस पर गौर करें तब हम देखेंगे कि किसी आकस्मिकता से निपटने के लिए ही केवल यह चर्चा की गई थी ताकि सरकार द्वारा रखी जाने वाले बजट सम्बन्धी अनुदान, मांगों पर चर्चा करने के लिए सदस्यों को पर्याप्त समय मिल सके तथा इस चर्चा का उद्देश्य केवल यही था कि लेखानुदान पर सदस्यगण पर्याप्त चर्चा कर सकें। इग्लैंड में भी इस प्रकार की चर्चा करवाने का उद्देश्य केवल यही था ताकि सदस्यों को बजट प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए तथा सभा में इस पर उचित चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके इसीलिए इस पद्धति को अपनाया गया है। महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में पिछली बार पूछा था जिसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। 15 फरवरी को हमारा बुलेटिन जारी कर दिया गया था, राष्ट्रपति जी ने निर्देश दे दिया था, तारीखें निर्धारित कर दी गई थी तथा उस तारीख से छः दिन के अन्दर सभा बुलाई जानी थी। तत्पश्चात उसी समय सरकार ने पूर्ण बजट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया तथा बजट सामान्य चर्चा तथा अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए तारीखें निर्धारित की गई हैं। इन छः दिनों के दौरान सरकार ने अपना विचार बदल दिया। इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है। अन्यथा बजट तैयार था। तब क्या हुआ ? प्रधानमन्त्री जी इस देश के प्रति जवाब देह हैं। स्वयं वित्त मन्त्री जी ने इसी सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त गम्भीर

है तथा सरकार को अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयास करने चाहिए। नये कर सम्बन्धी प्रस्तावों को लाए बिना वे देश की आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त ससाधन कैसे जुटा पाएंगे ? क्या सरकार का यह विचार है कि वर्तमान नियन्त्रित मूल्यों में और वृद्धि की जाए अथवा बजट के अलावा भी क्या वे राजस्व जुटाएंगे ? बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत किये बिना वे अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटा सकते हैं ? (व्यवधान) यदि बजट के बिना इस सरकार की सारी आशाएं केवल लेखानुदान पर टिकी हुई है तब यह सरकार भी प्रा. मधु दण्डवते के बजट तथा उनके वित्तीय प्रस्तावों का अनुकरण कर रही है (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्री चटर्जी मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत बजट के बारे में अब बाद में भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये इस देश में हम एक प्रकार के आडम्बर का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता पार्टी का बजट ठीक नहीं था। अब वे उसी का पालन कर रहे हैं···(व्यवधान) महोदय, हम एक बात जानना चाहते हैं कि 15 फरवरी को राष्ट्रपति ने निदेश दिए थे और हमारा बुलेटिन समय सारणी के साथ जारी किया गया था जिसे आपने स्वीकृत किया था। इन छः दिनों में क्या हो गया ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक और बुलेटिन भी था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं, यह बाद में जारी किया गया राष्ट्रपति जी ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि बजट प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने सदस्यों को बजट सम्बन्धी कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। अब ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। महोदय, हम इसका वास्तविक कारण जानना चाहते हैं। उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए और वह देश को वास्तविक कारण बताएं कि कांग्रेस आई ने उन्हें बजट प्रस्तुत न करने के लिए कहा था क्योंकि वह इस सभा के बाद देश की जनता का सामना नहीं कर सकते हैं यह शासन की संसदीय प्रणाली का मजाक है। हम इसका विरोध करते हैं। हम इसमें भाग नहीं ले सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इन सरकारों के वित्त मन्त्रियों ने अनेक बार पहले भी यह उपाय अपनाए हैं। एक बार चुनाव वर्ष के दौरान भी ऐसा किया गया था। क्या इसे चुनाव वर्ष माना जाए ? कृपया बताइए। इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं भी उसी बुलेटिन का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसका श्री चटर्जी ने उल्लेख किया था। महोदय, बुलेटिन अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से जारी किया गया था। अब आप इसे साधारण तौर पर ले रहे है लेकिन मेरे विचार से अध्यक्ष पद के साथ ऐसा बर्ताव करना ठीक नहीं है ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे साधारण तौर पर नहीं ले रहा हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आपने बुलेटिन में विस्तृत समय-सारणी और कार्यक्रम दिया था कि बजट सम्बन्धी कार्यवाही कैसे की जाएगी और यहां तक कि विभिन्न मंत्रालय के अनुदानों के लिए तिथियां भी निर्धारित कर दी गई थीं। अब बिना कुछ बताए कार्यपालिका ने इन सब में परिवर्तन

कर दिया है। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। महोदय, चुनाव वर्ष के बारे में हमें केवल यही बताया गया है कि तमिलनाडु में जल्द ही चुनाव होने वाले है। क्या तमिलनाडु चुनाव से पहले ही वे भयभीत हो गये है ? (व्यवधान) मैं समझता हूं कि उन्हें कुछ और आवश्यक कड़े उपाय अपनाने चाहिए। मैं उन पर आरोप नही लगा रहा हूं क्योंकि देश की गम्भीर आर्थिक और वित्तीय स्थिति के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है। सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है ? वह तमिलनाडु चुनाव से पहले कड़े कदम नहीं उठाना चाहती ताकि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में रहे। क्या इन मुद्दे से निपटने का यह सही तरीका है ? सरकारी लिमिटेड कम्पनी के शेयर धारक, निर्देशक मंडल को वार्षिक तुलन पत्र, लाभ और हानि के लेखे तथा शेयर धारकों के व्यय बताने के लिए कहे कि उन्होंने कितना धन अर्जित किया, कितना व्यय किया, कितना लाभ अथवा हानि हुई और आगामी वर्ष मे वह क्या करना चाहते हैं। क्या आप जानते है कि यदि निर्देशक मंडल उस वर्ष का तुलन पत्र देने से इंकार करते रहेंगे तो शेयर-धारक क्या करेंगे ? इसी प्रकार हम भी इस संसद के शेयर-धारक हैं जिन्हें जनता ने यहां भेजा है। संविधान ने उन्हें इस संसद को वार्षिक लेखे देने का दायित्व सौंपा है। लेकिन कोई स्पष्टीकरण दिए बिना और औचित्य बताए बिना वह अचानक ही पूरा बजट प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। देश इन समस्याओं का सामना कैसा करेगा ? हमें कुछ जानने और उस पर बोलने का अवसर क्यों नही दिया जा रहा है ? मेरे विचार से इस वर्ष यह बहुत गलत ही नहीं बल्कि अनैतिक प्रथा अपनाई जा रही है। हर किसी ने समाचार पत्रों मे लिखा है—मैं नही जानता कि क्या यह सही है अथवा नहीं—कि श्री यशवन्त सिन्हा ने पूरा बजट तैयार किया हुआ था। यदि बजट तैयार था तब पूरा संसद में प्रस्तुत क्यों नही किया गया।

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आप कैसे कह सकते हैं कि उनके पास तैयार था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त। मैंने यह नहीं कहा कि मैं जानता हूं। मैंने कहा है कि सारी प्रेस ने यही लिखा है। उन्हें इस बात का खंडन करना चाहिये और कहना चाहिये कि वे इस बजट बनाने में सक्षम नहीं है··· (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव। कृपया हमें बताएं कि वर्ष 1952, 53, 57 और 58 में क्या हुआ था ··· (व्यवधान)·· वह सही बात नहीं बता रहे हैं। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बजट प्रस्तुत न करके वह राष्ट्र के प्रति अपने वित्तीय दायित्वों से पीछे हट रहे हे। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नही है। इसलिए हमें दुख के साथ सरकार के इस रवैये का विरोध करना पड़ रहा है। (व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन (मवेलीकारा) : सरकार को लेखानुदान प्रस्तुत करने का औचित्य बताना चाहिए। मैं मुख्यत: श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि वह बिना किसी आधार के श्री प्रणव मुखर्जी को उद्धृत करते हुए हम पर आरोप

लगा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि श्री प्रणब मुखर्जी कब से उनके लिए इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गये हैं। पता नहीं वह कहां से उद्धरण दे रहे हैं और उनकी प्रमाणिकता क्या है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रत्येक समाचार-पत्र मे इस बारे में उल्लेख किया गया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप उन्हें इसे समाचार पत्र पर रखने के लिए कहें। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता ने पहले ही कहा है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने कहां पर कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : निर्मल बाबू, जब सदस्य बोल रहे हैं तब आप बीच में बाधा नहीं डालें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : कांग्रेस दल सत्तारुढ़ दल नहीं है। हमारा इस निर्णय से कुछ लेना-देना नहीं है। यह सरकार का निर्णय है (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया जो वह बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दीजिये। आप किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ?

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है ? आप पूरा बजट चाहते हैं या नहीं यह बताइए। आप यह क्यों नहीं बताते कि आपका रुख क्या है ? क्या आप लेखानुदान से खुश हैं ?

(व्यवधान)

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप कृपया सुनें। सरकार सामान्य बजट या लेखानुदान कुछ भी लाने के लिए स्वतन्त्र है। यह निर्णय उसे लेना है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : परन्तु आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : कृपया सुनें। सरकार ने इस सवाल के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय लिया है, अतः···(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम-दम) : उन्होंने आपकी सलाह पर ध्यान दिया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : सरकार ने यह निर्णय ले लिया है। हम इस निर्णय का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह हमारा निर्णय नहीं है। अब हमें दोष नहीं दे सकते।···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने उन्हें मजबूर किया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : जी नहीं, हमने उन्हें मजबूर नहीं किया है। यह बहुत ही विद्वेष पूर्ण आरोप है···(व्यवधान)···

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : इस लेखानुदान की वजह से भारत सरकार को 2000 करोड़ की हानि होगी।···(व्यवधान)···

प्रो. मधुदण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लेखानुदान की बात है, यह संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार है। वास्तव में जब संविधान सभा में इस पर वाद विवाद हुआ, तो मूल मसौदे में लेखानुदान का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन जब यह कहा गया कि यदि हमें पर्याप्त समय न मिल पाये क्यों सामान्य बजट के लिए भी बजट पेश करने से लेकर विनियोग विधेयक और अन्तिम वित्त विधेयक स्वीकृत करने तक सभी प्रक्रिया पूरा करने के लिए 8 से 10 सप्ताह चाहिए और इस तरह यदि समूची बजटकारी प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी नहीं होती है तो 1 अप्रैल को खर्च करने के लिए कोई भी धन उपलब्ध नहीं होता। अतः यह सोचा गया कि अनुच्छेद 116 के भारत की संचित निधि में से कुछ राशि निकालना संभव होगा और भले ही यदि समूची बजटकारी चर्चायें पूरी न हुई हों, और 31 मार्च से पहले वित्त विधेयक स्वीकृत नहीं हो तो तकनीकी रूप से लेखानुदान पेश किया जा सकता है और उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसमें दो महीने या तीन महीने या चार महीने का प्रावधान किया जाएगा। यह मूल विचार था। अब हमारे ये मित्र, जिस लेखानुदान को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वह वास्तव में अलग तरह का है, एक माननीय सदस्य ने मुझसे इसका जिक्र किया था और कहा था कि मैंने भी लेखानुदान पेश किया था। मैं नहीं जानता कि वह मेरा उल्लेख एक भूतपूर्व रेल मन्त्री या एक भूतपूर्व वित्त मन्त्री के रूप में कर रहे हैं। जहां तक मेरे वित्त मन्त्री के रूप में काम करने की बात है, मैंने एक पूर्ण बजट पेश किया है। कृपया इसे निश्चित समझें। उस समय पूर्ण बजट पेश किया था। लेकिन 1977 में जब मैं रेल मन्त्री था और श्री एच. एम. पटेल वित्त मन्त्री थे तो हमें यह पदभार 25 मार्च और 28 मार्च 1977 को दिया गया था और हमें अन्तरिम बजट या लेखानुदान पेश करना था। अतः 1977 में उन तीन दिनों के अन्दर बगैर किसी आमकल्पना के एक पूर्ण बजट कैसे पेश करते। केवल तीन दिन मिले थे और 31 मार्च तक हमें यह प्रक्रिया पूरी करनी थी। इसी वजह से हमें लेखानुदान पेश करना पड़ा था। कृपया इस बात को समझने की कोशिश करें।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब उनके पास पूरा समय था, जब बजट संबंधी सारे कागज छप चुके थे शायद केवल बजट भाषण छपना बाकी था जब इस प्रक्रिया की पहल ही शुरुआत हो चुकी थी और जब आपने बजट सत्र की समय सारणी भी घोषित कर ली थी जब उस दिन का भी निर्धारण हो चुका था जबकि इस पर चर्चा होगी, तो इन सब बातों के बावजूद जब लेखानुदान की बात की गयी तो यह प्रधानमंत्री के परेशानियों की वजह से नहीं हुआ। 1977 में हमने 25 मार्च और 28 मार्च को पदभार संभाला था और हम बजट पेश करना था तथा पूर्ण बजट के लिए समय नहीं था। इनके पास पूरा समय था। बजट तैयार था, लेकिन केवल राजनीतिक विवशता की वजह से उन्होंने लेखानुदान लाने का निर्णय किया। जैसे कि श्री कुन्डु ठीक ही कह रहे थे कि वे जानते थे कि यदि कराधान के वर्तमान स्तर पर यह बजट प्रस्तुत किया गया, तो क्या हानि होगी। इसका मतलब है कि यदि लेखानुदान 4 महीने के लिए पेश किया जाता है तो उन्हें संशोधित करों और राजस्व की उगाही के लिए केवल आठ महीने का समय मिल पाएगा। मतलब यह कि 12 महीने के बजट के लिए उनके पास केवल 8 महीना का राजस्व होगा, अतः इससे काफी नुकसान होगा। इसके फलस्वरूप वित्तीय घाटा बढ़ेगा वे तमिलनाडु के चुनाव के अवसर पर इस

स्थिति से बचना चाहते थे और जैसे कि इन्द्रजीत जी ने ठीक ही कहा है कि विकास और वृद्धि की वेदी पर उन्होंने अपनी आर्थिक और वित्तीय व्यवहर्यिता कुर्बान कर दी है और यही लेखानुदान की योजना है। इसमें प्रशासनिक कठिनाई की बात नहीं है और न ही इसमें आर्थिक स्थिति प्रभावी होने की कोई बात है। केवल तमिलनाडु चुनाव के अवसर पर राजनैतिक जरूरत के रूप में एक उदार बजट पेश करने के लिए उन्होंने यह किया और इसीलिए हम महसूस करते हैं कि यह न्यायोचित नहीं है तथा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में जहां तक समूचे विपक्ष का सवाल है, हम सदन से बाहर चले जाना चाहेंगे···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : भारत के संविधान में एक वित्तीय वर्ष से एक अधिक बजट पेश करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अनुच्छेद 116 में सरकार को विशेष रूप से यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी वित्तीय वर्ष के कुछ महीनों के लिए या पूरे वर्ष के लिए लम्बित बजट को पारित करने की बजाय लेखानुदान पारित कर सकती है।

अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं। माननीय वित्त मन्त्री बोल सकते हैं।

इस समय प्रो. मधु दण्डवते और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : बजट स्थापित करने के बारे में मुझे एक विशेष बात कहनी है।

सारे देश के आंगनवाडी कार्यकर्ता अपनी मांगे रखने के लिए आज दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। जब मैंने यह मामला सभा में उठाया तो प्रधानमन्त्री ने मजाक में कहा कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को उन वायदों को करने का अधिकार नहीं था जो वे पूरा नहीं कर सकते थे क्योंकि, आंगनवाडी के लिए कोई बजटकारी प्रावधान नहीं था। अब यह लेखानुदान है, इससे आंगनवाड़ियों की मांग अनिश्चित काल के लिए बनी रहेगी। मैं सरकार के इस कार्य का विरोध करती हूं, जिसकी वजह से आंगनवाडी कर्मचारियों की वेध मांगों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रधान मन्त्री को इसके बारे में क्या कहना है और मैं चाहूँगी कि वह ऐसा वायदा करे जिसे वह पूरा कर सके।···(व्यवधान)···

तत्पश्चात श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य सभा भवन से बाहर चली गयी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय यह तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व से पीछे हटना है। वित्त मन्त्री स्वीकार करते हैं कि स्थिति बहुत खराब है। विकास की बात छोड़िए। स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। हमें अर्थव्यवस्था की रक्षा करनी है। वित्तमन्त्री इसे स्वीकार करते है। पूर्ण बजट पेश न करने से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और यदि वह एक सम्मानीय व्यक्ति है तो उन्हें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं त्यागनी चाहिए। अब उन्होंने अपनी साख भी त्याग दी है। वह यह नहीं जानते हैं। इसलिए हमें इसके विरोध में मजबूर होकर बाहर जाना पड़ रहा है।

तत्पश्चात श्री निर्मल कान्ति चटर्जी सभा-भवन से बाहर चले गये :

अध्यक्ष महोदय : अब वित्त मंत्री।

वित्त मन्त्री श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं अब वर्ष 1991-92 के लिए अन्तरिम बजट प्रस्तुत करता हूं।

नई सरकार को, जिसने नवम्बर 1990 के मध्य में कार्यभार संभाला था, एक संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति विरासत में मिली थी। 30 नवम्बर 1990 को केन्द्रीय सरकार का बजटीय घाटा 13,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था, जो राजस्व में कमी होने और खर्च में बढ़ोतरी के कारण था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान थोक कीमत सूचकांक में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि उपभोक्ता कीमत सूचकांक में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भुगतान संतुलन की स्थिति में तेजी से गिरावट आने के कारण विदेशी मुद्रा भन्डार में बहुत कमी आ गई जो नवम्बर, 1990 के अन्त में गिरकर 3,142 करोड़ रुपए रह गया है और यह राशि एक महीने से आयात वित्तपोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं थी।

ये घटनाएं कोई दुर्भाग्यपूर्ण संयोग के कारण नहीं थी, बल्कि विगत में अर्थव्यवस्था के व्यापक प्रबन्ध में कमियों के कारण ऐसा हुआ। ऐसा मैं न तो किसी दृढ़ता की भावना से और न ही दायित्व को टालने की इच्छा से कह रहा हूं। परन्तु समय आ गया है कि सरकार अपनी चिन्ताओं में संसद और लोगों को भागीदार बनाए ताकि एक राष्ट्रीय सहमति विकसित हो सके, जिससे कि एक सामूहिक दायित्व के रूप में स्वस्थ अर्थव्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया जा सके।

व्यापक आर्थिक असंतुलन, जो अत्यधिक और निरन्तर बने रहे हैं, इस समस्या का मूल कारण हैं। सरकार के राजकोषीय घाटे को देश में उधार ले कर पूरा करना पड़ा। अर्थव्यवस्था के चालू खाते के घाटे को अनिवार्यतः विदेश से उधार लेकर वित्तपोषित करना पड़ा। जो आंतरिक और विदेशी ऋण इकट्ठे हो गए हैं उनके परिशोधन का भार अब अत्यन्त दूभर हो गया। मेरे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सरकार और न ही अर्थव्यवस्था लम्बे समय तक अपने साधनों से बाहर रह कर जीवित रह सकती। उधार राशि लेकर अथवा उधार समय में जीने की नीति की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। उदार विकल्प अब पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं।

यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निरन्तर राजकोषीय असंतुलनों से अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वृद्धि हुई है और भुगतान संतुलन पर बोझ पड़ा है। इस प्रकार वर्तमान वित्त वर्ष के प्रारम्भ में भी अर्थव्यवस्था पर एक गम्भीर राजकोषीय संकट छाया हुआ था और भुगतान की स्थिति अत्यन्त कठिन थी। ये समस्याएं तेल-संकट और खाड़ी में युद्ध व संकट के कारण आए अवरोधों के कारण और भी बढ़ गई। हमने राजकोषीय स्थिति में गिरावट का अनुभव किया है। उपभोक्ताओं को दो-अंकीय मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था को भुगतान संतुलन के संकट का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले वर्ष में खाड़ी युद्ध का अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसका अभी पूरी तरह से अंदाजा लगाना कठिन है। उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय तेल कीमतें किस स्तर पर स्थिर होंगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

कार्यभार संभालने पर हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे और बजटीय स्थिति में और

अधिक गिरावट नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए बगैर समय गंवाए, मैंने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के वास्ते अनेक उपाय लागू किए। कर-अनुपालन और राजस्व संग्रहों में सुधार करने के लिए कदम उठाए गए। खर्च पर अत्यधिक संभव कठोर नियंत्रण लागू किया गया। इसके साथ ही मैंने संसद को यह आश्वासन भी दिया था कि सरकार राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने को अत्यन्त प्राथमिकता देती है, चाहे इसके लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़े और कठिन विकल्प अपनाने पड़े जिन्हें काफी समय से स्थगित रखा गया था। मैं एक बार फिर इस बात पर बल देना चाहूँगा कि 1991-92 में राजकोषीय समायोजन के प्रति मेरी वचनबद्धता दृढ़ और अटल है।

कठिन परिस्थितियों में, जहां अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, हमें अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक विस्तृत नीति विकसित करने हेतु कुछ और समय की आवश्यकता होगी। बजट तैयार करने में हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसे व्यापक वार्षिक समायोजन से विकास की प्रक्रिया की गति अवरुद्ध न हो और गरीबों पर बोझ न पड़े। और भी अधिक आवश्यकता इस बात की है कि राजकोषीय सुधार की प्रक्रिया एक मध्यावधिक परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है। हम एक विस्तृत दृष्टिकोण तयार करने के कार्य में जुटे हैं जिससे इन समस्याओं के संतोषजनक और स्थिर समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके लिए समय की आवश्यकता है। इसलिए मेरा सदन से मई, 1991 में वर्ष 1991-92 का नियमित बजट प्रस्तुत होने तक प्रतीक्षा करने का आग्रह है।

वर्ष 1990-91 के लिए संशोधित अनुमान

अन्तरिम बजट प्रस्तुत करते समय, मैं प्रारम्भ में वर्तमान वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में संशोधित अनुमानों का संक्षिप्त ब्योरा देना चाहूंगा। वर्ष 1990-91 के बजट का कुल खर्च का संशोधित अनुमान 1,06,717 करोड़ रुपये है जो 94,5 5 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमानों की तुलना में पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। तथापि, एक समुचित तुलना की दृष्टि से, मूल बजट अनुमानों को 99,309 करोड़ रुपए तक समायोजित किया जाना चाहिए, जिसमें राज्य सरकारों को लघु बचत ऋण और रेलवे के पूंजीगत खर्च का एक हिस्सा, जिसे पहले प्राप्तियों में से घटाकर दिखाया गया था, शामिल करना होगा जिससे संशोधित अनुमानों के अनुरूप हो सकेगा। आनुपातिक प्राप्तियों द्वारा यह वृद्धि 4,100 करोड़ रुपए तक प्रतिसंतुलित हो जाएगी। इस प्रकार खर्च में निवल वृद्धि 3,308 करोड़ रुपए होगी। खर्च में यह वृद्धि काफी सीमा तक, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बजट के बाद की कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण है, जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थीं।

अधिक मात्रा में लघु बचत संग्रहों के फलस्वरूप राज्य सरकारों को दिए गए अतिरिक्त ऋणों की राशि 2,270 करोड़ रुपए थीं। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमानों में राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उनके प्राप्रारम्भिक घाटे के एक भाग को पूरा करने के लिए दिए गए 521 करोड़ रुपए के ऋण भी शामिल हैं तथा 966 करोड़ रुपए की राशि राज्यों के बट्टे खाते डालने के लिए दी गई, जैसा कि नवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी।

ब्याज अदायगियां बजट अनुमानों की तुलना में 1,000 करोड़ रुपए अधिक होंगी। रक्षा कार्मिकों के लिए पेंशन की राशि 170 करोड़ रुपए अधिक होगी। कुवैत से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के कारण राजकोष पर 300 करोड़ रुपए का अप्रत्याशित बोझ पड़ेगा। ग्रामीण ऋण

राहत योजना के लिए, जिसके लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी, 500 करोड़ रुपए की राशि और आवश्यकता होगी। टेक्नीकल क्रेडिटों की राशि अनुमानों की तुलना में 800 करोड़ रुपए अधिक होगी, क्योंकि रुपया अदायगी व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापार में अस्थायी असंतुलन है। प्रमुख सब्सिडियों के लिए संशोधित अनुमान, बजट अनुमानों की तुलना में 1,014 करोड़ रुपए अधिक है। खाद्य सब्सिडियों में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि चीनी के कारण है, जिसके संबंध में जनवरी, 1990 में उत्पादकों को दी गई निर्गम कीमतों में वृद्धि की अनुमति के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं के लिए निर्गम कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई। उर्वरक सब्सिडियों में 400 करोड़ रुपए की वृद्धि का कारण, नेप्था की घरेलू कीमतों में वृद्धि होना तथा आयातित उर्वरकों को मंगाने की लागतों में वृद्धि होना है। निर्यात सब्सिडियों में 84 करोड़ रुपए की वृद्धि मूल्यानुसार दरों में दी गई नकद प्रतिपूर्ति समर्थन के कारण है, यह निर्यात की रुपया लागत के कारक-स्वरूप है।

सकल कर राजस्व 58,916 करोड़ रुपए होने की संभावना है जो 59,779 करोड़ रुपए के बजट अनुमानों से 872 करोड़ रुपए कम है। अनुमान है कि आयकर और कंपनी कर से बजट अनुमानों की तुलना में क्रमश: 134 रुपए और 261 करोड़ रुपए और 261 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होंगे जो मुख्यत: वर्तमान वर्ष दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बजट के बाद उठाए गए कदमों का परिणाम है। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के वास्ते बजट के बाद किये गये उपायों के बावजूद सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क से बजट अनुमानों की तुलना में क्रमश: 660 करोड़ रुपए और 625 करोड़ रुपए की कम राशि प्राप्त होने की संभावना है। कर-भिन्न राजस्व 419 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने का अनुमान है अनुमान है कि पूंजीगत प्राप्तियों में 4,399 करोड़ रुपए का सुधार होगा, जिसमें से 2 500 कोड़ रुपए लघु बचत संग्रहों से प्राप्त होंगे।

कुल प्राप्तियों और कुल खर्च के संशोधित अनुमानों से पता चलता है कि वर्तमान वर्ष के अन्त में बजटीय घाटा 10,772 करोड़ रुपए का होगा, जबकि बजट के समय इसका अनुमान 7,205 करोड़ रुपए लगाया गया था। मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि यदि राजस्व और खर्च दोनों ही क्षेत्रों में पिछले तीन महीनों में कुछ उपाय लागू नहीं किए जाते तो यह बजटीय घाटा काफी अधिक होता। यह चिन्ता की बात है कि अतिरिक्त खर्च को अत्यधिक उधार लेकर पूरा करना पड़ा है, जिससे वर्तमान वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटा बढ़कर 43,331 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि बजट में 36,795 करोड़ रुपए के घाटे की कल्पना की गई थी। राजकोषीय घाटे में वृद्धि कुछ सीमा तक सरकार के नियंत्रण से बाहर रही है, जिसका कारण लघु बचत संग्रहों में स्वायत्त उत्प्लावकता होना है जिसके फलस्वरूप लघु बचत संग्रहों की एवज में राज्य सरकारों को ऋण के लिए व्यवस्था में संशोधित अनुमानों में 2,270 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई। यदि यह कारण नहीं होता तो राजकोषीय घाटा, जिसका अब अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 8 59 प्रतिशत है, सकल घरेलू उत्पाद का 8.14 प्रतिशत होता।

वर्ष 1991-92 के लिए बजट अनुमान

अब मैं वर्ष 1991-92 के लिए अन्तरिम बजट के सम्बन्ध में जिक्र करूंगा जो लेखानुदान के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान अनिवार्य खर्च की पूर्ति कर सके। अनुदान की मांगों और वार्षिक वित्तीय विवरण को, जो

पूरे वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में है, नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय यथावश्यक रूप से संशोधित और अन्तिम रूप दिया जाएगा।

इस समय 1991-92 में केन्द्रीय योजना परिव्यय के लिए बजटीय समर्थन की राशि 18,550 करोड़ रुपए रखी गई है जबकि वर्ष 1991-92 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता की राशि 14,710 करोड़ रुपए रखी गई है। इस आधार पर केन्द्रीय योजना के लिये परिव्यय की राशि 42,148 करोड़ रुपए और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्यय की राशि, जिनमें विशेष क्षत्र कार्यक्रम भी शामिल हैं, लगभग 29,300 करोड़ रुपए होगी। मेरा यह प्रयास रहा है कि निर्धनों और समाज के गरीब वर्गों के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए कार्यक्रमों के वास्ते अधिकाधिक संभव सहायत प्रदानकी जाए।

हमने गैर-योजना खर्च में किफायत बरतने और कम खर्च करने पर जोर दिया है, जिससे कि निवेश के स्तर बनाए रखे जा सकें और विकास की गति बनी रहे। इस प्रकार, मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए काफी सावधानी बरती है कि अगले वर्ष गैर-योजना खर्च न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। वास्तविक दृष्टि से, कुल गैर-योजना खर्च, जो वर्तमान वर्ष में 76.761 करोड़ रुपए है, अगले वर्ष मामूली रूप से बढ़कर 76.907 करोड़ रुपए हो जाएगा।

अगले वित्त वर्ष में देय होने वाली मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं सभी मंत्रालयों और विभागों से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस अतिरिक्त देयता को, उपयुक्त कटौतियां करके, अपने-अपने बजट परिव्ययों में खपाएं। राज्यों को लघु बचतों में उनके हिस्से के लिये ऋणों की अदायगी के वास्ते अगले वर्ष 4,500 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है, जबकि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह राशि 6,770 करोड़ रुपए है। यह कटौती राष्ट्रीय बचत योजना को भारत बचत बैंक को प्रस्तावित अन्तरण के कारण है, जिसकी स्थापना शीघ्र ही की जाएगी।

अगले वर्ष के दौरान रक्षा खर्च के वास्ते 16,850 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष प्रारंभ की गई ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत सरकार के दायित्वों को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के लिए 1,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की जा रही है।

राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के हमारे प्रयासों में यह आवश्यक है कि सब्सिडियों से संबंधित व्यय को युक्तिसंगत बनाया जाए। इस दिशा में पहले कदम के तौर पर मैं, वर्ष 1990-91 के लिए संशोधित अनुमानों में निर्यात, उर्वरक तथा खाद्य पर प्रमुख सब्सिडियों के लिए किए गये 9,550 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटनों को वर्ष 1991-92 के बजट अनुमानों में घटाकर 8,616 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। मेरे विचार से, निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए सब्सिडी के बेहतर लक्ष्य रखने तथा साथ ही प्रबंध में सुधार करने से इन आवंटनों के भीतर ही वांछित उद्देश्यों को पूरा करना संभव हो सकेगा।

प्राप्तियों के क्षेत्र में, कराधान की मौजूदा दरों के अनुसार आगामी वर्ष में 65,354 करोड़ रुपए का सकल कर राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान वर्ष के संशोधित अनुमान में यह राशि 58,916 करोड़ रुपये है। आगामी वर्ष के लिये, करों में से राज्यों को उनके हिस्से की

अदायगी करने के लिए 15,900 करोड रुपए की राशि रखी गई है, जबकि वर्तमान वर्ष में यह राशि 14,535 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, केन्द्र की निवल राजस्व-प्राप्तियां, जिनमें कर-भिन्न राजस्व भी शामिल है, जो वर्ष 1990-91 में 57 381 करोड़ रुपए थी, वर्ष 1991-92 में बढ़कर 63,584 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पूंजी-प्राप्तियों के अन्तर्गत, आगामी वर्ष में 7,500 करोड़ रुपए के बाजार ऋण लिए जाएंगे जो वर्तमान वर्ष के 8,000 करोड़ रुपए के बाजार ऋण की तुलना में कम हैं। राष्ट्रीय बचत योजना को प्रस्तावित नये भारत बचत बैंक को अंतरित किए जाने के फलस्वरूप, वर्ष 1992-93 में लघु बचतों के निवल संग्रहों से 6,000 करोड़ रुपए की बजटीय प्राप्तियां होने का अनुमान है जबकि इसकी तुलना में 1990-91 में यह राशि 8 0 0 करोड़ रुपए है। आगामी वर्ष में, अनुदानों के अलावा, किन्तु वापसी अदायगियों को घटाकर 4 000 करोड़ रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त होने का अनुमान है, जबकि वर्तमान वर्ष में यह राशि 3,584 करोड़ रुपए है।

यह निर्णय लिया गया है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के चुनींदा उपक्रमों में से अपनी इक्विटी का 20 प्रतिशत भाग विनिवेश करके उसे सरकारी क्षेत्र के वित्तीय अथवा निवेश संस्थानों और पारस्परिक निधियों में अंतरित कर दिया जाए। यह विनिवेश, जिससे इक्विटी का आधार विस्तृत होगा, प्रबन्ध को बेहतर बनाएगा तथा इन उद्यमों के लिए संसाधनों को उपलब्धता पे वृद्धि करेगा तथा इससे वर्ष 1991-92 में राजकोष को 2 500 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। इस निर्णय को लागू करने संबंधी पद्धतियों के ब्यौरे, जिन्हें तैयार किया जा रहा है, अलग से घोषित किए जाएंगे।

प्राप्तियों और व्यय की अन्य भिन्नताओं को हिसाब में लेते हुए, वर्ष 1990-91 की कर-दरों के अनुसार कुल 1,00,190 करोड़ रुपए की प्राप्तियां होने का अनुमान है तथा कुल व्यय 1,10,167 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, इस प्रकार, अतिरिक्त संसाधन जुटाए बिना, बजटीय घाटा 9 977 करोड़ रुपए का होगा।

आयोजना व्यय तथा व्यय की अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों के लिए बजटीय प्रावधानों में वृद्धि नियमित बजट में होने वाली कुल प्राप्तियों की मात्रा से सम्बद्ध है तथा उन पर निर्भर करेगी। नियमित बजट पेश करने से पहले की अन्तरिम अवधि का उपयोग व्यय संबंधी इन सभी प्रावधानों की बारीकी से जांच करने और समीक्षा करने के लिए किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा वर्ष 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.5 प्रतिशत रहे। इसलिए, ब्याज अदायगियों, वेतन अथवा पेंशन अदायगियों और राज्य सरकारों को सांविधिक अनुदानों संबंधी मदों को छोड़कर, प्रावधानों में वृद्धि को, जहां कहीं भी यह पर्याप्त रूप से अधिक है, इस व्यवस्था के निर्धारण के लिये, जिसके लिए लेखानुदान मांगा जा रहा है, पूरी तरह से हिसाब में नहीं लिया जा सका है। मैं, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस अवधि के दौरान वे कोई नयी योजनाएं शुरू न करें और न ही कोई नयी बड़ी वचनबद्धताएं करें। सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सलाह भी दी जाएगी कि वे अपने व्यय में अत्यधिक किफायत बरतें तथा सादगी बरतना सरकार का एक आदर्श बना रहेगा।

मैं वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 1991-92 में आयकर की मौजूदा दरों को जारी रखना है। सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, वित्त विधेयक में, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा शुल्क की सहायक दरों तथा उत्पाद शुल्क की विशेष दरों को मौजूदा दरों पर ही जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

[ग्रन्थालय में भी रखा गया : देखिये संख्या एल. टी.-2193/91]

1.14 म प.

वित्त विधेयक*

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आयकर की वर्तमान दरों को 1991-92 के वित्तीय वर्ष के लिए जारी रखने और उक्त वर्ष के लिए सीमा शुल्क के अनुषंगी शुल्कों और उत्पाद-शुल्क के विशेष शुल्कों से संबंधित उपबंधों को जारी रखने का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आयकर की वर्तमान दरों को 1991-92 के वित्तीय वर्ष के लिए जारी रखने और उक्त वर्ष के लिये सीमा शुल्क के अनुषंगी शुल्कों और उत्पाद-शुल्क के विशेष शुल्कों से संबंधित उपबंधों को जारी रखने का प्रावधान करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अब विधेयक पुरःस्थापित करें।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरः स्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1991 पुरः स्थापित कर दिया गया है।

---

*दिनांक 4.3.1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

1.16 म. प.

नियम ३७७ के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। श्री इरा अन्बारासु।

1.17 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(एक) मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र, अन्नानगर, मद्रास के कर्मचारियों को बहाल किए जाने की मांग

श्री इरा अन्बारासु (मद्रास मध्य) : हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के लगभग 6000 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। इसी प्रक्रिया के तहत मद्रास मध्य संसदीय चुनाव क्षेत्र में स्थित अन्नानगर के मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के एक सौ कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई। इन कर्मचारियों ने लगातार लगभग चार से पांच वर्षों तक काम किया था। उन्हें अस्थाई आधार पर रखा गया और वह भी दैनिक मजदूरी पर उन्होंने मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के स्थाई कर्मचारियों के रूप में खपाने हेतु श्रम आयुक्त, मद्रास के सम्मुख यह मामला रखा। जब वार्ताएं चल रही थी तो अचानक मद्रास मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासनिक प्राधिकारियों ने बिना कोई नोटिस दिए 100 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। लगभग पांच वर्षों तक सेवारत रहे इन कर्मचारियों सेवाओं को उचित नोटिस दिए बगैर ही समाप्त करना बिल्कुल अनुचित है।

अगर इस पूरे कार्यक्रम को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है तो इन कर्मचारियों को कुछ अन्य विभागों में स्थानान्तरित करने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह मलेरिया अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम को तेजी से चलाने के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए अथवा इन कर्मचारियों को समाहृत करने के लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था करे। मैं सरकार से यह आग्रह भी करता हूं कि वह जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उन सबकी बहाली के लिए विशेष हिदायतें जारी करे और विशेषकर उन 100 कर्मचारियों के संबंध में यह कार्यवाही हो जिनकी सेवाएं हाल ही में मलेरिया अनुसंधान केन्द्र अन्नानगर, मद्रास के कार्यालय से समाप्त कर दी गई थी।

(दो) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को हल किए जाने की मांग

श्री शान्ताराम पोटदुखे (चन्द्रपुर) : नवम्बर, 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो बेलगाम (चांदगेड तालुका को छोड़कर) बीजापुर, धारवाड़ और कारवाड़ जिले मैसूर राज्य में मिलाये गए थे। फलस्वरूप, कारवाड़, मुपे, हलयाल, बेलगाम खानपुर, निपनी आदि मराठी बहुल तत्कालीन मैसूर राज्य मे मिला दिये गये।

उपरोक्त पुनर्गठन से सन्तुष्ट न होने के कारण तत्कालीन बम्बई सरकार ने जून, 1957 में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि निम्नलिखित फार्मूले के आधार पर सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए :—

(क) गांव एक इकाई के रूप में;

(ख) भौगोलिक संलग्नता;

(ग) भाषाई बहुलता; और

(घ) लोगों की इच्छा;

भारत सरकार ने सीमा विवाद को सुलझाने के लिये 25 अक्तूबर, 1966 को महाजन आयोग नियुक्त किया। राज्य सरकार ने यह मानकर कि यह आयोग उक्त फार्मूले को ध्यान में रखेगा, यह घोषणा की कि आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा। महाजन आयोग ने अगस्त, 1967 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह पाया गया कि महाजन आयोग ने उक्त फार्मूले पर विचार नहीं किया, इसलिए राज्य सरकार ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। 30 नवम्बर, 1967 को महाराष्ट्र विधान मंडल ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया और घोषित किया कि महाराष्ट्र राज्य को महाजन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं थी। उक्त संकल्प में भारत सरकार तथा संसद से अनुरोध किया गया था कि वे इस काफी समय से लम्बित मुद्दे का न्यायोचित बराबरी तथा वैज्ञानिक आधार पर समाधान करें।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वहां पर जनमत के आधार पर इस समस्या को हल करे।

(तीन) आंध्र प्रदेश सरकार के "सड़क बंध पत्र" जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की मांग

श्रीमती उमा गजपति राजू (विशाखापट्टनम) : सिंचाई, विद्युत और समाज कल्याण जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए धन उपलब्ध कराने के बाद आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के पास संचार साधनों के विकास के लिए विशेषकर सड़कों की दशा सुधारने के लिए बहुत कम संसाधन बच गये हैं।

इस सन्दर्भ में यह प्रस्ताव रखा गया है कि बांड जारी करके जनता की निवेश योग्य बचत का उपयोग किया जाए और जनता को विभिन्न क्षेत्रों में संचार के साधन सुनिश्चित कराकर उन्हें सड़क बांडों में पैसा लगाने के लिये प्रेरित किया जाए। इन बांडों से अतिरिक्त बचत और जमा राशि में बढ़ोतरी होगी जिससे राज्य में संचार प्रणाली को सुधारने के लिये अत्यन्त आवश्यक निवेश करने में राज्य को मदद मिलेगी। केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करे और प्राथमिकता के आधार पर इसे स्वीकृति दे।

(चार) मुरैना (मध्य प्रदेश) के चम्बल क्षेत्र के बीहड़ों के विकास के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित चम्बल के मुरैना जिले में चम्बल नदी तथा उत्तरी सहायक नदी पार्वती, सीप, कूनों, सांक, पभारी, असम, वेसली, सिंध आदि नदियों का जाल बिछा हुआ है। इन नदियों के किनारे वर्षा के कटाव की विनाशकारी लीला सदियों से चली आ रही है। नदियों के किनारे तीव्र कटाव बीहड़ तथा कृषि योग्य उपजाऊ भूमि को नष्ट कर देते हैं। यह बीहड, सड़कों, राष्ट्रीय मार्ग, रेल मार्ग, बहुमूल्य नहरों तथा गांवों की बस्तियों को खतरा पैदा कर रहे हैं। बीहड़ असामाजिक तत्वों, डाकुओं के रहने के लिए शरण स्थली बने हुए हैं। यह बीहड़ मुरैना सम्भाग के लिए आर्थिक, सामाजिक समस्या बन गए हैं। यहां की दुमट भूमि जिसका वर्षा से कटाव तेज गति से होता है। कटाव, नलकूपों, नाले तथा कालान्तर में गहरे नाले और फैलकर गहराई में बढ़ते-बढ़ते बीहड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। 2000 आदमी के गांव बीहड़ों की चपेट में आ गये हैं। 5 लाख हैक्टेयर भूमि बीहड़ों में परिवर्तित हो चुकी है, जो कृषि योग्य है। बीहड क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अभाव में सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1945 में भू-संरक्षण विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि बीहड़ों को रोकने के लिये बन्धन डाले जायें तथा मवेशियों की खुली चराई को कम किया जाये। बीहड़ों के चौड़े नालों को प्लाट्स बनाकर खेती योग्य बनाया जाये। 100 से 200 मीटर तथा 5 से 6 मीटर वाले नालों का पानी डायवर्ट करके सुधारा जाये, बीहड़ों को सुरक्षित रखा जाये तथा बीहड़ों को ऊपर बढ़ने से रोकने के उपाय किये जायें। जहां बीहड़, प्रारम्भ होते हैं वहां से 100 मीटर दूरी से 500 मीटर दूरी तक पैरीफैरल बन्धन डाला जाये तथा जल निकास स्ट्रक्चर बनाये जायें तथा बीहड़ों में कच्ची मिट्टी के बन्धन बनाना, पानी डायवर्ट करना, वन विभाग द्वारा घास पौधों द्वारा आच्छादन करना। फ्लड कंट्रोल स्कीम तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क, रेल विभाग द्वारा रेल लाइन में संयुक्त रूप से 100 अरब रुपये का चम्बल क्षेत्र के विकास पर बीहड़ों को समतल कर भूमि युवकों को बांटकर युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाये। संयुक्त विभागों के विशेषज्ञों का एक दल चम्बल क्षेत्र के विकास हेतु भेजा जाये। विश्व बैंक द्वारा भेजे गए अध्ययन दल की रिपोर्ट के मुताबिक चम्बल क्षेत्र के विकास तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाये।

(पांच) साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, सोहागपुर के कामगारों में व्याप्त असंतोष दूर किए जाने की मांग

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उपाध्यक्ष महोदय, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र (एसईसीएल) के सोहागपुर एरिया के जनरल मैनेजर के व्यवहार के कारण मजदूरों में भीषण असन्तोष है। सोहागपुर और इस एरिया के मजदूरों ने आंदोलन प्रारम्भ कर दिया है जिससे कोयले के उत्पादन में कमी आ गयी है। इस समय देश में ऊर्जा संकट है। अतः कोयले के उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक है किन्तु (एसईसीएल) के अधिकारियों को राष्ट्रीय हित की चिन्ता नहीं। असंतोष के कारणों की जांच कर दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाये और असन्तोष को दूर किया जाये।

(छ) रोहतक-पानीपत-जींद शाखा लाइन और पानीपत-सोनीपत मुख्य लाइन पर रेलवे फाटकों पर कर्मचारी रखे जाने की मांग

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन पूर्ण लोक-हित का मामला, आपकी अनुमति से सदन में उठाना चाहता हूं। हरियाणा में जिला रोहतक-पानीपत-जींद रेलवे शाँच लाईन तथा पानीपत-सोनीपत मेन लाईन हरियाणा के तीन जिलों से होकर गुजरती है। इस रेलवे लाईन पर कुछ रेलवे फाटक ऐसे हैं जिन पर कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। रिक्शा, बैल, गाड़ी, तांगे, ट्रेक्टर, बस और खेतों में काम करने वाले बहुत से किसान दिन और रात इन रेलवे क्रासिंग से होकर गुजरते हैं। थोड़ी सी असावधानी होने पर भयानक रेल-दुर्घटना हो सकती है और जान-माल की अपार क्षति भी हो सकती है। बहुत से रेलवे क्रासिंग तो कुछ गांवों के एकदम साथ हैं और उन पर बहुत आवागमन रहता है।

अतः गांववासियों की जान-माल के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन के माध्यम से रेल मन्त्रालय से प्रार्थना करता हूं कि इस रेलवे लाईन पर ग्राम खिलोड़, राजपुर, सरढ़ाणा-मुढ़लाना, असया, रताखेड़ा (सफीदो के नजदीक) पर रेलवे फाटकों पर, एक-एक रेलवे कर्मचारी की तैनाता की जाये और ग्राम महमूदपुर के पास एक नया रेलवे फाटक बनाया जाए और वहां पर भी एक कर्मचारी तैनात किया जाये।

(सात) बिहार के बक्सर जिले में नलकूपों के उचित रखरखाव के लिये बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के बक्सर जिले में 299 सरकार के नलकूप हैं लेकिन उनमें से केवल 30 चल रहे हैं एवं शेष सभी खराब हैं। कुछ नलकूपों के न चलने का कारण बिजली का अभाव एवं कुछ के न चलने का कारण मशीन की गड़बड़ी है।

इसलिये मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार कम से कम 20 करोड़ रुपया अलग से बक्सर जिले के नलकूप को चालू करने के लिये दे जिससे कि वहां सभी नलकूपों को तत्काल चालू किया जा सके। सभी नलकूपों के चालू होने से करीब 50 हजार एकड़ जमीन में सिंचाई होगी।

———

1.29 म.प.

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे। श्री कपिल शास्त्री भाषण दे रहे थे। अब वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कपिल देव शास्त्री (सोनीपत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदयराष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए, सबसे पहले में आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि

आपने मुझे इस प्रस्ताव को रखने का अवसर प्रदान किया और मैं अपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि सदन में मुझे जब-जब भी बोलने का अवसर मिला है, उस वक्त आप ही सभापति के आसन पर विराजमान रहे हैं। इसलिये अपनी बात को शुरू करने से पहले, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे कुछ मित्र, जिनके हाथ में सत्ता थी और वे बड़े आराम से 5 वर्ष तक देश का शासन चला सकते थे, हर बात पर सदन त्याग करके चले जाते हैं। सदन त्याग करने से पहले वे यह नहीं सोचते कि जहां आज हम बैठते हैं- उसी स्थान पर कभी वे बैठा करते थे। वे इकट्ठे चल सकते थे, हम भी उनके साथ थे। आज जब मैं उनको सदन त्याग कर जाते हुए देखता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है :

डूबने वाले की मैयत पर हजारों रोने वाले थे,

और जो जोर जोर से रोते थे, वे ही डुबाने वाले थे।

इसलिये उनके बारे में और ज्यादा कहा जाये, मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं।

वे हम पर रोज ऐतराज करते हैं कि हमारी सरकार कांग्रेस के सहारे से चल रही है. हम न नहीं करते। कांग्रेस का सहारा हमारे साथ है और हमारी मित्रता ऐसा है कि :

आरम्भ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण,

लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्।

दिन स्य पूर्वार्हदं पराद्धं भिन्ना,

छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्॥

जिस प्रकार वृक्ष की छाया शुरू में बहुत छोटी सी होती है और पूर्वाह्न में बहुत लम्बी छाया होती है और ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता है छाया घटती-घटती सिर पर आ जाती है और दोपहर बाद जब वृक्ष की छाया घटती-घटती सिर पर आ जाती है और दोपहर बाद जब वृक्ष की छाया थोड़ी सी शुरू होती है और बढ़ती-बढ़ती इतनी लम्बी होती है कि सूर्यास्त के समय वह अपने वृक्ष के आकार से कई सौ गुणा बढ़ जाती है। हमारी और कांग्रेस की मित्रता तो सूर्य के पूर्वाह्न और अपराह्न की छाया के तुल्य है। इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय चन्द्रशेखर जी ने प्रधानमन्त्री का पद संभाला उस समय देश में जो संकट था उसका कोई अन्त नहीं था। मण्डल के नाम पर गृह युद्ध इस देश में छिड़ा हुआ था, वह गली-गली तक पहुंच गया था। राम जन्म भूमि के विवाद पर उस वक्त जो स्थिति थी वह साम्प्रदायिक क्षेत्र में चरम सीमा पर थी। आर्थिक संकट का कोई अन्त नहीं था। कुछ राज्यों में जो ऐसी सरकारों से संचालित हैं, ऐसे लोगों से संचालित है जो समता का दावा करते हैं वहां भी मजदूर और पूंजीपतियों का टकराव चल रहा था। उस समय चन्द्रशेखर जी के शासन संभालते ही कुछ चीजें स्वयमेव समाप्त हुईं। गृह युद्ध के कगार पर पहुंचा हुआ देश संकट से निकल आया। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि यदि किसी को दिखाई नहीं देता उसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आज उस वक्त के मुकाबले में स्थिति शान्त है। जिसको दिखाई नहीं देता भर्तृहरि के शब्दों में मैं कहना चाहता हूं :

पत्रनैव यदा करीर विटपे दोषो वसन्तस्य किम् ।
नोलू कोप्यवलोकते, यदि दिवा
सूर्यस्य किं दूषणम्
धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम्
यद् विधिना ललाट लिखितं
तन्मार्जितुं कः क्षमः ॥

उपाध्यक्ष महोदय, आकाश में सूर्य निकला हुआ है । एक पक्षी विशेष होता है जिसको दिन में दिखाई नहीं देता है । बसन्त ऋतु आजकल लहलहा रही है । यदि करीर के वृक्ष पर पत्ते नहीं है तो उसमें बसन्त का दोष नहीं है । आकाश घनघोर घटाएं छायी हुई है और वह धारा प्रवाह रूप में बरस रही हैं । यदि चातक के मुख में बूंद नहीं पड़ता है तो उसमें बादल का दोष है । यदि कुछ लोगों को, देश में जो विग्रह हो गया था वह शान्त हो गया है, दिखाई नहीं देता है तो इसमें मैं अपने उन साथियों का दोष नहीं मानता । मैं मानकर चलता हूं कि भाग्य का दोष है, विधि का विधान है कि उनको वह चीज दिखाई नहीं देती । इसलिए मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं मानकर चलता हूं कि आज एक नया नारा इस देश में दिया जा रहा है सामाजिक समानता का । कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हैं । जो इस देश में सामाजिक समानता न चाहता हो । सामाजिक न्याय आना चाहिए । पर मेरे दिमाग मे कुछ प्रश्न पैदा होते हैं जिनका उत्तर इस देश के मनीषियों के सामने आना ही चाहिये । मैं जानना चाहता हूं सामाजिक न्याय की दुहाई देने वालों से सौ में से साठ का नारा देने वालों से कि क्या उन्होंने कभी यह सोचा है कि जब तक इस देश में शिक्षा का समान ढांचा नहीं होगा तब तक कभी भी सामाजिक न्यायइस को प्राप्त नहीं हो सकता है । इस देश पर कुछ लोगों का सत्व बन गया है। और उसमें ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जो सत्ता को हाथ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए शैक्षणिक ढांचा भी एक होना चाहिए । आज गांव के स्कूल मे पढ़ने वाला बच्चा यह सोचे कि वह आई. ए. एस. अफसर बन जाएगा तो वह असम्भव है । वहां पढ़ने और पढ़ाने के लिए उसको प्राध्यापक नहीं मिलता है । उनके लिए जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कभी उन्होंने इस तरफ प्रयत्य किया है । क्या यह बात दुरस्त नहीं है, सही नहीं है कि गांव के स्कूल में न सिर पर छत है, न पढ़ाने के लिए अध्यापक है, एक-एक क्लास में एक-एक विद्यालय में जहां पांच कक्षायें हैं सिर्फ एक अध्यापक होता है और कई सौ छात्र होते हैं । उनके पास स्लेट नहीं है, पैंसिल नहीं है, दवात नहीं है, तख्ती नहीं है, पुस्तक नहीं है और न ही स्कूल में कोई बत्ती की व्यवस्था है । एक तरफ वे लोग हैं जो हजारों-हजारों रुपया एक छात्र पर खर्च करते हैं और दूसरी तरफ वे हैं जिन पर पांच पैसे रोज का खर्च आता है । ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय की बात से पहले शिक्षा के क्षेत्र मे समानता की बात करनी चाहिए । जब तक शैक्षणिक ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा उस वक्त तक हम बदलाव नहीं ला सकते और न्याय नहीं दे सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस राष्ट्र से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह राष्ट्र भाषाविहीन राष्ट्र है । इस देश की कोई भाषा नहीं है । मैं बड़ी व्यथा के साथ यह बात कहता

हूं कि जो कोई यहां अपनी भाषा में बात करने के लिये खड़ा होता है चाहे तेलगू या तमिल में, मैं अपने उन मित्रों की प्रशंसा करता हूं और आपका भी आभार मानता हूं कि आपने तमिल मलयालम, तेलगू और कन्नड़ भाषियों को अपनी बात कहने का अवसर इस मंच से और इस कुर्सी पर बैठ कर दिया और उन्होंने अपनी भाषा में बात कही। जिस राष्ट्र की कोई अपनी भाषा नहीं होती है, उसका जो जीवन है, उसमें उनका जो प्रयास होता है, ऐसे में वह सदा असफल रहता है।

मेरे पास संघ लोक सेवा आयोग की चिटठी पड़ी हुई है और मेरे पास आज भी इसका उत्तर लिखित में है। उसमें 1-1-91 की तारीख है और उसमें लिखा है कि 5-5-90 को पांच हजार बीस आई. ए. एस. अफसर इस देश में थे। मैंने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर उन्होंने मुझे सही नहीं दिया। जो आंकड़े हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों के लोग 572 हैं और अनुसूचित जनजातियों के 285 हैं। यह संख्या उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक संघ लोक सेवा आयोग इस देश की भाषा में परीक्षा का माध्यम स्वीकार नहीं करता। तीन साल से संघ लोक सेवा आयोग के द्वार पर इस बात के लिए हड़ताल चल रही है कि देश की राष्ट्रभाषाओं में इस देश की भाषाओं में उनको उत्तर लिखने की इजाजत दी जाए और उन परिक्षाओं में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की जाए। जब तक यह नहीं हो जाता, तब तक हम शिक्षा की समानता का जो ढांचा है उसको स्वीकार नहीं करते तब तक नहीं आ सकता। मैं यह बात इसलिए भी कहना चाहता हूं कि जिस वक्त तक शैक्षणिक ढांचे में परिवर्तन नहीं होता, जिस वक्त तक प्रधान मन्त्री, राष्ट्रपति का बेटा और उनके घर में काम करने वाले भंगी का बेटा एक स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक समानता का अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है और कैसे दिया जा सकता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछड़ी जातियों के लिए 27 फीसदी आरक्षण घोषित किया है।

27 फीसदी के बजाय मैंने तो पहले प्रधान मन्त्री जी से कहा था, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से अपनी पार्टी मीटिंग में यह निवेदन किया था कि आप 27 प्रतिशत की बात तो करते हो पर जिस वक्त तक आप यह मानकर नहीं चलते कि हम शिक्षा में परिवर्तन करेंगे, आप जनगणना के आधार पर देना चाहते हो। आपने जो 27 फीसदी दिया है यह 1930 की जनगणना के आधार पर देने का निर्णय लिया है। आप इस निर्णय को लें तो 1991 की जो जनगणना होगी, उसमें जाति की संख्या रख दें कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या हो, उसको उतनी नौकरियां दे दें या 80 फीसदी नौकरियां गांव के लोगों को दे दें और 20 फीसदी शहरियों को दे दें। शहरों में भी चन्द खानदान हैं, चन्द लोग हैं जिनको नौकरियां मिली हुई हैं। यहां यह जो झुग्गी झोपड़ियों वाले हैं, उनका बड़ी नौकरियों में कोई साझा नहीं और उनका साझा नहीं होगा, उस वक्त तक, जिस वक्त तक शिक्षा में परिवर्तन वाली बात नहीं आयेगी उस वक्त तक यह सारी जातियां नहीं चल सकतीं। मैं इसीलिए अपनी बात कहना चाहता हूं कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। मैं यह मानकर चलता हूं कि हमारी सरकार एक निर्णय करना चाहती है कि इस देश के प्रत्येक निवासी, प्रत्येक नागरिक को कम से कम अपने हस्ताक्षर करने आने चाहिए। हस्ताक्षर करने की योग्यता संसार में सबसे कम हमारे भारतवर्ष में है और उसको बदलने के लिए शिक्षा के क्षेत्र को बदलने के लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक नागरिक को कम से कम हस्ताक्षर करना तो सिखायें और इसके

लिए एक वर्ष तक विश्वविद्यालय, स्कूल कालेज के छात्र और अध्यापक भले ही क्लासों में न जाएं और गांवों में जाएं और एक-एक आदमी को पढ़ना लिखना सिखायें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस अन्तर को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक है कि गांव में पढ़ने वाले छात्र हैं, गांव में पढ़ाने वाले जो अध्यापक है. यह जो ग्रीष्मावकाश होता है, गर्मियों की छुटिट्यां होती हैं, उनमें उनको शहर में पढ़ने के लिए भेजा जाय, पब्लिक स्कूलों में भेजा जाए और जो शहर के छात्र और अध्यापक हैं उनको गांव स्कूलों में भेजा जाए तो मालूम हो जाएगा कि रईसजादे कितने सुविधा भोगी, ऐश्वर्य की पढ़ाई करते हैं और गांव में रहने वाले कितनी तकलीफ पाते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज यह जो आई. ए. एस. आफिसर वहां बैठे हुए हैं, यहां बठकर देश का शासन करते हैं इनको एक दो महीने की छुट्टी देकर कटाई करने के लिए खेतों में भेज दो, वहां ये दो-दो महीने फसल काटकर आयें तब इनको मालूम हो जायेगा कि किसान, गरीब मजदूर कितना मेहनत करता है और किस तरह कमाकर पेट भरता है। शासन करने वालों को, सत्ता में बैठे लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, हमारे सदस्य तो तीन पांच वर्ष में चले जाते हैं पर 35-35 साल तक जिन लोगों को देश का शासन करना है, वह जब तक देश के, गांव के लोगों की दुख तकलीफ को नहीं जानेंगे तब तक नहीं बदलेंगे। आज लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वह परिवर्तन इस तरह कभी नहीं आ सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह कितना बड़ा अन्तर है हम आजादी के पहले एक नारा दिया करते थे कि धन और धरती बंटकर रहेगी, इस देश में धन और धरती बांटने का हमारा एक नारा चलता था। धरती तो बंट गई, इस देश में कोई व्यक्ति अकेले अपने नाम साढ़े सत्तरह एकड़ से ज्यादा सिंचित जमीन नहीं रख सकता। उसमें साढ़े सत्तरह एकड़ की पाबन्दी है लेकिन असिंचित भूमि, जिसमें पानी नहीं लगता, वह भूमि कुछ ज्यादा हो सकती है पर जहां तक शहर की सम्पत्ति का वास्ता है, वहां बिड़लाओं की सम्पत्ति, जिस वक्त देश आजाद हुआ, 6 करोड रुपये थी और आज वह 6000 करोड़ के मालिक हैं। यही हाल टाटाओं का है। इस देश में 20 परिवार ऐसे हैं जिनकी परिसम्पत्तियां 32 हजार करोड़ रुपये की हैं। मैं ये सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ. कोई अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दे रहा हूँ। लाखों करोड़ों लोग इस देश में ऐसे हैं, जिनके पास इतनी परिसम्पत्ति नहीं है। यह जो अन्तर है, अगर इसको दूर नहीं किया गया तो स्थिति में सुधार नहीं हो सकता उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बस नहीं चलता है, अगर मेरा बस चले तो मैं कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं, उनको कारखानों में शेयर-होल्डर बनवा दूं और सारे कारखाने उनके मातहत कर दूं। ये जो बड़े-बड़े अखबार हैं, इन अखबारों में जो कलम घिसते हैं, इन लोगों को मैं इन अखबारों का मालिक बना दूं। यह तो प्रजातन्त्र की बात है, हमारे अधिकार की बात नहीं है। इस देश का ढांचा ही इस किस्म का हो गया है। इन सारी चीजों के बाद, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि पिछड़ी जातियों को भी अधिकार देने की बात है, जो कि उनको मिलने चाहिए। इन में तेली, धोबी, मनिहारी, लोहार, बढ़ई आदि सबके अधिकार हैं। जो पिछड़ी जातियों के अधिकार हैं वे अधिकार उनको मिलने चाहिए और अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। आज गांव की स्थिति यह यह हो गई है कि गांव का आदमी शहर की तरफ भागता है। उससे रोजगार के साधन छीन लिए गए हैं। कुम्हार जो बर्तन बनाता था, उससे उसका बर्तन बनाने का अधिकार छीन छीन लिया गया है। जो चमार जूता बनाता था, उससे उसके रोजगार को बाटा ने

छीन लिया है। गांवों में जो बढ़ई और लोहार का काम था, वह शहर में सीमित हो गया है। आज गांव के पास काम करने के लिए कोई चीज नहीं रह गई है। गांधी जी कहते थे कि हम को गांव पर आधारित उद्योग स्थापित करने चाहिए और इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी ने थोड़ा प्रयत्न किया था। वे कहते थे, कुटीर उद्योग स्थापित करो, आज कुटीर उद्योगों की कोई कमी नहीं है। गांवों में जो छोटे-छोटे उद्योग लगे हैं, उनमें आज भी घाटे का सिलसिला चलता है। उनको पूरा अनुदान नहीं मिलता है। पिछड़े क्षेत्र में एक उद्योग-पति को पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के नाम पर 20- 0 लाख की सबसिडी मिलती है और जब गांव के आदमी की बात आती है, तो उसको एक लाख से ज्यादा कर्ज नहीं मिलता है। यह जो अन्तर है, वह विद्रोह के रूप में उभर रहा है। देश में जो उग्रवाद का सबसे बड़ा कारण है, वह बेरोजगारी है। जब तक बेरोजगारी नहीं मिटेगी, तब तक उग्रवाद को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आज देश में हजारों लोग ग्रेजुएट बेकार घूमते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक वायदा किया था कि यदि हमारे हाथ में सत्ता आती है तो हम देश के बेरोजगार नौजवानों को काम का अधिकार देंगे, रोजगार का अधिकार देंगे और पिछले दिनों प्रधान मन्त्री जी ने भी इस बारे में अपने भाषणों में कहा था ..

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आपकी पार्टी को एक घंटा आठ मिनट दिए गए हैं, जिसमें से आपने बीस मिनट ले लिए हैं। आप कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री कपिल देव शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो खुल कर बोलने के लिए कहा गया था। लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया पाइंट्स पर आइए। जैसे आपने कहा शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए और सब लोगों को एम्पलायमेंट मिलना चाहिए।

श्री कपिल देव शास्त्री : अब मैं राम जन्म भूमि के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : आप राम जन्म भूमि का समर्थन कर चुके हैं।

...(व्यवधान)...

श्री कपिल देव शास्त्री : जो कुछ मैं कहूंगा, ठीक कहूंगा, यह आपको विश्वास करके चलना चाहिए।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राम जन्म भूमि की बात करना चाहता हूं पिछले दिनों हम 7 संसद सदस्य अयोध्या गए थे, जिनमें दो बी. जे. पी. के थे, एक कम्युनिष्ट थे, दो कांग्रेस के थे और एक जनता दल के थे, जनता दल (एस) की तरफ से मैं था हमने वहां जो कुछ देखा, मैं यह समझ सकता हूं कि यह जो राम जन्म भूमि का सिलसिला चलता है, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं—

"यावत स्थास्यन्ति गिरयः, सरितश्च महीं तले।
तावद् रामायण कथा, लोकेषु प्रचलिष्यति ॥"

जब तक धरती पर नदियां हैं, जब तक पहाड़ खड़े हैं, तब तक राम की कथा युगों-युगों तक चलती रहेगी। झगड़े वाली जो चीज है, वह भी हम देखकर आए हैं, वह जो मस्जिद है, वहां राम की मूर्तियां रखी हुई हैं। हम संसद-सदस्य थे और 5-6 पार्टियों के सदस्य थे, श्री भोगेन्द्र झा भी हमारे साथ थे, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप उत्तर दे देना, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैं इन्द्र कुमार गुजराल जी से मिला था, उनसे मेरी बात हुई थी राम जन्म भूमि विवाद के बारे में, उन्होंने इस बारे में बहुत बढ़िया सुझाव दिया, अगर देश उस सुझाव को मान ले तो यह झगड़ा निपट सकता है। गुजराल जी ने बताया कि स्पेन में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने वहां एक मस्जिद बनाई थी। इसके बाद ईसाई आ गए तो वे उस मस्जिद की जगह गिरजा-घर बनाना चाहते थे। उन्होंने उस मस्जिद के ऊपर छत डाली और ऊपर गिरजाघर बना दिया। सारे संसार के लोग उस मस्जिद-गिरजे को देखने के लिए आते हैं। अगर देश इस तरह का सुझाव मान ले और मस्जिद के ऊपर छत डाल कर मंदिर बना दिया जाए और मन्दिर मस्जिद बना दिया जाए तो यह रोज का झगड़ा मिट सकता है।

इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं—

"इक्ष्वाकु वंशप्रभावो, रामो नाम जनैश्रुतः।
समुद्रइव गाभीर्ये, धैर्येण हिमवनिव ॥"

एक तो वे राम थे जो समुद्र की तरह गंभीर थे और हिमालय की तरह जिनका सिर ऊंचा था। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि बहुत धीरज के साथ इस मामले को निपटाएं, अगर निपट सकता है, इसमें विवाद की कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तमिलनाडु, असम, कश्मीर की बात नहीं करना चाहता यहां रोज जिक्र होता है, पंजाब के मामले पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं। पंजाब की जो समस्या है, उसको भी अगर हम निपटाना चाहें तो निपटा सकते हैं। हरचरण सिंह बराड़, गुरुचरण सिंह बराड़ महंत सेवा दास और बाकी जो नेता हैं, इनसे यह झगड़ा नहीं निपटेगा। जो पैदा तो गांव में हुए हैं लेकिन रहते चण्डीगढ़ में पुलिस की सुरक्षा में हैं, इनके जरिए समस्या नहीं निपट सकती। जो गांव के आदमी गांव में रहते हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी। गांव के आदमी से जब प्रधान मन्त्री जी बात करने के लिए कहते हैं तो हमारे मित्र विरोध करते हैं कहते हैं कि इनसे बात करना गलत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनसे बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे। उनसे बात करना बहुत जरूरी है। यह सारा सिलसिला बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में 8 लाख बेरोजगार हैं, सारे देश में 8 करोड़ बेरोजगार हैं, जब तक बेरोजगारी का इलाज नहीं होगा, तब तक उग्रवाद की समस्या नहीं सुलझ सकती। जिस लड़के के हाथ में बंदूक हो, जेब में 5-10 हजार रुपये पड़े हों, वह तो हाथ मार कर यही कहेगा। रब किथे है, कड़ां है परमेश्वर। आज सारे देश में विद्रोह चल रहा है। इस बेकारी को खत्म किया जाना चाहिए। लड़कों को पता नहीं था कि यह मण्डल कमीशन और राम जन्म भूमि विवाद कहां से आ गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री कपिल देव शास्त्री : बस बेकारी की बात करके मैं समाप्त करता हूं।

मैं बेकारी की बात कहना चाहता हूं। बेकारी समस्या का जब तक हल नहीं होगा तब तक उपद्रव को कोई नहीं रोक सकता। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं महिलाओं की बात करता हूं। हमारे देश में महिलाओं पर जो बीतती है वह संसार में शायद ही कहीं किसी पर बीतती हो। वीणा वर्मा जी ने राज्य सभा में प्रस्ताव रखा है, वह लोक सभा में भी आना चाहिए। जिस दिन लड़की विवाहित होती है तो उसका अपने पति की सम्पत्ति में उसी दिन से अधिकार हो। विवाह के तत्काल बाद आज अनेक किस्म के झगड़े होते हैं। उन्हें हम गृह-लक्ष्मी, धात्री और मातृ कहते हैं।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्राफलाः क्रिया"।

हम स्त्री का सम्मान करने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के संभ्रांत नागरिकों को कुछ चीजों के लिए एकमत होना पड़ेगा। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए सभी मनीषियों से कहना चाहता हूं कि जो समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो उन्हें औरतों और लड़कियों को भी पिता की सम्पत्ति में अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। यह उनके साथ बड़ा अन्याय है। इसका एक ही तरीका है कि संसद में पारित करें कि विवाहित लड़की का पति की सम्पत्ति में अधिकार हो। ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए। आज आप 35 मिनट बोल चुके हैं। पत्नी को पति की सम्पत्ति में अधिकार मिले, यह हो गया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नायक (बम्बई) : श्रीमन् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में 'कोरम' नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

[हिन्दी]

शास्त्री जी अब आप बोलें, अब कोरम है।

श्री कपिल देव शास्त्री : मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि अर्थव्यवस्था पर अब तक हमारा ध्यान नहीं जायेगा। तब तक हम सही मायने में उन्नति नहीं कर सकते। पिछले दिनों मैं बिहार गया था, बिहार में गरीबी का कोई अन्त नहीं है। कोसी, गण्डक जैसी सैकड़ों नदियां वहां बहती हैं और पानी का अन्त नहीं है। मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना बनाई जाये जल के सम्बन्ध में, ब्रह्मपुत्र, कोसी

और गण्डक इन का जो पानी है वह गंगा में मिलाया जाये और गंगा का पानी उत्तर हिन्दुस्तान में आये। राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, वह अकेला सारे देश को अन्न दे सकता है, मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है वह अकेले ही पूरे हिन्दुस्तान के लोगों का पेट भर सकता है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को रखते हुए और अपनी बात समाप्त करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक कृषि भूमि का सवाल है, भूमि की कोई कमी नहीं है और जल संसाधनों की भी कमी नहीं है। लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता। उनके उपयोग के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए और राष्ट्रपति जी ने जो बातें कहीं हैं हमारी सरकार की ओर से उनको मैं धन्यवाद करते हुए आपसे आशा करता हूं कि आप शकशाउट नहीं करेंगे, हमारे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किये धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करने की अनुमति दी। मान्यवर, यह सचमुच आश्चर्य की बात है और कुछ लोगों में बेचैनी पैदा करने की भी बात है कि यह सरकार करीब पांचवे महीने में पदार्पण कर रही है। क्योंकि इस सरकार के बारे में बराबर जब से यह सरकार बनी, यह भविष्यवाणी की जाती रही है कि यह तो चन्द महीनों की सरकार है। परन्तु अब लोगों को यह मालूम होने लगा है कि यह सरकार स्थिर मजबूत सरकार है। इस सरकार के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह बहुत ही कमजोर सरकार है और दबावों में काम करने वाली सरकार है। मैं इस सदन में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मगर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस देश में बहुत सी मजबूत सरकारें भी रही हैं और समर्थन पर टिकी रहने वाली सरकार भी रही है। सरकार मजबूत है, कमजोर है या टिकाऊ है यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार के निर्णय कैसे हैं, सरकार का आचरण कैसा है, सरकार की नीतियां कैसी हैं।

मान्यवर, जिस दिन यह सरकार सत्ता में आई, आप देश के हालात का तफसरा लें, देश के हालात की जानकारी हासिल करें क्या माहौल था उस समय ? एक तरफ अराजकता, हिंसा, और नफरत की आग की लपटों में पूरा देश धू-धू जल रहा था, विघटनकारी, सांप्रदायिक, अलगाववादी शक्तियां अपने चरम अपने शबाब पर थी और लगता था जैसे देश टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रधान मन्त्री माननीय चन्द्रशेखर ने जी सत्ता संभाली और यह काम सचमुच चुनौतियों की आंधियों के सामने दीया जलाने जैसा काम था और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस सरकार के आते ही देश के वातावरण में गुणात्मक परिवर्तन हुआ। यह बडबोलू सरकार नहीं थी, वह लफ्फाजों और पाखंडियों की सरकार नहीं था। प्रधान मंत्री ने कोई बहुत ऊंचा सपना दिखाने की कोशिश नहीं की। प्रधान मन्त्री ने साफ कहा कि···(व्यवधान)

श्री रामलाल राही (मसरिया) : यह पार्लियामेंटरी वर्ड नहीं है। (व्यवधान)

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। 'लफ्फाज' अनपार्लिबामेंटरी शब्द है इसलिए इसको वापस ले लिया जाए। (व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह कालवी (बाड़मेर) : लफ्फाज' मतलब ज्यादा बोलने वाला होता है।

श्री तेज नारायण सिंह : 'लफ्फाज' कब्द का मतलब बहुत अपभ्रंश होता है इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलते जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके शब्दों के जवाब देने के लिए तो यहां नहीं बैठा, शब्दों के अर्थ समझाने के लिए नहीं बैठा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस अभिभाषण में कोई गम्भीरता नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपसभाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखिए। अगर वह अनपार्लियामेंटरी होते तो तो मैं बोल देता।

श्री बृज भूषण तिवारी : प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि मेरा सबसे पहला काम घाव पर मल-हम लगाना है।

श्री राम लाल राही : सोज की लड़की का अपहरण हुआ, उसके बारे में भी बोलिए।

(व्यवधान)

श्री बृज भूषण तिवारी : वह भी बोलेंगे। मान्यवर, प्रधान मन्त्री के इस कथन का भी बहुत असर पड़ा और जब उन्होंने कहा कि आज हम देश में शांति और सद्भाव का वातावरण पैदा करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि गोली चाहे आतंकवादी को लगे या पुलिस को लगे उससे होने वाली मौत है और वह मौत किसी सिख की नहीं, किसी कश्मीरी की नहीं, किसी आतंकवादी की नहीं परन्तु वह मौत भारत मां के लाल की मौत है और इसलिए इस नजरिए से इसे देखें और शर्म की बात मानते हुए उन्होंने ऐसी राजनैतिक पहल की शुरुआत की बात की जिसमें हम आपस में बैठकर विचार-विमर्श कर इन समस्याओं का स्थायी हल ढूंढ पाएं। मान्यवर, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात कही गई है कि आज जो कठिन परिस्थितियां हमारे ऊपर है, उन कठिनाइयों के दौर में हमें आधारभूत सिद्धांतों-लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद, जो हमारी राष्ट्रीयता के आधार स्तम्भ हैं, के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी होगी और इसीलिए मान्यवर प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि जब भी राष्ट्रीय एकतापर, राष्ट्र की अखंडता और, राष्ट्र की संप्रभुता पर किसी भी कोने से अगर किसी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तो उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे और इसीलिए मान्यवर, असम की सरकार को, तामलनाडु की सरकार को भंग करना पड़ा। यह बहुत ही अप्रिय काम था परन्तु सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए मजबूर थी। जब ऐसी

सूचनाएं भारत सरकार के पास थी कि वहां देश की विघटनकारी शक्तियों को खुला खेलने की छूट थी। जब उसकी रपट गृह मंत्रालय में हो और केन्द्र की सरकार अपने राजनैतिक स्वार्थों के कारण कोई कठोर कदम उठाने से हिचक रही हो, ऐसे मौके पर मौजूदा सरकार, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी कमजोर सरकार, दबाव वाली सरकार है, ने ऐसा कठोर निर्णय लिया। और निर्णय ही नहीं लिया बल्कि वे सारे तथ्य देश की जनता के सामने और सदन के पटल पर रख दिये जिनके कारण हमारे देश की एकता को खतरा था। अब जहां तक अन्य समस्याओं का सवाल है, इस सरकार को अनेकों समस्याएं विरासत में मिली हैं। यह भी हम जानते हैं कि वे समस्याएं ऐसी हैं, जिनका स्थायी हल 4-5 महीनों में ढूंढ पाना सम्भव नहीं है। इस सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि तत्काल किसी समस्या का एक मिनट में या एक दिन में या 10 दिनों में हल निकाल लिया जाए परन्तु सरकार के सामने जो सबसे बड़ा काम था, देश के वातावरण को शुद्ध करने का, आपस में सामन्जस्य का वातावरण बनाने का, ईमानदारी से उन समस्याओं को हल करने की दिशा में कोशिश की गयी है। मैं मानता हूँ कि सरकार को इस सम्बन्ध में काफी कामयाबी नहीं मिली है। आज हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है, उसकी तरफ अन्तरिम बजट पेश करते हुए, माननीय वित्त मंत्री जी ने इशारा भी किया है, वह है कि हमारे देश की आर्थिक हालत। अब प्रश्न है कि वह गम्भीर कैसे हो गयी, उसका कारण है कि अब तक जो हमारा मैनेजमैंट रहा, प्रबन्धन रहा, वह उतना काबिल नहीं था और हमारे देश में जो नीतियां चलीं, उन नीतियों का दुष्परिणाम यह निकला कि हमारी सरकार का खर्च बढ़ता ही चला गया। हमारी जितनी योजनाएं थीं, उनमें गैर-विकास योजनाओं का खर्च लगातार बढ़ता चला गया। यदि आंकड़ों को देखें तो हमारा गैर-योजना खर्च, पूरे खर्च का करीब 81 प्रतिशत तक पहुंच गया था जब कि उसकी तुलना में विकास का खर्च, प्लान एक्सपैंडीचर घटते-घटते 19 प्रतिशत रह गया। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारा जो पब्लिक सैक्टर का संगठित क्षेत्र था, वह संगठित क्षेत्र के लोगों का हिस्सा हड़प जाता था। सभी जानते हैं कि जो नान-प्लान एक्सपैंडीचर होता है, उसमें सबसे ज्यादा तनख्वाहें, भत्ते और तमाम दूसरी प्रकार की सुविधाएं होती हैं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एक नई राष्ट्रीय वेज पोलिसी, अर्थात राष्ट्रीय वेतन नीति का निर्माण करें और उसके साथ-साथ जिस तरह सरकार खर्चा निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है, उस पर नियंत्रण करें। आज स्थिति यह है कि सरकार की राजस्व प्राप्ति कम हो गयी है। इस ओर माननीय वित्त मंत्री जी ने इशारा भी किया है और आंकड़े भी उपलब्ध हैं कि 1980-91 में जहां हमारी राजस्व प्राप्ति 12,830 करोड़ रुपये थी, 1989-90 में यद्यपि वह बढ़कर 55,040 करोड़ रुपये तो हो गयी, वहीं, इन्हीं वर्षों के दौरान, हमारा खर्च 24,180 करोड़ रुपये से बढ़कर 90 705 करोड़ रुपये हो गया। आप जानते है कि जब सरकार के पास पाय का कोई स्रोत नहीं होगा, राजस्व प्राप्ति कम होगी, खर्च ज्यादा होगा तो हम उस डैफिसिट का, उस घाटे को भरेंगे कैसे ? उसका एक तरीका है कि सरकार आंतरिक कर्जा ले, मार्केट लोन ले, दूसरा तरीका कि हम विदेशों से कर्जा लें और तीसरा तरीका है कि सरकार घाटे का बजट लाये। कर्जे के मामले में, वित्त मंत्री जी ने स्वयं सदन में इस बात को कहा है कि दिनोंदिन हम कर्जे के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। यदि आन्तरिक कर्जे की ओर दृष्टि डालें तो हमारे ऊपर कुल कर्जा मिलाकर 1 लाख 5। हजार करोड़ रुपये के करीब बैठता है, जो पूरे कर्जे का ४2 प्रतिशत है। जहां तक विदेशी कर्जे का सम्बन्ध है, वह कुल मिलाकर 32 हजार करोड़ रुपये है, जो कुल कर्जे का 18 प्रतिशत बैठता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस कर्जे के जाल को हमें रोकना होगा। यदि जाल को हम रोक नहीं पाये तो उस

राशि पर हमें जो इंटरैस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी तमाम विकास योजनाओं के खर्च में कटौती करनी पड़ेगी, उससे हमारा घाटे का बजट बढ़ता चला जायेगा। हमें उस स्थिति से बचना पड़ेगा और अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। दूसरी बात मान्यवर इस कर्ज के जाल में फंसने के साथ जो खाड़ी युद्ध हुआ, उसने हमारे ऊपर करीब 7 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का भार डाल दिया और जो इधर हमारा विदेशी व्यापार है, उसका भी घाटा बढ़ता गया। हमारा जो बैलेंस आफ पेमेंट का घाटा है वह भी 7193 करोड़ रुपये है जो पिछले 4533 करोड़ रुपये कारेस्पोंडिंग पीरियड में था। अब हमें क्या ठोस कदम उठाना पड़ेगा, इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी स्थिति है, हमारी हालत है, यह हमें विरासत में मिली है। इसलिए हमें आयात में कमी करनी पड़ेगी पेट्रोल उत्पाद और इनके खर्च में कमी करनी पड़ेगी। साथ ही पेट्रोल के उत्पादन पर जोर देना होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी चिन्ता की बात है वह यह है कि दामों में बढ़ोत्तरी हुई है। महंगाई बढ़ी है। पिछली सरकार के जमाने में 9 महीने से जो थोक कीमतों में वृद्धि हुई है वह 10.9 प्रतिशत हुई है और जो कंजूमर गुड्स हैं, उनमें 11% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इसलिये इस महंगाई को भी रोकना पड़ेगा।

[श्री बनकम पुरुषोत्तमन् पीठासीन हुए]

2.16 म प.

इसके अलावा, मान्यवर, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह इतनी विकट और इतनी कठिन है फिर भी सरकार ने जिस आत्म-विश्वास के साथ काम किया है उनका सबसे पहला उदाहरण यह है कि जब गल्फ की लड़ायी शुरू हुई, खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय ऐसा लगता कि पेट्रोल और डीजल मिलेगा ही नहीं, मगर सरकार की तत्परता के कारण, इनकी कालाबाजारी नहीं हो पायी और सरकार ने आम जनता को यह उपलब्ध करवाया। हालांकि कुछ दिवालिया ने ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश की।

इसके साथ ही साथ मान्यवर आज खाड़ी युद्ध करीब करीब समाप्त हो गया है और इस युद्ध को समाप्त कराने के लिये भारत सरकार ने तथा इस सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया और हमारी कोशिश थी कि किसी तरह से यह युद्ध टल जाये। हमारी कोशिश थी कि पश्चिमी एशिया में स्थायी शांति स्थापित की जाये और जो वहां के सवाल हैं उनका कोई स्थाई हल निकाला जाये। चाहे वह फिलीस्तीन का सवाल हो चाहे कुवैत के ऊपर ईराक का कब्जा हो, परन्तु हमारी कोशिश नाकामयाब रही और हमारी ही नहीं बल्कि और भी कई देशों ने कोशिश की, वह भी नाकामयाब हुयी और यह सबसे बड़ी और दुखद बात है कि लड़ाई हुई तथा अपार जनधन का नुकसान हुआ। भारत सरकार ने जो कदम उठाया, जो पहल की, उसकी तारीफ दुनिया के देशों में की जा रही है। देश में कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम कोई बड़ा इनीशियेटिव लेते तो शायद युद्ध टाला जा सकता था, मैं ऐसा नहीं मानता। हर स्तर पर इनीशियेटिव लिया गया, लेकिन मान्यवर आप जानते हैं यह झगड़ा क्षेत्र को लेकर नहीं, बल्कि तेल को लेकर हुआ।

मान्यवर, मुझे याद है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, तो उसके निर्माण में अनेक अन्तर-विरोध थे। जिस कारण फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। मान्यवर वह भी समानता के आधार पर नहीं हुआ। वहां भी

जो आज सुरक्षा परिषद् है, जो उसके स्थायी सदस्य हैं, उनको आज वीटो का अधिकार है और वहां के जो चौधरी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके प्रभाव से यह संस्था कभी मुक्त नहीं हो सकी है और इसीलिए हमने देखा कि जब कभी भी तनाव हुआ, युद्ध की स्थिति पैदा हुयी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को जिस तरह से निर्णायक कदम उठना चाहिये था-उस तरह से वह निर्णायक कदम नहीं उठा पाया। आज मैं इस बात का स्वागत करना चाहूंगा कि तमाम खेमों में यह बात उठ रही है आज संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन होना चाहिए। समानता के आधार पर किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। दुनिया की इस परिस्थिति में जब ब्लाक्स खत्म हो गए हैं और कोई किसी का प्रति बन्दी नहीं रह गया है, ऐसी हालत में आज कुछ बड़े राष्ट्र या अमरीका अपनी चौधराहट करता है, अगर ये अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र संघ या उसकी सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल अपने हितों के लिये करते हैं तो मैं चाहूंगा कि भारत जैसे देशों से, निर्गुट एवं तटस्थ देशों से यह मांग उठानी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन किया जाए। हम मानते हैं कि आज जो किसी जमाने में कल्पना थी, विश्व संसद की बात है, जो किसी जमाने में कल्पना थी विश्व सरकार की बात है आज वह कल्पना नहीं है आवश्यकता बन गई। इसलिए इस आवश्यकता पर हमें जोर देना चाहिए। मैं भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय की भी तारीफ करना चाहूंगा···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : विदेश मन्त्री कौन है ?

श्री बृज भूषण तिवारी : सुरक्षा परिषद में जिस प्रकार से अमरीका के युद्ध विराम के प्रस्ताव का विरोध किया और मानवीय आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने पर जो पाबन्दी लगी थी उसको खत्म करने की बात, कुवैत और इराक के पुनर्निर्माण की बात है इन तमाम बातों पर भारत सरकार ने जोर दिया। मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि हथियार खत्म हों। हमने देखा कि जब अमरीका, रूस आपस मे मिले थे और उन लोगों ने हथियारों को खत्म करने का डिक्लेरेशन किया था तो लगा कि अब निरस्त्रीकरण सही मायने में हो जायेगा। परन्तु ऐसी पहले भी कई घोषणाएं हुई हैं। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हथियार कभी नहीं खत्म होंगे। हथियार जब तक खत्म नहीं होंगे जब तक दुनिया से अन्याय खत्म नहीं होगा, शोषण खत्म नहीं होगा। हमने देखा कि तमाम घोषणाओं के बावजूद, अच्छी इच्छा के बावजूद यहां लड़ाई हो गई। लड़ाई का मुद्दा क्या था ? उसका मुद्दा यह था कि पश्चिम एशिया के तेल, पर किसका कब्जा हो। जो यहां के पश्चिमी ऐशिया और अफ्रीकी देशों के नैचुरल रिसोर्सेस हैं उन पर आज पश्चिम यूरोप के लोग या जो बड़े राष्ट्र हैं उस पर मनमाने तौर से कब्जा चाहते हैं। चाहे पर्यावरण का सवालहो, चाहे नैचुरल रिसोर्सेस का सवाल हो, चाहे प्रौद्योगिकी का सवाल हो, चाहे तकनीकों का सवाल हो, चाहे औद्योगिक ढांचे को थोपनेका सवाल हो, सारे सवालों पर आज जो यूरोप के बड़े देश हैं, विकसित देश हैं वे अपना दबदबा दुनिया के अन्य दक्षिण या दक्षांत के देशों पर काबू थोपना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं। अगर यह स्थिति होगी तो विश्व शान्ति स्थापित नही हो सकती, यदि यह स्थिति होगी तो समस्याओं का स्थायी हल नहीं ढूंढा जा सकता, अगर यह स्थिति होगी तो स्थायी शान्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए यदि इस स्थिति को उलटना है और सचमुच विश्व शान्ति स्थापित करनी है तो हमको सही मायने में जो अन्याय है, जुल्म है उनके खिलाफ डटना पड़ेगा। आज

हमारी तटस्थता की नीति के सामने, विदेश नीति के सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न-चिन्ह लगाए गए हैं और वे प्रश्न-चिन्ह यह हैं कि आखिर तटस्थता की नीति का मतलब क्या है ? यह केवल तमाशबीन बनने की नहीं है, तटस्थता की नीति किसी गुट विशेष या किसी गुट की तरफदारी करना नहीं है, इसका मतलब अंधविरोध भी नहीं है कि बिना मतलब सोचे-समझे हमको विरोध करना है। कुछ लोगों को अमरीका का विरोध करने में क्रान्तिकारिता नजर आती है। रूस का विरोध करने में राष्ट्रीयता नजर आती है। हम इसको बेकार की बात मानते हैं। क्रान्तिकारिता छूने से नहीं होती, क्रान्तिकारिता नारों से नहीं होती, अपने देश में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो क्रान्तिकारी छूकर हो लिया करते हैं। क्रान्तिकारियों की आरती उतारकर क्रान्तिकारी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है, आचरण की आवश्यकता है, जान को जोखिम में डालने की आवश्यकता है। अंत में मैं माननीय यह कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। अपने देश में जो हालत है और जब उसको देखें तो यह बात साफ नजर आती है कि जब दुनिया में अन्याय और शोषण को खत्म करना चाहते हैं तो अपने देश के अन्दर जो इम्बैलेंस है, विषमता है-चाहे आदमी-आदमी के बीच हो, चाहे क्षेत्र-क्षेत्र के बीच हो, इस विषमता को भी नष्ट करना पड़ेगा। आज हमारा उत्तर प्रदेश हर मामले में पिछड़ा है-बिजली के मामले में, रेल के मामले में, संचार के माध्यमों के मामले में, इसलिए मैं इस सदन में आपके जरिये यह एक सुझाव देना चाहता हूं कि इस सरकार को विशेष रूप से अपने प्लैनिंग कमीशन के द्वारा अपने विभिन्न मन्त्रालयों के द्वारा इन प्रदेशों की मानिटरिंग करनी चाहिए कि उन क्षेत्रों में कितनी प्रगति हुई है, वहां पर-कैपिटा इनवेस्टमेंट क्या रहा, वहां जो इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आवश्यक चीजें हैं, संसाधन हैं, उनकी उपलब्धता का क्या प्रतिशत रहा है और वह कितने पिछड़ गये हैं और जो पिछड़े प्रदेश हैं उनके विशेष विकास की योजना या उसका मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है। केवल ओसत का बंटवारा करके यह मामला नहीं चलेगा। वरना जो इलाके पिछड़े हैं वह लगातार पिछड़ते जायेंगे और जो इलाके विकसित हैं, उन्हें हिस्सा हड़पने का खुला अवसर मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब, सबसे अपेक्षित और सबसे पिछड़ा हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और उसी का सभापति महोदय मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, हमारे यहां गोरखपुर में एक फर्टिलाइजर का कारखाना था। वह कारखाना हमें आजादी के बाद मिला लेकिन वह कारखाना भी बंद पड़ा हुआ है और कोई कारखाना वहां है ही नहीं। चीनी के कारखाने हैं, वह चीनी के कारखाने भी काफी पुराने खत्म हैं। नतीजा क्या हुआ कि वहां आबादी का बोझ है, वह केवल खेती पर है और आमदनी का कोई जरिया नहीं है। दो विकल्प उनके सामने हैं या तो वहां से भाग कर लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे शहर में जानवर की तरह जिन्दगी जीने के लिये विवश हों या उन इलाकों में भूख से तड़पे और महंगाई की आग में झुलसें। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है वहां पर औद्योगीकरण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मगर औद्योगीकरण कब होगा, जब वहां सड़कों का जाल बिछेगा, वहां बिजली सब को उपलब्ध करायी जायेगी, वहां जो लागत है, उस लागत को बढ़ाया जायेगा। जब ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जायेगी तो सचमुच देश में सब लोगों को अपने विकास का अवसर मिलेगा। लेकिन अब तक की इस मामले में जो प्रक्रिया रही है वह मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी शासन में ताकतवर लोग रहे हैं, हल्ला मचाने वाले लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देश की पूंजी का लूट मचाया है, देश की पूंजी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने क्षेत्र में या अपने इलाके के विकास में लगाया है, इसलिये जो पूरे

देश का सम्यक विकास होना चाहिये वह सम्यक विकास नहीं हुआ है। बेरोजगारी का जो रूप है वह इतना भयंकर है, इतना विकराल है कि कोई भी सरकार आये, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि यहां 4:5 की बहुमत वाली सरकार रही है, यहां डेढ़ सौ की बहुमत वाली सरकार रही है मगर गवर्नेन्स हमारा नहीं रहा। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, फिजूलखर्ची की समस्या अगर इन सब की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन नहीं होता है, हमारी सोच में परिपक्वता नहीं आती है और अखिल भारतीय स्तर पर हमारी सोच नहीं बनती है तो केवल अंक गणित से सरकारें नहीं चलेंगी। मैं प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जी की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने कभी दलीय आधार पर निर्णय लेने की बात नहीं की। उन्होंने यह साफ साफ कहा कि ये राष्ट्रीय प्रश्न हैं, ये सामूहिक प्रश्न हैं और इन्हें पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर सुलझाने और देखने की कोशिश की जाये। इसलिये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण और प्रधान मन्त्री जी के कथनों में यह बात बार-बार आई है कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, खजाना नहीं है, साधन नहीं हैं, आर्थिक दबाव सरकार पर है, देश की स्थिति यों अशान्त है परन्तु इस सब के बावजूद जो जनता है, जो जनसहयोग है, हमारी जो जनशक्ति है, वह हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और अगर हमने अपनी जनशक्ति का, अपनी जनपूंजी का इस्तेमाल इन समस्याओं के निदान के लिए किया तो हम समस्याओं का निदान कर पायेंगे और इन चुनौतियों का मुकाबला कर पायेंगे। इसके लिए जरूरी है, जनता की साझेदारी और यह भावना तभी पैदा की जा सकती है जब उनको लगे कि उनका जो हक है, वह हक देने के लिए सरकार ईमानदार है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

> "कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1991 को एक साथ समवेत संवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में संशोधन परिचालित किए गए हैं, अगर वे अपने संसाधन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो संशोधनों की क्रम संख्या लिखकर 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। केवल ऐसे संसाधनों को ही प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

प्रस्तुत किए गए, माने जाने वाले संशोधनों के क्रमांक की सूची शीघ्र ही सूचना पटल पर दर्शाई जाएगी। अगर किसी सदस्य की सूची में कोई गलती नजर आए तो सदस्य उसकी सूचना तत्काल सभा पटल पर नियुक्त अधिकारी को दें।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) मेरी एक समस्या है। मैं दृष्टि विहीन हूं। मेरे लिए अभी अपने संशोधनों के क्रमांक बताना सम्भव नहीं है। अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए, मुझे कुछ और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : मैं आपकी सहायता के लिए, किसी को नियुक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिंसात्मक दंगों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण मे आंवला, भरीदकोट, दातागंज और विनवार में चीनी मिलें स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"किन्तु है कि अभिभाषण में डीजल, मिट्टी का तेल और खाद्यान्न की निर्धारित दर पर नियमित आपूर्ति करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक गांव में स्कूल खोलकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायेगी।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार उत्तर प्रदेश में चन्दौसी से फर्रुखाबाद तक बदायूं होते हुए एक रेलगाड़ी चलायेगी।" (127)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है। सरकार भारत के सभी गांवों को पक्की सड़कों द्वारा जोड़ेगी।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार तथा प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध करायेगी।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं, दातागंज, बजीरगंज,

कुंवरगांव तथा विनवार में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जाने के बारे कोई उल्लेख नहीं है ।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की फरीदपुर तहसील में वायुदूत सेवा हेतु एक हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नही है ।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा बिक्री-कर समाप्त करके उत्पादन-कर लगाने का कोई उल्लेख नहीं है ।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार देश के सभी तहसील केन्द्रों पर स्नातक कालिज खोलेगी ।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार भारत के सभी किसानों के सभी ऋण माफ करेगी ।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में बरेली से आगरा की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है ।" (135)

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है ।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विशेष रूप से मध्य प्रदेश में विद्युत संकट को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना करने में हो रही अत्यधिक देरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में अस्थिरता, अराजकता तथा व्यापक हिंसा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।" (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में सरकार के संकल्प का कोई उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परतु खेद है कि अभिभाषण में कृषि तथा आदिवासी प्रधान मध्य प्रदेश राज्य को उसकी सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नही है।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में प्रस्तावित तेल शोधक कारखने की शीघ्र स्थापना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आतकवादियों तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में हो रही निरन्तर वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में कीमतों में वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं का बेतरतीब वितरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अक्षमता के कारण जनता द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाई के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (27)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में असम में "उल्फा" की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण मे पिछड़े जनजाति बाहुल्य मध्य प्रदेश राज्य को नई कोटा-नीमच रेलने लाइन से जोड़कर, जो अभी तक यातायात के लिए खोली नहीं गई है, तथा नीमच-रतलाम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलकर इस राज्य का विकास करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्य में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में विदेशों में विशेष रूप से सूरीनाम, फिजी तथा नाइजीरिया

में रह रहे भारतीयों के साथ भेदभाव तथा अमानवीय व्यवहार के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए जो मध्य प्रदेश के मन्दसौर, रतलाम और उज्जैन जिलों तथा राजस्थान के प्रतापगढ़ तथा झालावाड़ क्षेत्रों में निर्यात-योग्य फसल पैदा करते हैं, सहायता उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश में, जहां विभिन्न उद्योगों के लिए प्रचुर मात्रा में कच्ची सामग्री उपलब्ध है, उद्योगों की स्थापना करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (200)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, वर्तमान विद्युत संकट को हल करने के लिए गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (201)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश, में विशेषकर मध्य प्रदेश में, पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने तथा कतिपय राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (202)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश को देश के अन्य भागों से वायु मार्ग से जोड़ने तथा नीमच और उज्जैन में वायु सेवा आरम्भ करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (252)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जावे, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में खाना पकाने की गैस की आपूर्ति को बढ़ाने तथा मन्दसौर जिले में शामगढ़, मानसा, गरोठ, भानपुरा तथा सीतामऊ जैसे नये स्थानों पर, उपभोक्ताओं को गैस कनैक्शन प्रदान करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नही है।" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले के नीमच में अल्कालाइड फैक्ट्री की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर कोडीन के आयात से बचने और विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए उपाय करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई-दिल्ली सड़क मार्ग पर नसीराबाद से इन्दौर तक वाया इन्दौर-नीमच-नसीराबाद-अजमेर-जयपुर मार्ग को, परिवहन सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (255)

[अनुवाद]

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल (राजगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने की दृष्टि से कश्मीर कच्छ तक सुरक्षा पट्टी का निर्माण करने में सरकार के प्रयास का कोई उल्लेख नहीं है।" (41)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर, पंजाब, असम तथा देश के अन्य भागों में बढ़ती हुई आतंकवादी हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये जाने वाले सम्यबद्ध ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में प्रेस की आजादी को बहाल करने के लिए, जिसे समाप्त करने की आतंकवादियों ने धमकी दी है, सरकार द्वारा उठाये जाने वाले ठोस कदमों के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गाय तथा इसकी सन्तति के संरक्षण संबंधी नीति के निदेशक तत्व के क्रियान्वयन के प्रति सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद कि अभिभाषण में देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए समयबद्ध कार्यक्रम सुनिश्चित करने में सरकार के आश्वासन का कोई उल्लेख नहीं है।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल की कमी के परिणामस्वरूप किसानों की दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायालय के मामलों को शीघ्र निपटाने में तेजी लाने तथा विभिन्न उच्च न्यालयों तथा उच्चतम न्यायालय में लम्बित मुकद्दमों मे कमी लाने में सरकार की असफलत के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर में हाल में मन्दिरों के गिराये तथा कश्मीरी शरणार्थियों की दशा के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (49)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा की गई इस मांग को कि न्यापक फसल बीमा स्कीम के अन्तर्गत और अधिक फसलों को सम्मिलित किया जाये, के बारे में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (50)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् ।

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन की उत्पत्ति तथा प्रचलन को रोकने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट तथा ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय माल को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विशिष्ट योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (53)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण के चुनावों में धन और बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए चुनाव सुधार करने में सरकार के संकल्प का कोई उल्लेख नहीं है।" (54)

[हिन्दी]

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में गैस पर आधारित बिजली घर स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (660)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाना स्थापित किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (661)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (662)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मध्य प्रदेश में विजयपुर, गूना में गैस क्रैकर संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (663)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 12 और 26 अर्थात् ब्यावर सागर बरास्ता लटेरी, सिरोंज—कुरवाह और गूना—सागर बरास्ता आरों—सिरोंज को आपस में जोड़ने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (664)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (665)

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि (कोन्टाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

श्री सुधीर गिरि :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।'' (85)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 14 वर्ष की आयु से कम के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा से संबंधित सांविधानिक उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का उल्लेख नहीं है।'' (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार ने अभी तक आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया है।'' (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परन्तु खेद है कि अभिभाषण में केवल किस्तों का भुगतान न करने वालों के स्थान पर उन सभी किसानों, कारीगरों, मछुआरों, आदि को कर्ज राहत देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जिन्होंने देय किस्तों का भुगतान कर दिया है।'' (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाड़ी युद्ध को टालने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य होने के नाते प्रभावी भूमिका निभाने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।'' (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व करने में पूर्णतः असफल रही है।'' (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

''परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रेलवे के बर्खास्त किए गये गए कर्मचारियों की बहाली के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'' (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बलात बाल श्रम की समस्या का उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखत जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू करने में असफल रही है।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में दक्षिण में देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अब तक उठाये गए कदमों का उल्लेख नहीं है।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा देय शर्तों पर ऋण लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष झुक जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद समस्या को सुलझाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर समस्या हल करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में असम की 'उल्फा' समस्या से निपटने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में हरिजनों की हत्या रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल की कमी से निपटने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मूल्य वृद्धि को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारित कर उन्हें पूरे देश में उन्हीं दरों पर वितरित करने की व्यवस्था करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करते समय उसकी भावना को ध्यान में रखने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (242)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बोफोर्स सौदे की जांच की वर्तमान स्थिति के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हल करने की सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है." (244)

[हिन्दी]

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण देश में करोड़ी शिक्षित बेरोगार व्यक्तियों के हित में काम के अधिक र को मूल अधिकार बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने तथा उत्पादन लागत का निर्धारण करने, पूर्ति का कुशल प्रबंध करने और लाभ के बारे में सुनियोजित नाति बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नही है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु केद है कि अभिभाषण में निजी तथा सरकारी क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं के मूल्यों के विनियमन के लिए एक मूल्य आयोग नियुक्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की उत्पादन लागत की घोषणा करने के बारे में किसी सांविधिक उपबंध का कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उपभोक्ताओं द्वारा कार और स्कूटर के लिए तथा टेलीफोन, गैस और बिजली आदि के कनैक्शन के लिए पंजीकरण कराने के लिए वे वस्तुएं मिलने तक जमा की गई राशि पर ब्याज देने का उपबन्ध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी जिलों में उपभोक्ता न्यायालय स्थापित करके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को लागू करने की योजना का उल्लेख नहीं किया गया है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए 33 प्रतिशत भूमि में वन लगाने तथा वन कटाई को रोकने के लिए ठोस उपाय करने पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1954 से की जा रही छोटे राज्यों को गठित किए जाने संबंधी मांग को स्वीकार करते हुए झारखंड प्रान्त या वनांचल प्रदेश तथा उत्तरांचल को राज्य का दर्जा दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (164)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मारकाचो-कोडरमा (बिहार) में प्रस्तावित आयुद्ध कारखाने का शिलान्यास करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है। (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गिरिडीह से रांची तक वाया कोडरमा—हजारीबाग नगर में 262.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2×4 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाने की काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"(166)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ईंधन की कमी को पूरा करने हेतु तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस की खोज के प्रयास तेज करने के लिए उठाए जाने वाले ठोस कदमों की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "एक परिवार-एक नौकरी" की गारंटी देने तथा समाज की भलाई के लिए "छोटा परिवार सुख आधार" मानदण्ड अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (168)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में करों की चोरी, आय छुपाना और विदेशी बैंकों में धन जमा कराने की प्रवृति रोकने के लिए आयकर-सीमा को 20,000 रुपये तक बढ़ाने तथा अन्य आय वर्गों के लिए अधिकतम दर 35 प्रतिशत निर्धारित करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का उल्लेख नहीं है।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी उपक्रमों को अधिक उत्पादक और लाभ अर्जित करने वाले बनाने तथा नौकरशाही के हस्तक्षेप पर रोक लगाकर प्रबन्ध को अधिक कार्यकुशल बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है ताकि घाटे का अनता पर कम बोझ पड़े।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिए की की जाने वाली किसी कार्यवाही का उल्लेख नहीं है ताकि देश की 77 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या खाद और बायोगैस से वंचित न रहे।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर एक या दो किलोमीटर-चौड़ी सुरक्षा पट्टी बनाने और वहां सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक तैनात करने का उल्लेख नहीं है ताकि शत्रु की घुसपैठ को रोका जा सके तथा भूतपूर्व सैनिकों को उस क्षेत्र में बसाया जा सके।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बगला देश तथा पाकिस्तान से अवैध रूप से आये लोगों को वापस भेजने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पड़ोसी देश से अवैध रूप से आए लाखों लोगों का पता लगाने और मतदाता सूचियों से उनका नाम हटाने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं को और अधिक अवसर प्रदान करने तथा उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण देने के लिए केवल उन्हीं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण उन्हें संस्थान तथा पौलिटेकनीक संस्थान स्थापित करने के लिए योजनाएं आरम्भ करने की सरकारी नीति का कोई उल्लेख नहीं है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण महिलाओं को धुआंरहित चूल्हे उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर कार्यक्रम आरम्भ करने और वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए प्रत्येक सब-डिवीजन में ईंधन डिपो सयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में वनों के संरक्षण के लिए व्यापक योजना बनाने तथा वनों में रहने वाले आदिवासियों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच सहयोग बढ़ाने और इन आदिवासियों के लिए वन गार्डों के 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने की सरकारी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने का कोई उल्लेख नहीं है।"
(177)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण सड़क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, पेय जल की आपूर्ति, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, घर-कुटि ग्रामीण उद्योग स्थापित करने गांवों में कृषि पर आधारित उद्योगों की प्रौद्योगिकी के विस्तार तथा खण्ड स्तर पर सामाजिक वानिकी योजनाओं के कार्यक्षम स्थापित करने के संबंध में सरकार की नीति का उल्लेख नहीं है ताकि देशव्यापी रोजगार गारंटी योजना को कार्यान्वित किया जा सके।" (178)

श्री रामकृष्ण यादव (आजमगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि साम्प्रदायिक हिंसा में विशेषकर उत्तर प्रदेश में, वृद्धि हुई है।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सामन्तवादी शक्तियों की मिली भगत से राज्य पुलिस और पी. ए. सी. के पुर्वाग्रह और आतंक से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य निम्न जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों की अंधाधुंध हत्या और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जुन्डा थाने के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 13 व्यक्तियों की फर्जी मुठभेड़ दिखा कर हत्या कर हत्या करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (180)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों तथा आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती हुई कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का, जिनके कारण गरीब व्यक्तियों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सबंधित व्यक्तियों, को भारी कठिनाइयां होती है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसी साम्प्रदायिक शक्तियों और धार्मिक उन्माद का, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षा, अखण्डता और शांति खतरे में पड़ गई है, मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये ठोस कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों और केन्द्र के बीच सामंजस्य और मधुर सम्बन्ध बनाये रखने के लिए अन्तर्राज्य परिषद द्वारा किये जाने वाले उपायों तथा परिषद की प्रभावी भूमिका के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में काला बाजारी तथा तस्करी को, जिससे देश के संतुलित आर्थिक विकास के सामने चुनौती उत्पन्न हो रही है, रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मादक द्रव्यों तथा नशीले पदार्थों की खुली बिक्री तथा सेवन से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (185)

कि प्र ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खेत जोतने वाले को भूमि देने के उद्देश्य से एक क्रान्तिकारी भूमि सुधार कानून बनाय जाने के बारे में कोई उल्लेख नही किया गया है।" (186)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण मे कृषि को उद्योग के रूप में घोषित करने के लिए कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंगठित श्रमिकों, कृषि मजदूरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगो को रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित करने तथा उन्हें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों में समान अवसर देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अवयस्कों, महिलाओं तथा अन्य लोगों का शोषण रोकने तथा उनके उद्धार के लिए कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को शिक्षा के समान अवसर तथा सुविधाएं देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य पुलिस तथा पी. ए. सी. की भूमिका की समीक्षा करने, तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के जान माल की सुरक्षा हो सके और साम्प्रदायिक सदभाव बना रहे, का कोई उल्लेख नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाड़ी युद्ध के बारे में भारत की वर्तमान एवं भावी

नीति के बारे में और कोई उल्लेख नहीं है जबकि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है और उसे शांति का दूत माना जाता है और लम्बे समय से इराक के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावों में धन, प्रचार माध्यमों तथा माफिया के प्रभाव को रोकने के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (194)

[अनुवाद]

डा. वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (290)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मराठवाड़ा और विदर्भ सहित कोंकण के लिए सांविधिक विकास बोर्डों को स्वीकृति देने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से अधिक रोजगार पैदा करने और उन उपक्रमों को लाभ में चलाने के विशेष उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (292)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विज्ञान नीति से लोगों को मिलने वाले ठोस लोगों के बारे में सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायो का कोई उल्लेख नहीं है।" (293)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में असंठित मजदूरों के लिए विस्तृत कानूनों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (294)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में गन्दी बस्ती में रहने वालों और झौपड़ी-झुग्गी वालों को राशन कार्ड देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (295)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे अपराधों और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, जिनके परिणामस्वरूप नागरिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है, के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (296)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सेना और सुरक्षा कर्मियों द्वारा असम के निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने और 'उल्फा' से बातचीत करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (297)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास करने और बेरोजगारी दूर करने के लिए जनशक्ति का उपयोग करने के तरीके के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (298)

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्गों से संबंधित आरक्षण नीति का शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में शीघ्र कार्यान्वयन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (417)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्गों के लिये किये जाने वाले आरक्षण में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को प्राथमिकता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (418)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के बरेली महानगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत "काउंटर मैग्नेट सीटी" के रूप में विकसित करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (419)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित यह जोड़ा जाए, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी गांवों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल

की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निधियों का आवंटन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (420)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी गांवों को प्राथमिकता के आधार पर मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए कार्यवाही करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं हैं। (421)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (422)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में रोजगार तलासने वाले बेरोजगार युवाओं, डाक खर्च तथा रेल/बस किराये में छूट देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (423)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उत्पादनों के मूल्यों का निर्धारण लागत के आधार पर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (424)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक तथा कीट-नाशक दवाईयां राहत मूल्यों पर उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (425)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परतु खेद है कि अभिभाषण में देश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लघु उद्योग स्थापित करने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (426)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (427)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं तथा विकलांगों के लिए नौकरियों में आरक्षण किये जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (428)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सुधार करके आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (429)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में समान मात्रा में चीनी तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (430)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण मे बरेली, उत्तर प्रदेश में दस हजार लाईनों का इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के बारे मे उल्लेख नहीं है।" (431)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में बाल-श्रम प्रथा को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (432)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंन्तु खेद है कि अभिभाषण में समान कार्य समान मजदूरी का उपबन्ध करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (433)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में प्राइवेट संगठनों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे मे कोई उल्लेख नही है।" (434)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में खेलों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से प्रत्येक जिला केन्द्र में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने समेत सभी आवश्यकता सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (486)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी विद्यालयों मे खेल के मैदान उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (487)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को लाभकारी बनायेगी जिनमें करोड़ों रुपये का घाटा हो गया है, का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। (488)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में सूरीनाम में भारतीय मूल के न लोग पर किया जा रहे अत्याचार का सरकार द्वारा कड़ा विरोध के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

(489)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राम जन्म भूमि विवाद तथा इसे साम्प्रदायिक रंग दिये जाने की समस्या का हल करने में सरकार की उदासीनता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (490)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशी मुद्रा के कम भण्डार होने तथा बढ़ते मूल्यों के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (291)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीर में अनुच्छेद 370 का निरस्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (492)

कि प्रस्ताव के अन्त में जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जम्मू कश्मीर से आये विस्थापितों के पुनर्वास के लिए की गई किसी उचित व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (493)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् : —

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाड़ी संकट के समाधान के लिये गुटनिरपेक्षता और शांति की नीतियों के अनुपालन में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (436)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाड़ी युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के बारे में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के संबंध में सरकार की असफलता के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।" (437)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में "काम के अधिकार" को मौलिक अधिकार के रूप में

संविधान में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (438)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में मान्यता देने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (439)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेने के प्रयास जिससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचेगा घातक परिणामों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है" (440)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कानून बनाने संबंधी प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (441)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये तथा सामाजिक न्याय और समता सुनिश्चित करने में सरकार की वचनबद्धता दोहराई नहीं गई है।" (442)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय महिला आयोग जिसमें पर्याप्त शक्तियां निहित हों, के गठन के लिए किये जाने वाले प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (443)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण देश के हरिजनों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित, जनजातियों, दलित की हत्याओं और उन पर हो रहे अत्याचारों को प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है" (444)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (445)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव संबंधी सुधार के लिए तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (446)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य तेल समेत आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो रही असामान्य वृद्धि को रोकने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (447)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन राज्य सरकारों को वित्तीय संकट का सामना करने के लिए सहायता देने हेतु खेत कर लगाने के लिए उन्हें अधिकार देने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (448)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता और उद्योगों के बन्द होने, जिनकी वजह से हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं, का कोई उल्लेख नहीं किया है।" (449)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कश्मीरी शरणार्थियों के उचित पुनर्वास के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (450)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को सम्मिलित करने की बहुत दिनों से चली आ रही मांग को पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (451)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाय, अर्थात :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी इस सिफारिश के लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है कि समान भाड़े की योजना को धीरे-धीरे समाप्त किया जाये क्योंकि उससे क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है बल्कि इससे उद्योगों को भरपूर लाभ नहीं मिल रहा है।" (452)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण करने के लिए सरकार की मंशा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (453)

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्ता देने सम्बन्धी प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 के कार्यान्वयन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (454)

श्री वामनराव महाडीक मुम्बई (दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता की भारी मांग के बावजूद महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण तथा शेष भागों के लिए सांविधिक विकास बोर्डों के गठन का कोई उल्लेख नहीं है।" (507)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किसी ठोस नीति के बारे में उल्लेख नहीं है।" (508)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुम्बई तथा महाराष्ट्र के अन्य शहरों में भूमिहीन और फुटपाथ पर तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आश्रय स्थलों की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (509)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद को नियंत्रित करने हेतु किए जाने वाले ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (510)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के बीच लम्बे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (511)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में कोंकण क्षेत्र के पश्चिमी समुद्री तट क्षेत्र में यात्री नौका सेवायें शुरू करने, मत्स्य उद्योग का विकास करने और तट मार्ग और कोंकण रेलवे का सुधार करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना बनाने तथा गरीबी दूर करने के लिए किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (512)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में कोंकण रेलवे के विशेषकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर कनकवली-रेलवे सैक्शन के बीच विकास का कोई उल्लेख नहीं है।" (513)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में आम, नींबू आदि के लिए फसल बीमा योजना लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (514)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में खेलों के विकास के लिए योजनायें बनाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (515)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र के पश्चिमी तट अर्थात् कोंकण क्षेत्र में तेल की खोज करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (516)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में मुम्बई हाई के आस पास के क्षेत्र में सुदूर तटीय तेल-कुओं में प्राकृतिक गैस को जला कर लगातार नष्ट करने तथा देश में इसका उचित उपयोग करने के बारे कोई उल्लेख नहीं है।" (517)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र में कोंकण के सिन्धुदुर्ग जिले में उच्चशक्ति के दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में उल्लेख नहीं है" (518)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात :—

"परतु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (519)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद कि अभिभाषण में देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का कोई उल्लेख नहीं है।" (520)

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम के अधिकार' को मूल अधिकारों में शामिल करने का आश्वासन देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (547)

कि प्रस्ताव के अन्त मे यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीन कृषि मजदूरों को कृषि भूमि देने के लिए भूमि सुधार कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (548)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (549)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में देश में समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (550)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनावों में धन तथा बल प्रयोग को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं।" (551)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (552)

कि प्रस्ताव के अंत में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सभी गांवों में सिंचाई के लिए बिजली लगाने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। (553)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में ठेकेदारों द्वारा काम पर लगाये जाने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी के एक तिहाई या एक चौथाई से भी कम मजदूरी दिए जाने को समाप्त करने के लिए आश्वासन देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (554)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अवयस्कों को श्रमिकों के रूप में लगाने की प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (555)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में पचास वर्ष से अधिक उम्र के कृषि मजदूरों, कामगारों, कारीगरों, बीड़ी मजदूरों और कोयला खान श्रमिकों को पेंशन देने के बारे में उल्लेख नहीं है।" (556)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र राज्य सम्बन्धों को अधिक लोकतांत्रिक बनाये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।"

(574)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के निजी थोक विक्रेताओं को ऋण देने से इन्कार करने, कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में समानता लाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और काला बाजारी को रोकने जैसे उपायों द्वारा मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (575)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रधान मन्त्री के नेपाल के हाल के दौरे के संदर्भ में दोनों देशों के हित में कोसी नदी पर बराह कमला नदी पर शीशापानी, रागमती तथा महानदी पर नूनथर, पंचेश्वर पर करनाली बहु उद्देश्यीय परियोजनाओं के तत्काल कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं है।" (576)

कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की अधिकतम सीमा से संबंधित अधिनियमों तथा भूमि सुधार से संबंधित अन्य विधियों को तेजी से कार्यान्वित करने का उल्लेख नहीं है।" (577)

कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'एक व्यक्ति एक पद' की नीति को कार्यान्वित करके तथा सभी को स्वतः रोजगार के लिए धन और संसाधन देकर राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू करके प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में उल्लेख नहीं है।"

(578)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, संथाली, भोजपुरी, राजस्थानी और कोंकणी भाषाओं को शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (579)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के पर्यावरण में सुधार करने तथा सड़कों, रेल पटरियों और नदियों के दोनों ओर फलदार पेड़ लगाकर फल उत्पादन बढ़ाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (580)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, मधुबनी और दरभंगा तथा अलनी के फल प्रसंस्करण उद्योग सहित सभी रुग्ण उद्योगों के पुनः चालू करने तथा उनके आधुनिकीकरण के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (581)

कि प्रस्ताव के अन्त में, यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी निजी तथा सरकारी प्रतिष्ठानों में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (582)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में मौलिक अधिकारों में 'काम के अधिकार' और 'शिक्षा के अधिकार' रूप को शामिल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।" (583)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में योगासन तथा आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (584)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

'परन्तु खेद है कि अभिभाषण में शीघ्रातिशीघ्र साक्षरता अभियान को सफल बनाने को सुनिश्चित करने के लिए सभी मातृ भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में माध्यम के रूप में मान्यता देने का कोई उल्लेख नहीं है।' (585)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुवैत को आबाद कराने के नाम पर इराक के विनाश के लिए अमरीका के नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेनाओं की आलोचना का कोई उल्लेख नहीं है।" (586)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश, औद्योगिक आत्मनिर्भरता और सरकारी उपक्रमों को प्रमुख भूमिका प्रदान करने की नीति अपनाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (587)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में डीजल, पैट्रोल और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी और इनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय का कोई उल्लेख नहीं है।" (588)

कि प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ा जाये, अर्थात्—

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा के रूप में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग करने तथा सभी अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय का कोई उल्लेख नहीं है." (589)

[हिन्दी]

19.12.97 D Bussi

श्री कैलास मेघवाल (जालौर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और मैं यहां पर इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना है। सारे संसद के सदस्यों को और सदस्यों के द्वारा सारे देश को एक संकेत किया जाता है कि देश की जो वर्तमान सरकार है, उसकी दिशाएं क्या होंगी, उसकी कल्पनायें क्या हैं, देश को सुदृढ़ बनाने में, देश की प्रगतिशीलता की ओर ले जाने में उसके कार्यक्रम क्या हैं लेकिन यह जो आपके सामने 1½ पेज का एक दस्तावेज है, इस दस्तावेज को अगर आप पढ़ें, इसका आद्योपान्त अगर आप अध्ययन करें तो आपको ज्ञात होगा कि यह एक निराशा, हताशा और नाकारा स्थिति का वर्णन करने के अलावा कोई दस्तावेज नहीं है। किसी छात्र से यह लेख लिखवाया जाए कि देश की समस्याएं क्या हैं, देश की दुराशायें क्या हैं, देश में निराशायें क्या हैं, उसका एक प्रतिबिम्ब यहां पर पेश किया गया है। इस अभिभाषण में कहीं पर भी यह प्रकट नहीं होता है कि हम देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं।

सभापति जी, 80 करोड़ की आबादी का यह देश है और आज जो कुछ हम करना चाहते हैं, अभी यह कहा गया कि यह सरकार अस्थिर है कि नहीं, सबसे बड़ी आज की समस्या इनमें गिनाई हुई समस्यायें नहीं हैं, सबसे बड़ी समस्या आज इस देश में हो गई है, राजनैतिक अराजकता राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक अनिश्चय और इसका दौर-दौरा चालू हुआ है इस देश में 7 नवम्बर के बाद. मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि 7 नवम्बर के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, उसी पार्टी का कुछ दिनों के बाद यह बयान आता है कि हम कब समर्थन वापस ले लेंगे, कब मतभेद आ जाते हैं और एक के बाद एक, मैं स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि संकेत क्या जा रहे हैं, देश को संकेत जा रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रामाणिक प्रथम श्रेणी के नेता हैं, कोई कहता है कि 15 दिन में हम समर्थन वापस ले लेंगे, कोई कहता है कि यह सरकार 7 दिन की मेहमान है, कोई कहता है यह सरकार कितने दिन की मेहमान है, अब आज प्रधान मन्त्री जी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि यह वही जानते हैं, कब तक वह समर्थन देंगे लेकिन जब तक हूं, तब

तक प्रधान मन्त्री हूं लेकिन जब तक हूं तब तक प्रधान मन्त्री हूँ। जब प्रधान मन्त्री जी से पूछा जाता है, तो कहते हैं कि पूरे पांच साल चलेंगे। इस तरह की विभिन्न भाषायें बोली जाती हैं और विभिन्न मतभेद सामने आ रहे हैं। उससे सारे देश में एक स्थिति पैदा हो रही है और वह स्थिति यह पैदा हो रही है कि सरकार एक धक्कागाड़ी है और उसको धक्के से चलाए जाओ। जहां रुक जाए, उसको फिर धक्का लगा दो, ऐसी धक्कागाड़ी इस देश को कहां ले जा सकती है, इस देश को गन्तव्य पर ले जा सकती है ? उस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह अभिभाषण धक्कागाड़ी में बैठे हुए इस मन्त्रिमंडल के सवारों का है, जो इस देश के सामने रखा गया है।

मैं एक विशेष विषय की ओर, सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस देश में 1967 में पहली बार दल-बदल के कानून की आवश्यकता हुई थी। 1967 में प्रदेशों के चुनाव हुए थे। कांग्रेस का जो शासन पर एकाधिकार था, वह अधिकार टूटा था और सारे देश में संविद की सरकारें बनी थी। बहुत बड़े दल-बदल के साथ उत्तर प्रदेश में संविद की सरकार बनी मध्य प्रदेश में दल-बदल के साथ संविद की सरकार बनी और बिहार में भी संविद की सरकार बनी। इसके पश्चात 1970 में एक बात सामने आई कि दल-बदल हमारी राजनीतिक प्रणाली के लिए बड़ा खतरनाक है, आया-राम, गया राम की प्रक्रिया हो गई है, इसको हमको रोकना पड़ेगा, 1977 के बाद लगातार इस देश में एक बात चलती रही दल-बदल-विरोधी-कानून, राजनीति का शुद्ध करने का कानून आया-राम, गया-राम की प्रक्रिया को समाप्त करने का कानून इस बारे में एक सिलसिला चला और एक विचार आगे बढ़ा। उस विचार को मूर्त रूप देने के लिए—यह सच है कि 1977 से 1980 के बीच में जब मोरारजी भाई की सरकार थी, तब वे प्रधान मन्त्री थे, इस देश में जनता पार्टी की सरकार थी,—दल बदल विरोधी कानून लाने का विचार आया था और प्रस्तावित भी हुआ था, लेकिन उस समय उसको स्कटल किया गया। इसके लिये मैं बधाई कांग्रेस के मित्रों को देता हूँ कि पहली बार 1985 में दल-बदल विरोधी कानून ला करके इस देश की राजनीति को शुद्ध करने का, इस देश की राजनीति का सही ढंग से चलाने का संविधान के निर्माण के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन लाया गया। उस संशोधन के साथ सकारा करने का प्रश्न भी चला आया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को विवेक दिया है कि प्रधान मन्त्री किस को नियुक्त करते हैं और प्रधान मन्त्री अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों की नियुक्त करेगा। लेकिन दल-बदल कानून आने के बाद राष्ट्रपति का यह विवेक नहीं रह गया है, बल्कि दल-बदल कानून आने के बाद शुद्ध गणित का प्रश्न पैदा हो गया है कि राष्ट्रपति किस को बुलायें। शुद्ध गणित का प्रश्न इसलिए आ गया है कि जिस पार्टी की जो स्थिति है, जिस चुनाव चिह्न पर वह जीत कर आया है, उसकी सदस्यता स्थिर है, उस पार्टी का सदस्य है और डेबिल पर जो रिकार्ड है, उसके आधार पर सिद्ध किया जा सकेगा कि इस पार्टी का बहुमत है या नहीं। यह बात मैंने आपके सामने क्यों रखी, दल-बदल कानून की परिभाषा क्यों रखी, उसके महत्व और अस्तित्व को क्यों रखा, इसलिए कि 23 अक्टूबर को देश में क्या स्थिति थी ? 23 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने सरकार से समर्थन वापिस ले लिया और 23 अक्तूबर को श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के पास बहुमत नहीं था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी का सीधा-सीधा कर्त्तव्य था कि वे बुला कर कहते कि इस्तीफा दो और मैं तुम को बर्खास्त करता हूं। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने कहा है कि मैं लोकसभा में बहुमत सिद्ध करूंगा। इस लिये लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की बात यहां से चली। लोकसभा में और विधान सभाओं

के प्रांगण में बहुमत सिद्ध करने की बात आज लगातार चलती जा रही है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है, मैं इसको समझना चाहता हूं। यहां पर जो वरिष्ठ सदस्य बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, वे बतायें सीधा-सीधा गणित है, प्रांगण पर क्या है? मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक अपराध है और इस अपराध के होने के बाद कोई स्थिति नहीं बनती है कि कोई आदमी प्रांगण पर अपना दल-बदल कर लें। दल-बदल करेगा, तो अवरोध करेगा और अपराध के समर्थन से हुकूमत चलाना चाहते हैं। यह उद्देश्य था देश को सुधारने का, देश की राजनीति को सुधारने का, उस उद्देश्य का 21 अक्तूबर को मूल्यों पर आधारित, विधान के अनुसार सरकार चलाने वालों ने खून किया था और कहा कि 7 नवम्बर को प्रांगण में बहुमत सिद्ध करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। क्या 23 अक्तूबर और 7 नवम्बर की स्थिति में किसी तरह का परिवर्तन आया? उसके बाद नई सरकार बनाने की मृहिम चली, चन्द्रशेखर जी ने सरकार बनाई। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज देश के जितने मन्त्रीमण्डल रहे हैं, उनकी संख्या 50 के आसपास रही है। जवाहर लाल जी के समय में 56-57-58, राजीव जी के समय में कभी 50 कभी 55 के बीच में रही है, कहने का मतलब है कि औसत संख्या 50 और 55 के बीच में रही है, लेकिन आज मन्त्रियों की संख्या 32 थी, जिसमें से 5 चले गए, बाकी 27 मन्त्री रह गए है और जैसा अभी सोमनाथ जी ने पूछ लिया कि बताइए विदेश मन्त्री कौन है तो सत्ता बल के समर्थक उनका नाम नहीं बता सके। मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि अनुभव का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस कांट बी रिप्लेस्ड। नए लोग हैं, जनता दल (स) का मन्त्रीमण्डल बना है, वैधानिक रूप से उनकी प्रामाणिकता है, जिस पार्टी का मन्त्रीमण्डल बना है, उसकी प्रमाणिकता है, लेकिन क्या उसके पास देश चलाने का अनुभव है, अनुभव नहीं है और प्रधान मन्त्री जी देश को चलाने की बात करते हैं, वे समझते हैं कि वे सारे देश को चला लेंगे।...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज देश को चलाने के लिए सक्षम व्यक्तित्व, योग्य व्यक्तित्व, अनुभव रखने वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता है। 55 सदस्यों मंत्रीमण्डल की जगह 27 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल चल रहा है, क्या वे इस देश को चला लेंगे, ये इस देश को कहां ले जाएंगे। इन सब चीजों का एक मात्र कारण यह है कि इस देश में हम कुर्सी के आगे नहीं देख पा रहे है, सारी बुराइयां इसलिए आ गई हैं कि आज हम देश में कुर्सी पर निगाह रखे हुए हैं, सत्ता की कुर्सी पर, किस तरह यह कुर्सी हासिल हो जाए, किसी भी तरह से, नैतिक-अनैतिक, राजनीतिक अराजनीतिक, आर्थिक-अनार्थिक, सब तरह के समझौते करने को आज के राजनेता तैयार हैं और यह राजनीति में जो गिरावट शुरू हुई है, यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।

श्री कपिल देव शास्त्री : इसके शिकार आप भी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसका शिकार नहीं हूं। मैं शुरू से जनसंघ का सदस्य रहा, उसके बाद बीजेपी बनी तो उसमें रहा, मेरी निष्ठा उसी दल में है। मैं इस तरह की दल-बदल की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करता हूं, आज भी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में विश्वास करता हूं, उसके सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता रखते हुए अपनी पार्टी में चल रहा हूं, मैं इन चीजों का शिकार नहीं हूं, शिकार तो आप हैं जो मंत्रीपद के दावेदार बनकर बैठे हैं और आज आपने जिस तरह से भाषण दिया, उससे लगता है कि आपको मंत्री पद अवश्य मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस देश में आज दो प्रवृत्तियां चल

रही हैं। पहले आजादी की लड़ाई थी, उसके बाद देश आजाद हुआ और देश में राष्ट्रीय राजनीति चलाई गई, सिद्धांतों की राजनीति चलाई गई। सभापति महोदय देश में राष्ट्रीय राजनीति और सिद्धान्तों की राजनीति में जो गिरावट और गिरावट धीरे-धीरे आई, उससे आज हम कहां खड़े हो गए हैं। आज इस देश में कोई राष्ट्रीय राजनीति नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति सफल न होने से और राष्ट्रीय राजनीति को चलाने में असफल रहने के कारण आज सारे देश में प्रांतीय राजनीति है, रीजनल पोलीटिक्स चल रही है, कहीं असम गण परिषद, कहीं तेलगू देशम, कहीं शिरिलस्तान की बात होती है और यह भूमिका देश में और ज्यादा बढ़ रही है और आज सैद्धांतिक राजनीतिक की जगह जाति की राजनीति ने ले ली है।...(व्यवधान) ..

सभापति महोदय, मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से पहला स्पीकर हूँ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप 15 मिनट तक बोल चुके हैं। मैं क्या कर सकता हूं। आपके दल को एक घंटा और 15 मिनट का समय आवंटित किया गया था। अब भी 8 सदस्यों ने अभी बोलना है। मैं क्या कर सकता हूं ? अगर आपका दल कहता है, तो मैं आपको कुछ और समय दे सकता हूं। लेकिन उतना ही समय, दूसरों का कम हो जाएगा। अतः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघताल : सभापति महोदय, मैं अन्तिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में सिद्धांतों की राजनीति हम नहीं चला सके। जब सिद्धांतों की राजनीति नहीं चली तो जातिवादी राजनीति इस देश में चल रही है। एक तरफ संविधान के महान उद्देश्य हैं कि हमको जातिवाद को समाप्त करना है, राजनीति को जातिवाद, धर्म, संप्रदाय से दूर रखना है, इस देश को बनाने में जातिवाद, धर्म, संप्रदाय का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज वही जातिवादी संप्रदाय इतना उभरकर आ रहा है कि इस प्रवृत्ति को मिलकर के नहीं रोका गया तो आगे गुजरीस्तान, पठिस्तान जाटिस्तान, और खालीस्तान की मांग हो सकती है। धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ रही है। आरक्षण की बात कही गई। मैं पक्ष और विपक्ष से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आरक्षण आंतरिक अरेन्जमेंट को स्पष्ट करने के लिए क्या वे तैयार है। क्या संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों की कोई मुद्दत ली गयी है / हमारे नीति निदेशक सिद्धांतों में 45वां सिद्धान्त क्या कहता है। उसके अनुसार चौदह साल के बालकों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी और दस साल के अन्दर यह काम पूरा कर दिया जायेगा, आज हमारा संविधान कितना दबा हुआ, आज वही दस साल हैं। संविधान लागू होने के बाद दस साल तक किसी ने अपेंड करने की आवश्यकता नहीं समझी। आर्टिकल-25 के अनुसार प्रत्येक बालक को शोषण से बचायेंगे और उसको काम करने नहीं देंगे। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समय बीतने के साथ नीति निदेशक सिद्धांतों पर कोई काम नहीं कर सके। आज देश की साक्षरता तीस परसेंट है और उसमें एस. सी. एम. टी. आठ परसेंट हैं। मैं आज की सरकार से और राजनीति से पूछना हूं कि क्या कोई विधेयक है कि इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। क्या कोई तारीख है कि इस देश में कोई अंगूठा नहीं लगायेगा। क्या वे तारीख दे सकते हैं कि इस देश में कोई बिना छत के नहीं रहेगा। क्या वे तारीख दे सकते है कि

स्वास्थ्य के लिए डाक्टरों और नर्सों का इंतजाम किया जायेगा। क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह तारीख है। यह सिर्फ औपचारिकता पूरी करने का दस्तावेज है। मैं बहुत बोलना चाहता था लेकिन अब समय नहीं है इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं लोक सभा तथा राज्य सभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राष्ट्रपति प्रेस के एक वर्ग ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को इस लोक सभा का अन्तिम अभिभाषण कहा है तथा इसका एक विशिष्ट कारण है। मुख्य कारण यह है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कुछ विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है, केवल इतना ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि इन दलों ने यह कहा है कि वर्तमान सरकार के संदर्भ में राष्ट्रपति की कार्यवाही को लेकर वे राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार रहे हैं। इससे पहले कभी भी किसी ने इस कारण से राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं किया। इससे पहले राजनैतिक दल कुछ सरकारों की गलत कारगुजारियों के विरोध में संसद का बहिष्कार करते रहे हैं, चाहे तब कांग्रेस (ई) की सरकार थी या किसी और दल की। परन्तु देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की आलोचना की गई है; केवल इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मोर्चा ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह संकेत दिया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुचित प्रयोग में राष्ट्रपति की भागीदारी है। जिन्होंने यह सब किया है, उन्होंने भारत की राजनीति में एक बहुत ही अस्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोलते हुए अपने दृष्टिकोण में सुधार किया है। जब उन्होंने लेखानुदान के प्रस्तुत करने पर अपनी आपत्ति अभिव्यक्त की तो उन्होंने कहा कि जब हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया तो हमारे मन में राष्ट्रपति के प्रति असम्मान की भावना नहीं थी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं तथा मैं यह समझता हूं कि यह ही उचित दृष्टिकोण है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री संतोष मोहन देव : उन्होंने पहले ऐसा कहा था तथा मेरे पास प्रेस की कतरन है। सभी राजनैतिक दलों ने यह कहा था कि वे राष्ट्रपति द्वारा की गई कार्यवाही के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तमिलनाडु के सम्बन्ध में कुछ लोगों ने कहा तो कुछ ने किसी दूसरे विषय पर। आज भी श्री सोमनाथ चटर्जी ने अध्यक्ष महोदय से कहा, आपने बजट सत्र बुलाने का नोटिस जारी किया है। अब आप एक ऐसा सत्र करवा रहे हैं जो बजट सत्र नहीं है।" इस प्रकार उनके अनुसार यह राष्ट्रपति का अभिभाषण वास्तव में राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं था।

बहिष्कार तब किया गया जब राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान यह कहा "हमें आंतरिक कलह और छोटे-मोटे झगड़ों और उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए जो संकीर्ण है, स्वार्थपूर्ण है और फूट डालने वाली हैं तथा राष्ट्र के हित में एक जुट होना चाहिए"। यह सरकार की अपील है। और तथा कथित जिम्मेदार विपक्ष की इसके प्रति यह प्रतिक्रिया रही।

भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र का कहना है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कोई दिशा प्रदान नहीं की है।

श्री कैलाश मेघवाल : संविधान में दिए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने कोई दिशा प्रदान नहीं की है।

श्री संतोष मोहन देव : आप ने राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ा नहीं है। कृपया पृष्ठ संख्या 3 के द्वारा 2 को देखें :

> "हमारे देश का साम्युदायिक सामंजस्य मुख्यत राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के कारण बिगड़ा है।"

राष्ट्रपति के अभिभाषण में वर्तमान प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया गया है जो कि सदैव सीधे और स्पष्ट वक्ता रहे है। इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के कारण देश में सैकड़ों जाने गई···

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : इसकी शुरूआत आपने की थी।

श्री संतोष मोहन देव : मैं एक महिला सदस्य से तर्क वितर्क में नही पड़ना चाहता। आपकी पार्टी के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद ने देश मे धार्मिक विभाजन कर दिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो उनके नेता ने कहा के, उसके विपरीत बोल रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव : अगर मैं अपने नेता के विरुद्ध बोल रहा हूं तो आप मेरा भविष्य मुझ पर छोड़ दीजिए। कौन जानता है कि हम जल्दी ही फिर एक साथ हो। (व्यवधान)

भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य ने अभी-अभी कहा है कि जो सरकार सत्ता में है वह उस नेता के समर्थन के कारण सत्ता में आई है जो कि दल-बदल विरोधी विधेयक को पारित करवाने के लिए उत्तरदायी थे, तथा इसके लिए उन्होंने हमारे नेता को धुम धटनाए भी दी है। तब उन्होंने कहा कि इस नेता ने स्वयं इस पर आपत्ति क्यो नहीं की तथा इस अल्पमत सरकार का समर्थन क्यों किया। जब श्री चन्द्रशेखर को सरकार बनाने का आमन्त्रण दिया गया तो इसकी विज्ञप्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई थी।

राष्ट्रपति ने स्वयं कहा है कि देश जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है और आज देश मध्यावधि चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं है और इसलिए श्री चन्द्रशेखर को सरकार बनाने का आमन्त्रण दिया गया है जिन्हें एक प्रमुख दल का समर्थन प्राप्त है। एक राजनैतिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकता है कि जो हमने किया वह ठीक था या गलत। मैं नही जानता कि चुनाव कब होंगे तथा कब लोग भविष्य को निर्धारित करेंगे। मैं चुनाव हार सकता हूं। अगर मैं हार भी जाता हूँ तो कोई अफसोस नहीं क्योंकि मैंने अच्छा कार्य किया है। श्री वी. पी. सिंह तथा श्री आडवाणी ने देश का वातावरण खराब कर दिया है तथा देश को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। इसीलिए देश मे आज उपद्रव फैला हुआ है। देश को इस उपद्रव से बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरी जिम्मेदारी से इस सरकार को समर्थन दिया। हम तब तक इस सरकार का अपना समर्थन जारी रखेंगे जब तक यह अच्छा काम करती रहेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह अच्छा काम है। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उनके नेता ने बार-बार यह कहा है कि देश में कोई सरकार नहीं है। वह किसका समर्थन कर रहे हैं, क्या वह यह स्पष्ट करेंगे ?

श्री संतोष मोहन देव : राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में पंजाब, काश्मीर, आसाम तथा तमिलनाडु की चर्चा की है। इन सभी राज्यों में आतंकवाद की गतिविधियां सामान्य प्रवृत्ति है तथा देश में आतंकवादी गतिविधियों के बारे में अपने विचारों का निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए बातचीत हो रही है तथा सरकार को संविधान के दायरे के बीच आतंकवादियों से बातचीत करने में भी कोई हिचकिचाहाट नहीं है।

यह संदेश उन्होंने सारे देश को दिया है जो बहुत अच्छा है। परन्तु हम कश्मीर में क्या देख रहे है ? पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप में काश्मीर के आतंकवादियों को सहायता कर रहा है तथा उन्हें शरण दे रहा है। पंजाब में हम क्या देख रहे हैं। श्री सिमरन जीत सिंह मान जिनके साथ श्री वी. पी. सिंह की सरकार का काफी लम्बे समय तक सम्पर्क रहा तथा जिसके साथ वर्तमान प्रधान मन्त्री भी बातचीत के इच्छुक हैं, उन्होंने कहा है, मैंने केन्द्रीय सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगर वे 40 से 48 घन्टों के बीच सेना तथा अर्धसैनिक बलों को नहीं हटाते हैं, तो हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे '' उन्होंने संकेत दिया है कि वह खालिस्तान की घोषणा कर देंगे। इतना ही नहीं।

खाड़ी युद्ध के दौरान, राजनैतिक दलों के विचारों में भिन्नता के बावजूद, भारत में यह उत्कृष्ट बात है कि जब भी कोई अन्तर्राष्ट्रीय संकट आता है और यदि यह हमारे देश को प्रभावित करता है तो हम हमेशा एकजुट हो जाते हैं, सभी दलों ने कहा है कि, "खाड़ी युद्ध में जो कुछ भी किया जा रहा है उसके लिए हम अमरीका की भर्त्सना करते हैं।" दुर्भाग्य से, मान सरीखे लोगों ने केवल इसका समर्थन किया है अपितु उन्होंने खाड़ी युद्ध में लड़ने के लिए अमरीकी फौज को जनशक्ति की सहायता देने की भी पेशकश की है।

अब असम में क्या हो रहा है, उल्फा उग्रवादियों ने एक ओर तो युद्ध-विराम की घोषणा कर दी है किन्तु, दूसरी ओर, वे लोगों की हत्या कर रहे हैं। असम में, कांग्रेस के 80 लोगों की हत्या की जा चुकी है। 'उल्फा' ने अंतिम चेतावनी दे दी है कि सभी राष्ट्रीय दलों को अपनी मूल सदस्यता से इस्तीफा देना होगा और असम राष्ट्रीय दलों की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि सभी राजनैतिक दलों ने इसकी भर्त्सना की है और उन्होंने बन्दूक की नोक पर कहा है "हम अपने राजनैतिक वाद के प्रति अपनी वफादारी को नहीं बदलेंगे।"

पंजाब, असम और तमिलनाडु, हर जगह उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं।

राष्ट्रपति का पिछला अभिभाषण फरवरी 1990 में हुआ था और अब 21 फरवरी, 1991 को हुआ है।

3.00

सात नवम्बर से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन तक की अवधि के लिए वर्तमान सरकार उत्तर-दायी है। शेष महीने किससे सम्बन्ध रखते हैं ? वे श्री वी. पी. सिंह से सम्बन्ध रखते हैं। श्री वी.

पी. सिंह कौन थे ? उनकी एक बैसाखी वामपंथी दल थे और दूसरी भाजपा थी। किन्तु वामपंथी के दलों ने अपना समर्थन कभी भी वापस नहीं लिया, जबकि उनका कहना था कि उनका समर्थन निर्णायक है। उन्होंने कहा था कि लोक-मत कांग्रेस विरुद्ध था। इसके साथ ही, लोक-मत यह था कि भाजपा, सी. पी एम., सी.पी.आई. और जनता दल एक जुट होकर इस देश को पांच वर्षों तक दिशा दें। भाजपा, आपने अपनी संकीर्ण राम भक्ति के कारण पिछली सरकार को धोखा दिया है। आपने इस देश में विपक्ष की विचारधारा को धोखा दिया है। दोनों अवसरों पर, 1977 में और अब यह सिद्ध हो चुका है कि विपक्ष कांग्रेस के विरुद्ध लोकमत की आशाओं के अनुरूप कार्य कर पाने में असफल रही है। हर बार, आप एक दूसरे से झगड़ते हैं। हर बार, आपने मात्र एक ही प्रधान मंत्री नहीं बदला है। भूतकाल में तीन प्रधान मन्त्री बदले गये। इस समय अब तक, दो प्रधान मन्त्री बदले जा चुके थे। मैं नहीं जानता कि आने वाले महीनों में क्या स्थिति होगी। भाजपा, जो कांग्रेस (आई) को उपदेश देती है उन्हें स्वयं अपने हृदया में झांककर देखना चाहिए। आपका दल इस देश के लिए कैंसर के नासूर समान है। यह देश साम्प्रदायिकता के साथ कभी नहीं जी सकता। इस देश का यह चरित्र नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग (बेतूल) : राजीव गांधी अयोध्या में लग सकते है। चुनाव प्रचार शुरूकर सकते हैं वह राम राज्य का नाश लगा सकते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : हम गंगा-जल के साथ आये हैं··· (व्यवधान) मेरे प्रिय श्री आरिफ बेग, आप अयोध्या में हार चुके हैं। सी. पी. एम. यहां मौजूद है। आप चोर-पुकारकर रहे हैं। आप शोर मचा रहे हैं। इन चीजों से आपको कोई लाभ नहीं होगा (व्यवधान) इनसे आप को लाभ नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

श्री आरिफ बेग : राजीव गांधी जाकर वहां प्रचार कर सकते हैं। लोक सभा का प्रचार राजीव गांधी शुरू करते हैं। अयोध्या से, वह राम-राज्य का नारा लगा सकते है। वह नारा लगाते तो सेक्यूलर हैं और हम लगाते हैं तो कम्यूनल हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : श्री राजीव गांधी की सरकार के विरुद्ध आलोचना हुई है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। श्री संतोष मोहन देव, क्या आप अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं ?

श्री संतोष मोहन देव : मैं क्या कर सकता हूं ? कृपया आप उन्हें नियन्त्रित करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने जो भी कहा है, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है, तो वह अवश्य उठकर उस सदस्य से अनुमति ले, जो बोल रहा है।

(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं। श्री राजीव गांधी ने राम राज्यत्व के बारे में कहा था तो इसका अर्थ है, आदर्श गतिविधियों और सत्यनिष्ठ गतिविधियों की सरकार और राम राज्यत्व का यही मुख्य सार था। राम राज्यत्व में सभी धर्म अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं किन्तु उनके राम राज्यत्व में केवल हिंदू ही अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, अन्य कोई नहीं। उनका यही आशय है। श्री राजीव गांधी के कहने का अर्थ है कि सभी धर्म बने रह सकते हैं।

अब मैं उस विषय के बारे में बोलना चाहता हूं जिसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में उठाया गया था और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। राष्ट्रपति जी ने कहा है : "सरकार महसूस करती है कि यदि उग्रवादियों को दी जाने वाली बाह्य मदद समाप्त कर दी जाये, तो जम्मू और कश्मीर में काफी हद तक विध्वंसकारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी।" पिछले शुक्रवार को हमारे साथी प्रो. सैफुद्दीन सोज के भाषण के पश्चात उन्हें यह सूचना मिली थी कि उनकी बेटी का, जो कि शादीशुदा है, कतिपय गिरोहों द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अब, एक विशेष उग्रवादी दल ने इसकी जिम्मेवारी ले ली है कि उस महिला का इसने बन्दी बनाया हुआ है। ऐसी घटना दूसरी बार हुई है। इससे पहले भी, हम जानते हैं कि तत्कालीन गृह मन्त्री की बेटी का भी अपहरण किया गया था। असम में, भारतीय तेल निगम के महा-प्रबंधक का भी, उनके बेटे और ड्राइवर सहित अपहरण किया गया था। यह एक पैरामीटर है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं जहां मैं 'उल्फा' की हिट-लिस्ट में हूं। मुझे धमकियां मिली हैं; मुझे पत्र मिले हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा करना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। किन्तु जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो ऐसे समय में सरकार की ओर से इसमें ढिलाई दिखाई गई है। हाल ही में, गुवाहाटी के ऊपरी क्षेत्र में हमारे एक महासचिव श्री मानवेन्द्र शर्मा की हत्या की गई है? क्या हुआ? असम के राज्यपाल के प्रति पूरे सम्मान के साथ क्योंकि वे 'उल्फा' के नेताओं से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने 'उल्फा' को यह संदेश देने के लिए कि बातचीत के लिए स्थिति उपयुक्त है, असम के सभी संवेदनशील क्षेत्रों से सभी अर्ध-सैन्य बलों को हटा लिया। क्या यह उचित था? फलस्वरूप, गुवाहाटी के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र उज्जन-बाजार में हमारा एक कांग्रेसी सदस्य मारा गया। लगभग छः महीने पहले, श्री हितेश्वर सैकिया के भाई की हत्या गई थी और अन्य कई कांग्रेस के सदस्यों की भी हत्याएं की गई थीं इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रपति जी ने इस सब बातों का उल्लेख किया है फिर भी देश के कई भागों में ऐसा हो रहा है। अब समय आ गया है जब सरकार को चाहिए कि वह हर राज्य में उग्रवाद का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से आधुनिक हथियारों से लैस सेना की एक टुकड़ी भेजे, क्योंकि चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यह कश्मीर हो, उग्रवादी गतिविधियों का जवाब 303 और एस. एल. आर. बंदूकें नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप, उग्रवादियों का हाथ हमेशा ही ऊपर रहा है। हम

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपनी पुलिस की सदा प्रशंसा करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक मुठभेड़ में ऐसा हुआ था जब उग्रवादी, पश्चिमी बंगाल की पुलिस से भिड़ गए थे। दुर्भाग्य से, पश्चिमी बंगाल की पुलिस को उन उग्रवादियों को पकड़ने में 48 घण्टे लग गए थे, क्योंकि हथियारों के अलावा वे पशु बने हुए थे।

पिछले सप्ताह मैं, विश्व में आतंकवाद संबंधी विषय पर एक पुस्तक पढ़ रहा था। उस पुस्तक में, लेखक ने, जो ब्रिटेन का निवासी है, लिखा है कि विश्व में जहां कहीं भी आतंकवाद आरम्भ हुआ है, वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया है। प्रत्येक राज्य को स्वयं इस प्रकार तैयार करना है कि वह स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निबट सके। मैंने यह मिजोरम में देखा है; मैंने इसे नागालैंड में देखा है। हमारे कई कांग्रेसी मन्त्री, जो गए थे और अब वापस आए हैं, महसूस करते हैं कि आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ है। उनमें से कई इन आतंकवादियों को नागालैंड में, मिजोरम में और कुछ अन्य स्थानों पर हर महीने चौथ देते हैं। यह हम पर कलंक है। अब दार्जिलिंग में क्या हुआ है? आज, दार्जिलिंग को लोगों के कुछ विशेष वर्गों से खतरा है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इसके लिए सरकार उत्तरदायी है? आपने पर्वतीय परिषद बनाई है; आपने कार्यक्रम बनाया है। उन्हें इसमें भाग लेने दें। हमें इस पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं क्योंकि राष्ट्रपति जी ने कहा है, "हमने राजनैतिक बहस आरम्भ कर दी है और हम अवश्य ही कोई निर्णय लेने में सफल होंगे। इसका एक मुख्य कारण तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू होना था। मैं तमिलनाडु के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस बारे में राज्य मन्त्री ने इस सदन में पहले ही जवाब दे दिया है। हमने 'डल्फा' और तमिलों के बीच साठ-गांठ देखी है। हाल में हमने पाया है कि कैसे तमिल शक्तिशाली हो गए हैं। हमने हाल ही में श्री लंका के विदेश मंत्री की बहुत दुखद मृत्यु देखी है। उन्होंने केवल मंत्री जी को ही नहीं, अपितु 29 अन्य लोगों की भी हत्या की है। वे लोग जो कहते हैं कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करना उचित नहीं था, मेरे विचार में वे वहां की स्थिति का कम आकलन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि डिब्रूगढ़ के पुलिस अधीक्षक के हत्यारे का तमिलनाडु में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण डी. एम. के. नेता के आदेश पर वेल्लोर अस्पताल में उपचार किया गया। ऐसी स्थिति थी।

इस सरकार के बारे में चर्चा करते हुए और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस सरकार का समर्थन करते हुए भी, देश में वर्तमान मूल्य स्तर और महंगाई के बारे में हम विरोध प्रकट करते हैं। हम अनेक बार कह चुके हैं कि सरकार को कुछ सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि नागरिक पूर्ति मंत्री यहां उपस्थित हैं। हाल ही में उन्होंने सभा में उत्तर दिया था कि वे कार्यवाही कर रहे हैं। मैं उनका आभारी हूं किन्तु मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा यहां तक कि आवश्यक वस्तुएं जो नियंत्रित वस्तुएं हैं और जिनकी केन्द्र द्वारा आपूर्ति की जानी चाहिए और राज्य सरकार द्वारा वितरित की जाती है, वे भी दिल्ली के बाजारों में उपलब्ध नहीं है। पिछले सप्ताह यह स्थिति थी। लोग चावल और गेहूं लेने आते हैं परन्तु वे ले नहीं सकते। ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? सरकार को इस का नियन्त्रण बेहतर ढंग से करना होगा और मुझे आशा है कि सरकार आवश्यक वस्तुओं के वितरण को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और महंगाई कम करने का प्रयास करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि देश भर में निर्धारित मूल्यों में कमी आए। पिछले दिनों, मैं एक बंगाली समाचार-पत्र पढ़ रहा था। आनन्द बाजार पत्रिका में बहरीन से एक सज्जन ने पत्र लिखा था कि चन्द्र शेखर जी और ज्योति बसु जी ने कहा है कि

युद्ध के कारण महंगाई बढ़ी है। किन्तु मैं बहरीन में हूं और खाड़ी युद्ध के कारण बहरीन में कोई महंगाई नहीं बढ़ी। यह क्या है, हम खाड़ी युद्ध से प्रभावित हैं और भारत कैसे खाड़ी युद्ध से प्रभावित हैं ? जो भी स्थिति हो—चाहे राम जन्मभूमि या मंडल आयोग का परिणाम हो—देश काफी महंगाई का सामना कर रहा है। इस पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है उन्होंने सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों का भी उल्लेख किया है। आज हमने सुना है, लेखानुदान प्रस्तुत करते हुए हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि कराधान के वर्तमान स्तर पर आगामी वर्ष के बजट में 9950 करोड़ रुपए का घाटा होगा। अर्थात जून में—या जैसा उन्होंने बजट में कहा है मई में—एक आम बजट रखा जाएगा और उस बजट में सरकार सुधारात्मक उपाय करेगी।

इस सरकार के सत्ता में आने से पूर्व, यहां जो सरकार थी इसने कई वायदे किए थे। उन्होंने काम के अधिकार, एक-पद-एक-पेंशन, सभी किसानों के 10,000 रुपए से कम तक कर्ज माफ कर दिए जायेंगे आदि वायदे किए थे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि वे अपने नेता, श्री अजित सिंह का प्रैस वक्तव्य पढ़ें। उन्होंने यह कहा कि 10,000 रु. के कृषि ऋण माफ करने की घोषणा वी. पी. सिंह सरकार का एक दल था। क्योंकि वास्तव में कुछ नहीं किया गया।

आज माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि बजट में उस ऋण की राशि को बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं था और उन्हें 10,000 रुपए के ऋण माफ करने के लिए अन्य 500 करोड़ रुपए का आवंटन करना होगा। वी. पी. सिंह की यह शैली है। वे वायदे करते हैं और देश को ख्याली विचार देते हैं। चुनाव होने से पूर्व ही वे यह निर्णय कर चुके हैं कि देश का अगला प्रधान मंत्री दलित लोगों में से होगा, मानो कि वे ही श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ मिलकर सारे मतों पर नियंत्रण कर रहे हों। उन्होंने यह निर्णय कर लिया है कि देश का अगला प्रधान मंत्री होगा। कल उन्होंने यह कहा था मैं 7% आरक्षण की व्यवस्था कर चुका हूं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था और करूंगा। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जब कांग्रेस दल के नेता उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि अगर उच्च जातियों में से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शामिल कर लिया जाए तो वे संविधान के संशोधन का समर्थन करेंगे उन्होंने ऐसा नहीं किया पद छोड़ने के बाद उन्होंने सब कुछ किया उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि 30% महिलाओं को और 50% पिछले वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। यह एक उत्तम विचार है। किन्तु श्री सोमनाथ चटर्जी, और श्री निर्मल चटर्जी और अन्य लोगों का क्या होगा जो ऊंची जाति के हैं ? उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। सी. पी. एम. में सभी उच्च जाति के ब्राह्मण हैं। वे पिछड़े वर्ग में जाने में विश्वास नहीं रखते। इसलिए सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

मैं अपना भाषण और लम्बा नहीं करना चाहता। भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं इतना ही कहूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मसीहा हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : कांग्रेस ने हमेशा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों का साथ दिया है। (व्यवधान) हम अतीत में अपना वचन पूरा कर चुके के, हम भविष्य में भी अपना वचन पूरा करेंगे किन्तु, भाजपा द्वारा अपनाई गई नीति मे हम विश्वास नहीं करेंगे, हम जनता दल द्वारा अपनाई गई नीति में विश्वास नहीं रखेंगे हमारी नीति स्पष्ट है हमारा विश्वास है कि इस देश में सभी जातियों और धर्मों का अस्तित्व रह सकता है। हम राष्ट्रपति की आशाओं को पूरा करेंगे। राष्ट्रपति ने भी अनुरोध किया है कि हमें मामूली मतभेद, छोटे-मोटे विवाद भुला देने चाहिए और सरकार का साथ देने के लिए हमें संगठित होना चाहिए। सरकार की राष्ट्रपति की इस अपील पर इस तथ्य के बावजूद कि उनकी संख्या 51, हमने इस सरकार का समर्थन किया है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले कहा है "संख्या का महत्व नहीं होना, कार्य का महत्व है।" सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का हम समर्थन करते हैं। किन्तु, हम आलोचना करने में हिचकिचायेंगे नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि वर्तमान प्रधानमंत्री आलोचना के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने रचनात्मक आलोचना की अपेक्षा की और वही की गई है आज जब हरियाणा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का मामला उठाया गया था तब सभा में यह सिद्ध हो गया। उन्होंने शीघ्रता से प्रतिक्रिया की और आश्वासन दिया कि इस पर कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान) मैंने पंजाब, असम और जम्मू और कश्मीर के बारे में जो कहा है, मुझे विश्वास है कि उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान) महोदय, इन शब्दों के साथ मैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्होंने अभी हम सब से निवेदन किया है कि हम छोटे-मोटे और मामूली मामले भुला दें और बड़े मुद्दों को याद रखें, जैसे कि हम, जो भिन्न विचार रखते हैं और बड़े हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण इस बार जो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिया गया है उससे जितनी बड़ी निराशा हुई शायद आज तक कभी नहीं हुई। मैं मध्य प्रदेश विधान सभा में भी दो बार सदस्य रहा हूँ, लोकसभा में भी दूसरी बार आया हूँ। इस बीच में विधान सभा में राज्यपालों के अभिभाषण को मैंने सुना और यहां भी राष्ट्रपति के कई अभिभाषण सुनने को मिले। लेकिन उनमें कोई तत्व होता था, कोई एक चित्र होता था कि अगले एक साल में हम देश का किस तरह निर्माण करना चाहते हैं, आज जो स्थिति है उसकी विसंगतियों को दूर कर एक नया चित्र, एक नया भारत हम एक साल के बाद किस तरह का उपस्थित करेंगे देश की जनता के सामने, यह एक कल्पना उस अभिभाषण में रहती थी यही उसका अर्थ है। राष्ट्रपति महोदय तो वही कुछ कहते हैं जो सरकार निर्णय करती है, सरकार की जो नीति होती है जो वह भाषण तैयार करते हैं उसको वे पढ़ते हैं। इस बार का भाषण संभवतः इस देश के राजनैतिक इतिहास मे, इस देश के संसदीय इतिहास में एक काला धब्बा है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें कहीं इस बात का जरा भी आभास नहीं मिलता है कि एक वर्ष में इस देश में क्या किया जाएगा, कि समस्या का क्या समाधान किया जाएगा? अभी हमारे कांग्रेस के पूर्व मन्त्री कह रहे थे कि राष्ट्रपति महोदय का बड़ा अपमान कर दिया विपक्षी दलों ने क्योंकि उनके भाषण का बहिष्कार किया। हम लोगों ने उनका अपमान नहीं किया जितना आपने उनका अपमान किया। आपने उनके भाषण मे सबसे पहले वाक्य उठाया :

[अनुवाद]

मैं यह कामना करता हूं कि आप अपने बजट और विधायी सम्बन्धी कार्य को सफलतापूर्वक निपटा सकें।

[हिन्दी]

हमारे आपके सामने जो बजट का और कानून बनाने का काम है हम उसकी सफलता के लिए कामना करते हैं, यह आपने राष्ट्रपति जी से कहलवाया और फिर आपने आज बजट पेश नहीं किया। राष्ट्रपति महोदय का सबसे बड़ा अपमान यदि किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है और इस सरकार की समर्थक कांग्रेस पार्टी ने किया है। केवल तमिलनाडु के मामले में ही नहीं, इस नीति के मामले में पहला वाक्य जो कहलवाया, आपने उनको असत्यवादी, मिथ्यावादी प्रमाणित कर दिया। देश के सबसे बड़े प्रमुख का समूची संस्थाओं का अब मूल्यन किया है। पिछले तीन-चार महीनों में इस देश में क्या हुआ है? राष्ट्रपति महोदय के इतने बड़े सर्वोच्च आसन का आपने अवमूल्यन कराया, तमिलनाडु के गवर्नर की बिना रिपोर्ट के तमिलनाडु में आपने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करा दी। इसी तरह से आपने इस देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था दिल्ली के उच्च न्यायालय का अवमूल्यन कराया। आपने वहां एफिडेविट पेश करा दिया एटार्नी जनरल से कि स्पीकर के अधिकार धारा 32 और 226 के मातहत होते हैं। इतना ही नहीं एफिडेविट दिला कर हाई कोर्ट से स्थगन आदेश यहां भिजवा दिया। नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि हाई कोर्ट को दूसरे दिन अपने निर्णय को वापिस लेना पड़ा और एटार्नी जनरल को हल्फनामा बदलना ही नहीं पड़ा बल्कि उल्टा देना पड़ा और यह लिखकर देना पड़ा कि पहले गलत दिया है और स्पीकर के अधिकार असीमित हैं, स्पीकर के अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार न्यायालय को नहीं है। आपने इस सदन के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए अध्यक्ष का अवमूल्यन कराया इतना ही नहीं आपने आसन पर विराजमान जिस के सामने समूचे देश के चुने हुए प्रतिनिधि अपना सिर झुकाते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तनाय' जहां पर लिखा हुआ है, उस गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति का आपने इस तरह अवमूल्यन कराया। जिन लोगों को उन्होंने डिसक्वालिफाई घोषित किया उनको आपने सदन की बैठक शुरू होने से एक दिन पहले तक मंत्री पद पर बनाये रखा। यह किस का अवमूल्यन था, यह सदन के अध्यक्ष का अवमूल्य था, यह लोकतन्त्र का अवमूल्यन था। इस तरह आप समूचे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिस पर किसी की आस्था नहीं रहेगी। जितने भी सर्वोच्च पद होते है—हाई कोर्ट होता है राष्ट्रपति होता है, सदन के अध्यक्ष होते हैं संविधान होता है इन सब का गरिमा को आपने धूल में मिला दिया है। आपने उनकी सारी गरिमा को नष्ट किया है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण के सैकिंड पैराग्राफ में कहा कि।

[अनुवाद]

"कठिनाईयों के उस दौरे में हमें आधारभूत सिद्धांतों –लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद—जो हमारी राष्ट्रीयता के आधार स्तम्भ है, के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी होगी।"

(हिन्दी)

आपने कहलवाया कि हमारे नेशनहुड के बैस्ट पिल्लर डेमोक्रेसी, सैकुलरिज्म, और सोशलिज्म हैं। आप दूसरों से कहते हैं कि आप इस पर विश्वास व्यक्त कीजिए लेकिन आपको क्या डेमोक्रेसी पर विश्वास है ? आज देश में पांच प्रान्त राष्ट्रपति शासन के अधीन हैं—पंजाब, कश्मीर, असम, पांडिचेरी और तमिलनाडु। एक-एक करके सब जगह राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वह आप डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। जहां लोकतन्त्र होता है वहां की राज्य सरकार को बहुत अधिकार होते हैं। यह संघीय ढांचा है, यह फैडरल स्ट्रक्चर है। यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट इस देश में नहीं चल सकती। यह अगर कहीं थोड़े समय के लिए ही चलाने की बात होती है वहां क्या कुछ हो जाता है यह तो आप जानते ही हैं। आज यूगोस्लाविया टूट रहा है और सोवियत यूनियन की स्थिति भी आप सबको मालूम है वहां भी वैसा लोकतन्त्र नहीं है जैसा कि हमारे यहां है। हमारा बहुदलीय लोकतंत्र है। वहां अभी इस तरह का कंस्टीट्यूशन भी नहीं है जैसा कि हमारे यहां है। कुछ आज पहले वहां बड़े जबरदस्त डिक्टेटरशिप थी। आज वहां के कुछ राज्य कह रहे हैं कि हम स्वतन्त्र हो जायेंगे। लिथुआनिया ने मतदान करा दिया और वहां के 90 परसेंट लोगों ने कह दिया कि हम सोवियत यूनियन से अलग हो जायेंगे। लतविया और इस्टोनिया में मतदान हो गया लेकिन रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोफ ने राष्ट्रपति शासन नहीं लागू किया। कहा जरूर था कि हो सकता है कि सेंट्रल रूल लागू करना पड़े लेकिन सेंट्रल रूल वहां लागू नहीं किया। जिस तरह आपने असम में करा दिया, तमिलनाडु में करा दिया, तमिलनाडु में क्या बड़ी आसमान टूट रहा था जिस पर आपने कहा कि वहां लोग आतंकवाद फैला रहे थे। वी. पी. सिंह जी ने अपने भाषण में सारी पोल खोल कर रख दी। जिस समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी राज्य कर रही थीं चार करोड़ रुपये एस. टी. टी. ई. को उन्होंने दिये और 38 कैम्प हथियार सीखाने के लिए चलाये गये थे। तमिलनाडु में वे सब कुछ किया। एल.टी.टी.ई. के लोगों को, आपने यहां मद्रास से भेजा, जिस समय इण्डियन कोस्टिंग फोर्स वहां पर लड़ रही थी 5 हजार 5सौ जवान हमारे वहां पर मारे गये, उस समय भी सब उन्हीं लिट्टे की वहां मदद कर रहे थे और आज तक एक बहाना बनाकर, चूंकि आपको विपक्ष दलों की सरकारें पसन्द नहीं है, आपको लोकतन्त्र में कतई आस्था नहीं है इसलिए पहले राज्यपाल को बुलाकर आप कहते हैं कि आप लिख दीजिए कि वहां पर अराजकता है, राज्यपाल वह लिखने को तैयार नहीं तो बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के ही आपने वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है, यह इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकाट किया, यह तो पहली बार नहीं हुआ लेकिन यह जरूर पहली बार हुआ कि राष्ट्रपति महोदय ने गवर्नर की रिपोर्ट के बिना वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, यह तो है आपकी डेमोक्रेसी का मतलब...

श्री कपिल देव शास्त्री : यह पहले भी 8 बार हुआ है।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : 356 का इस तरह का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ, गवर्नर की रिपोर्ट के बिना। वह दूसरे कारण थे जो आप कह रहे हैं, जब लोक सभा के चुनावों में मैनडेट हो गया विधान सभाओं को तब भंग किया गया, वह अलग बात थी, यह एक अलग आधार था।

श्रीमन्, उसके बाद मैं कहना चाहता हूं सैकुलरिज्म की बात। इस देश में सैकुलरिज्म के लिए चिन्ता है आपको ? इस देश में सैकुलरिज्म के लिए चिन्ता है इस सरकार को और कांग्रेस पार्टी

को ? आप कहते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला हम बातचीत के द्वारा हल करेंगे, बातचीत के द्वारा हल हो जाय तो इससे अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती लेकिन हो नहीं पायेगा, दिखता नहीं, क्योंकि विश्व हिन्दू परिषद ने अब तो स्पष्ट कह दिया है कि हम तो बातचीत भी नहीं करेंगे और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को एक करोड़ लोगों को लाकर इस संसद् का हम घेराव करेंगे तो क्या इस देश में सैकुलरिज्म बचेगा ? यह सरकार कर क्या रही है ···(व्यवधान) यह डैमोक्रेसी नहीं है, यह देश की एकता और अखंडता और देश का जो सांस्कृतिक स्वरूप है, जो देश का राजनैतिक स्वरूप है ··(व्यवधान) ··आप कह लीजिएगा अब तो मैं बोल लूं। जो देश का सांस्कृतिक स्वरूप रहा है, अनादि काल से यहां अनेक विचार और पंथ के लोग हमेशा स्वतन्त्र रूप से उपासनायें करते रहे हैं, अपने विचारों के अनुसार आराधनाएं करते रहे हैं। यह वह देश है जहां गौतम बुद्ध ने बनारस में कहा, जहां सनातनी लोग रहते थे शत प्रतिशत, वहां सारनाथ में जाकर कहा कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता, उन्होंने कहा ईश्वर होता ही नहीं वेद को मन मानो लेकिन इस देश के लोग महान सहिष्णु थे, हमारे महान पूर्वज इतने महान थे कि उन्होंने गौतम बुद्ध को मारा नहीं, गौतम बुद्ध को बुरा भला नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो आदमी यह कह रहा है, वह ईश्वर स्वरूप है और स्वयं उनको तेईसवां अवतार मान लिया। नतीजा यह हुआ कि उस सहिष्णुता के कारण हम एक रहे। कभी किसी समय यहां के लोगों ने नहीं कहा उस समय कि गौतम बुद्ध अगर कहीं विहार बनाएंगे तो हम उनको गिरा देंगे, नहीं तो वह भी कह सकते थे कि यहां शिवजी का मन्दिर है, आप बोध गया में चले जाइये। वहां शिवजी का मन्दिर है, जहां बौद्ध मन्दिर है, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि यह केवल शिवजी का मन्दिर भी रहेगा, यहां बौद्ध मन्दिर को गिरा देंगे ··(व्यवधान) श्रीमन्, तोड़कर भी गिराया हो तो भी आखिर आराधना का स्थान है, यद्यपि यह विवादास्पद प्रश्न है कि तोड़कर गिराया गया था क्या किया गया लेकिन है आराधना का स्थल, हममें यह सहिष्णुता होनी चाहिए—

"सर्वम् खलविदम ब्रह्म"

हमारे ग्रन्थों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारी संस्कृति ने यह बताया कि मस्जिद में भी अगर कोई नमाज पढ़ता है तो वह राम को ही आराधना करता है और अगर राम की पूजा कोई मन्दिर में करता है प्रभु की उपासना करता है यह तो वह कुरान की आयत पढ़ता है, इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो दो बातें कह रही है कि या तो बातचीत के द्वारा हल हो जाय, नहीं तो अदालत से हल हो जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यह दोनों हल ठीक हैं, इन दोनों से हल नहीं निकलेगा, इससे कटुता बढ़ेगी। अगर मान लीजिए अदालत भी कह दे कि वहां पर मन्दिर था तो आप मस्जिद को गिरा देंगे क्या और गिरा देंगे तो फिर इस देश में क्या होगा और दुनिया में इस देश की साख क्या होगी। इसका एकमात्र उपाय है कि अगर आप सैकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, अगर इस देश को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते है तो उसका एक तरीका है कि आप कोई कानून यहां बनाइये, 15 अगस्त, 1947 की बात कुछ लोगों ने कही कि 15 अगस्त, 1947 को जिस धार्मिक स्थान की जो स्थिति थी, वही रहेगी मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, जहां मन्दिर था, वहां मन्दिर रहेगा, अनेक मन्दिर अनेक मस्जिद रहेंगी, इस देश में गिरजाघर रहेंगे, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो न मन्दिर में जायेंगे, न मस्जिद में जायेंगे, जिनको इससे कोई मतलब नहीं लेकिन वह भी पापी नहीं है। जो लोग न मन्दिर जाते हैं, न मस्जिद जाते हैं, न गुरुद्वारे जाते है, न चर्च में जाते हैं, वे भी अधर्मी लोग नहीं है। वे भी इस देश के नागरिक

बनने के हकदार हैं। उनकी आस्थाओं और भावनाओं पर चोट नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस खतरे से सैक्युलरिज्म को बचाना है। अगर एक करोड़ लोग यहां पर आकर घरेंगे, तो क्या स्थिति होगी? अभी जो राम-रथ यात्रा हुई, 30 अक्तूबर और दो नवम्बर को हुआ, उसके चलते हजारों लोगों की जानें गई हैं, निर्दोष, निरपराध छोटे-छोटे बच्चों की जानें गई है, छोटे-छोटे बच्चे मारे गए हैं, 80 बरस के बूढ़े मारे गए हैं और फिर अब एक करोड़ लोग घरेंगे, तो इस देश में क्या होगा? आप क्या देखना चाहते हैं? हम लोग बच्चों को भी धर्म-जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति है—मंति कुल विरोधे ना पराभ्यन्ति बाल:—कुल का विरोध भी हो तो बालकों का अपराध नहीं होता है। हम लोग देश को किस ओर ले जाना चाहते है?

अमृम् पुनः पश्यत् देवदारु पुत्री कृनो सो वृश्वध्यजेन।

तात्पर्य यह है कि देवदारु केवेड़ को शंकर जी ने पुत्र बना लिया यानि टरख्त, लकड़ी तरु को पुत्र मानते थे, लेकिन आज मनुष्य मनुष्य आपस में गहरी खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि सैक्युलरिज्म को बचायेंगे। सैक्युलरिज्म को बचाना है, तो इस तरह के जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो संस्थायें हैं उन पर आपको रोक लगानी होगी। इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाइये, जिससे यह देश बचाया जा सके।

इसी तरह से सोशियलिज्म की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, इस सरकार को सोशियलिज्म में आस्था है? इस कांग्रेस के लोगों को सोशियलिज्म में आस्था है? अभी माननीय संतोष मोहन देव जी बोल रहे थे, उनको क्या सोशियलिज्म में आस्था है? इस सरकार ने कुल घोषणा की है कि जितने बिजली घर हैं उनको हम निजी पूंजीपतियों के हाथ में देने वाले है। मसौदा तैयार हो गया है और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उस बात को कहलवाते हैं, यह सोशियलिज्म हुआ? फिर यह होगा कि बिजली घरों को चलाने के लिए कोयले की जरूरत है और कोयला खदानों से आता है, जो कि राष्ट्र के हाथ में है। पूंजीपति कहेंगे कि हम को कोयला नहीं मिलेगा, तो हम बिजली घर और थर्मल पावर स्टेशन कैसे चलायेंगे। फिर आप कोयला खदान भी पूंजीपतियों के हाथ में देंगे। जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है, उसको नाश करना चाहते हैं। जिस दिशा में देश चल रहा था। उसको मोड़ा जा रहा है। देश में योजना नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। दो बरस बीत गए, जब जनता दल की सरकार थी, तब एप्रोच पेपर बन गया था। जिसके जरिए देश एक निश्चित दिशा की ओर जाता है, एक लक्ष्य की ओर पहुंचता है। पिछला साल बिना योजना के चला गया। राज्य सरकारों को एक मुश्त रुपया दे दिया गया। किसी को बीस अरब और किसी को तीस अरब की खैरात बांट दी गई। किस काम में कितना खर्च किया, उसका पता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश की योजना का आकार होता है, उसका ढांचा होता है, उसके अन्दर राज्यों के सारे के सारे कार्यक्रम आने चाहिए ताकि देश एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ सके। आज वह स्थिति नहीं है। एक साल बीत गया है और दूसरा साल भी चला गया तथा राज्यों को फिर रुपया दे दिया गया। योजना का कोई पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है? आज की दुनिया में जो देश एक चौराहे पर खड़ा रहेगा जो प्रगति की दौड़ में पीछे रहेगा, वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस देश की कोई योजना नहीं है, वह देश पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। आज भी दुनिया में हमारे देश का स्थान निर्धनतम देशों में है। आज की स्थिति को देखते हुए, हम देश को कहां ले जायेंगे, इसका पता नहीं है।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब है, गम्भीर है और उन्होंने कई कारण बताए हैं। डैफिसिट फाइनेंसिंग की बात उन्होंने कही है और यह भी कहा है घाटे का बजट है। दूसरी बात उन्होंने इन्फलेशन की कही है और उन्होंने विदेशी कर्जे की बात भी कही है। घाटे का बजट आया है, जैसा कि हमको बताया गया, क्योंकि हम लोग तो यहां पर उपस्थित नहीं थे जब अंतरिम बजट पेश किया गया। अंतरिम बजट नाम की संविधान में कोई चीज नहीं है, वोट आन अकाउंट पूरे बजट का एक हिस्सा होता है, लेकिन अंतरिम बजट पेश नहीं किया जाता ऐसा हमने कभी नहीं सुना। 990 करोड़ रुपये का घाटा दिखा दिया गया है और जब मई-जून में बजट आएगा तब 14-15 हजार करोड़ का घाटा हो जाएगा, उस वक्त रुपए की कीमत क्या रहेगी। मुझे याद है जब 1976 में मैं लंदन गया था, उस समय एक पौंड की कीमत 12 रुपये थी, आज एक पौंड की कीमत 37.90 रुपये है, इतना अवमूल्यन रुपये का हो गया है और जब 14-15 हजार करोड़ का घाटे का बजट होगा, उस वक्त रुपए की कीमत क्या रह जाएगी, 5 पैसे रह जाएगी, पौंड की कीमत 100 रुपए होगी और डालर की कीमत 60 रुपए होगी। आज भी डालर की कीमत 1[illegible] रुपए है जबकि 1976 में 7-8 रुपये थी। इस तरह से विदेशी मुद्रा के मुकाबले में देशी मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, इस वजह से देश में मंहगाई बढ़ रही है। इन्फलेशन की यह हालत है कि अभी आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि 12.6% इन्फ्लेशन की दर हो गई है, डबल डिजट में पहुंच गई है, दो अंकों में इनफलेशन पहुंच गया है, लगातार बढ़ता रहेगा तो यह घाटा कम होने वाला नहीं है, विदेशी कर्जे का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी कहा गया कि विदेशी कर्जा बहुत बढ़ गया है, ब्रज भूषण तिवारी जी ने आंकड़े दिए है किस तरह से एक लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया है और 1 लाख 32 हजार करोड़ के करीब देशी कर्जा हो गया है. इसके बावजूद भी कर्ज से हमका संतोष नहीं है। आज जो साथी वहां बैठे हुए हैं, वे कभी कहते थे कि कर्ज से इस देश को मुक्ति दिलाएं, इस देश को कर्ज के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। पिछले साल ब्याज का 36 परसेंट ब्याज में दिया गया, 26 हजार करोड़ रुपया ब्याज में दिया गया है। ऐसी स्थिति में देश में विदेशी मुद्रा कैसी रहेगी। लेकिन अभी भी कर्ज से संतोष नहीं है, अभी मां आई एम एफ से कर्जा मांग रहे हैं, राजीव गांधी कहते हैं कि इस समय सरकार को बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई एम एफ से कर्जा मिलने वाला है और वह आन्तम स्टेज में है अगर इस समय सरकार गिर जाएगी और चुनाव हो जाएंगे तो वह कर्जा नहीं मिलेगा, क्या कर्जे के बल पर हम इस देश को चलाएंगे। दुनिया में जो कर्जदार देश हैं, उनकी क्या हालत है, ब्राजील, कोलंबिया, मेक्सिको, वही स्थिति इस देश की होने वाली है। अभी कल जर्मनी के राष्ट्रपति यहां पर आए हुए थे, उनके सामने हाथ फैला दिए और 500 करोड़ रुपये का कर्जा मांग लिया। जो भी कोई यहां आता है,उसके सामने हाथ फैलाकर हम खड़े हो जाते हैं इस तरह से हम देश को स्वावलम्बी नहीं बना सकते। इस तरह से हम देश का दीवाला निकाल रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण देश के दीवालिएपन का अभिभाषण है।

·· (व्यवधान) ···

सभापति महोदय, जितना विदेशी कर्ज हम लेंगे उनका ब्याज भी विदेशी मुद्रा के रूप में देना होगा, यह विदेशी मुद्रा हम कहां से लाएंगे। आज बैलेंस आफ पेमेंट की पोजीशन बहुत खराब है कैसे खराब हो गई, बैलेंस आफ पेमेंट के बारे में मैंने 22 तारीख को मौखिक प्रश्न संख्या 6

पूछा था कि 1990-91 में आयात-निर्यात की स्थिति बताइए कि कितना आयात किया और कितना निर्यात किया, तो उसमें जो आंकड़े दिए गए, वे चौंका देने वाले आंकड़े हैं। आयात निर्यात का अन्तर 54 परसेंट है और उसी प्रश्न के जवाब में बताया गया कि यह आयात सितम्बर के बाद का है, सितम्बर से पहले जब वी पी सिंह की सरकार थी, तब वी पी सिंह ने कहा था कि हम विदेशों से कर्ज नहीं लेंगे, भले ही हमारे यहां मंहगाई बढ़ जाए, कर्ज का बोझ देश को कतई पर नहीं डालेंगे, लेकिन आज हम कर्जे पर कर्जा लिए जा रहे हैं। आज तो कर्ज के अलावा आपके पास कुछ नहीं है और नयी कांग्रेसी सरकार के आने के लिए षड़यन्त्र रचा जा रहा है। क्या कभी देश में ऐसा हुआ है कि यहां से गवर्नर को बर्खास्त कर दिया जाए, क्या यहां से कहा गया कि विधान सभा की बैठक न बुलाए। यह गवर्नर का अधिकार होता है। मन्त्रिमंडल उनको सलाह देता है और वे बुलाते हैं। दिल्ली से यह आदेश नहीं जाते कि विधान सभा की बैठक न बुलाए और उनको इस तरह से बर्खास्त कर दिया जाए कि जैसे वे देनी वेजेस के मजदूर हों। उनको बर्खास्त कर दिया गया (व्यवधान) देश की आर्थिक हालत के बारे में कहना चाहता हूं। यह बात राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में नहीं कही कि आर्थिक स्थिति गम्भीर होने के कारण काला धन है। सबसे बड़ा कारण आर्थिक स्थिति गंभीर होने का है और वह है काला धन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि दुनिया में किसी भी देश में इतना काला धन नहीं है। पूरे राष्ट्रीय उत्पाद के हिसाब से करीब 36% काला धन भारत में है। जब तक काला धन नहीं निकालेंगे तो तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। सत्तर हजार करोड़ रुपए का काला धन इस देश के अन्दर है: इसको क्यों नहीं निकाल पाये। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में कहा है कि कुछ कठोर कदम उठा सकते हैं। लेकिन काला धन कहां से निकाल पायेंगे। हमारे वित्त मंत्री काला धन निकालना चाहते हैं। वे निकाल पाएंगे नहीं क्योंकि इनके समर्थकों के पास काला धन है। ये निकालेंगे तो इन्होंने बजट प्रस्तुत नहीं करने दिया। जिस तरह पाप तमिलनाडु, असम में कराया और अब बिहार में ये करा रहे हैं तो ये आपको काला धन नहीं निकालने देंगे। आप करना चाहते हैं तो नहीं कर पायेंगे। आप कहते हैं कि पंजाब की समस्या हल करेंगे और खाड़कुओं से बात करेंगे। प्रधान मन्त्री जी का मैं प्रशंसक हूं। उन्होंने कहा कि हम सब खाड़कुओं से बात करके समस्या हल करेंगे। मिलिटेंट से बात करके ये कांग्रेसी आपको पंजाब समस्या हल नहीं करने देंगे। अभी श्री संताष मोहन देव जो कह रहे थे कि सोफेस्टीकेटेड वेपन दें तो समस्या का हल हो जाएगा। क्या इससे समस्या का हल होगा आप करेंगे तो नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने गलत नहीं कहा है कि "महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस में"। रावण पड़ोस में बस गया तो समुद्र की महिमा चली गई। राष्ट्रपति जी कहते हैं कि खाड़ी युद्ध रोकने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया। कोई प्रयास नहीं किया। इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था। उस समय भारत सरकार की ओर से पहल हुई थी। उस समय के विदेश मन्त्री श्री मुजराल जी पहले विदेश मन्त्री थे जो इराक, बगदाद और कुवैत में गए थे।...(व्यवधान) जब युद्ध शुरू हुआ तो पांच लाख भारतीयों को वापस नहीं ला सके। 116 नर्सें तीन सप्ताह तक भटकती रहीं। उनका अता-पता नहीं था। अपने खर्चों से वे यहां पर आईं। श्रीलंका में नरसंहार हो रहा है। वहां की सरकार बमबारी से लोगों को मार रही है। इस सरकार की तरफ से उसको रोकने के लिए क्या हो रहा है। वहां पर भारत के लोग भी हैं। परसों वहां पर मदर्स फ्रंट ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला है। चालीस हजार बच्चों का पता नहीं है।

यह वहां श्रीलंका की सरकार कर रही है, श्रीलंका की सरकार से बात करने के लिए एक ऐसे विदेश मंत्री जाते हैं जिनको डिसक्वालिफाई घोषित कर दिया गया था।

अन्त में मेरा यही कहना है कि इन समस्याओं का समाधान गोली से दमन नहीं होगा, बात-चीत करके होगा, लोकतांत्रिकढंग से होगा। रघुवंश में कहीं कहा गया है।

क्षतत किल त्रायत इत्यु दग्रः
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुठः।
राज्येा किम तद विपरीत वृते: प्राणय रूप क्रोध मलिश्स्वा

यह राष्ट्र के हाथ में है, आप किस को घायल करके, मारकर समस्या का हल नहीं निकाल सकते, आपको चाहे आपने प्राणों को देना पड़े, समझा-बुझाकर इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह सम्भव नहीं है, क्योंकि आज जरूरत है देश को बचाने की, अगर आप देश को बचाना चाहते है तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि लोक सभा भग हो और नए चुनाव कराए जायें। क्योंकि इस सरकार को जनादेश प्राप्त नहीं है, कांग्रेस को भी जनादेश नहीं था। इसलिए आप चुनाव करायें और जनता जैसा आदेश दे जिसको सरकार बने वह इन समस्याओं को सुलझाये।

(अनुवाद)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण दिशाविहीन और भावशून्य है। मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि यह अभिभाषण एक संवैधानिक अवव्यवस्था और राजनैतिक अप्रमाणिकता का परिणाम है। राष्ट्रपति के पूरे अभिभाषण में नीति निर्देश का सर्वथा अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे बजट की तैयारी या राष्ट्रपति के अभिभाषण की तैयारी करने के बजाय श्री सशोगी और श्री चन्द्रास्वामी से मिलने में अधिक व्यस्त थे इस तथाकथित सरकार में सभी चीजों का पूर्ण अभाव है। उनके पास न तो कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम अथवा कार्य योजना। हम बहुत ही उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं कि वे अपनी नीति या अपने बजट के माध्यम से किसी कार्य योजना का आभास देंगे क्योंकि यह देश की वित्तीय नीति का निर्देश करने वाली महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जबकि आर्थिक स्थिति अत्यन्त गंभीर है यहां तक कि वित्त मन्त्री के के आज के भाषण को मुद्रित प्रति में भी, उन्हें यह बजट भाषण नष्ट कर देना होगा और मुझे विश्वास है कि उन्हें दूसरा बजट भाषण मुद्रित करवाना होगा जो 1991-92 का बजट भाषण होगा। सरकार की आर्थिक नीति, वित्तीय नीति या कार्यक्रम इसमें नहीं है। श्री संतोष मोहन देव बहुत वाचाल थे क्योंकि वह कहते हैं कि यह प्रधानमन्त्री आलोचनाओं के विरोधी नहीं हैं इसलिए वे उन्हें समर्थन दे रहे हैं। मैं उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह टिप्पणी की गई थी कि हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्यों बहिष्कार किया था? हमने इस बार ऐसा जानबूझ कर किया था। हमने इसे अपनी पार्टी द्वारा जारी किए गए वक्तव्य, वाम मोर्चा दलों तथा राष्ट्रीय मोर्चा दल ने भी अपने वक्तव्य द्वारा स्पष्ट कर दिया है। हम ऐसा करके खुश नहीं थे। लेकिन जब हमें लगा कि देश के सर्वोच्च पद की छवि धूमिल हो रही है, लोकतंत्र दफनाया जा रहा है, तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था का रंच मात्र भी पालन नहीं किया जा रहा है तब ऐसे जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमें अपने क्षोभ, विरोध और संविधान के इन महत्वपूर्ण उपबन्धों में गड़बड़ी करने के विरुध अपने प्रतिरोध को व्यक्त करना पड़ता है हमने पाया कि वास्तविके उद्घोषणा के दस मिनट पहले पूर्व प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति से मिलने गए और इस आश्वासन के साथ लौटे कि कुछ भी नहीं किया

गया है अथवा नहीं किया जा रहा है लेकिन दस मिनट के अन्दर ही उद्घोषणा जारी कर दी गई। इसलिए हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन तमिलनाडु में जो सत्ता का जिस तरह से खुले आम दुरुपयोग किया गया था उसका स्पष्ट तरीके से विरोध करना हमारी जिम्मेदारी थी।

यह ऐसी सरकार है जो सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकती। यह आज केवल अकारण सहयोग पर टिकी हुई है—मैं नहीं जानता कि यह सहायता अकारण है अथवा उसके लिए उनके बीच कोई विनिमय समझौता है—जो कि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस (इ) द्वारा दिया जा रहा है।

इस सरकार के प्रति उस पार्टी का क्या दृष्टिकोण है ? क्या यह समर्थन किसी सिद्धान्त या किसी नीति पर आधारित है जिसे कांग्रेस (इ) जो सदन में अकेली सबसे बड़ी पार्टी है, इस सरकार को दे रही है ?

इस दल के नेता क्या कह रहे हैं ?···(व्यवधान)··· शायद रंगा जी को नेता के विचार अर्थात श्री राजीव गांधी के विचार से अवगत नहीं कराया गया था। मैं "हिन्दुस्तान टाइम्स" से पढ़ रहा हूँ। जहां तक कांग्रेस और इस सरकार का सम्बन्ध है यह टिप्पणी अवांछनीय नहीं है। इसमें कहा गया है :

> "कांग्रेस (इ) अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने आज चन्द्रशेखर सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सरकार सिद्धान्तों पर आधारित नहीं। उन्होंने कहा कि कमजोर सरकार के कारण भारत गंभीर आर्थिक संकट में है।"

इसके बाद वह क्या कहते हैं ? वह कहते हैं :

> "देश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है।"

शायद श्री संतोष मोहन देव को अपने नेता का हाल में 'दर्शन' नहीं हुआ। उनके वर्तमान विचार वे नहीं जानते। आगे श्री राजीव गांधी कहते हैं :

> "श्री गांधी ने इस बात पर दुख व्यक्त किया है कि पश्चिम एशिया में शांति प्रयास के लिए जो भूमिका भारत निभा सकता था, नहीं निभा सका। अपने हाल के दौरे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी इस बारे में शिकायत कर रहे थे।"

कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं।

> "कि भारत की विदेश नीति में क्या खामी है तो उन्होंने कहा : 'आलोचना करने की नीति होनी चाहिए। मुझे यह देखना है कि इस संकट को दूर करने के लिए भारत की क्या भूमिका अदा करती है।' लेकिन एक ऐसी सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है जो सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। और इसमें दूरदर्शिता का नितांत अभाव है।"

इसलिए, आंतरिक नीति तथा आर्थिक नीति गलत है या बदतर है क्योंकि यहां शासन नाम की चीज नहीं है क्योंकि यह सरकार कमजोर है, क्योंकि यह सरकार सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है। कुछ भी नहीं हो रहा है। विदेश नीति के सम्बन्ध में राजीव गांधी कहते हैं : 'कहां हैं नीति ?' जहां तक इस सरकार का सबंध है इसकी कोई विदेश नहीं है। (व्यवधान)

इस तरह के प्रशासन को प्रोत्साहन देना जो कि दल बदलुओं और भगोड़ों के गठजोड़ से बनी है यह राजनैतिक नासूर और नहीं तो राजनैतिक छल-कपट है और आप देश और सभा की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप इससे क्या प्राप्त करने जा रहे हैं ? एक सरकार से मुक्त होने के लिए आपने अपरिहार्य चुनाव को टालने के लिए हर तरह की सिद्धान्तहीन व्यवस्था से समझौता कर लिया क्योंकि कांग्रेस के पास चुनाव का सामना करने के लिए राजनैतिक साहस नहीं है। हम जानते हैं कि तथा कथित जनता दल (स) का कोई भविष्य नहीं है। इस बारे में किसी को कोई शक नहीं है। इसका न तो तमिलनाडु और न देश में कहीं भी इसका कोई भविष्य नहीं है। परन्तु हम कांग्रेस की असलियत को स्पष्ट करना चाहते है क्योंकि, इसमें मतदाताओं का सामना करने के लिए राजनैतिक साहस नहीं है और इसीलिए वहां यह सरकार टिकी हुई है। यद्यपि उन्होंने अमरीकी विमानों को ईंधन भरने की सुविधा तथा स्थगन प्रस्ताव का विरोध किया था। इस सरकार को कौन बचाएगा ? कांग्रेस (आई) भाजपा (व्यवधान) तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल की सहायता कौन करेगा और कौन समर्थन देगा ? कांग्रेस (आई) और भाजपा (व्यवधान) आज मैं देखता हूं कि सन्तोष मोहन देव भाजपा की आलोचना करने और इसको दोषी ठहराने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं ? इसे प्रश्न पर उनकी राजनैतिक प्रतिष्ठा कहां गयी ?

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद किसने उठाया है ? इस विवाद को किसने भड़काया है ? पिछले आम चुनाव के ठीक पहले इस स्थान पर शिलान्यास की अनुमति किसने दी थी ? आप हिन्दू वोट बैंक तैयार करना चाहते थे।

इस देश में किस साम्प्रदायिकता को भड़काया गया है उसका लाभ आडवाणी जी और भाजपा को मिल रहा है। इसलिए आप हम देखते हैं कि साम्प्रदायिकता तेजी से फैल रही है। हम जानते है कि भाजपा इस साम्प्रदायिकता का लाभ उठा रही है और वे साम्प्रदायिकता के आधार पर जनता में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु उनको उकसाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार हैं (व्यवधान) केवल ऐसे ही लोग साम्प्रदायिकता का समर्थन कर सकते हैं जो विवेकहीन है।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : वे भाजपा का खुला समर्थन दे रहे थे। अब वह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिए, हमने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का तब तक समर्थन करने की घोषणा है, जब तक कि वे अपने घोषणा पत्र का पालन करेंगे। हमने अपना समर्थन वापस नहीं लिया। हमने यह देखा कि वी. पी. सिंह की सरकार ने साम्प्रदायिकता का डटकर मुकाबला किया था। उन्होंने साम्प्रदायिकता के साथ कभी समझौता नहीं किया। श्री वी.पी. सिंह ने अपनी सरकार का बलिदान कर दिया परन्तु वे साम्प्रदायिक ताकतों के समक्ष झुके नहीं ये संसदीय व्यवस्था की मूल धारणा यह है कि सरकार बहुमत की होनी चाहिए। परन्तु, आज संसदीय व्यवस्था

की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा है कि सभा के 50 प्रतिशत से कम सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति वफादार है और ऐसा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के नाम पर किया जा रहा है।

माननीय राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है :

"कि हमें आन्तरिक कलह और छोटे-मोटे झगड़ों और उन सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए, जो अंकीर्ण है, स्वार्थपूर्ण है और फूट डालने वाली हैं तथा राष्ट्र के हित में एक जुट होना चाहिए। कठिनाइयों के इस दौर में हमें आधारभूत सिद्धान्तों लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद जो हमारी राष्ट्रीयता के आधार स्तम्भ हैं, के प्रति अपनी बचनबद्धता दोहरानी होगी।"

ऐसा किसके नेतृत्व में हुआ है ? जहां तक वर्तमान सरकार अथवा इसके समर्थकों का संबंध है, उनकी नीति क्या है ? देश को वर्तमान कठिनाई के दौर से निकालने अथवा देश को समृद्धि और उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए उनके क्या कार्यक्रम हैं ? उनकी स्थिति क्या है ? आप किस बात का समर्थन कर रहे हैं? यह इस देश का और इसकी जनता का दुर्भाग्य है। आप और हम यह जानते हैं कि जनता का असली शत्रु कौन है ?

आपने 42 वर्षों एक देश पर शासन किया है। श्री सन्तोष मोहन देव ने श्री कृष्ण सूदन तिवारी के प्रति उनके भाषण के लिए बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की थी। श्री तिवारी ने एक बहुत्वपूर्ण बात कही है : कांग्रेस (आई) के साथ 420 अथवा 425 सदस्य थे लेकिन वे भी जनता को राहत नहीं पहुंचा सकी। श्री वी.पी. सिंह के साथ 150 सदस्य थे, वह भी जनता के लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने कहा है, "श्री चन्द्रशेखर किसी का अनुसरण किए बगैर इस कार्य को कर सकते हैं। श्री सन्तोष मोहन देव ने कहा है कि श्री तिवारी का भाषण शानदार था।

4.00 म.प.

क्योंकि उन्होंने के लिए कार्य करने का वायदा किया है। ऐसी क्या बात है जिसे आप नहीं समझ पाए हैं। कम से कम हम तो नहीं समझ पाए हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैंने भाषण को दुबारा पढ़ा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय परिषद को सौंपने के अलावा इस सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है जिसका गठन श्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था। महिला आयोग के बारे में क्या विचार है ? इसके बारे में एक भी शब्द नहीं किया गया है। इस भाषण में निरर्थक बातों के अलावा क्या कहा गया है ? एक भी रचनात्मक सुझाव नहीं दिया गया है। यदि हम भाषण को सावधानी पूर्वक पढ़े तो हम यह जान जायेंगे कि इस सरकार ने अमेरिका की खोखली नीति और दृष्टिकोण का समर्थन करके गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को अवहेलना की है। इसने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को स्वीकार करके हमारी आर्थिक सम्प्रभुता के लिए संकट पैदा कर दिया है। इसने हमारे देश के लोकतान्त्रिक ढांचे और केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर कुठाराघात किया है। इसने पंजाब, कश्मीर और असम जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों में गड़बड़ की है। यद्यपि कल हमने तमिलनाडु पर चर्चा की थी परन्तु, एक बात का जवाब नहीं दिया गया था। तमिलनाडु की विधान सभा को क्यों भंग किया गया ? आपको इसका स्पष्टीकरण जनता को देना है। यदि कानून और व्यवस्था की स्थिति अस्थायी तौर पर खराब थी—यद्यपि ऐसा नहीं था—तो विधान सभा को

भंग क्यों कर दिया जबकि, इसका कार्यकाल में अभी तीन वर्ष बाकी थे ? आपने पंजाब, गोवा और अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ऐसा त्रिपुरा में भी नहीं किया गया था।

श्री धर्मपाल शर्मा (उधमपुर) : ऐसा ही उन्होंने जम्मू-कश्मीर में किया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा अन्य किसी राज्य में क्यों नहीं किया गया ? इस विधान सभा को ही भंग क्यों किया गया ?

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : कर्नाटक के बारे में क्या विचार है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमने इसकी निंदा की थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसको भली-भांति ढंग से जानना चाहता हूं। उसके बाद यह जानना चाहता हूँ कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह आपके सलाहकार हैं। आप सभी मामलों में श्री वी. पी. सिंह का अनुसरण करना चाहते है। आप में इतना कहने का राजनैतिक साहस है। आप उनका विरोध करने के बावजूद भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। हमने श्रीवी.पी सिंह के सामने न तो अपनी अन्तरात्मा को दबाया और न अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता किया। हमने उनका विरोध किया था। हमने उनकी सरकार की आर्थिक नीति का विरोध किया था। हमने उनकी आलोचना भी की थी। जिस समय उन्होने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने संबधी अधिनियम अपनाया था तो हमने इसका सभा मे विरोध किया था।

श्री ए चार्ल्स : आप का भी उनसे गठबंधन है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने उनका विरोध किया था।। हमने उनकी औद्योगिक नीति का भी विरोध किया था। हम उनके सामने झुके नहीं थे। हमने यह नहीं कहा था कि कोई सरकार नीति और सिद्धन्त नही हैं। दल के नेता ने ऐसा कहा था। अभी भी यमुना प्रसाद शास्त्री ने ठीक ही कहा है कि श्री राजीव गांधी ने कहा था कि "देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण दिलाने के लिए हमें सरकार को बनाए रखना है।" क्या आप इस देश की मूल समस्याओं को सुलझा सकते हैं ? क्या आप इस गम्भीर आर्थिक संकट को दूर कर सकते है? यह सरकार बजट नहीं बना सकती है और न इसका कुछ कारण बता रही है। आज के कथित बजट भाषण में कहा गया है कि :

> "कठिन परिस्थितियों में जब कि अनिश्चितता बनी हुई है, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विस्तृत नीति बनाने के लिए, हमें कुछ और समय की आवश्यकता होगी। बजट में हम यह सुनिश्चित करना चाहते है कि यह विस्तृत आर्थिक नीति इस प्रकार की हो कि यह विकास कार्य में रूकावट न डाले और गरीब व्यक्तियों पर भार न पड़े।"

हां श्री संतोष मोहन देव, उनकी अंग्रेजी के बारे में आपका क्या विचार है ?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : बहुत अच्छी है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह सरकार के नाम पर मजाक है। वे 3 माह से अधिक समय से सत्ता में है और वह नीतियां और कार्यक्रम नहीं बना सकते। क्या अगले तीन माह में वे इन्हें बना पाएंगे ? अंतरिम बजट भाषण में कहा गया है :

"बजट बनाने के लिए, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसी विस्तृत आर्थिक नीति विकास कार्य में बाधा न डाले·····"

अब विकास है कहां ? किस-दिशा में विकास हो रहा है, सिवाय इसके कि अत्यधिक असंतोष है। भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ गया है। विकास हो कहां रहा है। मुद्रा स्फीति की दर, मृत्यु दर, हत्या दर का विकास हो रहा है प्रशासन का अभाव है और पंजाब और कश्मीर में नाममात्र की सरकार है। इस सरकार ने केवल यही कार्य किए हैं। तीन माह तक वे यह कार्य नहीं कर सके थे महोदय, मैं यह प्रश्न दुबारा उठा रहा हूं क्योंकि माननीय प्रधान मन्त्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया। 15 फरवरी को वह यह कैसे कह सकते हैं कि वह बजट बनाएंगे और 28 ता. को इसे प्रस्तुत करेंगे ? कुछ तो ईमानदारी बरतिए। आप इस देश की जनता को बेवकूफ मत समझिये ?

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : वे बेवकूफ नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री संतोष मोहन देव आपके इस सरकार के समक्ष झुकने के कुछ कारण अवश्य होंगे (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : वह बहुत अप्रसन्न हैं क्योंकि मैंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। अब वह मुझ पर आरोप लगा रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे देश में हर कोई जानता है कि हमारे ऊपर बहुत ऋण भार है क्या इस बजट भाषण में इस ऋण भार से मुक्त होने के लिए कुछ कहा गया है ? वित्त मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है और स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे महोदय, उनके भाषण के अन्तिम पैरा में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है :

"वित्त विधेयक वित्तीय वर्ष 1991-92 में आय-कर की विद्यमान दरों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।"

अन्यथा, वह उसका समर्थन कर देंगे। स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक देश जिस आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वह इस कथित बजट भाषण के द्वारा उसका सामना करना चाहते है।

महोदय, आज हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने आप को बेच रहे हैं वह बजट नहीं बना सकते क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ऋण के लिए बातचीत चल रही है। बजट तैयार करने के लिए उन्हें उनके निदेशों और शर्तों की प्रतीक्षा करनी है। श्री राजीव गांधी के प्रेस वक्तव्य से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए पिछले साढ़े तीन महीने में कुछ किया गया है ? देश में मुद्रा स्फीति की दर दो अंकों में हो गई है। महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उल्लेख किया गया है। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मजबूत करने के लिए पिछले साढ़े तीन महीने कौन में कौन से कदम उठाए गए हैं ?

महोदय, आज स्थिति की गंभीरता को समझा जाए। यह सरकार इस स्थिति से कैसे निकट रही है ? उन्होंने ऐसे उग्रवादियों को बातचीत के लिए आमन्त्रित किया, जिन्होंने बातचीत के लिए यह शर्त रखी कि वह स्व-निर्णय के अधिकार पर बातचीत करना चाहते हैं। आपने उस व्यक्ति से बातचीत की, जिसने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वह खाड़ी युद्ध में संयुक्त राज्य अमरीका का समर्थन करेगा और उसने संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों में पुनः ईंधन भरने के लिए पंजाब में भेजने के लिए आमन्त्रित किया। उन्होंने कहा कि वह इराक पर संयुक्त राज्य अमरीका के आक्रमण को समर्थन में सऊदी अरब में अपनी सेनाएं भेजेगा। ऐसे व्यक्ति को बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यह नीति उग्रवादियों और आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है। गलत संकेत भेजे जा रहे हैं। वहां प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया है। प्रधान मन्त्री जो उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं और उनकी शर्तों के आधार पर उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी मांग स्वतन्त्रता और खालिस्तान है। क्या इस नीति से पंजाब की समस्या का समाधान किया जा सकता है ?

कश्मीर में क्या हो रहा है ? मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे हमारे माननीय सदस्य की पुत्री की रिहाई पर कोई प्रभाव पड़े। हमें इसके लिए बहुत दुख है। यह स्थिति की गम्भीरता दर्शाता है। हम आशा करते हैं कि वह सुरक्षित वापिस आ जाएंगी। हम सभी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वह वापिस आ जाएं। हमें अपने माननीय मित्र प्रो. सैफुद्दीन सोज के साथ सहानुभूति है।

असम में क्या हो रहा है ? श्री संतोष मोहन देव अभी बोल रहे हैं। उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करवा लिया है, फिर भी वह असम समस्या का समाधान नहीं कर पाए वहां कितनी हत्याएं हुई हैं। वहां क्या हो रहा है ? आज सेना भी वहां परेशान है क्योंकि सेना भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है।

क्या इस प्रकार की सरकार देश की गम्भीर समस्याओं का समाधान कर सकती है। जिन व्यक्तियों और राजनीतिक दल को जनता ने शासन करने के उपयुक्त नहीं पाया तथा अस्वीकार कर दिया, वही पीछे से सरकार चला रहे हैं। पिछले 40 वर्षों में कांग्रेस दल ने इस देश के आम आदमी को बर्बादी अभाव और दुख ही दुख दिए हैं। जनता के भिन्न-भिन्न वर्गों में दरार बढ़ती जा रही है। लोगों में असमानता अधिक होती जा रही है तथा आम आदमी और समाज के कमजोर वर्गों पर मार बढ़ता जा रहा है। यह कांग्रेस राज का परिणाम है। साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। अलगाववाद बढ़ रहा है। कांग्रेस शासित राज्यों में लगातार दंगे हो रहे हैं। वामपंथी दलों और

जनता दल शासित राज्यों में कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस और जनता दल (एस) शासित राज्यों में दंगे फैले हुए हैं। हरिजनों और अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों पर आक्रमण किए गए हैं।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हमारे दल के अन्य सदस्य बोलेंगे। मुझे दो बातें और कहनी हैं। मजदूरों के अधिकारों के बारे में क्या हुआ? श्री वी. पी. सिंह सरकार द्वारा इस बारे में वायदा किया गया था और वह इस बारे में कार्यवाही भी कर रहे थे। मजदूरों के अधिकारों के बारे में चर्चा हुई थी कि काम का अधिकार उनका मूलभूत अधिकार है। इस बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कुछ नहीं कहा गया। कामगारों को प्रबंधन में हिस्सेदारी, के सम्बन्ध में जिसके लिए कि इस सभा में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

मुझे खेद है कि मैं इस अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि यह उस सरकार का बनाया हुआ है जिसे कोई भी विश्वसनीयता, वैधता, समर्थन तथा लोकमत प्राप्त नहीं है। और श्री राजीव गांधी द्वारा दिया गया समर्थन भी लोकमत का उल्लंघन है। इसलिए हमारा यह परम कर्त्तव्य बन जाता है कि हम इस सरकार का विरोध करें तथा कांग्रेस द्वारा इस सरकार को सुदृढ़ बनाने के षड्यन्त्र का विरोध करें। अगर इन लोगों में राजनैतिक शालीनता, लोकतांत्रिक सिद्धान्तों में इनकी आस्था है तो उन्हें तुरन्त मध्यावधि चुनाव करवाने चाहिए, इस सदन को भंग करना चाहिए तथा लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिये उनके समक्ष जाना चाहिए।

श्री के. आर. नारायण (ओटापलम) महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति जिसमें शीत युद्ध समाप्त हो है, हमारी विदेश नीति के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं तथा नए अवसर पैदा हुए हैं। मेरे विचार में यह ठीक है कि जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उससे हमारी नीति के लिए नई चुनौतियां तथा अवसर पैदा हुए हैं। परन्तु मुझे इस अभिभाषण में ऐसा कुछ अधिक नहीं मिला जिससे कि इन चुनौतियों का सामना करने तथा इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी मिल सके।

इस सभा में और समस्त देश में इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है कि सामान्यतः सम्पूर्ण नई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भारत को ले कर समस्या तथा दुविधा में फंसी हुई है क्योंकि हमारी स्थापित गुटनिरपेक्ष तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अब संसार में असंगत हो गई है। मेरे विचार में इसी उलझाई विचारधारा के कारण वर्तमान स्थिति में हमारे प्रयास असफल रहे हैं। जब गुट समाप्त हो रहे हैं, तो यह तर्क दिया जा रहा है कि गुटनिरपेक्षता की नीति भी अर्थ-हीन हो गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कोई गुट नहीं रह गया, तो बाकी क्या रह जाता है। स्पष्टतः अब केवल गुटनिरपेक्षता ही रह गई है। संसार उसी दिशा में अग्रसर हो रहा है, जिस ओर हम तथा निर्गुट देश चलना चाहते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू गुटों तथा शीत युद्ध की समाप्ति चाहते थे। वे यह चाहते थे कि दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित करें तथा एक दूसरे के नजदीक आयें। वह एक ऐसा संसार चाहते थे जिसमें एक दूसरे का सहयोग प्राप्त हो, और अब वास्तव में ऐसा विश्व हमारे सामने अस्तित्व में आ रहा है तो भारत

मैं बहुत से लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके करने के लिए कुछ नहीं है।

4.18 म प.

[श्री बसवंत सिंह पीठासीन हुए]

मुझे यह देख कर बड़ी हैरानी होती है कि नया विश्व जो अस्तित्व में आया है वह लोगों को बड़ा अनोखा प्रतीत होता है क्योंकि ऐसे ही विश्व के निर्माण के लिए हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी चीज के बारे में सोचना तथा संसार में नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास करना एक अलग बात है तथा जब अब उस वस्तु को प्राप्त करने के समीप हों तो उस नई व्यवस्था के अन्तर्गत अपने आपको ढालना एक अलग बात है। इस गुट विहीन संसार में अपने आपको प्रभावशाली बनाने के लिए हमें नए तरीके तथा नई अवधारणाओं को अपनाना होगा। परन्तु यह पुरानी नीतियों को दोहरा कर नहीं हो सकता क्योंकि गुटनिरपेक्षता की मूल नीति ही अर्थहीन हो गई है। मेरे विचार में अगर हम इस स्थिति को समझ ले तो हमें अपनी स्थिति को सुधारने में सहायता मिल सकती है तथा हम विश्व स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि सभी प्रयत्नों के बराबर खाड़ी में युद्ध की स्थिति से वह बड़े चिन्तित हैं। मैं यह कह सकना चाहूंगा कि सभी प्रयत्न नहीं किए गए। खाड़ी युद्ध को टालने के लिए हमने सभी आवश्यक तथा संभव प्रयत्न नहीं किए जो यह संस्था कर सकती थी। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों ने भी संसार को संगठित करने के लिए सभी संभव प्रयत्न नहीं किए और न ही अरब देशों ने पर्याप्त कदम उठाए। हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि यह जो गम्भीर खतरा संसार के सामने है; उसका सामना करने में संसार अपने आपको इस हताश स्थिति में क्यों महसूस कर रहा है। महोदय, मेरे विचार में इसके एक या दो कारण हैं। एक कारण यह है कि जो खाड़ी में हुआ वह दो अरब तथा ईस्लामिक देशों का आपसी झगड़ा है तथा यह एक आक्रमण है। जब तक हम इस तथ्य को अच्छी प्रकार समझ नहीं लेते तथा स्थिति को बदलने के लिए ईराक को वहां से हटने के लिए राजी नहीं कर लेते; हमारे लिए अपना प्रभाव स्थापित करना असंभव होगा। हम यह जानते हैं कि हर कोई प्रयत्न कर रहा था परन्तु राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का रवैया काफी हठपूर्ण रहा, परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि अगर भारत तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ से मिल कर ईराक को सहमत कराने का प्रयत्न किया होता तथा उस पर पर्याप्त दबाव डाला होता, तो शायद आज स्थिति कुछ भिन्न होती। परन्तु वास्तविकता यह है कि हम सभी ने तथा सारे विश्व ने कोरे वक्तव्य दिए तथा ईराक को मनाने तथा उस पर दबाव डालने का प्रयत्न नहीं किया।

महोदय, इसी कारण हम अपने आपको बड़ा अप्रभावशाली स्थिति में पा रहे हैं। परन्तु जैसे-जैसे समय बीता, युद्ध की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आया। कुवैत को स्वतन्त्र करवाने के लिए किए जा रहे युद्ध ने ईराक पर काबू पाने, ईराक को नष्ट करने, सद्दाम हुसैन को सत्ताच्युत करने तथा

खाड़ी में प्रभुत्व स्थापित करने वाले युद्ध का रूप धारण कर लिया। एक गुटनिरपेक्ष तथा उपनिवेश वाद विरोधी देश के रूप में भारत का यह उत्तरदायित्व था कि वह अपनी वास्तविक स्थिति को त्यागे बिना कि कुवैत पर ईराक का कब्जा समाप्त हो; एक नया दृष्टिकोण अपनाता। अब, जब कि कुवैत पर कब्जा समाप्त हो गया है तथा ईराक ने वास्तव में आत्म-समर्पण कर दिया है संयुक्त सेनाएं अभी भी ईराक में बनी हुई हैं, औपचारिक युद्धविराम भी नहीं हो पाया है; ऐसा कोई पक्का आश्वासन भी नहीं दिया गया है कि संयुक्त सेनायें ईराक से हट जायेंगी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी युद्ध-विराम की कोई घोषणा नहीं की है। यह स्थिति काफी खतरनाक है, केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए तथा समस्त विश्व के लिए क्योंकि इसके द्वारा बड़ी शक्तियों द्वारा मिल कर एक ऐसे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने का मामला उभर कर सामने आया है; जो कि हमारे बिल्कुल नजदीक है तथा हमारी सुरक्षा और विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैंने आशा पिछले दिनों ही पढ़ा था तथा मुझे विश्वास है कि और कई माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा कि अमरीकी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर तथा सुप्रीम कमांडर ने एक साक्षात्कार में पिछले दिनों 'नाटो' की भावी भूमिका के बारे में विचार व्यक्त किए हैं। उनका नाम जनरल जॉन आर गेलॉन है। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या नाटो सैनिक संकट का सामना मध्य यूरोप के बाहर भी करेगा ?" उनका उत्तर था:

> "नाटो नेताओं ने यह कहा है कि इस क्षेत्र के बाहर कार्यवाही के बारे में बाद में विचार किया जायेगा।"

उन्होंने आगे कहा:

> "हमें एक ऐसी युद्ध नीति तैयार करनी चाहिए जो केवल रक्षा तक ही सीमित न हो, परन्तु संकट के समाधान पर भी बल दे। अर्थात संकट की घड़ी में हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठेंगे परन्तु हम ऐसी सैनिक कार्यवाही करेंगे जिससे कि संकट-ग्रस्त क्षेत्र में स्थायित्व स्थापित हो सके।"

इससे तात्पर्य है कि 'नाटो' का यह कहना है कि 'नाटो' की भविष्य की भूमिका अपने निर्धारित क्षेत्र के बाहर विश्व के अन्य भागों में संकटों से जूझने की होनी चाहिये। इस रुख से विश्व को और हमें काफी खतरा है। यह सब मुख्यतः ऐसे समय में हो रहा है, जबकि वारसा संधि ने अपना सैन्य गठबन्धन खत्म करने का निर्णय लिया है और कहा है कि इसके राजनैतिक गठबन्धन को एक वर्ष में खत्म कर दिए जायेंगे। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षता में एक बड़ी सैन्य संधि में कहा गया है कि वे विश्व के अन्य हिस्सों में हस्तक्षेप करने, प्रभाव डालने और और संकट में निपटने के लिए 'नाटो' का इस्तेमाल करना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि जब तक भारत जैसा देश विश्व की इस नई उभरती स्थिति को नहीं समझता है तब तक हम अपनी विदेश नीति में कई गलतियां करते रहेंगे, जैसे कि हमने खाड़ी युद्ध के दौरान अमरीका को विमान ठहराने और ईंधन की सुविधा देने की गलतियां की। इससे हमारी इस प्रकार के विवादों से और इस नए प्रकार के उभरते विश्व को ठीक-ठीक समझने की क्षमता का पता चलता है। मैं नहीं समझता कि भले ही 'नाटो' और कुछ पश्चिमी शक्तियां यह सब करना चाहें, खाड़ी में प्रभाव डालना चाहें, उनसे यह सब हो सकेगा। वे विश्व की घटनाओं को मात्र सरसरी तौर पर देख रहे हैं।

1960 के आस-पास 'नाटो' में काफी चर्चा में हुई थी, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में और इन चर्चाओं का मूल विषय अमरीकी सर्वशक्ति मत्ता के भ्रम पर केन्द्रित था। उस समय भी कुछ ऐसे समझदार लोग थे, जो अमरीका को सचेत कर रहे थे कि उसे यह नहीं समझना चाहिए कि वह विश्व पर नियंत्रण पा सकता है। यदि 1960 में ऐसी स्थिति थी तो मैं समझता हूं कि 1990 के आसपास संयुक्त राज्य अमरीका या 'नाटो' को विश्व पर नियन्त्रण पा लेना और भी कठिन हो रहा है। परन्तु लगता है कि भारत के हम लोग और विश्व के इस हिस्से में कई अन्य देशों के लोग अमरीका प्रभुत्व से सम्मोहित हो गए हैं और यह नहीं लगता है कि कुछ हद तक वे इससे स्तम्भित हो गए हैं, जिसे अब हमारे समाचार पत्र आए दिन उछाल रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि अमरीका या यूरोप के लिए खाड़ी पर नियंत्रण पाना सम्भव नहीं है। बहुत जल्दी उनका वहां वास्तविक स्थिति से सामना होगा। यह लाजमी है कि परिवर्तन होंगे, यहां तक कि जो देश उनका समर्थन कर रहे हैं उनमें भी राजनैतिक परिवर्तन होंगे और शेष विश्व के दृष्टिकोण में भी बदलाव आयेगा। दुर्भाग्य से इस संकट में अब क्योंकि इराक युद्ध लड़ रहा था तो कोई भी इसे सीधे-सीधे क्या कहना, यही कि एक पड़ोसी दूसरे अरब देश-देश दूसरे इस्लामिक देश पर विजय पा लेने के लिए औचित्यहीन युद्ध कर रहा है। लेकिन बावजूद उन्हें विश्व में वह समर्थन नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका के लोगों से भी इस दलील पर समर्थन नहीं मिला कि युद्ध एक ऐसे प्रयोजन से शुरू किया गया जो कि बिल्कुल न्यायोचित है। अतः यदि इस क्षेत्र में प्रभुत्व जमाने की एक और कोशिश हुई। तो अरब देशों के लोग, हमारे अपने देश के लोग और मैं समझता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका में भी लोग बहुत भिन्न रूप से पेश आयेंगे, क्योंकि वे खुले आम और अनुचित तरीके से इस क्षेत्र में नयी उपनिवेशिक व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। इसी समय यही पर हमें स्पष्ट रूप से और निर्भीक होकर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री ए. के. राय (धनबाद) : कांग्रेस पार्टी की खाड़ी नीति में अमरीकी भूमिका के बारे में क्या विचार हैं—क्या अमरीका मुक्ति दिलाने वाले के रूप में कार्य कर रहा है या नये उपनिवेशक के रूप में क्या आप स्पष्ट करेंगे ?

श्री आर. के. नारायणन : मैं स्थिति का विश्लेषण कर रहा हूं। वहां एक ही स्वतन्त्र कराने वाला पहलू है जिसके तहत कुवैत को स्वतन्त्र करना है। दूसरी बात जो मैंने कही थी कि यहां जैसे ही युद्ध में तेजी आई है यह एक भिन्न युद्ध होता गया, ऐसा युद्ध जिसमें इराक को वश में करने की बात सामने आयी है और यह एक ऐसे युद्ध में परिवर्तित हो गया है जिसमें तेल संसाधनों पर कब्जा करना और इस क्षेत्र में प्रभुत्व हासिल करने वाली बात है। निःसन्देह इस प्रकार के हाल के हालातों पर हमारा क्या रवैया होगा और न केवल हमारे दल का बल्कि सारे देश का रवैया क्या होगा, यह देखना है।

श्री ए. के. राय : क्या आप विश्व में अमरीकियों का प्रभुत्व चाहते हैं?

श्री आर. के. नारायणन : मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि अमरीकी ऐसा नहीं कर पायेंगे। विश्व में अब ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो विश्व को अपने हिसाब से चलाये। शक्ति का जो बिखराव विश्व में इस समय हुआ है उसे कुछ हद तक खाड़ी की इस दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पाट दिया है। परन्तु इस जोखिम पूर्ण युद्ध में जिसकी पहल राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने की थी, उपशमन होना लाजमी है। शक्ति के फैलाव के लिए सामान्य कशमकश का होना लाजमी

है। इस नए विश्व में जैसा कि आज उभर कर यह सामने आ रहा है, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, जापान, चीन और यदि मैं कहूं कि हम अगर अपने मामलों को उचित ढंग से निपटाते, तो भारत भी विश्व में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरता। यह विश्व एक शक्ति के प्रभुत्व वाला, निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमरीका के प्रभुत्व वाला नहीं होगा।

यदि हम स्वयं को संगठित करें तो ही हमारे लिए इस उभरते नए विश्व से निपटना संभव होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा लेकिन आड़ी स्थिति से संबद्ध हमारे सारे प्रयास वास्तव में आम दिनों की तरह के कार्य हैं। हमारे देश के मन्त्री, उपमन्त्री, सचिव संसार भर में भेजे गए, वे कई लोगों से मिले, लेकिन उनके पास न कोई योजना थी, नहीं कोई युक्ति थी। वस्तुत. हम अपनी विदेश सेवा का और प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल कर सकते थे।

डा. विपलव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : श्री राजीव गांधी मास्को क्यों जाना चाहते थे संयुक्त राज्य अमेरीका क्यों नहीं ? मास्को पहले ही शान्ति प्रयास कर चुका था। वह युद्ध रोकने के लिए अमरीका क्यों नहीं गए ?

श्री के आर. नारायणन : मास्को दौरे के बारे में कहने से पहले मैं एक बात कहूंगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी घटना आधुनिक इतिहास में घटी है वह यह है कि सोवियत रूस जो कि स्वयं एक बड़ी महा शक्ति है, एक शान्ति बल के रूप में कार्य कर रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि यदि हमने मास्को के साथ मिलकर प्रयास किया होता ईरान के साथ मिलकर किया होता या कुछ अन्य चुनिंदा गुट निरपेक्ष देशों के साथ मिलकर पूरे जोर-शोर से इस युद्ध को टालने के लिए पहले से कार्य किया तो हम इस स्थिति से पार पा लेते। जहां तक इस सम्बन्ध में श्री राजीव गांधी की मास्को यात्रा की बात है उन्होंने मास्को को एक शान्ति लाने वाली शक्ति के रूप में उभरते देखा है। वस्तुतः इसने कुछ ऐसी ही भूमिका अदा की है।

डा. विपलव दास गुप्त : क्या उनके दौरे के लिए यह समय उचित था ?

सभापति महोदय : मैं बाद में इसे पूर्वोदाहरण बनने के वास्ते इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया उन व्यवधानों का उत्तर देने की कोशिश नहीं करें। आप कृपया जारी रखें।

श्री आर. के. नारायणन : मुझे प्रसन्नता होती यदि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने कोई व्यक्ति मोस्को भेजा होता। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह परम्परा रही है कि वह कहीं भी चल रहे संघर्ष से अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है। जवाहर लाल नेहरू स्वयं रिपब्लिकन युद्ध के दौरान स्पेन गए थे हम उस समय स्वतन्त्र भी नहीं थे। जवाहर लाल नेहरू ने जापान युद्ध के दौरान जब लड़ाई छिड़ी तो चीन में एक चिकित्सा दल भेजा था। मैं समझता हूं इसी परम्परा के तहत यह दौरा इस विश्व में हो रहे शांति प्रयासों के प्रति शान्ति लाने में लगी ताकतों को अपनी चिन्ता, अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए था।

मैं समझता हूं कि शायद इसका असर हुआ है। इस दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध में भारत में से किसी

ने बहुत ही सक्रिय भूमिका अदा की है। इस पर किसी के भी प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस बारे में एक परम्परा है। स्पेन गृह युद्ध के दौरान, श्री जवाहर लाल नेहरू ने स्वयं स्पेन में मोरचों का दौरा किया किया था और चीन जापान युद्ध के दौरान उन्होंने चीन में चिकित्सा-दल भेजे थे।

मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं। हालांकि यह एक बड़ा कठिन स्थिति है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रयास और अधिक तेजी से होने चाहिए ताकि न केवल सुरक्षा परिषद् बल्कि सारे संयुक्त राष्ट्र संघ को इस क्षेत्र के प्रभावी विकास के लिए एक केन्द्रीय स्थिति में रखा जा सके। शांति मात्र बहुराष्ट्रीय सेनाओं के भरोसे ही नहीं छोड़ी जा सकती। खाड़ी क्षेत्र में शांति और नई व्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र और उस क्षेत्र के देशों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को ही भूमिका अदा करनी है। हमें इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्योंकि जैसे हम युद्ध से पूर्व असर नहीं डाल सके, वैसे ही युद्ध के बाद भी हम शायद प्रभावी न रहे। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां जो नई शांति व्यवस्था पैदा हो रही है, वह ऐसी हो जैसी हम चाहते हैं और जिसमें हम प्रभावी भूमिका निभा सकें, क्योंकि न तो संयुक्त राष्ट्र संघ और न ही यूरोपीय शक्तियां खाड़ी में व्यवस्था पैदा कर सकेंगी यह हमारे हित में है कि सभी सम्बन्धित पक्षों के प्रयास से इस प्रकार की व्यवस्था कायम हो।

मैं खाड़ी युद्ध से संबंधित एक या दो बातें कहना चाहता हूं। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में रक्षा में विकास, विशेषकर हमारे देश में जो मिसाइल का विकास हुआ है, उसका उल्लेख किया है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे विचार से खाड़ी युद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

मिसाइल प्रौद्योगिकी और मिसाइल निरोधक प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण रूप से सामने आई है। अगर हम इससे कोई सबक नहीं सीखते, तो हम इस बारे में जो विकास करते रहे है, त्रिशूल, आकाश, अग्नि आदि मिसाइलों का एवं इनमें और बेहतर ढंग से विकास नहीं करते तो हमें भविष्य में गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। खाड़ी युद्ध से हमें यह सबक सीखना है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें 'जीएटीटी' व्यापार सम्बन्ध निवेश मामलों ग्रीन हाउस प्रभाव आदि के बारे में बहुत कम कहा गया ये पहले ही विशेष राष्ट्रों के भाग्य को प्रभावित करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मामले बन गए हैं इन समस्याओं की तरफ इस अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। आज की राजनीतिक गतिविधियों से, ये बातें काफी सम्बन्ध हैं। हम जानते हैं कि 'उरुगे राउन्ड' या व्यापार सम्बद्ध निवेश आदि मामलों के बारे में सम्मेलन हुए हैं। विकसित देशों ने जो रवैया अपनाया है, वह कुछ हद तक भारत जैसे विकसित देशों के हितों के प्रतिकूल है मैं समझता हूं कि निर्गुट देशों के महत्व को इन देशों को समझना चाहिए, इसका अपना महत्व है, लेकिन मुद्दे बदल गए हैं। नए मुद्दे आए है। विकसित देशों द्वारा उत्तर दक्षिण संबंध दक्षिण-दक्षिण सहयोग, 'गलोबल', वानिग पर्यावरणीय व्यवस्था सेवाओं में व्यापार आदि नए समझौतों का प्रयोग किया जा रहा है। तीसरी दुनिया के देशों पर इन नव साम्राज्यवादी देशों द्वारा दबाव डाला जा रहा रहा है। हमें होशियार रहना है। यदि

निर्गुट देश आपस में संगठित नहीं होंगे, सहयोग नहीं करेंगे और तीसरी दुनियां के देशों को इन बड़े राष्ट्रों के दबाव का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं करेंगे तो, हमारी भूमिका अधिक नहीं रहेगी। कुछ पुराने मुद्दे अभी भी हैं। शीत-युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। नाटो प्रधान के कथन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन यदि आप इसे रोकना चाहते हैं तो हमें विश्व की शांति शक्तियों जैसे सोवियत संघ और चीन और निर्गुट आन्दोलन के साथ कार्य करना होगा। इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि विकासशील देशों और निर्गुट देशों के हितों की रक्षा की जा सके, और अमरीका को अपना प्रभुत्व जमाने से और इसी प्रकार की अन्य बातों को, जिनकी आजकल कोशिश की जा रही है को रोका जा सके।

सभापति महोदय : बड़े दलों को अवसर देने से पूर्व मैं, वक्ताओं के पहले दौर को समाप्त करना चाहूंगा अब श्री योगेन्द्र झा अपना भाषण देंगे।

श्री योगेन्द्र झा : सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण का हम लोगों ने बहिष्कार किया था। जिस तरह की घटनायें घटी, तमिलनाडु में राज्यपाल की अनुशंसा के बगैर वहां की सरकार की बर्खास्तगी, विधान सभा को भंग करना और जिस तरह के कुछ अन्य कदम इस सरकार ने उठाये उसको देखते हुए बहिष्कार करना हमारे लिए सबसे शांतिपूर्ण और कारगर तरीका था, जो हमने किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में हल्ला-हंगामा कई बार हुआ है, लेकिन हम सभी वामपंथी दलों ने राष्ट्रीय मोर्चा ने मिलकर शांतिपूर्ण बहिष्कार किया और जो सरकार की नीति है उसी के खिलाफ वह बहिष्कार था। जो कि राष्ट्रपति के मुख से उसने कहलाया। राष्ट्रीय एकता के सवाल को राष्ट्रपति ने रखा है, उसके न कारण को रखा है और न ही समाधान को रखा है। आज देश के एक बड़े हिस्से में राष्ट्रपति का शासन है। कश्मीर में पिछले साल हमारे मित्र जनता दल की सरकार ने जगमोहन को भेजकर फारुख अब्दुल्ला को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और अनावश्यक तरीके से वहां की विधान सभा को भंग की और वह फार्मूला बढ़ते-बढ़ते वर्तमान सरकार ने असम की विधान सभा को भंग किया, तमिलनाडु में भी विधान सभा को भंग कर दिया, अभी अखबारों में आता है कि बिहार की सरकार को भी राजीव गांधी ने बर्खास्त करने की मांग की है। मैं आपके जरिये यह चेतावनी देना चाहता हूं कि एक गलती, दो गलती और तीन गलतियां लोग बर्दाश्त कर लें, इस मतलब यह नहीं है कि गलतियां करने का मौलिक अधिकार इस सरकार को मिल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति शासन के नाम पर जनतंत्र के मूल्यों पर चोट करते चले जायें और अगर बिहार की विधान सभा भंग की जायेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। केवल सदन में ही विरोध नहीं होगा, बल्कि बाहर भी हमें इसका विरोध करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बिहार की सरकार से गलतियां नहीं हो रही हैं, गलतियां हो रही हैं, लेकिन यह बर्खास्तगी इसका इलाज नहीं है। जनतंत्र में जनतांत्रिक प्रणाली में लोगों को सबक लेने का मौका मिलता है और जिनको विरोध करने का अधिकार है उन्हें विरोध करना चाहिए। मगर राष्ट्रीय एकता का जिक्र करके सरकारिया आयोग जिसकी स्थापना हुई, उसका प्रतिवेदन आ गया, उसके बारे में राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरी तरह चुप है। क्या वर्तमान सरकार का, जो देश में फूटवादी शक्तियां बढ़ रही हैं या प्रयास कर रही हैं, उसके लिए सरकारिया आयोग का कोई संबंध नहीं है। राज्यों को विशेष अधिकार मिलें या न मिलें, यह सरकार बोले ताकि देश इस पर बहस कर सके। यह आयोग अभी भी पिटारे में बंद है और उस का कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि जवाब देते वक्त कम से कम सरकार

की ओर से उस पर सरकार के रुख को स्पष्ट किया जाये और देश के सामने रखा जाये ताकि जो फूटवादी शक्तियां मौजूद हैं, खासकर पंजाब में, असम में और कश्मीर में हैं उनमें जो ईमानदारी से भटके हुए हैं, उन लोगों को एक सहारा मिले। यहां भारतीय संघीय गणतंत्र में हमारे लिए ज्यादा अधिकार की संभावना है और उसकी गुंजाइश है। इससे भी हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में बल मिलेगा। जहां तक राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए यह जरूर है कि जहां हत्याकांड हुए हैं या हो रहे हैं और हमारे मित्र प्रो. सैफुद्दीन सोज यहां मौजूद नहीं है, उनकी पुत्री का अपहरण हुआ है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मैं पुत्री वाला नहीं हूं, उस दर्द को शायद नहीं समझूं लेकिन इस सदन के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत मायने में दर्द गहरा होगा। चूंकि हम एक साथ बैठे रहे हैं, वे यहां अभी नहीं है, इसलिए हर उपाय उसकी मुक्ति का होना चाहिए। मैं एक बात का सबक जरूर रखना चाहूंगा। पिछले साल जैसी गलती नहीं होनी चाहिए। जब अपने गृह मंत्री को केवल प्रिय पुत्री का प्रिय पिता बनाकर रख दिया गृह मंत्री के रूप में नहीं रखा। मैं उनकी व्यक्तिगत गलती नहीं कह रहा हूं लेकिन वह एक ऐसी गलती हुई जिससे कश्मीर की समस्या को सुलझाने में और एक बाधा का काम किया। वैसी गलती भी नहीं होनी चाहिए।

सभापति जी, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और उस आवश्यकता की तरफ जो भी हमारे मुद्दे रहे हैं, उस पर भी राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरी तरह चुप है। अगर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय की तरफ कदम नहीं आगे बढ़ाया गया, अगर आर्थिक न्याय की तरफ कदम नहीं बढ़ाया गया, अगर समाज में दबे हुए लोगों के उत्थान के लिए कदम नहीं बढ़ाया गया तो चाहकर भी हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत नहीं बना सकते हैं। इसी प्रसंग में साम्प्रदायिकता का सवाल आता है। साम्प्रदायिकता का सवाल पिछले कुछ वर्षों से हमें ज्यादा तबाह किये हुए हैं।

सभापति जी इस सदन का जब गठन हुआ, जिस स्थिति में हुआ कि सरकार बहुमत बनाने लायक नहीं हो सकी, बहुमत के आधार पर सरकार नहीं बना सकी। जो हम लोगों ने समर्थन किया पिछले चुनाव में यह मस्जिद तोड़ने के नाम पर, राम शिला के आधार पर। शिला का मायना पत्थर होता है लेकिन ढोया गया ईंटों को। तो ईंटों को लेकर मस्जिद तोड़कर मन्दिर बनाने के नाम पर वह चुनाव लड़ा गया हम कम्युनिस्टों ने, हम सभी वामपंथियों ने इस तत्व के साथ खासकर बी. जे. पी. के साथ नहीं करने का तय किया। इसलिए नहीं कि उसमें खराब लोग हैं, इसलिए कि उस नीति को जिसे हम समझते हैं कि खतरा होगा और उसका हश्र बुरा होगा। हमारे जनता दल के मित्र राष्ट्रीय मोर्चे के मित्र उस समय चुनाव में गए। हमें भी ज्यादा स्थान मिल सकते थे लेकिन हमने समझा दो पैर पर नाव नहीं चल सकेगी, वह नाव चल सकती है तालाब में। नदी के जाने पर वह नाव नहीं चलेगी। खुशी है कि राष्ट्रीय मोर्चे ने एक को चुना और आगे भी हम समझते हैं कि हमारे मित्र राष्ट्रीय मोर्चे के लोग सबक लेंगे। फिर साम्प्रदायवाद के साथ मिल-कर तब हम चलेंगे कि गैर साम्प्रदायिक रूप से देश को चलाये नहीं तो हमारे लिए चलना कठिन हो जायेगा तथा उस सबक के बीच में जो स्थिति हमारे देश में मौजूद है, उसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि साम्प्रदायिकवादी आधार पर राजनीति को न चलाया जाये और साम्प्रदायिकवादी जो शक्तियां है, मजहब के नाम पर जो हैं, अपने मजहब के मामलों में पूरा अधिकार है। मगर राजनीति के रूप में उन्हें लेकर आने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। वह चाहे छोटे साम्प्रदायिकवादी दल हों, बड़े साम्प्रदायिकवादी दल हों, एक का असर दूसरे पर पड़ता है, एक का असर दूसरे जन-मानस

पर पड़ता है और उससे नुकसान होता है और अभी भी हो रहा है। उसी प्रसंग में जो हिंसा का दौर रहा है, मैं चाहूंगा कि उसी हिंसा के चलते ही उत्तर प्रदेश में दंगों की भरमार रही है। बिहार में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं लेकिन हत्याकांड कुछ हो रहे हैं। अभी तिसखोरा में जो 15 व्यक्ति मार दिये गये, वह हत्याकांड जो बड़े भू-स्वामी हैं। वह गरीबों को उठने नहीं दे रहे हैं। जो गरीबों के नाम पर कुछ लोग उठ रहे हैं वह भी हिंसा का जवाब हिंसा से दे रहे हैं हिंसा-प्रति-हिंसा के दौर में हैं। यह हमारी जो कमजोरी आप कह सकते हैं लेकिन यह मध्य बिहार का इलाका है जिसमें नृशंस हत्याकांड हुए। उत्तर प्रदेश में और वहां बिहार में, मुझे खुशी है कि गृह राज्य मंत्री गए, अभी राजीव गांधी गए, लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में बहुत ही नजदीक में पुलिस द्वारा 13 निर्दोष हरिजन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। वहां अभी तक राजीव गांधी नहीं जा सके और भारत सरकार के कोई मंत्री नहीं गए है। हमारे मिश्र जी भी उत्तर प्रदेश के ही मंत्री हैं, इनको भी समय नहीं मिला। (व्यवधान) इससे होता क्या है कि जो इन हत्याकांडों का इस्तेमाल राजनीतिक दृष्टि से करना चाहते हैं, हत्याकांड के खिलाफ अपना रुख नहीं रखते हैं, इसलिए शासक दल और उनके समर्थक दल दोनों के लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा करने से आप बुरा चित्र देश के सामने रखते हैं जैसे हिंसा खराब नहीं है और हिंसा का दुरुपयोग कैसे किया जाय, वही आप सोचते हैं। अभी हाल ही में मैं डोकारो से आ रहा हूं। डोकारो केन्द्रीय क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। वहां मजदूरों के नेता और खुद एक कर्मचारी रामेश्वर गिरि की हत्या कर दी गई है जो ट्रेड यूनियन के नेता थे और हत्या की गई बंदूक की गोली चलाकर। हत्या करने वाले अभी दो गिरफ्तार हैं मगर वहां के जो प्राइवेट ठेकेदार हैं, उनमें कुछ हत्यारों का गिरोह भी शामिल हो गया है। मुझे खतरा है और मैंने वहां के महाप्रबंधक को भी मिलकर कहा कि अगर यह खतरा बढ़ा तो जैसे उत्तर बिहार के कुछ गांवों में होता है कि पिस्तौल लेकर निविदा को स्वीकृति कराने हैं और पिस्तौल लेकर काम कराने की प्रवृत्ति डोकारो में शुरू हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को ठेका दिया गया है जिनकी ताकत ही पिस्तौल है और उन्होंने ही यह कांड किया है। भारत सरकार कड़ी कार्यवाही करे अगर कुछ कर्मचारी भी प्राइवेट ठेकेदारों को रुपया देकर ऐसा काम कराने हैं। डोकारो में मुझे डर है कहीं हिंसा के बदले में हिंसा होने लगेगा तो हमारी आप की संभाल के बाहर हो जाएगी, लेकिन अभी वह स्थिति नहीं है। अभी उस पर तुरन्त कड़ी कार्यवाही करके उसे रोका जा सकता है खतरा इसलिए है कि हमारे प्रधान मंत्री अभी तुरन्त गए थे धनबाद, और वह जहां पर टिके थे उसके चलते बड़ी भयंकर हालत हो गई है। (व्यवधान) जो नहीं है मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। जहां प्रधान मंत्री गए थे जिन्होंने गैर-कानूनी तरीके से सरकारी जमीन को हड़पा था जिसको वहां के सरकारी अधिकारी मुक्त करा चुके थे और प्रधान मंत्री के जाने के बाद उन्होंने वहां भोजन किया है, अतिथि बने हैं। उस के बाद सरकारी अधिकारी पस्त हो गए हैं और जो सिनेमाघर है जो कोयला खदान है, उस की जमीन थी उसको भी दे दिया गया है और उस इलाके में ही हत्याकांड हुआ है। इससे यह स्थिति नहीं है कि प्रधान मंत्री व्यक्तिगत रूप में जाएं। प्रधान मंत्री की बात छोड़ दीजिए। अगर मेरे जैसे सांसद लोग ही क्रिमिनल के यहां रिश्तेदारी करने जाएं तो उसका असर कहीं प्रशासन पर, कहीं थाना पर, कहीं सरकारी अधिकारी पर पड़ता ही है। आप कहें या न कहें। इसलिए उनको प्रधान मंत्री की हैसियत से सोचना पड़ेगा, मंत्री की हैसियत से या किसी सांसद की हैसियत से हमें कहा जाए या न कहा जाए। इसलिए एक हिंसा की बढ़ती का खतरा बिहार में जिस इलाके में नहीं था वहां भी यह शुरू हो गया है।

सभापति जी, खाड़ी युद्ध का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हुआ है और जो मैंने पिछले दिन कहा था कि तेल देने का जो अधिकार दिया गया वह भारत सरकार का एक सबसे बड़ा पाप था हमारी नीति के खिलाफ, हमारे वर्तमान और भविष्य के हित के खिलाफ वह एक कदम उठा था और खुशी है कि व्यापक विरोध के बाद उसका अन्त हुआ, लेकिन हमारे आकाश से होकर अमरीकी युद्ध विमानों का आना जाना अभी तक चालू है। इस सरकार का कथन है कि वी. पी. सिंह ने किया। (व्यवधान) उन्होंने किया तब यह पाप हुआ।

श्री कल्पनाथ राय : उन्होंने ऐक्सेप्ट किया है। (व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं कह रहा हूँ ताकि उस सरकार ने किया है। मैं जानता हूँ कि उस सरकार ने किया इसलिए गोलमाल से काम नहीं चलने वाला है। किया और 29 सितम्बर को किया। अभी हमारे विदेश मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के सामने भी नहीं रखा गया और परामर्शदात्री समिति तक में सूचना नहीं दी गई। यह सरकार उसको अब भी उसको रद्द क्यों नहीं करती है। अभी युद्ध की स्थिति समाप्त नहीं हुई है, विधिवत् घोषणा नहीं हुई है अभी तक, इसलिए जब तक वहां शांति न हो, क्यों कोई भी अमेरिकी युद्ध विमान हमारे आसमान से होकर जाये, क्या हमने आसमान का ब्लैंक रख दिया है। मैं समाधान जी से आग्रह करूंगा कि जवाब देते समय आप स्पष्ट करें, साफ-साफ ऐलान करें कि अब कोई भी अमेरिकी युद्ध विमान भारत के आसमान से होकर नहीं गुजरेगा। इसी प्रसंग में, पुरानी बातों में, मैं यहां नहीं जा रहा हूं, लेकिन अभी भी आर्थिक घेरा इराक पर है। वहां जो लोग मर रहे हैं, जो कुछ बी. बी. सी. ने प्रकाशित किया है कि लाखों की संख्या में लोग मरे हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं, बिना लड़ने वाले लोग मरे हैं, जहां फौज के लोग मरे हैं, वहीं वे लोग भी मरे हैं जो युद्ध में शामिल नहीं थे या जो हथियार डाल चुके थे, वे भी मारे गए ऐसी स्थिति में दवायें भी वहां नहीं जा सकती। अभी मुझ से पहले बोलने वाले कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने कहा, उसका मैं स्वागत करता हूँ कि जब हम गुलाम थे तो जवाहर लाल नेहरू जी स्पेन में गणतंत्र के लिये लड़ने वालों को सलामी देने गये थे, भारत से एक जत्था भी गया था, चीन में भी डा. कोटनीस गये थे, जो वहीं शहीद भी हो गए। आज भी वैसी ही स्थिति है कि हम युद्ध के लिए नहीं, मगर राहत देने के लिये कुछ करें। अनाज और दवाइयों को लेकर भारत का एक जहाज इराक और कुवैत दोनों जगह जाये। कुवैत में हम रोके नहीं जायेंगे लेकिन सम्भव है कि इराक में हम रोके जायें। हम युद्ध के लिये नहीं, बल्कि मानवता के नाते वहां जायें। मैं आग्रह करता हूं कि सरकार खुद इस दिशा में पहल करे। यदि सरकार पहल न करे तो छूट दे ताकि गैर सरकारी संस्थाएं जा सकें और मैं समझता हूं कि कई सांसद भी तैयार हो जायेंगे। सभापति जी, इस काम के लिए मैं अपने आप को रख रहा हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। युद्ध के लिए नहीं, मगर वहां भूख से जो लोग मर रहे हैं, दवाओं के बगैर मर रहे हैं और अभी भी इराक पर आर्थिक घेरा है जिसमें वे बाहर से कोई दवा नहीं आने देंगे, जब कि युद्ध बंद हो गया है।

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है।

श्री भोगेन्द्र झा : तभी मैंने कहा कि या तो सरकार खुद पहल करे या ऐलान करे कि देश में अगर गैर सरकारी संस्था कोई मदद इस काम में करना चाहे तो उसे छूट दी जाये। हम लोग वहां गिरफ्तार होंगे या जो कुछ होगा, उस का सामना किया जायेगा, उसके लिए मैं फिर भारत सरकार

से आग्रह करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से, एक सांसद की हैसियत से, मैं वहां जाने को तैयार हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे बहुत से मित्र भी इस काम के लिए तैयार हो जायेंगे। अपनी गरिमा को सामने रखते हुए, शांति दूत के रूप में, केवल मानवीय सवालों को लेकर हम वहां राहत पहुंचायें युद्ध में किसी एक पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं। इसीलिए मैंने कुवैत और इराक दोनों का नाम लिया है। उसमें चुप रहने वाली बात नहीं होनी चाहिए।

4.57 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में औद्योगिक नीति का जिक्र भी किया गया है मगर यह विडम्बना है कि पिछले साल जब तत्कालीन सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, सभी कम्युनिस्टों ने, समस्त वामपंथी साथियों ने उसकी निन्दा की थी कि वह औद्योगिक नीति, जिसकी घोषणा वी. पी. सिंह सरकार ने की थी, भारत के हितों के खिलाफ थी। खुशी की बात है कि चन्द्र शेखर जी भी उस जनता दल के एक नेता थे, सरकारी दल के एक सदस्य थे और उन्होंने भी उस नीति का विरोध किया था। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है कि क्या करेंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के भारत में आने के सम्बन्ध में भी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गयी है कि जिन क्षेत्रों में देश स्वयं उत्पादन कर रहा है या कर सकता है, जो क्षमता हम में है, उसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आने देंगे या नहीं आने स्वावलम्बी औद्योगिक नीति को आगे बढ़ायेंगे या नहीं। इस नीति को आगे बढ़ाने में, जितने देश के रुग्ण उद्योग हैं, उन्हें भी जीवित करेंगे या नहीं। जब राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री बने थे, उस समय उन्होंने कहा था कि राजकीय क्षेत्र कोई अस्पताल नहीं है कि रुग्ण उद्योगों को हम उसमें भरते जायें। यदि राजकीय क्षेत्र कोई अस्पताल नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि देश के लाखों लघु उद्योग खत्म हो जायें, उनको श्मशान घाट पहुंचा दिया जाय। इसलिए हमारी स्पष्ट नई औद्योगिक नीति होनी चाहिए कि किसे हम जिन्दा करें, किसे न करें। हमारी नीति यह होनी चाहिए कि किस को हम मरने के लिए छोड़ दें और बाकी सब को जिन्दा करने की ओर हमें बढ़ना है। इस बात पर कोई स्पष्ट नीति अभिभाषण में नहीं बतायी गयी है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि बिजली को निजी क्षेत्र में ही दिया जायेगा जबकि भारत की यह मौलिक नीति रही है 1956 से और उसी मौलिक नीति पर हम आज तक चलते आये हैं। यदि उस नीति पर चोट कर दी जाये और वह भी उस सरकार द्वारा, जो एक दल से टूट कर आया है, जो किसी दूसरे दल के सहयोग से सत्ता में आयी है, यदि वह सरकार भारत की मौलिक नीति में परिवर्तन करे तो इसका अधिकार उसको नहीं है। मैं चाहूंगा कि जवाब देते समय इस बात का हाउस में ऐलान हो कि पहले जो नीति बनी थी, हम उसी पर चलेंगे, बिजली को हम निजी क्षेत्र को नहीं देंगे। उसका कारण यह है कि बिजली हमारे उद्योगों का मूल हिस्सा है। उस नीति में परिवर्तन करने का अधिकार सरकार को नहीं है। हमें इसको भी रोकना है।

उपाध्यक्ष जी, महंगाई एक भयंकर समस्या बन गयी है। इस अभिभाषण में इसके लिए किसी नीति का कोई उल्लेख नहीं है। महंगाई बे-रोकटोक बढ़ती रही है। आजादी के बाद से और भी ज्यादा बढ़ती रही है। कभी भी कांग्रेस सरकार ने कारगर कदम नहीं उठाया है। पिछली एक

साल में तो कोई कदम उठाया ही नहीं गया है। न कारगर और न अकारगर, कोई भी कदम उठाने की फुर्सत सरकार को नहीं मिली, बल्कि महंगाई बढ़ाने के लिए पूरी छूट दे दी है। अभी भी सरकार उसी नीति पर चल रही है। कम से कम दो-तीन बातें तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। हम राजकीय कोष से, लोक वित्तीय संस्थानों से थोक व्यापार के लिए पैसा नहीं देंगे, यह काम तो हम कर ही सकते हैं। वे काले धन से व्यापार करते हैं, करने दीजिए, काले धन से उजला धन बनाते हैं बनाने दीजिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं। हम यह नहीं कहते कि थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाये। यह बहुत बड़ा बोझा इस सरकार के लिए हो सकता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि पैसा देना बन्द न किया जाये। आप थोक व्यापार के लिए पैसा देना तो बन्द कर ही सकते हैं। अभी आपने बजट को स्थगित रखा है, लेकिन आप इस बात का ऐलान राष्ट्रपति के अभिभाषण में कर सकते हैं। इसमें बजट की स्वीकृति का सवाल नहीं है. मेरा आग्रह है कि थोक-व्यापार को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से करने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाये और कहो कि तुम थोक व्यापार अपने पैसे से करो, निजी क्षेत्र में करो। जो सरकारी पैसा है, उससे हमारे जो राजकीय कोष के व्यापारिक निगम हैं उनको पैसा दे दिया जाय, ताकि किसानों को लाभप्रद मूल्य मिले और उपभोक्ताओं को मुनासिब दामों पर चीजें मिल सकें. जनरल वितरण प्रणाली को संगठित किया जाये, कीमतों पर लगाम रखी जाये, नहीं तो करोड़ों लोग लुट रहे हैं और थोक व्यापारी बड़े व्यापारी, मुट्ठीभर व्यापारी, एक छोटा सा तबका बड़े तबके को लूटता जा रहा है और महंगाई बढ़ रही है। जब उत्पादन कम नहीं है तो फिर महंगाई के बढ़ने का कोई कारण नहीं है। पिछले साल साढ़े सात लाख टन अनाज हुआ था, जो अभूतपूर्व था। इस साल भी प्रकृति के सहयोग से मुझे विश्वास है कि उससे ज्यादा उपज होगी, फिर महंगाई क्यों ? चीनी का उत्पादन 5 लाख टन हुआ, फिर महंगाई क्यों ? सीमेंट का उत्पादन इतना हुआ था कि सीमेंट वालों ने कहा कि ग्लट आ गया, फिर महंगाई क्यों बढ़ी। यह महंगाई उत्पादन की कमी की वजह से नहीं है। यह महंगाई चोर-बाजारी को खुली छूट देकर, सरकारी पैसे से मदद कर के बढ़वाई जारी है। यह लोक हित के खिलाफ काम है, यह देश हित के खिलाफ काम है और इसके बारे में शासन पूरी तरह से चुप है।

डीजल और केरोसिन की कमी के कारण गांव में लोग हा-हाकार कर रहे हैं। पानी बगल में है, लेकिन डीजल की कमी के कारण किसान अपने पम्प इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि हमने आपूर्ति कम नहीं होने दी है, फिर भी चोर-बाजारी हो रही है। कुछ अफसर रिश्वत लेते हैं। लम्बी-लम्बी कतारें लगी हुई हैं घंटों-घंटों लोगों को खड़े रहना पड़ता है। अभी भी समय है कम से कम डीजल और केरोसीन तेल की आपूर्ति का इन्तजाम सरकार तुरन्त करे। अब तो युद्ध भी खत्म हो गया है। कम से कम खेती का नुकसान तो अब न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के घोषणापत्र के आधार पर हमने समर्थन दिया था उसमें काम और शिक्षा के मौलिक अधिकार के सवाल भी थे और उसी मजदूरों के, कारखाने में प्रबन्ध में सहभागिता का सवाल भी था। ये लोग भी उसी के हिस्सेदार थे। उस घोषणा-पत्र को प्रतिज्ञा करने वालों में से भी थे। लेकिन इस बारे में राष्ट्रपति का अभिभाषण कुछ भी नहीं कहता है। आपको इसके बारे में भी कुछ बोलना चाहिये था। क्या आप इसको बिलकुल गलत समझते हैं ? अगर नहीं, तो क्यों कुछ नहीं कहा गया ? मैं समझता हूँ कि कठिन मामला है, लेकिन सम्भव नहीं है। इसलिये हमको कदम बढ़ाने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने पहले के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को सितम्बर में पत्र लिखा, तो उनका मुझे जवाब आया कि 18 अक्तूबर को नेशनल डिवेलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई उसमें एक उपसमिति इस कार्य के लिये बना दी गई है, वह काम और शिक्षा के अधिकार के बारे में अपनी रिपोर्ट देगी। वह पत्र मुझे मिला। उस घोषणापत्र के एक साल के बाद उसका काम शुरू हुआ अब तक कुछ नहीं हो सका और कुछ होगा भी शायद नहीं। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि देश के युवक और बेरोजगार व्यक्ति बेचैन हो रहे हैं, उनके लिये कुछ भी इस अभिभाषण में नहीं है, जो होना चाहिये था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भूमि-सुधार का नाम नहीं लिया गया है। अभी पंजाब आपके हाथ में है। सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां पर अमीर, गरीब की जमीन बटाई पर ले रहे हैं। अन्य राज्यों में तो गरीब, अमीरों की जमीन बटाई पर लेते हैं। मगर पंजाब में उल्टा हिसाब है। इसलिये हद-बन्दी के नून के ऊपर बड़ा भीतरघात हो रहा है, खुले आम उस पर आघात हो रहा है। आपके हाथ में अभी पंजाब है। यदि आतंकवाद से मुकाबला करना चाहते है तो यह कारगर तरीका है कि जो बड़े अड्डे हैं, जमीन का वितरण हो, हदबन्दी बटाई और जो भूमि सुधार कानून है उसको कड़ाई से लागू करें। पंजाब, असम में भी जो राज्य या दूसरे क्षेत्र आपके अधिकार में हैं, वहां शहरी, ग्रामीण हदबन्दी को लागू करें और जो नहीं है उसके लिए दिशा-निर्देश देश के अन्य राज्यों में भी दें। उस पर भी राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरी तरह चुप है। इसमें तफ में नहीं जाना है, कानून भी है इसलिए मैं इस विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक और खतरे की बात हुई है। हमारे देश में बिजली भी चाहिए, बाढ़ और सूखा से मुक्ति भी चाहिए। इसके लिए नदियों पर नियंत्रण और उनका प्रयोग चाहिए। मगर पर्यावरण के नाम पर उसका विरोध हो रहा है। कभी टेहरी का विरोध होता है। कभी नर्मदा का विरोध होता है। हमारे बिहार में कोयलकारों को रोककर रखा गया है। अब वह जमाना नहीं है कि देश पुराने चार-पांच साल पहले की तरह जंगल बन जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि हरेक सड़क, हरेक रेल पथ, हरेक नहर के दोनों किनारों में वृक्ष लगाए जाएं, कोई भी जमीन हमारी नहीं जाएगी, सारा देश बागान बन जाएगा। फल लगा दिए जाएं तो फल में भी भारत हो जाएगा। लेकिन नदी परियोजनाओं को बन्द नहीं किया जाए, चाहे वह नर्मदा का सवाल हो, टेहरी का सवाल हो या कोयलकारो की भी परियोजनाएं हों। हमारे प्रधान मन्त्री नेपाल गए थे। मोटे तौर पर उन्होंने बात की है। सोन कोसी, कंसला, बागमती, पचेश्वर, करनाली तक पांच बड़ी नदी परियोजनाएं हैं जिससे हमारे देश में बिजली की कमी नहीं रहेगी, न नेपाल में रहेगी। नेपाल विदेश है मगर हमारा सहोदर देश है, प्रकृति ने उसको सहोदर बनाया है, इसलिये हम दोनों के हित में हैं। कुछ मुस्तैदी करके सरकार उसको फौरन लागू करवाए ताकि बाढ़, सूखा और बिजली संकट, तीनों से हम भी मुक्त होंगे और नेपाल के लिए एक अनुपम चीज हो जाएगी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, एक चीज के लिए मैंने आग्रह किया था और मैं फिर करना चाहता हूं। वित्तीय संकट का मामला है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बोला गया है। मगर पांच सितारा होटलों में हमारे मंत्री, सांसद, अधिकारी, लोक उपक्रम के अधिकारी भी ठहरना बन्द करें तो पचासी करोड़ रुपये की बचत हो जाएगी। मैंने कहा था कि दस्तखत करना, कुछ लोग कहते है कि आपका लगता है तो हमारे नाम पर क्यों खर्च होगा जब इतना बड़ा संकट है। इससे भ्रष्टाचार भी होता है। मुझे शक है कि जहां राष्ट्रीय क्षेत्र के होटल हैं उसको छोड़कर निजी क्षेत्र के होटलों में लोग ठहराए जाते हैं। सन्देह है कि भीतर से कुछ लेन-देन

भी होता होगा। ऐसी हालत में अभी भी ऐलान करें और उसको बन्द कर दें। मंत्री, सांसद शुरू करेंगे तभी आप अधिकारियों पर भी लागू कर सकेंगे। देश में जो वित्तीय स्थिति है उसमें भी आपके लिए मौका मिलेगा।

हमारे देश में शिक्षा पर बड़ा संकट आया हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो साल पहले सभी विश्वविद्यालयों को भेजा कि अपने शैक्षिक कैलेंडर तैयार करके भेजें। साल में 180 दिन पढ़ाई कम से कम जरूर हो, चार घंटे रोज प्रत्येक शिक्षक महाविद्यालय विश्वविद्यालय के जरूर पढ़ाने जाएं, समय पर परीक्षा हो, परीक्षा फल हो। बिहार जैसे राज्य में तीन-तीन साल पीछे चल रहा है। अभी तक बिहार विश्वविद्यालय ने जवाब नहीं दिया है : अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं है। मैं सारे देश के लिए कह रहा हूं। बिहार में ज्यादा पिछड़ा हाल है। इसलिए विद्यार्थियों का जो साल बरबाद हो रहा है, इस मामले में, शिक्षा के मामले में जो जिक्र किया गया है साक्षरता अभियान के लिए, इस साल को साक्षरता कराने के लिए और साक्षरता कायम करने के लिए, निरक्षरता मिटाने के लिए मातृभाषा ही एक माध्यम हो सकती है। जहां की जो मातृभाषा हो, एक पाल में हम बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं। एक अभियान के रूप में यह करना होगा जो करने की आवश्यकता है। उसके साथ मैं जोर दूंगा कि हमारी राजभाषा हम हिन्दी माने हुए हैं। हमारे देश में विविधता है और उसमें हिन्दी से पुरानी बहुत सी भाषायें शामिल हैं। सभी भाषाओं को बढ़ाते हुए आगे कदम उठायें, मगर अंग्रेजों के शासन पर हिन्दी को सवार करने की जो जो रफ्तार है, वह आपकी बहुत धीमी है। देश को जितनी भी मातृभाषायें हैं आप उन सब को आगे बढ़ायें मगर अंग्रेजों के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्थापित किया जाये। जब तक ठोस कर्तव्य के रूप में इसे नहीं लिया जाएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा।

बार-बार आठवीं अनुसूची में कुछ भाषाओं को जोड़ने के लिए मांग उठती है और इसको लेकर आन्दोलन भी होते हैं-जैसे मणिपुर है और यह अलग भाषा है, आप इसको आठवीं अनुसूची में नहीं दिए हुए हैं। नेपाली की मांग रही है, मैथिली है, भोजपुरी है, संथाली है, राजस्थानी है, डोगरी है और कोकणी की भी आवाजें उठती हैं। इतना बड़ा 85 करोड़ का देश है। अगर ये भाषायें आठवीं अनुसूची में आ जायेंगी तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। विभिन्न भाषाओं के विकास के साथ हिन्दी माला का काम करे और उसमें भिन्न-भिन्न किस्म के फूल हों। हमारा देश विभिन्न भाषाओं विभिन्न सम्प्रदायों और विभिन्न संस्कृतियों का है। इन्हीं विविधताओं से इसका सौन्दय बना हुआ है।

एक आखिरी बात कह कर खत्म कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हिन्दी में है, अपने मूलभूत सिद्धांतों में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद को सही रूप में गिनाया गया है मगर इसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द और सैकुलर का सही अनुवाद नहीं है। मुझ जैसा आदमी जो इररिलिजस है लेकिन अधर्मी नहीं है, ऐसा समझता है कि धर्मनिरपेक्षता में नहीं बल्कि इसके द्वारा धर्म का अनर्थ किया गया। लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद यह प्रियम्बल में दिया गया है, उस संविधान के खिलाफ राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाया गया है। मैं समझता हूं कि यह एक हल्कापन है। बहुत से हिन्दी के विद्वान अधिकतर अशुद्ध बोलना अपना मौलिक अधिकार समझते हैं इसलिए भाषा का मापदंड नहीं हो जाएगा यही कह कर खत्म कर रहा हूं।

फिर यह कहते हुए कि यह सरकार जिस हालत में है और जिस तरह से नीतियों के मामले

में उद्देश्यहीन राष्ट्रपति जो का अभिभाषण है उससे उसका जो सम्बन्ध वैसा देश वह न बनायें। वह थोड़ी हिम्मत करें और लोक हित में कदम उठायें। कीमतों को नीचे ले आयें और महंगाई पर काबू पायें। ऐसे में इनको भी बोलने का मोह रहेगा और हमें भी। ऐसे में हमें भी उनकी बात का समर्थन करना पड़ेगा। अगर हम न चाहें तो भी हमें समर्थन करना पड़ेगा। ऐसे मौके भूतकाल में भी आये है जब अल्पमत की सरकार रही। तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, प्रीवीपर्स का खात्मा हुआ। जो नही चाहते थे उन्हें भी उन मामलों पर समर्थन करना पड़ा। इसलिए कुछ लोक हित में कदम उठाए जायें। जिस तरह के लोक विरोधी कदम उठा कर यह सरकार टिकी हुई है उसमें कोई तुक नहीं लगता है। अगर इन ज्वलंत समस्याओं को दूर करने के लिए कदम ही नहीं उठाने हैं तो आप क्यो टीके बैठे हैं। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

———

5.13 म. प.

पांडिचेरी विधान सभा को भंग किए जाने के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : मैं, इस सम्माननीय सदन के सदस्यो को संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में अभी हाल में हुई राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सूचित करना चाहता हूं।

दिसम्बर, 1990 में संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के जनता दल यूनिट में विभाजन हो गया और विधान सभा में जनता दल के 4 विधायकों में से तीन ने द्रविड मुन्नेत्र कड़गम के श्री डी. रामचन्द्रन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे वह अल्पमत में आ गई। निर्वाचित सदस्य ने भी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, पांडिचेरी के राज्यपाल ने मुख्य मंत्री को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा। मुख्य मंत्री श्री डी. रामचन्द्रन 27 दिसम्बर, 1990 को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए सहमत हो गए। तथापि उन्होंने उसी दिन सदन की बैठक से पहले अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की ओर से तथा अपना त्याग पत्र प्रस्तुत कर दिया। संघ राज्य क्षेत्र में व्याप्त राजनीतिक परिस्थिति का ध्यान में रखते हुए उपराज्यपाल ने विधान सभा के निलंबन की सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजी। उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संघ शासितक्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 12 जनवरी, 1991 को उक्त अधिनियम के कुछ उपबन्धों तथा छह महीनों की अवधि के लिए विधान सभा को निलंबित करने का एक आदेश जारी किया।

पांडिचेरी के उपराज्यपाल ने संघ शासित क्षेत्र में व्याप्त राजनीतिक स्थिति के बारे में 26 फरवरी, 1991 को एक और रिपोर्ट भेजी। अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने कहा था कि किसी भी पार्टी ने न तो स्वयं अथवा न किसी अन्य पार्टी के सहयोग से सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत किया है। उप-राज्यपाल ने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टियों अथवा समूहों के बीच किसी प्रकार का राजनीतिक "गठबंधन" नहीं हो सका क्योंकि वे सत्ता की साझेदारी करने के बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आगे विचार व्यक्त किया कि वर्तमान स्थिति को अधिक जारी रखने से अस्थिरता और बढ़ेगी। उप-राज्यपाल ने विचार व्यक्त किया है कि ऐसी स्थिति में विधान सभा को भंग करने तथा चुनाव कराने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है।

26.2.1991 को राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त हुई और उसकी जांच की गई। गृह राज्य मंत्री और प्रधान मन्त्री (गृह मंत्री) के अनुमोदन से गृह मन्त्रालय द्वारा 28.2.91 को मंत्रिमंडल के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमडल का अनुमोदन शनिवार 2 मार्च, 1991 (अपराह्न) को प्राप्त हुआ था। मंत्रिमंडल के निर्णय सहित आवश्यक कागजात राष्ट्रपति सचिवालय को उसी दिन साथ ही भेज दिए गए थे।

इस बीच दिनांक 2.3.1991 को राष्ट्रपति को भेजे गए अपने एक पत्र में उप-राज्यपाल ने सूचित किया है कि श्री डी. रामाचन्द्रन ने अनुरोध किया है कि क्योंकि उनको विधान सभा के 16 सदस्यो का समर्थन प्राप्त है इसलिए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त उप-राज्यपाल ने पहले दिनांक 26.2.1991 को भेजा गई अपनी रिपोर्ट की सिफारिशों को दोहराया है।

उप-राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसी स्थिति है कि संघ शासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुसार पांडिचेरी संघ क्षेत्र का प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति ने 12 जनवरी, 1991 को जारी किए गए अपने पहले आदेश में संशोधन करके 4 मार्च, 1991 को संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी की विधान सभा भंग कर दी।

मैं पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के बारे में राष्ट्रपति द्वारा उपरोक्त दोनों आदेशों की प्रतियां भी सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष जी, यह अन्यायपूर्ण निर्णय है, आज चार तारीख को ही जब हम अभिभाषण पर बहस कर रहे हैं, जब पहले बताया निर्णय था कि अभी हम उसको मुअत्तल करते हैं लेकिन अब भंग करने की अनिवार्यता है जब कि कोई दावा कर रहे हैं कि हमें बहुमत का समर्थन प्राप्त है हम सरकार बना सकते हैं। यह ऐसा अत्याचारपूर्ण कदम है कि मालूम पड़ रहा है कि यह सरकार जो खुद अल्पमत पर आधारित है, हर जगह विधान सभाओं को भंग करके देश मे जनतंत्र का खात्मा कर देना चाहती है (व्यवधान)

पहले असम में हुआ, तमिलनाडु में हुआ और अब यह पाण्डिचेरी में हुआ तो आखिर इस सब का क्या मतलब है ? (व्यवधान)

यह सरकार एक भी रचनात्मक काम नहीं कर रही है, केवल विधान सभाओं को भंग करते जाओ, यह क्या तरीका है ··(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : यह लोकतंत्र है या मजाक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, देखिये आप प्रेजीडेण्ट के एड्रेस पर यहां पर अपने विचार प्रकट कर रहे है, आप अपने वक्तव्य मे, अपने भाषण में भी आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और वह जब रिप्लाई देंगे, अगर वह मुनासिब समझें तो वह जवाब भी देंगे।

[अनुवाद]

कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री सोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष जी, इस पर इस समय तो हम बहिष्कार करते हैं और फिर जब में बोलने के लिए आ जायेंगे। यह सरकार का एक अत्याचारपूर्ण कदम है। ऐसा मालूम पड़ रहा कि सरकार कहीं की नहीं है, इसका काम केवल विधान सभाओं का भंग करना है। (व्यवधान यह भयंकर बात हो रही है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : इस सरकार से हम इस बात का स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि वे अन्य किसी सरकार को नहीं गिरायेंगे। इस प्रकार से यह प्रक्रिया नहीं चलनी चाहिए। (व्यावधान)

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्काअर : यह प्रजातन्त्र के साथ बलात्कार हो रहा है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह बड़े आश्चर्य की बात है। उनके द्वारा लोकतन्त्र की हत्या की जा रही है। अब आप बिहार में सरकार गिरायेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा इसलिए किया गया है कि वहां पर सरकार बने। लेकिन 26 तारीख को जब वहां के एल. जी. की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद कम्बीनेशन बनाने लगे। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी यह पूरी मंशा थी कि वहां सरकार बने।

(व्यवधान))

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) जब तक इस सरकार को बरखास्त नहीं किया जायेगा तब तक कोई शान्ति नहीं हो सकती।...(व्यवधान) क्या आपकी सरकार स्थायी है ? क्या आपको जनादेश प्राप्त है ? राज्य सरकारों को भंग करने के लिए आपके पास कौन सा नैतिक आधिकार है ? कल यदि द्रविडमुन्नेत्रकड़गम सरकार सत्ता में वापस आ जाती है, तो आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : क्या राष्ट्रपति जी ने विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की है ?

श्री सुबोध कान्त सहाय : रिपोर्ट है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

डा. क्लिव रासगुप्त : इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए। इसे इस तरह जारी नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव पर बोलते समय आप इस बात को भी शामिल कर सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे प्रजातन्त्र का बलात्कार कह सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : हम सभा में इस तरीके से कार्य नहीं होने देंगे।

श्री सत्यनोपान मिश्र (तामलुक) : गोवा में क्या हो रहा है? उन्हें कहने दें···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उनका अगला कदम बिहार सरकार को गिराना होगा। उनका तो इस एक ही कार्यक्रम है। वे सभी कुछ अस्तव्यस्त करना चाहते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं···

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और लोकतन्त्र की रक्षा करने का और कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उनका केवल एक ही कार्यक्रम है और वह है राज्य सरकारों को गिराना। अब वे, बिहार की सरकार को भी गिराएंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

ले. सतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि अगर इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो आपकी तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए कि आइंदा किसी भी राज्य विधान सभा को कोई भी केन्द्रीय सरकार भंग नहीं कर सकती, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया जाए, ताकि इस तरह से जो बार बार राज्यों के साथ प्रजातंत्र के साथ ज्यादती की जाती है, इसको समाप्त किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह सदन प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए बना है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कौन से कल के तहत, किस कानून के तहत कर सकते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी. आर. कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी मामले में अब कुछ सदस्यों

ने अपना समर्थन वापस ले लिया था तो सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। (व्यवधान) आप जानते हैं कि आप कितना असत्य कह रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आपको इस बात पर शर्म नहीं आती कि आपके नेता पर नजर रखी जा रही है ? (व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम। आप चुनावों से क्यों डरते हैं ?

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : हम चुनावों से नहीं डरते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र : हम सदन को जारी नहीं रहने देंगे।

श्री तरित बरण तोपदार : आज, सदन स्थगित कर दिया जाना चाहिए और कल, सदन इस विषय पर चर्चा करे। आप केवल 54 सदस्यों के बल पर राज्य सरकारों को बरखास्त कर रहे हैं।

डा. बिप्लब दासगुप्त : किसी अन्य सरकार को गिराने से पहले, केन्द्रीय सरकार को अवश्य बरखास्त करना होगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार का आचरण न करें···

(व्यवधान)

श्री सत्य गोपाल मिश्र : महोदय, आप कृपया यह वक्तव्य पढ़ लें। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने पहली सिफारिश को दोहराया है। पहली सिफारिश कौन सी थी ?··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुबोध कांत सहाय : 26 फरवरी को एल. जी. ने डिजाल्व करने के लिए रिकेमन्ड किया था और 28 फरवरी को केबीनेट में सरकुलेट करके प्रजीडेंट के पास भेजा है। इस बीच में जानकारी हो गई कि असेम्बली को डिजाल्व किया जा रहा है। तो वहां कुछ लोगों ने सरकार बनाने का दावा किया है···(व्यवधान) यह डिजोल्यूशन सरकार बनाने के बाद नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) जब सदन का सत्र चल रहा था तब इस बात का संकेत क्यों नहीं किया था ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय। कृपया अपनी जगहों पर बैठें !

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अपने भाषणों के दौरान आप आलोचना कर सकते हैं, इस प्रकार नहीं ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषणों में सरकार की आलोचना कर सकते हैं । किन्तु सदन के बीचोंबीच आकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

(व्यवधान)*

की पी. आर. कुमारमंगलम : महोदय, वे लोगों के पास जाने से घबराते है । वे पांडीचेरी में मतदाता के सामने नहीं आना चाहते (व्यवधान)

डा. बिप्लव दासगुप्त : महोदय, वे पोंडीचेरी में चुनावों के बारे में बात कर रहे हैं । उन्हें पूरे देश में मतदाता का सामना करने दें । वे संसद को भंग कर सकते हैं और चुनाव करा सकते हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी जगहों पर बैठें ।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हम सरकार को चार महीने का व्यय भी नहीं दे सकते। यदि वे इसी प्रकार रहते हैं तो हम लेखानुदान को भी पारित नहीं होने देंगे··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री निर्मल चटर्जी, यदि आप भाषण देना चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊंगा और आप अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी। वे द्वेषपूर्ण ढंग से काम करते हैं। उन्होंने समय बड़े द्वेषपूर्ण तरीके से चुना है। जब उन्हें विश्वास हो गया कि वे सरकार नहीं बना सकते, तो उन्होंने विधान सभा को भंग कर दिया। क्या हम इस सरकार का चार महीनों के व्यय के लिये विश्वास कर सकते हैं ? क्या हम इस सरकार का वित्त विधेयक और अन्य सब विषयों के लिये भरोसा कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री पी. आर. कुमारमंगलम : एक माननीय सदस्य और एक माननीय मन्त्री ने अलग अलग बातें कही हैं। मेरे विचार में, यह पता लगाने के लिए कि कौन सच बोल रहा है-श्री निर्मल कान्ति चटर्जी या श्री सहाय-इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए ···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म. पूर्व तक के लिए स्थगित होती है।

5.52 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार. 5 मार्च, 1991/फाल्गुन 14, 1912 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एस्प्लेनेड रोड़, दिल्ली-6